दश माला, खंड 24, अंक 12

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2006

16 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

नौवां सत्र

(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No. 61
Dated 12 NOV 2007

(खण्ड 24 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय

नई दिल्ली

मूल्य: अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 24, नौवां सत्र, 2006/1928 (शक)
अंक 12, गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2006/16 अग्रहायण, 1928 (शक)

विषय **कॉलम**

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

*तारांकित प्रश्न संख्या 222 से 226 1-42

प्रश्नों के लिखित उत्तर

तारांकित प्रश्न संख्या 227 से 241 42-61

अतारांकित प्रश्न संख्या 2204 से 2433 61-331

सभा पटल पर रखे गए पत्र 332-337
347-350

राज्य सभा से संदेश
और
राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक 337-338

लोक लेखा समिति

तैंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन 338

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन 338

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यकरण में तालमेल की आवश्यकता

श्री गुरूदास दासगुप्त 339

श्री हंसराज भारद्वाज 339-347

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा सिक्किम मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मान्यता दिए जाने के बारे में 350-352

(दो) देश में उर्वरकों की कमी के बारे में 352-370

---

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय **कॉलम**

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) सेवानिवृत्त थलसैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रही धांधली की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्रशेखर दूबे 370-371

(दो) दमन और दीव में हाई टाइड लाइन के सीमांकन को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री दाह्याभाई बल्लभभाई पटेल 371

(तीन) कर्नाटक में निजी चीनी यूनिटों को विशेष आर्थिक जोन की अनुमति दिए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटिल 372

(चार) पंजाब में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से वहां उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना 372-373

(पांच) मध्यप्रदेश में ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 का उचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह 373

(छह) स्वर्गीय वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ 373-374

(सात) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज 374-375

(आठ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों के कार्यकरण और उनके रहन-सहन की स्थिति को निर्धारित करने हेतु व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी 375

(नौ) उत्तर प्रदेश में पनचन्दा बांध, के निर्माण की अनुमति दिए जाने तथा निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री रघुराज सिंह शाक्य 375-376

(दस) संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद 376-377

विषय		कॉलम
(ग्यारह)	बिहार में समस्तीपुर, में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता	
	श्री आलोक कुमार मेहता	377
(बारह)	भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री रविन्दर कुमार राणा	377
(तेरह)	उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रसन्न आचार्य	378-379
(चौदह)	राष्ट्रीय जलमार्ग-II को वाणिज्यिक उपयोग हेतु नौवहनीय बनाने के लिए एक विशिष्ट योजना लाए जाने की आवश्यकता	
	डा. अरुण कुमार शर्मा	379
(पन्द्रह)	कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सभी सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में कोटा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री अब्दुल रशीद शाहीन	379-380
(सोलह)	कर्नाटक में हुबली के आधुनिकीकरण हेतु योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने तथा वर्ष 2006-2007 के दौरान इस प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री प्रहलाद जोशी	380
नियम 193 के अधीन चर्चा		
देश में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं		381
	श्री देवेन्द्र प्रसाद	381-394
	श्री सी. कुप्पुसामी	394-397
	श्री थावरचन्द गेहलोत	397-402
	श्री मधुसूदन मिस्त्री	402-410
	श्री तरित बरण तोपदार	410-414
	श्री शैलेन्द्र कुमार	414-418
	श्री राम कृपाल यादव	418-422
	श्री मित्रसेन यादव	422-425
	श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	425-428

विषय		कॉलम
	श्रीमती अर्चना नायक	428-429
	श्री अजय चक्रवर्ती	429-432
	श्रीमती सुमित्रा महाजन	432-435
	श्री सन्दीप दीक्षित	435-439
	श्री पी. राजेन्द्रन	439-440
	श्री रवि प्रकाश वर्मा	440-445
	श्री धर्मेन्द्र प्रधान	445-448
	चौधरी लाल सिंह	448-452
	प्रो. एम. रामदास	452-454
	डा. सत्यनारायण जटिया	454-474
अनुबंध-I		
	तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	475-476
	अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	476-484
अनुबंध-II		
	तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	485
	अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	485-488

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 7 दिसम्बर, 2006/16 अग्रहायण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए)*

[हिन्दी]

(व्यवधान)

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रश्नकाल स्थगित करने का नोटिस दिया है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं बारह बजे आपको पहले बुलाऊंगा

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके सहयोग के लिए धन्यवाद।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे भी बोलने का समय दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय: आपको भी शून्यकाल में बोलने का समय दिया जाएगा।

पूर्वाह्न 11.01 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय: श्री हरि केवल प्रसाद, प्र. सं. 222

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशनों का उन्नयन/आधुनिकीकरण

+

*222. **श्री हरिकेवल प्रसाद:**

श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने भीड़-भाड़ वाले रेलवे स्टेशनों का पता लगाया है;

(ख) यदि हां, तो दस सर्वाधिक भीड़-भाड़ वाले स्टेशनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) उन रेलवे स्टेशनों का जोनवार ब्यौरा क्या है जिनका गत दो वर्षों के दौरान उन्नयन/आधुनिकीकरण किया गया है तथा चालू वर्ष के दौरान जिनका किया जाना है;

(ङ) इन पर कितना व्यय किया गया है/कितना व्यय करने का प्रस्ताव है; और

(च) रेलवे स्टेशनों को भीड़-भाड़ से मुक्त करने तथा उनका समय पर उन्नयन/आधुनिकीकरण करने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) स्टेशनों का वर्गीकरण यात्री यातायात से होने वाली वार्षिक आमदनी के आधार पर किया जाता है, भीड़-भाड़ के आधार पर नहीं, जिसे मापना कठिन होता है। किसी स्टेशन पर यात्री सुविधाओं की व्यवस्था उस स्टेशन की कोटि और उस स्टेशन पर संभाले जाने वाले यात्रियों की संख्या के आधार पर की जाती है।

(घ) भारतीय रेल पर 8055 रेलवे स्टेशन हैं। रेलवे स्टेशनों का अपग्रेडेशन/नवीकरण/आधुनिकीकरण एक सतत् प्रक्रिया है और यातायात में वृद्धि और पारस्परिक प्राथमिकताओं के आधार पर निर्धारित मानदंडों के अनुरूप प्रतिवर्ष यह कार्रवाई की जाती है। पिछले दो वर्षों के दौरान, 110 स्टेशनों को मॉडल स्टेशन के रूप में विकसित किया गया है, जिनकी सूची अनुलग्नक-I के रूप में संलग्न है। चालू वर्ष 2006-07 के दौरान, भारतीय रेल के 334 स्टेशनों की आगे अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण के लिए पहचान की गई है (सूची अनुलग्नक-II के रूप में संलग्न है)।

(ङ) रेलवे स्टेशनों के अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण और उनकी हालत में सुधार संबंधी कार्य मुख्यत: "यात्री सुविधा" योजना शीर्ष के तहत किये जाते हैं। अपग्रेडेशन/आधुनिकीकरण संबंधी कार्यों के लिए धनराशि के आबंटन के स्टेशन-वार आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। बहरहाल, पिछले दो वर्ष के दौरान "यात्री सुविधा"

योजना शीर्ष के अंतर्गत किये गये खर्च और वर्ष 2006-07 के दौरान किये गये आबंटन का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	करोड़ रुपए में
2004-05 - वास्तविक खर्च	222.76
2005-06 - वास्तविक खर्च	256.23
2006-07 - बजट अनुदान	353.20

(च) स्टेशन की हालत में सुधार के भाग के रूप में, स्टेशनों पर भीड़ को कम करने के उद्देश्य से रेलवे विभिन्न कार्य निष्पादित करती है, यथा प्लेटफार्मों को चौड़ा करना और उनका विस्तार, स्टेशन की इमारत के ढांचे में परिवर्तन, सर्कुलेटिंग क्षेत्रों का विस्तार, ऊपरी पैदल पुलों की संख्या में वृद्धि, भूमिगत मार्गों का निर्माण आदि, जो एक सतत् प्रक्रिया है। इसके अलावा, रेलवे ने मौजूदा 19 महत्वपूर्ण स्टेशनों को विश्वस्तरीय स्टेशन के रूप में बदलने की कार्रवाई शुरू की है। इससे सुविधाओं में सुधार के अलावा आगमन एवं प्रस्थान के लिए अलग-अलग द्वारों की व्यवस्था करने से स्टेशनों पर भीड़-भाड़ भी कम होगी। इन कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए, इनकी नियमित निगरानी की जाती है और अपेक्षित धनराशि उपलब्ध करायी जाती है।

अनुलग्नक-I

विकसित मॉडल स्टेशन

क्र. सं.	मॉडल स्टेशन के नाम	स्टेशन की श्रेणी
1	2	3
मध्य		
1.	अकोला	ए
2.	भुसावल	ए
3.	चन्द्रपुर	ए
4.	दादर	ए
5.	कल्याण	ए
6.	लोकमान्य तिलक टर्मिनस	ए
7.	मुंबई सी.एस.टी.	ए
8.	नागपुर	ए
9.	नासिक रोड	ए
10.	पुणे	ए
11.	थाणे	ए
12.	वर्धा	ए
13.	गुलबर्गा	ए
14.	सोलापुर	ए
उत्तर		
15.	अमृतसर	ए
16.	बरेली	ए
17.	ब्यास	ए
18.	दिल्ली मेन	ए
19.	फिरोजपुर	ए
20.	हरिद्वार	ए
21.	हजरत निजामुद्दीन	ए
22.	जालंधर सिटी	ए
23.	जम्मू तवी	ए
24.	लखनऊ	ए
25.	लुधियाना	ए
26.	नई दिल्ली	ए
27.	पठानकोट	ए
28.	वाराणसी	ए
पूर्वोत्तर		
29.	बादशाह नगर	ए
30.	बस्ती	ए
31.	छपरा जं.	ए

1	2	3
32.	गोंडा जं.	ए
33.	गोरखपुर	ए
34.	काठगोदाम	ए
35.	लखनऊ जं.	ए
36.	मंडुआडीह	ए
37.	रावतपुर	ए
38.	इज्जतनगर	बी
39.	पीलीभीत	बी
दक्षिण		
40.	कालीकट	ए
41.	कन्नानोर	ए
42.	चेन्नै सेंट्रल	ए
43.	चेन्नै एग्मोर	ए
44.	कोयम्बटूर	ए
45.	इरोड जंक्शन	ए
46.	मदुरै	ए
47.	मंगलोर जंक्शन	ए
48.	पालघाट जं.	ए
49.	सेलम जं.	ए
50.	तिरुचिरापल्ली जं.	ए
51.	तिरुवनंतपुरम	ए
52.	कटपाडी	ए
53.	माम्बलम	सी
54.	कोल्लम	ए
55.	चेन्नै बीच	सी
दक्षिण मध्य		
56.	गुंटूर	ए
57.	हैदराबाद	ए
58.	काचेगुड़ा	ए
59.	काकिनाडा टाउन	ए
60.	नांदेड	ए
61.	नेल्लोर	ए
62.	राजामुंद्री	ए
63.	सिकन्दराबाद	ए
64.	तिरुपति	ए
65.	विजयवाड़ा	ए
66.	वारंगल	ए
दक्षिण पूर्व		
67.	आद्रा	डी
68.	तमलुक	ई
पश्चिम		
69.	चित्तौड़गढ़	डी
70.	बमनिया	ई
71.	घरनगांव	ई
72.	निम्बाहेड़ा	ई
73.	ओखा	ई
पूर्व मध्य		
74.	धनबाद	ए
75.	पटना जं.	ए
पूर्व तट		
76.	बेहरामपुर	ए
77.	भुवनेश्वर	ए
78.	कटक	ए

1	2	3
79.	पुरी	ए
80.	विशाखापट्टनम	ए
81.	भद्रक	बी
82.	खुर्दा रोड	बी
83.	संबलपुर	बी
84.	जयपुर क्योंझर रोड	डी
85.	टिटलागढ़	डी
उत्तर मध्य		
86.	इलाहाबाद	ए
87.	ग्वालियर	ए
88.	झांसी	ए
89.	कानपुर सेंट्रल	ए
90.	आगरा	ए
91.	मथुरा	ए
उत्तर पश्चिम		
92.	जयपुर	ए
93.	जोधपुर	ए
दक्षिण पूर्व मध्य		
94.	बिलासपुर	ए
95.	दुर्ग	ए
96.	रायपुर	ए
दक्षिण पश्चिम		
97.	बंगलोर सिटी	ए
98.	हुबली	ए
99.	मैसूर	ए
100.	वास्को-डी-गामा	ए
101.	होसपेट	बी
102.	तोरणगल्लू	ई
पश्चिम मध्य		
103.	भोपाल	ए
104.	हबीबगंज	ए
105.	जबलपुर	ए
106.	कटनी जं.	ए
107.	कोटा	ए
108.	सतना	ए
109.	होशंगाबाद	बी
कोंकण रेलवे कार्पोरेशन लि.		
110.	मडगांव	ए

अनुलग्नक-II

रेलवे	स्टेशनों के नाम
मरे (25)	सोलापुर, अहमदनगर, गुलबर्गा, वाडि, दौंड, पुणे, कोल्हापुर, मिरज, सतारा, सांगली, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, दादर, लोकमान्य तिलक टर्मिनस, ठाणे, कल्याण, मनमाड़, नासिक रोड, भुसावल, खंडवा, अकोला, नागपुर, चंद्रपुर, वर्धा, बल्लारशाह, आमला।
पूरे (20)	हवड़ा, बर्धमान, रामपुरहाट, बोलपुर, तारकेश्वर, सियालदाह, बिधाननगर रोड, दमदम जं., बारासात, राणाघाट, माल्दा टाउन, भागलपुर, जमालपुर, साहिबगंज, न्यू फरक्का, आसनसोल, दुर्गापुर, जसीडीह, मधुपुर, बैद्यनाथधाम।
पूमरे (25)	पटना जं., राजेंद्र नगर, आरा, बक्सर, मोकामा, समस्तीपुर, दरभंगा, रक्सौल, मोतिहारी, सीतामढ़ी, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बेगूसराय, खगड़िया, धनबाद, कोडरमा, बरकाकाना, डाल्टनगंज, पारसनाथ, मुगलसराय, सासाराम, गया, देहरी-ऑन-सोन, अनुग्रह नारायण रोड।

रेलवे	स्टेशनों के नाम
पूतरे (15)	भुवनेश्वर, कटक, पुरी, ब्रह्मापुर, भद्रक, विशाखापत्तनम, विजयनगरम, श्रीकाकुलम, रायगडा, दुवाडा, टिटलागढ़, कांताभांजी, केसिंघा, बोलनगीर, सम्बलपुर>
उरे (27)	दिल्ली, नई दिल्ली, हजरत निजामुद्दीन, मेरठ सिटी, कुरुक्षेत्र, लुधियाना, जालंधर सिटी, अमृतसर, फिरोजपुर, जम्मू तवी, देहरादून, बरेली, मुरादाबाद, हरिद्वार, रूड़की, ऋषिकेश, अम्बाला छावनी, चंडीगढ़, शिमला, भटिंडा, सहारनपुर, धुरी, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, रायबरेली, प्रयाग।
उमरे (15)	आगरा कैंट, मथुरा, आगरा किला, राजा की मंडी, कोसीकलां, झांसी, ग्वालियर, बांदा, उरई, धौलपुर, अलीगढ़ जं., इलाहाबाद जं., इटावा, कानपुर सेंट्रल, मिर्जापुर।
पूर्वो. (15)	गोरखपुर, लखनऊ जं., गोंडा, लखीमपुर, बादशाह नगर, छपरा जं., सिवान जं., देवरिया सदर, मंडुआडीह, आजमगढ़, हल्द्वानी, लालकुआं, रूद्रपुर सिटी, काशीपुर, मथुरा छावनी।
पूसीरे (23)	बरपेटा रोड, गोलपारा टाउन, न्यू बोंगाईगांव, रंगिया, डिब्रूगढ़ टाउन, न्यू तिनसुकिया, मरियानी जं., सिमलुगुड़ी जं., न्यू जलपाईगुडी, किशनगंज, कटिहार, दार्जिलिंग, रायगंज, न्यू अलीपुरद्वार, कोकराझार, न्यू कूचबिहार, न्यूमल जं., गोसंईगांवहाट, गुवाहाटी, दीमापुर, लमडिंग जं., सिलचर, होजई।
उपरे (20)	अजमेर, उदयपुर सिटी, आबू रोड, फलना, रानी, बीकानेर, हिसार, श्री गंगानगर, भिवानी, सिरसा, जयपुर, रेवाड़ी, बांदीकुई, दोसा, जोधपुर, जैसलमेर, पालि मारवाड, बारमेड, नागौर।
दरे (25)	चेंगलपट्टू, कटपाडि, अरक्कोणम, तांबरम, तिरस्तानी, ईरोड, कोयम्बतूर, पालघाट, कालीकट, मंगलौर, एर्णाकुलम, त्रिचूर, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम सेंट्रल, कन्याकुमारी, पांडिचेरी, विरुद्धाचलम, तिरुचिरापल्ली जं., तंजावूर, कुम्बाकोणम, दिंडीगुल, मदुरै, तिरुनेलवेली, तूतीकोरीन, विरुदुनगर।
दमरे (30)	अंगुल, विजयवाडा, राजामुंद्री, नेल्लौर, काकिनाडा टाउन, हैदराबाद, सिकंदराबाद, काजीपेट, खम्माम, वारंगल, काचेगुडा, कुरनूल टाउन, निजामाबाद, बसर, महबूबनगर, तिरुपति, गुंतकल, रायचूर, कुडाप्पा, अनंतपुर, गुंतूर, नलगोंडा, नांदयाल, नाडिकुडी, नरसारापेट, नांदेड, औरंगाबाद, जालना, परबानी, पारतूर।
दपूरे (19)	खड़गपुर, बालासोर, मिदनापुर, संतरागाछी, मेचेडा, टाटानगर, राउरकेला, झारसुगुडा, चक्रधरपुर, राजगंगपुर, बोकारो स्टील सिटी, पुरुलिया, बांकुड़ा, बिष्णुपुर, गरबेटा, रांची, हटिया, मूरी, रामगढ़ छावनी।
दपूमरे (15)	बिलासपुर, रायगढ़, चम्पा, शहडोल, कोरबा, रायपुर, दुर्ग, भाटापारा, तिलडा, भिलाई पावर हाउस, गोंदिया, राजनंदगांव, डोंगरगढ़, तुमसर रोड, छिंदवाड़ा।
दपरे (15)	मैसूर, दावणगेरे, शिमोगा टाउन, हसन, हवेरी, हुबली, बेलगाम, वास्को, होजपेट, बेल्लारी, बेंगलौर सिटी, यशवंतपुर, बेंगलौर कैंट, मांडया, तुमकुर।
परे (30)	सूरत, वापी, नवसारी, बांद्रा टर्मिनस, मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, आनंद, नाडियाड, भरूच, अंकलेश्वर, रतलाम, इंदौर, दाहोद, उज्जैन, चित्तौड़गढ़, अहमदाबाद, मणिनगर, गांधीधाम, न्यू भुज, पालनपुर, राजकोट, सुरेंद्रनगर, जामनगर, थान, वांकानेर, भावनगर, वेरावल, पोरबंदर, जूनागढ़, गांधीग्राम।
पमरे (15)	जबलपुर, कटनी, सतना, मैहर, सागौर, भोपाल, हबीबगंज, इटारसी, गुना, बीना, सवाईमाधोपुर, भवानी मंडी, बायना, भरतपुर, गंगापुर सिटी।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, रेल मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में समय-समय पर सदन में घोषणा की है कि रेल मंत्रालय ने देश के 327 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं से लैस करके फरवरी, 2007 तक आदर्श स्टेशन के रूप में विकसित करने का फैसला किया है। यह भी फैसला लिया गया कि भारतीय रेल के सभी 67 मंडलों के 5 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाया जाएगा। मेरे प्रश्न के उत्तर में भी इन्हीं बातों को दोहराया गया है। रेल मंत्रालय घोषणा करने के साथ इस बात की जांच-पड़ताल नहीं करता कि जिन स्टेशनों का आधुनिकीकरण कराया जा रहा है, वहां मानकों के अनुसार कार्य हो रहा है, अथवा नहीं। इसी तरह, क्या उन स्टेशनों पर वांछित यात्री सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई हैं? क्या रेल मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण में मानकों का उल्लंघन किया जा रहा है? यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मेरे परिवार और स्वयं मेरी भयंकर दुर्घटना के समय माननीय अध्यक्ष महोदय के सांत्वना संदेश के लिए मैं उनका अत्यन्त आभारी हूं। महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

माननीय सदस्य जानना चाहते है कि आधुनिकीकरण का कार्य क्यों नहीं किया गया। वास्तव में वर्ष 2006 में हमने यह कहना प्रारम्भ किया है: "मुस्कान के साथ यात्रियों की सेवा"। इस संबंध में मैं बताना चाहूंगा कि देश के कुल 8055 रेलवे स्टेशनों में से 580 रेलवे स्टेशनों को आदर्श स्टेशन बनाने के लिये चुना गया था, इस वर्ष भी हमने 334 रेलवे स्टेशनों को आधुनिक स्टेशन बनाने के लिए चुना है। ये आदर्श स्टेशन आधुनिक रेलवे स्टेशन बन गये है? इनमें क्या अन्तर है? माननीय सदस्य कहते हैं कि इन स्टेशनों पर वांछित सुविधाएं प्रदान नहीं की गयी हैं। हमारा उद्देश्य आदर्श रेलवे स्टेशनों पर सभी वांछित सुविधाएं प्रदान करने का है। मूलत: इसमें आवश्यक सुविधाएं शामिल हैं, तदुपरांत अन्य सभी सुविधाओं पर भी ध्यान दिया गया है। अब मैं वांछित सुविधाओं के मुद्दे पर आता हूं। हमने इन आधुनिक स्टेशनों पर भवनों व प्लेटफार्मों के स्वरूप और विशिष्ट क्षेत्र तथा परिपथन क्षेत्र में प्रकाश व्यवस्था में सुधार करने की योजना बनायी है, विश्रामगृहों और प्रतीक्षागृहों के फर्नीचर में सुधार करने, पैदल ऊपरिपुलों को चौड़ा करने और अधिक पैदल ऊपरि पुलों की व्यवस्था करने आदि की योजना भी है। इसके साथ ही पहली बार यह कहा गया है कि सभी आधुनिक सुविधाओं के लिए अब डी.आर.एम. वास्तुकारों या सलाहकारों को नियुक्त कर सकते हैं।

इस उद्देश्य के लिए हम आवश्यक धन प्रदान कर रहे है। 2000-2001 में 136 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया था। वर्ष 2005-06 में 222 करोड़ रुपयों और वर्ष 2006-07 में 353 करोड़ रुपयों का आबंटन किया गया है। इस वर्ष 353 करोड़ रुपये के आबंटन को बढ़ाकर 440 करोड़ रुपये किया गया है और इसका उद्देश्य यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करना है। इस प्रकार, अब यात्रियों की सुविधाओं के लिए वर्ष 2001 के आबंटन से तिगुना आबंटन किया गया है। यात्रियों की सुविधाओं के लिए हम आवश्यक धनराशि व्यय करने के लिए तैयार है क्योंकि इस वर्ष हमारा उद्देश्य मुस्कान के साथ यात्रियों की सेवा करना है।

[हिन्दी]

श्री हरिकेवल प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है, उस संदर्भ में, मैं दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं। मंत्री जी ने जिन स्टेशनों के बारे में उत्तर में कहा है, उन स्टेशनों पर गंदगी का साम्राज्य है और जो जोन बनाए गए हैं, उन जोन्स में स्टेशनों के चयन में भेदभाव किया गया है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी यह जानना चाहूंगा कि जिन स्टेशनों पर गंदगी है, क्या आप उनकी सफाई की ओर ध्यान देंगे और चयन में जो भेदभाव किया गया है, क्या उसे समाप्त करने का प्रयास करेंगे?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन स्टेशनों का चयन इस आधार पर किया गया है कि डिवीजन में से पांच स्टेशनों का चयन किया जाएगा। इसमें स्वच्छता, स्वास्थ्य, रखरखाव आदि पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार सभी बातों पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री बालासाहिब विखे पाटील: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने जो धनराशि उपलब्ध कराई थी, उसमें से 256 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं लेकिन जो मॉडल स्टेशन बने हैं, वे बड़े शहरों और मेट्रो शहरों में ज्यादा लग रहे हैं। कामर्शियल स्टेशन होने के कारण वहां इंवेस्टमेंट भी होता है और कांट्रैक्ट भी आते हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे बड़े स्टेशनों को बी.ओ.टी. पर देने और बाकी छोटे-छोटे स्टेशनों को क्या खुद रेल मंत्रालय पैसे खर्च करके माडर्नाइज करेगा?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, यह धनराशि केवल शहरी स्टेशनों

से संबंधित नहीं है। यह सभी 8055 स्टेशनों से संबंधित है। यहां केवल धनराशि के आबंटन का प्रश्न है। अतः जो माननीय सदस्य ने सुझाव दिया है उसकी जांच की जाएगी।

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि ग्वालियर से श्योपुरकलां तक रेल लाइन का जो गेज परिवर्तन एवं इलैक्ट्रिफिकेशन का काम होना है, वह कब तक पूरा हो जाएगा?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: यह प्रश्न आमान परिवर्तन से संबंधित नहीं है। तथापि मैं इसका जवाब देना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षिप्त जवाब दीजिए।

श्री आर. वेलु: महोदय, हम प्रतिवर्ष आमान परिवर्तन के लिए लक्ष्य निर्धारित करते हैं मुख्यतः इनमें आर्थिक दृष्टि से वे महत्वपूर्ण योजनाएं सम्मिलित की जाती है जिनका शीघ्र लाभ मिल पाये। अतः मैं यह नहीं कह सकता कि इन योजनाओं पर कब कार्य किया जाएगा क्योंकि यह संसाधनों की उपलब्धता, बजट आदि पर निर्भर करता है। आमान परिवर्तन का कार्य एक सतत् प्रक्रिया है और हम अधिकांश रेल खंडों पर आमान परिवर्तन की कोशिश कर रहे हैं। वास्तव में, आज हमारे पास लगभग 11,000 किलोमीटर छोटी रेललाइन है और लगभग 2,000 किलोमीटर संकरी रेललाइन है। अतः हम इसी पर ध्यान देने का प्रयास कर रहे हैं ताकि आमान परिवर्तन का कार्य समय सीमा के भीतर पूरा हो सके।

डा. के.एस. मनोज: महोदय, आपके द्वारा दिये गए लिखित उत्तर में यह बताया गया है कि रेलवे स्टेशनों का वर्गीकरण यात्रियों से प्राप्त वार्षिक कमाई के आधार पर किया जाता है। अधिकांश स्टेशनों पर, विशेषकर उन स्टेशनों पर जहां भीड़ ज्यादा होती है यदि यात्रियों के लिए उचित सुविधाएं नहीं हैं तो यह स्वभाविक सी बात है कि कमाई भी कम हो जाएगी। अतः छोटे रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्म को चौड़ा करने, उच्च स्तरीय बनाने और अन्य सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार किये जाना अत्यंत आवश्यक है। हम केवल मॉडल रेलवे स्टेशन विकसित करने की योजना बना रहे है और इस प्रकार रेलवे का राजस्व अर्जन बढ़ रहा है। न केवल 'ए' श्रेणी के रेलवे स्टेशनों पर ही बल्कि अन्य स्टेशनों पर भी सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए भविष्य के बजट में रेलवे के क्या प्रस्ताव हैं?

श्री आर. वेलु: हमने रेलवे स्टेशनों को सात श्रेणियों अर्थात् 'ए-।, ए. बी. सी. डी. ई. और एफ.' श्रेणीयों में बांटा है। यह श्रेणीकरण रेलवे स्टेशन की अर्जित आय पर निर्भर है। यदि यह 50 करोड़ रुपये से अधिक है तो यह 'ए-।' श्रेणी के अंतर्गत आता है। यदि यह 6 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपये के बीच है तो इसे 'ए' श्रेणी में रखा जाता है। यदि यह 3 करोड़ से 6 करोड़ के बीच है तो 'बी' श्रेणी के अंतर्गत आता है और सभी उपनगरीय स्टेशन 'सी' श्रेणी में आते हैं। हम स्टेशन का श्रेणीकरण इस प्रकार करते हैं - माननीय सदस्य केवल 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि अन्य स्टेशनों पर भी प्लेटफार्मों को उन्नत किये जाने व अन्य सुविधाओं में सुधार करने के बारे में जानना चाहते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी उत्तर दिया है कि इस वर्ष इस मद पर आबंटन को 353 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 440 करोड़ रुपये किया जाना है। यह धनराशि केवल 'ए' श्रेणी के स्टेशनों पर ही नहीं बल्कि अन्य स्टेशनों के लिए भी खर्च की जाएगी। वास्तव में माननीय सदस्य यह भी जानते हैं कि हम 24 सवारी डिब्बों वाली रेलें चला रहे हैं, हम प्लेटफार्मों का उन्नयन और विस्तार भी करने जा रहे हैं ताकि इससे महिलाओं, वृद्ध, बीमार लोगों और अन्य व्यक्तियों को सहायता मिल सके। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन देना चाहूंगा कि जो वे चाहते हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री मित्रसेन यादव: अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि स्टेशंस का चुनाव मंडलवाइज किया गया है, लेकिन ऐसा करने पर इन स्टेशंस का कब तक आधुनिकीकरण कर दिया जाएगा, इसकी कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या वह मंडलवाइज सांसदों की मीटिंग बुलाकर, उन स्टेशंस को दिखाने की कोशिश करेंगे जिन्हें उच्चीकृत किया गया है और यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि ऐसे कितने स्टेशंस का आधुनिकीकरण किया गया है और कितने स्टेशंस का बाकी है?

अध्यक्ष महोदय: यह बता दिया गया है।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: यह उन्नयन और आधुनिकीकरण के संबंध में एक सामान्य प्रश्न है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप संबंधित सदस्यों की बैठक बुला रहे है या नहीं?

श्री आर. वेलु: मैं केवल आवश्यकता के आधार पर धनराशि

का आबंटन ही कर सकता हूं। हम प्राथमिकता के आधार पर धनराशि उपलब्ध करायेंगे।

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य इसका इच्छुक है। परन्तु बोलपुर को भूलियेगा नहीं।

[हिन्दी]

पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु धनराशि

***223. श्री रशीद मसूद:** क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार, कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को पर्यटन परियोजनाओं के विकास हेतु जारी की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग नहीं हो पा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो पर्यटन परियोजनाओं के लिए जारी की गई धनराशि का पूरी तरह उपयोग सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

[अनुवाद]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (ग) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 में 217 परियोजनाओं के लिए 376.64 करोड़ रुपए, वर्ष 2005-06 में 253 परियोजना के लिए 613.17 करोड़ रुपए और वर्ष 2006-07 के लिए आज की तारीख तक 130 परियोजनाओं के लिए 190.68 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। पर्यटन मंत्रालय, गंतव्यों और परिपथों के उत्पाद/अवसंरचना विकास की अपनी योजना के अंतर्गत, पर्यटन अवसंरचना विकास हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की विशिष्ट परियोजनाएं स्वीकृत करता है। स्वीकृत की गई ऐसी प्रत्येक परियोजना की, समय-समय पर पर्यटन मंत्रालय के सचिव और संयुक्त सचिव के स्तर पर, राज्य सरकार के पदाधिकारियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ नियमित बैठकों में, निकटता से मॉनिटरिंग की जाती है। भारत पर्यटन के घरेलू क्षेत्रीय कार्यालयों सहित, पर्यटन मंत्रालय के अधिकारी, अवमुक्त की गई निधियों की पूरी उपयोगिता सुनिश्चित करने के लिए कार्यान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं।

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: मोहतरम स्पीकर साहब, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं। हालत यह हो गई है कि पहले मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट अपनी पूरी बात रखते थे, फिर मंत्री जी जवाब देते थे। अब उसकी इजाजत बहुत कम मिलती है। इस प्रश्न को ही आप लें। जो प्रश्न है, वह दीगर है और मिनिस्ट्री से जो जवाब आया है, वह दीगर है। मैंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है और जवाब उससे कतई ताल्लुक नहीं रखता है।

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न पूछें।

श्री रशीद मसूद: हमारा सवाल यह है कि केन्द्र सरकार की निगाह में क्लोज मानिटरिंग की परिभाषा क्या है और हिन्दुस्तान में ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स हैं? जहां तक हमारी जानकारी है, इसके लिए निर्धारित फंड्स का पूरा यूटिलाइजेशन, 90 प्रतिशत तक, नहीं हो रहा है। यह क्लोज मानिटरिंग कितनी क्लोज है, इसकी परिभाषा दें, तो मैं आगे सवाल करूं।

अध्यक्ष महोदय: आप सवाल पूछें।

श्री रशीद मसूद: मानिटरिंग ही नहीं हो रही, क्लोज को तो छोड़ दें।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप प्रश्न करें, यह अंग्रेजी का सवाल नहीं है।

...*(व्यवधान)*

श्री रशीद मसूद: उसे आप छोड़िए, वह बता नहीं पाएंगे। हम यह कहना चाहते हैं कि क्लोज मानिटरिंग को और क्लोज करने के लिए क्या आप ऐसी व्यवस्था करें, जैसे रघुवंश प्रसाद सिंह जी ने रूरल डवलपमेंट फंड्स के लिए जिला स्तर पर कमेटीज बनाई हैं, जिसके चेयरमैन सीनियर लोकसभा के सदस्य हैं और दूसरे अनेक प्रतिनिधि हैं। हमने प्रधान मंत्री जी को भी लिखा था कि सेंटर से जितने भी फंड्स जाते हैं, उनकी मानिटरिंग उस कमेटी को दी जाए और वह इसे देखे।

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया प्रश्न करें।

श्री रशीद मसूद: मेरा प्रश्न स्पैसिफिकली इनके मंत्रालय से ताल्लुक रखता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या आप अपने मंत्रालय द्वारा जारी फंड्स की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग कमेटी को ऑथोराइज करेंगे?...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती अम्बिका सोनी: अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके संरक्षण की आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: परेशानी की बात यह है कि अध्यक्ष को स्वयं संरक्षण की आवश्यकता है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: यह पिछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों, को जारी की गयी धनराशि के बारे में एक सामान्य प्रश्न है। यह प्रश्न का पहला भाग था। उत्तर है:

"वर्ष 2004-05 में 217 परियोजनाओं के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा 376.64 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए थे। वर्ष 2005-06 में 253 परियोजनाओं के लिए 613.17 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये और वर्ष 2006-07 के लिए 130 परियोजनाओं हेतु अब तक 190.68 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए..."

मैं इससे अधिक स्पष्ट नहीं हो सकती...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आप निगरानी के लिए माननीय सदस्यों की सहायता लेना चाहेंगी।

श्रीमती अम्बिका सोनी: निगरानी के संबंध में अपने लिखित उत्तर में हमने उपयोग में लाई जा रही प्रणाली के बारे में बताया है। इसकी निगरानी पर्यटन मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा की जाती है। देश के विभिन्न भागों में स्थित पर्यटन कार्यालयों द्वारा इसकी नियमित निगरानी की जाती है।...*(व्यवधान)* पिछले नौ माह की अवधि में, मैं स्वयं दो-तीन दिनों के लिए विभिन्न राज्यों में गयी और परियोजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित अधिकारियों के साथ एक बैठक में भाग लेकर दसवीं पंचवर्षीय योजना के पांच वर्षों के दौरान स्वीकृत सभी परियोजनाओं की अद्यतन स्थिति का ब्यौरा लिया। मैं समझती हूं कि इनमें कतिपय कमियां थी जिन्हें दूर किया जाना था। पहली कमी तो यह थी कि शुरू में हम भूमि की उपलब्धता जाने बिना ही परियोजनाओं को स्वीकृति दे देते थे। अब हमने यह आवश्यक कर दिया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: मेरा यह सवाल नहीं है। मेरा सवाल है कि क्या आप अपने मंत्रालय में फंड्स की मॉनिटरिंग के लिए डिस्ट्रिक्ट कमेटी को ऑथोराइज करेंगे या नहीं। मुझे यस और नो में जवाब चाहिए। मुझे ये सब विवरण नहीं चाहिए। जब लिखित उत्तर में ये विवरण नहीं दिये गये हैं तो अब ये विवरण क्यों दिये जा रहे हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: रशीद मसूद जी, यह सही नहीं है।

श्री रशीद मसूद: अध्यक्ष जी, मैं स्पैसिफिक क्वैश्चन पूछ रहा हूं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये, यह सही नहीं है।

श्रीमती अम्बिका सोनी: आपके पूरे प्रश्न का जवाब मिलेगा। हम जब डिटेल्स नहीं देते हैं तो कंप्लैंट करते हैं कि डिटेल्स नहीं दी और जब मैं डिटेल्स देने की कोशिश कर रही हूं तो आप सुन नहीं रहे हैं।...*(व्यवधान)* अगर आपको मॉनिटरिंग में दिलचस्पी है तो जो मैंने खुद आठ-नौ महीने में मॉनिटरिंग की है उसका परिणाम आप सुनने की इच्छा रखते हैं या नहीं रखते हैं। मुझे हैरानी है कि आप जानना ही नहीं चाहते हैं। मेरे पास स्टेट-वाइज आंकड़े हैं कि भारत के स्टेट्स और यूनियन-टैरेटरी में कितने प्रोजैक्ट्स अभी पड़े हुए हैं...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन': कागज से क्या होगा, कागज पर तो देश ही चल रहा है।

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न यहां रिकार्ड नहीं हुआ है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या आप संसद सदस्यों को इसमें शामिल करेंगी।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप संसद सदस्यों को शामिल करेंगी?

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय सदस्य ने कहा है कि मंत्रिमंडल के मेरे एक मित्र ने ग्रामीण विकास योजना के लिए निगरानी समिति की प्रणाली शुरू की है।

[हिन्दी]

इन्होंने जो कहा है, मैं इनके सुझाव पर गौर करने की पूरी कोशिश करूंगी क्योंकि यह एक अच्छा सुझाव है।

श्री रशीद मसूद: मैं एक उदाहरण क्लोज-मॉनिटरिंग का

देना चाहता हूं। मेरे सवाल के जवाब में 22 अगस्त, 2005 को इस मंत्रालय ने बताया कि हमने माता शाकुम्बरी देवी टैम्पल के लिए 13 लाख 69 हजार रुपया सैंक्शन किया है जबकि फैक्चुअल सैंक्शन 44 लाख 85 हजार रुपया हुआ है। 40 लाख रुपया वहां गया और 40 लाख रुपये में से 28 लाख रुपया ही यूटिलाइज हुआ। यह क्लोज मॉनिटिरिंग कैसी है, जिस मिनिस्ट्री को यह भी नहीं पता कि किस प्रोजैक्ट के लिए कितना रुपया सैंक्शन किया है?...*(व्यवधान)* मैं क्वैश्चन पर आ रहा हूं। माता शाकुम्बरी देवी टैम्पल और दरगाह शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोई रहमतुल्ला की मजार के सौन्दर्यीकरण के लिए आपने 44 लाख रुपया दिया था। उसमें 28 लाख रु. ही यूटीलाइज हुआ है। आपने 44 लाख राज्य सरकार को दिया है, जबकि मौके पर कुछ भी यूटीलाइज हुआ ही नहीं है। मेरा स्पेसिफिक प्रश्न है कि क्या मंत्री महोदया इस बारे में जांच करके जो भी इसमें अधिकारी दोषी पाए जाएं, उनको दंडित करेंगीं, या नहीं?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यहा क्या हो रहा है? माननीय सदस्य ने एक प्रश्न पूछा है और मंत्री महोदय उसका जवाब दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं इसका जवाब देना चाहूंगी। जब-जब प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते हैं, राज्य के सब आफिशियल्स के साथ बैठकर, उनके साथ सलाह-मश्विरा से प्रायोरिटाइज किए जाते हैं, उनकी रकम निर्दारित की जाती है। हमारे मंत्रालय से जो भी प्रोजेक्ट्स सैंक्शन होते हैं, उनकी पूरी रकम में से 50 फीसदी रकम जो छोटे प्रोजेक्ट्स होते हैं...*(व्यवधान)*

श्री रशीद मसूद: महोदय, मैं प्रश्न कुछ पूछ रहा हूं और मंत्री महोदया जवाब कुछ और दे रही हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: बस बहुत हो गया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री रशीद मसूद, आप मंत्री महोदया को आदेश नहीं दे सकते कि वे क्या कहें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: महोदय, मैं एक शब्द का उत्तर चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया शान्ति बनाए रखिए। पहले ही 20 मिनट का समय समाप्त हो चुका है।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय सदस्य निधियों की संस्वीकृति और धन जारी करने की प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हैं। मुझे खेद है कि इस बारे में, मैं उनकी कोई सहायता नहीं कर सकती। किसी भी मंत्री के लिए और कम से कम मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री रशीद मसूद: आप क्या इन्क्वायरी नहीं करवा सकती हैं ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। मैं इसकी अनुमति नहीं देता।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं इसे स्वीकार नहीं कर रही हूं। आपने एक प्रश्न पूछा है...*(व्यवधान)* मेरे लिए यह सम्भव नहीं है कि किसी योजना विशेष, जिसके बारे में माननीय सदस्य जानना चाहते हैं, के संबंध में अभी एक सही और विस्तृत उत्तर दे पाऊं। मुझे इसके बारे में पता लगाना पड़ेगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप कृपया इसका पता लगाये और उन्हें बता दे।

श्रीमती अम्बिका सोनी: उन्होंने एक मूल प्रश्न उठाया है। मैं सभा को केवल यह सूचना दे रही हूं कि राज्य सरकारों को धनराशि प्रदान हेतु क्या तंत्र है...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री रशीद मसूद, कृपया धैर्य रखिए।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: परियोजना की संस्वीकृति पर स्वीकृत केन्द्रीय वित्तीय सहायता की 50 प्रतिशत धनराशि की पहली किश्त जारी की जाती है जब राज्य सरकार 50 प्रतिशत की पहली किश्त के उपयोग किये जाने का प्रमाणपत्र देती है तो 30 प्रतिशत की अगली किश्त जारी की जाती है। राज्य सरकार द्वारा परियोजना पूरी करने तथा उपयोग किये जाने का प्रमाणपत्र देने के बाद शेष 20 प्रतिशत धनराशि दे दी जाती है। यदि इसमें कोई समस्या हो तो उन्हें सबसे पहले राज्य सरकार से सम्पर्क करना चाहिए और पता लगाना चाहिए कि गलत प्रमाणपत्र क्यों दिया गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: महोदय, पिछले 3 सालों में लगभग 600 प्रोजेक्ट्स हेतु 1180 करोड़ रुपए देश भर में मंत्री जी ने दिए हैं। उड़ीसा से यहां काफी प्रोजेक्ट्स आए तथा वहां काफी मात्रा में पैसा गया है। फिर, एक अनुभव के बाद, राज्य सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट्स को रिमौडिफिकेशन करने के बारे में सोचा। मैं मंत्री महोदया से पूछना चाहता हूं कि अगर राज्य सरकार की ओर से रिमौडिफिकेशन के लिए कोई प्रपोजल आएगा, तो क्या मंत्री महोदया उस पर पुनर्विचार करेंगी?

श्रीमती अम्बिका सोनी: माननीय सदस्य के सुझाव को मैं कंसिडर करने के लिए बिलकुल तैयार हूं, प्रोवाइडिड, राज्य जो संशोधन करना चाहते हैं, मौडिफिकेशन करने के लिए, उससे प्रोजेक्ट्स का बेसिक कंसेप्ट न बदल जाए। छोटी मोडेलीटीज बदल कर इम्प्लिमेंटेशन में अगर फायदा हो, तो उसे जरूर कंसीडर किया जाएगा।

[अनुवाद]

श्री नकुल दास राई: माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से, मैं मंत्री महोदया से यह जानना चाहता हूं कि क्या पर्यटन मंत्रालय द्वारा सिक्किम जैसे पहाड़ी राज्य में पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास हेतु कोई निधि आबंटित की गयी है। क्या मंत्री महोदया की सिक्किम में बौद्ध धर्म के तीर्थस्थलों का कोई परिपथ विकसित किये जाने की योजना है? क्या मंत्री महोदया का विचार सिक्किम जैसे लोकप्रिय पर्यटन गंतव्य को 'अतुल्य भारत अभियान' योजना में शामिल करने का है? यदि नहीं, तो क्या मंत्री महोदया का भविष्य में कोई ऐसी योजना बनाने का विचार है?

अध्यक्ष महोदय: यह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्रीमती अम्बिका सोनी: मैं माननीय सदस्य के प्रश्न का उत्तर देना चाहूंगी।

पर्यटन के विकास में सिक्किम का महत्वपूर्ण स्थान है। इस संबंध में पिछले पांच वर्षों में सिक्किम में लगभग 45 परियोजनाएं चलायी गई हैं। उनमें से कुछ ग्रामीण पर्यटन विकास की तथा कुछ वन्य जीवन संबंधी परियोजनाएं हैं। परन्तु जहां तक बौद्ध सर्किट के विकास का संबंध है, मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहूंगी कि जापानी बैंक ऑफ इंटरनेशनल कोपरेशन, जोकि बौद्ध धर्मस्थलों के विकास के लिए ऋण प्रदान करता है, सिक्किम के लिए एक बड़ी परियोजना पर गम्भीरतापूर्वक विचार कर रहा है और यदि इस पर अमल किया जाता है तो इससे काफी प्रोत्साहन मिलेगा।

'अतुल्य भारत अभियान' के अंतर्गत बौद्ध धर्म के लिए 3 करोड़ रुपये का तथा पूर्वोत्तर में पर्यटन विकास हेतु भी तीन करोड़ रुपये का विशेष आबंटन किया गया है।

[हिन्दी]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरे भारत में स्टेट वाइज, यूनियन टेरेटरी वाइज फंड दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसका खेद है। आप अपने स्थान पर नहीं बैठे है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। सबसे पहले आप अपने स्थान पर जायें। मैं नियम की अवहेलना की कोई अनुमति नहीं दूंगा।

श्रीमती पी. सतीदेवी: अभी तक केरल राज्य में पर्यटन के विकास की सम्भावनाओं का पूर्ण उपयोग नहीं हो पाया है। मैं समझता हूं कि अपनी हाल ही की यात्रा में, माननीय मंत्री' , महोदया ने इस बात को महसूस किया होगा। पिछले तीन वर्षों के दौरान राज्य में पर्यटन स्थलों पर अवसंरचना विकास हेतु मंत्रालय द्वारा पूरा ध्यान नहीं दिया गया। अत: इस वर्ष केरल

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सरकार ने केरल में पर्यटन स्थलों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास हेतु 42 परियोजनाएं भेजी हैं।

मैं माननीय मंत्री महोदया से जानना चाहता हूं कि मंत्रालय द्वारा चालू योजना वर्ष के दौरान केरल के पर्यटन स्थलों के विकास के लिए कितने धन के आबंटन का प्रस्ताव किया गया है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे इसका बहुत खेद है। 'अनुपूरक प्रश्न' मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं हैं। पर्यटन के अंतर्गत सब कुछ नहीं पूछा जा सकता। मंत्री महोदया, क्या आप इस बात का जवाब देने के लिए तैयार हैं कि केरल द्वारा कितनी परियोजनाएं भेजी गयीं और इसके लिए कितना धन दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती पी. सतीदेवी: महोदय, यह पछले तीन वर्षों के दौरान पर्यटन विकास के बारे में है। यह प्रश्न बहुत ही सुसंगत है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक है। मैं इसे स्वीकार नहीं करता। यदि माननीय मंत्री महोदया अनुग्रह करने की इच्छुक है तो यह ठीक है।

...(व्यवधान)

श्रीमती अम्बिका सोनी: महोदय, मुझे खेद है कि माननीय सदस्य की यह गलत धारणा है कि पिछले तीन वर्षों के दौरान केरल में इस संबंध में पर्याप्त कार्य नहीं किया गया है। मैं विशिष्ट रूप से यह कहना चाहूंगी कि वे अपनी इस गलत धारणा को बदलें। आज केरल पश्च जल पर्यटन, प्रवासीय पर्यटन तथा स्वास्थ्य पर्यटन के मामले में पूरे देश का एक प्रमुख गंतव्य बन गया है। इसका कारण यही है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान अवसंरचनात्मक विकास की कई परियोजनाएं कार्यान्वित की गयी हैं और आज केरल इस स्तर पर पहुंचा है।

यह एक तथ्य है कि जब केरल के माननीय पर्यटन मंत्री दिल्ली आये थे तो बहुत सारी परियोजनाओं का प्रस्ताव अपने साथ लाये थे परन्तु वे यह बात समझ चुके है कि केन्द्र द्वारा दी जाने वाली धनराशि बहुत्त सीमित है यह मात्र 20 करोड़ तक हो सकती है। मैंने उनसे एक अन्य परियोजना विकसित करने का सुझाव दिया था जिसके लिए अवसंरचनात्मक विकास हेतु 50 करोड़ रुपए आबंटित किये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है। उन्होंने पुनः मेरे पास आने का वादा किया है। जैसे ही वह परियोजना लायी जाती है, हम धनराशि प्रदान कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय: श्री पटेल, कृपया भविष्य में ऐसा न करें।

[हिन्दी]

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने बताया कि पूरे भारत में स्टेट वाइज, यूनियन टेरेटरी वाइज फंड दिया जाता है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दमन और दीव के लिए पिछले तीन सालों में कितना फंड दिया गया है?

[अनुवाद]

श्रीमती अम्बिका सोनी: दसवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम पांच वर्षों में दमन और दीव के लिए नौ परिबोजनाएं स्वीकृत की गयी थीं उनमें से केवल दो परियोजनाएं ही पूरी हो पायी हैं। सात परियोजनाएं अभी पूरी की जानी हैं। पूर्ण की गयी परियोजनाओं और अधूरी परियोजनाओं के लिए 5.81 करोड़ रुपए जारी किये गए हैं। 4,69,00,000 रुपये की धनराशि लम्बित पड़ी है। जैसे ही अधूरी परियोजनाएं पूरी होंगी धनराशि जारी कर दी जाएगी।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का विद्युतीकरण

+

***224. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:**
श्री गणेश सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जोनवार विद्युतीकृत की गई रेल लाइनों की कुल लंबाई (किलोमीटरों में) कितनी है;

(ख) क्या रेल लाइनों के विद्युतीकरण हेतु कोई दिशानिदेश/मापदंड तैयार किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या रेल लाइनों के विद्युतीकरण के संबंध में कई प्रस्ताव रेलवे के पास लंबित है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति प्रदान किये जाने की संभावना है?

[अनुवाद]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) 1-4-2006 को भारतीय रेल पर विद्युतीकृत रेलवे लाइनों की जोनवार कुल लंबाई निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	रेलवे	विद्युतीकृत मार्ग किलोमीटर
1.	मध्य	1796
2.	पूर्व	1294
3.	पूर्व मध्य	1380
4.	पूर्व तट	1265
5.	उत्तर	1113
6.	उत्तर मध्य	1384
7.	पूर्वोत्तर	19
8.	पूर्वोत्तर सीमा	0
9.	उत्तर पश्चिम	0
10.	दक्षिण	1756
11.	दक्षिण मध्य	1536
12.	दक्षिण पूर्व	2136
13.	दक्षिण पूर्व मध्य	1209
14.	दक्षिण पश्चिम	157
15.	पश्चिम	1148
16.	पश्चिम मध्य	1257
	जोड़	17450

(ख) और (ग) जी, हां। विद्युतीकरण परियोजनाओं पर विचार मुख्यतः आर्थिक दृष्टिकोण से किया जाता है, उन परियोजनाओं को छोड़कर जो परिचालनिक जरूरत के रूप में औचित्यपूर्ण हैं। इस संबंध में अपनाए जाने वाले मापदंड/दिशा-निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(i) प्रत्येक विद्युतीकरण परियोजना प्रतिफल की दर के अनुसार, औचित्यपूर्ण होनी चाहिए जो डिस्काउंट कैश फ्लो (डी.सी.एफ.) विधि से, 14 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।

(ii) कतिपय विशिष्ट मामलों में, परिचालनिक व्यवहार्यता के आधार पर भी विद्युतीकरण औचित्यपूर्ण होता है।

(iii) किसी मार्ग के विद्युतीकरण का प्रस्ताव देते समय, उस क्षेत्र में कुल रेल नेवटर्क को, यदि आवश्यक हो, तो कम लंबाई वाले मार्गों को भी, शामिल करने के लिए विचार किया जाना चाहिए, जो अन्यथा गैर-विद्युतीकृत रह जाएंगे और जिनसे परिचालनिक व्यवहार्यता कम होगी।

(घ) से (च) इस मंत्रालय ने क्षेत्रीय रेलों से निरंतर आधार पर प्राप्त आवश्यकता के अनुसार जरूरी प्रस्तावों के अलावा, परिचालनिक आवश्यकता पर आधारित विद्युतीकरण के लिए एक योजना (ब्ल्यू प्रिंट) तैयार की है। इन प्रस्तावों में से, प्रत्येक खंड के लिए यातायात की अग्रता और निधि की उपलब्धता पर प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही की जाती है।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न खास तौर से उत्तर पश्चिमी रेलवे से संबंधित है, जिस में राजस्थान, कुछ गुजरात का भाग, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली आते हैं। मंत्री जी के जवाब में उत्तर पश्चिमी रेलवे (एन.डब्ल्यू.आर.) का कहीं जिक्र नहीं है, जिससे लगता है कि एन.डब्ल्यू.आर. में कहीं भी रेल लाइन्स का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। मैं खास तौर से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि एन.डब्ल्यू.आर. जोन में कितनी रेल लाइन्स को इलैक्ट्रिफाइड किया गया है और कितनी लाइन्स के प्रस्ताव विचाराधीन हैं? मंत्री जी के जवाब में एन.डब्ल्यू.आर. जोन्स की रेलवे लाइन्स के विद्युतीकरण के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया है। मैं जानना चाहता हूं कि दूसरे जोन्स की तुलना में एन.डब्ल्यू.आर. में विद्युतीकरण में कितने परसेंट की कमी है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप जबाय दे सकते हैं?

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत: अध्यक्ष महोदय, पश्चिमी रेलवे की पूरी उपेक्षा की गई है। *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपके दोस्त ने क्वैश्चन किया है, आप उसे क्यों रिपीट कर रहे हैं?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं की जा रही है।

*...(व्यवधान)**

श्री आर. वेलु: महोदय, कृपया मुझे स्पष्ट करने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: संक्षेप में कहिए।

...(व्यवधान)

श्री आर. वेलु: कृपया मुझे संक्षेप में यह स्पष्ट करने दें कि देश में विद्युतीकरण की रेल परियोजनाओं के संबंध में क्या हो रहा है। आज देश में 63,465 किलोमीटर रेलवे मार्ग है जिसमें से मात्र 17,450 किलोमीटर मार्ग का ही विद्युतीकरण हो पाया है जो कि 27.5 प्रतिशत होता है। इसका यही औसत है। 27.5 प्रतिशत का यह विद्युतीकरण प्रमुखत: उच्च घनत्व वाले मार्गों पर ही किया गया है। इसका अर्थ यह है कि हमारी माल ढुलाई का दो-तिहाई भाग इस 27.5 प्रतिशत द्वारा संचालित किया जाता है। इसी प्रकार यात्री आवागमन का 50 प्रतिशत भी इसी 27.5 प्रतिशत द्वारा संचालित किया जाता है। यह रेल मार्ग कवरेज है। देश में रेल विद्युतीकरण की यह स्थिति है।

अब प्रश्न यह है कि कुछ राज्यों को इसमें शामिल नहीं किया गया है क्यों? उदाहरण के लिए राजस्थान को इसमें शामिल नहीं किया गया। उच्च घनत्व वाले मार्ग पहले ही इसमें शामिल हैं। राजस्थान में कुल किलोमीटर मार्ग 5,838 कि.मी. है जिसमें से 491 किलोमीटर को ही इसमें शामिल किया गया है। यह राष्ट्रीय औसत से 8.41 प्रतिशत कम है। विद्युतीकरण की नीति को एक तो प्रौद्योगिकी - आर्थिक वरीयता प्रदान की गई है तथा दूसरे यह संचालन के लचीलेपन पर आधारित है। यदि किसी रेलमार्ग पर 14 प्रतिशत रियायती नकदी प्रवाह विधि से अर्थात् 14 प्रतिशत लाभ अर्जित होता है तो हम विद्युतीकरण के लिए तैयार हैं। यदि इसमें संचालन आवश्यकता का कोई लिंक गायब है तो भी हम विद्युतीकरण के लिए तैयार हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए दसवीं योजना में केवल 1800 आर. कोलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण ही हो पाया था। ग्यारहवी योजना में हमारा इसे दुगना करने का प्रस्ताव है अर्थात् 3,600 किलोमीटर। यदि यह नियमों के अनुकूल रहा तो निश्चित तौर पर इन राज्यों का उनका देय भाग और महत्व प्रदान किया जाएगा।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: अध्यक्ष महोदय, अगर हम पूरे देश की रेल लाइन्स का नक्शा देखें, तो राजस्थान और खास तौर पर पश्चिमी राजस्थान में रेल लाइन्स न के बराबर हैं। वहां कई रेल लाइन्स का सर्वे हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से खास तौर पर जानना चाहता हूं कि जोधपुर से दिल्ली या दिल्ली से जोधपुर लाइन को, जिस पर कई ट्रेन्स चलती हैं, आने वाले बजट में क्या उसे इलैक्ट्रिफाइड किया जाएगा?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: जैसा कि मैंने पहले भी बताया है कि यदि इसमें आर्थिक और संचालन सुनम्यता के मानदंड पूरे होते हैं तो हम इसे कार्यान्वित करेंगे।

अध्यक्ष महोदय: अच्छा यह ठीक है, क्या यह प्रस्ताव है भी या नहीं?

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह: अध्यक्ष महोदय, पश्चिम-मध्य रेलवे के अंतर्गत मेरा पूरा लोकसभा संसदीय क्षेत्र आता है, जहां अभी तक 1257 किलोमीटर लाइनों का विद्युतीकरण किया जा चुका है। वहां रेल लाइनों की लंबाई अधिक है, जबकि उसके अनुपात में विद्युतीकरण का काम बहुत कम हुआ है। लाइनों के विद्युतीकरण का जो मापदंड रखा गया है, उसमें रोकड़ प्रवाह, डी.सी.एफ. 14 प्रतिशत से अधिक होना चाहिए। मुझे इस मापदंड में कुछ संशोधन की जरूरत दिखाई पड़ रही है। मेरे संसदीय क्षेत्र में कटनी से इलाहाबाद, मानिकपुर से झांसी, रीवा से सतना रेल लाईनें उसी श्रेणी में नहीं आ पाई जबकि जबलपुर से कटनी तक रेल लाईन का विद्युतीकरण पहले ही हो चुका है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं क्या इन तीनों रेल लाइनों को विद्युतीकरण कराए जाने हेतु आप इन्हें अगले वर्ष के बजट में शामिल करने जा रहे हैं?

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, विद्युतीकरण के सभी प्रस्तावों को जनता द्वारा इसकी मांग के संदर्भ में संबंधित जोनों द्वारा विश्लेषित किया जा रहा है। तत्पश्चात् संबंधित रेलवे जोन द्वारा आवश्यक रूप से यह प्रस्ताव रेल मंत्रालय को भेजा जाना होगा। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि विद्युतीकरण के उद्देश्य से रेल मार्गों के चयन हेतु एक निर्धारित मानदंड है जिनका कड़ाई से पालन किया जा रहा है। यदि माननीय सदस्य यह कहते हैं कि 14 प्रतिशत के लाभ के मानदंड में संशोधन किया जाए तो

इसकी जांच करनी पड़ेगी क्योंकि 14 प्रतिशत के लाभ का मानदंड संतोषजनक है और वर्षों की अवधि के उपरांत यह घाटे का सौदा साबित होगा।

दूसरे, हमें यह देखना पड़ेगा कि क्या उनके द्वारा बताये गये रेलमार्ग के विद्युतीकरण का प्रस्ताव संबंधित जोनल रेलवे द्वारा भेजा गया है या नहीं और यदि भेजा गया है तो हम इस पर कार्रवाई करेंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मुझे खेद है। यह सही तरीका नहीं है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री द्वारा दिये गए वक्तव्य में यह बताया गया है कि पूरे दक्षिण रेलवे में 7-12-2006 तक 1,756 किलोमीटर रेलमार्ग का विद्युतीकरण किया गया था। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस 1,756 किलोमीटर में से तमिलनाडु का हिस्सा कितना है।

इसके साथ ही, तमिलनाडु में बहुत से बड़े रेल खंड दोहरीकरण और विद्युतीकरण की प्रतीक्षा में हैं विशेषकर त्रिची-तूतीकोरिन-कन्याकुमारी क्षेत्र का दोहरीकरण और विद्युतीकरण अभी भी किया जाना है। आपके माध्यम से, मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि यह कार्य कब शुरू किया जाएगा और इसे कब तक पूरा किया जाएगा। मैं इस संबंध में विशिष्ट उत्तर चाहता हूं।

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, समय समय पर फ्यूल का दाम बढ़ता रहता है, जिसका कोई ठिकाना नहीं है और अधिकांश, यानी 2'/$_3$ माल एवं ½ यात्री वाहन डीजल पर आधारित रेल द्वारा चलती हैं, जो फ्यूल हम रेलों में कन्ज्यूम करते हैं। इसकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर कब दाम बढ़ेगा। इसलिए इस चैलेंज को मीट करने के लिए पूरे देश में रेलवे इलैक्ट्रीफिकेशन ही इसका इलाज है। चूंकि हम पूरे देश में इसे कन्ज्यूम करते हैं इसलिए पूरे देशों में इलैक्ट्रीफिकेश करना है। इसके लिए हमने निर्देश दिया है कि पूरे देश में इलैक्ट्रिफिकेशन के लिए आप प्रोजेक्ट बनाइए और इलैक्ट्रीफिकेशन पीसमील तरीके से न करके, पूरे देश में इलैक्ट्रीफिकेशन हो। जहां बहुत जरूरी है, वहां विद्युत आधारित रेल चलाएं, ताकि देश का पैसा विदेशों में न जाए। यह चैलेंज हमारे और मुल्क के सामने है।

दूसरी बात मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि अलग-अलग सैगमेंट में, अलग-अलग क्षेत्र में, जहां सबकी जरूरत है और सब चाहते हैं, डेडिकेटिड फ्रेट कोरीडोर लुधियाना से हावड़ा पैरलल जा रहा है, वहां पैसेंजर और एक्सप्रैस के लिए विद्युतीकरण का काम हो, इलैक्ट्रिक गुड्स के लिए तो अलग से करेंगे ही। उसके बाद हम राजस्थान होकर दिल्ली, दिल्ली से मुम्बई को भी रूट देखकर इलैक्ट्रीफाई करना चाहते हैं ताकि माल को लाने और ले जाने का काम जल्दी करें - अभी एक माननीय सदस्य राजस्थान की बात कह रहे थे।

इससे अगले फेज में भारतीय रेल के बारे में, क्योंकि मैंने सदन में कहा है अभी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर साहब, आप बोलिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री लालू प्रसाद: हर चीज होगी।

श्री एन.एस.वी. चित्तन: महोदय, सारी बातें केवल कागजों में है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया! यह सब क्या हो रहा है? आप माननीय मंत्री को आदेश देना चाहते हैं कि उन्हें कैसे उत्तर देना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: अगले फेज में मुम्बई टू चेन्नई और चेन्नई टू हावड़ा और उसके बाद...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: चेन्नई टू हावड़ा हो गया है।...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: इधर नहीं हुआ। चेन्नई टू हावड़ा पैरेलल डैडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप इसे छोड़िये।

श्री लालू प्रसाद: महोदय, इसमें मुल्क के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। फ्यूल का दाम बढ़ने से क्रिटिसिज्म होता है, सरकार का भी क्रिटिसिज्म होता है। इसलिए इसका एकमात्र ट्रीटमैन्ट इलैक्ट्रिफिकेशन ही है। हम बेरोकटोक तेज गाड़ियां चलाना चाहते हैं। इसलिए हम देश भर का प्रोजैक्ट बना रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल दो दिन पूर्व हमने अनुपूरक अनुदानों

की मांगें (रेल) पर पांच से छह घंटे तक चर्चा की थी। आप हर रोज रेल पर ही चर्चा नहीं कर सकते। वे कह रहे है कि पूरे देश को शामिल किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

एडवोकेट सुरेश कुरूप: महोदय, अर्नाकुलम-तिरुवनंतपुरम खंड का विद्युतीकरण कार्य पहले ही पूरा हो चुका है लेकिन इस रास्ते से होकर गाड़ियां अभी तक नहीं चल रही हैं। केरल की यह बहुत समय से मांग रही है कि शेरनूर-मंगलापुरम मार्ग का विद्युत्तीकरण किया जाना चाहिए।

मैं जानना चाहूंगा कि पहले से ही विद्युत्तीकृत अर्नाकुलम-तिरुवनंतपुरम खंड पर गाड़ियां कब से चलना शुरू हो जाएंगी तथा शोरनूर-मंगलापुरम खंड पर विद्युत्तीकरण की प्रक्रिया कब शुरू होगी।

अध्यक्ष महोदय: ये अलग विषय है।

श्री आर. वेलु: महोदय, जहां तक अर्नाकुलम-तिरुवनंतपुरम खंड का सम्बंध है, कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और इस माह के अंत तक, यदि संभव हुआ, तो इस पर गाड़ियों का चलना शुरू हो जाएगा।

जहां तक शोरनूर-मंगलापुरम खंड का सम्बंध है, प्रस्ताव की जांच चल रही है।

[हिन्दी]

श्री मुनव्वर हसन: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि गाजियाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ और सहारनपुर की रेल लाइन इकहरी लाइन है। हम लोग हर बजट में बार-बार इसके दोहरीकरण की मांग करते हैं और माननीय मंत्री जी हर बजट में ऐलान करते हैं कि इस लाइन का दोहरीकरण किया जायेगा। हम इस लाइन का विद्युतीकरण भी चाहते हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या कभी इस लाइन का दोहरीकरण और विद्युतीकरण होगा या ऐसे ही हमें आश्वासन मिलते रहेंगे।

[अनुवाद]

श्री आर. वेलु: महोदय, यह इस प्रश्न में सम्मिलित नहीं है। तथापि, मैं अलग से माननीय सदस्य को उत्तर भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री विजय कृष्ण: मैं माननीय मंत्री जी को बधाई देते हुए आभार प्रकट करना चाहता हूं कि उन्होंने सदन को आश्वासन दिया है कि तेजी से पूरे देश में विद्युतीकरण की प्रक्रिया चलाई जायेगी। मंत्री जी पावापुरी, राजगीर और नालंदा के महत्व से अवगत हैं। मैं जानना चाहता हूं कि बख्तियारपुर, राजगीर रेल खंड और फतुआ, इस्लामपुर रेल लाइन के विद्युतीकरण का काम क्या इस वित्तीय वर्ष में शुरू कर दिया जायेगा?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक माननीय सदस्य की यह समस्या है।

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: राजगीर और पावापुरी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण स्थान हैं। यह नई लाइन बनाई गई है। जब तक नई लाइन पूरी तरह कॉम्पैक्ट नहीं हो जाती, मजबूत नहीं हो जाती, तब तक इसका विद्युतीकरण नहीं किया जा सकता। यदि एकाएक इलैक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो उससे रेल संचालन पर असर पड़ सकता है। इसलिए हम इसे देखेंगे ताकि जर्नी सेफ रहे।...*(व्यवधान)* लाइन के मजबूतीकरण के बाद हम देखेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय रेल मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि यहां जो सूची दी गई है, इसमें यह शामिल नहीं है कि कौन-कौन सा प्रस्ताव विचाराधीन है। सूची देखने से हमें लगता है कि माननीय रेल मंत्री लालू प्रसाद जी के निर्वाचन क्षेत्र के साथ अन्याय हो रहा है।...*(व्यवधान)* इसलिए हम लालू जी से आग्रह करेंगे कि इसका उत्तर वह दें, क्योंकि जो पूर्व मध्य जोन है, जो रेलवे जोन अच्छे मुनाफे में चलता है और वहीं लालू प्रसाद जी का पूरा निर्वाचन क्षेत्र है, लेकिन लालू जी के निर्वाचन क्षेत्र में कहीं विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसे टी.वी. पर वहां की जनता देखती होगी। इसलिए हम लालू जी से जानना चाहेंगे कि जो दिल्ली से जो रेल रूट बनारस की तरफ गोरखपुर तक निकलता है, हाजीपुर जोनल मुख्यालय से लेकर गोरखपुर और बनारस को क्या आप विद्युतीकरण करके जोड़ने का विचार रखते हैं, जिससे इनके क्षेत्र की जनता लाभान्वित हो?

श्री लालू प्रसाद: अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य आपके माध्यम से पूछ रहे हैं। सीधे-सीधे मिले होते, तो इनको हम बताते।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप हमारे माध्यम से जवाब दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री लालू प्रसाद: महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि गोरखपुर से महाराजगंज-छपरा-हाजीपुर-बरौनी-कटिहार होते हुए गुवाहाटी

जाने वाला जो रूट है, हम एक सप्ताह पहले ही बोल चुके हैं कि इसके विद्युतीकरण के काम को तेजी से पूरा करने का प्रस्ताव लाइए, क्योंकि यह हमारा पेरलल रूट है। यह रूट कलकत्ता जाता है उत्तर प्रदेश होते हुए। हम उस काम में लगे हुए हैं। जिस काम को हम एनाउंस कर चुके हैं, उसमें ये पोलिटिकल माइलेज लेना चाहते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम तो इनके क्षेत्र की जनता की चिंता कर रहे हैं।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बहुत बढ़िया जवाब दे दिया।

[अनुवाद]

विदेशों के साथ समझौते

+

***225. श्री जी. करूणाकर रेड्डी:**

श्री एल. राजगोपाल:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान तेल और गैस के क्षेत्र में सरकार द्वारा विदेशों के साथ किए गए समझौतों का परियोजनावार ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन विदेशी परियोजनाओं पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रमवार कुल कितना निवेश किया गया है; और

(ग) आगामी वर्षों में इन समझौतों के माध्यम से देश को कितना लाभ होगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सरकार द्वारा वर्तमान वर्ष 2006 के दौरान विदेशों के साथ तेल और गैस क्षेत्र में कोई करार नहीं किया गया है। तथापि, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा वर्ष 2006 में चीन लोक गणराज्य के राष्ट्रीय विकास और सुधार आयोग (एन.डी. आर.सी.), आर्थिक व्यापार और उद्योग मंत्रालय (एम.ई.टी.आई.), जापान और अमरीकी ऊर्जा सूचना प्रशासन (यू.एस.ई.आई.ए.) और उज्बेकनेफ्टगेज, उज्बेकिस्तान की राष्ट्रीय नियंत्रक कंपनी के साथ चार सहयोग ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

एन.डी.आर.सी. के साथ समझौता ज्ञापन में एक दूसरे के देश में अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम परियोजनाओं में सहकारी प्रतिभागिता, तेल उत्पादक क्षेत्रों और अन्वेषण और उत्पादन (ई एंड पी) संविदाओं में इक्विटी प्रतिभागिता के लिए संयुक्त बोलियां प्रस्तुत करके तीसरे देशों में निवेश अवसरों का अनुसरण करना, घरेलू उत्पादन में वृद्धि करने के लिए विशेष रूप से बढ़ाई गई तेल की प्राप्ति और वर्धित तेल की प्राप्ति के क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास प्रस्तावों की संयुक्त खोज के माध्यम से घरेलू क्षमताओं और संसाधनों में वृद्धि करना, एक दूसरे के देशों और तीसरे देशों में संयुक्त उद्यमों के माध्यम से इंजीनियरिंग और पेट्रोलियम सेवाओं के क्षेत्रों में राष्ट्रीय क्षमताएं जुटाना, कच्चे तेल और गैस आदि की संयुक्त खरीद की संभावना का पता लगा कर अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उनकी महत्वपूर्ण स्थिति को एक साथ प्रस्तुत करने का प्रावधान है।

कार्यनीतिक तेल और गैस भंडारों के संबंध में सूचना और प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान और विश्वव्यापी अर्थव्यवस्था की पारस्परिक समझ में वृद्धि करने के लिए एक दूसरे के साथ नेटवर्क करने के लिए आर्थिक व्यापार और औद्योगिक मंत्रालय (एम.ई.टी.आई.) जापान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

अमरीकी ई.आई.ए. के साथ समझौता ज्ञापन में वार्षिक हाइड्रोकार्बन क्षेत्र बाजार आंकड़ों, ईंधन की विशेषताओं से संबंधित अन्य संबंधित आंकड़ों और सूचनाओं, शोधन क्षमता, भंडार और अन्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सूचना, सांख्यिकीय पद्धतियों, विश्लेषणात्मक तकनीकों और प्रणाली दस्तावेज और इलेक्ट्रानिक सूचना के प्रचार प्रसार का प्रावधान है।

उज्बेकनेफ्टगेज के साथ समझौता ज्ञापन में हाइड्रोकार्बन क्षेत्र के भिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का प्रावधान है, जिसमें आस्तियों के लिए संयुक्त बोलियां, भारतीय ई एंड पी क्षेत्र में प्रतिभागिता के लिए एन.ई.एल.पी. दौरों में बोली और आर एंड डी प्रौद्योगिकी के संबंध में सहयोग, विशेषज्ञों का प्रशिक्षण और पर्यावरण के लिए अनुकूल ईंधनों को बढ़ावा देना सम्मिलित है।

सरकार से सरकार संवाद और सहयोग ज्ञापनों से तीसरे देशों में संपत्तियां प्राप्त करने में सहयोग करने के लिए कंपनियों के लिए एक अनूकूल वातावरण तैयार हुआ है। 2006 में ओ.एन.जी.सी. विदेश लिमिटेड ने चीन राष्ट्रीय पेट्रोलियम कार्पोरेशन (सी.एन.जी.सी.) के साथ सीरिया में एक तेल संपत्ति और चीन पेट्रोलियम और रासायनिक कार्पोरेशन (सिनोपेक) के साथ कोलम्बिया में एक अन्य संपत्ति प्राप्त की है। सीरिया और कोलम्बिया में ओ.वी.एल. का निवेश का हिस्सा 2930 करोड़ रुपए है। आर्थिक, व्यापार और औद्योगिक मंत्रालय (एम.ई.टी.आई.), जापान के साथ समझौता ज्ञापन से हमें कार्यनीतिक भंडार

स्थापित करने में जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलेगी जिससे हमारी ऊर्जा सुरक्षा में वृद्धि होगी और आपूर्ति रूकावटों और आपातकालीन आकस्मिकताओं का सामना करने में सहायता मिलेगी। अमरीकी ई.आई.ए. के साथ समझौता ज्ञापन से मौजूदा हाइड्रोकार्बन क्षेत्र सांख्यिकी और अन्य हाइड्रोकार्बन क्षेत्र बाजार सूचना को अनुपूरित करने के लिए हाइड्रोकार्बन क्षेत्र की सूचना का आदान-प्रदान करने में सहायता मिलेगी। उज्बेकिस्तान के साथ समझौता ज्ञापन की मंशा भारतीय तेल सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को उज्बेकिस्तान और तीसरे देशों में तेल और गैस आस्तियों प्राप्त करने में सहायता करना है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: महोदय, देश के समक्ष रसोई गैस की भारी कमी का संकट है और सरकार प्रतिवर्ष दो मिलियन टन रसोई गैस का आयात करती है। मैंने पाया कि पिछले तीन वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश कम्पनियों ने अपने निर्धारित लक्ष्य से बहुत ही कम उत्पादन किया। मैं व्यक्तिगत तौर पर अपने चुनाव क्षेत्र बेल्लारी में इस समस्या को अनुभव कर रहा हूं क्योंकि लोग वहां गैस सिलिंडरों की कमी की शिकायत कर रहे हैं।

पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस तथा सी.एन.जी. गैस की आपूर्ति की सुविधाएं केवल दिल्ली में उपलब्ध है और वह भी, पाइप द्वारा गैस आपूर्ति की सुविधा दिल्ली के केवल कुछ क्षेत्रों में है।

अध्यक्ष महोदय: आपने समझौतों के बारे में पूछा है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: केन्द्र सरकार को चाहिए कि वह राज्य की राजधानियों तथा अन्य प्रमुख शहरों में भी इस प्रकार की सुविधाओं के पूर्ण विस्तार पर बिचार करे। यदि सभी राज्यों की राजधानियों और देश के प्रमुख शहरों में इन सुविधाओं का विस्तार किया जाता है तो मैं समझता हूं कि रसोई गैस के सिलिंडरों की मांग स्वतः कम हो जाएगी।

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न में यह सम्मिलित नहीं है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: मैं समझौते के बारे में पूछ रहा हूं। यदि उपरोक्त परियोजनाओं को देश के संसाधन से पूरा करने में कठिनाई आती है तो केन्द्र सरकार द्वारा सी.एन.जी. स्टेशनों तथा पाइप युक्त गैस आपूर्ति की स्थापना के लिए विदेशों के साथ समझौता किया जाना चाहिए।

उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि सभी राज्यों तथा देश के प्रमुख शहरों में सी.एन.जी. स्टेशनों की स्थापना के साथ-साथ पाइप द्वारा गैस आपूर्ति करने के लिए तथा रसोई गैस की मांग की पूर्ति के लिए केन्द्र सरकार द्वारा कौन से कदम उठाए गये हैं या उठाये जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय, क्या आप उत्तर देना चाहते हैं?

श्री मुरली देवरा: प्रश्न इससे सम्बंधित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय: गैस आपूर्ति की परियोजनाओं के बारे में क्या कहना है?

श्री मुरली देवरा: माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा है कि रसोई गैस को प्रतिस्थापित करने का मुख्य यह तरीका है कि पाइपों से घरों में गैस की आपूर्ति की जाए। मुम्बई और दिल्ली में ऐसी सुविधाएं विद्यमान हैं और सरकार अन्य शहरों में भी ये सुविधाएं देने का भरसक प्रयास कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आगामी छः या सात वर्षों में 30 से 35 लाख घरों में पाइप से गैस की आपूर्ति की जाएगी।

श्री जी. करुणाकर रेड्डी: रसोई गैस के बारे में भी मैंने मंत्री जी से पूछा है।

अध्यक्ष महोदय: आप अपने दूसरे अनुपूरक प्रश्न में रसोई गैस के बारे में पूछ सकते हैं।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: देश में सभी को इस बात का पता है कि पेट्रोलियम उत्पाद देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहे हैं। जब भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतें बढ़ती हैं विशेषकर पेट्रोल और डीजल की कीमतें तो सभी उत्पादों, विशेष रूप से आवश्यक वस्तुओं यथा चावल, अनाजों, सब्जियों, तेलों आदि की कीमतें बढ़ती हैं और कीमतों में वृद्धि के कारण लोगों को भारी परेशानी होती है।

महोदय, यद्यपि कीमतों में वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि पर निर्भर होती है फिर भी पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में वृद्धि को नियंत्रित करने की तत्काल आवश्यकता है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी: महोदय, मैं प्रश्न पर आ रहा हूं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या केन्द्र सरकार ने किसी दूसरे देश के साथ कोई समझौता किया है; यदि हां, तो भारत में कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने और गवेषण करने के लिए तथा देश में और अधिक तेल शोधन संयंत्र स्थापित करने के लिए किनके साथ ऐसा समझौता किया गया है, और उसका ब्यौरा क्या है; क्या केन्द्र सरकार ने इसके लिए कोई समयबद्ध कार्यक्रम बनाया है; और ये किन राज्यों में स्थापित किए जाने की संभावना है।

श्री मुरली देवरा: महोदय, इन्होंने जो प्रश्न पूछा है वह मुख्य प्रश्न से संबंधित नहीं है किंतु मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार यह सुनिश्चित करने हेतु कि कीमतें न बढ़ें अपना भरसक प्रयास कर रही है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी हाल ही में हमने पेट्रोल और डीजल की कीमतें घटायी हैं।

जहां तक किरासन और रसोई गैस का प्रश्न है, हमने इनकी कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। जहां तक डीजल और पेट्रोल का संबंध है तो हमने इनकी बहुत कम कीमत बढ़ाई थी जो हमने अब कम कर दी हैं।

हम नहीं चाहते कि लोग आयातित तेल पर निर्भर हों। इसीलिए हमने संयुक्त रूप से कुओं का पता लगाने के लिए चीन, रूस, सूडान जैसे अन्य देशों के साथ अनेक समझौते किए हैं।

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, हाल ही में अमेरिका की विदेश मंत्री सुश्री कोंडोलीजा राइस ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भारत-अमरीका परमाणु विधेयक को अमरीकी कांग्रेस द्वारा पारित किए जाने के बावजूद वह इस बात की गारंटी नहीं दे सकतीं कि क्या भारत ईरान की ऊर्जा अथवा ईरान की गैस पाइपलाइन पर निर्भर करेगा और क्या परियोजना पूरी हो जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि अमरीका इस परियोजना में प्रत्यक्ष रूप से शामिल नहीं होगा। यद्यपि वे प्रत्यक्ष रूप से इस परियोजना का विरोध न करें परन्तु इस बात की हमेशा संभावना रहेगी कि अप्रत्यक्ष रूप से वे सभी वित्तीय संस्थाओं पर दबाव डालेंगे। महोदय, यह एक बड़ी परियोजना है और इस परियोजना को पूरा करने में सात बिलियन डालर से ज्यादा की आवश्यकता होगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपका प्रश्न क्या है?

श्री एल. राजगोपाल: मैं माननीय मंत्री से इस परियोजना की स्थिति जानना चाहता हूं और यह भी कि क्या उनको वित्तीय सलाहकार मिल गए हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसका मुख्य प्रश्न से कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कर रहे हैं?

श्री एल. राजगोपाल: महोदय, यह एक पक्का समझौता है और यह ईरानी गैस की भारत को आपूर्ति है। मैं इस परियोजना की स्थिति जानना चाहता हूं और क्या सरकार ने इस परियोजना हेतु वित्तीय सलाहकारों के बारे में अंतिम निर्णय ले लिया है।

श्री मुरली देवरा: महोदय, सरकार ईरान-पाकिस्तान-भारत गैस पाइपलाइन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत गम्भीर है। हाल ही में सचिवों की बैठक हुई थी। अगले महीने मंत्रियों की बैठक होगी और हम इस बारे में प्रयास कर रहे हैं। हमें आशा है कि शीघ्र ही यह परियोजना तैयार हो जाएगी।

श्री रूपचंद पाल: महोदय, मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि चूंकि राष्ट्रीय पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना हो गई है इसलिए क्या एन.बी.एफ.सी. या किसी अन्य देश के साथ किसी समझौता ज्ञापन में ऐसा कोई तत्व रहा है ताकि प्रौद्योगिकी हस्तांतरण संभव हो जाएगा जिसके देश में और अन्य स्थानों पर बेहतर खोज की संभावना होगी।

श्री मुरली देवरा: महोदय, हमने हाल ही में नई गवेषण लाइसेंसिंग नीति के लिए निविदाएं आमंत्रित की हैं और यह उस चीज का हिस्सा है। हम आश्वस्त करते हैं कि जब वार्षिक प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो कुछ न कुछ निकल कर आएगा।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार सरकार विदेशों से घरेलू गैस के लिये करार कर रही है, उसके बावजूद सरकार ज्यादातर घरेलू गैस की सप्लाई, मांग के अनुसार, देश में एल.पी.जी. की आपूर्ति नहीं कर पा रही है। सरकार ने देश के कुछ स्थानों में पाईप लाईन के माध्यम से घरेलू गैस की आपूर्ति की है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने सिलेंडरों द्वारा गैस की आपूर्ति के अलावा, पूरे देश में पाईप लाईन के जरिये घरेलू गैस की आपूर्ति के लिये कोई योजना बनाई है?

श्री मुरली देवरा: अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं। भारत सरकार ने नई योजना बनाई है। सरकार 12 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी एल.पी.जी. पर दे रही है। सरकार चाहती है कि इस सिस्टम को बदलकर, वैसे ही पाईप लाइन के जरिये घरेलू गैस की आपूर्ति की जाए, जैसे घरों में नलों से पानी आता है। इस योजना से उपभोक्ताओं को फायदा होगा।

[अनुवाद]

गैर-मेट्रो हवाईअड्डों का आधुनिकीकरण

+

***226. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:**
श्री तथागत सत्पथी:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन गैर-मैट्रो हवाई अड्डों का ब्यौरा क्या है जिनका आधुनिकीकरण किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या सरकार द्वारा इन हवाई अड्डों के आधुनिकीकरण हेतु रूचि की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट) आमंत्रित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इन हवाई अड्डों के संबंध में बोली लगाने वालों का चयन किया जा चुका है;

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(च) आधुनिकीकरण कार्य को समय पर पूरा करने के लिए और क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) उन 35 गैर मैट्रो हवाईअड्डों के नाम, जिनकी पहचान आधुनिकीकरण के लिए की गई है, वे अहमदाबाद, अमृतसर, गुवाहाटी, जयपुर, उदयपुर, त्रिवेन्द्रम, लखनऊ, गोवा, मदुरै, मंगलोर, अगात्ती, औरंगाबाद, खजुराहो, राजकोट, वडोदरा, भोपाल, इंदौर, नागपुर, विशाखापटनम, त्रिची, भुवनेश्वर, कोयम्बटूर, पटना, पोर्ट ब्लेयर, वाराणसी, अगरतला, देहरादून, इम्फाल, रांची, रायपुर, आगरा, चण्डीगढ़, दीमापुर, जम्मू और पुणे हैं।

(ख) से (च) तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करने के लिए जिसमें मास्टर योजनाएं तैयार करने, टर्मिनल भवनों तथा एयर साइड से संबंधित विकासात्मक कार्यों की पहचान, गैर वैमानिकी राजस्व में वृद्धि करने तथा इन हवाईअड्डों के लिए कारोबार और वित्त योजना बनाने के लिए भूमि प्रयोग योजना तथा वाणिज्यिक विकास के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने विश्वव्यापी तकनीकी सलाहकारों तथा भारतीय वित्तीय परामर्शदाता के पांच ग्रुपों की नियुक्ति की है। प्रत्येक ग्रुप में एक जी.टी.ए. तथा एक आई.एफ.सी. शामिल है जो पांच हवाईअड्डों के एक सैट के संबंध में अध्ययन करेगा।

शेष 10 गैर मैट्रो हवाईअड्डों के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्वयं ही तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा रहा है।

परामर्शदाताओं की टी.ई.एफ.आर. के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने, गैर-मैट्रो हवाईअड्डों के सिटी साइड के विकास के लिए संयुक्त उद्यम भागीदार के चयन में सहायता देने के लिए परामर्शदाताओं से रुचि अभिव्यक्ति आमंत्रित की थी। 11 परामर्शदाताओं ने अपनी रुचि अभिव्यक्ति व्यक्त की है जिनमें से पांच को अल्पसूचीगत कर लिया गया है, जहां तक इन हवाईअड्डों के एयर साइड के विकास का संबंध है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पहले ही कार्रवाई आरंभ कर दी है। इन हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण और विस्तार का कार्य वर्ष 2010-2011 तक पूरा किए जाने का प्रस्ताव है।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: महोदय, भारत के विमानन क्षेत्र में आई तेजी को ध्यान में रखते हुए मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या हमारी सरकार अवसंरचना के विकास हेतु विमानन ग्रिड की स्थापना करने पर विचार कर रही है...*(व्यवधान)*

श्री खारबेल स्वाईं: आप एक प्रश्न के लिए तो बहुत से अनुपूरक पूछने की अनुमति दे रहे हैं और दूसरे प्रश्न के लिए केवल दो अनुपूरक पूछने की ही अनुमति दे रहे हैं। जब हम इससे अधिक अनुपूरक पूछना चाहते हैं तो आप अनुमति नहीं देते हैं।...*(व्यवधान)*

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम शीघ्रतापूर्वक और समयबद्ध तरीके से विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण सुनिश्चित करने के लिए देश में अवसंरचना के विकास हेतु विमानन ग्रिड की स्थापना किए जाने पर विचार कर रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल: महोदय, माननीय सदस्य ने जिस भावना से यह प्रश्न पूछा है मैं उसकी प्रशंसा करता हूं क्योंकि विमानन लोगों, सामान और सेवाओं के परिवहन तथा हमारे देश के आर्थिक और पर्यटन विकास की दृष्टि से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। उस दृष्टि से ही, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि विमानपत्तन प्राधिकरण के अंतर्गत लगभग 126 विमानपत्तन हैं। इनमें से 70 से अधिक विमानपत्तन क्रियाशील हैं। इस समय कार्यशील विमानपत्तनों की संख्या में वृद्धि करना एक सतत् प्रक्रिया है। हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि न केवल विमानपत्तन प्राधिकरण ही अपनी इस भूमिका को निबाहे अपितु प्रत्येक राज्य में विमानपत्तन हों और जैसा कि आप जानते ही होंगे, राज्य सरकारों के हवाई अड्डे हैं और वायुसेना के हवाई अड्डे हैं। अतः हम यह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि इनमें से अधिकांश हवाई अड्डे एक निर्धारित समय-सीमा में कार्यशील हो जाएं। चूंकि हमारा देश बहुत विशाल है अतः लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि वे भी विमानपत्तनों का प्रयोग कर सकते है।

यदि इन सभी बड़े और छोटे हवाई अड्डों को एक साथ

मिला भी दिया जाए फिर भी मेरे कहने का तात्पर्य यह नहीं है कि तकनीकी रूप से यह विमानन ग्रिड है क्योंकि यह एक अलग संकल्पना है जैसाकि विद्युत क्षेत्र में है। लेकिन इसी के साथ-साथ यदि हम इन सभी विमानपत्तनों और राज्य सरकारों के हवाई अड्डों को विकसित करके उनके संसाधनों को केन्द्र सरकार के संसाधनों से जोड़ दें तो मुझे विश्वास है कि किसी भी तरह से कोई भी देश में व्यक्ति किसी हवाई अड्डे से 50 किलोमीटर से अधिक की दूरी पर नहीं होगा और हमें इसी दृष्टिकोण से कार्य करना चाहिए।

मैं मंत्रालय और भारत सरकार की ओर से इसी पहल को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: क्या इस विस्तृत उत्तर के बाद भी आपको दूसरा अनुपूरक पूछना है?

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: आज हमारे देश के विमानन क्षेत्र में मूल समस्या केवल विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की ही नहीं है अपितु अतिरिक्त विमानों तथा कोहरे के कारण भीड़भाड़ और विलंब की प्रमुख समस्या है। अब निजी विमान कंपनियों ने ईंधन पर अधिभार लगाने का निर्णय लिया है और मंत्री जी ने उनसे इस अधिभार को समाप्त करने के लिए कहा है। लेकिन हमारी अवसंरचना के कारण इस समस्या की जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। दिल्ली और मुम्बई दोनों ही विमानपत्तनों पर सामानान्तर धावन पट्टी (रन-वे) नहीं हैं बल्कि अभिसारी धावन पट्टी (कन्वर्जेंट रन-वे) है अर्थात् सभी रन-वे एक ही स्थान पर मिलते हैं। इसलिए सीमित संख्या में विमान उड़ान भरते और उतरते हैं। अतः मंत्रीजी का अतिरिक्त धावन पट्टियां, जो कि समानान्तर हों, बनाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है जिससे कि हमारे देश के विमानन क्षेत्र में आ रही इस बड़ी अड़चन को दूर किया जा सके?

श्री प्रफुल पटेल: मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य ने कम से कम उस समाचार पत्र को पढ़ा होगा जिसमें मैंने उनका फोटोग्राफ देखा था जिसमें वे किसानों की एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसमें नई दिल्ली में और अधिक धावन पट्टियां बनाने की हमारी योजना के बारे में भी छापा था। मुझे विश्वास है कि माननीय सदस्य ने उस सम्भावना को विस्तार से पढ़ा होगा और कम से कम उन्हें इतनी संतुष्टि अवश्य मिली होगी कि हम सही दिशा में कार्य कर रहे हैं।

मैं यह स्वीकार करता हूं कि विमानपत्तनों पर भीड़भाड़ रहती है परंतु यह मुख्य रूप से मुम्बई और दिल्ली में ही है। मैंने कई बार पर यहां तक कि इस सभा में भी यह कहा है कि भारत का अर्थ केवल मुम्बई और दिल्ली से ही नहीं है इसका सब ओर विस्तार किए जाने की आवश्यकता है। वायु यातायात सम्पर्क पूरे देश में समान रूप से उपलब्ध होना चाहिए। इसीलिए हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। तथापि, मुम्बई और दिल्ली के लिए संयुक्त उपक्रम कार्यशील हैं। वर्ष 2008 से उन्नयन और आधुनिकीकरण का कार्यक्रम निश्चित रूप से शुरू हो जाएगा। अवसंरचनागत ढांचा, जैसा कि हम सभी जानते हैं, रातोंरात खड़ा नहीं किया जा सकता। लेकिन सरकार सही दिशा में कार्य कर रही है और मैं माननीय सदस्य की भावनाओं की प्रशंसा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री तथागत सत्पथी - अनुपस्थित प्रश्न काल समाप्त हुआ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[हिन्दी]

एल.पी.जी. की मांग और उत्पादन

***227. श्रीमती किरण माहेश्वरी:**
डा. चिन्ता मोहन:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की कितनी खपत हुई;

(ख) चालू वर्ष के दौरान देश में व्यावसायिक तथा घरेलू उपयोग के लिए कितनी मात्रा में एल.पी.जी. की आवश्यकता होने का अनुमान है;

(ग) क्या घरेलू स्रोतों से उत्पादित एल.पी.जी. की मात्रा देश में एल.पी.जी. की आवश्यकता को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में उत्पादित तथा आयातित एल.पी.जी. की अलग-अलग मात्रा कितनी है;

(ङ) एल.पी.जी. पर सरकार द्वारा प्रति सिलिंडर कितनी राजसहायता प्रदान की जाती है; और

(च) उपभोक्ताओं को एल.पी.जी. की निरंतर आपूर्ति बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष खपत की गई एल.पी.जी. की मात्रा निम्नवत् है:

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	खपत
2003-04	9,305
2004-05	10,245
2005-06	10,292

(ख) चालू वर्ष (2006-07) के लिए देश में एल.पी.जी. की अनुमानित कुल मांग 10,494 टी.एम.टी. है। घरेलू उपयोग 2005-06, पूरा वर्ष, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, में कुल एल.पी.जी. मांग का लगभग 95% है और शेष 5% वाणिज्यिक उपयोग के लिए है।

(ग) जी, हां। एल.पी.जी. का घरेलू उत्पादन घरेलू मांगों को पूरा करने हेतु अपर्याप्त है।

(घ) उपलब्धता में कमी आयात के माध्यम से पूरी की जाती है। पिछले तीन वर्षों के लिए एल.पी.जी. की मांग, घरेलू उत्पादन और आयात नीचे तालिका में दिए गए हैं:-

(आंकड़े हजार मीट्रिक टन में)

वर्ष	मांग	उत्पादन	आयात
2003-04	9,305	7,651	1,708
2004-05	10,245	7,817	2,334
2005-06	10,292	7,717	2,719

(ङ) इस समय प्रति 14.2 कि.ग्रा. घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर पर 22.58 रुपये की राजसहायता सरकार के राजकोषीय बजट से दी जाती है। इसके अतिरिक्त 2006-07 के प्रथमार्ध के लिए सा.क्षे. उपक्रमों की तेल कंपनियों के साथ मिलकर सरकार ने लगभग 153 रुपये प्रति सिलेंडर की राजसहायता दी है।

(च) देश के कुछ भागों में आपूर्ति में छुटपुट बाधाएं आई हैं जिसके कारण निम्नलिखित रहे:

(1) 2006 में सूरत में अभूतपूर्व बाढ़ जिसके परिणामस्वरूप ओ.एन.जी.सी. हजीरा और विजयपुर एवं औरैया में प्रभंजकों का बंद होना।

(2) चेन्नई पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (सी.पी.सी.एल.) की रिफाइनरी का बिना योजना के बंद होना।

(3) कोच्चि रिफाइनरी लि. (के.आर.एल.) का रखरखाव के लिए बंद होना।

(4) कर्नाटक में एल.पी.जी. के परिवहन में बाधाएं।

(5) महाराष्ट्र में रत्नागिरी में आयात कार्गो पोत की ग्राऊंडिंग।

सरकार एल.पी.जी. की आपूर्तियों की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है। निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(1) आयातों का पुष्टिकरण जिससे अल्प सूचना पर आयात किए जा सकें।

(2) रिफाइनरी विस्तारों के माध्यम से आयात निर्भरता में कमी।

(3) भूमिगत कन्दराओं के माध्यम से एल.पी.जी. भंडारों में वृद्धि करना।

(4) रिफाइनरी में इन्वेंटरी स्तरों को 12-13 दिनों से बढ़ाकर 15-20 दिन करना।

सरकार तेल पी.एस.यूज के साथ मिलकर प्रत्येक एल.पी.जी. सिलेंडर पर 175 रुपये की राजसहायता दे रही है। वर्ष 2005-06 के लिए एल.पी.जी. सिलेंडरों पर कुल राजसहायता 11766 करोड़ रुपये थी। चूंकि एल.पी.जी. के लिए राजसहायता देने हेतु इतनी भारी मात्रा में सार्वजनिक धनराशि का उपयोग किया जा रहा है, इसलिए सरकार वाणिज्यिक स्थापना, गैर कानूनी एल.पी.जी. वाहनों जैसे अनधिकृत उपयोगों के लिए विपथन पर रोक लगाने के लिए एल.पी.जी. के वितरण की ध्यानपूर्वक निगरानी कर रही है। सरकार ने तेल कंपनियों को इस दुरुपयोग को रोकने के लिए डीलरवार बिक्रियों की निगरानी करने के लिए सलाह दी है। इस प्रक्रिया में यह संभव है कि कुछ वास्तविक ग्राहकों पर कुछ विलंबित आपूर्तियों के रूप में प्रभाव पड़ता है। तेल विपणन कंपनियां यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही हैं कि वास्तविक ग्राहकों को कम से कम असुविधा हो।

संरक्षित स्मारकों से चोरी

*228. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**

श्री गिरिधारी यादव:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत एक वर्ष के दौरान तथा चालू वर्ष में अब तक केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों और संग्रहालयों से चोरी के कितने मामले दर्ज किए गए हैं;

(ख) क्या ऐसा पता चला है कि चोरी की गई कुछ वस्तुओं को तस्करी के माध्यम से विदेशों में भेज दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) पुरातत्व महत्व की इन वस्तुओं को वापस लाने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं; और

(ङ) ऐसी वस्तुओं की चोरी और तस्करी रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) वर्ष 2005 तथा 2006 के दौरान चोरी के पांच मामलों की सूचना मिली है जिनका ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) से (घ) ऐसी कोई सूचना नहीं है कि इन वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं की विदेश में तस्करी की गई थी।

पुरावशेषों की चोरी के सभी मामलों की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ.आई.आर.) पुलिस में दर्ज करा दी गई है तथा जांच शुरू हो गई है। इसके अतिरिक्त केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सी.बी.आई.), राजस्व सूचना निदेशालय (डी.आर.आई.), सीमा शुल्क तथा इंटरपोल को सूचित किया गया है तथा तलाश (लुक-आउट) नोटिस जारी किए गए हैं।

(ङ) राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थलों और पुरातत्वीय संग्रहालयों की सुरक्षा के लिए पहरा तथा निगरानी स्टॉफ को लगाया गया है। उनकी संख्या को निजी सुरक्षा गार्डों, राज्य पुलिस तथा केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा बढ़ाया गया है। संग्रहालयों की बेहतर सुरक्षा के लिए, बर्गलर अलार्म, सी.सी.टी.वी. आदि जैसे इलेक्ट्रानिक गैजेट लगाने का प्रस्ताव है। पुरावशेष तथा बहुमूल्य कलाकृति अधिनियम, 1972 के प्रभावी कार्यान्वयन तथा इस अधिनियम के उपबन्धों के उल्लंघन के अपराधों के लिए कठोर सजा की व्यवस्था के लिए इसमें संशोधन किया जा रहा है।

विवरण

2005 से 2006 (पिछले वर्ष तथा चालू वर्ष) तक के चोरी के मामले

क्र. सं.	राज्य का नाम	स्मारक/स्थल संग्रहालय का नाम तथा जिला	वस्तुओं का विवरण	चोरी की तारीख	मामले की स्थिति
1.	राजस्थान	प्राचीन स्थल, नगर, जिला टोंक	7 मूर्तियां	12-01-2005	आफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
2.	मध्य प्रदेश	सिद्धनाथ मंदिर मांधाता, जिला खंडवा	महिला मूर्ति का एक शीर्ष	4/5-09.2005	आफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
3.	उत्तरांचल	चांदपुर किले का मंदिर परिसर, जिला चमोली	काली का नक्काशीदार लकड़ी का एक शीर्ष	18/19-04-2006	आफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
4.	मध्य प्रदेश	मूर्ति शेड, कारीतलई, जिला कटनी	9 सैन्ड स्टोन की मूर्तियां	17-8-2006	आफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।
5.	राजस्थान	पुरातत्वीय संग्रहालय, कालीबंगन, जिला हनुमानगढ़	चक्र तथा गाड़ी का ढांचा	21-01-2006	आफ.आई.आर. दर्ज कराई गई है।

अप्रयुक्त रेलवे भूमि का व्यावसायिक विकास

***229. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:**
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे की जोन-वार कितनी भूमि अप्रयुक्त पड़ी है;

(ख) क्या रेलवे ने अपनी इस अप्रयुक्त भूमि का व्यावसायिक विकास करने हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो इस उद्देश्य के लिए चुने गए स्थलों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में बोलियां आमंत्रित की गई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले तथा इस पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) खाली भूमि की जोनवार स्थिति निम्नानुसार है:-

रेलवे	खाली भूमि (हेक्टेयर में)
1	2
मध्य	2478
पूर्व तट	1355
पूर्व मध्य	5773
पूर्व	1547
उत्तर मध्य	738
पूर्वोत्तर	5923
पूर्वोत्तर सीमा	2435
उत्तर	2919
उत्तर पश्चिम	964
दक्षिण मध्य	4248
दक्षिण पूर्व मध्य	3391
दक्षिण पूर्व	84
दक्षिण	2297
दक्षिण पश्चिम	2871
पश्चिम मध्य	488
पश्चिम	7383
जोड़	44894

(ख) जी, हां।

(ग) से (ङ) संपत्ति विकास के लिए भारतीय रेल पर संभाव्यता वाले 61 स्थलों की पहचान की गई थी। अब तक 9 स्थलों के लिए, जिनकी कुल लागत लगभग 21 करोड़ रुपए है, बोलियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इसमें से 6.5 करोड़ रुपए पहले ही वसूल कर लिए गए हैं। 17 स्थलों पर अध्ययन कार्य पूरा हो चुका है जहां बोलियां आमंत्रित की जानी हैं और 11 मामलों में अध्ययन कार्य प्रगति पर है। शेष 24 मामलों में, बोलियों को कम प्रतिक्रिया/कोई प्रतिक्रिया नहीं, स्पष्ट हकनामा न होने, अतिक्रमण आदि के कारण रद्द/छोड़ दिया गया है।

रेलवे भूमि/आकाशीय क्षेत्र के वाणिज्यिक उपयोग पर और अधिक जोर देने के उद्देश्य से, रेलवे ने रेल भूमि/आकाशीय क्षेत्र पर संपत्ति विकास से संबंधित सभी कार्यों को करने के लिए रेल अधिनियम, 1989 में संशोधन करके रेल भूमि विकास प्राधिकरण नामक एक अलग प्राधिकरण स्थापित करने का विनिश्चिय किया है। यह प्राधिकरण 1 नवम्बर, 2006 से गठित किया गया है।

जन केरोसिन परियोजना

***230. श्रीमती रूपाताई डी. पाटील:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मिट्टी के तेल की कालाबाजारी रोकने के लिए शुरू की गई "जन केरोसिन परियोजना" ने अपना उद्देश्य प्राप्त कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीलरों ने इस योजना को समाप्त करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि भारी राजसहायता प्राप्त पी.डी.एस. मिट्टी तेल अभिष्ट लाभार्थियों को राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर अपेक्षित मात्राओं में वास्तव में उपलब्ध कराया जाए और मिलावट के लिए पी.डी.एस. मिट्टी तेल का विपथन नियंत्रित और अंततोगत्वा समाप्त किया जाए, पी.डी.एस. मिट्टी तेल वितरण नेटवर्क को आमूलचूल रूप से परिवर्तित करने के लिए एक नवीन प्रायोगिक परियोजना का अनुमोदन किया है। जन केरोसीन परियोजना (जे.के.पी.) नामक प्रायोगिक परियोजना आरंभ में 6 महीनों की अवधि के लिए 2 अक्तूबर, 2005 से आरंभ की गई थी।

(ग) और (घ) जी हां। अखिल भारतीय केरोसीन डीलर संघ से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें इस आधार पर इस योजना को बंद करने का अनुरोध किया गया है कि इस प्रायोगिक परियोजना के कोई सफल परिणाम नहीं निकले हैं बल्कि इससे कई समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं।

(ङ) सरकार समय समय पर जन केरोसीन परियोजना (जे.के.पी.) की समीक्षा करती रही है और इस प्रणाली को और अधिक सुचारू बनाने के लिए आवश्यक कार्रवाई करती रही है। राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) द्वारा किये गए निदानात्मक अध्ययन और सरकार द्वारा की गई समीक्षाओं के आधार पर, प्रायोगिक योजना को आरंभ में 30 जून, 2006 तक 3 महीने के लिए और दोबारा 30 सितंबर, 2006 तक बढ़ाया गया था। इसे अब 30 जून, 2007 तक और बढ़ाया गया है।

[अनुवाद]

उड़ानों में विलंब

*231. **श्री हरिन पाठक:**

श्री एन.एन. कृष्णदास:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हवाई अड्डों पर भारी यातायात तथा कुछ अन्य तकनीकी कारणों से उड़ानों में विलंब से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो क्या उड़ानों में विलंब को समाप्त करने हेतु दीर्घावधि के लिए किसी प्रभावी समाधान का पता लगाया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) हवाई अड्डों पर भीड़-भाड़ को कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां, किन्तु केवल दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर।

(ख) जी हां।

(ग) (i) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर नए हाई स्पीड टैक्सीवे निर्मित किए गए हैं और कुछ अन्य निर्माणाधीन हैं। दिल्ली हवाईअड्डे पर एक समानान्तर टैक्सी ट्रैक का निर्माण किया गया है जिसके द्वारा रनवे के अधिभोग समय में उल्लेखनीय कमी आई है।

(ii) यातायात की भीड़भाड़ की अवधि में दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर दोनों रनवे का साथ-साथ उपयोग आरंभ हो गया है।

(iii) संशोधित ए.टी.सी. क्रियाविधि निर्धारित की गई है।

(iv) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर क्लियरैंस डिलीवरी पोजीशन स्थापित की गई है।

(v) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर व्यस्ततम समय के दौरान सामान्य विमानन के विमानों के आवागमन पर रोक लगाई गई है।

(vi) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डों पर ए.टी.सी. स्वचालन प्रणालियों का स्तरोन्नयन किया जा रहा है।

(vii) दिल्ली हवाईअड्डे पर सर्फेस मूवमेंट रडार संस्थापित किया गया है और प्रचालनरत है।

(viii) दिल्ली में एडवांस्ड सर्फेस गाइडेंस एण्ड कंट्रोल सिस्टम (ए.एस.एम.जी.सी.एस.) का संस्थापन किया जा रहा है।

(घ) आई.जी.आई. हवाईअड्डा दिल्ली पर, दिल्ली अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा प्राइवेट लिमिटेड जनवरी, 2007 तक एक नए समान्तर रनवे का निर्माण आरम्भ करने जा रही है जो वर्ष 2008 तक तैयार हो जाएगा।

जनजातीय लोगों के बारे में सर्वेक्षण

***232. श्री हरिभाऊ राठौड़: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजाति आयोग ने विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्ध घुमन्तु जनजातियों के बारे में एक सर्वेक्षण करने के लिए कुछ राज्यों का दौरा कया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे सर्वेक्षण करने के लिए स्थानों/राज्यों का चयन करने हेतु क्या मानदंड अपनाये गये हैं; और

(घ) इस आयोग द्वारा सरकार को अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (घ) यह आयोग विमुक्त जनजातियों, खानाबदोश तथा अर्ध-खानाबदोश जनजातियों का सर्वेक्षण नहीं कर रहा है। इस का कार्यकाल 5 फरवरी, 2007 को समाप्त होगा।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. की कालाबाजारी

***233. श्री भूपेन्द्रसिंह सोलंकी:**
श्री महेश कनोडीया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने घरेलू तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) की कालाबाजारी रोकने के लिए देश के विभिन्न भागों में छापे मारे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान अभी तक का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इसमें संलिप्त पाए गए डीलरों/व्यक्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) घरेलू एल.पी.जी. की कालाबाजारी को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) ने अपने एल.पी.जी. वितरकों द्वारा वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी के मामले सूचित किए हैं।

(ख) से (घ) पिछले दो वर्षों 2004-05 और 2005-06 के दौरान और अप्रैल-अक्तूबर, 2006 के दौरान तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों (एम.डी.जी.) के अंतर्गत वाणिज्यिक उद्देश्यों के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन/कालाबाजारी के लिए दंडित किए गए एल.पी.जी. वितरकों की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	दंडित एल.पी.जी. वितरकों की संख्या	एम.डी.जी. के अंतर्गत लगाया गया दंड (लाख रुपए)
2004-05	484	113.84
2005-06	517	277.62
अप्रैल-अक्तूबर, 2006	198	86.33

एम.डी.जी. के अंतर्गत तेल विपणन कंपनियों द्वारा की गई कार्रवाई के अलावा, राज्य सरकारें घरेलू एल.पी.जी. के अवैध उपयोग के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए शक्तिप्रदत्त हैं। राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग ने वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों पर छापे मारे और दुरूपयोग किए जा रहे घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों को जब्त कर लिया। पिछले दो वर्षों 2004-05 और 2005-06 के दौरान और अप्रैल-अक्तूबर, 2006 के दौरान राज्य सरकारों के खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग और सड़क परिवहन प्राधिकरण द्वारा जब्त किए गए एल.पी.जी. सिलेंडरों की संख्या निम्नानुसार थी:

वर्ष	जब्त किए गए एल.पी.जी. सिलेंडरों की संख्या	सड़क परिवहन प्राधिकरणों द्वारा पकड़े गए वाहन चालकों की संख्या
2004-05	11143	2462
2005-06	32507	2345
अप्रैल-अक्तूबर, 2006	19835	728

(ङ) वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किये गये हैं:-

(i) आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत प्रख्यापित एल.पी.जी. (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र की ओ.एम.सीज के वितरकों द्वारा वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडरों का विपथन/कालाबाजारी वर्जित है। राज्य सरकारों को इस आदेश के प्रावधानों के अधीन दोषी वितरकों के विरुद्ध कार्रवाई करने का अधिकार होता है। राज्य सरकारों को अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू सिलेंडरों के विपथन के विरुद्ध कदम उठाने हेतु समय समय पर सतर्क किया जाता रहा है।

(ii) ओ.एम.सीज के अधिकारी वितरकों के गोदाम, सुपुर्दगी स्थल और मार्ग में भी औचक जांच करते रहते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोई विपथन/कालाबाजारी न होने पाये। विपणन अनुशासन दिशानिर्देशों के अनुसार वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए घरेलू एल.पी.जी. सिलेंडर का विपथन/कालाबाजारी सिद्ध हो जाने के मामले में वितरक के विरुद्ध निम्नलिखित कार्रवाई की जाती है:-

पहले अपराध के मामले में 20,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल.पी.जी. की कीमत।

दूसरे अपराध के मामले में 50,000 रुपए जुर्माना और वाणिज्यिक दरों पर विपथन की गई एल.पी.जी. की कीमत।

तीसरे अपराध के मामले में डिस्ट्रीब्यूटरशिप समाप्त कर देना।

(iii) सरकार ने ओ.एम.सीज को घरेलू और गैर-घरेलू सिलेंडरों के लिए विभिन्न रंग आरंभ करने का परामर्श दिया है। इससे अनधिकृत उपयोग के लिए घरेलू एल.पी.जी. के विपथन को नियंत्रित करने में सहायता मिलने की आशा है।

[अनुवाद]

पार्सल और लगेज संबंधी सेवाएं

***234. श्री पी. करूणाकरन:** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्सल और सामान (लगेज) सेवाओं के संबंध में रेलवे द्वारा अपनाई गई नई नीति के अंतर्गत बड़ी संख्या में रेलवे कुलियों की तैनाती नहीं की गई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को उक्त नीति पर पुनर्विचार करने हेतु विभिन्न पक्षों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) प्लेटफार्मों पर पार्सलों के इकट्ठा हो जाने तथा यात्रियों को असुविधा से बचाने के उद्देश्य से रेलवे द्वारा पार्सल यातायात की बुकिंग एवं ढुलाई का युक्तीकरण किया गया है। इस नीति के अंतर्गत पार्सल बुकिंग और सम्हलाई की अनुमति वहां पर ही दी गई है जहां पर्याप्त हाल्ट उपलब्ध हैं। बुकिंग और संचलन का कार्य सीधी गाड़ियों के द्वारा नियोजित है। युक्तीकरण नीति के विरुद्ध अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। नई नीतियों के कारण रेलवे कुलियों की तैनाती में कोई कटौती नहीं हुई है। मार्गवर्ती यानांतरण और छोटे हाल्टों में उतराई जैसी छूटों की अनुमति दी गई है।

सामान बुकिंग को युक्तीकरण से छूट प्रदान की गई है।

रक्षा कारखानों के बिक्री केन्द्र

***235. डा. के. धनराजू:**

श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध निर्माणियों में विनिर्मित गैर-प्रतिबंधित बोर की पिस्तौलों/रिवाल्वरों जैसे हथियार कुछ राज्यों में ही रक्षा कारखानों के बिक्री केन्द्रों से नागरिकों को बेचे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे बिक्री केन्द्रों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार अन्य राज्यों में भी ऐसे बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) 1. राइफल निर्माणी, ईशापुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

2. तोप एवं गोला निर्माणी, काशीपुर, कोलकाता (पश्चिम बंगाल)

3. लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर (उ.प्र.)

4. फील्ड तोप निर्माणी, कानपुर (उ.प्र.)

5. मशीन प्रोटो टाइप निर्माणी, अंबरनाथ (महाराष्ट्र)

6. आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़ (संघ राज्य क्षेत्र)

7. आयुध निर्माणी, मुरादनगर (उ.प्र.)

8. तोप वाहन निर्माणी, जबलपुर (म.प्र.)

9. आयुध निर्माणी, अंबाझरी, नागपुर (महाराष्ट्र)

10. भारी वाहन निर्माणी, आवडी, चेन्नैई (तमिलनाडु)

(ग) से (ङ) बिक्री केंद्र केवल संबंधित निर्माणियों में ही कार्य कर रहे हैं। और बिक्री केंद्र खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

गन्नों के खेतों का अधिग्रहण

*236. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता को कम करने के उद्देश्य से ऊर्जा सुरक्षा की खोज में विदेशों में गन्ने के खेत लेने का है, जैसा कि दिनांक 6 सितंबर, 2006 के "द टाइम्स ऑफ इंडिया" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या किसी भारतीय तेल कंपनी ने इस संबंध में दूसरे देशों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) समझौता ज्ञापनों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

एल.एन.जी. की कमी

*237. **श्री पी.सी. थामस:**
श्री बसुदेव आचार्य:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की मांग और आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष कितनी मात्रा में एल.एन.जी. का आयात किया गया;

(ग) क्या देश में तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) की कमी है; और

(घ) यदि हां, तो एल.एन.जी. की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) प्राकृतिक गैस का एक स्रोत तरलीकृत प्राकृतिक गैस है, जिसका तरल रूप में आयात किया जाता है और इसके बाद प्रयोग से पहले पुन:गैसीकृत किया जाता है। पुन:गैसीकृत तरलीकृत प्राकृतिक गैस (आर.एल.एन.जी.) की मांग का अलग से मूल्यांकन नहीं किया जाता। यह देश में प्राकृतिक गैस की कुल मांग पर निर्भर करता है। 2007-08 के लिए प्राकृतिक गैस 179.27 एम.एम.एस.सी.एम.डी. की मांग का अनुमान लगाया गया है जबकि घरेलू उत्पादन 70.54 एम.एम.एस.सी.एम.डी. अनुमानित है। इस कमी को एल.एन.जी. के आयात से पूरा किया जा सकता है। देश में एल.एन.जी. टर्मिनलों की स्थापित क्षमता 7.5 एम.एम.टी.पी.ए. है जो लगभग 27 एम.एम.एस.सी.एम.डी. प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर सकते हैं।

(ख) दो एल.एन.जी. टर्मिनल प्रचालन में हैं, अर्थात पेट्रोनेट एल.एन.जी. लिमिटेड (पी.एल.एल.) का 5 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता का दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल और मैसर्स हजीरा एल.एन.जी. प्राइवेट लिमिटेड (एच.एल.पी.एल.) का 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता का हजारी टर्मिनल। 2003-04 से 2005-06 तक पी.एल.एल. द्वारा किये गए वर्षवार एल.एन.जी. आयात निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयातित एल.एन.जी. (एम.एम.टी.पी.ए,)
2003-04	0.062
2004-05	2.43
2005-06	4.81

इसके अलावा एच.एल.पी.एल ने 2005-06 के दौरान 0.171 एम.एम.टी.पी.ए. एल.एन.जी. का आयात किया।

(ग) और (घ) देश में प्राकृतिक गैस की मांग और आपूर्ति के बीच बहुत अंतर है। भारत सरकार ने निम्नलिखित के माध्यम से आपूर्तियों में वृद्धि करने और घरेलू बाजार के लिए आपूर्ति और मांग के बीच अंतर को पाटने के लिए बहुविध कार्यनीति अपनाई है।

(क) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) के अंतर्गत घरेलू अन्वेषण और उत्पादन कार्यकलापों को तेज करना।

(ख) कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) जैसी अपरम्परागत गैस का दोहन।

(ग) हाइड्रेट संसाधनों के मूल्यांकन के लिए प्राकृतिक गैस हाइड्रेट कार्यक्रम (एन.जी.एच.पी.) को लागू करना और उनका संभावित वाणिज्यिक दोहन।

(घ) एल.एन.जी. के रूप में गैस और राष्ट्रपार गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस का आयात।

अधिक एल.एन.जी. आयातों के लिए अतिरिक्त एल.एन.जी. मूलभूत सुविधा सृजित की जा रही है। 2008-09 तक दाहेज टर्मिनल की क्षमता 5 एम.एम.टी.पी.ए. से बढ़ाकर 10 एम.एम. टी.पी.ए. की जा रही है। 5 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता वाला डाभोल एल.एन.जी. टर्मिनल 2009-10 तक पूरी तरह संचालित हो जाने की संभावना है। 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. क्षमता वाला कोच्चि एल.एन.जी. टर्मिनल, जिसमें 5 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार करने का प्रावधान है, को 2010 में आरंभ किए जाने की आशा है।

संबंधित कंपनियां एल.एन.जी. के आयात के लिए आस्ट्रेलिया, अलजीरिया, मलेशिया, कतार, नाइजीरिया और म्यांमार जैसे विभिन्न देशों में विभिन्न संभावित एल.एन.जी. आपूर्तिकर्ताओं के साथ विचार-विमर्श कर रही हैं।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइनों को अनुमति

*238. **श्री ब्रजेश पाठक:** क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार और अधिक निजी एयरलाइनों को घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर अपनी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति देने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) इन निजी एयरलाइनों को कब तक अपनी उड़ानों का संचालन करने की अनुमति दिए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार का विचार विमानन क्षेत्र में नई एयरलाइनों को अनुमति देने संबंधी प्रवेश मानदंडों को कड़ा करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (च) अनुसूचित एयरलाइन प्रचालनों को आरंभ करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन.ओ.सी.) के संबंध में सरकार ने नागर विमानन अपेक्षा, खंड 3 विमान परिवहन शृंखला ग भाग-II दिनांक 1 मार्च, 1994 में निर्धारितानुसार नीति निर्धारित की है। नागर विमानन क्षेत्र में विकास व आवश्यकताओं के मद्देनजर समय-समय पर इस नीति की समीक्षा की जाती है।

जहां तक अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों का संबंध है, वे भारतीय अनुसूचित वाहक जिन्हें घरेलू क्षेत्र में कम से कम 5 वर्ष के निरन्तर प्रचालन का अनुभव है तथा जिनके पास न्यूनतम 20 विमानों का बेड़ा उपलब्ध है, को यू.ए.ई., कतर, बहरीन, ओमान, कुवैत तथा सऊदी अरेबिया को छोड़कर सभी अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर प्रचालन की अनुमति दी गई है। अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर निर्धारित मानदण्डों को पूरा करने वाले एयरलाइन प्रचालकों को विद्यमान द्विपक्षीय करारों के अनुसार उड़ानों की आवृत्तियां प्रचालित करने की अनुमति दी जाती है। घरेलू मार्गों पर एयरलाइनें अपने यातायात मांग के आकलन तथा वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार, पर और सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों के अनुपालन के मद्देनजर देश में कहीं भी कितनी भी उड़ानें प्रचालित करने के लिए मुक्त हैं।

[अनुवाद]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का पुनर्गठन

***239. श्री मंजुनाथ कुन्नुर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के पुनर्गठन के संबंध में डा. वी. कृष्णामूर्ति समिति की सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकार और कार्यान्वित की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) डा. वी. कृष्णमूर्ति की अध्यक्षता में सीनर्जी इन एनर्जी के संबंध में सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुरूप कोचि रिफाइनरीज लिमिटेड (के.आर.एल.) का विलय इसकी धारक कंपनी भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.) के साथ कर दिया गया है। आई.बी.पी. कंपनी लिमिटेड का इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड आई.ओ.सी.) के साथ विलय अंतिम चरण पर है। बोंगाईगांव रिफाइनरी और पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (बी.आर.पी.एल.) का आई.ओ.सी. के साथ विलय के लिए कार्रवाई आरंभ कर दी गई है।

सरकार ने तीन स्थानों मंगलौर (1.5 एम.एम.टी.), (2) विजाग (1.0 एम.एम.टी.) और (3) मंगलौर अथवा आसपास के स्थल (2.5 एम.एम.टी.) पर 5 मिलियम मीट्रिक टन (एम.एम.टी.) के कार्यनीतिक कच्चे तेल भंडारों के निर्माण का अनुमोदन दिया है। सिद्धांत रूप में अंततोगत्वा 15 एम.एम.टी. के कार्यनीतिक भंडार का निर्माण चरणों में करने का भी निर्णय लिया गया है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस विनियामक बोर्ड (पी.एन. जी.आर.बी.) अधिनियम, 2006 भारत के राजपत्र में 3-4-2006 को अधिसूचित किया गया था। पी.एन.जी.आर.बी. को स्थापित करने की आवश्यक कार्रवाई प्रगति पर है।

(ग) अन्य सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं।

अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

***240. श्री राम कृपाल यादव:**

श्री रामदास आठवले:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए कितना वार्षिक लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) अनुसूचित जाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति देने के लिए आधारभूत मानदंड क्या हैं;

(ग) क्या देश में अनुसूचित जाति के छात्रों संबंधी मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना धनराशि की अनुपलब्धता के कारण बुरी तरह से प्रभावित हो रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता में वृद्धि करने हेतु राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा मांग की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (च) कोई वास्तविक लक्ष्य निर्धारित नहीं है। छात्रवृत्ति उन छात्रों को दी जाती है जिनके माता पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से वार्षिक आय एक लाख रुपए से अधिक नहीं है। अधिक कवरेज और विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए फीस बढ़ जाने के फलस्वरूप, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से मांग में पर्याप्त वृद्धि हुई है। चालू वित्त वर्ष में 440 करोड़ रुपए के प्रावधान में से 265.20 करोड़ रुपए की धन राशि पहले ही जारी कर दी गई है। इस योजना के अंतर्गत उपलब्ध निधियां जारी करने के लिए, पहले ही कदम उठाए गए हैं।

[हिन्दी]

तेल के कुओं/ब्लाकों का हस्तान्तरण

***241. श्री वी.के. थुम्मर:** क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम तथा सरकारी क्षेत्र की अन्य तेल कंपनियों द्वारा खोजे गए तेल के कुओं/ब्लाकों को बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अन्य निजी कंपनियों को हस्तांतरित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या तेल तथा गैस अन्वेषण की लागत ओ.एन.जी.सी.

और सरकारी क्षेत्र के अन्य उपक्रमों द्वारा वहन की जा रही है और उक्त बहुराष्ट्रीय कंपनियां और निजी कंपनियां इस लागत को वहन नहीं कर रही हैं परन्तु लाभ सभी प्रकार के उठा रही हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री (श्री मुरली देवरा): (क) और (ख) भारत के तलछटीय बेसिन का अन्वेषण करने और तेल और प्राकृतिक गैस की घरेलू आपूर्ति में वृद्धि करने के लिए सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के माध्यम से घरेलू और विदेशी कंपनियों को अन्वेषण रकबे प्रदान करने के लिए वर्ष 1997 में नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति (एन.ई.एल.पी.) नामक एक नई नीति लागू की है। इन ठेकों से सरकार और प्रदत्त कंपनियों के बीच उत्पादन हिस्सेदारी अनुबंधों (पी.एस.सीज) पर हस्ताक्षर हुए। इस नीति से पहले सरकार ने वर्ष 1992 और 1993 में दो दौरों में "खोजा गया क्षेत्र नीति" के अंतर्गत राष्ट्रीय तेल कंपनियों (एन.ओ.सीज) को मध्यम और छोटे आकार के खोजे गए क्षेत्रों का प्रस्ताव किया था।

(ग) से (ङ) खोजा गया क्षेत्र नीति में प्रदत्त कंपनियों द्वारा इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय तेल कंपनियों द्वारा उपगत पिछली लागत की प्रतिपूर्ति परिकल्पित नहीं थी। तथापि राष्ट्रीय तेल कंपनियों को संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के अंतर्गत हस्ताक्षर बोनस, उत्पादन बोनस और आंशिक पिछली लागत प्रतिपूर्ति के रूप में उनकी पिछली लागत के भाग की प्रतिपूर्ति की गई/की जानी है। प्रदत्त कंपनियों ने अपने प्रतिभागिता हित (पी.आई.) के अनुपात में इन क्षेत्रों के विकास पर व्यय उपगत किया है और वे उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के निबंधनों के अनुसार लाभ पेट्रोलियम के अपने हिस्से के लिए पात्र हैं। सरकार संबंधित उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं के निबंधनों और शर्तों के अनुसार इन क्षेत्रों से रायल्टी, उपकर और लाभ पेट्रोलियम प्राप्त करती है।

[हिन्दी]

अतिरिक्त मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेजों का खोला जाना

2204. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा कार्मिकों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए अतिरिक्त मेडिकल/इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में राज्यों से कोई सहायता मांगी जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा कार्मिकों के बच्चों को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए सरकार का अतिरिक्त मेडिकल/इंजीनियरिंग कालेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

पुणे की छावनी क्षेत्र में सड़कों को चौड़ा करना

2205. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे छावनी क्षेत्र से होकर जाने वाली सड़कों को चौड़ा करने के लिए इसे पुणे नगर निगम को सौंप दिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसी सड़कों की कितनी लंबाई का पता पुणे सर्किल के रक्षा संपदा कार्यालय ने लगाया है;

(ग) क्या पुणे नगर निगम को भूमि का अंतरण स्वामित्व या पट्टे पर आधारित होगा;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन सड़कों के विकास के बदले में पुणे नगर निगम द्वारा प्रस्तावित मुआवजा पैकेज का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) पुणे नगर निगम के किर्की छावनी में अलंदी रोड को चौड़ा करने के लिए अपेक्षित रक्षा भूमि जिसे पुणे के रक्षा सम्पदा कार्यालय ने भी चिन्हित किया है, हस्तांतरित करने का प्रस्ताव किया है। इस रक्षा भूमि के बदले में पुणे नगर निगम ने कुछ स्थलों पर भूमि देने की पेशकश की है।

अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में विसंगति

2206. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में अन्य पिछड़ा वर्गों की केन्द्रीय सूची में अनुमोदन/संशोधन कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त प्रक्रिया में और ज्यादा विसंगतियां दर्ज की गई हैं तथा विद्यमान हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विसंगतियां दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) से (ङ) जी, हां। संघ सरकार ने अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची को अभी तक 22 अधिसूचनाओं के माध्यम से अनुमोदित/संशोधित किया है। अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में संशोधन/परिवर्तन एक सतत् प्रक्रिया है और राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सलाह पर, केन्द्र सरकार अन्य पिछड़े वर्गों की केन्द्रीय सूची में परिवर्तन/संशोधन करती है।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में आमान परिवर्तन

2207. श्री अशोक अर्गल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोरखपुर मंडल में हथुआ, बिहार के गोपालगंज जिले में तथा मध्य प्रदेश में कटनी रेल लाइन का आमान परिवर्तन की योजना बिना पूर्व सर्वेक्षण के अनुमोदित कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस परियोजना को अनुमोदन देने तथा बजट मंजूरी प्रदान करने में प्राथमिकता प्रदान करने के क्या कारण हैं जबकि कई परियोजनाएं इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

ई-टिकटिंग

2208. श्री के.एस. राव: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंटरनेट के माध्यम से मासिक रूप से औसत कितने यात्री टिकट आरक्षित किए जाते हैं;

(ख) क्या यात्री इंटरनेट के माध्यम से रेलवे आरक्षण बुकिंग में कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं; और

(ग) कठिनाइयों को दूर करने तथा ई-टिकटिंग को रेल यात्रियों के बीच लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वित्तीय वर्ष 2006-07 (अक्तूबर, 2006) के दौरान प्रत्येक महीने इंटरनेट द्वारा औसतन 4,51,335 टिकटें आरक्षित की गई।

(ख) जी नहीं।

(ग) ई-टिकटों के आरक्षण की सुविधा को कुछ प्राधिकृत ट्रेवल एजेंटों, आंध्र प्रदेश सरकार के ई-सेवा केन्द्रों आदि को प्रदान की गई है।

"अजनी" रेलवे स्टेशन

2209. श्री सुबोध मोहिते: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार नागपुर में दूसरे टर्मिनल के रूप में "अजनी" रेलवे स्टेशन को विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार नगापुर जोन में सभी स्टेशनों पर डब्ल्यू.टी.एस. सुविधा प्रदान करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक उक्त सुविधा उपलब्ध करा दी जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं। इस समय रेल मंत्रालय का नागपुर एरिया के लिए अजनी रेलवे स्टेशन को द्वितीय टर्मिनल के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, जब भी कोच

सुविधाओं में संवर्धन करने की आवश्यकता होगी, इस पर विचार किया जाएगा।

(ग) और (घ) उपर उल्लिखित शब्द डब्ल्यू.टी.एस. समझ से परे है। बहरहाल, यदि इसका मतलब यू.टी.एस. (अनारक्षित टिकट प्रणाली) से है, तो एक विवरण संलग्न किया जा रहा है।

विवरण

मध्य रेलवे के लिए अनारक्षित टिकट प्रणाली की परियोजनाएं वर्ष 2003-04 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों के अंतर्गत 9.76 करोड़ रु. की लागत से रेलवे बोर्ड द्वारा स्वीकृत की गई थीं। इस कार्य के अंतर्गत मध्य रेलवे के 52 स्टेशनों पर वर्ष 2005-06 के दौरान यू.टी.एस. टर्मिनल उपलब्ध कराए गए हैं। इन 52 यू.टी.एस. स्टेशनों में से नागपुर डिविजन के निम्नलिखित 10 स्टेशनों पर यू.टी.एस. सुविधा मुहैया कराई गई है।

क्र. सं.	स्टेशन	स्थापित किए गए टर्मिनलों की कुल संख्या
1.	नागपुर	8
2.	संतरा मार्किट	6
3.	वर्धा	3
4.	अमला	2
5.	बलारशाह	2
6.	बेतूल	3
7.	चंद्रपुर	3
8.	धम्मनगांव	2
9.	पुलगांव	2
10.	पंढूरणा	2
	कुल	33

रेलवे बोर्ड ने मध्य रेलवे पर सभी क, ख, ग और घ श्रेणी के स्टेशनों तथा 8(ङ) श्रेणी के स्टेशनों को शामिल करते हुए वर्ष 2006-07 के दौरान 90 और स्टेशनों पर 15.39 करोड़ रु. की लागत से शेष क, ख, ग और घ श्रेणी स्टेशनों पर यू.टी.एस. के कार्य को विस्तार देने की स्वीकृति प्रदान की है। इस कार्य के अंतर्गत नागपुर डिविजन के सेवाग्राम, हिंगनघाट और घोड़ाडोंगरी स्टेशनों पर प्रत्येक पर 2 टर्मिनल मुहैया कराते हुए यू.टी.एस. कि सुविधा उपलब्ध कराई गई है। नागपुर डिविजन के नारखेड-मुलताई और परस्ता स्टेशनों पर भी 31-3-2007 तक यू.टी.एस. सुविधा मुहैया कराई जाएगी। नागपुर डिविजन के धम्मनगांव और पंढूरणा स्टेशनों पर यू.टी.एस. एवं पी.आर.एस. टर्मिनल भी मुहैया कराया गया है।

नेदूमबसेरी, केरल में नया रेलवे स्टेशन

2210. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने नेदूमबसेरी में एक नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने के संबंध में केरल सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) नेदुमबसेरी में कोचीन स्थित अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट नये रेलवे स्टेशन की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों की जांच की गई है लेकिन ये परिचालनिक दृष्टि से व्यावहारिक तथा वाणिज्यिक दृष्टि से औचित्यपूर्ण नहीं पाए गए हैं।

[हिन्दी]

राजस्थान को वित्तीय सहायता

2211. श्री कैलाश मेघवाल: क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राजस्थान सरकार से राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग लगाने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) चालू वर्ष सहित गत तीन वर्षों के दौरान योजना-वार इस संबंध में कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि (वर्ष 2002-03 से वर्ष 2006-07 में दिनांक 4-12-2006 तक) के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/आधुनिकीकरण/स्थापना संबंधी स्कीम के तहत वित्तीय सहायता हेतु राजस्थान से 129 परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। उपरोक्त अवधि के दौरान राजस्थान स्थित खाद्य प्रसंस्करण यूनिटों को उक्त स्कीम के तहत 531.13 लाख रुपए की वित्तीय सहायता दी गई है।

(ग) गत तीन वर्षों जिसमें वर्तमान वर्ष शामिल है, के दौरान राजस्थान राज्य को उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता के स्कीम-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(लाख रुपए में)

स्कीमों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07
बुनियादी ढांचा विकास संबंधी स्कीम	100.00	शून्य	शून्य	शून्य
खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना और आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम	86.00	35.83	117.39	291.91
बैकवर्ड और फॉरवर्ड एकीकरण तथा अन्य संवर्धनात्मक कार्यकलाप संबंधी स्कीम	2.34	शून्य	शून्य	शून्य
मानव संसाधन विकास संबंधी स्कीम	8.00	4.67	50.00	शून्य
संस्थानों के सुदृढ़ीकरण संबंधी स्कीम	शून्य	शून्य	6.00	शून्य

[अनुवाद]

तेल कंपनियों द्वारा प्रदत्त लाभांश

2212. श्रीमती अर्चना नायक: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकारी तेल कंपनियों द्वारा सरकार को कंपनीवार कितना लाभांश दिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में प्रमुख सार्वजनिक क्षेत्र तेल कंपनियों द्वारा सरकार को भुगतान किए गए लाभांश के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रुपए करोड़ में)

तेल पी.एस.यूज का नाम	सरकार को भुगतान किया गया लाभांश		
	2003-04	2004-05	2005-06
1	2	3	4
ओ.एन.जी.सी.	2736.40	4228.70	4757.30

1	2	3	4
आई.ओ.सी.एल	2011.96	1964.06	958.08
एच.पी.सी.एल.	380.91	259.63	51.92
बी.पी.सी.एल.	377.34	327.69	148.95
गेल	455.60	387.95	581.92
ओ.आई.एल.	315.00	294.00	598.50

दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ सामुद्रिक संबंध

2213. श्री दुष्यंत सिंह: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र के साथ सामुद्रिक संबंध बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या प्रयास किए गए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) भारतीय नौसेना तथा भारतीय तटरक्षक ने दक्षिण-पूर्व एशियाई क्षेत्र के देशों नामतः थाइलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलिपिंस, वियतनाम तथा सिंगापुर के साथ समुद्री संबंध बढ़ाने के लिए कई प्रकार से पहल की है। इन में समुद्री-मार्गों की सुरक्षा तथा अन्य मुद्दों के संबंध में क्षेत्रीय नौसेनाओं के साथ नियमित चर्चाएं, समन्वित गश्तें, हिंद महासागर में वाणिज्यिक यातायात के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान, द्विपक्षीय दौरे, पोतों द्वारा बंदरगाहों पर आवाजाही, भारतीय नौसेना के पेशेवर स्कूलों में इस क्षेत्र के देशों के अफसरों तथा नाविकों को प्रशिक्षण देना, समुद्री मामलों में प्राप्त अनुभवों का आदान-प्रदान, दक्षिण-पूर्व एशियाई नौसेनाओं अथवा दक्षिण-पूर्व एशिया में आयोजित बहुपक्षीय अभ्यासों में भारतीय नौसेना द्वारा भागीदारी, बहुराष्ट्रीय संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा सेमिनारों आदि में भाग लेना शामिल हैं।

भारत ने, एशिया में जलपोतों के विरुद्ध डकैती तथा सशस्त्र लूट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग करार पर भी हस्ताक्षर किए हैं तथा इसे अभिपुष्ट किया है।

भेल (बी.एच.ई.एल.) को ठेके देना

2214. श्री सुरेश कलमाडी: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रतिस्पर्धी बोली को प्रोत्साहन देने के स्थान पर ताप परियोजनाओं के पारियोजना ठेकों को केवल भेल (बी.एच.ई.एल.) के लिए आरक्षित करने की कोई पहल की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भेल (बी.एच.ई.एल.) सुपर क्राई-टेरियल टेक्नोलॉजी के लिए फ्रांस की बड़ी कंपनी अल्सथोम के साथ समझौता कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) जुलाई, 2005 में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के लिए क्रय वरीयता नीति (पी.पी.पी.) को आगे बढ़ाते समय भारत सरकार ने विद्युत मंत्रालय को क्रय वरीयता नीति (पी.पी.पी.) से छूट देने की मंजूरी दी है। यह शर्त अध्ययधीन था कि प्रतिवर्ष प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से बोली परियोजनाओं के माध्यम से वे निर्धारित मूल्य के बारे में की गई बातचीत के आधार पर भेल को कुछेक आर्डर (क्रयादेश) प्रस्तुत करेंगे। विद्युत मंत्रालय और भारी उद्योग विभाग वर्ष के आरंभ में वित्तीय वर्ष के दौरान भेल को पेश किए जाने वाले ऑर्डरों की संख्या और मूल्य के ब्यौरे तैयार करेंगे। हालांकि, आज की तारीख तक विद्युत मंत्रालय द्वारा दी गई इस छूट के लिए भेल को कोई ऑर्डर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

(ग) और (घ) अपेक्षित क्षमता प्राप्त करने के लिए 800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट्स हेतु भाप बनाने वाली अपेक्षित अर्थात् उपस्कर के लिए अक्तूबर, 2005 में भेल ने फ्रांस की कम्पनी अल्सथोम, एस.ए. के साथ प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यह सहयोग समझौता 15 वर्षों की अवधि तक मान्य है।

[हिन्दी]

एल.पी.जी. का उत्पादन

2215. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज): क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एल.पी.जी. का उत्पादन करने वाली देश की कंपनियों - गेल (इंडिया) लि. तथा तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन कम कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी नहीं। तथापि, अगस्त-सितंबर, 2006 के दौरान हजीरा मेंबाढ़ के कारण गेल (इंडिया) लिमिटेड में एल.पी.जी. का उत्पादन अस्थायी रूप से प्रभावित हुआ था।

(ग) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड की 64 टन प्रतिदिन एल.पी.जी. का उत्पादन करने के उद्देश्य से गुजरात राज्य के गंधार में एल.पी.जी. संवर्द्धन हेतु एक अतिरिक्त संघनित वसूली इकाई स्थापित करने की योजना है। इसके अतिरिक्त, देश में एल.पी.जी. सहित पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में संगत वृद्धि से 11वीं योजना के अंत तक तेल रिफाइनरियों की शोधन क्षमता 148.97 एम.एम.टी.पी.ए. के वर्तमान स्तर से 235 एम.एम.टी.पी.ए. तक बढ़ने की संभावना है।

[अनुवादी]

पामबान पुल पर आमान परिवर्तन

2216. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पामबान पुल पर बड़ी लाइन आमान परिवर्तन का कार्य वर्तमान में जारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमोदित लागत कितनी है;

(ग) क्या विदेशी प्रौद्योगिकी के साथ एक नए पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आमान परिवर्तन की वजह से बढ़ने वाले भार से निपटने के लिए वर्तमान ढांचों को भी बदले जाने का प्रस्ताव है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) पामबान पुल के बड़ी लाइन आमान परिवर्तन को शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (छ) मौजूदा पुल का नवीकरण/उसे मजबूत बनाने का कार्य मदुरै-रामेश्वरम आमान परिवर्तन परियोजना के भाग के रूप में शुरू किया गया है जिसकी लागत लगभग 243 करोड़ रु. है। पंबन पुल को मजबूत करने/उसका नवीकरण करने की लागत 22.62 करोड़ रु. है जिसमें मौजूदा गर्डरों को बदलने/पुन: स्थान बनाने तथा नेवीगेशनल स्पैन का नवीकरण/मजबूत करना शामिल है। पुल के साथ-साथ मंडपम से रामेश्वरम तक इस खंड के आमान परिवर्तन का कार्य 31-3-2007 तक पूरा करने का लक्ष्य है। इस कार्य को समय पर पूरा करने के लिए कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

विदेशी तकनीक से नए पुल का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी इंटरनेट कियोस्क के माध्यम से टिकटों की बिक्री

2217. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रेल खान-पान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) ने सरकारी इंटरनेट कियोस्कों के माध्यम से टिकटों की बिक्री को संभावनाओं का पता लगाने के लिए राज्यों के विभिन्न जिलों के जिला मजिस्ट्रेटों से संपर्क किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकारी एजेंसियों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) इस संबंध में प्रस्ताव को अंतिम रूप कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम ने सभी जिलों के जिलाधीशों तथा उपायुक्तों को ई-टिकटों की बिक्री के लिए लिखा है और निम्नलिखित से उत्तर प्राप्त हुआ है:-

(i) आंध्र प्रदेश सरकार (ई-सेवा)

(ii) उपायुक्त, नवाशहर जिला, पंजाब

(iii) उपयुक्त, कपूरथला जिला, पंजाब

(iv) राजस्थान सरकार (ई-मित्र) योजना सूचना प्रौद्योगिकी निदेशालय

(v) पांडिचेरी सरकार

(vi) जिलाधीश, महाराजगंज, उत्तर प्रदेश

(vii) मणिपुर इलैक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड, मणिपुर सरकार

(viii) सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, पश्चिम बंगाल सरकार

(ix) जिलाधीश, पूर्वी जिला, सिक्किम सरकार

(x) कर्नाटक सरकार द्वारा संचलित इंटरनेट कियोस्कम, बेंगलूरू-1

(xi) जिलाधीश, नार्थ गोवा जिला, पणजी, गोवा

(xii) जिलाधीश, सीतापुर, उत्तर प्रेदश

(xiii) सामान्य सेवाएं केंद्र परियोजना (सी.एस.सी.), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, केरल सरकार

यह सुविधा आंध्र प्रदेश (ई-सेवा सेंटर्स), नवाशहर और कपूरथला में पहले ही आरंभ कर दी गई है।

(ग) इस स्तर पर इस प्रस्ताव को अंतिम रूप देने के लिए किसी खास समय-सीमा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। परियोजना को अंतिम रूप देना भा.रे.खा. एवं प.नि. के मानकों के तहत इन एजेंसियों की तकनीकी आवश्यकताओं को पूरा करने पर निर्भर करेगा।

एफ.पी.टी.सी. को केंद्रीय अनुदान

2218. श्री जोवाकिम बखला: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य-वार कितने खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्रों (एफ.पी.टी.सी.) को अनुदान दिया गया है और कितने प्रशिक्षण केंद्रों ने अनुदान के उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए हैं;

(ख) क्या सरकार से अनुदान पाने वाले कुछेक खाद्य प्रसंस्करण प्रशिक्षण केंद्र मौजूद नहीं हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) गत तीन वर्षों के दौरान सहायताप्राप्त खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों की राज्य-वार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अधिकांश प्रशिक्षण केंद्रों ने उपयोग प्रमाण-पत्र प्रस्तुत कर दिए हैं और कुछेक शेष मामलों में, संबंधित संगठनों/राज्य नोडल एजेंसियों के साथ मामलों को उठाया जा रहा है।

(ख) से (घ) कुछ खाद्य प्रसंस्करण और प्रशिक्षण केंद्रों के मौजूद न होने की रिपोर्टें हैं जिनकी जांच राज्य नोडल एजेंसियों के माध्यम से की जा रही है।

विवरण

गत तीन वर्षों (2003-04, 2004-05 और 2005-06) के दौरान सहायता-प्राप्त खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या

क्र. सं.	राज्य का नाम	2003-04	2004-05	2005-06	प्राप्त हुए उपयोग प्रमाण-पत्रों की संख्या
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	–	–	1	–

1	2	3	4	5	6
2.	गुजरात	1	–	–	–
3.	हरियाणा	2	–	–	2
4.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1	–
5.	झारखंड	–	–	2	–
6.	केरल	–	–	1	–
7.	मध्य प्रदेश	–	–	1	1
8.	उड़ीसा	–	1	3	–
9.	राजस्थान	–	1	–	1
10.	तमिलनाडु	1	2	2	2
11.	उत्तर प्रदेश	2	4	6	3
12.	उत्तरांचल	–	–	3	2
13.	पश्चिम बंगाल	–	1	–	1
	कुल	6	9	20	12

व्यावसायिक जेटों का अर्जन

2219. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वी.वी.आई.पी. व्यक्तियों की यात्रा के लिए भारतीय वायु सेना के बेड़े में व्यावसायिक जेटों को शामिल किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक जहाज की लागत कितनी है;

(ग) क्या निकट भविष्य में और अधिक जेटों का अर्जन करने का भी प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) सरकार द्वारा मैसर्स एमब्रायर ब्राजील के साथ सितंबर, 2003 में की गई संविदा के अनुपालन में भारतीय वायु सेना बेड़े में 4 कार्यकारी जेट विमान शामिल किए गए हैं। चारों विमानों की लागत संभारिकी सहायता सहित लगभग 531 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) तीन बोइंग बिजनेस जेट विमानों की अधिप्राप्ति के लिए सरकार ने, मैसर्स बोइंग, यू.एस.ए. के साथ अक्तूबर, 2005 में एक संविदा निष्पादित की है। इन वायुयानों की अधिप्राप्ति अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अन्य विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा संबंधी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, भारतीय वायुसेना संचार बेड़े में विद्यमान दो बोइंग 737-200 वायुयानों के बदले की जा रही है।

पटना के समीप गंगा के आर-पार रेल-सह-सड़क पुल

2220. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बिहार में पटना के समीप गंगा के आर-पार एक रेल-सह-सड़क पुल का निर्माण करने हेतु स्वीकृति दी है;

(ख) इस पर कितनी लागत आने का अनुमान है; और

(ग) इस प्रस्तावित पुल को कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) केवल रेल पुल के निर्माण संबंधी पूर्ववर्ती योजना में आशोधन करके सरकार ने पटना के निकट गंगा नदी पर रेल-एवं-सड़क पुल के निर्माण को मंजूर किया है।

(ख) इस पुल की अनुमानित लागत 1389 करोड़ रु. है।

(ग) संसाधनों की समग्र उपलब्धता के आधार पर पुल के निर्माण कार्य को लगभग 5 वर्षों की अवधि में पूरा करने का लक्ष्य है।

दमण और दीव में होटल उद्योग

2221. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में आवभगत और होटल उद्योग को विशेष प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजनार्थ दमण और दीव संघ राज्य क्षेत्र में सरकार द्वारा कौन-कौन सी योजनाएं कार्यान्वित करने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, भारत सरकार विनिर्दिष्ट वित्तीय संस्थाओं से लिए गए कुल मूल ऋण के 10% की उच्चतम सीमा की शर्त पर 1, 2, 3 सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणी के होटलों को इमदाद सहायता के रूप में अथवा एक सितारा के लिए 25.00 लाख रुपए तक, दो सितारा के लिए 50.00 लाख रुपए तक तथा तीन सितारा और हैरिटेज बेसिक श्रेणी के होटल परियोजनाओं के लिए 75.00 लाख रुपए तक, इनमें जो भी कम हो, "आवास अवसंरचना को प्रोत्साहन" प्रदान करता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियां

2222. श्री अजय चक्रवर्ती: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर रेलवे ने अनुकंपा के आधार पर नियुक्तियों के लंबित मामलों को निपटाने के लिए विशेष अदालत लगाने के संबंध में समाचार पत्रों में विज्ञापन दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में पीड़ित व्यक्तियों से कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) दिल्ली और मुरादाबाद मंडलों से उक्त विज्ञापन के संबंध में कितने पीड़ित व्यक्तियों ने प्रत्युत्तर दिया है; और

(ङ) यदि हां, तो उनकी शिकायतों का निपटान करने के लिए क्या कार्रवाई की गई/की जा रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) 7-9-06 को हिंदी और अंग्रेजी के सभी समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित हुआ था।

(ग) 106।

(घ) दिल्ली और मुरादाबाद में क्रमश: 14 और 10 व्यक्तियों ने प्रत्युत्तर दिया।

(ङ) मामले की वास्तविक स्थिति और नियम संबंधी स्थिति का आवेदकों को विस्तारपूर्वक उल्लेख किया गया था और आवेदकों को औपचारिक उत्तर दिया/भेजा गया था।

[हिन्दी]

उत्तरांचल में रेल परियोजना

2223. श्री के.सी. सिंह "बाबा": क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उत्तरांचल में लंबित रेल परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए परियोजना-वार क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए है;

(ग) क्या ये परियोजनाएं समयानुसार चल रही हैं;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) वर्ष 2003 से 2006 के दौरान उत्तरांचल सरकार से प्राप्त परियोजनाओं के प्रस्तावों में से रेल मंत्रालय द्वारा स्वीकृत की गई परियोजनाओं और अभी तक उसके विचाराधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इन परियोजनाओं को समय से पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) उत्तरांचल में अंशतः/पूर्णतः पड़ने वाली चालू परियोजनाओं की प्रत्याशित लागत, वर्तमान स्थिति और लक्ष्य तिथि जहां-कहीं भी निर्धारित है, का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्र. सं.	परियोजना का नाम	किमी.	प्रत्याशित लागत (करोड़ रु. में)	स्थिति
1.	किच्छा-खटीमा के बीच नई लाइन	51.48	165.67	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है और भूमि अधिग्रहण संबंधी कार्य शुरू हो गया है।
2.	कानपुर-कासगंज-मथुरा एवं कासगंज बरेली-लालकुआं के बीच आमान परिवर्तन	544.50	661.72	कानपुर-फरूखाबाद (140 किमी.) खंड को यातायात के लिए पहले ही खोल दिया गया है। फर्रूखाबाद-कासगंज (108 किमी.) में आमान परिवर्तन के कार्य को 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
3.	अम्बाला-मुरादाबाद खंड में रेल विद्युतीकरण	274	246.46	अम्बाला-नजीबाबाद (188 मार्ग किमी.) में विद्युतीकरण संबंधी कार्य पूरा हो गया है। नजीबाबाद-मुरादाबाद खंड (95 मार्ग किमी.) में कार्य शुरू किया गया है।

(ङ) और (च) किच्छा-खटीमा नई लाइन शुरू हो गई है। भोजिपुरा-पीलीभीत-टनकपुर के आमान परिवर्तन के प्रस्ताव पर आवश्यक अनुमोदन के लिए कार्रवाई की गई है। मुज्जफरनगर-रूड़की नई लाइन के निर्माण के लिए प्रस्ताव पर अंश भागिता के आधार पर राज्य सरकार से कार्रवाई की गई है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार स्वीकृत कार्यों को शुरू किया जाएगा और पूरा किया जाएगा।

[अनुवाद]

भूमि के हस्तांतरण की वजह से लंबित रेल परियोजनाएं

2224. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केरल में स्वीकृत उन रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें इन परियोजनाओं के लिए भूमि का अर्जन न किए जाने/हस्तांतरण न होने की वजह से शुरू नहीं किया जा सका है; और

(ख) रेलवे द्वारा इन परियोजनाओं को शीघ्र पूरा किए जाने के लिए क्या कार्रवाई की गई है/किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) केरल सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित न किये जाने के कारण अंगामाली-सबरीमाला और तनुर-गुरूवयूर नई लाइन परियोजनाएं शुरू नहीं हो पायी हैं।

(ख) रेलवे ने उपर्युक्त परियोजनाओं के लिए सभी प्रारंभिक कार्य अर्थात योजनाएं तैयार करना, भूमि अधिग्रहण के लिए अनुरोध आदि शुरू कर दिए हैं। निविदा कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और राज्य सरकार द्वारा भूमि हस्तांतरित कर दिये जाने के बाद इसे जारी कर दिया जाएगा।

नई रेल लाइन

2225. श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को बिहार सरकार से एक नई रेल लाइन

बिछाकर मधुबनी जिले में घोघरजीहा, किसनीपट्टी समपार, से घोघेपुर तक कोसी पश्चिम तटबंध के साथ-साथ बरस्ता भलौही, भेजा जमालपुर के लिए रेल सेवा शुरू करने हेतु बिहार विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प को अग्रेषित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) नई रेल लाइन बिछाकर कोसी वेस्टर्न तटबंध के साथ-साथ भलौही, भेजा, जमालपुर के रास्ते मधुबनी जिले में घोघरजीहा, किसनीपट्टी लेबल क्रासिंग से घोघेपुर तक रेल लाइन सेवा शुरू करने के बारे में बिहार विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प की प्रति हाल ही में राज्य परिवहन आयुक्त, बिहार सरकार के कार्यालय से प्राप्त हुई है।

(ग) पूर्व मध्य रेलवे को इस प्रस्ताव की जांच करने के लिए कहा गया है।

[हिन्दी]

उत्तरांचल से रेल सेवा

2226. श्री तूफानी सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने 5013/5014 कॉर्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस में आरक्षित शयनयानों तथा वातानुकूलित III टीयर डिब्बों की संख्या बढ़ाने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे का विचार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली और मुंबई सहित महानगरों से उत्तरांचल के लिए कुछ नई रेलगाड़ियां चलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसा कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) मांग और वाणिज्यिक औचित्य को ध्यान में रखते हुए 12-1-2007 से रामनगर से चलने वाली 5013ए/5014ए दिल्ली सराय रोहिल्ला-रामनगर कार्बेट पार्क लिंक एक्सप्रेस और 13-1-2007 से दिल्ली सराय रोहिल्ला से चलने वाली गाड़ी में एसी-3 टीयर का एक सवारी डिब्बा लगाया जा रहा है। वर्तमान में गाड़ी में अतिरिक्त स्लीपर सवारी डिब्बे की व्यवस्था परिचालनिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(ग) और (घ) जी नहीं, वर्तमान में महानगरों से उत्तरांचल तक अतिरिक्त गाड़ियों को शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों के ऊपर फ्लाई ओवरों का निर्माण

2227. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेल लाइनों के ऊपर राज्य-वार कितने फ्लाई ओवरों का निर्माण किया गया है;

(ख) क्या सरकार का विचार पंजाब के जालन्धर, होशियारपुर, नवांशहर, रोपड़ और अमृतसर जिलों में रेल लाइनों के ऊपर फ्लाई ओवर का निर्माण करने हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन फ्लाई ओवरों का निर्माण कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विवरण। संलग्न है।

(ख) और (ग) जी हां। सूचना जिला-वार नहीं रखी जाती बल्कि यह रेलवे जोन-वार रखी जाती है। बहरहाल, इस समय पंजाब में विभिन्न स्थानों पर उपरि सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के 27 कार्य लागत में भागीदारी के आधार पर, 3 कार्य निक्षेप शर्तों के आधार पर और 2 कार्य निर्माण, परिचालन और हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) के आधार पर स्वीकृत किए गए हैं और ये योजना एवं प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं। इसके अतिरिक्त उपरि सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के 7 कार्यों को दिसम्बर, 2006 की अनुपूरक अनुदान की मांगों के माध्यम से चालू निर्माण कार्यक्रम में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है। कार्यों की सूची विवरण-II के रूप में संलग्न है।

(घ) पुलों के निर्माण कार्य की प्रगति रेलवे द्वारा उपयुक्त पुल (रेलपथ के ऊपर) के निर्माण तथा राज्य सरकार द्वारा संपर्क मार्गों के निर्माण पर आधारित होती है। अतः पुल के

निर्माण कार्य का समापन दोनों द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा रहे कार्यों के समापन पर आधारित होता है। अतः कोई मिश्रित लक्ष्य निर्धारित करना संभव नहीं है। रेलवे, राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे संपर्क मार्गों का निर्माण के साथ-साथ या उससे पूर्व अपने हिस्से के कार्य को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती है।

विवरण-I

पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में लागत में भागीदारी के आधार पर शुरू किए गए और पूरे किए गए उपरि सड़क पुल/नीचले सड़क पुलों के कार्यों की संख्या

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	कुल
आन्ध्र प्रदेश	6	4	6	16
बिहार	–	–	–	–
झारखंड	–	–	2	2
छत्तीसगढ़	–	–	–	–
महाराष्ट्र	1	1	1	3
मध्य प्रदेश	1	2	1	4
केरल	6	–	6	12
कर्नाटक	1	2	1	4
तमिलनाडु	1	1	3	5
राजस्थान	1	1	–	2
उत्तर प्रदेश	1	–	1	2
पश्चिम बंगाल	1	3	–	4
उड़ीसा	–	–	–	–
पंजाब	1	2	–	3
असम	–	1	–	1
दिल्ली	–	2	–	2
कुल	20	19	21	60

इसके अतिरिक्त निक्षेप शर्तों पर 18 कार्य, 23 बी.ओ.टी. पर और 18 कार्य एन.एच.ए.आई. द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न राज्यों में पूरे किए गए।

विवरण-II

पंजाब में लागत में भागीदारी के आधार पर, निक्षेप शर्तों के आधार पर और निर्माण, परिचालन तथा हस्तांतरण (बी.ओ.टी.) अवधारणा के आधार पर स्वीकृत किए गए उपरि सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के कार्यों की सूची

लागत में भागीदारी आधार पर स्वीकृत

क्र. सं.	स्वीकृत करने का वर्ष	कार्य का नाम	रेलवे की लागत में भागीदारी करोड़ रुपयों में
1	2	3	4
1.	2001-02	पटियाला में समपार सं 22 ए के बदले उपरि सड़क पुल	4.08
2.	1997-98	जालंधर में निचले दो-मोडिया सड़क पुल सं. 28 में समपार सं.	4.90
3.	2001-02	फगवाडा में समपार सं. 77ए के बदले उपरि सड़क पुल	5.47
4.	2002-03	टांडा यार्ड में समपार सं. सी 64 के बदले उपरि सड़क पुल	4.62
5.	2003-04	सुची पिंड में समपार सं. 11 के बदले उपरि सड़क पुल	5.78
6.	2003-04	जगराव में समपार सं. ए-34 के बदले उपरि सड़क पुल	5.07
7.	2003-04	ब्यास में समपार सं. ए-44/टी-3 के बदले उपरि सड़क पुल	4.50
8.	2003-04	जी.टी. रोड से जोड़ते हुए खन्ना में समपार सं. 145बी के बदले उपरि सड़क पुल	4.15
9.	2003-04	खन्ना में समपार सं. 155बी के बदले उपरि सड़क पुल	4.63
10.	2003-04	ब्यास के निकट सुभानपुर में समपार सं. बी-52 के बदले उपरि सड़क पुल	4.76
11.	2003-04	जालंधर सिटी में समपार सं. ए-61 के बदले उपरि सड़क पुल	5.06
12.	2003-04	भोगपुरा में समपार सं. सी-40 के बदले उपरि सड़क पुल	4.61
13.	2003-04	खन्ना के निकट अंबाला-लुधियाना खंड पर घावापल्ली में समपार सं. सी-161 के बदले उपरि सड़क पुल	5.05
14.	2003-04	सुजानपुर में समपार सं. सी-42 के बदले उपरि सड़क पुल	6.41
15.	2003-04	अमृतसर में समपार सं. बी-2 के बदले उपरि सड़क पुल	5.39
16.	2003-04	जालंधर-लुधियाना खंड पर लायलपुर खालसा कालेज हाल्ट पर समपार सं. एस-3 के बदले उपरि सड़क पुल	6.36

1	2	3	4
17.	2003-04	बटाला में समपार सं. ए-26 के बदले उपरि सड़क पुल	7.04
18.	2003-04	दसुआ में समपार सं. सी-85 के बदले उपरि सड़क पुल	4.78
19.	2003-04	सूरानासी में समपार सं. ए-59 के बदले उपरि सड़क पुल	12.90
20.	2003-04	जालंधर सिटी-फिरोजपुर (डी.ए.वी. कालेज हाल्ट) में समपार सं. ए-2 के बदले उपरि सड़क पुल	5.99
21.	2003-04	संगरूर में समपार सं. ए-64/2 के बदले उपरि सड़क पुल	5.77
22.	2003-04	मोगा में समपार सं. सी-51/ए के बदले उपरि सड़क पुल	3.79
23.	2003-04	मानसा में समपार सं. बी-208 के बदले उपरि सड़क पुल	5.22
24.	2003-04	तरणतारण में समपार सं. बी-27 के बदले उपरि सड़क पुल	8.09
25.	2003-04	लुधियाना-जाखल और धुरी-भटिंडा खंडों पर समपार सं. क्रमशः 52-ए और 63-ए के बदले उपरि सड़क पुल	8.41
26.	2003-04	कैथल में समपार सं. 32बी के बदले उपरि सड़क पुल	5.20
27.	2005-06	राजपुरा-भटिंडा में समपार सं. 21 के बदले उपरि सड़क पुल	2.59
निक्षेप कार्य			
1.	2004-05	फिरोजपुर-फाजिल्का खंड पर कि.मी. 35/10 पर समपार सं. सी-36 के बदले उपरि सड़क पुल	निक्षेप
2.	2000-01	लुधियाना-जालंधर खंड पर लुधियाना में लक्कड़ पुल के बदले उपरि सड़क पुल	निक्षेप
3.	2003-04	सरहिंद-नंगलडैम खंड के बाई पास रोड पर मोरिण्डा में उपरि सड़क पुल	निक्षेप
बी.ओ.टी. अवधारणा के कार्य			
1.	2003-04	कुराली रोड में समपार सं. 24बी के बदले उपरि सड़क पुल	बीओटी
2.	2000-01	अंबाला-लुधियाना खंड के किमी. 367/3-4 पर ढंढारीकलां में समपार सं. 172 के बदले उपरि सड़क पुल	बीओटी
दिसम्बर, 2006 के लिए अनुपूरक अनुदान की मांगों के माध्यम से निर्माण कार्यक्रम 2006-07 में शामिल किए जाने हेतु प्रस्तावित कार्य			
1.	2006-07	भटिंडा में समपार सं. 245ए के निकट निचला सड़क पुल	3.87
2.	2006-07	लहरागागा में समपार सं. सी-95 के बदले उपरि सड़क पुल	7.05
3.	2006-07	दिल्ली-भटिंडा खंड पर भटिंडा में समपार सं. 242 के बदले उपरि सड़क पुल	9.21

1	2	3	4
4.	2006-07	राजपुरा-भटिंडा खंड पर भटिंडा में समपार सं. 139 के बदले उपरि सड़क पुल	7.03
5.	2006-07	अबोहर में समपार सं. बी-48 के बदले उपरि सड़क पुल	4.72
6.	2006-07	मलोट में समपार सं. बी-30 के बदले उपरि सड़क पुल	6.19
7.	2006-07	मानसा में समपार सं. बी-206 के बदले निचला सड़क पुल	3.99

[अनुवाद]

एन.ई.ए.एल.पी.-6 के अंतर्गत उत्पादन में हिस्सेदारी अनुबंध

2228. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार मध्य जनवरी तक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति को छठे दौर की बोलियों के अंतर्गत 55 तेल ब्लाकों में से 52 के लिए उत्पादन में हिस्सेदारी अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बोली प्रणाली की पारदर्शिता में कुछ अस्पष्टता आ गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) भारत सरकार ने नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के छठे दौर (एन.ई.एल.पी.-6) के तहत 55 अन्वेषण ब्लाकों (24 गहन जल, 6 उथले जल और 25 जमीनी ब्लाक) का प्रस्ताव किया है। 52 ब्लाकों के लिए 165 बोली प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सरकार द्वारा शीघ्र ही ब्लाक प्रदान करने का अनुमोदन किए जाने की संभावना है।

(ग) जी नहीं।

(घ) उपरोक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

अन्वेषण के कारण प्रदूषण

2229. डा. अरूण कुमार शर्मा: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान तेल अन्वेषण, छिद्रण और प्रसंस्करण क्षेत्रों में वायु, जल और मृदा प्रदूषण के नियंत्रणार्थ कितना निवेश किया गया है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान तेल संदूषण के कारण कुल कितने भू-भाग को नुकसान पहुंचा है;

(ग) क्या तेल कंपनियों ने इस प्रकार प्रदूषित मृदा को पुनः ठीक करने के लिए पर्याप्त कदम उठाए हैं;

(घ) यदि हां, तो इसकी विस्तृत प्रणाली तथा सफलता की दर क्या है;

(ङ) क्या क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट ने तेल उद्योग विकास बोर्ड (ओ.आई.डी.बी.) के वित्तपोषण से जैविक उपाय द्वारा कच्चे तेल से संदूषित मृदा को ठीक करने की एक तकनीक विकसित की है;

(च) यदि हां, तो तेल कंपनियों द्वारा इस तकनीक के प्रयोग से क्या परिणाम यदि कोई हों, प्राप्त किए गए हैं;

(छ) क्या सरकार किए जा रहे उत्पादक उद्देश्यों हेतु संदूषित मृदा को पुनः ठीक करने के लिए इस तकनीक का विस्तृत उपयोग सुनिश्चित करेगी; और

(ज) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) और निजी/संयुक्त उद्यम (जेवी) कंपनियों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान अन्वेषण, वेधन और संसाधन क्षेत्रों में वायु, पानी और

मिट्टी प्रदूषण के लिए किए गए निवेश क्रमशः 977.72 करोड़ रुपये, 77.00 करोड़ रुपये और 28.07 करोड़ रुपये हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान किसी भूमि नुकसान की रिपोर्ट नहीं मिली है। तथापि असामान्य स्थितियों में विभिन्न तेल संसाधन इकाइयों में जोड़ों में दरार और क्षरण/चोरी आदि के कारण पाइपलाइनों के यदाकदा दरार के कारण छोटे-मोटे बिखराव अपरिहार्य हैं। ऐसे तेल बिखरावों की स्थिति में तत्काल सुधारात्मक उपाय किए जाते हैं और बिखरे तेल को इकट्ठा किया जाता है तथा उसका नामनिर्दिष्ट अपशिष्ट संग्रह स्थल पर भंडारण किया जाता है। ऐसे जमीनी बिखराव आम तौर पर 15-25 मीटर से ज्यादा में नहीं फैलते।

ओ.एन.जी.सी. ने ऊर्जा और संसाधन संस्थान (टी.ई.आर.आई.), नई दिल्ली द्वारा विकसित विशिष्टतः पदनामित बैक्टेरिया कंसोरटियम का इस्तेमाल करते हुए प्रदूषित भूमि/तैलीय कीचड़ की बायो रेमीडिएशन की नवाचार और पर्यावरणीय रूप से उत्तम तकनीक का इस्तेमाल किया है। अब तक ओ.एन.जी.सी. ने असम और गुजरात में ओ.एन.जी.सी. स्थलों पर इस तकनीक का उपयोग करते हुए 5000 टन से अधिक प्रदूषित मिट्टी/तैलीय कीचड़ का सफलतापूर्वक उपचार किया है और बृहत ढंग से इसका विस्तार करने की योजना बनाई है।

(ङ) और (च) क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला, जोरहाट इस परियोजना पर कार्य कर रही है जो फिलहाल अनुसंधान और विकास (आर एंड डी) चरण पर है।

(छ) और (ज) मिट्टी के सुधार के लिए तकनीक का उपयोग वाणिज्यिक और औद्योगिक उपयोग के लिए इसकी एक बार पुष्टि होने पर किया जा सकता है। तेल कंपनियां किसी भी रूप में पर्यावरण और प्रदूषण का बचाव करने के लिए ऐसी सभी प्रौद्योगिकी को काम में लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति वि.जे.एन.टी. को आरक्षण

2230. **श्री हरिभाऊ राठौड़:** क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमुक्त जाति, खानाबदोश जनजाति (वि.जे.एन.टी.) से उन्हें अलग से आरक्षण देने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार का विचार अजा/अजजा के समान वि.जे.एन.टी. के कल्याण हेतु कतिपय अनन्य योजनाएं शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इन समुदायों से शिक्षा, रोजगार और सेवाओं के क्षेत्र में अलग से आरक्षण की व्यवस्था करने तथा इन समुदायों के लिए अलग निगम बनाने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं। इन समुदायों के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु सरकार द्वारा विमुक्त जातियों, खानाबदोश जनजातियों और अर्द्ध-खानाबदोश जनजातियों के लिए पहले से ही राष्ट्रीय आयोग गठित है।

(ग) वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

मिग-21 बाइजन्स का उपयोग

2231. **श्री अधीर चौधरी:**
श्री उदय सिंह:
श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि उन्नत मिग-21 जिन्हें बाइजन्स कहा जाता है, वे विमान चालकों के लिए दुःस्वप्न सिद्ध हो रहे हैं जैसाकि 10 सितंबर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय वायु सेना में शामिल मिग-21 बाइजन्स में से अब तक केवल एक तिहाई विमान ही युद्धक अभियानों में भाग लेने के लिए पूर्णतः तैयार हैं;

(ग) यदि हां, तो मिग-21 बाइजन्स के समूचे बेड़े का उपयोग नहीं करने के क्या कारण हैं;

(घ) ऐसे मिग-21 बाइजन्स का पूर्ण उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) चालू वर्ष के दौरान कितने मिग-21 बाइजन्स दुर्घटना-ग्रस्त/नष्ट हुए हैं और इनमें जान-माल की कितनी हानि हुई है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) बाइसन्स नामक उन्नयित

मिग-21 विमानों से भारतीय वायुसेना की युद्धक क्षमता में बढ़ोत्तरी हुई है।

(ख) से (घ) लगभग 90% विमानों का उन्नयन कर दिया गया है और शेष 10% का उन्नयन मार्च, 2007 तक कर दिए जाने की संभावना है। मौजूदा कठिनाइयों के चलते सभी उन्नयित मिग-21 बाइसन्स का भारतीय वायु सेना द्वारा इष्टतम उपयोग किया जा रहा है तथा नियमित अंतरालों पर इनकी रुटीन जांच तथा छोटे-मोटे सुधार किए जाते हैं।

(ङ) चालू वित्त वर्ष (2006-07) के दौरान मिग-21 बाइसन की किसी दुर्गठना की सूचना नहीं है। तथापि, भारतीय वायु सेना ने जनवरी, 2006 में एक बाइसन विमान खो दिया है तथा उसमें जान-माल की कोई हानि नहीं हुई है।

सकल घरेलू उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि

2232. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पर्यटक गंतव्यों, सुविधाओं, उचित संपर्क तथा सस्ता होने की बेहतर जानकारी का पर्यटन विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो क्या वर्ष 2002-03 के लिए भारत द्वारा विकसित प्रथम टूरिज्म सेटेलाइट अकाउन्ट (टी.एस.ए.) को अन्तर्राष्ट्रीय सिफारिशों के अनुपालन में तैयार किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव से पर्यटन का योगदान कुल सकल घरेलू उत्पाद का 5.83 प्रतिशत हो गया है और रोजगार के मामले में भी पर्यटन क्षेत्र का योगदान महत्वपूर्ण है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) इसके परिणामत: कितने रोजगार सृजन की संभावना है; और

(छ) इस स्थिति में आगे और सुधार लाने के लिए अन्य कौन से कदम उठाने का प्रस्ताव है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। वर्ष 2002-03 के लिए भारत द्वारा विकसित प्रथम टूरिज्म सेटेलाइट अकाउन्ट, संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय आयोग द्वारा अनुमोदित टी.एस.ए. हेतु रिकमेंडेड मेथडोलॉजिकल फ्रेमवर्क के अनुसार तैयार किया गया है और इसे संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकीय प्रभाग, आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन तथा विश्व पर्यटन संगठन द्वारा संयुक्त रूप से स्थापित किया गया है।

(घ) से (च) वर्ष 2002-03 के लिए टी.एस.ए. के अनुसार, सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष योगदान का 5.83 प्रतिशत का अनुमान था। रोजगार के संदर्भ में पर्यटन के प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष योगदान का 38.6 मिलियन रोजगार का अनुमान था, जो कि देश में कुल अनुमानित रोजगारों का लगभग 8.3 प्रतिशत है। वर्ष 2003-04 के लिए, सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के योगदान का अनुमान 5.90 प्रतिशत है और पर्यटन रोजगार का 41.85 मिलियन रोजगार का अनुमान है, जो कि कुल रोजगार संख्या का लगभग 8.8 प्रतिशत है।

(छ) देश में पर्यटन के संवर्धन तथा सकल घरेलू उत्पाद में पर्यटन के योगदान और रोजगार को बढ़ाने के लिए पर्यटन मंत्रालय द्वारा उठाए गए कदम हैं:-

- एक राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में पर्यटन विकास को अवस्थित करना और बनाए रखना;
- अंतर्राष्ट्रीय बाजार में एक पर्यटक गंतव्य के रूप में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना;
- सांस्कृतिक एवं हैरिटेज पर्यटक, ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्टन, स्वास्थ्य एवं हीलिंग पर्यटन, मेले और उत्सव, आदि जैसे मौजूदा उत्पादों का विकास, सुधार एवं विस्तार करना;
- अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करके पर्यटन अवसंरचना का सृजन करना; और
- इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में अतुल्य भारत अभियान, मेलों और प्रदर्शनियों में भागीदारी करने, सेमीनार, कार्यशाला एवं रोड शोज आयोजित करने, ब्रोशर और कोलेटर्ल्स आदि मुद्रित एवं वितरित करने के माध्यम से, एक अद्वितीय गंतव्य के रूप में भारत को अवस्थित करने के लिए प्रभावी, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्धात्मक मार्केटिंग रणनीति अपनाना;
- भमि के आवंटन तथा होटल परियोजनाओं के त्वरित कार्यान्वयन के लिए, सिंगल विंडो क्लीयरेंस सुविधाएं तैयार करने तथा एक प्रोएक्टिव भूमि आवंटन नीति अपनाने और गंतव्यों के लिए हवाई, रेल तथा सड़क संपर्क में सुधार करने के लिए, संबंधित मंत्रालयों एवं राज्य सरकारों के साथ मामले को उठाना।

डी.आर.डी.ओ. द्वारा आर.ओ.वी. का विकास

2233. श्री बापू हरि चौरे: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.), पुणे ने रोबोट के समान कार्यकरण की डिजाइन वाले एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हेकिल (आर.ओ.वी.) का विकास इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) को संभालने/निष्क्रिय करने के लिए किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रोबोट का परीक्षण किया गया है तथा इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन की एक स्थापना अनुसंधान तथा विकास स्थापना (इंजीनियर्स), पुणे ने भारतीय सेना के लिए एक रिमोटली ऑपरेटेड व्हेकल का विकास किया है जिसे इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस (आई.ई.डी.) को संभालने/निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। सेना की सहायता से "प्रयोक्ता सहायता-प्राप्त तकनीकी परीक्षण (यू.ए.टी.टी.)" पूरे कर लिए गए हैं। सेना द्वारा शीघ्र ही प्रयोक्ता परीक्षण किए जाने की संभावना है। इस उपस्कर को शामिल करने का निर्णय, सेना द्वारा प्रयोक्ता परीक्षणों के सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद ही लिया जाएगा।

मूल वेतन में महंगाई भत्ते का विलय

2234. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते का उनके मूल वेतन के साथ विलय करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह विलय कब तक किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) केन्द्रीय महंगाई भत्ता (सी.डी.ए.) पैटर्न का अनुसरण करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के मामले में महंगाई भत्ते का 50% उनके मूल वेतन में मिला दिया गया है। औद्योगिक महंगाई भत्ते (आई.डी.ए.) पैटर्न का अनुसरण करने वाले केन्द्रीय सरकारी उद्यमों के कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ते का 50% मूल वेतन में मिला देने के बारे में कोई निर्णय नहीं किया गया है। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के कार्यपालकों के लिए वेतन और अन्य संबद्ध पहलुओं पर अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए दिनांक 30-11-2006 को वेतन संशोधन समिति का गठन किया जा चुका है।

[हिन्दी]

सीमा सड़क संगठन की कार्य योजना

2235. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा सड़क संगठन के वार्षिक निर्माण कार्य योजना के संबंध में कोई आकलन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या निर्माण कार्य हेतु निर्धारित वार्षिक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होने से लागत में बढ़ोत्तरी हो रही है; और

(घ) यदि हां, तो निर्माण कार्य का समय से पूरा होना सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) चालू वर्ष के दौरान सीमा सड़क संगठन द्वारा निष्पादित किए जा रहे निर्माण-कार्यों का ब्यौरा इस प्रकार है:-

(i)	फार्मेशन कटिंग	–	1605 कि.मी.
(ii)	सर्फेसिंग	–	2880 कि.मी.
(iii)	री-सर्फेसिंग	–	2912 कि.मी.
(iv)	स्थाई संकर्म (परमानेंट वर्क्स)	–	950 करोड़
(v)	बड़े पुल	–	3792 मीटर

(ग) प्रत्येक वर्ष निर्धारित वार्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कभी-कभी निर्माण-कार्य, सुरक्षा कारणों, कठिन तथा प्रतिकूल भू-भाग, पर्यावरण तथा वन संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र में विलंब, भूमि अर्जन में देरी, बजटीय कठिनाईयों, जनशक्ति और अन्य संसाधनों में कमी के कारण प्रभावित होता है जिससे लागत पर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रियात्मक प्रभाव पड़ता है।

(घ) जनशक्ति में अभिवृद्धि का प्रस्ताव इस वर्ष अनुमोदित कर दिया गया है। कार्य के निष्पादन और वाहनों/उपस्करों/संयंत्रों/की खरीद के लिए बजटीय प्रावधान में वृद्धि की गई है। सुरक्षा संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र, भूमि अर्जन और पर्यावरण संबंधी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के मामलों को संबंधित मंत्रालयों/राज्य सरकारों के साथ नियमित रूप से उठाया जाता है।

[अनुवाद]

आंध्र प्रदेश में रेल परियोजनाएं

2238. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में शुरू की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) कितनी परियोजनाएं पूरी हुई हैं और कितनी परियोजनाओं में विलंब हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):

(क) से (ग) आंध्र प्रदेश में पूर्णत:/आंशिक रूप से आने वाली ऐसी रेलवे परियोजनाओं जिन्हें वर्ष 2001-02 से आगे पिछले पांच वर्षों के दौरान शुरू किया गया, का विस्तृत ब्यौरा उनकी वर्तमान स्थिति सहित नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रु. में)

परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	31-3-2006 तक गया खर्च	परिव्यय (2006-07)	वर्तमान स्थिति
1	2	3	4	5
		नई लाइनें		
मनोहराबाद-कोठापल्ली	378.56	–	3.95	नया कार्य बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू हो चुका है।
जगयापेटा-मल्लाचेरूवु	53.21	–	0.01	नया कार्य पूरक बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। वन अधिकारियों के साथ वन क्षेत्र में भूमि का संयुक्त सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है।
ओबुलावेरिपाले-कृष्णपट्टनम	426.34	–	10.00	इस परियोजना को शुरू करने हेतु एस.पी.वी. का सृजन करने के लिए कृष्णपटनम् पोर्ट, आंध्र प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय खनिज विकास निगम और रेल विकास निगम लि. (आर.वी.एन.एल.) के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए हैं। अंशधारक के समझौतों पर 13-10-2006 को हस्ताक्षर हुए हैं। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण से संबंधित प्रस्ताव संबंधित प्राधिकारियों को प्रस्तुत कर दिया गया है। इस परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य 2010-11 है।

1	2	3	4	5
विष्णुपुरम-जनफर	42.08	–	0.01	नया कार्य पूरक बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। इस कार्य को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर ली गई है।
		दोहरीकरण		
गुटी-रेणिगुंटा कहीं-कहीं दोहरीकरण	538.26	171.85	68.40	इस कार्य को एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण से किया जा रहा है। पुलामपेट-बकरापेट पर मिट्टी संबंधी बड़े पुलों, छोटे पुलों का कार्य शुरू किया जा चुका है। कुडापेट-मुड्डानुरू और कोंडापुरम-रायल-चेरूवु से संबंधित सड़क सतह, पुलों और रेलपथ के लिए 7-7-2006 को ठेका दे दिया गया है। सिगनलिंग संबंधी ठेका 30-6-2006 को दे दिया गया है। इस परियोजना को 2008-09 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
गुंटूर-कृष्णा कैनाल	53.01	–	10.00	नया कार्य बजट 2006-07 में शामिल किया गया है।
हासपेट-गुंतकल	350.21	160.74	60.00	गुंतकल-तोरंगुल्ल (81 किमी.) पूरा हो चुका है और इसे चालू कर दिया गया है। तोरंगुल्ल-हासपेट (32 किमी.) खंड का कार्य 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
रायचूर-गुंतकल	145.81	19.00	57.00	इस कार्य को एशियाई विकास बैंक के वित्त पोषण से रेल विकास निगम लि. द्वारा किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत अनुमान की स्वीकृति दे दी गई है। इस परियोजना को 2007-08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
कोट्टावलासा-सिंमहाचलम-नार्थ चौथी लाइन	86.32	–	0.01	नया कार्य पूरक बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। इन परियोजना को शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर दी गई है।
विजयनगरम-कोट्टावलासा तीसरी लाइन	167.67	–	5.00	नया कार्य पूरक बजट, 2006-07 में शामिल किया गया है। इस परियोजना के शुरू करने के लिए प्रारंभिक व्यवस्था कर दी गई है।

1	2	3	4	5
		महानगर परिवहन परियोजना		
हैदराबाद-मल्टी मॉडल उपनगरीय दैनिक परिवहन प्रणाली	85.92	52.18	0.52	कार्य पूरा हो गया है और इसे चालू कर दिया गया है।
		रेल विद्युतीकरण		
रेणिगुंटा-गुंतकल	182.55	75.78	7.00	रेणिगुंटा-नंदालूर और रेणीगुंटा से पुल्लाम-पेट तक की दूसरी लाइन का कार्य पूरा हो चुका है। इस कार्य को एशियाई विकास बैंक के वित्तपोषण से रेल विकास निगम लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।
कारेपल्ली-भद्राचलम-मनुगुरू	40.62	–	11.61	नया कार्य बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।
लिंगमपल्ली-वाडी	94.93	–	5.00	नया कार्य बजट, 2006-07 में शामिल किया गया है। प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिया गया है।

संसाधनों की समग्र उपलब्धता के अनुसार इन परियोजनाओं का कार्य चल रहा है। चालू परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए संसाधनों को बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। इनमें राज्य सरकारों द्वारा लागत की भागीदारी, सार्वजनिक/निजी हिस्सेदारी, रक्षा मंत्रालय से वित्त पोषण और राष्ट्रीय रेल विकास योजना और राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए निधि शामिल है।

[अनुवाद]

विमान परिचारिकाओं के प्रशिक्षण संस्थान

2237. श्री किरिप चालिहा: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देने वाली निजी संस्थाओं की संख्या तेजी से बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो क्या ये संस्थान सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इन संस्थानों को सरकार द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों/मानदण्डों का अनुपालन करने हेतु कोई अनुदेश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस मामले में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) नागर विमानन महानिदेशालय ने किसी भी निजी संस्थानों का अनुमोदन नहीं किया है जो विमान परिचारिकाओं को प्रशिक्षण देते हैं। मूल रूप से ये सभी संस्थान विमान परिचारिकाएं तैयार करने के लिए प्रारंभिक प्रशिक्षण देने में लगी हुई हैं तथा डी.जी.सी.ए. उनके कार्यकलापों पर निगरानी नहीं रखती है। तथापि, अनुसूचित एयरलाइनों द्वारा उनके कैबिन सहायक/विमान परिचारिकाओं को दिए गए प्रशिक्षण पर डी.जी.सी.ए. द्वारा निगरानी और जांच की जा रही है।

(ग) से (ङ) डी.जी.सी.ए. निजी संस्थानों को कोई अनुदेश जारी नहीं करता, चूंकि इस प्रकार की कोई अपेक्षाएं नहीं हैं जिसके लिए इसका अनुमोदन किया जाए। तथापि, एयरलाइनों को वायुयान नियम, 1937 के नियम 38 ख का अनुपालन करना होता है, जिसमें केबिन क्रू तथा उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम की विस्तृत आवश्यकताओं का उल्लेख किया जाता है, जिसके लिए डी.जी.सी.ए. का अनुमोदन लिया जाना आवश्यक होता है।

इसके अतिरिक्त, एयरलाइन आपरेटरों को, नागर विमानन अपेक्षाओं, खंड-7, सीरिज एम, पार्ट-I का अनुपालन करना अपेक्षित होता है जिसमें केबिन अटेंडेंट प्रशिक्षण के लिए सिलेबस सहित विस्तृत अपेक्षाओं का उल्लेख होता है।

तिरूवनन्तपुरम के निकट कोचुवेली टर्मिनल

2238. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार तिरूवनन्तपुरम के निकट कोचुवेली टर्मिनल के प्रथम चरण का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कार्य को पहले ही स्वीकृति दी जा चुकी है और कार्यान्वयनाधीन कार्य मदें कौन सी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) प्रथम चरण के लिए कुल अनुमानित व्यय कितना है; और

(च) क्या द्वितीय चरण के विकास के लिए योजना तैयार कर ली गयी है और यदि हां, तो इस पर अनुमानित व्यय सहित ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) कोचुवेली टर्मिनल का प्रथम चरण जिसमें, एक प्लेटफार्म सहित नए स्टेशन भवन, शंटिंग नेक, स्टैबलिंग लाइन और गर्त लाइन शामिल है, पूरा हो गया है और इसे यातायात के लिए खोल दिया गया है।

(ङ) 31-10-2006 तक कुल खर्च लगभग 9.83 करोड़ रुपए है।

(च) कोचुवेली टर्मिनल के द्वितीय चरण का कार्य, जिसमें प्लेटफॉर्म सायबान सहित उच्च स्तर के प्लेटफॉर्म, मरम्मत लाइन सुविधाएं, पानी ढोने की सुविधाएं, एकीकृत सेवा भवन आदि शामिल हैं, को 22 करोड़ रुपए की लागत पर बजट 2006-07 में शामिल कर लिया गया है। इस कार्य पर कोई खर्च नहीं किया गया है।

केरल में रेल परियोजनाओं का विकास

2239. श्री वरकला राधाकृष्णन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल में विभिन्न रेल परियोजनाओं के विकास हेतु दी गयी धनराशि अपर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या रेलवे का विचार केवल केरल के लिए एक नया रेल जोन बनाने का है जिसका मुख्यालय तिरूवनन्तपुरम हो ताकि राज्य में रेलवे के समय पर विकास तथा अवसंरचना सुविधाओं हेतु उचित हिस्सा प्राप्त करने में आने वाली मुश्किलों को दूर किया जा सके; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) केरल राज्य में पूर्णरूप से/आंशिक रूप से आने वाली परियोजनाओं के लिए चालू वित्त वर्ष में कुल 148.73 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं। निधि का आबंटन संसाधनों की समग्र उपलब्धता और राज्यवार फार्मूला के आधार किया जा रहा है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन केन्द्र के रूप में नांदेड़ को मान्यता

2240. श्री सुखदेव सिंह ढींडसा:
सरदार सुखदेव सिंह लिब्रा:
डा. रतन सिंह अजनाला:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से अन्तर्राष्ट्रीय तीर्थ व पर्यटन केन्द्र के रूप में महाराष्ट्र के नांदेड़ को मान्यता प्रदान करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) तीर्थ केन्द्रों सहित, पर्यटक रूचि वाले स्थानों/स्थलों का विकास तथा संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों द्वारा स्वयं किया जाता है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय, 10वीं पंचवर्षीय योजना से, प्रत्येक वर्ष राज्य सरकारों/संघ राज्य

क्षेत्र प्रशासनों को, निम्नलिखित योजनाओं के लिए, उनके साथ परामर्श से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है:-

(1) पर्यटक परिपथ

(2) गंतव्य विकास

(3) भारी राजस्व सृजक

(4) मेले और उत्सव

वर्ष 2006-07 के दौरान निम्नलिखित परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान की गई है:-

1. गंतव्य विकास : कुंकेश्वर
2. पर्यटक परिपथ : (क) कोल्हापुर परिपथ, (ख) मुम्बई फोर्ट परिपथ
3. कार्यक्रम/मेले/उत्सव : (i) एलीफेंटा, (ii) एलोरा, (iii) कालीदास, (iv) चिकलधारा

वर्ष 2006-07 के दौरान, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु, नांदेड़ के विकास के लिए किसी परियोजना प्रस्ताव को प्राथमिकता नहीं दी गई है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, महाराष्ट्र में पर्यटन के एकीकृत विकास हेतु 6009.08 लाख रुपए (आज की तारीख तक) स्वीकृत किए गए हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग

2241. श्री हितेन बर्मन: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बैंक ऋणों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्राथमिकता क्षेत्र बनाया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इससे उद्योग को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) सरकार ने संयंत्र और मशीनरी में 5 करोड़ रुपए तक का निवेश करने वाली छोटी और मंझोली खाद्य और कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों को बैंक ऋण के लिए प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया है। इस ऋण हेतु प्राथमिकता क्षेत्र में फल एवं सब्जी प्रसंस्करण, खाद्य अनाज मिलिंग, डेरी उत्पाद, पॉल्ट्री, अंडे और मांस उत्पाद, मछली प्रसंस्करण और डबलरोटी, बिस्कुट, कन्फेक्शनरी, खाने के लिए तैयार उत्पाद, तिलहन, वातित जल/मृदु पेय और अन्य प्रसंस्कृत खाद्यों जैसी उपभोक्ता वस्तुएं शामिल हैं।

(ग) प्राथमिकता क्षेत्र के अंतर्गत, इकाइयों को कम ब्याज दर पर ऋण मिलता है और ऋण अनुमोदन में उन्हें प्राथमिकता दी जाती है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को कम दर पर ऋण देने से उद्योग को बैंक से मिलने वाले ऋण में बढ़ोतरी होगी, देश की खाद्य प्रसंस्करण क्षमता बढ़ेगी और इस क्षेत्र में स्थित इकाइयों को व्यवहार्य बनाने में मदद मिलेगी।

रेल स्टील में हाइड्रोजन नियंत्रण

2242. श्री चौधरी लाल सिंह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशों में रेल विनिर्माता रेल इस्पात में हाइड्रोजन नियंत्रण हेतु टैंक डिगैसर या आर.एच. डिगैसर अथवा इन दोनों प्रक्रियाओं का उपयोग कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) भारत में रेल विनिर्माण हेतु उपयोग की जा रही प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या विनिर्दिष्टियां जारी की गयी हैं;

(ङ) क्या इन विनिर्देशों की समीक्षा करने तथा उनमें संशोधन करने के लिए एक स्वतंत्र धातु विज्ञानी समिति की स्थापना करने के लिए कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गयी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) विदेशों में रेल विनिर्माता रेल स्टील में हाइड्रोजन नियंत्रण के लिए दोनों प्रकार की पद्धतियों अर्थात् टैंक डिगैसर, आर.एच. डिगैसर का प्रयोग कर रहे हैं। यूरोपियन देशों में सामान्यतः आर.एच. डिगैसिंग पद्धति तथा अमेरिकी देशों में टैंक डिगैसिंग पद्धति का प्रयोग किया जाता है।

(ख) विदेशों में टैंक डिगैसर और आर.एच. डिगैसर प्रयोग करने वाले रेल विनिर्माताओं का विवरण रेल मंत्रालय में नहीं रखा जाता।

(ग) भारतीय रेल के एकमात्र सप्लायर भिलाई स्टील प्लांट, भिलाई हाइड्रोजन नियंत्रण के लिए आर.एच. डिगैसर का प्रयोग कर रहे हैं।

(घ) रेल मोल्टन स्टील से हाइड्रोजन हटाने के लिए विशिष्टियों हेतु संबंधित पैरा इस प्रकार है:-

"तरल स्टील की वैक्यूम डिगैसिंग हाइड्रोजन की मात्रा को कम करने के लिए की जाएगी। इस प्रयोजन के लिए, आर.एच. डिगैसर का प्रयोग किया जाएगा। वैक्यूम लेवल और अवधि जिसके लिए तरल स्टील को इस वैक्यूम लेवल के अंतर्गत रखा जाएगा, का विनिश्चय क्रेता और विनिर्माता के बीच आपसी सहमति से किया जाएगा। हाइड्रोजन के सभी आयाम तरल स्टील के लिए टंडिश या माउल्ड में किए जाएंगे। सैंपलिंग की कोई अन्य विधि या हाइड्रोजन के निर्धारण के लिए क्रेता का अनुमोदन आवश्यक होगा।"

(ङ) और (च) एक फर्म तथा लगभग 25 माननीय संसद सदस्यों ने इस संबंध में अभ्यावेदन दिया है। बहरहाल, रेल की गुणवत्ता में सुधार एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया है तथा विश्वभर की पद्धतियों से प्राप्त ज्ञान से रेल की विशिष्टयों को अद्यतन किया जाता है। 1999 से पूर्व भिलाई डिगैसिंग प्रक्रिया का प्रयोग नहीं कर रहा था जिसके परिणामस्वरूप मोल्टन रेल स्टील में हाइड्रोजन भारी मात्रा में जमा हो जाती है। भिलाई ने वैक्यू आर्क डिगैसिंग (वी.ए.डी.) का प्रयोग शुरू किया है जो कि पूर्णत: टैंक डिगैसिंग के समान है जिसे बाद में मई 2000 से आर.एच. डिगैसिंग में बदल दिया गया, जोकि एक बेहतर प्रक्रिया मानी जाती है। ऐसा विचार है कि यदि कोई प्रक्रिया रेल जैसी महत्वपूर्ण मद के लिए समान गुणवत्ता वाला उत्पाद बनाने का विश्वास पैदा कर सकती है तो ऐसी प्रक्रिया को अपनाने में कोई हानि नहीं है। रेल मंत्रालय के मतानुसार, आर.एच. डिगैसर एक बेहतर प्रौद्योगिकी है और इसकी विशिष्टयों को अपनाना चाहिए तथा इसलिए यह विनिश्चय किया गया है कि इस मामले की जांच करने के लिए धातु विशेषज्ञों की एक स्वतंत्र समिति बनाने का कोई विचार नहीं है।

इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर उपकरणों को लगाया जाना

2243. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर हवाई पट्टी को कार्यशील बनाने के लिए लगाए गए आयातित कोहरा रोधी उपकरण सर्दियों के मौसम में कोहरा होने पर काम करने में विफल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन उपकरणों की खरीद पर कितना व्यय आया है और इन्हें किन देशों से खरीदा गया है;

(घ) क्या इन उपकरणों को बदले जाने हेतु गारंटी है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) कोहरे की स्थिति में विमानपत्तनों पर विमान उतारने के लिए प्रभावी प्रणाली/उपकरण की अधिष्ठापना के लिए क्या कार्रवाई की गयी है/की जा रही है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने दिल्ली हवाईअड्डे पर कैट-III बी.आई.एल.एस. के प्रावधान के लिए कुल 55 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की। 43 करोड़ रुपए ग्राउंड लाइटिंग प्रणाली तथा बाधा निष्कासन सहित यू.एस.ए. से कैट-III-ए.आई.एल.एस. के संस्थापन पर खर्च किए गए। 12 करोड़ रुपए कैट-III-बी स्तर के प्रचालन के उन्नयन के लिए यू.एस.ए. से ए.एस.एम.जी.सी.एस. के संस्थापन पर खर्च किए गए।

(घ) से (च) कैट III बी.आई.एल.एस. के जमीनी हिस्सों की सभी अन्य सी.एन.एस. उपकरणों के समान खरीद कर ली गई है तथा इसे लगा दिया गया है। यह प्रारंभ में एक वर्ष की अवधि के लिए वारंटी के अधीन था। इसका रख-रखाव ए.ए.आई.सी.एन.एस. कार्यपालकों द्वारा किया जा रहा है। ए.एस.एम.जी.सी.एस. की अप्रैल, 2007 तक वारंटी के अधीन है।

श्रीलंका को सैन्य सहायता

2244. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार श्रीलंका को सैन्य सहायता देना बन्द करने का है जैसाकि 19 नवंबर, 2006 के 'राष्ट्रीय सहारा' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और कारण क्या हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान सहायता के रूप में श्रीलंका को दिए गए सैन्य उपकरणों का ब्यौरा क्या है और इन सैन्य उपकरणों की कीमत कितनी है; और

(घ) श्रीलंका को सैन्य उपकरण और हथियार देने का औचित्य क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) किसी मित्र देश को किसी भी तरह की सहायता देने का निर्णय राष्ट्रीय हित के आधार पर लिया जाता है। श्रीलंका के साथ रक्षा क्षेत्र में सहयोग में प्रशिक्षण तथा भारत और श्रीलंका के बीच पारस्परिक दौरे शामिल हैं। इनके बारे में निर्णय सरकार की प्राथमिकता और समय की उपलब्धता के आधार पर लिए जाते हैं।

[हिन्दी]

जबल डेकर मालगाड़ियां

2245. श्री अजीत जोगी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डबल डेकर मालगाड़ियों का प्रचालन शुरू करने हेतु मार्ग को अन्तिम रूप दे दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इसके लिए डबल स्टैक कंटेनर भी तैयार किए जा रहे हैं और ऐसी रेलगाड़ियों के लिए गति सीमा तय की गयी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी रेलगाड़ियों को कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) और (घ) पिपावाव-कनकपुरा मार्ग पर मार्च, 2006 से डबल स्टैक कंटेनर पहले ही चल रहे हैं। ऐसी रेल गाड़ियों की गति 75 कि.मी. प्रति घंटा है।

निजी विमान कंपनियों द्वारा समय सारणी का अनुपालन

2246. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री बी.के. दुम्मर:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि कतिपय निजी विमान कंपनियां घोषित समय सारणी का अनुपालन नहीं करती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ये निजी विमान कंपनियां अपने विमान धावन पट्टी/विमानपत्तन पर खड़ी करती हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस कारण इन निजी विमान कंपनियों से कोई अतिरिक्त प्रभार वसूला गया है;

(घ) यदि हां, तो गत दो वर्षों का तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या प्रावधान है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं/उठाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) निजी एयरलाइनें, सामान्यतः समय अनुसूची का पालन कर रही हैं। तथापि, कभी-कभी मौसम, तकनीकी कारणों, अनिवार्य सुरक्षा जांचों इत्यादि के कारण उड़ानें विलम्बित हो जाती हैं, इनमें से कुछ कारण, एयरलाइनों के नियंत्रण से बाहर होते हैं।

(ख) और (ग) विमानों द्वारा उड़ानें भरने एवं उतरने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे सक्रिय रनवे पर किसी भी विमान को खड़ा किए जाने की अनुमति नहीं है। एयरपोर्ट पर सभी विमान पार्किंग स्टैण्डों पर खड़े किए जाते हैं तथा एयरलाइनों पर सामान्य रूप से लागू पार्किंग एवं लैण्डिंग प्रभार उनसे लिए जाते हैं।

(घ) और (ङ) उपर्युक्त जवाब को देखते हुए लागू नहीं होता।

[अनुवाद]

पटना संग्रहालय में चोरी

2247. श्री निखिल कुमार: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही में पटना संग्रहालय से कांस्य की कई बेशकीमती प्रतिमाएं चोरी हो गई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा गायब प्रतिमाओं को ढूंढने तथा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 26 , सितम्बर, 2006 को जब संग्रहालय को जनता के लिए खोला गया तो यह नोटिस किया गया कि कांस्य की 18 मूर्तियां मौजूद नहीं थीं। चोरी हुई मूर्तियां पाल वंश के काल (9वीं शताब्दी ईस्वी से 12वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य) से संबंधित थीं।

(ग) बिहार राज्य सरकार ने पटना संग्रहालय में चोरी के मामले को 27 सितम्बर, 2006 को केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो को सौंप दिया है। इस संबंध में तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और चोरी हुई कांस्य की 18 मूर्तियों में से 17 मूर्तियां, कोलकाता से 2 और नालंदा जिला, बिहार से 15 बरामद कर ली गई हैं। बिहार राज्य सरकार से उन सभी संग्रहालयों और स्मारकों की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा और सुधार करने के लिए कहा गया है, जहां बहुमूल्य और दुर्लभ पुरावस्तुएं विद्यमान हैं।

[हिन्दी]

बजटीय सहायता

2248. श्री हेमलाल मुर्मू:

श्री राजेन गोहेन:

श्री रघुराज सिंह शाक्य:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में केन्द्र सरकार से अपनी लंबित और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु अतिरिक्त बजटीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा अपनी लंबित और निर्माणाधीन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। बजट 2006-07 को अंतिम रूप देते समय, चार राष्ट्रीय परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्रालय को 2,092 करोड़ रुपए की आवश्यकता बताई गई थी। वित्त मंत्रालय ने इसके लिए अभी तक 450 करोड़ रुपए प्रदान किए हैं जिसमें से 300 करोड़ की राशि दिसम्बर, 2006 में प्रस्तुत रेलों के लिए अनुदान की पूरक मांगों में शामिल की गई है।

(ग) रेलों पर विभिन्न लंबित और चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कई पहलकदमियां की गई हैं। इनमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी, राज्य सरकार की भागीदारी, अतिरिक्त बजटीय सहायता द्वारा राष्ट्रीय परियोजनाओं का वित्त पोषण, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण विभिन्न परियोजनाओं तथा गैर-बजटीय प्राथमिकताएं जैसे चालू परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए रेल विकास निगम लि. के माध्यम से विभिन्न परियोजनाएं शुरू करना शामिल है।

यूरोपीय संघ के साथ द्विपक्षीय समझौता

2249. श्रीमती मनोरमा माधवराज: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यूरोपीय संघ (ई.यू.) ने भारत के समक्ष संघ के सदस्य देशों के साथ हुए द्विपक्षीय समझौते के अप्रयुक्त हिस्से को अन्य सदस्य देशों के साथ बांटने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत ने यूरोपीय संघ के प्रस्ताव में कोई संशोधन करने की मांग की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) यूरोपीय आयोग ने होरीजैंटल करार पर हस्ताक्षर करने का प्रस्ताव रखा है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सदस्य देश द्वारा किसी काम्युनिटी वाहक जिसका प्रचालन उक्त देश में उपलब्ध है, द्वारा नामित किए जाने का प्रावधान है। होरीजैंटल करार पर चर्चा करने के लिए भारत तथा यूरोपीय संघ के बीच तीन दौर की वार्ता हो गई है। दोनों पक्ष प्राथमिकता के आधार पर होरीजैंटल करार को अंतिम रूप देने को सहमत हैं।

[अनुवाद]

आसनसोल रेल मंडल

2250. श्री हन्नान मोल्लाह: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान पूर्वी रेलवे के आसनसोल रेल मंडल के अंतर्गत रेल पथों की खतरनाक स्थिति की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) आसनसोल मंडल में रेलपथ की हालत संतोषजनक है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैश्विक तेल और गैस बाजार में भूमिका

2251. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अमेरिका ने वैश्विक तेल और गैस बाजार में उतार-चढ़ाव की जिम्मेदारी निर्धारित करने के अपने प्रयासों में भारत को एक भूमिका देने की पेशकश की है और कोयला क्षेत्र में सहयोग हेतु सरकारी ढांचे को उन्नत बनाने पर बल दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा उन पर क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) तेल और प्राकृतिक गैस मामलों पर अमेरिका के ऊर्जा सचिव को सलाह देने के उद्देश्य से राष्ट्रीय पेट्रोलियम परिषद द्वारा गठित वैश्विक तेल और गैस पर बनी समिति में भारत की भागीदारी के लिए ऊर्जा विभाग, संयुक्त राज्य अमेरिका (यू.एस.ए.) ने मांग की है। यद्यपि प्राथमिक जोर तेल और प्राकृतिक गैस मामलों पर है, अध्ययन अन्य ऊर्जा (उदाहरणत: कोयला, नाभिकीय तथा वैकल्पिक ईंधनों) तथा पर्यावरणीय मुद्दों की भी जांच पड़ताल करेगा। प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है।

उपरोक्त के अलावा, भारत-अमेरिका कोयला कार्य दल सक्रिय रूप से कोयला क्षेत्र में सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों को तलाश रहा है।

नई रेल लाइन

2252. श्री ए. साई प्रताप:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री एम. शिवन्ना:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री ललित मोहन शुक्लवैद्य:
डा. एम. जगन्नाथ:
श्रीमती सुमित्रा महाजन:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री मो. ताहिर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष और चालू वर्ष के दौरान अभी तक बिछाई गई रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें रेलवे ने स्वीकृति तो दे दी थी किंतु उन्हें अभी तक नहीं बिछाया जा सका है और उसके क्या कारण है;

(ग) इन्हें कब तक बिछाए जाने की संभावना है; और

(घ) चालू योजनावधि के दौरान जिन रेल लाइनों को बिछाया जाना है उनका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) दसवीं योजना के वर्ष 2002-03, 2003-04 और 2004-05 के दौरान बिछाई गई रेल लाइनों के ब्यौरे "ईयर बुक" में दिए गए हैं। वर्ष 2005-06 के दौरान बिछाई गई रेल लाइनों का ब्यौरा निम्नलिखित है:-

खंड	कि.मी.
संजौलि-ब्रिमगंज	12
बांका-बाराहाट	13
चंडीगढ़-मोरिंडा	45
कोलायत-फलौदी (भाग)	45
हसन-श्रवणबेलगोला	42
बिश्रामपुर-अंबिकापुर	23

2006-07 के दौरान पूरे होने वाले संभावित खंड निम्नलिखित हैं:-

खंड	कि.मी.
बिक्रमगंज-आर	56
सकरी-बिरौल	36
सीतामढ़ी-रूनीसैदपुर	30

खंड	कि.मी.
क्योंझर-तोमका	98
हथुआ-बथुआ बाजार	22
ऊधमपुर-कटरा	25
राजवियानेशर-काकापोड़े	37
करीमनगर-जगतियाल	48
कोलायत-फलौदी (शेष)	66
गांधीनगर-कलोल	10

(ख) और (ग) इस समय नई लाइन की वह परियोजनाएं हैं जिनमें से 12 पूरी हो चुकी हैं। नई रेल लाइनों की 81 परियोजनाओं पर भूमि और संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर कार्य जारी है। इन लाइनों के ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है और अगामी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के मद्देनजर पूरा किया जाएगा।

विवरण

चालू नई लाइन परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:-

क्र.सं.	परियोजना	किमी.
1.	मनोहरबाद-कोटपल्ली	148.9
2.	विषुपरुम-जनपहाड	11
3.	ओबुलावरीपल्ले-कृष्णापत्तनम	113
4.	जग्गयापेट-मल्लाचेरावू	19.1
5.	कोटिपल्ली-नरसापुर	57.21
6.	मछरेला-नलगोंडा	92
7.	काकिनाडा-पीठापुरम	21.5
8.	पेद्दापल्ली-करीमनगर-निजामाबाद	177.49
9.	नांदयाल-येरागुंतला	126
10.	मुनीराबाद-मेहबूबनगर	246
11.	गड़वाल-रायचूर	60
12.	पटना-पटना और हाजीपुर के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित गंगा पुल	19
13.	सकरी-हसनपुर	76
14.	खगड़िया-कुशेश्वरस्थान	42.3
15.	फतुआ-इस्लामपुर बहाली और शेखपुरा से नियोरा बरास्ता धनियावन	171.5
16.	आरा-सासाराम	98
17.	मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी	64.5
18.	मुंगेर-गंगा नदी पर रेल एवं सड़क पुल	19.8
19.	राजगीर-हिसुआ-तिलैया और इस्लामपुर-नातेश्वर वस्तुपरक आशोधन	67
20.	महाराजगंज-मसरख	36.155
21.	छपरा-मुजफ्फरपुर	84.65
22.	कोसी पुल	21.85
23.	हाजीपुर-सगौली	148.3
24.	देवगढ़-सुल्तानगंज, बांका-बाराहाट और बांका-मितियहा रोड	151.28
25.	कोडरमा-तिलैया	65
26.	हथुआ-भटनी	79.64
27.	मंदारहिल-रामपुरहाट बरास्ता दुमका	130
28.	दल्लीराजहरा-जगदलपुर	235
29.	गांधीनगर-अदरेज मोती-कलोल	20
30.	रेवाड़ी-रोहतक	81.26
31.	जींद-सोनीपत	88.9
32.	कालका-परवानू	7
33.	नांगल डैम-तलवाडा और मुकेरियां तलवाड़ा की साइडिंग का अधिग्रहण	83.74
34.	उधमपुर-श्रीनगर-बारामूला	292

क्र.सं.	परियोजना	किमी.
35.	कोडरमा-रांची	202
36.	गिरीडीह-कोडरमा	102.5
37.	देवगढ़-दमका	72.25
38.	काडूर-चिकमगलूर-सकलेशपुर	93
39.	हसन-बेंगलुरू	166
40.	गुलबर्गा-बिदर	140
41.	हुबली-अंकोला	167
42.	कोट्टूर-हरिहर बरास्ता हरपनहल्ली	65
43.	बेंगलुरु-सत्यमंगलम	260
44.	तानूर (कुट्टीपुरम)-गुरूवायूर	50.23
45.	अंगामालि-सबरीमाला	146
46.	अमरावती नारखेड़	138
47.	पनतम्बा-शिरडी	17.8
48.	बारामती-लोनंद	54
49.	अहमदनगर-बीड-पर्ली वैजनाथ	261.25
50.	गोधरा-इंदौर और देवास-मकसी	316
51.	रामगंजमंडी-भोपाल	270
52.	गुना-इटावा	344
53.	ललितपुर-सतना और रीवा-सिंगरौली	541
54.	डिब्रूगढ़ और नॉर्थ बैंक लाइन के बीच सम्बद्ध लाइनों सहित बोगीबील पुल	73
55.	हरमूतली-इटानगर	33
56.	दुघनोई-देपा	15.5
57.	न्यू मयनागुडी-जोगीधोपाश	257
58.	जीरीमबाम-इम्फाल रोड (तुपुल)	97.9
59.	कुमारघाट-अगरतला	109
60.	अंगुल-सुकिंदा रोड	98.76
61.	तालचेर-बिमलागढ़	154
62.	दैतारी-बांसपानी	155
63.	लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़	56
64.	खोरधा रोड-बोलनगीर	289
65.	हरिदासपुर-पारादीप	82
66.	तारनतारण-गोइंदवाल	21
67.	चंडीगढ़-लुधियाना	112
68.	ब्यास-डेरा बाबा जयमल सिंह	5
69.	अबोहर-फजिल्का	42.72
70.	कोलायत-फलौडी	111.39
71.	अजमेर-पुष्कर	31.4
72.	ढोसा-गुगापुर सिटी	92.67
73.	कारूर-सेलम	85
74.	इटावा-मैनपुरी	60
75.	रामपुर-लालकुंआ-काठगोदम राष्ट्रीय राजमार्ग पर ऊपरी सड़क पुल	0
76.	आगरा-इटावा बरास्ता फतेहाबाद और बाह	114.1
77.	किच्छा-खातिमा	51.5
78.	हवड़ा-अमटा	73.7
79.	हवड़ा-बर्धमान कॉर्ड के साथ जोड़ने वाले कुमारकुंडू बाईपास तक विस्तार सहि तारकेश्वर-बिष्णुपुर	85
80.	एकलाखी-बालुरघाट और गजौल-इटाहर	113.11
81.	अजीमगंज (नासीपुर)-जियागंज, घाट तक	6.6

विमानपत्तनों को अंतर्राष्ट्रीय मानक का प्रमाण-पत्र

2253. श्रीमती पी. सतीदेवी:
श्री कुलदीप बिश्नोई:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विमानपत्तनों के पास अंतर्राष्ट्रीय मानक वाला प्रमाणपत्र है;

(ख) क्या सरकार की उन विमानपत्तनों को उन्नत करने की कोई योजना है जिनके पास ऐसा प्रमाण-पत्र/लाइसेंस नहीं है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि देश के सभी विमानपत्तन अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (आई.सी.ए.ओ.) द्वारा निर्धारित सुरक्षा मानकों को पूरा करें?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) नागर विमानन महानिदेशालय ने देश में इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, दिल्ली, छत्रपति शिवाजी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, मुम्बई, कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा (सी.आई.ए.एल.) कोचीन को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन (इकाओ) की अपेक्षाओं के अनुरूपता में लाइसेंस जारी किए हैं जिनका उपयोग अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के लिए किया जा रहा है।

(ख) अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित करने वाले अन्य सिविल हवाईअड्डों की लाइसेंसिंग की प्रक्रिया प्रगति पर है।

(ग) लाइसेंसिंग प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिवहन सेवाओं के लिए उपयोग किए जाने वाले चेन्नई, कोलकाता, त्रिवेन्द्रम, जयपुर, वाराणसी, लखनऊ, अहमदाबाद, कालीकट, कोयम्बतूर तथा हैदराबाद हवाईअड्डों की पहले ही जांच की जा चुकी है और जांच के दौरान पाई गई कुछ कमियों पर हवाईअड्डा प्रचालक, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा उपरोक्त हवाईअड्डों पर आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई कर लिए जाने के बाद इन हवाईअड्डों के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे।

(घ) सरकार ने पहले ही वायुयान नियमावली, 1937 में अनुसूचित उड़ान प्रचालकों के लिए उपयोग किए जाने वाले एयरोड्रमों की लाइसेंसिंग के लिए अपेक्षाएं समाविष्ट कर ली हैं। लाइसेंसिंग की प्रक्रिया के दौरान नागर विमानन महानिदेशालय सुनिश्चित करता है कि एयरोड्रम इकाओ के दस्तावेजों में यथोपेक्षित संरक्षा मानकों को पूरा करते हों।

[हिन्दी]

हवाईपट्टियों पर विमानों का एक साथ उड़ान भरना और उतरना

2254. श्री पारसनाथ यादव: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व के कई विकसित देशों में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान हवाईपट्टी से एक साथ उड़ान भरते हैं और उतरते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार का विचार मुंबई और दिल्ली विमानपत्तन स्थित हवाईपट्टियों पर विमानों के एक साथ उड़ान भरने और उतरने की व्यवस्था करने का भी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां।

(ग) दोनों रनवे के साथ-साथ इस्तेमाल किए जाने की प्रक्रिया पर कार्रवाई कर ली गई है और इन्हें, दिल्ली व मुम्बई के एयरपोर्टों पर व्यस्त यातायात समय के दौरान साथ-साथ इस्तेमाल किया जा रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जमशेदपुर विमानपत्तन

2255. श्री सुनिल कुमार महतो: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जमशेदपुर विमानपत्तन का विस्तार करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जमशेदपुर एयरपोर्ट, टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी (टिस्को) का है और इस एयरपोर्ट से प्रचालन करने के लिए किसी भी नामित एयरलाइन प्रचालक ने प्रचालन हेतु अपनी प्रतिबद्धता नहीं दी है। इसलिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा.) की, इस एयरपोर्ट का उन्नयन किए जाने की कोई योजना नहीं है। तथापि, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण इस एयरपोर्ट पर, फिलहाल **डॉपलर वेरी हाई ओम्नी रेंज** (डी.वी.ओ.आर.) तथा **डिस्टेंस मेजरिंग इक्विपमेंट** (डी.एम.ई.) जैसी एनरूट नेवीगेशनल सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है।

खजुराहो, सांची और ओरछा का विकास

2256. श्री कृष्णा मुरारी मोघे: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से तीन ऐतिहासिक स्थानों खजुराहो, सांची और ओरछा को जोड़ने और इस कार्य को एक वृहत परियोजना मानने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, वृहत परियोजना के रूप में विकास हेतु तीन ऐतिहासिक स्थानों खजुराहो, सांची और ओरछा को जोड़ने के लिए कोई परियोजना प्रस्ताव मध्य प्रदेश की राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय ने मध्य प्रदेश राज्य में पर्यटन के एकीकृत विकास के लिए, वर्ष 2005-06 के दौरान, 3037.39 लाख रुपए की लागत की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिनमें निम्नलिखित परिपथ शामिल थे:

(1) ग्वालियर-ओरछा-खजुराहो क्षेत्र पर पर्यटक परिपथ के एकीकृत विकास हेतु 461.09 लाख रु.

(2) सांची-भोपाल-भोजपुर-भीमबेटका-पंचमढ़ी पर पर्यटन परिपथ के एकीकृत विकास हेतु 715.45 लाख रु.।

[अनुवाद]

ओ.एन.जी.सी. द्वारा प्रदत्त रायल्टी

2257. श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम द्वारा सरकार को दी गई रायल्टी कच्चे तेल के वास्तविक अंतर्राष्ट्रीय मूल्य पर आधारित है;

(ख) यदि हां, तो पिछले वर्ष और इस वर्ष ओ.एन.जी.सी. द्वारा रायल्टी की कितनी रकम का भुगतान किया गया है;

(ग) क्या ओ.एन.जी.सी. को कठोर रायल्टी शर्त को पूरा करने के लिए अपने कच्चे तेल को कम कीमत पर बेचना पड़ा था;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार अपने दृष्टिकोण की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ओ.एन.जी.सी. ने सूचित किया है कि उनके द्वारा कच्चे तेल के बिक्री मूल्य पर सरकार को भुगतान की जाने वाली रायल्टी अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों से संबद्ध है। तथापि, अपतट कच्चे तेल के संबंध में रायल्टी के भुगतान के लिए राजसहायता छूट का समायोजन किया जाता है।

(ख) गत दो वर्षों के दौरान ओ.एन.जी.सी. द्वारा कच्चे तेल पर भुगतान की गई रायल्टी की धनराशि निम्नानुसार है:-

(रुपए करोड़ में)

	2005-06	2004-05
केन्द्रीय सरकार	1774.92	1795.77
राज्य सरकारें	2182.14	1499.18
कुल	3957.06	3294.95

(ग) जी नहीं। ओ.एन.जी.सी. सख्त रायल्टी शर्तों को पूरा करने हेतु अपना कच्चा तेल कम दर पर नहीं बेच रही है। तथापि, चूंकि अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में पूर्ण वृद्धि को उपभोक्ताओं पर अंतरित नहीं किया जाता है, इसलिए ओ.एन.जी.सी. समेत अपस्ट्रीम कंपनियां कच्चे तेल पर छूट के द्वारा राजसहायता देकर डाउनस्ट्रीम कंपनियों को आर्थिक सहायता देती है।

(घ) से (ङ) लागू नहीं होता।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों पर सुरक्षा का मसौदा

2258. श्री रघुराज सिंह शाक्य: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में विमानपत्तनों की सुरक्षा के बारे में कोई कानूनी मसौदा तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न विमानपत्तनों पर सुरक्षा इंतजाम हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) प्रस्तावित कानून कब तक लागू किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) पहले सरकार देश में हवाई अड्डों की सुरक्षा के लिए एक पृथक नागर विमानन सुरक्षा अधिनियम लाने पर मनन कर रही थी। तथापि, विस्तृत जांच के बाद यह निर्णय किया गया है कि नागर विमानन सुरक्षा के लिए सांविधिक कानूनी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराने के लिए वायुयान अधिनियम, 1934 में संशोधन पर्याप्त रहेगा। इसलिए एक पृथक नागर विमानन सुरक्षा अधिनियम आवश्यक नहीं है।

(ग) और (घ) नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो हवाई अड्डों पर सुरक्षा संबंधी आवश्यकताओं का निर्धारण करने और राष्ट्रीय नागर विमानन सुरक्षा कार्यक्रम के अनुसार सुरक्षात्मक उपाय अनुशासित करने के लिए विभिन्न हवाई अड्डों पर सुरक्षा प्रबंध करने के लिए सुरक्षा सर्वेक्षण करता है। एक नया हवाई अड्डा चालू करने अथवा एक गैर-प्रचालनिक हवाईअड्डे को प्रचालनरत करने से पहले, यह सुनिश्चित करने के लिए, कि ऐसे हवाईअड्डे को चालू करने से पूर्व सुरक्षा प्रबंध मौजूद हैं, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशालय, संबंधित एयरलाइनों और हवाई अड्डा सुरक्षा एकक के प्रभारी द्वारा संयुक्त सुरक्षा सर्वेक्षण किया जाता है।

(ङ) उपरोक्त (क) तथा (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना

2259. **श्री रायापति सांबासिवा राव:**
श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश तथा विदेश में भारतीय संस्कृति का प्रसार करने हेतु गत दो वर्षों के दौरान कौन-कौन से कार्यक्रम बनाए गए हैं जिन्हें चालू वर्ष के दौरान लागू किये जाने का प्रस्ताव है;

(ख) इन कार्यक्रमों को लागू करने के फलस्वरूप क्या परिणाम निकले; और

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारतीय संस्कृति का प्रसार, संस्कृति मंत्रालय को सौंपे गए कार्यों में से एक है। पिछले दो वर्षों में, मंत्रालय ने भूटान, रूस और जर्मनी में भारतीय संस्कृति के संबंध में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए। इसके अतिरिक्त, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इत्यादि में भारतीय संस्कृति के संबंध में बड़ी प्रदर्शनियां लगाई गई। ब्रूसेल्स में तेजस शीर्षक वाली एक बड़ी प्रदर्शनी लगी हुई है और लंदन में चोल-कांस्य की एक प्रदर्शनी चल रही है। सांस्कृतिक आदान-प्रदान कार्यक्रम के अंतर्गत दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, साइप्रस, जर्मनी और मंगोलिया जैसे देशों में कई कला प्रदर्शनियां आयोजित की गईं। फ्रैंकफर्ट पुस्तक मेले 2006 के संबंध में फ्रैंकफर्ट में एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम मंचित किया गया। म्यूनिख में अमृता शेरगिल पर एक बड़ी प्रदर्शनी दिखाई जा रही है। भारत के प्राचीन खजानों की एक प्रदर्शनी चीन में दिसम्बर, 2006 में लगाई जानी है।

(ख) इन कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप, विश्व में भारतीय सांस्कृतिक समृद्धि और पुरातनता की जागरूकता में सुधार हुआ है। आधुनिक भारतीय कला और भारतीय सांस्कृतिक कार्यक्रम इन संवर्धनों के परिणाम हैं।

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान, प्रदर्शनियों तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों पर व्यय की गई धनराशि लगभग 41 करोड़ रु. है।

होटल कमरों की आवश्यकता

2260. **श्री जे.एम. आरून रशीद:**
श्री दुष्यंत सिंह:
श्री मोहन सिंह:
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कितने पर्यटकों के आने का अनुमान है;

(ख) क्या सरकार ने खेलों के दौरान दिल्ली में होटल कमरों की आवश्यकता के बारे में कोई आकलन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने होटल कमरों की मांग को पूरा करने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा कार्य योजना को लागू करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) पर्यटन मंत्रालय को 2010 तक 12-15% प्रति वर्ष वृद्धि का अनुमान है।

(ख) और (ग) पर्यटन मंत्रालय ने यह आकलन किया है कि राष्ट्रमंडल खेल 2010 के लिए पर्यटकों तथा अतिथियों को आवास प्रदान करने के लिए दिल्ली के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में कुल 30,000 होटल कमरों की जरूरत होगी।

(घ) से (च) होटलों के लिए और अधिक स्थल आवंटित करने और बजट होटलों का संवर्धन करने के लिए, प्लॉटों की सीधी नीलामी के स्थान पर, वार्षिक किराया भुगतान को अपनाने के लिए भी डी.डी.ए., एल एंड डीओ, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय रेल, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आदि जैसी भू-स्वामित्व वाली विभिन्न एजेंसियों के साथ, पर्यटन मंत्रालय लगातार सम्पर्क कर रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने इन एजेंसियों से भूमि उपयोग में बदलाव आदि को मंजूरी देते हुए, होटलों के लिए ऊंचे एफ.ए.आर. पर विचार करने का भी अनुरोध किया है, ताकि भू-स्वामित्व वाले निजी उद्यमियों को भी होटलों के निर्माण की अनुमति दी जा सके। पर्यटन मंत्रालय ने "इन्क्रेडिबल इंडिया बेड एंड ब्रेकफास्ट" की भी एक योजना शुरू की है, जिसके अंतर्गत वो निवासी, जिनके पास रिक्त कमरे हैं, वे इन्हें पर्यटकों को उपयोग के लिए प्रदान कर सकते हैं।

रेल कर्मचारियों को द्वीपों का दौरा करने की सुविधाएं

2261. श्री मनोरंजन भक्त: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के कर्मचारी भारी संख्या में अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप सहित भारत में कहीं भी यात्रा करने के लिए एल.टी.सी. की सुविधा का लाभ उठा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल कर्मचारियों को इन द्वीपों की यात्रा करने की अनुमति नहीं है/पास सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) रेलवे कर्मचारी एल.टी.सी. की परिधि में नहीं आते हैं। ये रेल कर्मचारी (पास) नियम, 1986, जिसके तहत सुविधा पास की व्यवस्था की गई है, के अंतर्गत शासित हैं। रेलवे कर्मचारी को पास की सुविधा केवल भारतीय रेल नेटवर्क में यात्रा करने के लिए दिया जाता है।

(ग) केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के संबंध में एल.टी.सी. की सुविधा और रेलवे कर्मचारियों के लिए सुविधा पास दोनों अलग-अलग और अतुलनीय हैं।

(घ) इस समय इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चेन्नई में ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर

2262. श्री एम. शिवन्ना: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चेन्नई के निकट ओरागदान में "ग्लोबल ऑटोमोटिव रिसर्च सेंटर" स्थापित करने का कोई प्रस्ताव था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने जुलाई, 2007 में राष्ट्रीय मोटरवाहन परीक्षण और अनुसंधान एवं विकास अवसंरचना परियोजना (नैट्रिप) को अनुमोदित कर दिया है। इस परियोजना में दक्षिणी क्षेत्र के लिए एक सम्पूर्ण परीक्षण तथा होमोलोगेशन केन्द्र की स्थापना शामिल है जिसे लगभग 470 करोड़ रुपये की लागत पर विश्वस्तरीय आटोमोटिव अनुसंधान केन्द्र (जी.ए.आर.सी.) के रूप में चेन्नई के नजदीक ओरागदान में स्थापित किया जाएगा। इस क्षेत्र की आधारशिला भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 04 नवम्बर, 2006 को रखी गई।

ओ.एन.जी.सी. और गेल द्वारा रसोई गैस का विपणन

2263. श्री एन.एस.वी. चित्तन: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) और गेल (इंडिया) लिमिटेड को घरेलू रसोई गैस (एल.पी.जी.) का विपणन करने की अनुमति देने का है ताकि 75 प्रतिशत जनसंख्या तक खाना पकाने की गैस पहुंचाई जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) सरकार ने फरवरी 2005 में कुछ शर्तों व निबंधनों की शर्त पर, आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओ.एन.जी.सी.) तथा गेल इंडिया लिमिटेड (गेल) को स्वदेशी रूप से उत्पादित एल.पी.जी. के विपणन के लिए प्राधिकार प्रदान किया है। इन प्राधिकारों की शर्तें तथा निबंधन आगे अगस्त, 2005 में संशोधित किए गए थे।

वर्तमान में, देश में उपलब्ध एल.पी.जी. के एक बड़े भाग की आपूर्ति राजसहायता प्राप्त घरेलू एल.पी.जी. के रूप में की जाती है। वर्ष 2005-06 में कुल उपलब्ध एल.पी.जी. के लगभग 94.7% भाग का राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. के रूप में विपणन किया गया था। राजसहायता प्राप्त एल.पी.जी. का विपणन, तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि. (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (बी.पी.सी.) तथा हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. (एच.पी.सी.) द्वारा किया जा रहा है। सरकारी राजसहायता के अतिरिक्त तेल कंपनियां, इस उत्पाद के राजसहायता के भार में हिस्सेदारी करती हैं। नये प्रवेशकर्ता वाणिज्यिक/औद्योगिक एल.पी.जी. का विपणन करना चाहते थे तथा घरेलू एल.पी.जी. पर राजसहायता भी चाहते थे।

नये प्रवेशकर्ताओं द्वारा एल.पी.जी. विपणन से संबंधित प्रचलनात्मक मुद्दों की जांच की गई थी और अन्य बातों के साथ साथ घरेलू एल.पी.जी., जिसमें देशभर में बेची गई कुल एल.पी.जी. का एक बड़ा भाग शामिल है, पर राजसहायता को पूरा करने की वर्तमान व्यवस्था पर विचार करते हुए, वर्तमान में एल.पी.जी. का विपणन करने वाली कंपनियों की सूची को नहीं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है।

पर्यटन योजनाओं का विलय

2264. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या **पर्यटन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पर्यटक सर्किट समेकित विकास योजना और उत्पाद/अवसंरचना और गंतव्य विकास योजना के विलय को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत केन्द्र सरकार के अंशदान में वृद्धि की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) वर्ष 2006-07 में पर्यटन के विकास हेतु राज्यवार कितनी राशि आवंटित की गयी है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) मौजूदा पर्यटन उत्पादों में सुधार और नए पर्यटन उत्पादों को विश्व स्तर पर विकसित करने के लिए, पर्यटक ट्रैफिक के आधार पर अभिनिर्धारित प्रमुख गंतव्यों और परिपथों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता बढ़ाकर गंतव्य विकास के लिए 25.00 करोड़ रुपए और परिपथ विकास के लिए 50.00 करोड़ रुपए कर दी गई है। यह निर्णय भी लिया गया है कि अन्य गंतव्यों और परिपथों के लिए क्रमश: 5.00 करोड़ रुपए और 8.00 करोड़ रुपए की राशि की, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता की मौजूदा उच्चतम सीमा, अन्य परियोजनाओं के लिए जारी रहेगी।

(ङ) वर्ष 2006-07 के दौरान, पर्यटन के विकास हेतु किया गया कुल आबंटन 830 करोड़ रुपए है। आज की तारीख तक वर्ष 2006-07 के दौरान, पर्यटन अवसंरचना के विकास हेतु विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए स्वीकृत की गई वित्तीय सहायता संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

दसवीं पंचवर्षीय योजना के वर्ष 2006-07 के दौरान स्वीकृत की गई राज्यवार पर्यटक परियोजनाएं

(लाख रुपयों में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2006-07 (आज तक)		
		स्वीकृत परियोजना की सं.	स्वीकृत राशि	अवमुक्त राशि
1	2	3	4	5
1.	आन्ध्र प्रदेश	1	468.63	337.90

1	2	3	4	5
2.	असम	1	454.28	363.42
3.	अरुणाचल प्रदेश	8	893.40	714.73
4.	बिहार	0	0	0
5.	छत्तीसगढ़	9	946.38	757.10
6.	गोवा	0	0	0
7.	गुजरात	5	347.73	278.18
8.	हरियाणा	3	25.00	20.00
9.	हिमाचल प्रदेश	4	285.00	228.00
10.	जम्मू-कश्मीर	15	3292.73	2143.20
11.	झारखंड	0	0	0
12.	कर्नाटक	2	721.86	600.20
13.	केरल	6	466.39	373.11
14.	मध्य प्रदेश	4	1568.10	1254.40
15.	महाराष्ट्र	7	580.38	465.28
16.	मणिपुर	5	788.29	526.64
17.	मेघालय	2	15.00	12.00
18.	मिजोरम	1	5.00	4.00
19.	नागालैण्ड	5	468.94	375.17
20.	उड़ीसा	9	527.12	421.70
21.	पंजाब	6	864.45	691.56
22.	राजस्थान	7	638.39	510.70
23.	सिक्किम	1	5.00	4.00
24.	तमिलनाडु	9	1316.61	1056.03
25.	त्रिपुरा	1	4.15	3.32
26.	उत्तरांचल	6	528.99	428.19
27.	उत्तर प्रदेश	6	2883.43	2306.74

1	2	3	4	5
28.	पश्चिम बंगाल	4	952.36	757.38
29.	अंडमान एवं निकोबार	0	0	0
30.	चंडीगढ़	0	0	0
31.	दादर व नगर हवेली	0	0	0
32.	दिल्ली	3	20.00	17.00
33.	दमन व दीव	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0	0
35.	पांडिचेरी	0	0	0
	कुल	130	19067.61	14649.95

टिप्पणी: इसमें परिपथों, गंतव्यों, भारी राजस्व सृजक परियोजनाओं, ग्रामीण पर्यटन (साफ्टवेयर तथा हार्डवेयर) परियोजनाओं, आई.टी. कार्यक्रम एवं मेलों तथा उत्सवों से संबंधित परियोजनाएं शामिल हैं।

रक्षा उत्पादों के विकास मॉडल में परिवर्तन

2265. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार उन्नत रक्षा उत्पाद विकसित करने के वर्तमान मॉडल में भारी बदलाव लाने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार परियोजना व्यय और प्रबंधन में हिस्सेदारी करके शेयरधारकों की हिस्सेदारी को बढ़ाने पर भी विचार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया, 2006 की "बनाओ" श्रेणी के अनुसार, स्वदेशी विकास इस प्रकार किया जाएगा:-

(i) सभी सामरिक, जटिल और सुरक्षा संवेदनशील प्रणाली संबंधी कार्य रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन करेगा।

(ii) उच्च प्रौद्योगिकी जटिल प्रणालियों तथा उन्नयन संबंधी कार्य जिनके पास रक्षा उत्पादों के विनिर्माण का लाइसेंस हो, आयुध निर्माणी बोर्डों/सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/रक्षा मंत्रालय के पंजीकृत उद्योगों द्वारा शुरू किया जाएगा। इन प्रणालियों में स्वदेशी अंश न्यूनतम 30% होगा।

(iii) निम्न प्रौद्योगिकी विकसित प्रणाली सीधे भारतीय उद्योगों द्वारा इन प्रणालियों में स्वदेशी अंश न्यूनतम 50% होगा।

(ग) और (घ) जी, हां। जहां प्रणाली संरूपण जटिल हो, विकास में लगने वाला समय सापेक्षतः लंबा हो, प्रौद्योगिकीय जोखिम अधिक हो, वहां विकास लागत 80% (रक्षा मंत्रालय) तथा 20% (उद्योग) के अनुपात में विकास करने वाले एजेंसियों द्वारा मिलकर वहन की जाएगी।

कन्नड़ और तेलुगू को प्राचीन भाषा का दर्जा

2266. श्री सुरवरम सुधाकर रेड्डी:
श्री जी. करुणाकर रेड्डी:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भाषा विशेषज्ञों की समिति ने कन्नड़ को प्राचीन भाषा घोषित करने संबंधी अभ्यावेदनों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा उन पर क्या निर्णय लिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं और समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किए जाने की संभावना है;

(ङ) क्या सरकार को तेलुगू भाषा को भी एक प्राचीन भाषा घोषित करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्यवाही की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) भाषा-विज्ञान विशेषज्ञों की समिति की शीघ्र ही बैठक आयोजित की जाएगी।

(ङ) जी, हां।

(च) आन्ध्र प्रदेश सरकार तथा अनेक अन्य संगठनों ने तेलुगु को प्राचीन भाषा घोषित करने के लिए अभ्यावेदन किए हैं। ये अनुरोध भाषा-विज्ञान विशेषज्ञों की समिति के विचार हेतु साहित्य अकादमी को अग्रेषित कर दिए गए।

कर्नाटक में स्मारकों का प्रलेखन

2267. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य भर में फैले असंरक्षित और उपेक्षित स्मारकों के प्रलेखन हेतु एक प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) केन्द्र सरकार से मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है; और

(घ) राशि कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। प्रस्ताव का उद्देश्य एकीकृत कर्नाटक समारोह की स्वर्ण जयन्ती के एक भाग के रूप में सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य में फैले लगभग 25,000 से 30,000 असंरक्षित स्मारकों का प्रलेखन करना तथा एक विस्तृत सचित्र (इलस्ट्रेटिव) निर्देशिका तैयार करना था। परियोजना की अनुमानित लागत 100 लाख रुपए थी।

(ग) मांगी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

1.	आंकड़ों का संकलन तथा स्मारकों का डिजिटल प्रलेखन	40 लाख रुपए
2.	सूचना का समेकन, पुस्तक तथा सीडी की फॉर्मेटिंग	10 लाख रुपए
3.	व्यापक निर्देशिका का प्रकाशन	50 लाख रुपए
	कुल	100 लाख रुपए

(घ) यह सूचित किया गया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्मारकों तथा पुरावशेषों पर एक राष्ट्रीय मिशन शुरू कर रहा है तथा यह मिशन देश के सभी असंरक्षित स्मारकों तथा पुरावशेषों की सूची तैयार करेगा।

कर्नाटक में रेलवे बल कर्मियों की संख्या बढ़ाया जाना

2268. श्री एम. शिवन्ना: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में रेलवे बल कर्मियों की संख्या बढ़ाये जाने हेतु रेलवे से अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कर्नाटक सरकार ने रेलवे कर्मियों की संख्या बढ़ाने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त पदों पर आने वाले व्यय में भागीदारी के लिए अपनी स्वीकृति शीघ्र देने हेतु भी रेलवे से अनुरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित पदों के सृजन का एक प्रस्ताव भेजा है:

1.	पुलिस अधीक्षक		01
2.	पुलिस उप निरीक्षक (आरक्षित)	:	01
3.	सहायक उप निरीक्षक	:	02
4.	हैड कांस्टेबल	:	44
5.	कांस्टेबल	:	220

6.	महिला हैड कांस्टेबल	:	07
7.	महिला कांस्टेबल	:	13
		योग:	288

(ग) जी हां। बहरहाल, कर्नाटक सरकार ने दक्षिण पश्चिम रेलवे द्वारा उठाए गए मुद्दों का अभी तक जवाब नहीं दिया है और इन मुद्दों का स्पष्ट जवाब न दिये जाने तक, रेलवे के लिए आगे की कार्रवाई हेतु प्रस्ताव पर कार्रवाई करना संभव नहीं होगा।

(घ) दक्षिण पश्चिम रेलवे ने कर्नाटक सरकार को लम्बित जवाब देने के लिए अनुस्मारक जारी किए हैं।

[हिन्दी]

अल्पसंख्यक समुदाय की परिभाषा

2269. डा. राजेश मिश्रा:
श्री अवतार सिंह भडाना:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय हेतु कोई परिभाषा निर्धारित की है;

(ख) यदि हां, तो क्या संबंधित राज्यों की स्थिति के अनुसार अल्पसंख्यकों का निर्धारण किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या केरल और जम्मू व कश्मीर जैसे राज्यों में अल्पसंख्यक समुदायों के लोगों को अधिकारिक रूप से अल्पसंख्यक का दर्जा प्रदान किया गया है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) यह सुनिश्चित करने के लिए कि अल्पसंख्यकों को उपलब्ध सुविधाएं सभी राज्यों में अल्पसंख्यक लोगों को वास्तविक रूप में प्राप्त हो, इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) से (ङ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 2(ग) "अल्पसंख्यक" को परिभाषित करती है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए यह एक ऐसा समुदाय है, जिसे इस प्रकार से केन्द्र, सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए। तदनुसार, भारत सरकार ने पांच धार्मिक समुदायों, अर्थात् मुस्लिमों, ईसाइयों, बौद्धों, सिखों और पारसियों को राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया है।

छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल की राज्य सरकारों ने अपने सम्बद्ध राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियमों के अनुसार "जैनों" को अल्पसंख्यक समुदाय के रूप में अधिसूचित किया है।

राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 1(2) के अनुसार, ये अधिनियम, जम्मू एवं कश्मीर राज्य को छोड़कर पूरे भारत में लागू होता है।

(च) अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मंत्री का नया 15-सूत्री कार्यक्रम इस दिशा में एक प्रमुख कदम है।

[अनुवाद]

चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों का उन्नयन

2270. श्री सुनील खां:
श्री एस.के. खारवेनथन:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चेन्नई और कोलकाता विमानपत्तनों का उन्नयन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन दोनों विमानपत्तनों की वर्तमान स्थिति क्या है तथा इन विमानपत्तनों पर कार्य कब तक शुरू किए जाने और पूरा किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या चेन्नई और कोलकाता में दूसरा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाने का भी कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस मामले में निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) सरकार ने कोलकाता तथा चेन्नई हवाईअड्डों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार से संबंधित मामलों पर राज्य

सरकारों सहित सभी स्टेकधारकों से चर्चा करने तथा स्वीकार की जाने वाली कार्य विधि के संबंध में एकमत्तता स्थापित करने के लिए प्रयास आरंभ कर दिए हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अनुसूचित जातियों के लिए शैक्षणिक सुविधाएं

2271. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पूरे देश में अनुसूचित जातियों को बेहतर शिक्षा मुहैया कराने हेतु कोई विशेष योजना की रूपरेखा तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में विभिन्न राज्य सरकारों से कोई चर्चा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणाम क्या हैं; और

(ङ) उक्त योजना में केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की प्रस्तावित भागीदारी कितनी होगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) जी, हां।

(ख) योजनाओं के नाम इस प्रकार हैं:-

1. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए उच्चतर शिक्षा हेतु छात्रवृत्ति योजना;
2. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पब्लिक स्कूल शिक्षा;
3. अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए आवासीय स्कूल की स्थापना; और
4. अनुसूचित जाति के छात्रों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए नवोदय विद्यालय की विशेष योजना।

(ग) से (ङ) ब्यौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

जोधपुर विमानपत्तन का पुन: नामकरण

2272. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से जोधपुर सिविल विमानपत्तन का पुन: नामकरण किए जाने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्यवाही की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) जी, हां। दिनांक 20-08-2004 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3409 में दिए गए संसदीय आश्वासन के संदर्भ में, हवाईअड्डे के पुन: नामकरण किए जाने के पक्ष में राज्य सरकार के विचार प्राप्त हुए हैं। हवाईअड्डों के पुन: नामकरण करने के संबंध में मौजूदा नीति सामान्यत: घरेलू हवाईअड्डों के लिए शहर के नाम को रखे रहने के लिए है, क्योंकि सामान्यत: यात्री तथा आगंतुक तथा विशेषकर विदेशी पर्यटक, जो स्थानीय इतिहास से परिचित नहीं है, उनके लिए हवाईअड्डों को तब पहचान लेना अधिक आसान हो जाता है जब इसका नाम उस शहर के नाम पर रखा होता है जहां यह सेवारत होता है।

[अनुवाद]

वातानुकूलित 3 टीयर कम्पार्टमेंटों में सुविधाएं

2273. डा. एम. जगन्नाथ: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार अधिक सीटों व बेहतर डिजाइन वाला यात्रा अनुकूल वातानुकूलित 3 टीयर कोच चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वातानुकूलित 3 टीयर कम्पार्टमेंटों में और अधिक सुविधाएं मुहैया कराने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं/उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) से (घ) भारतीय रेल यात्री गाड़ियों की दशा सुधारने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहती हैं ताकि जहां तक संभव हो, वो यात्रियों को मित्रतापूर्वक व्यवहार प्रदान कर सकें। इस उद्देश्य के लिए डिजाइन में परिवर्तन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

मैसर्स एलस्तोम से प्रौद्योगिकी अंतरण के कारण, भारतीय

रेलों ने सिंके टॉफमैन बुश (एल.एच.बी.) डिजाइन के लिए वातानुकूलित टियर शयनयान डिब्बों सहित अधुनातन वातानुकूलित सवारी डिब्बों का निर्माण करना शुरू किया है। ये डिब्बे इस समय राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। इन डिब्बों का अंदरूनी भाग बहुत सुंदर बनाया गया है और इसमें यात्रियों को वहन करने की बेहतर क्षमता है। परंपरागत वातानुकूलित 3 टियर सवारी डिब्बों में 64 बर्थों के स्थान पर 75 व्यक्तियों की बेहतर यात्री वहन क्षमता वाली 'गरीब रथ' एक्सप्रेस गाड़ियों के लिए नए 3 टियर वातानुकूलित सवारी डिब्बे भी डिजाइन किए गए हैं जो अब रेलों पर चल रहे हैं।

ऐसे दो रेक पहले ही रेल डिब्बा कारखाना (आर.सी.एफ.), कपूरथला/सवारी डिब्बा कारखाना, चेन्नै में पहले ही निर्मित किए जा चुके है। सभी यात्री सुविधाएं अर्थात् स्नैक टेबलें, बोतल स्टैंड, दर्पण, पत्रिका रखने के स्थान, कॉम्पैक्ट फलोरोसेंट लाइट (सी.एफ.एल.) का प्रयोग करके बेहतर प्रकाश व्यवस्था और मोबाइल चार्जिंग सॉकेट आदि की व्यवस्था की गई है और इन सवारी डिब्बों में यात्रियों के आराम की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

इसके अलावा, सवारी डिब्बे के ढांचे की ऊंचाई बढ़ाकर एक नए 3 टियर वातानुकूलित सवारी डिब्बे का डिजाइन तैयार किया गया है और इसका नक्शा इस समय रेल मंत्रालय के विचाराधीन है जिसमें यात्री वहन क्षमता 81 यात्री प्रति सवारी डिब्बे तक और बढ़ा दिए जाने की संभावना है।

तेल और गैस अन्वेषण परियोजनाएं

2274. श्री जी.एम. सिद्देश्वर: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अन्वेषण परियोजनाओं का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) उन स्थानों का ब्यौरा क्या है जहां तेल/गैस नये सिरे से प्राप्त हुई है;

(ग) दसवीं योजनावधि के दौरान तेल और गैस उत्पादन हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) आज की तिथि के अनुसार अब तक किस हद तक लक्ष्य प्राप्त किया जा चुका है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.), ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा चल रही पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस अन्वेषण परियोजनाएं आंध्र प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल राज्यों में हैं। वर्ष 2006-07 (सितंबर, 2006 तक) में ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों द्वारा विस्तारित अन्वेषी इनपुट के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

राज्य	द्वि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण	त्रि-आयामी भूकंपीय सर्वेक्षण	वेधित अन्वेषी कूप
आन्ध्र प्रदेश	479.42	318.19	7
असम	381.13	362.18	7
गुजरात	981.83	366.70	21
हिमाचल प्रदेश	90.05	–	–
मध्य प्रदेश	166.80	–	–
राजस्थान	5.58	895.76	12
तमिलनाडु	–	932.79	7
त्रिपुरा	–	56.02	1

(ख) ओ.एन.जी.सी. ने वर्ष 2006-07 के दौरान तटीय क्षेत्रों में दो नई गैस खोजें की है यथा गुजरात में देलोबी तथा तमिलनाडु में आदिचापुरम, ओ.आई.एल. ने अपर असम के तिनसुखिया जिले में बाघजान क्षेत्रों में दो खोजें तथा सांती क्षेत्र में एक खोज की है, निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों ने राजस्थान और गुजरात राज्यों में तेल और गैस की खोजें की हैं।

(ग) और (घ) ओ.एन.जी.सी., ओ.आई.एल. तथा निजी/संयुक्त उद्यम कंपनियों के संबंध में दसवीं योजना के दौरान तेल और गैस के उत्पादन के लिए लक्ष्य/अनुमान तथा उपलब्धियां निम्नवत् हैं:-

	लक्ष्य (2002-07)	उपलब्धियां (सितंबर, 2006 तक)
मिलियन मीट्रिक टन (मि.मी.ट.) में कच्चा तेल उत्पादन	169.386	154.05
बिलियन घन मीटर (बी.सी.एम.) में प्राकृतिक गैस उत्पादन	177.480	135.367

पुणे विमानपत्तन पर विमानन सुविधाएं

2275. श्री सुरेश कलमाडी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि पुणे से कनेक्टिंग फ्लाइट्स काफी कम हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास पुणे हेतु राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कनेक्टिविटी प्रदान करने की योजना है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा पुणे विमानपत्तन का यथाशीघ्र उन्नयन करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) पुणे हवाईअड्डे से प्रति सप्ताह 331 घरेलू उड़ानें तथा 10 अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें प्रचालित हो रही हैं। अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइंस द्वारा प्रचालित की जाती हैं। सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांगों और व्यावसायिक साध्यता के आधार पर और मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अध्याधीन विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

(ङ) पुणे हवाईअड्डे का स्तरोन्नयन करने के लिए 14.56 करोड़ रुपए की लागत में मौजूदा भवन का विस्तार व आशोधन किया गया है ताकि सीमित अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों की व्यवस्था की जा सके तथा एक नए टैक्सी ट्रैक सहित 8 अदद पार्किंग स्टैंड वाले मौजूदा एप्रन का विस्तार 16.31 करोड़ रुपए की लागत पर किया गया है।

रंगराजन समिति रिपोर्ट की सिफारिशें

2276. श्री पी.एस. गढ़वी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डा. रंगराजन समिति द्वारा की गई सभी सिफारिशों की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत एवं क्रियान्वित की गयी सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) उन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है जिन्हें सरकार ने स्वीकार नहीं किया है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो समिति की रिपोर्ट की वर्तमान स्थिति क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) एक दीर्घ-कालीन मूल्यनिर्धारण नीति तैयार करने के उद्देश्य से, सरकार ने पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य निर्धारण तथा कराधान के विभिन्न आयामों की जांच के लिए प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष, डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में एक अंतर-मंत्रालयीन समिति का गठन किया था। समिति ने 17-2-2006 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों को व्यापक रूप से तीन समूहों में बांटा जा सकता है:-

1. पेट्रोल व डीजल के मूल्य निर्धारण पर:

(1) रिफाइनरी गेट पर मूल्यों के साथ-साथ खुदरा मूल्यों के निर्धारण हेतु व्यापार समता मूल्य-निर्धारण फार्मूला की ओर जाना; (2) सरकार को मूल्य-निर्धारण से दूरी बनाए रखने तथा प्रस्तावित फार्मूला के तहत खुदरा मूल्य को निर्धारित करने के लिए तेल कंपनियों को लोच की अनुमति देना; और (3) पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्कों को घटा कर 7.5% करते हुए प्रभावी संरक्षण को कम करना।

2. घरेलू एल.पी.जी. तथा पी.डी.एस. मिट्टी तेल के मूल्य-निर्धारण पर:

(1) राजसहायता प्राप्त मिट्टी तेल को केवल बी.पी.एल. परिवारों तक सीमित करना; (2) घरेलू एल.पी.जी. के मूल्य को 75/-रु. प्रति सिलेंडर तक बढ़ाना; (3) अपस्ट्रीम कंपनियों से अपस्ट्रीम सहायता प्रदान करने की पद्धति को समाप्त करना परन्तु उसके बदले ओ.आई.डी.बी. उपकर को 1800 मी.ट. के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 4800 मी.ट. करके उनके अंशदान को एकत्र करना; और (4) सरकार राजसहायता की बकाया लागत को बजट से पूरा करे।

3. उत्पाद शुल्कों की पुनर्संरचना:

विशिष्ट एवं मूल्य जमा के वर्तमान मिश्रण से शुद्ध विशिष्ट लेवी की ओर ले जाना तथा डीजल के शुल्कों को 5.00 रुपए प्रति लीटर तथा पेट्रोल को 14.75 रुपए प्रति लीटर पर अंशांकित करना।

समिति ने सिफारिश की है कि सिफारिशों के पहले दो सैटों को एकीकृत पैकेजों के रूप में लागू किया जाना चाहिए।

सरकार ने डा. रंगराजन समिति की रिपोर्ट की निम्नलिखित सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है:-

(1) पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को 10% से घटा कर 7.5% करते हुए व्यापार समता के सिद्धांत का कार्यान्वयन।

(2) तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा सरकार के साथ बिना पूर्व परामर्श के प्रत्येक माह में एक बार संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में स्वायत्त समायोजन की अनुमति प्रदान करना।

(3) पी.डी.एस. मिट्टी तेल पर राजसहायता को "सैद्धांतिक रूप से" केवल बी.पी.एल. परिवारों तक ही सीमित रखना।

पेट्रोल और डीजल के मूल्य निर्धारण को आयात समता से बदलकर व्यापार समता आधार पर किया गया (आयात और निर्यात समता मूल्य का भारित औसत 80:20 के अनुपात में है)। रिफाइनरियों के संरक्षण को आगे कम करते हुए पेट्रोल और डीजल पर सीमा शुल्क को दिनांक 16-6-06 से 10% से घटाकर 7.5% किया गया था। इस प्रकार सरकार ने रंगराजन समिति की प्रमुख सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

रेल परियोजनाएं

2277. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ रेल परियोजनाओं को राष्ट्रीय परियोजनाएं घोषित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन परियोजनाओं हेतु कितनी निधियां आबंटित की गयी है;

(घ) क्या इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु कोई समय-सीमा तय की गयी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) राष्ट्रीय परियोजनाओं का उनके पूरा होने की निर्धारित अवधि सहित ब्यौरा निम्नलिखित है।

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना का नाम	प्रत्याशित लागत	मार्च, 2006 तक किया गया खर्च	रेलों के सामान्य बजटीय सहायता से 2006-07 के लिए परिव्यय	वित्त मंत्रालय से 2006-07 में प्राप्त अतिरिक्त निधि	पूरा करने का लक्ष्य
1.	उद्यमपुर-श्रीनगर-बारामूला नई लाइन	8,000	2,986	–	1700	(i) कांजीगुंड-बारामूला, उद्यमपुर कटरा और राजवियानशेर-काकपोड़-2006-07 (ii) काजीगुंड-बारामूला का शेष-2007-08 (iii) कटरा-काजीगुंड-2009-10
2.	कुमारघाट-अगरतला नई लाइन	879.99	476.53	100	76	मार्च, 2007 तक पूरा करने का लक्ष्य दिसंबर, 2007 तक पूरा होने की आशा है।
3.	जिरीबाम-इम्फाल रोड (तुपुल) नई लाइन	727.56	2.57	15	70	मार्च, 2010
4.	मिग्रेंडिसा-डिट्टोकछेड़ा के बीच संरखेण सहित डमर्डिंग-सिल्चर और बदरपुरा से बेड़ियाग्राम आमान परिवर्तन का विस्तार	1496.42	512.96	115	246	मार्च, 2009

उपर्युक्त के अलावा, 04-12-2006 को संसद में पेश अनुदान की पूरक मांगों, 2006-07 में दीमापुर-कोहिमा और आजरा-बिरनीहाट नई लाइन परियोजनाओं को शामिल किया गया है।

पवन जनित्रों से विद्युत

2278. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ.एन.जी.सी.) ने विभिन्न राज्यों में पवन जनित्रों से विद्युत उत्पादित करने की योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह तरीका रक्षित डीजल अथवा गैस चालित जनित्रों (जेनरेटरों) की तुलना में कम लागत वाला है जो कि प्रदूषक साबित हो चुके हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तुलनात्मक ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा पवन जनित्रों से और अधिक विद्युत उत्पादित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी हां। ऑयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने रिपोर्ट दी है कि वर्ष 2007-08 के दौरान गुजरात और कर्नाटक राज्य प्रत्येक में एक 50 मे.वा. क्षमता वाली दो विद्युत परियोजनाएं विकसित करने की योजना है।

(ग) और (घ) पवन जनरेअर गैस से चलने वाले जनरेटरों के समतुल्य हैं किन्तु डीजल से चलने वाले जनरेटरों की तुलना में यह लागत प्रभावी हैं। ब्यौरे निम्नवत् है:-

स्रोत	अनुमानित लागत प्रति यूनिट (कि.वा.घ.) रु.
पवन	2.25-2.75
डीजल	5.50-7.00
गैस	2.40-2.70

(ङ) सरकार पवन विद्युत जनरेटर के कुछ पुर्जों पर रियायती आयात शुल्क प्रदान करते हुए, उत्पाद शुल्क में छूट, पवन विद्युत परियोजनाओं से होने वाली आय पर दस वर्षों तक कर छूट, त्वरित, ह्रास लाभ, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसियों (इरेडा) तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण, ग्रिड कनेक्शन के लिए राज्य नीतियां तथा पैदा की गई बिजली की बिक्री, पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी (सी.डब्ल्यू.ई.टी.) के लिए केन्द्र द्वारा तकनीकी सहायता तथा भविष्य में संभाव्य स्थलों का पता लगाने के लिए विस्तृत पवन संसाधन निर्धारण करते हुए देश में पवन विद्युत परियोजनाओं की स्थापना पर बल दे रही है।

एन.एम.डी.एफ.सी. द्वारा अल्पसंख्यकों को ऋण

2279. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख: क्या **अल्पसंख्यक मामले मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न राज्यों से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास और वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा किसी न किसी बहाने निर्धन अल्पसंख्यकों को ऋण स्वीकृत न किए जाने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): (क) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम (एन.एम.डी.एफ.सी.) द्वारा प्रदान की गई निधियों का एक बड़ा हिस्सा, राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों के माध्यम से दिया जाता है। इस निगम को किसी राज्य से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

कच्चे माल की मालसूची

2280. श्री रघुनाथ झा: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के भंडार की कच्चे माल की माल सूची में वार्षिक उपभोग की तुलना में अधिक कच्चा माल पाया गया है, जिससे कार्यशील पूंजी की पर्याप्त निधियां अवरूद्ध हुई पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र के कितने उपक्रमों में कच्चे माल की माल सूची में कच्चा माल वार्षिक उपभोग की तुलना में अधिक पाया गया है; और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) दिनांक 31-3-2005 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार, केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में 227 उद्यम प्रचालनरत थे और इनमें से केवल 6 उद्यम ऐसे थे, जिनमें कच्चे माल की मालसूची उनके वार्षिक उपभोग से अधिक थी। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के

इन 6 उद्यमों में से 4 उद्यम निरंतर लाभ अर्जित कर रहे हैं और इन उद्यमों के प्रचालन/कार्य की प्रकृति के कारण इन्हें यदा-कदा अधिक मालसूची रखनी पड़ती है। अन्य दो उद्यम घाटा उठाने वाले हैं तथा इनमें क्षमता उपयोग बहुत कम है और इनका मामला सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को पुनरुद्धार/पुनर्गठन पर उनके परामर्श के लिए पहले ही सौंपा जा चुका है।

राजस्थान में रेल उपरिपुल

2281. श्री सुभाष महरिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राजस्थान में स्वीकृति हेतु लम्बित रेल उपरिपुलों का ब्यौरा क्या है;

(ख) इन्हें कब तक स्वीकृति दिए जाने और निधियां जारी किए जाने की संभावना है; और

(ग) राजस्थान में चौकीदार रहित रेल समपारों की अनुमानित संख्या कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) 345 अदद "डी" श्रेणी पशु समपारों को छोड़कर 1600।

विवरण

(क) ऊपरि सड़क पुल संबंधी कार्य के निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकृति हेतु राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त हुए हैं:-

1. धोरमुल-जधीना पर समपार सं. 252 किमी. 1222/8-10 कि.मी. के बदले ऊपरि सड़क पुल।
2. गंगापुर सिटी-छोटी ओडई पर समपार सं. 180 किमी. 1096/8-10 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
3. रामगंज मंडी-मोरक पर किमी. 849/14-15 पर समपार सं. 82 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
4. कोटा जंक्शन, साउथ केबिन-डकनिया तालाब पर समपार संख्या 106 किमी, 913/18-20 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
5. झांसी-आगरा कैंट खंड पर किमी. 1292/20-22 पर समपार सं. 463 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
6. आबू रोड के निकट किमी. 601/7-8 पर समपार सं. 134-बी के बदले ऊपरि सड़क पुल।
7. किशनगढ़ के निकट किमी. 266/8-9 पर समपार सं. 28 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
8. दौसा के निकट किमी. 179/690 पर समपार सं. 181 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
9. बीकानेर के निकट किमी. 321/12-13 पर समपार सं. 138 के बदले ऊपरि सड़क पुल।
10. अजमेर-पालनपुर खंड पर किमी. 306/8-9 पर समपार सं. 5 ए/2 ई के बदले ऊपरि सड़क पुल।
11. अजमेर-चितौड़गढ़ खंड पर किमी. 120/8-9 पर समपार सं. 63/सी के बदले ऊपरि सड़क पुल।

(ख) आबू रोड के निकट समपार सं. 134-बी, किशनगढ़ के निकट किमी. 28 पर तथा दौसा के निकट समपार सं. 189 के बदले ऊपरि सड़क पुल का अनुपूरक अनुदान की मांगें दिसंबर, 2006-07 में शामिल किए जाने के लिए विचार किया जा रहा है तथा धारूमल-जधीना खंड पर समपार सं. 252 के लिए, गंगापुर सिटी-छोटी ओडई पर समपार सं. 180 तथा झांसी-आगरा कैंट खंड पर समपार सं. 463 के प्रस्तावों को आगामी निर्माण कार्यक्रम 2007-08 में शामिल किए जाने के लिए जांच की जा रही है। शेष 5 प्रस्तावों पर अगले वर्ष विचार किया जाएगा।

निजी विमान कंपनियों द्वारा विमान पट्टे पर लेना

2282. श्री ई. पोन्नुस्वामी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनेक निजी विमान कंपनियों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय विमान कंपनियों से विमान पट्टे पर लिए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने निजी कंपनियों द्वारा विमान पट्टे पर लेने के संबंध में कोई दिशानिर्देश जारी किए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 2005 के वैमानिकी सूचना परिपत्र सं. 9 के पैरा 6 में यथा निहित घरेलू हवाई परिवहन सेक्टर में विदेशी

इक्विटी भागीदारी के लिए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोई भी विदेशी वित्तीय संस्थान/कंपनी जो घरेलू हवाई परिवहन सेक्टर में निवेश करना चाहते हैं, वे किसी विदेशी एयरलाइन के अनुषंगी नहीं होंगे। तथापि, हवाई परिवहन प्रचालकों को विदेशी एयरलाइनों से ड्राईलीज पर विमान आयात करने की अनुमति दी जा सकती है। किसी स्रोत से वैट लीज पर लिए जाने के लिए भी, सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को पूरा करने के अध्याधीन, अनुमति दी जा सकती है।

राष्ट्रीय राइफल्स में कार्मिकों की संख्या

2283. श्री एम. राजा मोहन रेड्डी: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जम्मू व कश्मीर में उग्रवादियों से निपटने एवं सीमापार से होने वाली घुसपैठ को रोकने हेतु राष्ट्रीय राइफल्स में कार्मिकों की संख्या बढ़ाने हेतु कोई कदम उठाए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) 2001-2005 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय राइफल्स में कार्मिकों की संख्या में चरणबद्ध तरीके से बढ़ोत्तरी करते हुए उसे 36 बटालियनों से बढ़ाकर 63 बटालियन कर दिया गया था।

मिग-21

2284. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान कितने मिग विमान नष्ट हुए हैं;

(ख) क्या राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एन.ए.एल.) ने यह मन्तव्य व्यक्त किया है कि मिग-21 विमान अब अतिरिक्त 1000 घंटे अथवा अन्य 10 वर्षों तक प्रभावशाली रूप से उड़ सकेंगे;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस मंतव्य के संबंध में अन्य राय जानने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) 2001-02 से 30 नवंबर, 2006 तक की अवधि के दौरान कुल 53 मिग विमान नष्ट हुए हैं।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय वैमानिकी प्रयोगशाला (एन.ए.एल.) ने सिफारिश की है कि मिग-21 बिस और मिग-21 बाइसन की उपयोगिता अवधि में 1000 घंटे और 5 वर्ष तक की वृद्धि की जा सकती है।

(घ) और (ङ) इस मामले में किसी संगठन से एक अन्य राय लेना आवश्यक नहीं समझा गया है। तथापि, जब कभी आवश्यक होता है, विशेषज्ञों/संगठनों से तकनीकी परामर्श सदैव लिया जाता है। यह एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का विस्तार

2285. श्री टेक लाल महतो: क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार ग्याहरवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विस्तार और प्रचालन पर प्रतिवर्ष 100 बिलियन रुपए निवेश करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) और (ख) सरकार ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विभिन्न योजना स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहनों के जरिए देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना और अन्य संबंधित कार्यकलापों का संवर्धन करेगी। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए निवेश संबंधी प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

केरोसीन की उपलब्धता

2286. श्री विजय कृष्ण:

श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति केरोसीन की उपलब्धता कितनी है;

(ख) क्या सभी राज्यों में केरोसीन की उपलब्धता राष्ट्रीय औसत के अनुसार है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस अंतर को पाटने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (घ) वर्तमान वर्ष 2006-07 के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पी.डी.एस.) के तहत वितरण के लिए राज्य/संघ शासित क्षेत्रवार (यूटीज) प्रति व्यक्ति मिट्टी तेल के आवंटन के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

भारत सरकार राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को ऐतिहासिक आधार पर मिट्टी तेल आवंटित करती है और कुछ राज्यों के मामले में प्रति व्यक्ति आवंटन राष्ट्रीय औसत से कम है।

एस.के.ओ. के आबंटन में बढ़ोत्तरी करने हेतु विभिन्न राज्य सरकारों से प्राप्त हुए अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने दिसंबर 2004 में राष्ट्रीय अनुप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एन.सी.ए.ई.आर.) के माध्यम से देश में मिट्टी तेल की मांग के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन किया। एन.सी.ए.ई.आर. ने अक्तूबर, 2005 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और साथ-साथ राज्यों के बीच मिट्टी तेल के आबंटन को युक्तिसंगत बनाने की सिफारिश की है। एन.सी.ए.ई.आर. की सिफारिशें भारत के विचाराधीन है।

विवरण

वर्तमान वर्ष 2006-07 के दौरान एस.के.ओ. का राज्यवार प्रति व्यक्ति आबंटन

राज्य/संघ शासित क्षेत्र	(आंकड़े कि.ग्रा. में)
अंडमान और नीकोबार द्वीप समूह	16.32
आन्ध्र प्रदेश	6.83
अरुणाचल प्रदेश	8.48
असम	9.49
बिहार	7.81
चंडीगढ़	14.50
छत्तीसगढ़	7.07
दादरा और नागर हवेली	12.62
दमन और दीव	13.40
दिल्ली	12.22
गोवा	14.29
गुजरात	14.70
हरियाणा	6.91
हिमाचल प्रदेश	8.32
जम्मू-कश्मीर	7.55
झारखण्ड	7.85
कर्नाटक	8.75
केरल	6.79
लक्षद्वीप	13.12
मध्य प्रदेश	8.09
महाराष्ट्र	13.20
मणिपुर	8.33
मेघालय	8.85
मिजोरम	6.98
नागालैंड	6.69
उड़ीसा	8.58
पांडिचेरी	12.59
पंजाब	9.77
राजस्थान	7.06
सिक्किम	10.33
तमिलनाडु	9.00
त्रिपुरा	9.66
उत्तर प्रदेश	7.48
उत्तरांचल	10.60
पश्चिम बंगाल	9.38
राष्ट्रीय औसत	8.92

[अनुवाद]

रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन की लंबित परियोजनाएं

2287. श्री फ्रांसिस फैन्थम:

श्री नवीन जिन्दल:

श्री गुरजीत सिंह राणा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) देश में अपने उपभोक्ताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो डी.आर.डी.ओ. के विलंब से चल रहे विभिन्न प्रकार के मिसाइल/टैंक कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार डी.आर.डी.ओ. के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(घ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार डी.आर.डी.ओ. के साथ मिलकर रक्षा परियोजनाओं पर काम करने हेतु निजी क्षेत्र की कंपनियों को शामिल करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) सरकार द्वारा सशस्त्र बलों की तैयारी सुनिश्चित करने तथा डी.आर.डी.ओ. की क्षमता बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, नहीं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) ने सेनाओं को इलेक्ट्रॉनिक युद्ध पद्धति, रडार, संचार, प्रक्षेपास्त्र, युद्धक विमान, युद्धक वाहन, नौसेना प्रणालियों, मिश्रित सामग्री, इत्यादि के क्षेत्र में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों से लैस कर दिया है। एकीकृत मार्ग निर्देशित प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम (आई.जी.एम.डी.पी.) तथा मुख्य युद्धक टैंक (एम.बी.टी.) अर्जुन टैंक में विलंब, वास्तविक तकनीकी कठिनाइयों, उद्योग में उत्पादन के दबाव, पाबंदियां, जिनके कारण अतिरिक्त कार्य बढ़े, आदि के कारण हुआ था लेकिन, अंततः सशस्त्र सेनाओं ने इन परियोजनाओं के माध्यम से अत्याधुनिक एम.बी.टी. अर्जुन टैंक तथा पृथ्वी-1, पृथ्वी-2, अग्नि-1, अग्नि-2, धनुष (पृथ्वी का नौसेना संस्करण), आदि जैसे प्रक्षेपास्त्रों का अधिग्रहण कर लिया।

(ग) जी, नहीं। इस संबंध में तत्काल कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) जी, हां। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.)-2006 में सरकार द्वारा प्रस्तावित "बनाओ" श्रेणी के अनुसार निजी क्षेत्र की कंपनियां, अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में शामिल की जाएंगी।

[हिन्दी]

रेलवे प्लेटफार्म

2288. श्री सीताराम सिंह:

श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को जानकारी है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बल्लभगढ़, न्यू इन्डस्ट्रीयल टाउन और ओल्ड फरीदाबाद में जहां से हजारों सवारियां यात्रा करती हैं, प्लेटफार्म बिना मरम्मत के पड़े हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे के पास उक्त रेलवे स्टेशनों का विकास/उन्नयन/आधुनिकीकरण करने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) बल्लभगढ़ न्यू इंडस्ट्रियल टाउन तथा ओल्ड फरीदाबाद के प्लेटफार्मों की स्थिति संतोषजनक है। आवश्यकता पड़ने पर नियमित रूप से मरम्मत की जाती है। 24 सवारी डिब्बों के लिए प्लेटफार्म शेड और प्लेटफार्म के विस्तार के कार्य को 31-03-2007 तक पूरा करने की योजना है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) मार्च, 2008 तक बल्लभगढ़ और फरीदाबाद स्टेशनों को अपग्रेड करने/आधुनिकीकरण करने की योजना है।

[अनुवाद]

ऑफसेट नीति में परिवर्तन

2289. श्री रवि प्रकाश वर्मा:

श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में नई रक्षा खरीद प्रक्रिया के अंतर्गत ऑफसेट नीति में परिवर्तन किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त परिवर्तन के क्या कारण हैं; और

(ग) विदेशी निवेश एवं प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के माध्यम से स्वदेशी रक्षा औद्योगिकी आधार को सुदृढ़ करने हेतु केन्द्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी प्रावधानों को कार्यान्वित करने संबंधी प्रक्रिया, 1 सितंबर, 2006 से प्रख्यापित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.), 2006 में शामिल कर ली गई है। 300 करोड़ रुपए से अधिक की सांकेतिक लागत वाले ऐसे सभी अधिप्राप्ति-प्रस्तावों के लिए क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी प्रावधान लागू हैं जिनमें विदेशी/भारतीय विक्रेताओं से सीधी खरीद और विदेशी विक्रेता से खरीद के पश्चात लाइसेंसशुदा उत्पादन अंतर्निहित है। क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी इन दायित्वों का निर्वाह, भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा विनिर्मित रक्षा उत्पादों और संघटकों अथवा उनके द्वारा मुहैया कराई गई सेवाओं की सीधी खरीद द्वारा अथवा निर्यात आदेश पूरे करके सीधे ही किया जाएगा। क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी दायित्व भारतीय रक्षा उद्योगों और रक्षा अनुसंधान तथा विकास कार्यों में लगे भारतीय संगठनों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से भी पूरे किए जा सकते हैं।

डी.पी.पी.-2006 में शामिल किए गए क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी प्रावधानों के कार्यान्वयन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

घरेलू रक्षा औद्योगिक आधार को सुदृढ़ करने के लिए डीपीपी-2006 में निम्नलिखित प्रावधान किए गए हैं:

(I) उपस्कर का श्रेणीकरण:

"खरीदो" वर्ग के अंतर्गत आने वाले अर्जनों को "खरीदो (भारतीय)" और "खरीदो (वैश्विक)" के रूप में श्रेणीकृत किया जाएगा। "खरीदो (भारतीय)" श्रेणी में न्यूनतम 50% स्वदेशी अंश अवश्य होना चाहिए यदि प्रणालियां भारतीय विक्रेता द्वारा एकीकृत की जा रही हों।

(II) "बनाओ" प्रक्रिया:

इस प्रक्रिया का उद्देश्य भारतीय रक्षा उद्योगों द्वारा स्वदेशी अनुसंधान, डिजाइन और विकास तथा उत्पादन करना है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत परियोजनाओं में उच्च प्रौद्योगिकी वाली जटिल प्रणालियों को स्वदेश में डिजाइन करके विकसित करना शामिल होगा। इन परियोजनाओं का दायित्व, समान अवसर उपलब्ध कराते हुए, रक्षा उद्योग रत्नों/भारतीय उद्योग/सार्वजनिक क्षेत्र के रक्षा उपक्रमों/आयुध निर्माणी बोर्ड/कंपनियों के संघों द्वारा लिया जाएगा। यह प्रक्रिया "बनाओ" वर्ग के सभी उन्नयनों के लिए भी अपनाई जाएगी।

(III) अनुरक्षण अवसंरचना के लिए प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण:

"खरीदो" वर्ग के ऐसे सभी मामलों में, जहां विदेशी विक्रेताओं से उपस्कर मंगाए जा रहे हैं, वहां अनुरक्षण अवसंरचना मुहैया कराने के लिए किसी भारतीय सार्वजनिक/निजी फर्म को प्रौद्योगिकी हस्तांतरण किए जाने का प्रावधान लागू होगा। ऐसे मामलों में, विदेशी विक्रेता को किसी ऐसी भारतीय फर्म की पहचान करनी होगी जो उपस्करों के पूरे कार्यकाल के लिए बुनियादी मरम्मत तथा अपेक्षित हिस्से-पुर्जे मुहैया कराने के लिए जिम्मेदार होगी।

(iv) विदेशी घरेलू निवेश (एफ.डी.आई.) में भागीदारी:

वर्ष 2002 में, औद्योगिक नीति लागू होने पर सरकार ने 26% तक विदेशी घरेलू निवेश की भागीदारी की अनुमति दी थी। डी.पी.पी.-2006 में शामिल क्षतिपूर्ति (ऑफसेट) संबंधी प्रावधान में इसका संज्ञान लिया गया है तथा 26% तक विदेशी घरेलू निवेश की भागीदारी हेतु विदेशी विक्रेताओं के लिए निर्माण हेतु बुनियादी ढांचे में निवेश तथा अनुसंधान एवं विकास हेतु निवेश, दोनों में, क्षतिपूर्ति क्रेडिट दिया गया है।

(v) प्रौद्योगिकी हस्तांतरण (टी.ओ.टी.) के साथ "खरीदो और बनाओ" वर्ग:

उच्च श्रेणी की प्रौद्योगिकी, जो भारत में तत्काल उपलब्ध नहीं है, के लिए डी.पी.पी-2006 में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के साथ "खरीदो और बनाओ" वर्ग की व्यवस्था की गई है, जिसमें नामित उत्पादन एजेंसी प्रौद्योगिकी को आत्मसात करती है तथा न्यूनतम वांछनीय मात्रा की सीधी खरीद के पश्चात् अर्जन के एक बड़े भाग को "बनाती" है।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों का सौंदर्यीकरण

2290. चौ. मुनव्वर हसन: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान विभिन्न विमान पत्तनों को हरा-भरा बनाने और इनके सौंदर्यीकरण हेतु नियत धनराशि एवं खर्च की गई धनराशि कितनी है; और

(ख) पर्यटकों के आगमन के मद्देनजर खजुराहो एवं बाबतपुर विमानपत्तनों को हरा-भरा बनाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान हवाई अड्डों तथा कार्यालयों की हरियाली और सौंदर्यकरण पर खर्च की गई कुल राशि क्रमशः 1.61 करोड़ रुपए तथा 1.46 करोड़ रुपए थी।

(ख) खजुराहो तथा बाबतपुर (वाराणसी) हवाई अड्डों पर क्रमशः 32.80 लाख रुपए तथा 2.89 लाख रुपए की लागत से सिटी साइड का सौंदर्यकरण पूरा कर लिया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए खजुराहो तथा बाबतपुर हवाई अड्डों पर बागवानी के विकास तथा वृक्ष रोपण के अनुरक्षण पर व्यय किए जाने के लिए क्रमशः 9 लाख रुपए और 2.49 लाख रुपए का अनुमान लगाया गया है।

[अनुवाद]

कोचीन विमानपत्तन पर नैमित्तिक कर्मचारी

2291. डा. पी.पी. कोया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोचीन अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन पर एयर इंडिया के अन्तर्गत कार्यरत नैमित्तिक कर्मचारियों की संख्या कितनी है और ये कब से कार्यरत हैं;

(ख) क्या इन नैमित्तिक कर्मचारियों को अन्य कर्मचारियों की तर्ज पर रोजगार सुरक्षा एवं पदोन्नति के अवसर उपलब्ध कराए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सन् 1999 से 31 मई, 2006 तक कोचीन अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 162 नैमित्तिक श्रमिक एअर इंडिया में लोडर्स के रूप में काम कर रहे थे। इनमें से 81 नैमित्तिक श्रमिक, प्राप्त हुए आवेदनों के आधार पर, एअर इंडिया चार्टर लि. में ठेके के आधार पर हैंडीमैन के रूप में लगे हुए थे जोकि एअर इंडिया द्वारा मैसर्स कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा लि. के साथ किए गए करार की अवधि के साथ समाप्त कार्यावधि के लिए हैं। शेष 81 नैमैत्तिक श्रमिक एअर इंडिया में काम कर रहे हैं।

(ख) से (घ) नैमित्तिक श्रमिक दैनिक मजदूरी पर लगाए जाते हैं और उनके लिए कोई पदोन्नति संबंधी नीति नहीं है। तथापि, वे एअर इंडिया तथा इसकी अनुषंगी कंपनियों में, पात्रता संबंधी मापदण्डों को पूरा करने के अध्याधीन, अधिसूचित रिक्तियों के लिए आवेदन कर सकते हैं।

(ङ) सभी नैमित्तिक श्रमिक ई.एस.आई. योजना के अन्तर्गत आते हैं।

[हिन्दी]

यात्री रेलगाड़ियों में बम विस्फोट

2292. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री शिशुपाल पटले:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हल्दीबाड़ी-न्यू जलपाईगुड़ी सवारी रेलगाड़ी में बम विस्फोट की घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसमें जान-माल का कितना नुकसान हुआ है;

(ग) मारे गए/घायल हुए लोगों के परिवारों को कितना मुआवजा/अनुग्रह सहायता उपलब्ध कराई गई है;

(घ) क्या दुर्घटना के कारणों का पता लगाने हेतु किसी जांच के आदेश दिए गए हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर रेलवे द्वारा क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(च) रेलवे द्वारा उक्त घटनाओं की रोकथाम हेतु क्या सख्त उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। 20-11-2006 को लगभग 18.19 बजे जब सवारी गाड़ी सं. 618 डाउन हल्दीबाड़ी से न्यू जलपाईगुड़ी बेलाकोबा रेलवे स्टेशन पहुंची, तभी सामान्य सवारी डिब्बा सं. जी.एस.-8325 में एक जबर्दस्त बम विस्फोट हुआ, जिसमें विस्फोट के कारण 08 यात्रियों की मौत हो गई तथा 18 यात्रियों को गंभीर रूप से चोटें आई और 28 को मामूली रूप से चोट आई।

रेल संपत्ति को नुकसान तकरीबन 9.40 लाख रु. हुआ।

(ग) उपर्युक्त दुर्घटना की गंभीरता को देखते हुए, मृतक के अगले नातेदार को 15,000/-रु., गंभीर रूप से चोटिल व्यक्तियों को 5000/-रु. तथा मामूली रूप से चोटिल व्यक्तियों को 500/-रु. का अनुग्रह राशि के रूप में भुगतान किया गया।

(घ) और (ङ) राजकीय रेल पुलिस, न्यू जलपाईगुड़ी ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 323, 324, 326, 307, 120, 120 (बी) के साथ भारतीय विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 3/4 तथा रेलवे अधिनियम की धारा 151 तथा 152 के अंतर्गत दिनांक 20-11-2006 के अपराध सं. 31/06 के तहत एक मामला दर्ज किया है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त ने भी इस दुर्घटना में जांच-पड़ताल शुरू की है। रिपोर्ट प्रतीक्षित है।

(च) रेल सुरक्षा बल तथा राजकीय रेल पुलिस कर्मियों द्वारा प्रारंभिक स्टेशनों तथा मार्ग में सवारी डिब्बों की सख्त जांच की जाती है। रेलवे स्टेशनों पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा राजकीय रेल पुलिस के सहयोग से की जाती है। राजकीय रेल पुलिस तथा रेल संरक्षा बल कर्मियों द्वारा स्टेशनों की संयुक्त रूप से 24 घंटे पेट्रोलिंग की जाती है। तोड़-फोड़ की जांच के लिए श्वान-दस्तों की सहायता ली जाती है। ऐसी दुर्घटनाओं की पुनरावृत्तियों को रोकने के लिए राज्य सरकारों से सुरक्षा संबंधी उपायों में और सुदृढ़ता लाने के लिए अनुरोध किया गया है।

[अनुवाद]

हिमालय क्वीन एवं शान-ए-पंजाब का ठहराव

2293. डा. अरविन्द शर्मा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हरियाणा में पानीपत जिले में समालखा स्टेशन पर हिमालयन क्वीन और करनाल स्टेशन पर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस का कोई ठहराव नहीं होने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या दैनिक यात्रियों, व्यापारियों एवं धार्मिक व्यक्तियों ने समालखा स्टेशन पर हिमालयन क्वीन और करनाल स्टेशन पर शान-ए-पंजाब के ठहराव की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं है।

(ख) और (ग) 4095/4096 निजामुद्दीन-कालका हिमालयन क्वीन को समालखा और 2497/2398 निजामुद्दीन-अमृतसर शान-ए-पंजाब एक्सप्रेस को करनाल में ठहराव देने के लिए माननीय संसद सदस्य के एक अभ्यावेदन सहित कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(घ) जांच की गई लेकिन वाणिज्यिक रूप से औचित्यपूर्ण नहीं पाया गया।

बंगलौर से आरसीकेरे तक नई रेलगाड़ी

2294. श्री एस. मल्लिकार्जुनैया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बंगलौर से आरसीकेरे तक बरास्ता तुमकुर नई अतिरिक्त एक्सप्रेस रेलगाड़ी सेवा आरंभ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब तक क्रियान्वित किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) तुमकुर-अरसीकेरे के रास्ते 6515/6516 यशवंतपुर-मंगलौर एक्सप्रेस को सकलेशपुर-सुब्रमन्या रोड घाट स्टेशन पर यात्री सेवाओं के चालन के लिए रेल संरक्षा आयुक्त की अनुमति मिलने के बाद शुरू किए जाने का प्रस्ताव है।

हयातनगर हैदराबाद में रेल बुकिंग काउंटर

2295. श्री गुंडलूर निजामुद्दीन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद के हयातनगर क्षेत्र में बुकिंग काउंटर खोलने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

काकीनाडा में तटरक्षक स्टेशन की कमिशनिंग

2296. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की, कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार काकीनाडा में तटरक्षक स्टेशन की कमिशनिंग करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या सरकार ने तटरक्षक हेतु ग्यारहवीं योजना अनुमानों को अंतिम रूप दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) काकीनाडा में तटरक्षक स्टेशन 10 नवंबर, 2006 को चालू कर दिया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

महाराजा छत्रसाल संग्रहालय

2297. श्री विजय कुमार खंडेलवाल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में धुबेला नौगांव स्थित महाराजा छत्रसाल संग्रहालय के उन्नयन हेतु 33.51 लाख रुपए की लागत वाला कोई प्रस्ताव मंजूर हेतु प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस पर अब तक क्या कार्रवाई की गई है और इसे कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां। प्रस्ताव वर्ष 2005-06 में प्राप्त हुआ था।

(ख) यह प्रस्ताव "क्षेत्रीय एवं स्थानीय संग्रहालयों का संवर्धन एवं सुदृढ़ीकरण" की स्कीम के तहत नहीं आया। तद्नुसार आवेदक को सूचित कर दिया गया।

[अनुवाद]

उड़ीसा में रेल परियोजनाएं

2298. श्री अनन्त नायक:

श्री तथागत सत्पथी:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा में वर्ष 1992-93 एवं 1993-94 में संस्वीकृत रेल परियोजनाएं अभी तक पूरी नहीं हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को यथाशीघ्र पूरा करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) दैतारी-बांसपानी (155 किमी.) और लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ (56 किमी) नई लाइन परियोजनाएं क्रमश: 1992-93 और 1993-94 में रेलवे बजट में शामिल की गई थीं। दैतारी-बांसपानी नई लाइन परियोजना का बांसपानी से क्योंझर (57 किमी.) लाइन पर कार्य पूरा हो चुका है और उसे यातायात के लिए खोल दिया गया है। क्योंझर-दैतारी (तोमका) (98 किमी.) खंड पर कार्य अग्रिम चरण में है और 31-12-2006 तक इसके पूरा होने की संभावना है। लांजीगढ़ रोड-जूनागढ़ नई लाइन परियोजना का फेज-I में लांजीगढ़ से भवानीपतना (31 किमी.) तक के कार्य को शुरू कर दिया गया है, जिनमें 1021 एकड़ भूमि में से 728.36 एकड़ भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है, 14.90 लाख घन मीटर मिट्टी संबंधी कार्य और 6 छोटे पुलों का कार्य पूरा हो चुका है। संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार कार्य प्रगति पर है।

हम्पी स्थित होटल मयूरा भुवनेश्वरी का उन्नयन

2299. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को कर्नाटक में हम्पी कमालपुर में स्थित होटल मयूरा भुवनेश्वरी के विकास एवं इसके उन्नयन हेतु वित्तीय सहायता के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक की राज्य सरकार ने दिनांक 5-5-2005 को गंतव्य विकास की योजना के अंतर्गत हम्पी के निकट कमालपुर के होटल मयूरा भुवनेश्वरी के विस्तार और उन्नयन हेतु 200.00 लाख रुपयों की कुल लागत की एक परियोजना प्रस्तुत की थी।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, 10वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श

से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता रहा है। वर्ष 2006-07 में कर्नाटक के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की गई है:-

1. गंतव्य विकास: (क) हम्पी, (ख) लिंगनामक्की गार्डन

2. पर्यटक परिपथ: (क) बीजापुर-बीदर-गुलबर्गा

3. कार्यक्रम/मेले/उत्सव: (i) बंगलौर हब्बा, (ii) हम्पी उत्सव

वर्ष 2005-06 के दौरान, कमालपुर, हम्पी के होटल मयूरा भुवनेश्वरी के विस्तार और उन्नयन हेतु परियोजना को केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु प्राथमिकता प्रदान नहीं की गई। इसके अलावा, चूंकि परियोजना दिशा-निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार से पूर्ण नहीं थी, इसलिए इस पर स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान (आज तक) पर्यटन मंत्रालय ने कर्नाटक राज्य के लिए 8449.99 लाख रुपयों की राशि की परियोजनाएं स्वीकृत की हैं।

महानदी बेसिन में खोज

2300. श्री तथागत सत्पथी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऑयल इंडिया लिमिटेड के महानदी बेसिन में किए जा रहे तेल खोज कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या ऑयल इंडिया लिमिटेड ने बेसिन में अपने कार्यों को बंद करने का निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस प्रयोजन हेतु कार्यरत मजदूरों पर इसका क्या संभावित प्रभाग पड़ेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) ऑयल इंडिया लिमिटेड (ओ.आई.एल.) महानदी बेसिन में जमीनी ब्लॉक एम.एन.-ओ.एन.एन.-2000/1 में तेल और गैस का अन्वेषण कर रही है। ओ.आई.एल. ने पहले ही 463.68 जी.एल.के.एम. द्विआयामी भूकंपीय आंकड़ों का अर्जन, संसाधन और निर्वचन पूरा कर लिया है। इसके आधार पर ओ.आई.एल. ने वेधन के लिए एक स्थान की पहचान की है।

इसके अलावा ओ.आई.एल. महानदी बेसिन में एक अपतटीय ब्लाक नामत: एम.एन.-ओ.एस.एन.-2000/2 में सहयोगी है जहां ओ.एन.जी.सी., इस ब्लाक के प्रचालक ने 1001 जी.एल.के.एम. द्विआयामी और 625 वर्ग कि.मी. त्रिआयामी भूकंपीय आंकड़े अर्जित किए हैं। एक कूप का वेधन पूरा कर लिया गया है और दूसरे कूप का वेधन किया जा रहा है।

(ख) ओ.आई.एल. ने बेसिन में अपना कार्य बन्द करने का निर्णय नहीं लिया है।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

गोरखपुर एवं छपरा के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी

2301. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार गोरखपुर एवं छपरा के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी चलाने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान-पान कामगारों को रोजगार सुरक्षा

2302. श्री पी. करूणाकरन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को रेलवे खान-पान कामगार संघ से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या रेलवे को यह जानकारी है कि नई खान-पान नीति से खान-पान कामगार बड़ी संख्या में बेरोजगार हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(ङ) खान-पान क्षेत्र में विद्यमान कामगारों की रोजगार सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु रेलवे द्वारा क्या उपाए किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। खानपान नीति, 2004 तथा अनुवर्ती नीति, 2005 के अनुसार, रेलें "ए", "बी", "सी" कोटि के स्टेशनों की खानपान इकाइयां भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.

सी.टी.सी.) को सौंप रही हैं। "डी", "ई" और "फ" कोटि की खानपान इकाइयों के स्टेशनों का प्रबंधन अभी तक रेलों द्वारा ही किया जा रहा है। बहरहाल, रेलों की खानपान गतिविधियां पूर्णतः भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को अंतरित की जानी है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारियों की मांग वरिष्ठता, पेंशन लाभ, कमीशन बेयरर/वेंडरों का समाहन, मृत कमीशन वेंडरों/बेयररों के कानूनी उत्तराधिकारियों की अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति तथा संवर्ग पुनःसंरचना आदि पर मौजूदा नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

(ग) से (ङ) जी नहीं। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को विभागीय खानपान इकाइयां, कर्मचारियों के साथ "जैसे हैं वैसे ही" आधार पर सौंपे जा रहे हैं तथा भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम में प्रतिनियुक्ति पर गए कर्मचारी तीन वर्ष के भीतर समाहन के लिए या रेलों पर वापस जाने के लिए विकल्प दे सकते हैं। रेलों पर वापस जाने का विकल्प देने वाले कर्मचारियों को मौजूदा नियमों के अनुसार पुनः तैनात किया जाएगा। गतिविधियों के साथ-साथ खानपान कर्मचारियों का स्थानांतरण केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसरण में है।

[हिन्दी]

सहारनपुर से लुधियाना तक ई.एम.यू. रेलगाड़ी

2303. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सहारनपुर से लुधियाना तक बरास्ता, अम्बाला ई.एम.यू. रेलगाड़ी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

तरलीकृत प्राकृतिक गैस का आयात

2304. श्री के.एस. राव: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न स्रोतों से तरलीकृत प्राकृतिक गैस का कितनी मात्रा में आयात किया गया है;

(ख) देश में चालू एवं प्रस्तावित गैस आधारित विद्युत संयंत्रों में तरलीकृत प्राकृतिक गैस की कितनी आवश्यकता है;

(ग) क्या सरकार का विचार तरीलकृत प्राकृतिक गैस एवं अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं को पेट्रो परियोजनाओं, विद्युत संयंत्रों और अन्य विकास परियोजनाओं में अंशधारक बनने की अनुमति देने हेतु नीति तैयार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) दो एल.एन.जी. टर्मिनल नामतः पेट्रोनेट एल.एन.जी. लि. (पी.एल.एल.) को 5 एम.एम.टी.पी.ए. दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल और मैसर्स हजीरा एल.एन.जी. प्राइवेट लि. (एच.एल.पी.एल.) का 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. हजीरा टर्मिनल एल.एन.जी. के आयात के लिए रास गैस कतर के साथ पी.एल.एल. की एक दीर्घकालिक संविदा है। पिछले तीन वर्ष के दौरान रास गैस, कतर से पी.एल.एल. द्वारा किया गया वर्षवार एल.एन.जी. का आयात निम्नानुसार है:-

वर्ष	आयातित एल.एन.जी. (एम.एम.टी.पी.ए.)
2003-04	0.062
2004-05	2.43
2005-06	4.81

इसके अतिरिक्त 2005-06 के दौरान, खुले बाजार से 0.171 एम.एम.टी.पी.ए.एल.एन.जी. का आयात एच.एल.पी.एल. द्वारा किया गया।

(ख) विद्युत क्षेत्र के लिए आर.एल.एन.जी. सहित प्राकृतिक गैस की अनुमानित मांग 2007-08 के लिए 79.70 एम.एम.एस.सी.एम.डी. आंकी गई है।

(ग) और (घ) वर्तमान सरकारी नीति के अनुसार, 100% विदेशी सीधा निवेश (एफ.डी.आई.) क्षेत्रीय विनियमों के अध्यधीन बाजार अध्ययन और निरूपण निवेश/वित्त पोषण और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्षेत्र में विपणन के लिए बुनियादी सुविधाएं स्थापित करने संबंधी परियोजनाओं में अनुमति है। परिशोधन कि क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों के मामले में 26% तक एफ.डी.आई. की अनुमति है जबकि निजी कंपनियों में 100% एफ.डी.आई. की अनुमति है।

वृद्ध लोगों के जीवन-यापन संबंधी दावों हेतु पृथक अधिकरण

2305. श्री एल. राजगोपाल: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वृद्ध लोगों के जीवन-यापन संबंधी दावों के मामलों का निपटान करने हेतु पृथक अधिकरण गठित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) अन्य बातों के साथ-साथ, वृद्धजनों के भरण-पोषण के दावों के मामलों के विचारण के लिए अलग से अधिकरण स्थापित करने हेतु विधान लाने पर सरकार विचार कर रही है।

बी.ई.एम.एल. को आर्थिक हानि

2306. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:

श्री सुनील खां:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड की अप्रैल, 2003 की निर्धारित सुपुर्दगी अवधि के बाद कोल इंडिया लिमिटेड को 'रोप शोवेल्स' की आपूर्ति में परिहार्य विलंब के कारण 1.19 करोड़ रु. की आर्थिक हानि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) कोल इंडिया लिमिटेड ने 6 रज्जु बेल्वों (6 रोप शोवल्स) के लिए आपूर्ति आदेश, अगस्त, 2002 में भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) को दिए थे, जिनकी आपूर्ति मार्च/अप्रैल, 2003 तक की जानी थी। बी.ई.एम.एल. ने सुपुर्दगी समयावधि के भीतर 4 रज्जु बेल्वों की तथा शेष 2 की क्रमशः मई तथा जुलाई, 2003 में आपूर्ति की। बी.ई.एम.एल. ने कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा दिए गए अत्यंत कम अवधि वाले सुपुर्दगी कार्यक्रम को स्वीकार कर लिया था, अन्यथा, बी.ई.एम.एल. 126 करोड़ रुपए का समग्र आदेश खो बैठता। बी.ई.एम.एल. को कतिपय उप एसेंबलियां संघटकों का आयात भी करना था जोकि समय पर प्राप्त नहीं हुए जिसके परिणामस्वरूप रज्जु बेल्वों के दो सेटों के लिए विलंब हुआ।

बी.ई.एम.एल. बोर्ड प्रबंधित कंपनी है जो वाणिज्यिक निर्णय लेने में सक्षम है। तथापि, बी.ई.एम.एल. को भविष्य में अपनी वचनबद्धताओं के प्रति और अधिक व्यवहार्य होने की सलाह दी गई है।

स्मारकों का विकास

2307. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में ताज एवं अन्य महत्वपूर्ण स्मारकों के आस-पास वन-क्षेत्र का विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु चयनित ऐसे स्मारकों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य को पूरा करने की निर्धारित समय-सीमा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) ताज तथा देश के अन्य महत्वपूर्ण केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों के आस-पास वन-क्षेत्र प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के अनुसार भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने ताज महल के निकट मेहताब बाग में उद्यान विकसित किया है। भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय का ताज तथा आगरा किले के बीच के क्षेत्र में एक हरित पट्टी को विकसित करने का भी निर्देश है।

रेल कर्मचारियों के लिए सुविधाएं

2308. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे विशेषकर रेलवे कालोनियों में रेल कर्मचारियों के बच्चों एवं आश्रितों हेतु कुछ कल्याणकारी कार्यकलापों का संचालन कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर रेलवे द्वारा जोन-वार खर्च की जा रही वार्षिक धनराशि कितनी है;

(घ) क्या रेलवे का विचार इन कालोनियों में कल्याणकारी, कार्यकलापों हेतु उपलब्ध कराई जा रही असुविधाओं की समीक्षा करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ङ) भारतीय रेलें, रेल कर्मचारियों और उनके बच्चों एवं आश्रितों को लाभ पहुंचाने के लिए विभिन्न प्रकार की कर्मचारी कल्याण गतिविधियां प्रारंभ करती हैं। इनमें रेल अस्पतालों तथा स्वास्थ्य इकाइयों के माध्यम से चिकित्सकीय लाभ, स्वास्थ्य उपचार एवं सफाई, मुफ्त यात्रा सुविधाएं एवं कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत आयुर्वेदिक/होम्योपैथिक डिस्पेंसरी जैसी अन्य गतिविधियां, दु:ख में कर्मचारियों को सहायता, संस्कृति का उन्नयन, महिला सशक्तिकरण, खेल, स्काउटिंग तथा अन्य मनोरंजन संबंधी गतिविधियां शामिल हैं। ऐसी गतिविधियां जो विशेष रूप से कर्मचारियों के बच्चों/आश्रितों के लिए लक्षित हैं वे हैं कर्मचारी लाभ निधि के अंतर्गत तकनीकी शिक्षा के लिए छात्रवृत्ति तथा रेल सेक्टर में विद्यालयों एवं केन्द्रीय विद्यालयों द्वारा शिक्षा इत्यादि है।

2006-07 के दौरान कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाओं के लिए बजट में दी गई जोनवार राशि निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	रेलवे जोन	2006-07 के लिए बजट में व्यवस्था की गई शुद्ध राशि (करोड़ रु. में)
1	2	3
1.	मध्य	157.20 रु.
2.	पूर्व	141.46 रु.
3.	उत्तर	184.56 रु.
4.	पूर्वोत्तर	68.54 रु.
5.	पूर्वोत्तर सीमा	136.73 रु.
6.	दक्षिण	142.64 रु.
7.	दक्षिण मध्य	173.65 रु.
8.	दक्षिण पूर्व	128.60 रु.
9.	पश्चिम	139.22 रु.
10.	पूर्व मध्य	85.43 रु.
11.	पूर्व तट	67.97 रु.
12.	उत्तर मध्य	69.38 रु.
13.	उत्तर पश्चिम	65.14 रु.
14.	दक्षिण पूर्व मध्य	64.29 रु.
15.	दक्षिण पश्चिम	45.76 रु.
16.	पश्चिम मध्य	63.39 रु.
17.	मेट्रो रेलवे/कोलकाता	4.34 रु.
	कुल	1738.30 रु.

भारतीय रेलों द्वारा कल्याण संबंधी गतिविधियों एवं उनके अंतर्गत दी जाने वाली सुविधाओं की समीक्षा करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[हिन्दी]

प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी

2309. श्री संतोष गंगवार: क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के प्रबंधन में कामगारों की भागीदारी को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाने का प्रस्ताव है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) प्रबंधन में कर्मचारियों की भागीदारी से संबंधित वर्तमान योजना श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा वर्ष 1983 में अधिसूचित की गई थी और इसे केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के सभी उद्यमों, विशेष रियायत प्राप्त उद्यमों, विशेष रियायत प्राप्त उद्यमों को छोड़कर, के लिए लागू किया गया था। केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उन सभी उपक्रमों को इस योजना से अलग रखा गया है, जिनका संचालन विभागीय तौर पर किया जा रहा है।

(ख) और (ग) इस योजना में कार्यशाला तथा संयंत्र स्तर पर द्विपक्षीय मंचों के गठन का प्रस्ताव है। उपयुक्त समझे गए

उद्यमों में निदेशक मंडल स्तर पर भी भागीदारी का प्रावधान है। इस योजना के अंतर्गत उत्पादन, गुणवत्ता, लक्ष्यों, प्रौद्योगिकीय सुधार, सुरक्षा, कल्याणकारी उपायों, पर्यावरणीय मुद्दों, अनुपस्थिति, उद्यम के वित्तीय कार्यनिष्पादन आदि जैसे कार्य से संबंधित मुद्दों पर द्विपक्षीय विचार की व्यवस्था है।

[अनुवाद]

तिरूवनमियूर और सेंट थॉमस माउंट के बीच उपनगरीय रेलवे लाइन

2310. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को चेन्नई से तिरूवनमियूर और सेंट थॉमस माउंट के बीच उपनगरीय रेलवे लाइन के विस्तार की काफी समय से लंबित मांग की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यात्री आवागमन के लिए इस रेलवे लाइन को कब तक खोले जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) तिरूवनमियूर तथा तारामणि के बीच रेल लाइन पर निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। तारामणि से वेलाचेरी तक का कार्य प्रगति पर है। वेलाचेरी से सेंट थामस माऊंट के बीच के खंड को रेल बजट, 2006-07 में शामिल किया गया है। परियोजना की 2/3 लागत में भागीदारी के लिए राज्य सरकार से पुन: पुष्टि के लिए अनुरोध किया गया है।

(ग) अभी तक निर्णय नहीं लिया गया है।

कराड रेलवे स्टेशन

2311. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य रेलवे के पुणे-मिराज खंड पर रेलवे के स्वामित्वाधीन कराड रेलवे स्टेशन के लिए सम्पर्क मार्ग की स्थिति काफी खराब है और यातायात के योग्य नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदमों की योजना बनाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त मरम्मत कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) कराड स्टेशन तक पहुंच मार्ग स्थानीय ग्राम पंचायत से संबंधित है। यद्यपि स्टेशन के सामने का परिचलन क्षेत्र और गुड्स शेड तक जाने वाला पहुंच मार्ग रेलवे से संबंधित है। पहुंच मार्ग और परिचलन क्षेत्र दोनों की मरम्मत की आवश्यकता है।

(ख) से (घ) स्थानीय ग्राम-पंचायत को चाहिए कि वह अपने हिस्से की मरम्मत करे। परिचलन क्षेत्र और रेलवे की चारदीवारी के भीतर गुड्स शेड तक जाने वाले पहुंच मार्ग की मरम्मत का कार्य फरवरी, 2007 तक पूरा करने की योजना है।

[हिन्दी]

महाभारत पर्यटन सर्किट

2312. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को उत्तर प्रदेश सरकार से महाभारत पर्यटन सर्किट के विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर केन्द्र सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार ने दसवीं योजना के दौरान भगवान राम और कृष्ण पर आधारित किन्हीं परियोजनाओं को मंजूरी दी है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) जी, हां। 'महाभारत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास' के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुआ है जिसमें बागपत, बरनावा, सरधना, हस्तिनापुर, परीक्षित गढ़, शुक्रताल, गढ़मुक्तेश्वर, विदुरकुटी और सैंडवार जैसे स्थान शामिल हैं, और इनमें अनेक विकास कार्य जैसे, शौचालय ब्लॉकों, चारदीवारियों, गेटों, पाथवेज, बेंचों, शेडों का निर्माण, पेयजल सुविधाएं, भू-दृश्यांकन, विभिन्न विद्युत कार्य, सुंदरीकरण कार्य और संकेतक आदि तैयार किए जाने हैं।

(ग) राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों से, सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों की प्राप्ति पर, योजना दिशा-निर्देशों के

अनुसार इनका परीक्षण कर, पारस्परिक प्राथमिकता के आधार पर इन्हें मंजूरी दी जाती है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां जारी की जाती हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। श्री राम और कृष्ण के जीवन पर आधारित, 10वीं योजना अवधि के दौरान स्वीकृत परियोजनाएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

विवरण

10वीं योजना के दौरान श्री राम और श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित स्वीकृत की गई परियोजनाएं

(लाख रु. में)

क्र.सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
	2003-04	
1.	जिला फैजाबाद, उत्तर प्रदेश के अयोध्या में राम-की-पैडी का विकास/सुन्दरीकरण	98.18
	2004-05	
1.	गंतव्य विकास योजना के अधीन जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में राधा कुण्ड तथा श्याम कुण्ड का जीर्णोद्धार	145.35
2.	गंतव्य विकास योजना के अधीन जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश के गोवर्धन में कुसुम सरोवर का जीर्णोद्धार/सुन्दरीकरण	100.77
	2005-06	
1.	जिला मथुरा, उत्तर प्रदेश में गोवर्धन की छतरियों का जीर्णोद्धार/सुन्दरीकरण	58.60
2.	गंतव्य ।वेकास योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में गढ़मुक्तेश्वर-बृज घाट का विकास	256.80
3.	राजस्थान में बरसाना झील, कालिया देवी (करोली), पुनछारी, नीलकंठ, भतृहरि वाले बृज भूमि धार्मिक पर्यटन परिपथ का विकास	477.07
	2006-07	
1.	मथुरा, उत्तर प्रदेश में बृज चौरासी कोस परिक्रमा पर्यटक परिपथ (मधुरवन, माहोली-जातीपुरा-गोवर्धन-वृन्दावन-महा विद्या) का विकास	441.53
	कुल योग	1578.30

[अनुवाद]

मिग-21 की खरीद

2313. श्री मिलिन्द देवरा: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानों की कम होती संख्या में सुधार करने के लिए विमानों की संख्या में वृद्धि करने हेतु मिग-21 की खरीद करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) इन विमानों की खरीद कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ङ) विमानों की इस घटी हुई संख्या के कारण भारतीय वायु सेना का कार्य किस हद तक प्रभावित हुआ है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) मिग-21 विमान खरीदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

(ङ) सरकार सुरक्षा परिवेश की निरंतर मानीटरिंग करती है और तद्नुसार, पर्याप्त रक्षा तैयारी के लिए, समुचित उपस्कर शामिल करने और अन्य व्यवस्थाएं करने का निर्णय लेती है।

रक्षा लीकों को रोका जाना

2314. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रक्षा लीकों को रोकने के लिए अपनी प्रणाली को सुचारू बनाने का है जैसा कि दिनांक 18 नवंबर, 2006 के 'द हिंदू' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस नई प्रणाली के आलोक में नई खरीद नीति की समीक्षा करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) उपचारात्मक उपाय लागू किए गए हैं तथा सुरक्षा संबंधी समीक्षा नियमित रूप से की जाती है। अद्यतन साइबर सुरक्षा मार्ग-निर्देश तथा अनुदेश प्रख्यापित कर दिए गए हैं।

(ग) और (घ) अधिप्राप्ति प्रक्रिया की, आवश्यकता के आधार पर, समय-समय पर समीक्षा की जाती है और जब कभी आवश्यकता होती है, संशोधन जारी किए जाते हैं।

डी.आई.पी.आर. द्वारा किया गया अध्ययन

2315. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च (डी.आई.पी.आर.) ने सैनिकों में तनाव संबंधी कारणों का कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(ग) समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) जी, हां। रक्षा मनोवैज्ञानिक अनुसंधान संस्थान ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में सितंबर, 2000 से मई, 2005 के दौरान 'विद्रोह का मुकाबले करने के लिए सुरक्षा बलों की संक्रियात्मक कार्यकुशलता को इष्टतम बनाने हेतु मनो-सामाजिक पहलुओं' पर एक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के मुख्य परिणाम इस प्रकार हैं:-

1. सशस्त्र बलों के विभिन्न ग्रुपों में अधिकांश मनोवैज्ञानिक समस्याओं के लिए संक्रियात्मक तनाव के तीन मुख्य कारक, जैसे यातना का भय, अनिश्चित परिवेश और घरेलू तनाव, जिम्मेदार होते हैं।

2. जवानों और जूनियर कमीशन-प्राप्त अफसरों (जे.सी.ओ.एस.) की तुलना में मध्यम रैंक के अफसर अधिक तनावोन्मुख और तनावग्रस्त पाए गए।

3. अभिघातग्रस्त और गैर-अभिघातग्रस्त सैनिकों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिस्ऑर्डर के रूप में मानसिक गड़बड़ियां देखी गई हैं, जिनसे विभिन्न दैहिक लक्षण प्रकट होते हैं।

4. पकड़े गए उग्रवादियों की नजरबंदी के पश्चात् लगभग छह से नौ माह का समय, युवाओं के दृष्टिकोण को बदलने तथा उनके मन को राष्ट्रीय एकात्मीकरण की दिशा में लगाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समय होता है।

5. समाघात तनाव प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में सहभागिता द्वारा अफसरों का अभिमुखीकरण और उन्हें तनावमुक्त रखने की अत्यधिक आवश्यकता।

6. अभिघातज तनाव के बाद की अवधि में, यूनिट लीडरों और वृत्तिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा संयुक्त रूप से तत्काल उपचार किए जाने की आवश्यकता।

7. किसी क्षेत्र विशेष के जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के संबंध में अपेक्षाओं का समुचित विश्लेषण किए जाने की सख्त जरूरत है।

(ग) इस समस्या से निपटने के लिए रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन ने अपनी सिफारिशें हाल ही में सशस्त्र बलों को प्रस्तुत की हैं।

विगनायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को घाटा

2316. श्रीमती सुस्मिता बाउरी:
श्री सुनील खां:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विगनायन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को स्टील कास्टिंग की अपसामान्य अस्वीकृति के कारण 1.42 करोड़ रुपये का परिहार्य घाटा उठाना पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह): (क) से (ग) भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड (बी.ई.एम.एल.) की एक सहायक कम्पनी, विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड (वी.आई.एल.) स्टील कास्टिंगों के विनिर्माण और आपूर्ति के कार्य में लगी हुई है। स्वीकृत उद्योग मानक से अधिक के बाहुल्य को नामंजूर कर दिए जाने के कारण, 2001-02 से 2004-05 तक 1.42 करोड़ रुपए की संचित हानि हुई है। वी.आई.एल., औद्योगिक वित्त एवं पुनर्निर्माण ब्यूरो के अधीन थी और हाल ही में बी.ई.एम.एल. ने पहल करते हुए प्रबंधकीय और वित्तीय सहायता सहित विभिन्न उपायों के माध्यम से इसमें काफी बदलाव किया है। इसके अलावा वी.आई.एल. ने पहल करते हुए प्रक्रम-सुधार और गुणता आश्वसन के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जिनमें भारतीय मानक संगठन द्वारा प्रमाणीकरण, पूर्ण गुणता प्रबंधन और सांख्यिकीय गुणता नियंत्रण शामिल हैं। इन उपायों से, नामंजूरियों को, जो वर्ष 2003-04 में लगभग 10% थी, से घटा कर 2004-05 में 5% तक ले आया गया है।

प्रंबानन मंदिर परिसर का जीर्णोद्धार

2317. श्री सुग्रीव सिंह: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडोनेशिया सरकार ने प्रंबानन मंदिर परिसर के जीर्णोद्धार के लिए सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में ए.एस.आई. द्वारा अभी तक क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या ए.एस.आई. ने पहले अन्य देशों के लिए कार्य किया है;

(ङ) यदि हां, तो गत तन वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) ऐसे विदेशी कार्यों के लिए ए.एस.आई. के निबन्धन एवं शर्तों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) रिक्टर स्केल पर 5.9 परिमाण वाले भूकम्प, जिसने इंडोनेशिया के केन्द्रीय जावा दीप के दक्षिण तट को प्रभावित किया और जिसका अधिकेन्द्र योगीकात्रा शहर के निकट था, ने प्रंबानन मंदिर परिसर को काफी क्षति पहुंचाई। भारत सरकार ने इंडोनेशिया गणराज्य की सरकार को प्रंबानन स्थित मंदिरों की मरम्मत/पुनर्निर्माण में सहायता देने के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से एक दल को भेजने की इच्छा व्यक्त की थी जिसकी इंडोनेशिया सरकार ने प्रशंसा की। तद्नुसार, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के एक दो सदस्यीय दल ने 19 से 23 सितम्बर, 2006 तक इंडोनेशिया का दौरा किया तथा सिफारिशें देते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने अफगानिस्तान तथा कम्बोडिया में संरक्षण गतिविधियों में हिस्सा लिया है।

(ङ) विदेश मंत्रालय के आई.टी.ई.सी. कार्यक्रम के अन्तर्गत कम्बोडिया की रॉयल सरकार के सहयोग से जनवरी, 2004 से कम्बोडिया में सीम रीप स्थित या प्रोह्म मंदिर परिसर की संरक्षण तथा जीर्णोद्धार परियोजना प्रगति पर है।

(च) विदेशी कार्यों के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की कोई निश्चित निबन्धन तथा शर्तें नहीं हैं। संबंधित देश के साथ समझौता करते समय इनको निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

नियंत्रण रेखा पर बाड़ को क्षति

2318. प्रो. महादेवराव शिवनकर: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-पाक सीमा की नियंत्रण रेखा पर बाड़ के कुछ भागों को क्षति पहुंचाई गई है;

(ख) यदि हां, तो कुल कितने किलोमीटर क्षेत्र में बाड़ को क्षति पहुंचाई गई है;

(ग) क्या आतंकवादियों ने ऐसे क्षेत्रों के माध्यम से घुसपैठ की है;

(घ) यदि हां, तो क्या पुनः बाड़ लगाने का कार्य किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ङ) उच्च तुंगता वाले क्षेत्रों में नियंत्रण रेखा पर बाड़, सर्दियों में, बर्फ के नीचे दब जाती है और कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो जाती है। इसकी

अवरोध क्षमता को पुनर्जीवित किया जाना सुनिश्चित करने के लिए इसकी तुरंत यथापेक्षित मरम्मत की जाती है। इस बीच घुसपैठ को रोकने के लिए वैकल्पिक घुसपैठरोधी उपाय किए जाते हैं। इस वर्ष भी नियंत्रण-रेखा पर बाड़ पूरी तरह से पुनः लगा दी गई है।

कठिन किस्म के भू-भाग होने के तथा नियंत्रण रेखा के व्यापक क्षेत्र में फैले होने के कारण घुसपैठ रोकने के लिए बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है। घुसपैठ की प्रवृत्तियों पर विभिन्न स्तरों पर, निरंतर नजर रखी जा रही है।

पट्टे पर विमानों को लेने के लिए मानदण्ड

2319. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री वी.के. दुम्मर:
श्री ई. पोन्नुस्वामी:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी क्षेत्र की एयरलाइनों को पट्टे पर विमान लेने की अनुमति देने के लिए किन मानदण्डों को ध्यान में रखा गया है;

(ख) सरकारी क्षेत्र की विभिन्न एयरलाइनों के पास एयरलाइन-वार पट्टे पर लिए गए विमानों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या विमानों को पट्टे पर लेने के लिए कोई लागत लाभ विश्लेषण किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) सार्वजनिक क्षेत्र की किसी एयरलाइन का निदेशक मंडल, एयरलाइन की आवश्यकताओं के आधार पर लीज पर विमान लेने के संबंध में निर्णय लेने के लिए सक्षम है।

(ख) वर्तमान में, एअर इंडिया एक्सप्रेस सहित एअर इंडिया एवं एलाइंस एयर सहित इंडियन एयरलाइंस, दोनों में से प्रत्येक के पास अपने-अपने बेड़े में लीज पर लिए गए 27 विमान हैं।

(ग) और (घ) लीज पर विमान लेते समय संभावित राजस्व/लागतों/खाका के आकलन का ब्यौरा देते हुए आर्थिक मूल्यांकन किया गया है जो कि लिए जाने के लिए प्रस्तावित विमानों के प्रचालनों के संबंध में हैं। इन्हें संबंधित एयरलाइनों के निदेशक मंडल को विचारार्थ प्रस्तुत किया गया है। निदेशक मंडल का अनुमोदन प्राप्त होने पर लीज पर विमान लिया जाता है।

[अनुवाद]

हैदराबाद से इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानें

2320. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हैदराबाद और अन्य महानगरों के बीच प्रचालित इण्डियन एयरलाइन्स की उड़ानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या हैदराबाद से अन्य महानगरों के लिए उड़ानों की संख्या में वृद्धि किए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) इस समय इंडियन एयरलाइंस हैदराबाद से बंगलौर के लिए प्रति सप्ताह 14 उड़ानें और चेन्नई, दिल्ली और मुम्बई में से प्रत्येक के लिए प्रति सप्ताह 21 उड़ानें प्रचालित करती हैं, सभी उड़ानें ए-320 विमानों से प्रचालित की जाती हैं। इसके अतिरिक्त, एलाइंस एयर भी मुम्बई-हैदराबाद-विजाग और वापसी मार्ग पर एक दैनिक बी-737 सेवा प्रचालित करती है।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस की हैदराबाद तथा अन्य महानगरों के बीच प्रचालन की आवृत्ति आरंभ करने/बढ़ाने की योजनाएं हैं। आवृत्ति में वृद्धियों की सही-सही संख्या सृजित हो सकने वाले अनुमानित यातायात, वाणिज्यिक साध्यता और उपलब्ध क्षमता पर आधारित होगी।

[हिन्दी]

फलौदी-कांडला मार्ग पर नई रेल लाइन

2321. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या फलौदी-कांडला मार्ग पर नई रेल लाइन बिछाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त मार्ग पर नई रेल लाइन बिछाने का कार्य आरंभ हो चुका है; और

(घ) यदि हां, तो यह कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) प्रस्तावित संरेखण पर फलौदी और जैसलमेर-बाडमेर-कांडला पत्तन के रास्ते कोलायत-पोखरन-बाडमेर के निर्माण हेतु सर्वेक्षण पूरा किया गया है। सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार, 300 कि.मी. लंबी कोलायत-पोखरन-बाडमेर लाइन के निर्माण की लागत (-) 31-31% की प्रतिफल की दर सहित 468.9 करोड़ रु. आंकी गई थी और 562.5 कि.मी. लंबी जैसलमेर-बाडमेर-कांडला पत्तन लाइन के निर्माण की लागत (-) 0.95% की दर पर 991.39 करोड़ रु. आंकी गई थी।

(ग) जी नहीं। फलौदी-कांडला मार्ग पर कार्य शुरू नहीं किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

'विमानन ग्रिड' की स्थापना

2322. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विमानन उद्योग में तेजी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने देश में अवसंरचना विकास को सुनिश्चित करने के लिए एक **विमानन ग्रिड** की स्थापना करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं। बहरहाल, सरकार देश में उपलब्ध सभी अवसंरचना, चाहे वह वर्तमान में अप्रचालनिक विमान क्षेत्र हो तथा राज्य सरकारों या रक्षा मंत्रालय के स्वामित्व वाला विमान क्षेत्र हों, के प्रयोग को प्रोत्साहित करना चाहती है। ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों को प्रोत्साहित करने की नीति पहले ही विद्यमान है। इसके कारण देश के अधिकतर भागों में बेहतर सम्पर्क स्थापित हो पाएगा।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

नेमॉम रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मशाला

2323. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का तिरुवनन्तपुरम के नजदीक रेमॉम रेलवे स्टेशन के पास उपलब्ध बड़े भूभाग का उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को विभिन्न पक्षों से वहां रेल डिब्बा रख-रखाव कर्मशाला की स्थापना के लिए मांगें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन पर क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हां। नेमॉम में बोगी (यात्री सवारी डिब्बे) अनुरक्षण कर्मशाला स्थापित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से मांगें प्राप्त हुई हैं।

(घ) नीचे दिए गए अनुसार दो अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे:

(i) माननीय संसद सदस्य श्री वेरकला राधाकृष्णन द्वारा अग्रेषित सेंटर फॉर इंडियन ट्रेड यूनियन, केरल स्टेट कमेटी से प्राप्त अभ्यावेदन।

(ii) माननीय संसद सदस्य श्री पन्नियन रविन्द्रन द्वारा माननीय रेल मंत्री जी को संबोधित पत्र। दोनों अभ्यावेदनों का जवाब पहले ही भेज दिया गया है।

(ङ) मामले की जांच की गई है। दक्षिण क्षेत्र में सवारी डिब्बों (बोगियों) के अनुरक्षण के लिए तीन कर्मशालाएं हैं। सवारी डिब्बों के अनुरक्षण की मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान क्षमता पर्याप्त है। इसलिए इस समय नेमॉम में नई कोच अनुरक्षण कर्मशाला स्थापित करने का कोई विचार नहीं है।

[हिन्दी]

गोधरा कांड संबंधी बनर्जी समिति

2324. श्री जय प्रकाश (मोहनलाल गंज):

श्री कीरेन रिजीजू:

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गोधरा कांड की जांच के लिए बनर्जी समिति का गठन किया था;

(ख) यदि हां, तो क्या माननीय गुजरात उच्च न्यायालय ने उक्त समिति को असंवैधानिक घोषित कर दिया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) माननीय उच्च न्यायालय/अहमदाबाद ने अपने दिनांक 13-10-2006 के निर्णय से केन्द्र सरकार द्वारा समिति के गठन और इसकी उत्तरोत्तर कार्रवाइयों का खंडन किया है।

(ग) रेल मंत्रालय ने विधि एवं न्याय मंत्रालय के परामर्श से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक विशेष अनुमति याचिका (एस.एल.पी.) दायर करने का निर्णय लिया है।

पेट्रोल पंपों के माध्यम से रेलवे टिकटों की बिक्री

2325. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

श्री गुंडलूर निजामुद्दीन:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे देश भर में पेट्रोल पंपों के माध्यम से रेलवे टिकटों की बिक्री की एक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह योजना कब तक आरम्भ किए जाने की संभावना है; और

(घ) इससे यात्रियों को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) भारतीय रेल खानपान और पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) ने भारत पेट्रोलियम निगम लिमिटेड, इंडियन ऑयल निगम लिमिटेड और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड से उनके पट्रोल पम्प/खुदरा भण्डारों से इंटरनेट के माध्यम से (ई-टिकट) रेलवे टिकट बेचने के लिए संपर्क किया है।

(ग) और (घ) चूंकि यह प्रस्ताव विचार-विमर्श के प्रारंभिक चरण में है, अत: इस योजना को प्रारंभ करने का कोई विशिष्ट समय नहीं दिया जा सकता। यह योजना आरक्षित रेल टिकट की खरीद को सुविधाजनक बनाएगी।

तेलशोधक क्षमता

2326. श्रीमती किरण माहेश्वरी:

श्री निखिल कुमार:

श्री राजनरायन बुधौलिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में प्रत्येक तेल शोधनशाला की तेलशोधन क्षमता कितनी है;

(ख) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का विचार अपनी तेल शोधनशालाओं की तेलशोधन क्षमता में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) तेलशोधन क्षमता में वृद्धि के लिए कुल कितना निवेश किया जाना है; और

(ङ) इन तेल शोधनशालाओं में तेलशोधन प्रक्रिया का किस हद तक आधुनिकीकरण किया जाएगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में कार्यरत प्रत्येक रिफाइनरी की शोधन क्षमता के ब्यौरे संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) से (घ) जी, हां। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियां संलग्न विवरण-II में दिए गए ब्यौरों के अनुसार शोधन क्षमता बढ़ाने के लिए विस्तार परियोजनाएं हाथ में ले रही हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा इन रिफाइनरियों के विस्तार पर अनुमानत: 14,565 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की संभावना है।

(ङ) रिफाइनरियों का आर्थिक कार्यनिष्पादन बढ़ाने के लिए, कुछ रिफाइनरियों में आधुनिकीकरण कार्यक्रम, समेकित अंतर कमी कार्यक्रम आदि शुरू किए गए हैं। ईंधन गुणवत्ता सुधारने के अलावा, आधुनिकीकरण कार्यक्रमों से भारी/अम्लीय क्रूड के उच्च अनुपात को संसाधित करने में रिफाइनरियां सक्षम होंगी।

विवरण-I

भारत में प्रचालनरत रिफाइनरियों का स्थल तथा क्षमताएं

क्र. सं.	कंपनी का नाम	रिफाइनरी का स्थल	वर्तमान क्षमता (एम.एम.टी.पी.ए.)*
1	2	3	4
	सार्वजनिक क्षेत्र		
1.	इंडियन ऑयल कारपोरेशन लि. (आई.ओ.सी.एल.)	गुवाहाटी	1.00
2.	आई.ओ.सी.एल.	बरौनी	6.00
3.	आई.ओ.सी.एल.	कोयाली	13.70
4.	आई.ओ.सी.एल.	हल्दिया	6.00
5.	आई.ओ.सी.एल.	मथुरा	8.00
6.	आई.ओ.सी.एल.	डिग्बोई	0.65
7.	आई.ओ.सी.एल.	पानीपत	6.00
8.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (एच.पी.सी.एल.)	मुंबई	5.50
9.	एच.पी.सी.एल.	विशाखापत्तनम	7.50
10.	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (बी.पी.सी.एल.)	मुंबई	12.00
11.	बी.पी.सी.एल.	कोच्चि	7.50
12.	चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लि. (सी.पी.सी.एल.)	मनाली	9.50
13.	सी.पी.सी.एल.	नागपट्टनम	1.00
14.	बोंगाईगांव रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकैमिकल्स लि. (बी.आर.पी.एल.)	बोंगाईगांव	2.35
15.	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लि. (एन.आर.एल.)	नुमालीगढ़	3.00
16.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकैमिकल्स लि. (एम.आर.पी.एल.)	मैंगलोर	9.69

1	2	3	4
17.	तातीपाका रिफाइनरी (ओ.एन.जी.सी.)	आंध्र प्रदेश	0.078
	निजी क्षेत्र		
18.	रिलायंस पेट्रोलियम लि. (आर.पी.एल.)	जामनगर	33.00
19.	एस्सार ऑयल लिमिटेड	वाडीनार	10.50
	योग		142.97

*मिलियन मीट्रिक टन प्रति वर्ष

विवरण-II

रिफाइनरी का नाम	क्षमता विस्तार मि.मी.टन प्रति वर्ष	
	से	तक
आई.ओ.सी.एल.-पानीपत रिफाइनरी विस्तार*	6.00	12.00
आई.ओ.सी.एल.-पानीपत रिफाइनरी अतिरिक्त विस्तार	12.00	15.00
आई.ओ.सी.एल.-हल्दिया रिफाइनरी विस्तार	6.00	7.5
एच.पी.सी.एल.-मुंबई रिफाइनरी	5.5	7.9
एच.पी.सी.एल.-विशाख	7.5	8.33
बी.पी.सी.एल.-कोच्चि	7.5	9.5

*6.00 मि.मी. टन प्रति वर्ष पानीपत रिफाइनरी विस्तार कार्य अगस्त, 2006 में पूरा कर लिया गया है और इकाईयां स्थिरीकरण की प्रक्रिया में हैं।

नए रेलवे स्टेशन की स्थापना के लिए मानदण्ड

2327. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए रेलवे स्टेशन स्थापित करने के लिए मानदण्ड क्या है;

(ख) क्या उक्त मानदण्डों के पूरा करने के पश्चात् भी नए रेलवे स्टेशनों की स्थापना नहीं की जा रही है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में रेलवे को किन अवरोधों का सामना करना पड़ रहा है; और

(घ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) नया रेलवे स्टेशन स्थापित करने के लिए कोई निर्धारित मानदंड नहीं है। बहरहाल, नए रेलवे स्टेशन परियोजनाओं के हिस्से के रूप में या मौजूदा लाइनों पर परिचालनिक आधार पर तथा परिचालनिक, इंजीनियरी और वित्तीय अर्थक्षमता और संसाधनों की उपलब्धता

को ध्यान में रखते हुए जनसंख्या और ग्रोथ सेंटरों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निर्मित किए जाते हैं।

बराक मिसाइल विनिर्माण कंपनी को काली सूची में डाला जाना

2328. श्री बापू हरि चौरे:
श्री संजय धोत्रे:
श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार इजरायल की बराक मिसाइल विनिर्माण कंपनी को काली सूची में डालने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) बराक प्रक्षेपास्त्ररोधी रक्षा प्रणालियों की अधिप्राप्ति के संबंध में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 9-10-2006 को एक नियमित मामला दर्ज किया है। संबंधित फर्म के विरुद्ध कार्रवाई करना, केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा दर्ज मामले के परिणाम पर निर्भर करेगा।

रेल सेवा

2329. श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन जिलों में रेल सेवा आज तक उपलब्ध नहीं है;

(ख) इन जिलों में अभी तक रेल सेवा आरम्भ नहीं करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन जिलों में रेल सेवा आरम्भ करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) देश के प्रत्येक जिले से रेल संपर्क मुहैया कराने संबंधी ऐसी कोई नीति नहीं है और इस संबंध में आंकड़े नहीं रखे जाते।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

पायलटों के लिए प्रशिक्षण सुविधाएं

2330. श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी:
श्री महेश कनोडीया:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार पायलटों के लिए प्रशिक्षण सुविधाओं को बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने प्रमुख उड़ान प्रशिक्षण संस्थान अर्थात् इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की प्रशिक्षण क्षमता 40 से बढ़ाकर प्रतिवर्ष 100 पायलट कैडेट करने के लिए इन संस्थानों में प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को स्तरोन्नत और आधुनिकीकृत करने का निर्णय लिया है। गोंदिया, महाराष्ट्र में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के अन्तर्गत एक संयुक्त उद्यम प्रयास के रूप में एक विश्व-स्तरीय उड़ान प्रशिक्षण संस्थान की योजना है। सरकार ने एरो क्लब ऑफ इंडिया को अनुदान सहायता के रूप में 12.79 करोड़ रुपए देने का प्रावधान किया है ताकि वह उन चिन्हित जरूरतमंद उड़ान क्लबों को विमान खरीदने के लिए अनुदान सहायता देगा जिनको वाणिज्यिक पायलट लाइसेंस के लिए प्रशिक्षण उड़ान आयोजित करने हेतु नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित किया हो।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद

2331. डा. के. धनराजू:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार हर माह निजी कंपनियों से तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एल.पी.जी.) तथा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों की खरीद करती है;

(ख) यदि हां, तो कंपनी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत एक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा इन कंपनियों को कंपनी-वार कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है;

(घ) सरकार द्वारा उक्त उत्पादों की मांग को अपने स्वयं के तेलशोधक कारखानों से पूर्ति नहीं कर पाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा अपने संसाधनों से पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) मांग को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार निजी पक्षकारों से एल.पी.जी. के साथ-साथ पेट्रोलियम उत्पादों को खरीद रही हैं।

(ग) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा वर्ष 2005-06 के दौरान निजी कंपनियों को पेट्रोलियम उत्पादों/एल.पी.जी. की खरीद के लिए निम्नलिखित राशि का भुगतान किया गया है:-

आई.ओ.सी.	–	6209.79 करोड़ रुपए
एच.पी.सी.	–	5340.341 करोड़ रुपए
बी.पी.सी.	–	3745.77 करोड़ रुपए

(घ) और (ङ) देश एल.पी.जी. के अतिरिक्त सभी पेट्रोलियम उत्पादों के उत्पादन में आत्म निर्भर है। जून 1998 से परिशोधन क्षेत्र को लाईसेंस मुक्त करने के साथ ही देश में घरेलू रिफाइनरियों सहित अधिक अवसंरचना स्थापित की गई है। अब हम पेट्रोलियम उत्पादों के एक निवल निर्यातक बन चुके हैं। आगे देश में ग्यारहवीं योजना के अंत तक सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र की कंपनियों दोनों द्वारा क्षमतावर्द्धन की योजना बनाई जा रही हैं। यह आशा की जाती है कि देश की पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकता को पूरा कर लिया जाएगा और देश पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात करेगा।

विवरण

पी.एस.यू. का नाम	अवधि	निजी कंपनी का नाम	उत्पाद का नाम	मात्रा
1	2	3	4	5
आई.ओ.सी.	2005-06	आर.आई.एल.	ए.टी.एफ,	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 38496 किलोलीटर
			एच.एस.डी.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 873550 किलोलीटर
			एल.पी.जी.	1C50381 एम.टी.
			एम.एस.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 69004 किलोलीटर
			एस.के.ओ.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 941531 किलोलीटर
	अप्रैल-अक्तूबर 2006	आर.आई.एल.	एस.के.ओ.	52 टी.एम.टी.
			एल.पी.जी.	796 टी.एम.टी.
एच.पी.सी.	2005-06	आर.आई.एल.	ए.टी.एफ.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 23765.228 किलोलीटर

1	2	3	4	5
			एच.एस.डी.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 670952.374 किलोलीटर
			एम.एस.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 157187.963 किलोलीटर
			एस.के.ओ.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 314478.492 किलोलीटर
			एल.पी.जी.	521266.85 एम.टी.
	अप्रैल,-नवंबर 2006	आर.आई.एल.	एल.पी.जी.	387700.52 एम.टी.
			ए.टी.एफ.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 11533.494 किलोलीटर
			एस.के.ओ.	15 डिग्री सेंटीग्रेड पर 8856.274 किलोलीटर
बी.पी.सी.	2005-06	हल्दिया पेट्रोकैमिकल लिमिटेड	एल.पी.जी.	7822.31 एम.टी.
			एम.एस.	7676 किलोलीटर
			एस.के.ओ.	113331 किलोलीटर
		आर.आई.एल.	ए.टी.एफ.	12394 किलोलीटर
			एच.एस.डी.	494086 किलोलीटर
			एल.पी.जी.	586.428 टी.एम.टी.
			एम.एस.	90739 किलोलीटर

केरल में खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित किया जाना

2332. **श्री वरकला राधाकृष्णन:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल सरकार से राज्य के वायनाड जिले में एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित किए जाने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल राज्य के वायनाड जिले में चावल पाउडर, गेहूं पाउडर, करी पाउडर आदि की यूनिट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्राप्त करने संबंधी एक प्रस्ताव 10वीं योजना अवधि के दौरान प्राप्त हुआ है। इस प्रस्ताव पर विचार करने के लिए, उक्त यूनिट से कुछ सूचना/कागजात उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है।

मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए वित्तीय सहायता

2333. श्री मंजुनाथ कुन्नुर: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान अब तक कर्नाटक में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण (ए.एस.आई.) के भवनों की मरम्मत तथा जीर्णोद्धार के लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(ख) राज्य में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा जिन स्मारकों का जीर्णोद्धार तथा मरम्मत की गई है/की जा रही है उन स्मारकों का ब्यौरा क्या है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान कर्नाटक में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों की मरम्मत तथा रखरखाव के लिए आवंटित निधियां निम्नानुसार हैं:

(लाख रुपए में)

वर्ष	आबंटन
2003-04	767.17
2004-05	907.41
2005-06	1434.92
2006-07	1145.00

(ख) संरक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। कर्नाटक के 507 केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों में से 140 स्मारकों (विवरण में दिए अनुसार) की विशेष संरक्षण के लिए पहचान की गई है। इसके अतिरिक्त, जब कमी आवश्यक होता है तब नेमी रखरखाव कार्य किए जाते हैं।

विवरण

कर्नाटक में संरचनात्मक संरक्षण हेतु लिए गए स्मारक/स्थल
(चल रहे तथा नए कार्य)

(रुपए लाखों में)

क्र. सं.	स्मारक का नाम	स्थान	जिला	2006-07 के लिए प्रावधान
1	2	3	4	5
1.	किला तथा डुंगियन	बंगलौर	बंगलौर	5.00
2.	चंद्रगिरि पहाड़ियां	श्रवणबेलगोला	हासन	3.00
3.	विन्दयागिरि पहाड़ी	श्रवणबेलगोला	हासन	3.00
4.	कमानाबागिलु के दोनों ओर की खाई की पुश्ता दीवार	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	15.00
5.	अनन्तशयाना गुडी स्थित अनन्त शयाना मंदिर	कमलापुरा	बेलारी	15.00
6.	वेंकटपुरा स्थित मंतप तथा वेदियां	कमलापुरा	बेलारी	15.00
7.	वेंकटपुरा स्थित विट्ठल मंदिर बाजार	कमलापुरा	बेलारी	15.00
8.	वेंकटपुरा स्थित विट्ठल बाजार का मंतप तथा वेदियां	कमलापुरा	बेलारी	10.00

1	2	3	4	5
9.	किला तथा दरवाजे, शाही अहाता	कमलापुरा	बेलारी	10.00
10.	किला तथा दरवाजे, धानायका अहाता	कमलापुरा	बेलारी	5.00
11.	श्री श्रीकान्तेश्वर मंदिर	नंजनगुड	मैसूर	5.00
12.	स्मारक समूह	मुडाबीदरी	उडुपी	10.00
13.	स्मारक समूह	बंडालिके	शिमोगा	10.00
14.	शिवप्पा नाइक का किला	नगारा	शिमोगा	15.00
15.	स्मारक समूह	कोटिपुरा	शिमोगा	10.00
16.	अनन्त पद्मनाभा मंदिर	कारकला	मंगलौर	5.00
17.	अच्युतराय मंदिर, वेंकटपुरा	कमलापुरा	बेलारी	15.00
18.	पुष्करणी लोकपावनी हौज, वेंकटपुर	कमलापुरा	बेलारी	15.00
19.	कृष्णा बाजार, कृष्णापुरा (उत्तर स्कंध)	कमलापुरा	बेलारी	15.00
20.	कदलेकलु गणेश	कमलापुरा	बेलारी	5.00
21.	लक्ष्मी नरसिम्हा मंदिर	मरेहल्ली	मांडया	10.00
22.	किला तथा विशाल मेसनरी हाथी	मादीकेरी	कुर्ग	5.00
23.	गुम्बज जिसमें टीपू सुल्तान का मकबरा तथा मस्जिद शामिल है	श्रीरंगपटना	मांडया	5.00
24.	चित्रदुर्ग किला	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	5.00
25.	दरिया दौलत बाग तथा अन्य स्मारक	श्रीरंगपटना	मांडया	5.00
26.	मलिक रिहान दुर्ग	सिरा	तुमकुर	8.00
27.	वैदेश्वर मंदिर	तलाकडु	मैसूर	10.00
28.	शांतिनाथ बसाडी तथा पन्चकुला बसाड़ी	कम्बडाहल्ली	मांडया	10.00
29.	किला	मंजराबाद	हासन	10.00
30.	चित्रदुर्ग किला (बाउंड्री वाल)	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	20.00
31.	किला	कवालेदुर्ग	शिमोगा	10.00
32.	अच्युतराय मंदिर, वेंकटपुरा	कमलापुरा	बेलारी	1.50
33.	किला दीवार	कमलापुरा	बेलारी	

1	2	3	4	5
34.	रानी का स्नानागार, कमलापुरा	कमलापुरा	बेलारी	4.00
35.	विट्ठल मंदिर से अच्युतराय मंदिर तक नदी किनारे के साथ मंदिर	कमलापुरा	बेलारी	15.50
36.	पट्टाभिरामा मंदिर	कमलापुरा	बेलारी	1.50
37.	धानायका अहाता	कमलापुरा	बेलारी	2.00
38.	शिव तथा गोपाल कृष्ण मंदिर	थिमलामापुरा	बेलारी	1.50
39.	माल्यवंत रघुनाथ मंदिर	कमलापुरा	बेलारी	1.50
40.	विट्ठल मंदिर के दक्षिण की ओर मंदिर मंतप	कमलापुरा	बेलारी	2.00
41.	पार्वती तथा कार्तिकेय मंदिर	संदूर	बेलारी	2.00
42.	टीपू सुल्तान महल	बंगलौर	बंगलौर	1.50
43.	किला	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	1.50
44.	किला	बेलारी	बेलारी	1.50
45.	लोटस महल, कमलापुरा	कमलापुरा	बेलारी	1.50
46.	केशव मंदिर, सोमनाथपुरा	सोमनाथपुरा	मैसूर	1.50
47.	दरिया दौलत बाग	श्रीरंगपटना	मांडया	1.50
48.	कोलारामा मंदिर	कोलार	कोलार	1.50
49.	सोमेश्वरा मंदिर	कोलार	कोलार	1.50
50.	रामालिंगेश्वर मंदिर, अवानी	कोलार	कोलार	1.50
51.	भोगनन्दीश्वरा मंदिर	कोलार	कोलार	1.50
52.	देवनहल्ली किला	बंगलौर	बंगलौर	1.50
53.	कल्लेश्वरा मंदिर	बागली	देवनगिरि	2.00
54.	किला	उचांगी दुर्ग	देवनगिरि	2.00
55.	कल्लेश्वरा मंदिर, अम्बाली	अम्बाली	देवनगिरि	2.00
56.	विन्दयागिरि तथा चंद्रगिरि पहाड़ी स्थित अभिलेख	श्रवणबेलगोला	हासन	1.50
57.	पार्श्वनाथ बसाड़ी तथा आदिनाथ बसाड़ी	हेलेबिडु	हासन	2.00

1	2	3	4	5
58.	केशवा मंदिर	बेलूर	हासन	1.50
59.	चन्नाकेशवा मंदिर	मोसाले	हासन	2.00
60.	नागेश्वरा तथा बुचेश्वरा मंदिर	हीलेबिडु	हासन	1.50
61.	हुचेश्वरा मंदिर	हीलेबिडु	हासन	1.50
62.	होयसलेश्वरा मंदिर	हीलेबिडु	हासन	1.50
63.	श्री श्रीकन्तेश्वरा मंदिर	नन्जनगुड	मैसूर	2.00
64.	कीर्तिनारायणा मंदिर	तलाकडु	मैसूर	2.00
65.	रामेश्वरा मंदिर	नरसामंगला	चामराजनगर	2.00
66.	किला तथा रैनुकुम्बा मंदिर	चन्द्रगुडी	शिमोगा	1.50
67.	स्मारक समूह, इक्केरी	शिमोगा	शिमोगा	1.50
68.	स्मारक समूह	कुबातुर	शिमोगा	2.00
69.	कैथबनेश्वरा मंदिर	कोटीपुरा	शिमोगा	1.50
70.	स्मारक समूह	उदरी	शिमोगा	2.00
71.	किला	नागरा	शिमोगा	1.50
72.	स्मारक समूह	बेलीगावी	शिमोगा	2.00
73.	सौम्या केशव मंदिर	नागामंगला	मांडया	2.00
74.	लक्ष्मीनारायण मंदिर	सिंधगट्टा	मांडया	1.50
75.	पंचकुटा बसाड़ी	कम्बाडल्ली	मांडया	2.00
76.	दरिया दौलत बाग में प्राचीन स्नान घाट	श्रीरंगपटना	मांडया	1.50
77.	टिप्पस बौडी का फाइन्ड स्पॉट, प्राचीन महल तथा डुंगियन	श्रीरंगपटना	मांडया	2.50
78.	दरिया दौलत बाग	श्रीरंगपटना	मांडया	2.50
79.	ऑबलिस्क युद्ध स्मारक	श्रीरंगपटना	मांडया	2.50
80.	किला	जमालाबाद	मंगलौर	2.00
81.	किला	देवन हल्ली	बंगलौर	2.00
82.	मलिकरिहान दरगाह	सिरा	बंगलौर	2.00

1	2	3	4	5
83.	किला	बंगलौर	बंगलौर	2.00
84.	चित्रदुर्गा में किला के भीतर मंदिर	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	1.50
85.	किला के भीतर मिट्टी की संरचना की मरम्मत	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	1.50
86.	किला	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	4.00
87.	अक्का तंगी होंडा, गोपालकृष्ण होंडा तथा कामनाफावी	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	2.00
88.	किला	मदीकेरी	कूर्ग	1.50
89.	शिवप्पा नायक किला	नागरा	शिमोगा	2.00
90.	किला	कावालेदुर्ग	शिमोगा	2.00
91.	किला	चित्रदुर्ग	चित्रदुर्ग	2.00
92.	कालेश्वरा मंदिर	बेगली	देवनगिरि	3.00
93.	कालेश्वरा मंदिर	अंबाली	बेरारी	3.00
94.	विन्धयागिरि पहाड़ी, श्रवणबेलगोला स्थित स्मारक समूह	श्रवणबेलगोला	हासन	5.50
95.	दरिया दौलत बाग	श्रीरंगपटना	हासन	5.00
96.	योगी नारायण तथा सहायक मंदिर	ऐहोल	बागलकोट	2.50
97.	ज्योर्तिलिंग मंदिर समूह	ऐहोल	बागलकोट	0.46
98.	वेनियारं गुडी परिसर	ऐहोल	बागलकोट	3.80
99.	गलगनाथ मंदिर समूह	ऐहोल	बागलकोट	5.00
100.	गोल गुंबज	बीजापुर	बीजापुर	17.07
101.	इब्राहिम रौजा	बीजापुर	बीजापुर	22.58
102.	मिरजन स्थित किला	उत्तर कन्नड़	उत्तर कन्नड़	11.00
103.	तरकश महल	बीदर	बीदर	2.04
104.	रंगीन महल	बीदर	बीदर	1.43
105.	गगन महल	बीदर	बीदर	3.08
106.	सोलह खम्भा मस्जिद	बीदर	बीदर	0.36
107.	सोमेश्वरा मंदिर	हलसी	बेलगांव	1.27

1	2	3	4	5
108.	नगर तथा महल की गेट दीवारें	बीजापुर	बीजापुर	15.11
109.	संगीत और नारी महल	बीजापुर	बीजापुर	35.81
110.	हफ्त गुंबज में फिरोजशाह का मकबरा	गुलबर्ग	गुलबर्ग	1.00
111.	हफ्त गुम्बज में घियातुद्दीन का मकबरा	गुलबर्ग	गुलबर्ग	2.49
112.	विरूपाक्ष मंदिर	पट्टडकल	बागलकोट	10.00
113.	ज्योर्तिलिंग मंदिर समूह	ऐलोह	बागलकोट	5.00
114.	वेनियार गुडी परिसर	ऐहोल	बागलकोट	5.00
115.	पल्लव उत्कीर्ण लेख, बादामी	बागलकोट	बागलकोट	5.00
116.	वन संकरी मंदिर, चोलाचागुड्डा, बादामी में स्थित कोलोनेड्स सहित टैंक	बागलकोट	बागलकोट	5.00
117.	भूवारह नरसिम्हा मंदिर, हल्सी, जिला बेलगांव	हलसी	बागलकोट	10.00
118.	उप मंदिर की मरम्मत, इट्टागी	कोप्पल	बागलकोट	5.00
119.	डोडाबासप्पा मंदिर, डम्बल	गडग	गडग	5.00
120.	ब्रह्मपुर किला के भीतर बड़ी मस्जिद	गुलबर्ग	गुलबर्ग	5.00
121.	मधुकेश्वरा मंदिर, बनवासी	हवेरी	हवेरी	5.00
122.	मिरजन स्थित किला दीवार	उत्तर कन्नड़	उत्तर कन्नड़	5.00
123.	हजरत खलिलुल्लाशाह की चौखंडी, अस्तुर	बीदर	बीदर	5.00
124.	ऐनल मलिक का मकबरा, ऐनापुर	बीजापुर	बीजापुर	5.00
125.	मोट सहित अरकिला	बीजापुर	बीजापुर	5.00
126.	मलिक ए मैदान तोप	बीजापुर	बीजापुर	10.00
127.	नानेश्वरा मंदिर, लक्कुंडी	गडग	गडग	5.00
128.	बुर्जों तथा तोपों सहित किला, ब्रह्मपुर, जिला गुलबर्ग	गुलबर्ग	गुलबर्ग	5.00
129.	बालाहिस्सार जिसे स्थानीय रूप से किला में राना मंडला के रूप में भी जाना जाता है	ब्रह्मपुर	गुलबर्ग	5.00
130.	हफ्त गुम्बज-मकबरा (दो गुम्बदों सहित फिरोजशाह तथा दाबूद शाह का मकबरा)	बाडेपट	गुलबर्ग	5.00

1	2	3	4	5
131.	अरालीबासप्पा मंदिर	ऐहोल	ऐहोल	10.00
132.	ज्योर्तिलिंग मंदिर	ऐहोल	ऐहोल	10.00
133.	परिसर के भीतर पुष्करनी	इट्टगी	कोप्पल	10.00
134.	महादेव मंदिर के आसपास उप मंदिर	इट्टगी	कोप्पल	10.00
135.	बड़ी झील	इट्टगी	कोप्पल	10.00
136.	ऊपरी तथा निचला शिवालय, बदामी	बादामी	बागलकोट	10.00
137.	गोल गुंबज में अहाता दीवार	बीजापुर	बीजापुर	10.00
138.	विरूपाक्ष मंदिर, पट्टडकल	पट्टडकल	बागलकोट	10.00
139.	मल्लिकार्जुन मंदिर	पट्टडकल	बागलकोट	3.45
140.	चिक्कालेश्वरा मंदिर	कोन्नूर	बेलगांव	4.93

बसोली-बानी-भद्रवाह सड़क का निर्माण

2334. चौधरी लाल सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बसोली-बानी-भद्रवाह सड़क को दो लेन वाली सड़क के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा परियोजना की लागत क्या है;

(ग) इस परियोजना पर अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने की समय सीमा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, हां।

(ख) 165.85 कि.मी. सड़क को 270 करोड़ रुपए की लागत से दो लेन की विनिर्दिष्टियों वाली सड़क के रूप में विकसित किया जाना है।

(ग) 0से 30 कि.मी. तथा 145 से 155 कि.मी. सेक्टर में दो लेन बनाने का कार्य चल रहा है और 70% कार्य पूरा हो चुका है।

(घ) यह निर्माण कार्य 2015 तक पूरा किए जाने की योजना है।

[हिन्दी]

नए डिब्बे

2335. श्री तूफानी सरोज:

श्री विजय कृष्ण:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी मेल/एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को वातानुकूलित रेलगाड़ियों में बदलने का है;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के कब तक पूरा कर लिये जाने की संभावना है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु और अधिक रेल डिब्बा निर्माण कारखाने स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) चालू योजना अवधि के दौरान कुल कितने वातानुकूलित तथा गैर-वातानुकूलित सवारी डिब्बे विनिर्मित किये जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) 2006-07 के दौरान कुल 2821 सवारी डिब्बों को विनिर्मित किए जाने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

भारतीय तेल निगम के डिपों से तेल की आपूर्ति

2336. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम के नागपुर डिवीजन के अंतर्गत प्रचालित तेल टैंकरों द्वारा कम तेल की आपूर्ति की शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पेट्रोल पम्प एसोसिएशन ने इस संबंध में कोई शिकायत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस कृत्य को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.) ने रिपोर्ट दी है कि आई.ओ.सी.एल. के नागपुर डिवीजन के अंतर्गत चलने वाले तेल टैंकरों द्वारा कम तेल आपूर्ति की कोई शिकायत नहीं मिली है।

(ग) और (घ) आई.ओ.सी.एल. को तेल टैंकरों द्वारा कथित कम आपूर्ति के संबंध में अकोला पेट्रोल वितरक संघ तथा नासिक जिला इंडियन आयल पेट्रोल वितरक संघ से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

(ङ) तेल विपणन कंपनियों के टर्मिनलों पर लगे प्रवाह मीटरों द्वारा सभी उत्पादों की सुपुर्दगियां की जाती हैं, जो विधियत सील बंद, जांचे गए तथा कानूनी माप पद्धति विभाग द्वारा ठीक किए होते हैं। मीटरों के माध्यम से की गई सुपुर्दगियां सभी टर्मिनलों पर कानूनी माप पद्धति विभाग द्वारा विधिवत अंशांकित माप द्वारा भी जांचे गए होते हैं। कानूनी माप पद्धति विभाग द्वारा टैंक ट्रकों का भी अंशांकन किया जाता है। किसी विसंगति की स्थिति में, कानूनी माप पद्धति विभाग द्वारा टैंक ट्रकों को पुन: अंशांकन द्वारा ठीक किया जाता है, जो एक सतत् प्रक्रिया है। कानूनी माप पद्धति विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई सीलें हर समय संरक्षित और सुरक्षित रखी जाती हैं।

[अनुवाद]

विमान यात्रा के टिकटों हेतु निजी एजेन्टों को प्राधिकृत करना

2337. श्री एम. अप्पादुरई: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विमानपत्तनों/एयरलाइनों के सुरक्षा खतरे के मद्देनजर विमान यात्रा के टिकटों हेतु प्राधिकृत एजेन्टों को निरस्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का दोहरीकरण

2338. श्री अजीत जोगी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने देश में पत्तनों को जोड़ने वाली रेल लाइनों के दोहरीकरण की योजना शुरू कर दी है;

(ख) यदि हां, तो देश में विभिन्न पत्तनों से होकर गुजरने वाली तथा जोड़ने वाली उन रेल लाइनों का ब्यौरा क्या है जिन पर कार्य शुरू हो चुका है;

(ग) क्या दसवीं योजना के अन्त तक कार्य पूरा होने का कोई मूल्यांकन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) इन रेल लाइनों के जरिए जोड़े जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की कुल संख्या कितनी है;

(च) क्या रेल लाइनों के दोहरीकरण के कार्य की प्रक्रिया धीमी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) 10वीं योजना के दौरान 17 में से 11 परियोजनाओं को पूरा करने का लक्ष्य है और शेष को 11वीं योजना में पूरा किया जाएगा।

(ङ) सात (7)

(च) और (छ) मार्च, 2007 तक 11 परियोजनाओं को पूरा करने की योजना है जिसमें दोहरीकरण के लिए स्वीकृत सभी पांचों कार्य शामिल है।

विवरण

राष्ट्रीय रेल विकास योजना (एन.आर.वी.वाई.) के तहत देश में विभिन्न पत्तनों से सम्पर्क मजबूत करने हेतु रेलवे ने नई लाइन, आमान परिवर्तन और दोहरीकरण की परियोजनाओं को शुरू किया गया है: इन परियोजनाओं का विवरण नीचे दिया गया है:

पत्तन संपर्क कार्य (स्वीकृत)

(करोड़ रु. में)

क्र. सं.	परियोजना	योजना शीर्ष	लम्बाई (कि.मी. में)	लागत	मार्च, 2006 तक प्रत्याशित	परिव्यय 06-07	लक्ष्य जहां कहीं निर्धारित किया गया हो
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	अबुलाबेरीपेले-कृष्णापत्तनम	नई लाइन	113	426.34	0	10	2010-11.
2.	पनवेल-करजत	नई लाइन	28	137.43	130.58	1	पूरा हो गया है।
3.	दैतारी-बांशपानी	नई लाइन	155	913.87	583.48	155.85	2006-07.
4.	हरीदासपुर-पाराद्वीप	नई लाइन	82	594.34	29.51	44	2008.09.
5.	अंगुल-सुकिंदा	नई लाइन	98	344	0.88	20	
6.	भरुच-सामनी-देहज	आमान परिवर्तन	62.36	165.66	0	10	
7.	गांधीधाम-पालनपुर	आमान परिवर्तन	313	344.62	226.95	65	पूरा हो गया है।
8.	सुरेन्द्र नगर-भावनगर-राजुला-महुआ, पिपावाव और सिहौर-पलीताना तक विस्तार सहित	आमान परिवर्तन	385	440.19	446.04	5	पूरा हो गया है।
9.	अरसीकेरे-हसन-मंगलोर	आमान परिवर्तन	236	417.45	326	0.01	पूरा हो गया है।
10.	भिलदी-समदड़ी	आमान परिवर्तन	223	244.74	8.72	115	2007-08.
11.	अजमेर-फुलेरा-रिंगस-रिवाड़ी	आमान परिवर्तन	294.97	469.1	0.01	270	2007-08
12.	वृद्धाचल्लम के रास्ते कोडालोर-सेलम	आमान परिवर्तन	191	261	151.56	80	2006-07.

1.	2	3	4	5	6	7	8
13.	तंजाबुर-विलूपुरम	आमान परिवर्तन	192	231	94.3	100	2007.08.
14.	पंवेल-जसई-जेएनपीटी	दोहरीकरण	28.5	53.25	22.62	8	पूरा हो गया है।
15.	नेरगुंडी-कटक-रघुनाथपुर	दोहरीकरण	43	174.98	164.31	10	पूरा हो गया है।
16.	राहामा-पाराद्वीप	दोहरीकरण	23	75.51	69.17	5	पूरा हो गया है।
17.	रजतगढ़-नेरगुंडी	दोहरीकरण	28	84.84	83.04	0.2	पूरा हो गया है।
18.	पंशकुरा-हल्दीया चरण-I	दोहरीकरण	14	35.02	28.68	0.5	पूरा हो गया है।

पत्तन संपर्क कार्य (अस्वीकृत)

1.	सूरत-हजीरा	नई लाइन	36.36	138.4	1
2.	पंशकुरा-हल्दीया चरण-II	दोहरीकरण	54	239.25	2
3.	छतरपुर-गोपालपुर	नई लाइन		50	3

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करना

2339. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्री गिरिधारी यादव:
श्री एन.एन. कृष्णदास:
श्री ई.जी. सुगावनम:
श्री सुनील खां:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 'ब्योरो फॉर रिकंस्ट्रक्शन ऑन पब्लिक इंटरप्राइजेज' ने बहुत से सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को पुनः चालू करने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो उन्हें पुनः चालू करने के लिए अनुमोदित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का ब्यौरा एवं नाम क्या हैं तथा पुनः चालू किए जाने संबंधी योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकारी क्षेत्र के इन रुग्ण उपक्रमों के कब तक पुनः चालू कर दिए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) और (ख) सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) अक्तूबर, 2006 तक केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों (सी.पी.एस.ईज) के 34 मामलों (विवरण-I) में पुनरुद्धार के लिए अपनी सिफारिशें प्रदान कर चुका है। सरकार ने केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यमों के 20 मामलों (विवरण-II) के संबंध में प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है।

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत पुनरुद्धार पैकेजों में सामान्यतया यह परिकल्पना की जाती है कि केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उद्यम उनके पुनरुद्धार पैकेज की मंजूरी के 1 से 2 वर्ष (वर्षों) के भीतर लाभ दर्शाना आरंभ कर देंगे।

विवरण-I

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची, जिनके पुनरुद्धार के प्रस्तावों को सरकारी उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनि (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग
3.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
4.	टायर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग
5.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय
6.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लि. और इसकी सहायक कंपनियां	वस्त्र मंत्रालय
7.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लि.	उर्वरक विभाग
8.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.	भारी उद्योग विभाग
9.	प्रागा टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
10.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
11.	नेपा लि.	भारी उद्योग विभाग
12.	रिचर्डसन एण्ड क्रूडास लि.	भारी उद्योग विभाग
13.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	नौवहन विभाग
14.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
15.	भारत वेगन एण्ड इंजीनियरिंग कं. लि.	भारी उद्योग विभाग
16.	भारत पम्प्स एण्ड कंप्रेशर्स लि.	भारी उद्योग विभाग
17.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
18.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय
19.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग
20.	एच.एम.टी. मशीन टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
21.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग
22.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
23.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
24.	खनिज गवेषण निगम लि.	खान मंत्रालय
25.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.	उर्वरक विभाग
26.	हिन्दुस्तान शिपयार्ड लि.	नौवहन विभाग
27.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
28.	राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम लि.	जल संसाधन मंत्रालय
29.	मेकॉन लि.	इस्पात मंत्रालय
30.	एण्ड्रयु यूले एण्ड कं. लि.	भारी उद्योग विभाग
31.	इंस्ट्रूमेंटेशन लि.	भारी उद्योग विभाग
32.	स्टेट फार्म्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	कृषि एवं सहकारिता विभाग
33.	बंगाल कैमिकल्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लि.	कैमिकल्स एण्ड पेट्रोकैमिकल्स विभाग
34.	त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लि.	भारी उद्योग विभाग

विवरण-II

सरकारी क्षेत्र के उन उद्यमों की सूची, जिनके पुनरुद्धार के प्रस्तावों को सरकार द्वारा अनुमोदित किया जा चुका है

क्र.सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	हिन्दुस्तान साल्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
2.	ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इंडिया) लि.	भारी उद्योग विभाग
3.	बी.बी.जे. कंस्ट्रक्शन कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग
4.	ब्रिटिश इंडिया कारपोरेशन लि.	वस्त्र मंत्रालय
5.	नेशनल टेक्सटाईल्स कारपोरेशन लि. और इसकी सहायक कंपनियां	वस्त्र मंत्रालय
6.	एच.एम.टी. बियरिंग्स लि.	भारी उद्योग विभाग
7.	प्रागा टूल्स लि.	भारी उद्योग विभाग
8.	ब्रेथवेट एण्ड कंपनी लि.	भारी उद्योग विभाग

क्र. सं.	केन्द्रीय सरकारी उद्यम का नाम	मंत्रालय/विभाग का नाम
9.	रिचर्डसन एण्ड क्रुडास लि.	भारी उद्योग विभाग
10.	केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि.	नौवहन विभाग
11.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लि.	भारी उद्योग विभाग
12.	हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
13.	इस्टर्न कोलफील्ड्स लि.	कोयला मंत्रालय
14.	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि.	भारी उद्योग विभाग
15.	हैवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन लि.	भारी उद्योग विभाग
16.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
17.	हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लि.	रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग
18.	खनिज गवेषण निगम लि.	खान मंत्रालय
19.	फर्टिलाइजर्स एण्ड कैमिकल्स त्रावणकोर लि.	उर्वरक विभाग
20.	सेन्ट्रल इलेक्ट्रोनिक्स लि.	वैज्ञानिकी एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग

[अनुवाद]

एथनॉल मिश्रित पेट्रोल

2340. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास पेट्रोल मिश्रण हेतु आवश्यक एथनॉल के मूल्य के संबंध में कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य प्रकरण को सुलझाने हेतु पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कृषि मंत्रालय, तेल क्षेत्र की कंपनियों तथा चीनी विनिर्माता संघ की संयुक्त बैठक हुई थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई समझौता हुआ था;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस योजना को कब तक लागू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ङ) अप्रैल, 2006 में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग, तेल क्षेत्र कंपनियां, भारतीय चीनी मिल संघ (आई.एस.एम.ए.), सहकारी चीनी फैक्ट्रीज लिमिटेड के राष्ट्रीय परिसंघ (एन.एफ.सी.एस.एफ.), भारतीय एथेनोल विनिर्माता संघ तथा महाराष्ट्र आसवनी संघ की संयुक्त बैठक के बाद, गन्ने के मूल्य से संबद्ध एथेनोल के ऐसे मूल्य निर्धारण के लिए, जिस पर सभी एथेनोल विनिर्माता तेल विपणन कंपनियों को इसकी आपूर्ति कर सकें। एक सूत्र का सुझाव देने के उद्देश्य से आई.एस.एम.ए., एफ.एफ.सी.एस.एफ., ई.एम.ए.ई. तथा सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों के प्रतिनिधियों की एक समिति बनाई गई थी। समिति पारस्परिक मतैक्य पर एथेनोल का बुनियादी मूल्य निर्धारण के लिए कोई सूत्र नहीं बना सकी।

(च) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के दिनांक 20-9-2006 की राजपत्र अधिसूचना सं. सा.का.नि. 580(ई) द्वारा यह निर्देश दिया गया कि वाणिज्यिक व्यवहार्यता की शर्त पर, तेल विपणन कंपनियां (ओ.एम.सीज) अधिसूचित 20 राज्यों तथा 4 संघ राज्य क्षेत्रों में भारतीय मानक ब्यूरो के विनिर्देशों को पूरा करने वाले 5% एथेनोल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री करेंगी। इस आधार पर, ओ.एम.सीज के डिपुओं/टर्मिनल स्थलों

पर एथेनोल की प्राप्ति के लिए औद्योगिक आधार पर ओ.एम.सीज ने सार्वजनिक निविदाएं मांगी। यह निविदाएं 3 वर्षों की अवधि के लिए है, जिसे दोनों पक्षकारों की पारस्परिक सम्मति पर और 2 वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है। अभी तक उद्योग ने प्रथम आपूर्ति अवधि के लिए उत्तर प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र (आंशिक रूप से पुणे स्थल के लिए) तथा तमिलनाडु (चेन्नई के अलावा) में तेल ओ.एम.सीज के स्थलों के लिए मात्राएं निर्धारित की हैं। अन्य राज्यों और स्थलों के लिए निविदाओं का अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है।

मिग-29 के संबंध में अध्ययन

2341. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना ने अग्रिम रक्षा पंक्ति के युद्धक विमान मिग-29 के प्रचालन काल को बढ़ाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नेशनल एरोस्पेस लेबोरेट्रीज (एन.ए.एल.) ने मिग-29 के कुल तकनीकी प्रचालन काल को बढ़ाए जाने के संबंध में कोई अध्ययन किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है; और

(च) इस मामले में और क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (च) मिग-29 के समग्र तकनीकी उपयोगिता काल को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला (एन.ए.एल.) के साथ एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना में समग्र तकनीकी उपयोगिता काल को 2500 घंटे/25 वर्ष से बढ़ाकर 3000 घंटे/30 वर्ष तथा इससे अधिक करने की परिकल्पना की गई है। राष्ट्रीय एयरोस्पेस प्रयोगशाला की परियोजना पर अभी तक 98 लाख रुपए व्यय किए जा चुके हैं तथा परियोजना के चार चरण पूरे हो चुके हैं। मूल उपस्कर निर्माता से अब बेहतर प्रौद्योगिकियां उपलब्ध हैं जो वायुयान की परिचालन-क्षमता में काफी वृद्धि कर सकती हैं।

खड़गपुर रेल कार्यशाला

2342. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का खड़गपुर रेल कार्यशाला का विस्तार करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं। बहरहाल, खड़गपुर कारखाने के आधुनिकीकरण के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। इस आधुनिकीकरण प्रस्ताव से प्रक्रियाओं के बाधारहित होने तथा संयंत्र की उत्पादकता में सुधार होने के कारण कारखाने की क्षमता में भी सुधार होगा।

(ख) खड़गपुर के आधुनिकीकरण की अनुमानित लागत 91.7 करोड़ रु. हैं।

(ग) यह प्रस्ताव विचाराधीन है।

[हिन्दी]

अ.जा./अ.ज.जा. के अभ्यर्थियों को खुदरा बिक्री केन्द्रों का आबंटन

2343. श्री पुन्नूलाल मोहले: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र स्वीकृत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे बिक्री केन्द्र एच.पी.सी.एल. द्वारा कंपनी की अपनी लागत से स्थापित किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस श्रेणी के व्यक्तियों को ऐसे बिक्री केन्द्र स्थापित करने हेतु भूमि खरीदने हेतु बाध्य किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) देश में वर्ष 2005 से आज तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों के लिए कंपनी द्वारा राज्य-वार कितने बिक्री केन्द्र स्वीकृत किये गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) ने सूचित किया है कि डीलर चयन दिशा निर्देशों के अनुसार, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के लिए आरक्षण 25% है।

(ख) संचयी निधि योजना के अंतर्गत, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्रों (आर.ओज) के संबंध में, भूमि की व्यवस्था सहित सभी निवेश एच.पी.सी.एल. द्वारा किए जाते हैं और आबंटियों को खुदरा बिक्री केन्द्र की डीलरशिप तैयार स्थित में सुपुर्द की जाती हैं।

(ग) और (घ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणियों के उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करने के लिए भूमि खरीदने हेतु बाध्य नहीं किया जाता है। यदि आशय पत्र (एल.ओ.आई.) धारक शीघ्र चालू किए जाने के प्रयोजन से स्वयं ही खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना हेतु भूमि का प्रस्ताव देने के इच्छुक होते हैं तो एच.पी.सी.एल. द्वारा उपयुक्त किरायों पर पट्टे पर उस भूमि को ले लिया जाता है।

(ङ) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से संबंधित उम्मीदवारों को जनवरी, 2005 से अक्तूबर, 2006 की अवधि के दौरान एच.पी.सी.एल. द्वारा संस्वीकृत खुदरा बिक्री केन्द्रों की संख्या 867 है। एच.पी.सी.एल. द्वारा अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों से संबंधित उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्रों की मंजूरी से संबंधित राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत जनवरी 2005 से अक्तूबर, 2006 के दौरान जारी किए गए आशय पत्र (एल.ओ.आई.) की राज्यवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य	जनवरी 2005 से अक्तूबर 2006 के दौरान जारी आशय पत्रों की संख्या	
		अनुसूचित जाति वर्ग के तहत	अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	55	10
2.	अरुणाचल प्रदेश	0	0
3.	असम	0	0
4.	बिहार	19	0
5.	छत्तीसगढ़	8	16
6.	दिल्ली	0	0
7.	गुजरात	17	33
8.	गोवा	5	0
9.	हरियाणा	40	0
10.	हिमाचल प्रदेश	5	1
11.	जम्मू-कश्मीर	8	15
12.	झारखण्ड	3	10
13.	कर्नाटक	39	11
14.	केरल	19	3
15.	मध्य प्रदेश	23	33
16.	महाराष्ट्र	43	34
17.	मणिपुर	0	0
18.	मेघालय	0	0
19.	मिजोरम	0	0
20.	नागालैण्ड	0	0
21.	उड़ीसा	14	17
22.	पंजाब	103	0
23.	राजस्थान	59	40
24.	सिक्किम	0	0
25.	तमिलनाडु	74	4
26.	त्रिपुरा	0	0
27.	उत्तरांचल	10	0

1	2	3	4
28.	उत्तर प्रदेश	78	0
29.	पश्चिम बंगाल	10	4
30.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	0	0
31.	चंडीगढ़	0	0
32.	दादरा और नागर हवेली	0	0
33.	दमन और दीव	0	0
34.	लक्षद्वीप	0	0
35.	पांडिचेरी	4	0
	योग	636	231

[हिन्दी]

हवाई पट्टियों का विस्तार/रखरखाव

2344. श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री हरिसिंह चावड़ा:
श्री गणेश सिंह:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार देश में हवाई पट्टियों के विस्तार तथा रखरखाव के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो हवाई पट्टी-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा हवाई पट्टी-वार कितनी धनराशि आबंटित की गई; और

(घ) उक्त कार्य के कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान विकसित की जाने वाले हवाईपट्टियों उनके विकास की अनुमानित लागत है : अजमेर-15 करोड़ रु., माऊंट आबू-3 करोड़ रु., बेहाला-15 करोड़ रु., कूच बिहार-15 करोड़ रु., झार सुगुड़ा-5 करोड़ रु., मालदा-5 करोड़ रु., मुजफ्फरपुर-5 करोड़ रु., कमालपुर-5 करोड़ रु., कैलाशहर-5 करोड़ रु., पासीघाट-10 करोड़ रु., रूपसी-5 करोड़ रु., अकोला-10 करोड़ रु., हसन-5 करोड़ रु. तथा मैसूर-37 करोड़ रु.।

रीवा तथा रायपुर के बीच रेल लाइन

2345. श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री विजय कुमार खंडेलवाल:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कटनी के रास्ते रीवा से रायपुर के बीच नई रेल लाइन बिछाने हेतु मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गैस मूल्य निर्धारण नीति

2346. डा. चिन्ता मोहन:
श्री रामजीलाल सुमन:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री पुन्नूलाल मोहले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गैस मूल्य निर्धारण नीति बनाने हेतु गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ख) यदि हां, तो समिति ने क्या-क्या सिफारिशें की हैं;

(ग) सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) शेष सिफारिशों को स्वीकृत न करने के क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार को रिपोर्ट की कुछ सिफारिशों पर कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सी.) के तहत अपेक्षित लागत पेट्रोलियम, लाभ पेट्रोलियम, रायल्टी तथा अन्य परिकलनों के प्रयोजन से सरकारी अनुमोदन दिए जाने के लिए गैस मूल्य फार्मूला/आधार के अनुमोदन हेतु पारदर्शी दिशा-निर्देश तैयार करने के उद्देश्य से एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट पहले ही प्रस्तुत कर दी है।

(ख) समिति द्वारा दी गई सिफारिशों का सारांश संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) से (घ) समिति की रिपोर्ट सरकार के पास जांचाधीन है।

विवरण

1. जहां प्राकृतिक गैस का मूल्यांकन अनिवार्यत: सरकार द्वारा किया जाना है, वहां विधिवत् वर्तमान मूल्य की तर्ज पर क्षेत्र में हाल ही में प्रतिस्पर्द्धात्मक रूप से निर्धारित मूल्य आधार पर ही किया जाए।

2. सूचांककन बाजार निर्धारित संविदा के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा, क्योंकि प्रत्येक बाजार निर्धारित मूल्य की एक संविदा होती है जो प्राकृतिक गैस की आपूर्ति के विभिन्न निबंधनों और शर्तों का निर्धारण करती है।

3. विशेषत: आवधिक गैस मूल्य समीक्षाओं के लिए दीर्घकालिक गैस संविदाओं में एक खण्ड होता है। यदि संविदा के अनुरूप मूल्य की समीक्षा की जाती है तो वह नया संदर्भ मूल्य बन सकता है। अंतरिम अवधि के लिए, इसे भट्ठी तेल (एफ.ओ.) के मूल्य में प्रतिशत वृद्धि के साथ जोड़ा जा सकता है। एफ.ओ. न केवल सस्ता द्रव ईंधन है, किन्तु हाल के वर्षों में इसने कम मूल्य अस्थिरता भी दिखाई है।

4. उक्त मूल्यांकन प्रणाली ऐसे मामलों में अपनाई जा सकती है, जहां वास्तविक आपूर्ति शुरू हो गई है किन्तु बाजार व्यवस्था द्वारा मूल्य तय नहीं किया जा सका।

5. यदि किसी उत्पादक द्वारा किसी उपभोक्ता को की जाने वाली आपूर्ति का वास्तविक मूल्य, उक्त प्रणाली द्वारा परिकलित मूल्य से अधिक होता है, तो सरकार की आय के लिए उच्चतर मूल्य को ही मान्य माना जाएगा।

6. समिति की सिफारिशों को लागू करने की संभाव्यता की स्थिति में, महानिदेशक हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) तथा निदेशक, पेट्रोलियम योजना व विश्लेषण कक्ष (पी.पी.ए.सी.) संयुक्त रूप से समिति की संस्तुत प्रणाली के आधार पर मूल्यांकन निर्धारित करेंगे।

7. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी भी डी.जी.एच. की होगी कि गैस उत्पादक तद्नुसार सरकार की आय (लाभ पेट्रोलियम, रायल्टी आदि) का भुगतान करें।

[अनुवाद]

एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन हेतु रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल की सुविधाएं

2347. श्री जे.एम. आरून रशीद: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाओं हेतु स्वतंत्र सहायक कंपनी स्थापित करने हेतु एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन की बड़ी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने इसके बजाय भारत में ऐसी रखरखाव, मरम्मत तथा ओवरहॉल सुविधाएं स्थापित करने हेतु निजी एयरलाइनों को अनुमति दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) एअर इंडिया तथा इंडियन एयरलाईंस के विलय के लम्बित होने के विचार से, इस समय सरकार ने मामले पर अन्तिम निर्णय स्थगित कर दिया है।

(ग) और (घ) बोइंग तथा एयरबस इंडस्ट्री से विमान खरीदने के अनुवर्ती, उनके संविदात्मक बाध्यताओं के भाग के रूप में, दोनों विनिर्माताओं ने भारत में अनुरक्षण, मरम्मत तथा रखरखाव (एम.आर.ओ.) की सुविधाओं को स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

मैंगलोर तेलशोधक कारखाने का विकास

2348. श्री मनोरंजन भक्त: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मैंगलोर तेलशोधक कारखाना तथा

पेट्रोकेमिकल्स को अपने पेट्रोलियम केन्द्र के रूप में, जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्र का भाग होगा, विकसित करने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इसके द्वारा शोधित उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादों की बिक्री हेतु ग्राहकों/देशों की पहचान करने में सक्षम रही हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस प्रयोजनार्थ कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) ऑयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ.एन.जी.सी.) ने ओ.एन.जी.सी. और मंगलौर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (एम.आर.पी.एल.), ओ.एन.जी.सी. की सहायक कंपनी, की मूल्य वर्धन परियोजनाओं के लिए वांछित मूलभूत सुविधाओं के विकास को सुकर बनाने के लिए मंगलौर में एक विशेष आर्थिक क्षेत्र (एस.ई.जेड.) की स्थापना के लिए कर्नाटक सरकार (जी.ओ.के.) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

"मंगलौर एस.ई.जेड. लिमिटेड" के नाम में एस.ई.जेड. के विकास के लिए एक विशेष उद्देश्य का माध्यम (एस.पी.वी.) निम्नलिखित वित्तीय संरचना के साथ 24-2-2006 को निगमित किया गया है:-

(i)	ओ.एन.जी.सी.	26%
(ii)	कर्नाटक सरकार द्वारा संवर्धित के.आई.ए.डी.बी.*	23%
(iii)	के.सी.सी.आई.*+आई.एल. एण्ड एफ.एस.*	51%

आवश्यक मूलभूत सुविधाओं के विकास के साथ एम-एस.ई.जेड. में स्थित सूत्रधार उद्योग के रूप में ओ.एन.जी.सी.-एम.आर.पी.एल. द्वारा स्थापित की जाने वाली योजित परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:-

(i) 7,943 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर मौजूदा 9.69 एम.एम.टी.पी.ए. रिफाइनरी क्षमता का विस्तार/उन्नयन करके 15 एम.एम.टी.पी.ए. करना;

(ii) मंगलौर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (प्रस्तावित), ओ.एन.जी.सी. और एम.आर.पी.एल. के साथ एस.पी.वी. के माध्यम से क्रमशः 46% और 3% इक्विटी लेते हुए 4853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर पेराजाइलीन और बेन्जीन का उत्पादन करने के लिए एरोमैटिक काम्प्लैक्स का विकास और शेष का वित्तपोषण निजी व्यवस्थाओं/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से करना है; और

(iii) लगभग 12,000 करोड़ रुपए की परियोजना लागत पर ओलफिन काम्प्लेक्स।

(ग) और (घ) पूर्वोत्तर एशिया अर्थात चीन, जापान और कोरिया इत्यादि में इन मूल्य वर्धित उत्पादों की अच्छी मांग है।

(ङ) और (च) हां, क्षमता उन्नयन और एरोमेटिक परियोजनाओं के लिए लक्ष्यों के साथ निवेश-अनुमोदन अनुमोदित कर दिए गए हैं। उन्नयन परियोजना जून 2010 में पूरा किए जाने की संभावना है जबकि एरोमेटिक काम्प्लेक्स 2010 के अंत में पूरा किए जाने का अनुमान है।

- कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (के.आई.ए.डी.बी.)
- कनारा वाणिज्य और उद्योग मंडल (के.सी.सी.आई.)
- इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनैंसियल सर्विसेज लि. (आई.एल. एंड एफ.एस.)।

[अनुवाद]

डिब्रूगढ़ तथा मारधेरिटा लेडो विमानपत्तनों पर धावनपट्टी का उन्नयन

2349. श्री सर्वानन्द सोनोवाल: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) डिब्रूगढ़ विमानपत्तन पर टर्मिनल भवन के निर्माण तथा धावनपट्टी के विस्तार की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) निर्माण कार्य के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने तिनसुकिया जिले में मारधेरिटा लेडो हवाईपट्टी का उन्नयन करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल):

(क) और (ख) टर्मिनल भवन के निर्माण का कार्य प्रगति पर है तथा इसके जून, 2007 तक पूरा होने की आशा है। भूमि विवाद के कारण रनवे के विस्तार का कार्य रूक गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में स्मारकों का संरक्षण

2350. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को सुवर्ण कर्नाटक-2006 परियोजना के अन्तर्गत विजयनगर वंश सहित राज्य में शासन करने वाले सात प्रमुख वंशों के स्मारकों के संरक्षण हेतु वित्तीय सहायता का अनुरोध करते हुए कर्नाटक सरकार से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के अनुरोध पर विचार किया है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय के कब तक लिये जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) कर्नाटक सरकार से एक प्रस्ताव जनवरी, 2006 में प्राप्त हुआ है जिसमें सुवर्ण कर्नाटक-2006 परियोजना के भाग के रूप में विजयनगर वंश सहित कर्नाटक में मन्दिरों, जैन बसाड़ियों तथा सात प्रमुख वंशों के किलों जैसे स्मारकों के संरक्षण हेतु 5.00 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता की मांग की गई है।

(घ) और (ङ) चूंकि जिन स्मारकों के लिए वित्तीय सहायता मांगी गई है वे केन्द्रीय संरक्षित स्मारक नहीं हैं, इसलिए ऐसी वित्तीय सहायता देने का कोई प्रावधान नहीं है।

अमेरिका के साथ समझौता ज्ञापन

2351. श्री कैलाश मेघवाल:

श्री बालेश्वर यादव:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत में नागर विमानन बुनियादी संरचना के विकास तथा आधुनिकीकरण हेतु फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफ.ए.ए.) ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कर कोई समझौता किया है जैसा कि 14 नवम्बर, 2006 के **द हिन्दुस्तान टाइम्स** में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा तथा तथ्य क्या हैं;

(ग) दोनों पक्षों द्वारा किन-किन कार्यविधियों तथा व्यापक मानदंडों पर सहमति हुई है;

(घ) इस समझौते ज्ञापन से भारत को क्या लाभ होने की संभावना है; और

(ङ) यह समझौता कितनी समयावधि के लिए किसी नवीकरण उपबंध के साथ प्रभावी होगा?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) यह समझौता ज्ञापन निम्नलिखित क्षेत्रों में नागर विमानन सेक्टर में तकनीकी एवं प्रबंधकीय विशेषज्ञता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर के प्रावधानों को संभव बनाता है:-

(i) नागर विमानन अवसंरचना, मानकों, प्रक्रियाओं, नीतियों, प्रशिक्षण तथा उपकरण के विकास, सुधार तथा प्रचालन में तकनीकी तथा प्रबंधकीय विशेषज्ञता प्रदान करना।

(ii) विमानन सुरक्षा क्षेत्रों के रेंज में सहयोग करना।

(iii) नागर विमानन कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।

(iv) हमारे नागर विमानन उपकरण तथा विमान विक्यालन सुविधाओं का निरीक्षण तथा अंशशोधन करना।

(v) भारत में विमान प्रमाणन में सहायता प्रदान करना।

(vi) हैलीकॉपटर प्रचालनात्मक सुरक्षा उपक्रम के क्षेत्र में सहायता प्रदान करना।

(ङ) यह एक विवृतांत (ओपन एंडिड) करार है जिसमें समापन का प्रावधान शामिल है।

विकलांग यात्रियों से प्राप्त शिकायतें

2352. श्री एम. शिवन्ना:

श्री रेवती रमन सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागर विमानन महानिदेशक ने घरेलू एयरलाइनों से यात्रियों की अत्यधिक शिकायतों के कारण विकलांगों की आवश्यकताओं के प्रति संवेदनशील रहने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जारी किए गए निदेशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निदेशों को क्रियान्वित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) नागर विमानन महानिदेशालय (डी.जी.सी.ए.) ने प्रत्येक एयरलाइंस को निर्देश दिया है कि वे अपने संबंधित सिटिजन चार्टर में शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों के लिए प्रावधान करें, जिसमें शारीरिक रूप से विकलांग यात्रियों को एयरलाइनों द्वारा उपलब्ध कराई जा रही विभिन्न सुविधाओं की सूचना उपलब्ध कराई जाती है। इस संबंध में सूचना संबंधित वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(ग) से (ङ) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों पर सिटिजन चार्टर में समाविष्ट आवश्यकताओं का एयरलाइनों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

[हिन्दी]

तेल के डिपो

2353. श्री रामदास आठवले: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में तेल कंपनियों के कितने तेल के डिपो हैं और इनकी पृथक्-पृथक् राज्यवार भंडारण क्षमता कितनी है; और

(ख) इन डिपुओं से स्थानीय लोग किस प्रकार लाभान्वित हो रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) देश के जनजातीय क्षेत्रों में तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) की भंडारण क्षमता समेत डिपुओं के राज्य-वार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) स्थानीय लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार, ढुलाई ठेका, सुरक्षा ठेका, परिवहन ठेके आदि जैसे अप्रत्यक्ष रोजगार के मार्ग से लाभ मिलता है। उपर्युक्त के अलावा, आपूर्ति स्थानों के निकट सामीप्य के कारण पेट्रोलियम उत्पादों की यथासमय आपूर्ति से भी, स्थानीय लोगों को लाभ मिलता है।

विवरण

जनजातीय क्षेत्रों में तेल विपणन कंपनियों की भण्डारण क्षमता समेत डिपुओं का राज्यवार ब्यौरा

राज्य का नाम	डिपुओं की संख्या	टैंकेज क्षमता (कि.ली. में)
आन्ध्र प्रदेश	2	260422
अरुणाचल प्रदेश	2	7390
छत्तीसगढ़	2	9570
जम्मू-कश्मीर	1	5850
झारखण्ड	6	37841
मध्य प्रदेश	2	21409
महाराष्ट्र	3	328943
मणिपुर	1	6760
मेघालय	1	6250
मिजोरम	1	1520
नागालैण्ड	1	9890
उड़ीसा	1	35
राजस्थान	1	15467
सिक्किम	2	2200

[अनुवाद]

चालकों के लिए अत्याधुनिक चेतावनी प्रणाली

2354. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे एक अत्याधुनिक फूलप्रूफ प्रोटेक्शन एण्ड

वार्निंग सिस्टम (चूक रहित संरक्षा और चेतावनी प्रणाली) विकसित कर रही है जो चालक की गलती के कारण होने वाली ट्रेन भिड़ंत की आशंका को टाल सकती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पिछले कुछ वर्षों में ट्रेन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अनेक कदम उठाए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या ये कदम अपर्याप्त पाये गये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो हाल ही में चालकों के लिए विकसित की गई अत्याधुनिक प्रणाली के कितना कारगर होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी हां। ड्राइवरों और स्टेशन कर्मचारी की गलती के कारण गाड़ी टक्कर की संभावना को रोकने के लिए सिगनलिंग आधारित गाड़ी सुरक्षा चेतावनी प्रणाली (टी.पी.डब्ल्यू.एस.) और ग्लोबल पोजिशनिंग प्रणाली (जी.पी.एस.) आधारित टक्कर रोधी उपकरण (ए.सी.डी.) का प्रायोगिक शुरुआत प्रगति पर है। टी.पी.डब्ल्यू.एस. को उत्तर, उत्तर मध्य और दक्षिण रेलवे के दिल्ली-आगरा और चेन्नै गुम्मिदीपुंडी खंडों में संस्थापित किया जा रहा है। ए.सी.डी. का पूर्वोत्तर सीमा रेलवे (एन.एफ.आर.) के कटिहार-न्यू जलपाईगुड़ी-गुवाहाटी-तिनसुकिया-डिब्रुगढ़ खंड में परीक्षण के रूप में उपयोग किया जा रहा है।

(ग) और (घ) भारतीय रेल उपलब्ध प्रौद्योगिकी के अनुरूप गाड़ी दुर्घाटनाओं को रोकने के उपाय करती रहती है और इन उपायों का दायरा आवश्यकता के अनुरूप बढ़ता रहता है।

(ङ) इन प्रणालियों की कारगरता पर टिप्पणी भारतीय परिदृश्य के तहत इनके निष्पादन का मूल्यांकन करने, अंतिम परीक्षण और चालू करने के बाद की जा सकती है।

नया रेल मंडल

2355. श्री एन.एन. कृष्णदास: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में किसी भी रेलवे के अंतर्गत कोई नया रेल मंडल स्थापित किए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे नए मंडलों की स्थापना करने की तत्काल आवश्यकता का ब्यौरा क्या हैं; और

(घ) देश में नए रेल मंडलों और जोनों की स्थापना संबंधी मानदंड क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) दक्षिण रेलवे में सेलम में एक नए मंडल मुख्यालय की स्थापना करने के लिए सिद्धांततः सहमति हो गई है।

(ग) पालघाट मंडल के विस्तृत भौगोलिक विस्तार को देखते हुए सेलम में मंडल मुख्यालय की स्थापना करना परिचालनिक/प्रशासनिक दृष्टिकोण से आवश्यक समझा गया है।

(घ) नए मंडल/जोन्स की स्थापना क्षेत्रीय आधार को ध्यान में रखे बिना कुछ कारकों जैसे आकार (भौगोलिक विस्तार), कार्यभार, सुगमता, यातायात पैटर्न तथा अर्थ व्यवस्था की आवश्यकता और कार्यकुशलता के अनुरूप अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक जरूरतों आदि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

अंतरराष्ट्रीय रेल

2356. श्री बसुदेव आचार्य: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे की चीन के रेल विस्तार कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चीन के साथ समझौता करने की योजना है जैसाकि दिनांक 9 नवम्बर, 2006 के "बिजनेस लाइन" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे सहयोग के लिए पहले ही अनेक अंतर्राष्ट्रीय रेलों के साथ समझौता कर चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो भारतीय रेल को क्या लाभ हुआ है और रेलवे ने विकास के लिए इसका कैसे उपयोग किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) जी, हां। हाल ही में, भारतीय रेलवे ने ऑस्ट्रिया, फ्रांस, रूस, जर्मनी, इटली और दक्षिण अफ्रीका की रेलों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इससे रेल संबंधी परियोजनाओं के विकास में तकनीकी सहयोग में वृद्धि में सुविधा हुई है।

कुन्नूर विमानपत्तन

2357. श्रीमती जी.एस. सुजाता:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कुन्नूर में एक विमानपत्तन का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) उक्त विमानपत्तन के निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): *(क) से (ग) केरल राज्य सरकार ने कुन्नूर में हवाई अड्डे का निर्माण करने का प्रस्ताव दिया है तथा केन्द्र सरकार को एक तकनीकी आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट की* जांच की गई है। चूंकि रक्षा मंत्रालय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय इत्यादि से क्लियरेंस प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार को अपेक्षित क्लियरेंस प्राप्त करने की सलाह दी है। इसके बाद ही प्रस्ताव पर कार्रवाई की जा सकेगी।

रेल उपकरण

2358. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा आयात किए गए उपकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या रेलवे का विचार रेलवे आवश्यकता के उपकरणों के स्वदेशी उत्पादन के लिए अपनी कार्यशालाओं को आधुनिक बनाने का है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(घ) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि आबंटित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) पिछले तीन वर्ष के दौरान आयातित उपकरणों का ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

वर्ष	आयातित उपकरणों का विवरण
2003-04	इंडस्ट्रियल वेस्ट के लिए मीटर
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड गियर होलिंग मशीन
	ग्राइंडिंग मशीन गियर
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड लेजर कटिंग मशीन
	वेल्डिंग एंड कटिंग मशीन
	हाइड्रॉलिक री-रोलिंग उपस्कर
	ड्यूअल एंड रफिंग लेथ
	व्हील एंड असेम्बली कॉम्पलैक्स
	अल्ट्रा साउंड होल वॉडी कलर डॉप्लर मशीन
	क्लेटॉन रैसिप्रोकेटिंग एयर कॉम्प्रेसर
	कार्ल जॉयस सर्जिकल जूम ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप
	डीफाइब्रिलेटर विद मॉनिटर रिकार्डर
2004-05	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड लेसर कटिंग मशीन
	बैंड सॉ
	स्पेक्ट्रोमीटर
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड सिंड्रिकल ग्राइंडर
	वेल्डिंग प्लांट्स
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड बोरिंग मशीन-हॉरिजांटल
	हाइड्रोलिक रेस्क्यू डीवाइस
	एक्सल टर्निंग लेथ
	सर्जिकल लेजर सिस्टम
	प्रोब लीवर
	हीमोडायलेसिस मशीन
	इम्पैलर शॉफ्ट कंपलीट
2005-06	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड लेथ फॉर एक्सल लाइन
	क्लीनिंग (मैकेनाइज्ड) प्लांट

वर्ष	आयातित उपकरणों का विवरण
	एक्स रे मशीन
	स्पेक्ट्रोमीटर
	टैस्ट इक्विपमेंट फॉर एकॉस्टिक एमिशन
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड एक्सल-टर्निंग लेथ
	ग्राइंडर सर्फेस
	स्पेक्टोग्राफ मशीन
	कंप्यूटराइज्ड न्यूमैटिकली कंट्रोल्ड लेजर कटिंग मशीन
	लेजर कटिंग एंड वेल्डिंग मशीन
	रेल कम रोड डीजल शंटिंग व्हाइकल
	एक्सल-ड्रिलिंग टैपिंग एंड काउंटर संकिंग मशीन स्टेशन-5
	एक्सल जनरल ग्राइंडिंग मशीन स्टेशन-3
	मैटीरियलन हैंडलिंग सिस्टम
	अल्ट्रासॉनिक रेडियल स्कैनिंग सिस्टम
	इंटर पैरेशियल इलैक्ट्रो सिम्युलेटर
	कार्डियोलाइफ डैफिब्रिलेटर
	इंडोवीनस लेजर इक्विपमेंट
	प्लाज्मा कोऐगयुलेटर
	याग लेजर फॉर ऑप्थालमोलॉजी
	मारक्यूटे केस कंप्यूटर
	ऑपरेटिंग आइ माइक्रोस्कोप
	माइक्रो मॉडल-एच.एम. 325 रोटरी माइक्रोटॉम फॉर पेथॉलॉजी

(ख) जी नहीं, फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालयों की स्थापना

2359. **श्री ई.जी. सुगावनम:**

श्री पी. करूणाकरन:

क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन स्थानों का स्थान-वार ब्यौरा क्या है जहां पर भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) के औषधालय स्थित हैं;

(ख) क्या देश के अन्य भागों में ऐसे और अधिक भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालयों की स्थापना करने का प्रस्ताव है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इन औषधालयों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी बनने के क्या मानदंड हैं;

(ङ) क्या इस योजना के अंतर्गत 1996 से पूर्व के भूतपूर्व सैनिकों को एकमुश्त भुगतान से छूट प्राप्त है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ई.सी.एच.एस.) पोलीक्लीनिकों की राज्यवार सूची विवरण में संलग्न है।

(ख) और (ग) आवश्यकता पड़ने पर, यथासमय, अतिरिक्त पोलीक्लीनिकों की स्थापना कर ली जाएगी।

(घ) ई.सी.एच.एस. का सदस्य बनने के लिए मानदण्ड यह है कि आवेदक भूतपूर्व सैनिक हो अथवा भूतपूर्व सैनिक की विधवा/उसका निकटतम संबंधी हो और उसे पेंशन मिल रही हो।

(ङ) और (च) ई.सी.एच.एस. में, 1996 से पूर्व के भूतपूर्व सैनिकों तथा 1996 के बाद के भूतपूर्व सैनिकों में कोई अंतर नहीं किया गया है। इस प्रकार, 1996 से पूर्व के भूतपूर्व सैनिकों को इस योजना के अंतर्गत एकबारगी भुगतान से छूट नहीं दी गई है।

विवरण

भूतपूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना औषधालयों की राज्यवार सूची

क्र.सं.	राज्य	औषधालयों का स्थल
1.	अंडमान और निकोबार	पोर्ट ब्लेयर।
2.	आन्ध्र प्रदेश	विशाखापट्टनम, गुंटूर, सिकंदराबाद, चित्तूर, गिद्दालुर, गोलकुंडा, काकीनाड़ा और विजयवाड़ा।
3.	असम	जोरहाट, गुवाहाटी और मासिमपुर।
4.	बिहार	आरा, मुजफ्फरपुर, दानापुर (पटना), छपरा, दरभंगा और गया।
5.	चंडीगढ़	चंडीगढ़।
6.	छत्तीसगढ़	रायपुर।
7.	दिल्ली	दिल्ली छावनी और नई दिल्ली (लोधी रोड)।
8.	गोवा	पणजी।
9.	गुजरात	अहमदाबाद, जामनगर और वडोदरा।
10.	हरियाणा	चंडीमंदिर, फरीदाबाद, करनाल, अम्बाला, सोनीपत, पानीपत, यमुनानगर, कैथल, कुरुक्षेत्र, गुड़गांव, सिरसा, झज्जर, रेवाड़ी, रोहतक, जिंद, नारनौल, भिवानी, हिसार और फतेहाबाद।
11.	हिमाचल प्रदेश	बकलोह, मंडी, योल, हमीरपुर, बिलासपुर, ऊना, सोलन और शिमला।
12.	जम्मू-कश्मीर	बारामूला, जम्मू, जंगलोट (कथुआ), लेह, राजौरी, साम्बा, श्रीनगर और उधमपुर।
13.	झारखंड	रांची और जमशेदपुर।
14.	कर्नाटक	बेंगलूर (शहरी), येलहंका (बेंगलूर), माडेकरी, भेंगलोर, मैसूर, बेलगाम, बीजापुर, धारवाड़ और कारवाड़।
15.	केरल	पालाक्कड़, कोच्चि, कुन्नूर, कोज़ीकोड़, पेरींतलमन्ना, एलेप्पी, त्रिसूर, कोट्टायम, त्रिवेंद्रम, पटनमथीट्टा और क्यिलोन।
16.	महाराष्ट्र	नागपुर, शोलापुर, अहमदनगर, उस्मानाबाद, लातूर, औरंगाबाद, बुलदाना, जलगांव, देवलाली, मुम्बई, मुम्बई (उपनगर), सतारा, कोल्हापुर, मिराज (सांगली), चिपलुन, सिंदुदुर्ग, ठाणे, मलाड, अकोला, अमरावती और पुणे।
17.	मणिपुर	इम्फाल।
18.	मेघालय	शिलांग।
19.	मिजोरम	आइजोल।

क्र.सं.	राज्य	औषधालयों का स्थल
20.	मध्य प्रदेश	जबलपुर, रीवा, मऊ, भोपाल, मिंड, ग्वालियर, मुरैना और सौगर।
21.	नागालैंड	दीमापुर और कोहिमा।
22.	उड़ीसा	ब्रह्मपुर, भुवनेश्वर और बालासोर।
23.	पंजाब	पठानकोट, अमृतसर, रोपड़, फतेहगढ़ साहिब, फरीदकोट, फिरोजपुर, मोगा, गुरदासपुर, होशियारपुर, जालंधर, कपूरथला, लुधियाना, संगरूर, पटियाला, भटिंडा, मनसा और मुक्तसर।
24.	राजस्थान	बीकानेर, श्रीगंगानगर, अलवर, भरतपुर, झुंझुनु, जयपुर, सीकर, चुरू, नागौर, कोटा, हिंडन सिटी (जिला करौली), अजमेर, बाड़मेर (जलिपा), जैसलमेर, जोधपुर, पाली और उदयपुर।
25.	सिक्किम	गंगटोक।
26.	तमिलनाडु	वेल्लोर, चेन्नई, आवड़ी, कांचीपुरम, कुड्डालोर, विल्लुपुरम, कोयम्बटूर, कृष्णागिरि, सलेम, श्रीविल्लीपुट्टुर, डिंगीगुल, मदुरै, त्रिची, नागापट्टनम, तंजावुर, थेनी, तिरूनलवेली, नागरकॉयल, तूतीकोरिन, वैलिंग्टन और तिरुवन्नामलाई।
27.	त्रिपुरा	अगरतल्ला।
28.	उत्तर प्रदेश	गाजियाबाद (हिंडन), नोएडा, कानपुर, आगरा, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, एटा, बुलंदशहर, बरेली, बदायूं, फतेहगढ़, अकबरपुर मट्टी (कानपुर), लखनऊ, राय बरेली, मथुरा, अलीगढ़, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शाहजहांपुर, गोरखपुर, इलाहाबाद, फतेहपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, सुलतानपुर, फैजाबाद, देवरिया, गाजीपुर, वाराणसी, बलिया, झांसी और उरई (अभी कार्यात्मक नहीं)।
29.	उत्तरांचल	देहरादून, गोपेश्वर, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल, हल्द्वानी, पिथौरागढ़, रूड़की और अल्मोड़ा।
30.	पश्चिम बंगाल	बैरकपुर, बेंगडुबी, दार्जिलिंग, कृष्णानगर, कोलकाता, साल्ट लेक, मिदनापुर और वर्दवान।

[अनुवाद]

दमण और दीव में विरासत स्थलों का विकास

2360. श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) संघ राज्य क्षेत्र दमण और दीव में कितने संरक्षित स्मारक और विरासत स्थल हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितनी धनराशि आबंटित की गई है; और

(ग) पर्यटन की दृष्टि से इन स्थलों का विकास करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में राष्ट्रीय महत्व के घोषित बारह स्मारकों/स्थलों का ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(ख) और (ग) पिछले तीन वर्षों के दौरान आबंटित निधियों, का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

2003-04 35.14 लाख रुपए

2004-05	22.46 लाख रुपए
2005-06	42.73 लाख रुपए

चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के दौरान 59 लाख रुपए की धनराशि आबंटित की गई है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण स्थल की आवश्यकताओं के अनुसार अनिवार्य पर्यटक सुविधाएं उपलब्ध कराने के अलावा बजटीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, इन केन्द्रीय स्मारकों के संरचनात्मक संरक्षण, रासायनिक परिरक्षण तथा पर्यावरणीय विकास का कार्य भी करता है।

विवरण

दमन और दीव संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय संरक्षित स्मारकों/स्थलों की सूची

1.	किले की दीवारें	मोती दमन किले के पश्चिम कोने के बाहरी तरफ समुद्र तट पर	दमन
2.	संरचनाएं	मोती दमन किले के पश्चिम कोने के बाहरी तरफ समुद्र तट पर	दमन
3.	किले की दीवारें	मोती दमन किले के पश्चिम कोने के बाहरी तरफ समुद्र तट पर	दमन
4.	होली जीसस का चर्च	किला क्षेत्र के उत्तर पश्चिम कोने के समीप	दमन
5.	ध्वस्त चर्च	किले की दीवारों के उत्तर पश्चिम कोने के समीप	दमन
6.	अवर लेडी ऑफ रोजारियो का प्रार्थनालय	किले के अंदर	दमन
7.	अवर लेडी ऑफ रेमेडियोस का चर्च	दर्जीवाड के बाहर	दमन
8.	टावर ऑफ साइलेंस	दीव	दीव
9.	बंगली	दीव	दीव
10.	सेंट पाल चर्च	किले के बाहर	दीव
11.	अंदर के भवन सहित किला	किला	दीव
12.	प्राचीन मस्जिद (जामी मस्जिद)	शहर के अंदर	दीव

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश के बेलीसा में रेल उपरि पुल का निर्माण

2361. चौ. मुनव्वर हसन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के रेलवे स्टेशन के समीप बेलीसा समपार पर एक रेल उपरि पुल के निर्माण हेतु कोई सर्वेक्षण कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त परियोजना के कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) आजमगढ़-सराय रानी पर बेलिसा क्रासिंग (समपार संख्या 29ए) पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए कार्य को 2006-07 के निर्माण कार्यक्रम के दौरान लागत में अंश भागिता के आधार पर स्वीकृत किया गया है और चालू वर्ष के दौरान 50 लाख रु. के परिव्यय की व्यवस्था की गई है।

(ग) कोई लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया है। कार्य को उत्तर प्रदेश सेतु निगम द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

विकलांग लोगों को रेल यात्रा रियायत देना

2362. श्री विजय कृष्ण: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विकलांग लोगों को सभी ट्रेनों/श्रेणियों में रेल यात्रा रियायत की सुविधा दी जाती है;

(ख) यदि नहीं, तो उन ट्रेनों/श्रेणियों के क्या नाम हैं जिनमें विकलांग लोगों को रेल यात्रा रियायत सुविधा प्रदान नहीं की जाती है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सभी ट्रेनों/श्रेणियों में विकलांग लोगों को रियायती सुविधा दिये जाने की लगातार मांग की जा रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) शारीरिक रूप से विकलांग/पक्षाघात वाले लोगों, नेत्रहीन, मानसिक रूप से अक्षम लोगों और मूक एवं बधिर लोगों (एक ही व्यक्ति में एक साथ दोनों व्याधियां) को रियायत देय है। मूक एवं बधिर लोगों को छोड़कर अन्य कोटि के लोगों का सभी श्रेणियों में रियायत दी जाती है। मूक एवं बधिर लोग द्वितीय श्रेणी, शयनयान श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी में रियायत के पात्र होते हैं। सभी मेल/एक्सप्रेस तथा सुपरफास्ट गाड़ियों में रियायत दी जाती है। राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी तथा गरीब रथ गाड़ियों में रियायत अनुमेय नहीं है।

(ग) से (ङ) राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी गाड़ियों में रियायत देने के लिए मांग प्राप्त होती हैं। राजधानी/शताब्दी/जनशताब्दी गाड़ियां, महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, जिनमें रियायत की गुंजाइश केवल कुछ कोटियों के लिए सीमित की गई हैं ताकि पूरा किराया देने वाले यात्रियों को संरक्षण दिया जा सके। गरीब रथ गाड़ियों का किराया पहले से ही कम है और इन गाड़ियों में कोई रियायत नहीं दी गई है।

[अनुवाद]

विमान सेवाओं की शुरुआत

2363. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार से नई दिल्ली-भोपाल-जबलपुर; नागपुर-चेन्नई और मुंबई-इंदौर-भोपाल, जबलपुर-कोलकाता मार्गों पर विमान सेवाओं की शुरुआत करने के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्री ने फरवरी, 2006 में इन दो सेक्टरों पर उड़ानें आरम्भ करने का अनुरोध किया था।

(ग) प्रस्ताव की इस मंत्रालय में इंडियन एयरलाइन्स के परामर्श से जांच की गई और इंडियन एयरलाइन्स के अनुमानों के अनुसार, जबलपुर के लिए/से यातायात सम्भाव्यता इसके बेड़े में उपलब्ध जेट श्रेणी के विमानों से व्यावसायिक रूप से साध्य प्रचालनों की वहनीयता के लिए पर्याप्त नहीं है। तथापि, सरकार ने देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं का बेहतर विनियमन प्राप्त करने के उद्देश्य से मार्ग संवितरण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। तथापि, यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांगों और व्यावसायिक साध्यता के आधार पर और मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अध्याधीन विनिर्दिष्ट स्थानों के लिए हवाई सेवाएं उपलब्ध कराएं। इस प्रकार, एयरलाइनें सरकार द्वारा जारी मार्ग संवितरण दिशा-निर्देशों के अनुपालन के अध्याधीन देश में कहीं भी प्रचालन के लिए स्वतंत्र हैं।

[हिन्दी]

सहारनपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण

2364. श्री रशीद मसूद: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार सहारनपुर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण करने और इसके अतिरिक्त वहां पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों तथा आई.टी.सी. की तरफ एक दूसरे गेट के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) सहारनपुर रेलवे स्टेशन को सौंदर्यकरण के लिए

पहचाना गया है और अतिरिक्त प्लेटफार्म के निर्माण और आई.टी.सी. साइड से दूसरे प्रवेश के विकास सहित आधुनिक किया जा रहा है।

(ग) आधुनिकीकरण का कार्य 31-3-2007 तक पूरा करने की योजना है और दूसरे प्रवेश के विकास का कार्य 31-3-2008 तक पूरा करने की योजना है।

[अनुवाद]

भारतीय काव्यशास्त्र का विश्वकोष

2365. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या संस्कृति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या साहित्य अकादमी का विचार सभी भारतीय काव्यशास्त्रों का एक विश्वकोष प्रकाशित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) इसका विमोचन कब तक किए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, हां।

(ख) साहित्य अकादमी ने 2004 में निम्नलिखित के लिए परियोजना शुरू की (i) अध्येताओं तथा इच्छुक आम जनता को भारतीय काव्यशास्त्र पर उपयोगी एवं विश्वसनीय सन्दर्भ साधन प्रदान करना, (ii) भारतीय काव्यशास्त्र का एकीकृत और समग्र रूप में एक ऐसा व्यवस्थित विवरम प्रस्तुत करना जो गैर-भारतीयों को भी सुलभ हो सके (iii) भारतीय काव्यशास्त्र को इसके विद्यमान मूल स्रोत के रूप में रिकार्ड करना। इन प्रविष्टियों में सिद्धान्त, विचारधारा, आन्दोलन, काल, कृति, लेखक, रचयिता, जैसे पहलु तथा ऐसे ही संगत सूचक शामिल हैं। इस परियोजना में एक संचालक समिति, एक सम्पादकीय बोर्ड तथा पर्यवेक्षकीय परामर्शी सम्पादक हैं।

(ग) भारतीय काव्यशास्त्र के विश्वकोष का प्रथम मसौदा 2008 के अंत तक तैयार हो जाने की संभावना है।

तत्काल आरक्षण टिकट संबंधी प्रतिदाय

2366. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) तत्काल आरक्षण टिकटों पर श्रेणी-वार कितनी अतिरिक्त धनराशि वसूल की जाती है;

(ख) क्या रेलवे कन्फर्मड तत्काल आरक्षण टिकटों के रद्द किये जाने के मामले में धनराशि का प्रतिदाय नहीं करती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे द्वारा यात्रियों के हितों की रक्षा और किसी कारण से उनके द्वारा यात्रा न किए जाने की दशा में मुआवजा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) तत्काल प्रभारों का श्रेणीवार विवरण निम्नानुसार है:-

श्रेणी	गैर व्यस्त अवधि में	व्यस्त अवधि में
द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित	200	300
तृतीय श्रेणी वातानुकूलित	200	300
वातानुकूलित कुर्सी यान	75	150
शयनयान	75	150

(ख) से (घ) तत्काल योजना के अंतर्गत पुष्टिशुदा आरक्षण टिकटों के रद्दकरण पर तत्काल योजना के अंतर्गत आरक्षित टिकटों पर कुल प्रभारित किराए का एक समान 25% (तत्काल प्रभार को छोड़कर) धन वापसी की जाती है बशर्ते रेलगाड़ी के निर्धारित प्रस्थान के 24 घंटे पहले टिकट प्रस्तुत किया जाता है।

[हिन्दी]

कोटा-बीना के बीच की रेल लाइन का विद्युतीकरण

2367. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोटा-बीना रेल खंड के बीच की रेल लाइन के विद्युतीकरण का कार्य शुरू हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और वर्तमान में इसकी प्रगति की क्या स्थिति है;

(ग) इस परियोजना की अनुमानित लागत का ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा इस परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय-सीमा निर्धारित की गई है; और

(घ) उक्त परियोजना के लिए जारी की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और इसमें से इस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है तथा चालू वित्तीय वर्ष के दौरान कितना कार्य हुआ है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं।

(ख) से (घ) कोटा-बीना (303 मार्ग कि.मी.) का विद्युतीकरण 168.49 करोड़ रु. की लागत पर स्वीकृत किया गया है जिसे मार्च, 2009 तक पूरा करने का लक्ष्य है। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 2006-07 के दौरान इस परियोजना को 0.05 करोड़ रु. आबंटित किए गए हैं।

[अनुवाद]

मालगाड़ियों के आवागमन के लिए पृथक रेल लाइनें

2368. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार देश में मालगाड़ियों के आवागमन के लिए पृथक रेल लाइनें बिछाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी नई लाइनों पर अनुमानत: कितना व्यय होने की संभावना है;

(घ) ऐसी नई रेल लाइनों के लिए जोन-वार चिन्हित किए गए मार्गों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त परियोजना के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (घ) जी हां। पश्चिम और पूर्वी मार्गों पर समर्पित रेल माल गलियारा परियोजना को रेल बजट 2006-07 में शामिल किया गया है। पश्चिमी और पूर्वी गलियारे की अनुमानित लागत क्रमश: 11,446 करोड़ और 9695 करोड़ रुपए है। पूर्वी गलियारा पंजाब में लुधियाना से प्रारंभ होगा और सोननगर में समाप्त होगा। पूर्वी मार्ग को प्रस्तावित डीप सी पोर्ट पर माल यातायात में वृद्धि की संभावना को देखकर कोलकाता में प्रस्तावित पत्तन तक बढ़ाया जाएगा। पश्चिमी गलियारा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट से शुरू होगा और वडोदरा, अहमदाबाद, पालनपुर और रेवाड़ी के रास्ते तुगलकाबाद और दादरी में समाप्त होगा। एक नया सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम जिसे डेडिकेटेट फ्रेट कोरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, जिसे समर्पित माल गलियारा परियोजना के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया है। ये गलियारे मध्य, पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर, उत्तर मध्य, पूर्व मध्य और पूर्व रेलवे से होकर गुजरेंगे।

(ङ) वर्तमान अनुमान के अनुसार, परियोजना के निर्माण कार्य के शुरू होने के लगभग 5 वर्षों के बाद तक समर्पित माल गलियारे का कार्य पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

मुक्त आकाश नीति

2369. श्री असादूद्दीन ओवेसी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शीतकाल में यात्रियों की भीड़भाड़ को समाप्त करने के लिए नागर विमानन महानिदेशक ने सीमित अवधि के लिए मुक्त आकाश नीति हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों से सीमित अवधि के लिए इसी नीति का पालन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार इस बार इस नीति को केवल मध्य एशिया और सुदूर पूर्वी देशों तक सीमित करने जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो अन्य मार्गों पर मुक्त आकाश नीति की अनुमति न दिए जाने के क्या कारण हैं;

(च) इस संबंध में अंतिम निर्णय के कब तक लिए जाने की संभावना है; और

(छ) पिछले वर्ष के दौरान मुक्त आकाश नीति के दौरान कुल अतिरिक्त उड़ानें अवधि कितनी थी?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। शीत ऋतु के भीड़-भाड़ वाली अवधि के दौरान यातायात की अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा 15 दिसम्बर, 2006 से 31 जनवरी, 2007 तक की अवधि के लिए एक सीमित मुक्त आकाश नीति की घोषणा की गई है। इस नीति के अन्तर्गत सभी नामित विदेशी एयरलाइनों को उनके उपलब्ध प्वाइंटस ऑफ काल के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप यथा सम्भव सेवाएं उपलब्ध कराने की अनुमति है। इसके अतिरिक्त उन्हें 15 नवम्बर, 2006 से 28 फरवरी, 2007

की अवधि के दौरान अपने विवेक से अपनी मौजूदा आवृत्तियों में अपने उपकरणों को अद्यतन करने की भी अनुमति दी गई है।

(ग) जी हां।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) निर्णय की घोषणा पहले ही कर दी गई है।

(छ) पिछले वर्ष के दौरान एक सीमित मुक्त आकाश नीति की घोषणा की गई थी जिसके अन्तर्गत नामित विदेशी एयरलाइनों को 1 दिसम्बर, 2005 से 31 जनवरी, 2006 तक अतिरिक्त उड़ानें उपलब्ध कराने का प्रस्ताव दिया गया था तथा उन्हें 1 नवम्बर, 2005 से 31 मार्च, 2006 तक अपनी मौजूदा आवृत्तियों में उपकरणों को अद्यतन करने की अनुमति प्रदान की गई थी।

[हिन्दी]

निजी एयरलाइन्सों को मानदंडों में छूट देना

2370. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए कतिपय निजी एयरलाइन्सों को कुछ छूट दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

हॉकरों को लाइसेंस

2371. श्री हरिकेवल प्रसाद:
श्री हरिसिंह चावड़ा:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे स्टेशनों पर खाद्य पदार्थ बेचने के लिए हॉकरों को लाइसेंस देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में प्रस्ताव को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

राजस्थान में खोज कार्य

2372. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:
श्री सुभाष महरिया:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में बाड़मेर और सांचौर जिलों में पाए गए तेल/गैस भंडारों का खोज कार्य पूरा हो चुका है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन क्षेत्रों में हुई खोजों के लिए कोई विकास योजना तैयार की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) राजस्थान में बाड़मेर और सांचोर जिलों में आर.जे.-ओ.एन.-90/1 के लिए उत्पादन हिस्सेदारी संविदा (पी.एस.सी.) के अंतर्गत अन्वेषण चरण पूरा कर लिया गया है।

(ख) चार खोजों नामत: मंगला, ऐश्वर्या, रागेश्वरी और सरस्वती के लिए विकास योजना प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई है।

(ग) और (घ) इन चार खोजों से प्रत्याशित तेल उत्पादन लगभग 115,000 बैरल प्रतिदिन होने की संभावना है। लगभग 1.6 बिलियन अमरीकी डालर के अनुमानित विकास व्यय के साथ उत्पादन 2008 में आरम्भ होने की संभावना है।

[अनुवाद]

अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियों हेतु धनराशि में वृद्धि

2373. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को मैट्रिक पूर्व/मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां देने हेतु राज्य सरकारों को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित/प्रदान की गई;

(ख) क्या सरकारों ने इन योजनाओं के अंतर्गत धनराशि में वृद्धि हेतु अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों को छात्रवृत्तियों के संबंध में राज्यों को प्रदान की गई अनुदान सहायता का ब्यौरा निम्नवत है:-

(लाख रुपए)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2005-06		2006-07	
		मैट्रिक-पूर्व जारी राशि	मैट्रिकोत्तर जारी राशि	मैट्रिक-पूर्व जारी राशि	मैट्रिकोत्तर जारी राशि
1.	आन्ध्र प्रदेश	457.86	299.02	510	364.73
2.	बिहार	0	0	0	601.77
3.	दिल्ली	0	5	0	0
4.	गोवा	0	13.9	0	0
5.	गुजरात	456.65	344.12	346.12	401.96
6.	हिमाचल प्रदेश	16.5	0	0	35.57
7.	जम्मू-कश्मीर	61.26	224.24	0	0
8.	कर्नाटक	0	0	122.34	539.66
9.	महाराष्ट्र	0	50	0	0
10.	पंजाब	100	138.42	0	0
11.	राजस्थान	0	235.24	310	351.824
12.	तमिलनाडु	400	290.25	0	0
13.	उत्तर प्रदेश	296.11	633.77	225.6	671.55
14.	उत्तरांचल	11.58	72.53	16.39	81.93
15.	मणिपुर	50	203.34	65.32	99.1
16.	त्रिपुरा	121.02	111.13	139.74	0
17.	सिक्किम	0	0	0	8.06
	कुल	1970.98	2620.96	1735.51	3156.154

(ख) और (ग) जी, हां। इन योजनाओं के अंतर्गत प्रस्तावों पर, बजटीय सीमाओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाता है।

एयरलाइन्सों द्वारा आउटसोर्सिंग

2374. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बढ़ते घाटे और अत्यधिक प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही सरकारी क्षेत्र की एयरलाइन्स लागत में कटौती करने के लिए ग्राउंड हैंडलिंग, इंजीनियरी जैसी सेवाओं को आउटसोर्स करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस मामले में सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है; और

(ग) इससे प्रतिवर्ष कितनी किफायत होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एअर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस ने ग्राउण्ड हैण्डलिंग के कुछ भागों भवनों के रखरखाव/अनुरक्षण, विमानों की सफाई आदि जैसी कतिपय गतिविधियों को, बढ़ते घाटे के कारण नहीं, बल्कि गैर प्रचालनिक क्षेत्रों में भर्ती पर रोक की वजह से स्टाफ की कमी, गतिविधि की प्रकृति, किफायत और विशेषज्ञता प्राप्त सेवाओं में सुधार की आवश्यकता को देखते हुए आउटसोर्सिंग किया है। चूंकि ये स्थापित रूप से गुणात्मक कारक हैं, आउटसोर्सिंग की वजह से लागतों में आई बचत का आकलन नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पायलटों की कमी

2375. श्रीमती किरण माहेश्वरी:
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्री मिलिन्द देवरा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय वायुसेना में इस समय पायलटों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) वर्तमान कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) आज की तारीख तक भारतीय वायुसेना में 3278 पायलटों की प्राधिकृत संख्या के मुकाबले 3068 पायलट तैनात हैं। 210 पायलटों की मौजूदा रिक्तियों से संक्रियात्मक अपेक्षाएं प्रभावित नहीं होती हैं। इन मौजूदा रिक्तियों का मुख्य कारण पायलटों की भर्ती में कमी है। सेनाओं में रिक्त पदों को सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरा जाता है।

(ग) पायलटों के कार्य प्रोफाइल में सुधार लाना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कार्य की विशिष्ट आवश्यकताओं और संक्रियात्मक आवश्यकता को ध्यान में रखते चलती रहती है।

राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना

2376. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री सुब्रत बोस:
श्री समिक लाहिरी:
श्री एनेन बर्मन:
श्री गणेश सिंह:

क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विभिन्न राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों (एफ.पी.आई.) को स्थापित करने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए कोई उपाय किए हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त उद्योगों की स्थापना के लिए किन-किन राज्यों में संभावनाएं पाई गई हैं और किन खाद्य वस्तुओं के लिए प्रसंस्करण की संभावनाएं पाई गई हैं;

(ग) उन राज्यों में उपलब्ध ऐसी खाद्य वस्तुओं का औसतन कितना उत्पादन होता है जहां इन्हें प्रसंस्कृत किया जाना है;

(घ) क्या सरकार ने इन राज्यों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को स्थापित करने के लिए कोई सहायता दी है अथवा कोई कदम उठाए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस संबंध में सरकार ने कितनी सफलता प्राप्त की है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) से (ग) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने

विजन डॉक्यूमेंट 2015 को अंतिम रूप दिया है जिसमें जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं के प्रसंस्करण स्तर को 6% से बढ़ाकर 20% मूल्यवर्धन को 20% से बढ़ाकर 35% और विश्व खाद्य व्यापार में अंशदान को 1.5% से बढ़ाकर 3% करते हुए प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र के आकार को वर्ष 2015 तक तिगुना करने का लक्ष्य है। राज्य सरकारों को अपने यहां खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की वृद्धि की संभावनाओं का पता लगाने की सलाह दी गई है। भारत में कृषि प्रसंस्करण की वृद्धि की बृहत् संभावनाएं हैं। कृषि प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना संबंधी क्षमता फल तथा सब्जी, डेरी, मांस तथा पॉल्ट्री, मात्स्यिकी, खाद्य तेल, अनाज तथा अनाज आधारित उत्पादों में निहित है। देश में कतिपय कृषि खाद्य उत्पादों का औसतन उत्पादन इस प्रकार है: 46 मिलियन टन से अधिक फल, 100 मिलियन टन सब्जियां, 91 मिलियन टन दूध, 1.5 मिलियन टन पॉल्ट्री मांस, 2.7 मिलियन टन समुद्री मात्स्यिकी और 212 मिलियन टन अनाज। सरकार इन राज्यों तथा क्षेत्रों की कृषि एवं बागवानी क्षमता के आधार पर 60 कृषि निर्यात जोनों की सूची तैयार कर चुकी है।

(घ) से (च) देश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन और विकास हेतु सरकार अनेक योजना स्कीमें कार्यान्वित करती आ रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के प्रौद्योगिकी उन्नयन/स्थापना/आधुनिकीकरण संबंधी स्कीम के अंतर्गत सामान्य क्षेत्रों में संयंत्र और मशीनरी तथा तकनीकी सिविल कार्यों की लागत के 25% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपये तक तथा सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू एवं कश्मीर, उत्तरांचल, हिमाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्षद्वीप और एकीकृत जनजातीय विकास कार्यक्रम क्षेत्र जैसे दुर्गम क्षेत्रों में 33.33% की दर से अधिकतम 75 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता, सहायता अनुदान के रूप में देता है। समेकित बागवानी विकास प्रौद्योगिकी मिशन के मिनी मिशन-IV के तहत सिक्किम समेत पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू-कश्मीर, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश में बागवानी उपज के प्रसंस्करण हेतु इससे भी बढ़ी हुई दरों पर यानी 50% की दर से सहायता उपलब्ध है जिसकी अधिकतम सीमा नई इकाइयों के संवर्धन हेतु 4.00 करोड़ रुपये और यूनिटों के उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए 1.00 करोड़ रुपये है। यह मूल्यांकन किया गया है कि सरकार द्वारा खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों को 1.00 लाख रुपये की सहायता देने पर, निजी क्षेत्र द्वारा 6.23 लाख रुपये का निवेश किया जाता है और इससे देश में खाद्य प्रसंस्करण क्षमता को बढ़ाने में मदद मिली है।

[अनुवाद]

क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों का कार्य निष्पादन

2377. डा. के. धनराजू:
श्री आलोक कुमार मेहता:

क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में चल रहे क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों का ब्यौरा क्या है और ये केन्द्र किन-किन स्थानों पर हैं;

(ख) क्या सरकार ने कभी इन केन्द्रों के कार्य-निष्पादन की समीक्षा की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन केन्द्रों के कार्यकरण में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) भारत सरकार ने देश के लोक और पारंपरिक कलाकारों और शिल्पकारों को सहायता प्रदान करने के लिए सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों की स्थापना की है। प्रत्येक केन्द्र को कॉर्पस निधि प्रदान की गई है। भागीदार राज्य भी कॉर्पस निधि में आनुपातिक राशि प्रदान करता है। प्रत्येक केन्द्र एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करता और उस राज्य, जहां वह केन्द्र स्थित है, के राज्यपाल इसके अध्यक्ष हैं, उक्त सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्र पटियाला, नागपुर, इलाहाबाद, तंजावुर, कोलकाता, उदयपुर और दीमापुर में स्थित हैं।

(ख) इन क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों के कार्यकरण की समीक्षा के लिए वर्ष 1994 में प्रो. यू.आर. अनंतमूर्ति की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था।

समिति के विचारार्थ विषय निम्नलिखित थे:-

(i) सात क्षेत्रीय सांस्कृतिक केन्द्रों (जेड.सी.सी.) के कार्यकरण की उन उद्देश्यों के सन्दर्भ में समीक्षा करना जिनके लिए उनका गठन किया गया था।

(ii) इस आशय का सुझाव देना कि वे केन्द्र अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में सांस्कृतिक रूपों (पैटर्न) को समृद्ध करने और सुदृढ़ीकरण के उद्देश्य को कैसे बेहतर तरीके से पूरा कर सकते हैं।

(iii) समान राज्य/केन्द्रीय निकायों और देश के अन्य प्रतिष्ठित सांस्कृतिक संस्थानों के साथ समुचित और

प्रभावी नेटवर्किंग के लिए आवश्यक तरीकों और साधन का सुझाव देना।

(iv) पूर्ण साक्षरता अभियान में कला-समुदाय को शामिल करने के परिवर्धन के तरीकों का सुझाव देना, जिससे देश में एक प्रकार का सांस्कृतिक उत्थान लाया जा सके।

(ग) समिति ने वर्ष 1994 में रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा अन्य कार्यों के साथ-साथ अधिकाधिक दूरस्थ सम्पर्क (आउटरीच), जनजातीय/लोक कला पर अत्यधिक बल, दुर्लभ और लुप्तप्राय कलारूपों का प्रलेखन, राष्ट्रीय और राज्य अकादमियों के साथ बेहतर सहयोग तथा युवा और उभरते कलाकारों को प्रश्रय देने की सिफारिश की।

(घ) इन सिफारिशों की अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में संस्कृति मंत्रालय द्वारा सीधे वित्त पोषित नई स्कीमें शुरू की गई हैं। इनमें रंगमंच नवीकरण और गुरू-शिष्य परंपरा शामिल हैं। इसके साथ ही "युवा प्रतिभा कलाकार स्कीम" भी शुरू की गई। सरकार इन स्कीमों की प्रगति पर नियमित निगरानी कर रही है।

[हिन्दी]

एच.एम.टी. लिमिटेड हेतु पुनरुद्धार पैकेज

2378. श्री ब्रजेश पाठक:

श्रीमती सी.एस. सुजाता:

क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एच.एम.टी. लिमिटेड के पुनरुद्धार हेतु पैकेज प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसकी मात्रा कितनी है; और

(ग) सरकार द्वारा यह पैकेज कब तक प्रदान किए जाने की संभावना है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) और (ख) प्रचालनों की उच्च लागत से संबंधित विशिष्ट मामलों की तुलना में प्राप्त कारोबार स्तरों, उत्पाद और प्रक्रिया संबंधी बाधाओं, ऋणों के उच्च स्तर तथा ब्याज में लगातार व्यय आदि का पता लगाने के लिए कंपनी द्वारा एच.एम.टी. का एक पुनरुद्धार पैकेज प्रस्तुत किया गया है।

(ग) पुनरुद्धार योजना लोक उद्यम पुनर्गठन बोर्ड (बी.आर.पी.एस.ई.) को प्रस्तुत की गयी है।

भारत और पाकिस्तान के बीच मालगाड़ी

2379. श्री तूफानी सरोज:

श्री मिलिन्द देवरा:

श्री इकबाल अहमद सरडगी:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत और पाकिस्तान के बीच और अधिक मालगाड़ी चलाने के लिए सहमत हो गई है;

(ख) क्या भारत और पाकिस्तान ने इस संबंध में वार्ता भी की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वार्ता के क्या परिणाम निकले हैं;

(घ) माल ढोने की वर्तमान प्रणाली में कुल कितनी मालगाड़ियां जोड़े जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) इस समय दोनों देशों के बीच कुल कितनी मालगाड़ियां चल रही हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) और (घ) भारत तथा पाकिस्तान सरकार के प्रतिनिधि मंडल नई दिल्ली में 31 अक्तूबर से 2 नवंबर, 2006 तक मिले और निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए:-

- दोनों पक्ष माल यातायात के अंतर्बदल के स्तर में वृद्धि करने के प्रयासों से सहमत हुए।
- भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने मुनाबाओ-खोकरापार के रास्ते माल गाड़ियां चलाने का प्रस्ताव दिया था। पाकिस्तान प्रतिनिधि मंडल ने सूचित किया है कि जब भी अपेक्षित सुविधाएं विकसित होंगी, माल यातायात के लिए मुनाबाओ-खोकरापार मार्ग खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जा सकता है और निर्णय लिया जा सकता है।

(ङ) पाकिस्तान रेलवे पर वाघा में क्षमता की तंगी है। अटारी-वाघा मार्ग के रास्ते भारत और पाकिस्तान के बीच मालगाड़ियों का अंतर्बदल पाकिस्तान रेलवे द्वारा इन गाड़ियों की स्वीकृति पर निर्भर करता है। नवंबर, 2006 के महीने के दौरान, भारत और पाकिस्तान के बीच कुल 17 माल गाड़ियों का अंतर्बदल हुआ था।

[अनुवाद]

आशियान देशों की मुक्त आकाश नीति

2380. श्री इकबाल अंहमद सरडगी: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स (आशियान) के अधिकांश देशों की वर्ष 2010 से मुक्त आकाश प्रणाली का पालन करने की योजना है और भारत को योजनाबद्ध उदारीकरण का भागीदार बनने के लिए आमंत्रित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक आशियान के मुक्त आकाश समझौते में सम्मिलित होने के बारे में आपत्ति व्यक्त की है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जनवरी, 2006 में माननीय प्रधानमंत्री के साथ हुई अपनी बैठक में सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया था कि भारत को भविष्य में आसियान-व्यापक मुक्त आकाश करार से जुड़ने पर विचार करना चाहिए।

(ख) और (ग) आसियान देशों के साथ प्रस्तावित मुक्त आकाश समझौते में शामिल होने के संबंध में अभी भी कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विमानपत्तनों पर आई.एल.एस. की स्थापना

2381. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सभी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों पर धुंधला दिखाई देने की स्थिति में उड़ान प्रचालन में सहायता देने के लिए इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.) की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या कोलकाता विमानपत्तन पर स्थापित इंस्ट्रूमेंटल लैंडिंग सिस्टम (आई.एल.एस.), नवीनतम प्रौद्योगिकी का है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। श्रेणी-I की उपकरण अवतरण प्रणाली सुविधाओं का संस्थापन निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर की गई है: अमृतसर, दिल्ली, जयपुर, कोलकाता, गुवाहाटी, अहमदाबाद, मुम्बई, नागपुर, बंगलौर, कालीकट, चेन्नई, हैदराबाद और त्रिवेन्द्रम। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, नई दिल्ली में रनवे 28 पर श्रेणी-III बी सुविधा की व्यवस्था की गई है। भारतीय नौ सेना तथा भारतीय वायु सेना द्वारा क्रमशः गोवा और श्रीनगर हवाईअड्डे पर उपकरण अवतरण प्रणाली का प्रावधान किया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, हां।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एच.एम.टी. के पुनरुद्धार हेतु निधियों का उपयोग

2382. श्री चन्द्रकांत खैरे: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले चार वर्षों के दौरान हिन्दुस्तान मशीन टूल्स (एच.एम.टी.) के पुनरुद्धार हेतु आवंटित की गयी निधियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या एच.एम.टी. उक्त अवधि के दौरान आवंटित निधियों का समुचित उपयोग करने में विफल रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि एच.एम.टी. भविष्य में निधियों का समुचित उपयोग कर सके?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) से (ग) एच.एम.टी. लिमिटेड की केवल दो सहायिकाओं नामतः एच.एम.टी. बेयरिंग्स

लि. और प्रागा टूल्स लिमिटेड की पुनरुद्धार योजनाओं को अनुमोदित किया गया है। एच.एम.टी. बेयरिंग्स लि. की पुनरुद्धार योजना में 740 लाख रुपये की राशि तथा प्रागा टूल्स लि. की पुनरुद्धार योजना में 500 लाख रुपये की राशि पूंजीगत व्यय के लिए शामिल है। इन निधियों का विभिन्न चरणों के अन्तर्गत उपयोग किया जा रहा है तथा उपयोगिता हेतु कोई अतिदेय शेष नहीं रहा है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास

2383. श्री मनोरंजन भक्त: क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उपचार किए गए/पूर्ण रूप से उपचार किए गए कुष्ठ रोगियों के पुनर्वास हेतु जारी सहायता अनुदान के समुचित उपयोग की निगरानी करने के लिए विनियामक निकाय गठित करने का कोई निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संबंध में कार्यरत गैर-सरकारी संगठन को राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई और कितनी धनराशि स्वीकृत की गई परन्तु अभी तक जारी नहीं की गई; और

(घ) स्वीकृति हेतु लंबित सहायता अनुदान हेतु प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) दीनदयाल पुनर्वास योजना के अंतर्गत सहायता अनुदान स्वयंसेवी संगठनों तथा संबंधित राज्य सरकारों/नामित निरीक्षण एजेंसियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी किया जाता है। कुष्ठ रोगियों का पुनर्वास करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी सहायता अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) फिलहाल उड़ीसा राज्य सरकार से केवल एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान कुष्ठ रोगियों को पुनर्वासित करने के लिए स्वयंसेवी संगठनों को जारी सहायता अनुदान का राज्यवार ब्यौरा

क्रम सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
1.	आन्ध्र प्रदेश	121500	456552	136476
2.	दिल्ली	1079830	191880	0
3.	झारखंड	244935	298317	0
4.	कर्नाटक	1575552	1861164	1847142
5.	केरल	538650	233100	238500
6.	मध्य प्रदेश	206010	219375	101410
7.	महाराष्ट्र	2148063	248400	0
8.	मणिपुर	583722	533502	609726
9.	उड़ीसा	6667002	3101598	2286603
10.	तमिलनाडु	991154	3417040	458593

क्रम सं.	राज्य	2003-04	2004-05	2005-06
11.	उत्तर प्रदेश	2796750	2918700	3445308
12.	उत्तरांचल	591336	585373	293381
13.	पश्चिम बंगाल	589266	294633	0
	कुल	18133770	14359634	9616139

वृद्ध व्यक्तियों की परिभाषा

2384. श्री के.एस. राव: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश की जनसंख्या का भौगोलिक अनुमान क्या है और अगले 10-15 वर्षों में वृद्ध व्यक्तियों का कितना प्रतिशत होगा;

(ख) वरिष्ठ नागरिक माने जाने हेतु व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विभिन्न सरकारी विभागों और मंत्रालयों द्वारा प्रदान की जाने वाली सभी रियायतों और सुविधाओं का लाभ प्राप्त करने और वृद्ध व्यक्तियों की वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा हेतु प्रणाली विकसित करने के लिए व्यक्ति की आयु निर्धारित करने वाला कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) भारत के महापंजीयक कार्यालय द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार, देश में 60 वर्ष और इसके ऊपर के आयु के व्यक्तियों की अनुमानित जनसंख्या 2016 में 11.81 करोड़ (9.3%) और 2021 में, 14.32 करोड़ (10.7%) होगी।

(ख) राष्ट्रीय वृद्धजन नीति 60 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्ति को वरिष्ठ नागरिक के रूप में मान्यता देती है।

(ग) और (घ) वृद्ध व्यक्तियों को वित्तीय, सामाजिक और स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए विधान सरकार के विचाराधीन है।

[अनुवाद]

मैंगलोर स्थित क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र

2385. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या **संस्कृति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैंगलोर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र हेतु प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से की धनराशि जारी किए जाने के बाद भी विलंब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) से (ग) मैंगलोर में एक क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र की स्थापना संबंधी एक प्रस्ताव मार्च, 2004 में मूलत: कर्नाटक सरकार से प्राप्त हुआ था। कर्नाटक सरकार को स्कीम के मानदण्डों के अनुसार प्रस्ताव के ब्यौरे प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। अब अक्तूबर, 2006 में कर्नाटक सरकार से विस्तृत परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हो गया है और इसे राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद को उनकी जांच और टिप्पणियों के लिए भेज दिया गया है।

देवनहल्ली विमानपत्तन

2386. श्री एम. शिवन्ना: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कर्नाटक में देवनहल्ली में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस विमानपत्तन की वर्तमान स्थिति क्या है और उक्त विमानपत्तन पर क्या सुविधा प्रदान किए जाने की संभावना है; और

(घ) इस परियोजना को यथाशीघ्र आरंभ करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) सरकार ने बंगलौर के निकट देवनहल्ली में सार्वजनिक निजी साझीदारी (पी.पी.पी.) के माध्यम से एक ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना किये जाने का अनुमोदित किया है।

(ग) हवाईअड्डा निर्माणाधीन है और यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर का होगा।

(घ) बंगलौर हवाईअड्डे के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी (जे.वी.सी.) के साथ किए गए रियायत करार के अनुसार, यह हवाईअड्डा फाइनेंशियल क्लोजर (एफ.सी.) की तिथि से 33 माह के भीतर प्रचालनरत हो जाएगा। एफ.सी. 23 जून, 2005 को प्राप्त कर ली गई थी। हवाईअड्डे का निर्माण समय-सारणी के अनुसार चल रहा है।

[हिन्दी]

गैर-सरकारी संगठनों का कार्यकरण

2387. श्री रामदास आठवले: क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़े वर्गों/अल्पसंख्यकों हेतु अधिकांश योजनाएं गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित की जाती है;

(ख) यदि हां, तो गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान किए गए अनुदान और उनके माध्यम से प्राप्त सफलता अपेक्षित परिणामों के अनुरूप नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों के कार्यकरण की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से योजनाओं के बेहतर कार्यान्वयन हेतु क्या परिवर्तन किए जाने का प्रस्ताव है;

(च) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी संगठनों को प्रदान की जा रही धनराशि के माध्यम से समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण हेतु ग्राम समितियों, स्वयं सहायता समूहों और अन्य पंचायती राज्य संस्थाओं को सम्मिलित करने हेतु कोई योजनाएं आरंभ करने का है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) कल्याण कार्यों हेतु गैर-सरकारी संगठनों को दी गई धनराशि का विवेकसम्मत रूप से उपयोग और अपेक्षित परिणाम प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन): (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) और (छ) 11वीं पंचवर्षीय योजना में अनुसूचित जाति छात्र और छात्राओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की योजना में पंचायती राज संस्थाओं को शामिल करने पर विचार किया जा रहा है।

(ज) गैर-सरकारी संगठनों द्वारा संचालित परियोजनाओं की मॉनीटरिंग, अर्ध-वार्षिक प्रगति रिपोर्ट तथा राज्य सरकारों/मंत्रालय के अधिकारियों/निर्दिष्ट एजेंसियों द्वारा किए गए वार्षिक निरीक्षणों के माध्यम से की जाती है।

[अनुवाद]

चोरी की घटनाएं

2388. श्री अधीर चौधरी:

डा. एम. जगन्नाथ:

श्री उदय सिंह:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न एयरलाइंसों की सुरक्षा जांच के बाद यात्रियों के सामान से कीमती वस्तुओं की चोरी की घटनाओं की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान पता चली ऐसी घटनाओं का ब्यौरा क्या है और अब तक कितने मामलों को हल किया गया है;

(ग) क्या एयरलाइंसों ने ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (घ) जानकारी एकत्र की जा रही है।

रेलवे सुरक्षा बल में जवानों की संख्या

2389. श्री बृज किशोर त्रिपाठी:
श्री मो. ताहिर:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे में बढ़ते अपराधों से निपटने के लिए रेलवे सुरक्षाबल (आर.पी.एफ.) में जवानों की कमी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और आज की स्थिति के अनुसार आर.पी.एफ. में विभिन्न श्रेणियों में कितने पद रिक्त हैं;

(ग) रेलवे द्वारा आर.पी.एफ. के रिक्त पदों को भरने तथा इसके जवानों की संख्या में वृद्धि करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां। रेल सुरक्षा बल की भूमिका की स्थिति का पुन:निर्धारण करने के परिणामस्वरूप, बल को अत्यधिक जिम्मेदारी सौंपी गई थी, जिसकी वजह से रे.सु.ब. द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता महसूस की गई थी, न कि विशेष रूप से अपराध में किसी वृद्धि के कारण।

(ख) रेलवे बोर्ड द्वारा अतिरिक्त जनशक्ति की आवश्यकता का फिलहाल निर्धारण किया जा रहा है, अभी तक रेल सुरक्षा बल की सभी कोटियों में रिक्तियों की संख्या 4167 है।

(ग) और (घ) वर्ष 2005 के दौरान रेल सुरक्षा बल में रिक्तियां 11023 कांस्टेबलों की भर्ती करके भरी गयी थीं। इसके अलावा, रेलों ने 2661 की अतिरिक्त संख्या का अनुमोदन किया है तथा प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को अनुसमर्थन के लिए भेजा गया है। पिछले दो वर्षों के दौरान सामान्य अपव्यय के कारण रिक्तियों को भरे जाने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

तेल आयात करने वाले देशों का मंच

2390. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तेल निर्यातक देशों की तर्ज पर आर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज (ओ.पी.ई.सी.) से तेल आयात करने वाले देशों के साथ मंच बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) इससे देशों को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनशा पटेल): (क) से (घ) जी, नहीं। तथापि, सामान्य हित के मुद्दों पर उत्पादक और उपभोक्ता देशों के बीच बेहतर समझदारी विकसित करने के उद्देश्य से सरकार ने मंत्री स्तरीय दो गोल मेज बैठकें आयोजित की थीं, एक गोल मेज बैठक का आयोजन 6 जनवरी, 2005 को नई दिल्ली में पारस्परिक अन्त:निर्भरता के माध्यम से तेल अर्थ तंत्र, स्थिरता, सुरक्षा तथा वहनीयता पर क्षेत्रीय सहयोग तथा दूसरी बैठक 25 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में एशियाई हाइड्रोकार्बन अर्थ तंत्र में स्थिरता, सुरक्षा तथा वहनीयता के संबंध में उत्तर और मध्य एशियाई उत्पादकों तथा प्रमुख एशियाई उपभोक्ताओं के बीच सहयोग के उद्देश्य से की गई।

[अनुवाद]

एन.डी.ए. में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती

2391. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल: क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय रक्षा अकादमी (एन.डी.ए.) में कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती की पद्धति में कोई परिवर्तन किए हैं जैसाकि दिनांक 23 नवंबर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) कमीशन प्राप्त अधिकारियों की भर्ती में राज्यों के बीच संतुलन बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में भर्ती, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित खुली प्रतियोगी-परीक्षा पर आधारित अखिल भारतीय योग्यताक्रम तथा तद्पश्चात सेवा चयन बोर्ड द्वारा आयोजित शारीरिक जांच के आधार पर जाति, पंथ, धर्म तथा क्षेत्र संबंधी भेद-भाव के बिना की जाती है।

खोज काम को पूरा न करने पर जुर्माना

2392. श्री सुग्रीव सिंह: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाइड्रोकार्बन्स महानिदेशालय ने तेल और प्राकृतिक गैस निगम पर (ओ.एन.जी.सी.) और रिलायंस इंडस्ट्रीज पर एन.ई.एल.पी. के अंतर्गत दिए गए तेल और गैस खोज खंडों के संबंध में की गई प्रतिबद्धताओं पर चूक के कारण कड़ा जुर्माना लगाने की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन कंपनियों ने उक्त जुर्माना राशि जमा करा दी है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इन कंपनियों से उक्त जुर्माना वसूल करने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) उत्पादन हिस्सेदारी संविदाओं (पी.एस.सीज) के अनुसार संविदाकारों को अन्वेषण चरणों के लिए दी गई अवधि में संबंधित पी.एस.सीज के संबंध में वचनबद्धित न्यूनतम कार्य कार्यक्रम पूरा करने के लिए कहा गया था। चूंकि ओ.एन.जी.सी. और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आर.आई.एल.) पी.एस.सीज के प्रावधानों के अनुसार कुछ ब्लाकों में न्यूनतम कार्य संबंधी कार्यक्रम को पूरा नहीं कर सके इसलिए पूरे न किए गए न्यूनतम कार्य संबंधी कार्यक्रम के बदले भुगतान ओ.एन.जी.सी. और आर.आई.एल. से मांगे गए थे। पी.एस.सीज के प्रावधानों के अलावा अन्वेषण चरणों में छह महीनों से अधिक के विस्तारों पर सरकार द्वारा अप्रैल, 2006 में तैयार विस्तार नीति के अनुसार निर्णय लिया जाता है। इस नीति के अंतर्गत संविदाकारों को नीति के प्रावधानों के अनुसार विस्तार के लिए परिसमाप्त क्षतियों का भुगतान करना होता है।

(ख) संबंधित पी.एस.सीज के प्रावधानों के अनुसार ओ.एन.जी.सी. के छह ब्लाकों और आर.आई.एल. के चार ब्लाकों के लिए तैयार न किए गए न्यूनतम कार्य संबंधी कार्यक्रम के बदले भुगतान मांगा गया है। इसके अतिरिक्त विस्तार नीति के अनुसार सात ब्लाकों के संबंध में ओ.एन.जी.सी. से पी.एस.सी. के प्रावधानों से परे के विस्तार करवाने के लिए परिसमाप्त क्षतियां भी मांगी गईं।

(ग) से (ङ) आर.आई.एल. ने तैयार न किए गए कार्य संबंधी कार्यक्रम के बदले 89.3 करोड़ रुपये की बकाया राशि के प्रति 57.87 करोड़ रुपए का भुगतान जमा किया है।

ओ.एन.जी.सी. और उसके परिसंघ भागीदारों को छह ब्लाकों के लिए तैयार न किए गए कार्य संबंधी कार्यक्रम के बदले 117.8 करोड़ रुपए जमा कराने के लिए कहा गया है।

ओ.एन.जी.सी. ने अन्वेषण चरणों में विस्तार प्राप्त करने के लिए परिसमाप्त क्षतियों के रूप में 76.48 करोड़ रुपए की बकाया राशि के मुकाबले 60.75 करोड़ रुपए की राशि जमा की है।

केरल में रेलवे जोन

2393. श्री पन्नियन रवीन्द्रन: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल ने राज्य में रेलवे जोन बनाने की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मांग की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) राज्य की मांग कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) प्रस्ताव व्यावहारिक नहीं पाया गया है क्योंकि नए जोनों की स्थापना आकार, कार्यभार, सुगम्यता, यातायात पैटर्न तथा अन्य परिचालनिक/प्रशासनिक आवश्यकताओं आदि को ध्यान में रखकर किया जाता है जो अर्थव्यवस्था तथा कार्यकुशलता के अनुरूप बिना किसी क्षेत्रीय विचार के की जाती है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

दक्षिण क्षेत्र में निष्क्रिय विमानपत्तन प्रचालन कार्यक्रम

2394. श्री एम. अप्पादुरई:
श्री ए.के. मूर्ति:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) ने दक्षिण क्षेत्र के लिए निष्क्रिय विमानपत्तन प्रचालन कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो इस योजना के दायरे में आने वाले विमानपत्तनों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ए.ए.आई. ने इन विमानपत्तनों पर इन सुविधाओं को बनाए रखने के लिए एयरलाइनों को सतत् प्रचालन दर्शाने के लिए कहा है;

(घ) यदि हां, तो इन विमानपत्तनों को पूर्णत: सक्रिय करने के लिए क्या ठोस योजना बनाई गई है और इस पर कुल कितनी धनराशि खर्च किये जाने की संभावना है; और

(ङ) इन विमानपत्तनों को कब तक प्रचालन योग्य बना दिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ङ) सरकार का सदैव यह प्रयास रहता है कि वह यह देखे कि जो हवाईअड्डे कार्य नहीं कर रहे हैं उन्हें इन क्षेत्रों में भी विमान सेवा सम्पर्क प्रदान करने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए। एयरलाइनों को ऐसे हवाईअड्डों पर उड़ान भरने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है तथा जहां एयरलाइनों द्वारा हिस्सेदारी का निर्वाह किया जाता है, अनिवार्य मरम्मत तथा स्तरोन्नयन किया जाता है। इस कार्य के लिए एक समय सीमा बताना संभव नहीं है।

महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

2395. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास महाराष्ट्र सरकार का मीटर/छोटी लाइनों के आमान परिवर्तन का कोई प्रस्ताव लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर रेलवे ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या रेलवे का विचार उपरोक्त परियोजनाओं को निजी वित्त पोषण के माध्यम से क्रियान्वित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इन परियोजनाओं पर कार्य कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) महाराष्ट्र में मीटर/छोटी लाइनों का आमान परिवर्तन शुरू करने के लिए मांग की गई है जिसमें अचलपुर-मुर्तिजापुर-यावतमल, पुलगांव-अरबी और अकोला-खंडवा शामिल हैं। इन लाइनों के आमान परिवर्तन के लिए सर्वेक्षण पूरा हो गया है। बहरहाल, इन्हें अभी तक शुरू नहीं किया गया है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्रधानमंत्री का पुनर्संरचना कार्यक्रम

2396. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास प्रधान मंत्री के पुनर्संरचना कार्यक्रम के अंतर्गत देश के विभिन्न हिस्सों में पर्यटन स्थलों के पुनरुद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सुनामी से तबाह हुए तमिलनाडु में ऐसे किन्हीं स्थलों की पहचान की गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन्हें कब तक विकसित किये जाने की सम्भावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) नवम्बर, 2004 के दौरान, प्रधान मंत्री द्वारा घोषित जम्मू और कश्मीर हेतु पुनर्निर्माण योजना में पर्यटन क्षेत्र के लिए 279.50 करोड़ रुपए का घटक है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:-

(1) राज्य भर में 50 पर्यटक ग्राम स्थापित करना;

(2) 12 पर्यटन विकास प्राधिकरणों के लिए वित्तीय सहायता;

(3) एक नए पर्यटक परिपथ की स्थापना करना;

(4) मार्केटिंग हेतु यात्रा एजेंटों के लिए सहायता;

(5) क्षमता निर्माण हेतु पर्यटन उद्योग कार्मिकों को प्रशिक्षण;

(6) पर्यटन उद्योग में रोजगार/स्व-रोजगार हेतु युवाओं के लिए कौशल का विकास।

इसके अलावा, प्रधान मंत्री ने वर्ष 2004-05 के लिए नागालैण्ड के लिए 25.00 करोड़ रुपए के एक पर्यटन पैकेज की भी घोषणा की। पर्यटन मंत्रालय ने नागालैण्ड राज्य के लिए वर्ष 2004-05 के दौरान 22.35 करोड़ रुपए तथा वर्ष 2005-06 के दौरान 25.28 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। प्रधान मंत्री द्वारा पर्यटन के लिए किसी अन्य पैकेज अथवा पुनर्संरचना कार्यक्रम की घोषणा नहीं की गई है।

(ग) से (ङ) पर्यटन मंत्रालय ने वर्ष 2005-06 में तमिलनाडु पर्यटन विकास निगम के पुनरुद्धार और तमिलनाडु में सुनामी की वजह से क्षतिग्रस्त अन्य पर्यटन सुविधाओं के लिए 499.50 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं और 184.96 लाख रुपए अवमुक्त किए हैं।

[अनुवाद]

रेलवे के लाभांश

2397. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान रेलवे द्वारा प्रतिशतता और धनराशि के संदर्भ में किस दर पर, सामान्य राजस्व में लाभांश प्रदत्त किया गया;

(ख) क्या रेलवे ने फ्रेट कोरिडोर परियोजनाएं निर्मित करने के लिए लाभांश के भुगतान से छूट की मांग की है; और

(ग) यदि हां, तो छूट से रेलवे को फ्रेट कोरिडोर परियोजनाओं के निर्माण में कितनी मदद मिलेगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) गत तीन वर्ष के दौरान रेलों द्वारा सामान्य राजस्व के देय लाभांश की दर, प्रतिशत और राशि के हिसाब से, निम्नानुसार है:-

(करोड़ रु. में)

	2003-04	2004-05	2005-06
लाभांश की सामान्य दर	7%	6.5%	6.5%
कुल प्रदत्त लाभांश*	3387.08	3199.31	3667.92

*इसमें 300.00 करोड़ रु. (2003-04), 483.30 करोड़ रु. (2004-05) तथा 663.00 करोड़ रु. (2005-06) का आस्थगित लाभांश शामिल है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

उदयपुर से रेल सेवा

2398. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को उदयपुर को रेल द्वारा देश के अन्य भागों से जोड़ने का कोई अभ्यावेदन/प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) माननीय संसद सदस्य से एक अभ्यावेदन सहित उदयपुर से कोटा, इंदौर, हावड़ा, चैन्ने, हैदराबाद, मुम्बई आदि तक गाड़ी शुरू करने हेतु अभ्यावेदन प्राप्त हुए है।

(ग) उदयपुर से कोटा, इंदौर, हावड़ा, चैन्ने, हैदराबाद, मुम्बई आदि तक गाड़ी शुरू करने के लिए जांच की गयी है परन्तु वर्तमान में इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया। बहरहाल, 2006-07 के रेल बजट में अजमेर-उदयपुर एक्सप्रेस को शुरू करने की घोषणा की गई है।

[अनुवाद]

यूरो-III पेट्रोल का उत्पादन

2399. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम और अन्य तेल विपणन कंपनियों ने यूरो-III पेट्रोल का उत्पादन आरम्भ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) प्रत्येक तेल शोधन कारखाने द्वारा यूरो-III पेट्रोल की कितनी अनुमानित मात्रा का उत्पादन किया जायेगा; और

(घ) यूरो-III पेट्रोल की आपूर्ति के लिए किन-किन शहरों का चयन किया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी, हां। वर्ष 2006-07 के दौरान रिफाइनरियों तथा उनके द्वारा उत्पादित किए जाने वाले यूरो-III पेट्रोल की अनुमानित मात्रा के ब्यौरे निम्नवत् हैं:-

रिफाइनरी का नाम	अनुमानित मात्रा (हजार मीट्रिक टन)
पानीपत रिफाइनरी, इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.एल.)	171
मथुरा रिफाइनरी, आई.ओ.सी.एल.	601
हल्दिया रिफाइनरी, आई.ओ.सी.एल.	97
गुजरात रिफाइनरी, आई.ओ.सी.एल.	125
विशाखा रिफाइनरी, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एम.आर.पी.एल. से सुधार सहित)	250
मुंबई रिफाइनरी, भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.)	500
कोच्चि रिफाइनरी, बी.पी.सी.एल.	115
चेन्नई पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	379
मैंगलोर रिफाइनरी एण्ड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	480

(घ) सरकार द्वारा अक्तूबर, 2003 में अनुमोदित आटो-ईंधन नीति के रोड मैप के अनुरूप यूरो-III पेट्रोल का प्रयोग 13 अभिज्ञात शहरों नामतः दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, मुंबई, कोलकाता, चेन्नै, बैंगलोर, हैदराबाद, अहमदाबाद, पुणे, सूरत, कानपुर, आगरा, सोलापुर और लखनऊ में आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

गगन परियोजना में वृद्धि करना

2400. श्री रशीद मसूदः क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या ए.ए.आई. ने इसरो के साथ मिलकर अमेरिकन कम्पनी के समन्वय से विमानन क्षेत्र की सुरक्षा हेतु गगन-टी.डी.एस. परियोजना आरंभ की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके मुख्य उद्देश्य क्या हैं और इस परियोजना के अंतर्गत कितना लाभ होने की संभावना है;

(घ) इस परियोजना की कुल लागत कितनी है; और

(ङ) उक्त परियोजना को कब तक क्रियान्वित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने संयुक्त रूप से अंतरिक्ष आधारित विस्तार प्रणाली (एस.बी.ए.एस.), जिसे जिओ एडेड जी.पी.एस. विस्तारित नोवहन (गगन) के नाम से जाना जाता है, जो कोर दिक्चालन उपग्रह प्रणाली जिसे विश्वव्यापी दिक्चालन उपग्रह प्रणाली (जी.एल.ओ.एन.ए.एस.एस.) कहा गया है, के कार्य निष्पादन का विस्तार करेगा।

(ग) इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य कोर दिक्चालन उपग्रह प्रणाली, जो उनके सही होने, विश्वसनीयता, उपलब्धता और निरंतरता के अनुसार जी.पी.एस. तथा (जी.एल.ओ.एन.ए.एस.एस.) है, के कार्य निष्पादन का विस्तार करना है।

(घ) 644 करोड़ रुपए।

(ङ) दिसम्बर, 2008 तक।

रेलगाड़ियों में मदिरा परोसा जाना

2401. श्री हरिकेवल प्रसादः
श्री सुनिल कुमार महतोः

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राजधानी एक्सप्रेस और अन्य रेलगाड़ियों में खान-पान कर्मचारी गुप्त रूप से यात्रियों को मदिरा परोसते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे को चालू वर्ष के दौरान इस बारे में शिकायतें प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(घ) दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध रेलवे ने क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) इस प्रकार के कदाचार पर अंकुश लगाने के लिए रेलवे द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) भारतीय रेल अधिनियम के अनुसार, राजकीय रेल पुलिस, रेल सुरक्षा बल और टिकट जांच कर्मचारियों को ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने के लिए शक्तियां प्रदान की गई हैं।

[अनुवाद]

दिल्ली/नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों के लिए परियोजनाएं

2402. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने राष्ट्रमण्डल खेल 2010 के मद्देनजर दिल्ली और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाली रेलगाड़ियों और सुपर-फास्ट रेल गाड़ियों और मेट्रो के भारी यातायात को सम्भालने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को कब तक पूरा किये जाने की सम्भावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) कार्य 2-3 वर्षों में पूरा होने की संभावना है।

विवरण

(ख) मौजूदा टर्मिनल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नई दिल्ली पर 4 यात्री प्लेटफॉर्म, दिल्ली मेन पर 1, धुलाई लाइन, दिल्ली सराय रोहिल्ला स्टेशन पर 1 यात्री प्लेटफॉर्म, नई दिल्ली-तिलक पुल तक पांचवीं और छठी लाइन, नई दिल्ली पर 6 लाइन प्रवेश और निकास, सराय रोहिल्ला-रेवाड़ी आमान-परिवर्तन, साहिबाबाद-आनंद विहार तक तीसरी और चौथी लाइन और रामपुरा केबिन पर ग्रेड सेपरेटर बनाए जा रहे हैं।

आनंद विहार पर एक अतिरिक्त टर्मिनल का कार्य 85 करोड़ रुपए की लागत पर शुरू हो चुका है।

मौजूदा स्टेशनों जैसे दिल्ली जंक्शन एवं हजरत निजामुद्दीन पर यात्री सुविधाओं में संवर्धन के अतिरिक्त, नई दिल्ली को विश्वस्तरीय टर्मिनल बनाए जाने का भी प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

रसोई गैस कनेक्शन

2403. श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री वी.के. दुग्गर:
श्री ब्रजेश पाठक:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान देश में राज्य-वार कितने रसोई गैस कनेक्शन प्रदान किये गए;

(ख) क्या सरकार ने देश में नये रसोई गैस कनेक्शनों के आबंटन पर रोक लगा दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) देश में राज्य-वार रसोई गैस कनेक्शनों के आबंटन के लिए कितने व्यक्ति प्रतीक्षा सूची में हैं; और

(ङ) प्रतीक्षा सूची को कब तक निर्शेष कर दिये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) वर्तमान में देश में 3 सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) नामत: इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आई.ओ.सी.), भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन

लिमिटेड (बी.पी.सी.एल.), हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच.पी.सी.एल.) द्वारा एल.पी.जी. के कनेक्शन जारी किये जा रहे हैं। ओ.एम.सीज द्वारा पिछले तीन वर्षों तथा अप्रैल-सितम्बर, 2006 के दौरान कुल 220.72 लाख कनेक्शन निम्नानुसार जारी किए गए हैं:-

वर्ष	जारी किए गए एल.पी.जी. कनेक्शनों की संख्या (संख्या लाखों में)
2003-04	78.30
2004-05	73.35
2005-06	45.76
अप्रैल-सितम्बर, 06	23.31

(ख) और (ग) नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के आबंटन के लिए सरकार ने ओ.एम.सीज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए हैं। वास्तविक घरेलू ग्राहकों के लिए नए गैस कनेक्शन आमतौर पर उपलब्ध हैं।

(घ) और (ङ) 01-11-2006 को ओ.एम.सीज के एल.पी.जी. वितरकों के पास नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए 63,543 की प्रतीक्षा सूची है। राज्य वार ब्यौरा अनुलग्नक में है। प्रतीक्षा सूची दिसम्बर, 2006 तक समाप्त हो जाने की संभावना है।

विवरण

1-11-2006 को नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची में व्यक्तियों की संख्या

राज्य/संघ शासित प्रदेश	नए एल.पी.जी. कनेक्शनों के लिए प्रतीक्षा सूची
1	2
आन्ध्र प्रदेश	11912
बिहार	2650
हरियाणा	3100
केरल	32438
महाराष्ट्र	11850
उत्तर प्रदेश	1341
लक्षद्वीप	252
योग	63543

[अनुवाद]

पी.एस.यू. में निवेश

2404. डा. के. धनराजू: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को देश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू.) में और अधिक निवेश के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर केन्द्र सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): (क) से (ग) विभिन्न क्षेत्रों तथा विभिन्न राज्यों/अवस्थिति में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों (सी.पी.एस.ई.) में निवेश से संबंधित प्रस्ताव आवश्यकता आधारित, उद्यम विशेष तथा विद्यमान व्यापार परिवेश पर निर्भर करते हैं। ऐसे प्रस्ताव या तो प्रशासनिक मंत्रालय/योजना आयोग द्वारा अथवा संबंधित केन्द्रीय सरकारी उद्यम विभाग द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं। राज्य सरकारें निवेश से संबंधित प्रस्तावों के लिए अनुरोध के साथ योजना आयोग/संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से संपर्क कर सकती हैं। लोक उद्यम सर्वेक्षण (2004-05) तक की जानकारी उपलब्ध है, जिसमें सकल परिसम्पत्तियों व रोजगार का राज्यवार विवरण प्रस्तुत किया जाता है, जिसकी प्रति विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

सकल परिसंपत्तियों व रोजगार का राज्यवार वितरण

(सकल परिसंपत्ति-करोड़ रुपए)

(सेजगार संख्या-लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश	31-3-2005 के अनुसार		31-3-2004 के अनुसार		31-3-2005 के अनुसार हिस्सेदारी का प्रतिशत		31-3-2005 के अनुसार प्राप्त स्थान	
		सकल परिसंपत्ति	रोजगार	सकल परिसंपत्ति	रोजगार	सकल परिसंपत्ति	रोजगार	सकल परिसंपत्ति	रोजगार
1.	आन्ध्र प्रदेश	44545.73	0.99	42433.22	1.01	6.86	5.85	3	7
2.	अरुणाचल प्रदेश	2961.14	0.02	2183.15	0.02	0.46	0.12	23	25
3.	असम	28153.81	0.51	26334.44	0.53	4.34	3.01	10	12
4.	बिहार	12086.79	0.18	10403.24	0.19	1.86	1.06	19	19
5.	छत्तीसगढ़	16072.47	1.00	12089.73	1.04	2.48	5.91	17	6
6.	दिल्ली	21713.24	0.79	20249.20	0.76	3.34	4.67	12	10
7.	गोवा	436.65	0.03	395.93	0.02	0.06	0.18	27	23
8.	गुजरात	42295.53	0.50	39156.40	0.53	6.51	2.95	5	13
9.	हरियाणा	16541.77	0.21	13016.90	0.20	2.55	1.24	16	18
10.	हिमाचल प्रदेश	17390.10	0.10	16301.70	0.11	2.68	0.59	14	21
11.	जम्मू-कश्मीर	11764.22	0.09	11002.75	0.09	1.81	0.53	21	22
12.	झारखंड	20654.82	2.31	22869.12	2.49	3.18	13.64	13	1
13.	कर्नाटक	28543.88	0.81	29572.93	0.83	4.40	4.78	9	9

14.	केरल	16828.32	0.42	15300.80	0.45	2.59	2.48	15	15
15.	मध्य प्रदेश	29830.52	1.09	27655.11	1.10	4.60	6.44	8	4
16.	महाराष्ट्र	122899.24	2.01	107826.07	2.08	18.93	11.87	1	2
17.	मणिपुर	261.48	0.01	242.11	0.01	0.04	0.06	28	29
18.	मेघालय	224.17	0.01	186.36	0.02	0.03	0.06	29	30
19.	नागालैण्ड	1075.43	0.01	1054.59	0.01	0.17	0.06	26	28
20.	उड़ीसा	33354.47	0.69	31415.45	0.68	5.14	4.08	6	11
21.	पंजाब	9288.04	0.27	8704.52	0.28	1.43	1.59	22	17
22.	राजस्थान	13900.88	0.30	15399.46	0.31	2.14	1.77	18	16
23.	सिक्किम	1990.52	0.01	1566.39	0.01	0.31	0.06	24	32
24.	तमिलनाडु	43475.42	1.09	38517.46	0.88	6.70	6.44	4	5
25.	त्रिपुरा	1659.58	0.02	1488.25	0.02	0.26	0.12	25	27
26.	उत्तर प्रदेश	45738.01	0.90	39933.27	0.89	7.04	5.32	2	8
27.	उत्तरांचल	11767.38	0.16	11526.08	0.20	1.81	0.95	20	20
28.	पश्चिम बंगाल	31397.67	1.92	29377.57	2.19	4.84	11.34	7	3
29.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	199.93	0.02	199.10	0.02	0.03	0.12	30	26
30.	चंडीगढ़	99.83	0.01	99.67	0.01	0.02	0.06	31	31
31.	पांडिचेरी	123.06	0.02	85.65	0.02	0.01	0.12	32	24
32.	अन्य तथा अनाबंटित	21884.90	0.43	19803.79	0.61	3.37	2.54	11	14
	जोड़	649159.00	16.93	596726.65	17.62	100.00	100.00	–	–

[हिन्दी]

नई रेल पटरियों के लिए ट्रैक बिछाने वाली मशीन

2405. श्री ब्रजेश पाठक: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नई रेल पटरियों को बिछाने के लिए ट्रैक रीलेयिंग ट्रेन (टी.आर.टी.) मशीन का उपयोग कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस टी.आर.टी. मशीन की मुख्य विशेषताएं क्या है; और

(घ) रेल की पटरी बिछाने में इस मशीन की दैनिक क्षमता कितनी है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) आंशिक रूप से सही है। रेलपथ बिछाने वाली गाड़ी का उपयोग मौजूदा पुराने रेलपथों (रेल पटरियों और स्लीपरों) को हटाकर नए रेलपथ लगाने हेतु किया जा रहा है।

(ग) जैसाकि नाम से पता चलता है, रेलपथ बिछाने वाली गाड़ी में नए स्लीपरों को ढोने वाले मालडिब्बे होते हैं। परिचालन के दौरान यह गाड़ी पुराने रेलपथ को उठाकर मालडिब्बों में रखती है और उसके बाद नए स्लीपरों को बिछाती है और साथ-साथ मौजूदा रेलपथों के किनारे पहले से रखे गई नई रेल पटरियों को उठाकर स्लीपरों के ऊपर बिछाती हैं। इस मशीन से बेहतर गुणवत्ता सहित नवीकरण के कार्य में तेजी आई है और यह मशीन इस समय के भारी रेलपथों को सम्हालने में काफी उपयोगी है।

(घ) चार घंटे के प्रभावकारी यातायात ब्लॉक में ट्रैक रिलेइंग ट्रेन मशीन एक कि.मी. पर रेलपथ नवीकरण का कार्य पूरा कर सकती है।

[हिन्दी]

रेलवे हाल्टों को बन्द करना

2406. श्री तूफानी सरोज: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कुछ रेलवे हाल्टों को बन्द करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) रेलवे हाल्ट स्टेशन को बंद करने के बारे में तभी विचार करती है यदि वह अलाभप्रद होता है और यात्री सुविधा आधार पर औचित्यपूर्ण नहीं होता। 2005-06 के वित्त वर्ष के दौरान 48 हाल्ट स्टेशनों को बंद किया गया है।

[अनुवाद]

रक्षा खरीद परिषद् का गठन

2407. श्री प्रबोध पाण्डा:

डा. राजेश मिश्रा:

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा खरीद परिषद् का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके सदस्य कौन-कौन हैं और इसके उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) रक्षा खरीद परिषद् को प्रदान किए अधिकारों का ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (ग) 'राष्ट्रीय सुरक्षा प्रणाली में सुधार करने' संबंधी मंत्री समूह की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, रक्षा मंत्रालय में पूंजीगत खाते में अधिप्राप्तियों संबंधी कार्रवाई करने के लिए अपने 11 अक्तूबर, 2001 के आदेश के जरिए व्यापक ढांचे और प्रणालियों का गठन किया था। रक्षा अधिप्राप्ति आयोजना प्रक्रिया के समग्र रूप से मार्ग-निर्देशन के लिए रक्षा मंत्री के अधीन एक विस्तृत ढांचा, रक्षा अधिप्राप्ति परिषद् का गठन किया गया था। रक्षा अधिप्राप्ति परिषद् का संघटन इस प्रकार है:-

(क)	रक्षा मंत्री	–	अध्यक्ष
(ख)	रक्षा राज्य मंत्री	–	सदस्य
(ग)	थल सेनाध्यक्ष	–	सदस्य
(घ)	नौसेनाध्यक्ष	–	सदस्य
(ङ)	वायुसेनाध्यक्ष	–	सदस्य
(च)	रक्षा सचिव	–	सदस्य
(छ)	सचिव, रक्षा अनुसंधान एवं विकास	–	सदस्य
(ज)	सचिव, रक्षा उत्पादन	–	सदस्य

(झ) एकीकृत स्टाफ समितियों के प्रमुख एचडीआईडीएस – सदस्य

(ञ) महानिदेशक अधिग्रहण – सदस्य

(ट) एकीकृत रक्षा स्टाफ उपप्रमुख – सदस्य सचिव

रक्षा अधिप्राप्ति परिषद् का उद्देश्य सशस्त्र बलों की अनुमोदित आवश्यकताओं की मांगी गई क्षमताओं तथा निर्धारित समय-सीमा के संदर्भ में आबंटित बजटीय संसाधन का इष्टतम इस्तेमाल करते हुए अधिप्राप्ति में तेजी लाना सुनिश्चित करना है।

रक्षा अधिप्राप्ति परिषद् के कार्यों में ये कार्य शामिल हैं: (i) रक्षा बलों के लिए 15 वर्षीय दीर्घकालीन एकीकृत संदर्शी योजना की सैद्धांतिक मंजूरी; (ii) अधिग्रहण प्रस्तावों की आवश्यकता की स्वीकृति देना; (iii) 'खरीदो' 'खरीदो और बनाओ' तथा 'बनाओ' संबंधी अधिप्राप्ति प्रस्तावों का वर्गीकरण; (iv) एकल विक्रेता अनुमति संबंधी मामले; (v) 300 करोड़ रुपये से अधिक के अधिप्राप्ति प्रस्तावों के मामले में ऑफसेट प्रावधान के बारे में निर्णय; (vi) अधिप्राप्ति प्रस्तावों के 'खरीदो और बनाओ' श्रेणी के तहत प्रौद्योगिकी अंतरण के बारे में निर्णय; और (vii) फील्ड परीक्षण मूल्यांकन।

उड़ान वर्जित क्षेत्र में विदेशी विमान

2408. श्री मनोरंजन भक्त:
श्री चन्द्रभूषण सिंह:
डा. शफीकुर्रहमान बर्क:
श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:
श्रीमती निवेदिता माने:
श्री कीर्ति वर्धन सिंह:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली के उड़ान वर्जित क्षेत्र में हाल ही में एक विदेशी विमान आ गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या इस बारे में कोई जांच की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) जी हां।

(ख) और (ग) जी, हां। जांच से पता चला कि कुवैत एयरलाइन की एक उड़ान के ए.सी.-382 दिनांक 13-11-2006 को राष्ट्रपति भवन (वी.आई.पी. 89) के ऊपर आ गई थी जो कि एक उड़ान वर्जित क्षेत्र (नो फ्लाई जोन) है। यह घटना मानवीय भूल की वजह से हुई थी। के ए.सी.-382 का पायलट गलत तरीके से दाएं मुड़ने के बजाए बाएं मुड़ गया था और प्रतिबंधित क्षेत्र के ऊपर उड़ने लगा था और एप्रोच कन्ट्रोलर ने समय से पहले इस विमान के लिए मानक उपस्कर प्रस्थान (एस.आई.डी.) रद्द कर दिया।

(घ) जांच रिपोर्ट के निष्कर्षों तथा अनुशंसाओं के आधार पर नागर विमानन महानिदेशालय ने इस मामले को पायलट के विरुद्ध उपयुक्त कार्रवाई के लिए कुवैती नागर विमानन प्राधिकरण के साथ उठाया है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मानक प्रचालन प्रक्रियाओं में संशोधन किया है और जब कभी भी एस.आई.डी. रद्द किया गया हो रेडियल आदि के प्रचालन के संबंध में सामान्य ए.टी.सी. अनुदेशों/क्लियरेंस को जारी किया जाना अनिवार्य किया है। शामिल नियंत्रक को बहाल किया गया है और एस.ओ.पी. विमानों के निष्पादन संबंधी गुणों पर सुधारात्मक प्रशिक्षण के अध्याधीन किया गया है।

पिलीकुला निसार गधय का विकास

2409. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार के पास मंगलौर के निकट पिलीकुला निसार गधय के विकास हेतु वित्तीय सहायता का कोई प्रस्ताव लम्बित पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में विलम्ब के क्या कारण हैं?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) और (ख) कर्नाटक की राज्य सरकार ने गंतव्य विकास की योजना के अंतर्गत दिनांक 18-7-2006 को पिलीकुला निसार गधय के विकास हेतु 500.00 लाख रुपयों की कुल राशि का एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

(ग) पर्यटन मंत्रालय, 10वीं पंचवर्षीय योजना से राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को, प्रत्येक वर्ष उनके परामर्श

से प्राथमिकता प्रदत्त परियोजना प्रस्तावों के आधार पर, केन्द्रीय वित्तीय सहायता प्रदान करता आ रहा है।

वर्ष 2006-07 में कर्नाटक राज्य के लिए निम्नलिखित प्रस्तावों को प्राथमिकता प्रदान की गई है:-

1. गंतव्य विकास:

(i) हम्पी

(ii) लिंगनामक्की

2. पर्यटक परिपथ:

(a) बीजापुर-बीदर-गुलबर्गा

3. मेले/उत्सव:

(i) बंगलौर हब्बा

(ii) हम्पी

(iii) करावली

प्राप्त सभी प्रकार से पूर्ण परियोजना प्रस्तावों का दिशा-निर्देशों के अनुसार मूल्यांकन किया जाता है और संबंधित शीर्ष के अंतर्गत उपलब्धता की शर्त पर निधियां स्वीकृत की जाती हैं। पिलीकुला निसार गधय के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं था और इसलिए स्वीकृत नहीं किया गया।

अंगूरों का प्रसंस्करण

2410. **श्री असादुद्दीन ओवेसी:** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में अंगूरों का प्रसंस्करण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्तमान में कुल उत्पादन में से कितने अंगूरों का प्रसंस्करण किया जा रहा है?

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): (क) जी हां।

(ख) और (ग) देश में अंगूरों का प्रसंस्करण गूदा, रस, रस सांद्रण, वाइन और किशमिश तैयार करने के लिए किया जाता है। अनुमान है कि देश में अंगूर की 12 लाख मीट्रिक टन पैदावार होती है। लगभग 1.20 लाख टन अंगूर किशमिश तैयार करने के लिए सुखाया जाता है। लगभग 20,000 टन अंगूर की पिराई करके रस (जूस) तैयार किया जाता है और 10,000 टन अंगूर का प्रसंस्करण करके वाइन तैयार की जाती है।

[हिन्दी]

गैस कनेक्शन

2411. **प्रो. महादेवराव शिवनकर:**
श्री शिशुपाल पटले:

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार गैस वितरकों को अपने विवेकाधिकार से उपभोक्ताओं को गैस आपूर्ति की अनुमति देने का है जैसा कि दिनांक 17 नवम्बर, 2006 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या गैस वितरकों को उन उपभोक्ताओं का ब्यौरा पेश करने का अनुदेश किया है जिन्हें गैस सिलेण्डरों की आपूर्ति की गई और जो तेल कंपनियों के पास पंजीकृत नहीं हैं;

(ग) क्या सभी वितरकों को इस योजना के लिए प्राधिकृत किया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस योजना से कालाबाजारी की प्रथा पर किस सीमा तक अंकुश लगेगा?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ.एम.सीज) द्वारा अपने एल.पी.जी. वितरकों को रिफिल की बिना बुकिंग किए अपने पंजीकृत ग्राहकों को रिफिल देने के कोई निर्देश जारी नहीं किये गए हैं। ओ.एम.सीज के एल.पी.जी. वितरकों से केवल बुकिंग के प्रति एल.पी.जी. सिलेण्डर जारी करना अपेक्षित है और ओ.एम.सीज द्वारा घरेलू एल.पी.जी. की रिफिल आपूर्ति केवल ग्राहकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप की जा रही है।

[अनुवाद]

सैन्य कार्मिकों द्वारा वर्ज किये गए अदालती मामले

2412. **श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:** क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना को सेवारत और सेवानिवृत्त कार्मिकों द्वारा दर्ज किये गए अदालती मामलों की समस्या का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि दिनांक 23 नवम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) आज की तिथि के अनुसार ऐसे कितने मामले विभिन्न अदालतों में लंबित पड़े हैं; और

(घ) अदालती मामलों के शीघ्र निपटान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) से (घ) विभिन्न उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में अदालती मामलों की कुल संख्या लगभग 8000 है।

सेना में जज एडवोकेट जनरल का विभाग अदालती मामलों, विशेषतः उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय में अदालती मामलों संबंधी कार्य करने के लिए उत्तरदायी है। सेना ने प्रमुख उच्च न्यायालयों के समान 20 विधिक प्रकोष्ठों की स्थापना की है। ये प्रकोष्ठ अदालती मामलों के विभिन्न पहलुओं जैसे प्रति हलफनामा दाखिल करने, स्थगनादेश समाप्त करवाने हेतु आवेदनों, विविध याचिकाओं, आदि के समन्वयन में शीर्ष एजेंसी के रूप में कार्य करते हैं। इनके अलावा, पेंशन संबंधी मामलों के लिए वर्ष में छह बार पेंशन अदालतें लगायी जाती हैं। अदालती मामलों में मुकदमे/याचिकाएं प्रति हलफनामे, अपीलें, आदि दायर करने के समय से ही कार्रवाई करने तथा मुकदमे के अन्य पहलुओं पर कार्रवाई करने के लिए सेना ने विस्तृत निर्देश भी जारी किए हैं। अदालती मामलों की मॉनीटरिंग, आवधिक रिपोर्टों और रिटर्नों के माध्यम से भी की जाती है। उपर्युक्त स्तरों पर आवश्यकतानुसार समीक्षा बैठकें भी आयोजित की जाती हैं।

सरकार ने एक सशस्त्र बल अभिकरण का गठन करने का निर्णय लिया है तथा इस संबंध में एक विधेयक संसद में पेश कर दिया गया है। इससे न्यायालयों के कार्य-भार में काफी कमी होने की आशा है।

भेल द्वारा टरबाइनों का विनिर्माण

2413. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में पवन ऊर्जा के उत्पादन के लिए टरबाइनों का विनिर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या भेल द्वारा इन टरबाइनों का विभिन्न देशों को निर्यात किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2005-06 और 2006-07 के दौरान अब तक विभिन्न देशों को निर्यात किये गए विभिन्न क्षमताओं के टरबाइनों का ब्यौरा क्या है?

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) उपरोक्त (ख) में दिए गए उत्तर की दृष्टि से कोई प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

खान-पान और भ्रमण पर्यटन क्षेत्र का नवीकरण

2414. श्री अधीर चौधरी:
श्री निखिल कुमार:

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने हाल ही में अपने खान-पान और भ्रमण पर्यटन क्षेत्रों के नवीकरण का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारतीय रेलवे खान-पान और पर्यटन निगम ने रेल गाड़ियों में खाने को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए कोई कार्य योजना तैयार की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) रेलगाड़ियों में यात्रियों को उत्तम खाना प्रदान करने के लिए रेलवे ने अन्य कदम क्या उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) सतत् प्रक्रिया के रूप में खानपान और पर्यटन गतिविधियों पर क्षेत्रीय रेलवे और भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) जो कि पूरी तरह भारतीय रेल की स्वामित्व वाली कंपनी है, द्वारा निरंतर नजर रखी जाती है। स्टेशनों और गाड़ियों में खानपान सेवाओं को बेहतर करने के लिए भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इनमें मल्टी क्विजीन फूड प्लाजा, स्वचालित वेंडिंग मशीन, पानी विक्रय मशीन आदि शामिल है। गाड़ियों में व्यापक सेवाएं, जिसमें खानपान, बेडरौल सेवाएं, सवारी डिब्बों की सफाई आदि शामिल है, भी आई.आर.सी.टी.सी. द्वारा मुहैया कराई जा रही है।

रेल मंत्रालय द्वारा पर्यटन के विकास के लिए दूरदर्शिता, कौशल और कार्य योजना को ध्यान में रखते हुए एक पर्यटन नीति तैयार की गई है। इस नीति को लागू करने के लिए भारतीय रेल खानपान निगम को नियुक्त किया गया है ताकि वे इसे सुसाध्य बनाएं तथा क्षेत्रीय रेलों के साथ समन्वय स्थापित कर सकें। प्रस्तावित पर्यटन गतिविधियों में मोटे तौर पर निम्नलिखित को शामिल किया गया है:-

(i) लक्जरी पर्यटन गाड़ियां

(ii) फेयरी क्वीन

(iii) पर्वतीय गाड़ियां

(iv) विदेशी पर्यटकों के लिए विशेष सुविधाएं

(v) मूल्य संवर्धित पर्यटन पैकेज

(vi) भारत दर्शन गाड़ियां (विलेज ऑन व्हील्स)

(vii) बजट होटलों की स्थापना

(ग) और (घ) रेल उपभोक्ताओं के लिए मानकीकृत स्वास्थ्यकर भोजन और पेय पदार्थों की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए बेस किचन और अन्य रसोई इकाइयों द्वारा विनिर्दिष्ट स्वास्थ्यकर मापदंडों का पालन किया जाता है। आई.आर.सी.टी.सी. ने पहले से ही बेस किचन/रसोई घरों का नवीकरण शुरू कर दिया है। आवश्यकतानुसार पुराने/बेकार फर्नीचरों, खानपान सेवा उपस्करों और अन्य गजटों, गैस पाईपलाइनों आदि को बदला जा रहा है। उपर्युक्त के अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता का उन्नयन करने के लिए खानपान कर्मचारी के लिए वृहद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय मानक ब्यूरों (बी.आई.एस.) और एगमार्क मानकों, जो भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित कोआपरटिव सोसाइटियों से बेहतर गुणवत्ता वाले कच्चे सामग्रियों की खरीद की जाती है। भारतीय रेल खानपान एवं पर्यटन निगम द्वारा भोजन की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर "सेवा निगरानी सेल" (एस.एम.सी.) की स्थापना की गई है ताकि तत्काल निवराक कदम उठाया जा सके।

(ङ) खानपान सेवा को बेहतर बनाना एक सतत् प्रक्रिया है। इसमें साफ-सफाई मानकों और फूड सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखना बेहतर गुणवत्ता वाले पैकेजिंग को शुरू करना/बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना, व्यंजन तालिका में बदलाव करना, अनुमोदित स्त्रोतों से कच्चे सामग्री की खरीद आदि शामिल हैं। खानपान सेवा पर निगरानी रखने के लिए रेलवे प्रशासन द्वारा नियमित/औचक जांचें की जाती हैं और निवारक उपाए किए जाते हैं।

गैस क्षेत्र में निवेश

2415. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्राकृतिक गैस उप-समूह ने एल.एन.जी. के आयात में 5 गुना बढ़ोत्तरी वर्तमान 5-6 मिलियन टन प्रति वर्ष से 25 मिलियन टन प्रतिवर्ष होने के अनुमान के अतिरिक्त गैस क्षेत्र में 40,000 करोड़ रुपये के निवेश होने का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो क्या ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान घरेलू गैस आपूर्ति में वर्ष 2007-08 में 70.54 एम.एम.एस.सी.एम.डी. से तीव्र बढ़ोत्तरी होकर वर्ष 2011-12 तक 192 एम.एम.एस.सी.एम.डी. होने का भी अनुमान लगाया है;

(ग) यदि हां, तो शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इससे देश में गैस की मांग पूरी करने में कितनी मदद मिलेगी?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विनश्ना पटेल): (क) प्राकृतिक गैस पर उपदल की रिपोर्ट में 11वीं योजना अवधि (2007-12) के दौरान प्राकृतिक गैस क्षेत्र में लगभग 40000 करोड़ रुपये के निवेश का अनुमान लगाया गया है जिसमें एल.एन.जी. टर्मिनल, अन्तर्राज्यीय गैस परिवहन पाइपलाइन और नगर गैस वितरण पाइपलाइन शामिल हैं।

एल.एन.जी. के आयात में 83 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन (एम.एम.एस.सी.एम.डी.) के समतुल्य 23.75 मिलियन टन प्रति वर्ष (एम.एम.टी.पी.ए.) तक की वृद्धि का अनुमान है।

(ख) रिपोर्ट में कहा गया है कि जहां ओ.एन.जी.सी. के मौजूदा क्षेत्रों से घरेलू आपूर्तियों में कमी दिखाई देगी वहीं के.जी. बेसिन से गैस आपूर्ति में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी। हाईड्रोकार्बन महानिदेशालय (डी.जी.एच.) द्वारा हाल में अधिप्रमाणित आपूर्तियों के आधार पर गैस की उपलब्धता वर्ष 2011-12 तक बढ़कर 98.3 एम.एम.एस.सी.एम.डी. तक पहुंचने की संभावना है। यह के.जी. बेसिन में आर.आई.एल. के अपतटीय ब्लाकों से 40 एम.एम.एस.सी.एम.डी. गैस आपूर्ति पर आधारित है। तथापि, आर.आई.एल. ने इस स्तर से ऊपर के उत्पादन का अनुमान लगाया है। यद्यपि इसे अभी डी.जी.एच. द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है। इसी प्रकार जी.एस.पी.सी.एल. के उत्पादन को भी अभी डी.जी.एच. द्वारा अधिप्रमाणित किया जाना है।

(ग) 2008-09 से आगे उत्पादन आरम्भ करने की संभावना

वाले के.जी. बेसिन में प्रगति पर ई एण्ड पी परियोजनाएं आर.आई.एल.डी. 6 क्षेत्र और जी.एस.पी.सी.एल. क्षेत्र हैं। ई एण्ड पी परियोजनाओं के अतिरिक्त दाहेज एल.एन.जी. टर्मिनल की क्षमता का 5 एम.एम.टी.पी.ए. से 10 एम.एम.टी.पी.ए. तक विस्तार किया जा रहा है। 5 एम.एम.टी.पी.ए. का दाभोल एल.एन.जी. टर्मिनल 2009 में पूर्णत: प्रचालनरत हो जाएगा। 2.5 एम.एम.टी.पी.ए. का कोच्चि एल.एन.जी. टर्मिनल भी 5 एम.एम.टी.पी.ए. के विस्तार के प्रावधान के साथ 2010 तक चालू कर दिया जाएगा। कुल एल.एन.जी. क्षमता बढ़कर 23.75 एम.एम.टी.पी.ए. (83 एम.एम.एस.सी.एम.डी.) तक बढ़ जाने का अनुमान है।

(घ) घरेलू और आयात परियोजनाओं की स्थिति और प्रगति को देखते हुए 11वीं योजना के दौरान आपूर्ति में महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि होने की आशा है और इससे मांग और आपूर्ति के बीच अंतर भारी मात्रा में कम होगा।

क्यूटन से विरूदुनगर के बीच आमान परिवर्तन

2416. श्री एम. अप्पादुरई: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्यूटन से विरूदुनगर के बीच आमान परिवर्तन का कार्य पूरा करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(ख) सरकार द्वारा आवश्यक धनराशि आबंटित करने के बाद भी आमान परिवर्तन कार्य में अत्यधिक विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के कब तक पूरा होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) से (ग) कोल्लम-तेनकाशी, तेनकाशी-नेलवेलि और तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर खंडों के आमान परिवर्तन का कार्य कोल्लम-तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर और तेनकाशी-विरूदुनगर आमान परिवर्तन परियोजना (357 किमी.) के भाग के रूप में शुरू हो चुका है। इस परियोजना पर, तेनकाशी-विरूदुनगर (122 किमी.) के आमान-परिवर्तन का कार्य पहले ही पूरा हो चुका है और उसे चालू कर दिया गया है। कोल्लम-पुनलूर (45 किमी.), तेनकाशी-सेंगोट्टाई (8 किमी.) और तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर (61 किमी.) खंडों का आमान परिवर्तन का कार्य वर्ष 2006-07 के दौरान पूरा होने का लक्ष्य है। बहरहाल, कोल्लम-पुनलूर पर प्रगति कार्य भूमि विवादों के कारण प्रभावित हुआ है तथा तिरुनेलवेलि-तिरुचेन्दूर खंड धीमी प्रगति तथा ठेकेदारों की विफलता के कारण प्रभावित हुआ है। इन खंडों का कार्य वर्ष 2007-08 तक पूरा होने की संभावना है।

तेनकाशी-तिरुनेलवेलि (72 किमी.) खंड पर पुल संबंधी कार्य शुरू हो गया है और अगले 2-3 वर्षों में पूरा किए जाने की योजना है। पुनलूर से सेंगोट्टाई तक इस परियोजना का शेष भाग जो कि एक घाट खंड है, का अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और विस्तृत अनुमान तैयार किए जा रहे हैं। इस खंड के आमान परिवर्तन का पूरा होने का कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

दिल्ली-मनमाड/कोपरगांव के बीच रेल सेवा

2417. श्री रामदास आठवले: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दिल्ली से मनमाड/कोपरगांव तक एक विशेष सुपरफास्ट एक्सप्रेस रेलगाड़ी चलाने तथा इस मार्ग पर चल रही सभी रेलगाड़ियों के सभी श्रेणियों के लिए आरक्षण कोटा बढ़ाने और महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में विश्व प्रसिद्ध साईंबाबा धाम शिरडी आने वाले भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कोपरगांव में सभी रेलगाड़ियों के रुकने के समय को पांच मिनट करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) और (ख) जी, नहीं। फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। बहरहाल, 15-12-2006 से 6 महीनों के लिए प्रयोग के तौर पर 2779/2780 वास्को-हजरत निजामुद्दीन गोवा एक्सप्रेस को कॉपरगांव स्टेशन पर ठहराव दिया जा रहा है। दिल्ली के साथ-साथ कॉपरगांव स्टेशन में साईं बाबाधाम शिरडी मंदिर के परिसर में कंप्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी.आर.एस.) उपलब्ध है। श्रद्धालु "पहले आओ पहले पाओ" के आधार पर किसी भी गाड़ी में किसी भी श्रेणी में टिकट बुक करने के लिए इस सुविधा का उपयोग कर सकते हैं।

(ग) परिचालनिक कठिनाइयां और संसाधनों की कमी।

[अनुवाद]

एअर इंडिया के पुराने विमान में तकनीकी खराबी

2418. श्री सुग्रीव सिंह:

श्री शिशुपाल पटले:

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि लांस एजेंलिस जाने वाले एअर इंडिया के पुराने विमान में तकनीकी खराबी की वजह से यात्रियों को दो दिनों तक विमानपत्तन पर ही फंसे रह गए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त उड़ान के यात्रियों को अन्य उड़ानों में जगह नहीं दी गई;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) पुराने विमानों में जोखिमों का मुकाबला करने/कम करने के लिए उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं; और

(च) वर्ष 2006 के दौरान आज की तिथि तक पुराने विमानों में ऐसी तकनीकी खराबियों की वजह से एअर इंडिया द्वारा उठाये गए घाटे का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) लास एंजेल्स-फ्रैंकफर्ट-दिल्ली सेक्टर पर, 2 सितम्बर, 2006 को उड़ान से ए.आई.-136 का प्रचालन कर रही एअर इंडिया के बोइंग 747-400 विमान में एक तकनीकी खराबी का पता चला जो दोनों मौसम राडारों (डब्ल्यू.आर.) के काम न करने के बारे में थी। विमान का दिल्ली आगमन संबंधित खराबी के साथ हुआ तथा विनिर्माता मैसर्स बोइंग के साथ परामर्श करके एअर इंडिया इंजीनियरिंग विभाग द्वारा बारीकी से इसे दूर किया गया था। यह अनुभव किया गया था कि संबंधित तकनीकी दोष एक प्रकार की असामान्य प्रकृति का था और इससे मौसम राडार उच्च गति डाटा बेस में कमी आ गई थी। एअर इंडिया द्वारा 6 सितम्बर, 2006 को इस कमी को अंतिम रूप से दूर कर दिया गया था।

(ग) और (घ) प्रभावित यात्रियों को अन्य उड़ानों में खपाया गया था तथा जहां कहीं संभव हुआ मध्यवर्ती अवधि के लिए होटल आवास प्रदान किया गया था।

(ङ) विमान को उड़ानयोग्य स्थिति में बनाए रखने के लिए एयरलाइनें विमान निर्माताओं तथा नागर विमानन महानिदेशक द्वारा निर्धारित अंतराल पर उपयुक्त रूप से अनुरक्षण निरीक्षण/मरम्मत/परिवर्धन इत्यादि का कार्य करती है। एयरलाइनों के पास सम्पूर्ण विमान बेड़ा उड़ानयोग्य स्थिति में है।

(च) अपेक्षित सूचना का समेकन किया जा रहा है।

बंगलौर का विकास

2419. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक सरकार के पर्यटन विभाग ने स्थल विकास कार्यक्रम की नई योजना के अंतर्गत बंगलौर के विकास के संबंध में एक परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना के लिए कर्नाटक सरकार को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

पर्यटन मंत्री और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

तथापि, 10वीं योजना के दौरान, आज तक कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

10वीं योजना के दौरान कर्नाटक राज्य के लिए स्वीकृत परियोजनाओं की सूची

(लाख रु. में)

क्रम सं.	परियोजना का नाम	स्वीकृत राशि
1	2	3
2002-03		
1.	बंगलौर कला उत्सव	15.00

1	2	3
2.	ब्यूगल रॉक गार्डन	40.00
3.	ओम बीच का विकास	100.00
4.	टैगोर बीच का विकास	197.49
5.	हम्पी का विकास	506.10
6.	कोक्कारे बेलूर, मांड्या जिले का विकास	50.00
7.	कोक्कारे बैलूर में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	50.00
	कुल	**958.59**
2003-04		
1.	हैलेबिड में होयासला मन्दिर में प्रकाश-पुंज की व्यवस्था	61.04
2.	हम्पी में ध्वनि एवं प्रकाश	176.00
3.	हम्पी उत्सव	15.00
4.	उत्तर कन्नडा में करावली उत्सव	5.00
5.	इलूर, हसन में हैंडी ऑडियो रीच कीट की स्थापना	11.46
6.	जंगल लॉज एवं रिजार्ट के लिए आई.टी. संयंत्र	9.70
7.	हम्पी में माइनर नोड्स का निर्माण (हम्पी-चित्रदुर्ग-बंगलौर परिपथ-2003-04)	307.01
8.	कुर्ग का गंतव्य विकास	483.07
9.	के.एस.टी.डी.सी. के लिए आई.टी. अवसंरचना की खरीद	15.80
10.	विराजपेट, कर्नाटक में कुर्ग गोल्फ लिंक्स (सी.जी.एल.) परियोजना	3.00
11.	बंगलौर के पास बानेरघाटा बॉयोलोजिकल पार्क का विकास	500.00
12.	कर्नाटक लग्जरी ट्रेन	785.00
13.	उत्तर कन्नडा जिले के बनवासी गांव में ग्रामीण पर्यटन का विकास	50.00
14.	अट्टीबेरी पक्षी अभ्यारण्य का विकास	60.00
15.	कोप्पल जिले के अनेगुंडी में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	50.00
16.	कुर्ग में ग्रामीण पर्यटन परियोजना	50.00
	कुल	**2582.08**

1	2	3
2004-05		
1.	कर्नाटक हैरिटेज हंट-2004	8.33
2.	हम्पी उत्सव समारोह	5.00
3.	बनवासी में कदमबोतसावा उत्सव का समारोह	6.75
4.	बंगलौर में मिनी कनवेंशन सेंटर स्थापित करना - व्यवहार्यता रिपोर्ट - एल.आर.जी.	2.00
5.	उत्तरी कर्नाटक में बादामी - अलहोल - पट्टाडकल - माहाकुटा परिपथ का एकीकृत विकास	800.00
6.	दक्षिणी कर्नाटक में मेलकोटे - बैलूर - हालेबिड - श्रावणबेलगोला परिपथ का एकीकृत विकास	798.50
7.	चिकमंगलूर वाइल्डरनेस भद्रा का विकास	202.48
8.	ईको पर्यटन का कार्यकलाप का विस्तार - व्यवहार्यता रिपोर्ट (एम.आर. हेड)	15.00
9.	बांदीपुर टाइगर रिजर्व का अवसंरचना एवं गंतव्य विकास	195.70
10.	चित्रदुर्ग किले का एकीकृत विकास	353.00
11.	विराजपेट में कुर्ग गोल्फ लिंक्स (सी.जी.एल.) कुर्ग गोल्फ पर्यटन परियोजना	53.00
12.	गांव बनवासी, जिला उत्तर कन्नड़	20.00
	कुल	**2459.76**
2005-06		
1.	शिमोगा में जोग फॉल का गंतव्य विकास	462.52
2.	कर्नाटक में मैसूर का गंतव्य विकास	353.89
3.	मंगलोर-उल्लाल-उडुपी-कोलूर-होनावर-मुर्देश्वर-कुंडापुर-गोकरना पर पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	698.00
4.	एल.आर.जी. परियोजना के अंतर्गत कर्नाटक के चिकमंगलूर में गोल्फ क्लब का विकास	120.00
5.	बंगलौर हब्बा 2005 समारोह	15.00
6.	हम्पी उत्सव, 2005-06	5.00
7.	मैसर्स जंगल लॉजिज एण्ड रिजार्ट्स द्वारा ईको पर्यटन हेतु आई.टी. अवसंरचना	53.29
8.	कोप्पल जिले के अन्नेगुंडी गांव में जी.ओ.आई.-यू.एन.डी.पी. अंतर्जात परियोजना	20.00
	कुल	**1727.70**

1	2	3
	2006-07	
1.	जोग फॉल्स में लिगनामक्की गार्डन का गंतव्य विकास	494.98
2.	वाइल्डरनेस पर्यटन परिपथ का एकीकृत विकास	226.88
	कुल	**721.86**

रेलवे में उपकरणों की आवश्यकता

2420. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दसवीं योजना अवधि के दौरान 9160 यात्री डिब्बों तथा 1745 इलैक्ट्रीफाइड मल्टीपल यूनिट (ई.एम.यू.) खरीदने का प्राक्कलन किया था;

(ख) यदि हां, तो अपेक्षित संख्या में यात्री डिब्बे तथा ई.एम.यू. की खरीद करने में कमी के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यातायात में बढ़ोतरी तथा डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर की शुरुआत को देखते हुए रेलवे की आपूर्ति आवश्यकता से कम हो जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो रेलवे द्वारा यात्री डिब्बों तथा ई.एम.यू. की अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) 10वीं योजना अवधि के दौरान रेलवे ने 9160 सवारी डिब्बों और 1965 इलैक्ट्रीफाइड मल्टीपल यूनिट (ई.एम.यू.) की आवश्यकता प्रक्षेपित की थी।

(ख) 10वीं योजना अवधि के दौरान कुल सवारी डिब्बे और ई.एम.यू. की कुल खरीद कुल प्रक्षेपित आवश्यकता से अधिक होने की संभावना है। बहरहाल, ई.एम.यू. की खरीद कुल विनिर्माण क्षमता के सीमित होने के कारण प्रक्षेपित संख्या से कम रहने की संभावना है।

(ग) और (घ) बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष 900 इकाई तक सवारी डिब्बा निर्माण क्षमता के संवर्द्धन हेतु कार्रवाई शुरू की गई है। सवारी डिब्बा कारखाना में इलैक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट निर्माण क्षमता के संवर्द्धन हेतु कार्य को भी मंजूर किया गया है।

[हिन्दी]

हाइड्रो-कार्बन क्षेत्र के रूस के साथ वार्ता

2421. श्री रशीद मसूद: क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार हाइड्रोकार्बन क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर रूस के साथ द्विपक्षीय वार्ता शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) वार्ता कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग से संबंधित मुद्दों पर दो देशों के बीच संस्थागत ढांचे अर्थात् व्यापारिक, आर्थिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकीय और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में भारत-रूस अंतर-सरकारी आयोग (आई.आर.आई.जी.सी.) और ऊर्जा के संबंध में भारत-रूस कार्य समूह के भीतर नियमित आधार पर चर्चा होती है।

इसके अलावा दोनों देशों के बीच उच्च स्तर की कई चर्चाओं के बाद हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में भारत-रूस सहयोग के विस्तार के संबंध में बहुत आशावाद उत्पन्न हो गया था। दोनों पक्ष अक्तूबर, 2004 से सहयोग में वृद्धि करने पर चर्चा करते रहे हैं, जब भारतीय पेट्रोलियम मंत्री ने नवम्बर, 2005 में मास्को की यात्रा की। भारत के प्रधान मंत्री की दिसम्बर, 2005 में मास्को की यात्रा के दौरान भारत-रूस कार्यनीतिक भागीदारी के आगे विकास के लिए प्राथमिक कार्यों की पहचान की गई जिसमें द्विपक्षीय ऊर्जा संवाद को जारी रखने का निर्णय, ऊर्जा आपूर्तियों के विविधीकरण की प्रक्रिया में सुधार करने के लिए ऊर्जा सुरक्षा पालन अवसरों को बढ़ाने के मार्गों पर ध्यान केन्द्रित करना, और भारत, रूस और तीसरे देशों में पहले से पहचानी गई और वाणिज्यिक ऊर्जा भागीदारियों को सुदृढ़ करना सम्मिलित है।

[अनुवाद]

म्यांमार से एल.एन.जी.

2422. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत को पाइप द्वारा गैस की आपूर्ति करने के लिए म्यांमार से बातचीत कर रही है;

(ख) यदि हां, तो म्यांमार से प्राकृतिक गैस के प्रमाण एवं खरीद हेतु नवीनतम संभावनाएं क्या हैं तथा खरीद हेतु आवश्यक पाइपलाइन की लम्बाई तथा लागत कितनी है और कितनी गैस खरीदी जानी है; और

(ग) म्यांमार द्वारा आपूर्ति के लिए क्या शर्तें रखी गई हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) से (ग) जी हां। भारत म्यांमार से देश के पूर्वोत्तर राज्यों के रास्ते, जमीनी पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के आयात के लिए प्रयास कर रहा है। म्यांमार सीमा से गया (बिहार) तक प्रस्तावित पाइपलाइन की लम्बाई लगभग 1573 किलोमीटर है और इस परियोजना की अनुमानित लागत 8,500 करोड़ रुपए है। ए-1 ब्लाक के श्वे एंड श्वे फ्यु क्षेत्र तथा ए-3 ब्लाक के म्या क्षेत्र से गैस की खरीद के लिए ऊर्जा मंत्रालय, म्यांमार की संघीय सरकार से आमंत्रित बोली के प्रत्युत्तर में गेल ने पहले ही सितम्बर, 2006 में अपनी बोली भेज दी है। म्यांमार सरकार ने हाल ही में गेल को सूचित किया है कि वे इस गैस को पाइपलाइन मार्ग के माध्यम से बेचने के अपने निर्णय की पुनरीक्षा कर रहे हैं। म्यांमार, गैस को बेचने के अन्य विकल्पों की खोज कर रहा है और उसने 3.5 एम.एम. टी.पी.ए. की तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी.) परियोजना के लिए बोली आमंत्रित की है।

पश्चिमी तट पर गगन शक्ति अभ्यास

2423. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय रक्षा बलों ने पश्चिमी तट पर हाल ही में गगन शक्ति अभ्यास पूरा किया है जैसाकि दिनांक 16 सितम्बर, 2006 के 'द टाइम्स ऑफ इण्डिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) ऐसे अभ्यास के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) ऐसे अभ्यासों से दुश्मनों से मुकाबला करने में कितनी सफलता मिलेगी?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) और (ख) भारतीय वायुसेना ने 'गगन शक्ति' अभ्यास सितंबर, 2006 में आयोजित किया था। यह अभ्यास पश्चिमी सीमा पर किया गया था।

(ग) और (घ) शांतिकालीन अभ्यास अति आवश्यक होते हैं क्योंकि ये अभ्यास हमारी सेनाओं को उन्हें सौंपे गए कार्य करने के लिए संक्रियात्मक रूप से तैयार रखते हैं।

[हिन्दी]

रेल परियोजनाओं को बन्द किया जाना

2424. श्री ब्रजेश पाठक: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने कई रेल परियोजनाओं को बन्द कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) इन परियोजनाओं पर कुल कितना व्यय किया गया;

(घ) क्या रेलवे को इन परियोजनाओं को पुन: शुरू करने के लिए विभिन्न वर्गों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलवे में संसाधनों का अभाव

2425. श्री असादुद्दीन ओवैसी: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे को अपनी विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए संसाधनों के अभाव का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; तथा चालू एवं आगामी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने राजस्व की कमी है;

(ग) क्या रेलवे भूमि तथा कबाड़ आदि के क्षेत्र में अपनी देयताओं को परिसम्पत्तियों में नहीं बदल पाया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है; और

(ङ) इस संबंध में रेलवे द्वारा क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी, हां।

(ख) इस समय चालू परियोजनाओं का अत्यधिक थ्रोफारवर्ड है जिसको पूरा करने के लिए 54,000 करोड़ रु. से अधिक धनराशि की जरूरत होगी और इस मांग के एवज में 2006-07 में रेलवे 6303.38 करोड़ रु. आबंटित करने में सक्षम रही। राजस्व की कोई कमी नहीं है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेल खान-पान सेवा संबंधी समिति

2428. प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री मो. ताहिर:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति ने यात्री डिब्बों, रेलवे के रेस्टोरेंट तथा प्लेटफार्मों पर घटिया खाना उपलब्ध कराने के लिए रेलवे को फटकार लगाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, तथा इस पर रेलवे की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रेलगाड़ियों तथा स्टेशनों पर यात्रियों को स्वास्थ्यकर भोजन उपलब्ध करवाये जाने को सुनिश्चित करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु): (क) जी हां।

(ख) माननीय दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा नियुक्त समिति ने नई दिल्ली स्टेशन पर बेस किचन, हजरत निजामुद्दीन पर जलयान गृह तथा दिल्ली जंक्शन रेलवे स्टेशन पर सेल्फ सर्विस स्टेशन रेस्तरां का निरीक्षण किया। समिति ने विभिन्न उपस्करों के काम न करने, कर्मचारियों की कमी, रसोई में रोशनदान की कमी, किचन में सफाई की कमी कर्मचारियों की व्यक्तिगत सफाई न होने आदि की सूचना दी है। इन स्थानों की दशा सुधारने के लिए उचित उपाय किए गए हैं, बेस किचन और उसके उपस्करों की साफ-सफाई सुधारने के लिए भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) द्वारा काफी हद तक कार्रवाई की गई है। निगम द्वारा अपनाई गई प्रणाली/सेवाओं में सुधार निम्नलिखित है:-

(i) बेस किचन के मुख्य दरवाजे पर एयर कर्टेन लगा दिए गए हैं।

(ii) छः फ्लाई कैचर लगाई गई है।

(iii) शीघ्र ही बेस किचन पर नई कोल्ड स्टोर सुविधा स्थापित की जाएगी।

(iv) भारतीय पर्यटन विकास निगम, आई.टी.डी.सी. के माध्यम से व्यक्तिगत साफ सफाई, काम के स्थान की सफाई और ग्राहक सेवा पर प्रशिक्षण दिया गया है।

(v) नए उपस्कर जैसे आलू छीलने वाली तथा मसाले पीसने वाली मशीन आदि की खरीद की गई है।

(vi) कर्मचारियों को शीघ्र ही नयी वर्दियां प्रदान की जाएंगी।

(vii) हाल ही में नए सिरे से सफेदी और रंग-रोगन कार्य किया गया है।

(viii) विमता लैब द्वारा खाद्य लेखा परीक्षा करायी गई है और खाद्य एजेंसी द्वारा संरक्षा में 83% की दर और खाद्य भंडारण में 86.7% की दर प्रदान की गई है।

(ix) एक्जॉस्ट चिमनी और ठंडी वायु बहाव प्रणाली के नवीकरण के लिए कार्रवाई की जा रही है।

(x) रेल यात्रियों को साफ-सुथरा और पैकेट बंद खाना प्रदान करने के लिए नई पैकेजिंग सामग्री और उपस्कर के प्रापण के लिए सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

(xi) कर्मचारियों के विरुद्ध निम्नलिखित अनुशासनिक कार्रवाई भी की गई है:

सहायक प्रबंधक, दिल्ली क्षेत्र को स्थानांतरित कर दिया गया है।

खानपान पर्यवेक्षक, दिल्ली को बड़ी शास्ति के लिए निलंबित कर दिया गया है तथा उसे आरोप पत्र दिया गया है। मुख्य खानपान निरीक्षक, बेस किचन और मुख्य खानपान निरीक्षक, दिल्ली के विरुद्ध भी आवश्यक कार्रवाई की गई है।

(ग) रेल उपयोगकर्ताओं को मानकीकृत साफ-सुथरा खाना और पेयजल का मिलना सुनिश्चित करने के लिए बेस किचन और कुकिंग यूनिटों द्वारा निर्धारित साफ-सफाई मानदंड अपनाये जाते हैं। भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम (आई.आर.सी.टी.सी.) ने पहले ही बेस किचन/कुकिंग यूनिटों के नवीकरण का काम शुरू कर दिया है। पुराने/खराब फर्नीचर, खाना बनाने के काम में आने वाले उपकरणों तथा अन्य गेजेट, गैस पाइप लाइनों आदि को बदलने का काम भी आवश्यकता के आधार पर शुरू कर दिया गया है। उपर्युक्त के अलावा, सेवाओं की गुणवत्ता को अपग्रेड करने के लिए खानपान कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहे है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्डस (बी.आई.एस.) और एगमार्क स्टैंडर्ड जैसा भी लागू हो, द्वारा अनुमोदित प्रतिष्ठित सहकारी समितियों से अच्छी किस्म का कच्चा माल खरीदा जाता है। अच्छी किस्म का खाना सुनिश्चित करने के लिए, शीघ्र निवारात्मक कार्रवाई करने हेतु क्षेत्रीय स्तर पर 'सर्विसेज मोनीटरिंग सेलों' की स्थापना की गई है। भारतीय रेलवे और आई.आर.सी.टी.सी. के अधिकारी भी खानपान सेवाओं की गुणवत्ता और साफ-सफाई सुनिश्चित करने के लिए नैमित्तिक निरीक्षण/अचानक जांच/विशेष अभियान चला रहे हैं।

[अनुवाद]

एअर इंडिया विमान का पक्षी से टकराना

2427. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अक्तूबर, 2006 में न्यूयार्क-मुम्बई के बीच एअर इंडिया की उड़ान के दौरान इसका इंडन पक्षी से टकराने के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त विमान के कितने यात्रियों हेतु लंदन में भोजन/ठहरने की व्यवस्था की है;

(घ) इस प्रकार की स्थिति के दौरान यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने हेतु एअर इंडिया द्वारा क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ङ) क्या उक्त विमान के यात्रियों के प्रबंधों के बारे में अपनी अप्रसन्नता व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस प्रकार की स्थिति के दौरान यात्रियों का ध्यान रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) न्यूयार्क/लंदन/दिल्ली/मुम्बई सेक्टर पर दिनांक 12-10-2006 की उड़ान ए-112 को प्रचालित करने वाले एअर इंडिया के विमान का इंजन लंदन से टेक ऑफ के बाद पक्षी से टकरा गया। विमान वापस लंदन लौट गया। प्रारंभिक जांच में इंजन 3 एक्जॉस्ट में धातु के कण पाए गए। चूंकि लंदन में अन्य प्रचालनों के पास बदलने के लिए कोई इंजन उपलब्ध नहीं था, बदलने के लिए इंजन तथा श्रमशक्ति मुम्बई से भेजे गए। इंजन को बदलने के उपरांत विमान को सेवा योग्य घोषित कर दिया गया और इसने 14-10-2006 को प्रस्थान किया।

(ग) 429 यात्रियों में से, 31 यात्रियों ने 12-10-2006 को ए.आई.-150 उड़ान पर यात्रा की। शेष यात्रियों में से प्रत्येक को 50.00 जी.बी.पी. देकर होटलों में भेजा गया। उन्होंने अंततः 14-10-2006 को ए.आई.-112 से प्रस्थान किया।

(घ) एअर इंडिया के पास इस बारे में एक सुनिर्धारित क्रियाविधि है। जब कभी भी उड़ानें विलम्बित होती हैं, यात्रियों को पहली उपलब्ध उड़ान में स्थानांतरित किया जाता है। महिलाओं, बच्चों, बिना अभिभावक के अल्पायु बालकों तथा वृद्ध यात्रियों को वरीयता दी जाती है। यदि विलम्ब लम्बा हो जाता है तो यात्रियों को फुल बोर्ड आधार पर होटलों में भेज दिया जाता है। कम अवधि के विलंब की स्थिति में यात्रियों को हवाईअड्डे पर भोजन/अल्पाहार प्रदान किया जाता है और एक अंतरराष्ट्रीय कॉल करने की इजाजत दी जाती है।

(ङ) एअर इंडिया को यात्रियों की ओर से कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

कोल बेड मिथेन

2428. श्री अधीर चौधरी:
श्री उदय सिंह:

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लि. का विचार निकट भविष्य में कोल बेड मिथेन (सी.बी.एम.) ब्लाकों पर भारी धनराशि का निवेश करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ कोल बेड मिथेन ब्लाक अन्य राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय फर्मों को आबंटित कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इससे कितना लाभ मिलने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दिनशा पटेल): (क) और (ख) जी, हां। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) को परिसंघ के अन्य सदस्यों के साथ, कोल बेड मीथेन नीति के तीसरे दौर के तहत तीन सी.बी.एम. ब्लाक प्रदान किए गए हैं। परिसंघ, जिसमें गेल - ऐरो एनर्जी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड (ऐरो) - एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर ग्रुप ए.बी. (ई.आई.जी.)-टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टाटा) शामिल हैं को दो ब्लाक प्रदान किए गए हैं और परिसंघ, जिसमें गेल-ऐरो-ई.आई.जी. शामिल हैं, को एक ब्लाक मिला है तथा इन सभी तीन ब्लाकों के लिए भारत सरकार के साथ 7-11-2006 को उत्पादन हिस्सेदारी संविदा पर हस्ताक्षर किए गए थे। प्रथम अन्वेषण चरण में उपर्युक्त सी.बी.एम. ब्लाकों में गेल का अनुमानित व्यय लगभग 27 करोड़ रुपए है।

(ग) और (घ) जी, हां। अब तक विभिन्न राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय फर्मों/परिसंघों के साथ 26 सी.बी.एम. ब्लाकों की संविदा की गई है। गेल सहित विभिन्न कंपनियों/परिसंघों को प्रदान किए गए ब्लाकों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) सी.बी.एम. से प्राप्त प्राकृतिक गैस भारत में एक महत्वपूर्ण अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत है। इस स्रोत को काम में लाना, भारत में ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने में योगदान में सहायक होगा। संबंधित राज्य सरकारों को, तेल क्षेत्र (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1948 के अनुपालन में, उत्पादित सी.बी.एम. के मूल्य के 10% की दर से रायल्टी मिलेगी। केन्द्र सरकार को सी.बी.एम. उत्पादन पर यथा-मूल्य आधार पर बोली-चयोग्य उत्पादन स्तर भुगतान (पी.एल.पी.) मिलेगा।

विवरण

क्र.सं.	कंपनी/परिसंघ		प्रदान किए गए ब्लाक
1.	ओ.एन.जी.सी.	(i)	एस.के.-सी.बी.एम.-2003/II
		(ii)	एन.के.(डब्ल्यू.)-सी.बी.एम.-2003/II
		(iii)	एस.टी.-सी.बी.एम.-2003/II
		(iv)	डब्ल्यू.डी.-सी.बी.एम.-2003/II
2.	ओ.एन.जी.सी.-आई.ओ.सी.	(i)	बी.के.-सी.बी.एम.-2001/I
		(ii)	एन.के.-सी.बी.एम.-2001/I
3.	ओ.एन.जी.सी.-सी.आई.एल.	(i)	रानीगंज (उत्तरी)
		(ii)	झरिया
4.	ओ.एन.जी.सी.-जी.एस.पी.सी .ल.	(i)	बी.एस.(3)-सी.बी.एम.-2003/II
5.	आर.आई.एल.	(i)	एस.पी.(ई)-सी.बी.एम.-2001/I
		(ii)	एस.पी.(डब्ल्यू)-सी.बी.एम.-2001/I
		(iii)	एस.एच.(एन)-सी.बी.एम.-2003/II
		(iv)	बी.एस.(1)-सी.बी.एम.-2003/II
		(v)	बी.एस.(2)-सी.बी.एम.-2003/II

क्र.सं.	कंपनी/परिसंघ		प्रदान किए गए ब्लाक
6.	ई.ओ.एल.	(i)	पूर्वी रानीगंज
7.	जी.ई.ई.सी.एल.	(i)	दक्षिणी रानीगंज
8.	ऐरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा	(i)	आर.एम.-सी.बी.एम.-2005/III
		(ii)	टी.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
9.	ऐरो-गेल-ई.आई.जी.	(i)	एम.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
10.	आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.	(i)	एस.पी.(एन)-सी.बी.एम.-2005/III
		(ii)	के.जी.(ई)-सी.बी.एम.-2005/III
		(iii)	बी.एस.(4)-सी.बी.एम.-2005/III
		(iv)	बी.एस.(5)-सी.बी.एम.-2005/III
11.	बी.पी. एक्सप्लोरेशन अल्फा लि.	(i)	बी.बी.-सी.बी.एम.-2005/III
12.	कोलगैस-डीप	(i)	एस.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
13.	कोलगैस-डीप-आदिनाथ	(i)	जी.वी.-(एन)-सी.बी.एम.-2005/III

नया पेंशन पैकेज

2429. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में रक्षा कार्मिकों के लिए घोषित किया गया नया पेंशन पैकेज उनकी शिकायतों का निपटान करने में विफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) 1-1-2006 से, 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की पेंशन, 1-1-1996 को यथा स्थित, संशोधित वेतनमानों के अधिकतम के 50% से कम नहीं होगी। इसके अलावा सिपाही, नायक तथा हवलदार के मामले में, इन रैंकों के सभी सेवानिवृत्त हो चुके और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की अर्हक सेवा में वैटेज को, अधिकतम 30 वर्ष की अर्हक सेवा की शर्त के अध्यधीन 5 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 10, 8 और 6 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार, सरकार ने नए पेंशन पैकेज में रक्षा कार्मिकों को काफी लाभ दिए हैं।

(ख) सरकार पहले ही छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर चुकी है जो रक्षा कार्मिकों की पेंशन संबंधी हकदारियों पर भी विचार करेगा।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना

2430. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरी की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) अब तक आरंभ नहीं की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरी की रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम और योजना शीर्ष	लंबाई (किमी. में)	लागत	मार्च, 06 तक व्यय	परिव्यय 06-07	स्थिति, लक्ष्य सहित जहां कहीं निर्धारित हो
			(करोड़ रुपयों में)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालापल्ले-पल्लमपेट-गुत्ती-रेणीगुंटा दोहरीकरण का चरण-I	41	85	84.02	1	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
2.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा रेल विद्युतीकरण	457	322.71	288.97	4	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
3.	कानपुर-चंदेरी दोहरीकरण	4	16.84	11.36	0.01	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
4.	गुरुप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	26	54.14	71.91	0.5	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
5.	चंदरपुर-गुरुप तीसरी लाइन	17	42.3	42.3	0	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो उल्लिखित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है:-						
6.	गुत्ती-रेणीगुंटा-कहीं-कहीं दोहरीकरण	151	305.95	38.2	68.4	यह कार्य ए.डी.बी. वित्तपोषण के जरिये निष्पादित किया जा रहा है। पल्लमपेट-बकारापेट पर मिट्टी संबंधी कार्य, मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े पुलों, छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है कुड्डापाह-मुड्डामारू और कोंडापुरम-रयालाचेरावू पर सड़क तल्प, पुलों और रेलपथों का ठेका 07-07-06 को सौंप दिया गया है। सिगनल प्रणाली का ठेका 30-06-06 को सौंपा गया है। कार्य शुरू किया गया है। यह परियोजना 2008-09 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	रायचूर-गुंतकल दोहरीकरण	81.1	145.81	0	57	यह कार्य ए.डी.बी. वित्तपोषण के जरिये निष्पादित किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है। निविदाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। यह परियोजना 2007-08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

क्र.सं.	कंपनी/परिसंघ		प्रदान किए गए ब्लाक
6.	ई.ओ.एल.	(i)	पूर्वी रानीगंज
7.	जी.ई.ई.सी.एल.	(i)	दक्षिणी रानीगंज
8.	ऐरो-गेल-ई.आई.जी.-टाटा	(i)	आर.एम.-सी.बी.एम.-2005/III
		(ii)	टी.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
9.	ऐरो-गेल-ई.आई.जी.	(i)	एम.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
10.	आर.ई.एल.-आर.एन.आर.एल.-जी.ई.ओ.	(i)	एस.पी.(एन)-सी.बी.एम.-2005/III
		(ii)	के.जी.(ई)-सी.बी.एम.-2005/III
		(iii)	बी.एस.(4)-सी.बी.एम.-2005/III
		(iv)	बी.एस.(5)-सी.बी.एम.-2005/III
11.	बी.पी. एक्सप्लोरेशन अल्फा लि.	(i)	बी.बी.-सी.बी.एम.-2005/III
12.	कोलगैस-डीप	(i)	एस.आर.-सी.बी.एम.-2005/III
13.	कोलगैस-डीप-आदिनाथ	(i)	जी.वी.-(एन)-सी.बी.एम.-2005/III

नया पेंशन पैकेज

2429. श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि सरकार द्वारा इस वर्ष की शुरुआत में रक्षा कार्मिकों के लिए घोषित किया गया नया पेंशन पैकेज उनकी शिकायतों का निपटान करने में विफल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उनकी वास्तविक मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाने पर विचार किया जा रहा है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम.एम. पल्लम राजू): (क) 1-1-2006 से, 1-1-1996 से पूर्व सेवानिवृत्त अफसर रैंक से निचले रैंक के कार्मिकों की पेंशन, 1-1-1996 को यथा स्थित, संशोधित वेतनमानों के अधिकतम के 50% से कम नहीं होगी। इसके अलावा सिपाही, नायक तथा हवलदार के मामले में, इन रैंकों के सभी सेवानिवृत्त हो चुके और भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की अर्हक सेवा में वैटेज को, अधिकतम 30 वर्ष की अर्हक सेवा की शर्त के अध्यधीन 5 वर्ष से बढ़ाकर क्रमशः 10, 8 और 6 वर्ष कर दिया गया है। इस प्रकार, सरकार ने नए पेंशन पैकेज में रक्षा कार्मिकों को काफी लाभ दिए हैं।

(ख) सरकार पहले ही छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का गठन कर चुकी है जो रक्षा कार्मिकों की पेंशन संबंधी हकदारियों पर भी विचार करेगा।

[हिन्दी]

स्वर्णिम चतुर्भुज योजना

2430. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरी की गई रेल परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और प्रत्येक परियोजना पर कितना व्यय किया गया है;

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत निर्माणधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इनके कब तक पूरा होने की संभावना है; और

(ग) अब तक आरंभ नहीं की गई परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु):

(क) स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत पूरी की रेल परियोजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है:

क्र. सं.	परियोजना का नाम और योजना शीर्ष	लंबाई (किमी. में)	लागत	मार्च, 06 तक व्यय	परिव्यय 06-07	स्थिति, लक्ष्य सहित जहां कहीं निर्धारित हो
			(करोड़ रुपयों में)			
1	2	3	4	5	6	7
1.	बालापल्ले-पल्लमपेट-गुत्ती-रेणीगुंटा दोहरीकरण का चरण-I	41	85	84.02	1	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
2.	भुवनेश्वर-कोट्टावालसा रेल विद्युतीकरण	457	322.71	288.97	4	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
3.	कानपुर-चंदेरी दोहरीकरण	4	16.84	11.36	0.01	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
4.	गुरुप-शक्तिगढ़ तीसरी लाइन	26	54.14	71.91	0.5	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
5.	चंदरपुर-गुरुप तीसरी लाइन	17	42.3	42.3	0	पूरा हो गया है और खोल दिया गया है।
(ख) उन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जो उल्लिखित योजना के अंतर्गत निर्माणाधीन है:-						
6.	गुत्ती-रेणीगुंटा-कहीं-कहीं दोहरीकरण	151	305.95	38.2	68.4	यह कार्य ए.डी.बी. वित्तपोषण के जरिये निष्पादित किया जा रहा है। पल्लमपेट-बकारापेट पर मिट्टी संबंधी कार्य, मिट्टी संबंधी कार्य, बड़े पुलों, छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है कुड्डापाह-मुड्डामारू और कोंडापुरम-रयालाचेरावू पर सड़क तल्प, पुलों और रेलपथों का ठेका 07-07-06 को सौंप दिया गया है। सिगनल प्रणाली का ठेका 30-06-06 को सौंपा गया है। कार्य शुरू किया गया है। यह परियोजना 2008-09 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
7.	रायचूर-गुंतकल दोहरीकरण	81.1	145.81	0	57	यह कार्य ए.डी.बी. वित्तपोषण के जरिये निष्पादित किया जा रहा है। अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है। निविदाओं पर कार्रवाई हो चुकी है। यह परियोजना 2007-08 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

1	2	3	4	5	6	7
8.	रेणीगुंटा-गुंतकल रेल विद्युतीकरण	308	182.55	75.78	7	रेणीगुंटा और नंदलूर के बीच मौजूदा लाइनों पर रेल विद्युतीकरण कार्य पूरा हो गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 38.73% है। पल्लमपेट-नंदलूर खंड (21 मार्ग किमी.) के लिए ठेका दे दिया गया है। नंदलूर-गुंतकल के शेष हिस्से के लिए प्रारंभिक कार्यों को शुरू किया गया है।
9.	बिलासपुर-उरकुरा दोहरीकरण	110	375.42	138.62	28.5	डगोरी-भाटापारा खंड खोल दिया गया है। भाटापारा-उरकुरा खंड ए.डी.बी. वित्तपोषण के जरिये निष्पादित किया जा रहा है। तल्प कार्यों के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य: 2008-09।
10.	नई दिल्ली-तिलक ब्रिज 5वीं और 6ठी लाइन	2.65	53.14	22.01	14.5	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों और प्लेटफार्म प्रतिधारण दीवार का कार्य शुरू किया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 58% है। 6ठी लाइन (3.4 किमी.) 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
11.	साहिबाबाद-आनंद विहार-तीसरी और चौथी लाइन	4	49.57	0	0.5	कार्य शुरू किया गया है और 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
12.	आनंद विहार टर्मिनल सुविधाएं	0	85	14.65	9.33	कार्य शुरू किया गया है और 2007-08 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है।
13.	तुगलकाबाद-पलवल चौथी लाइन	33.5	83	0	10	आरेखण, डिजाइन आदि सहित प्रारंभिक कार्य शुरू किए गए हैं।
14.	पलवल-भुतेश्वर तीसरी लाइन	81	214.68	0.01	150	मिट्टी संबंधी कार्य और पुलों आदि का कार्य शुरू किया गया है। लक्ष्य: 2008-09।
15.	पकनी-माहौल दोहरीकरण	17	42.73	10.08	30.01	मिट्टी संबंधी कार्य, आवरण, छोटे पुल, और गिट्टी आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 25% है। लक्ष्य: 2007-08।
16.	पकनी-सोलापुर दोहरीकरण	16.28	38.52	7.01	20.5	मिट्टी संबंधी कार्य, छोटे पुलों, बड़े पुलों, आवरण, गिट्टी आपूर्ति, रेलपथ संपर्कन का कार्य शुरू किया

						गया है। समग्र वास्तविक प्रगति: सड़क तल्प - 95% और अधिसंरचना - 20% है। 2006-07 के दौरान पूरा हो जाने की संभावना है।
17.	दिवा कल्याण 5-6 लाइन का दोहरीकरण	11	70	48.7	5.5	मिट्टी संबंधी कार्य, आवरण, छोटे पुल, रेलपथ संपर्कन, मिट्टी आपूर्ति का कार्य शुरू किया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 74%. लक्ष्य t: 2006-07।
18.	कटक-बरांग दोहरीकरण	12	127.13	0	40.15	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सड़क तल्प, बड़े पुल, रेलपथ और शिरोपरि उपस्कर के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य: 2008-09।
19.	खोरधा रोड-तीसरी लाइन	35	200.28	0.11	46.6	अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पूरा हो गया है। सड़क तल्प, बड़े पुल, रेलपथ और शिरोपरि उपस्कर के लिए ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य: 2008-09।
20.	रजतगढ़-बरांग दोहरीकरण	20	178.98	1.36	72.7	भूमि अधिग्रहण शुरू किया गया है सड़क तल्प, बड़े पुल, रेलपथ और शिरोपरि उपस्कर के लिए ठेका दे दिया गया है। एक बड़ा पुल पूरा हो गया है। लक्ष्य: 2008-09।
21.	तालचेर-कटक-पाराद्वीप (महानदी एवं बिरुपा पर दूसरा पुल)	3	109.45	21.06	39.9	बिरुपा पर दूसरा पुल पूरा हो गया है और महानदी पर दूसरा पुल प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य, क्रंकीटन, पाए बिठाने और गर्डरों में संरचनात्मक इस्पात कार्य शुरू किया गया है। समग्र वास्तविक प्रगति 32%। लक्ष्य: 2008-09।
22.	अट्टीपट्टू-कोरूक्कूपेट्टै दोहरीकरण	18	70.56	37.55	21	कोरूक्कूपेट-एण्णौर (6 किमी.) खंड पर कार्य अग्रिम चरण में और 2006-07 के दौरान पूरा करने का लक्ष्य है। मिट्टी संबंधी कार्य, पुल संबंधी कार्य और एण्णौर-अट्टीपट्टू में एण्णौर-क्रीक पुल प्रगति पर है।
23.	चेन्नै बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन	22.1	50.23	0	0.5	प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद अब कार्य रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है।
24.	चेन्नै बीच-कोरूक्कूपेट दोहरीकरण	4.1	55.23	0	0.5	प्रारंभिक सर्वेक्षण के बाद अब कार्य रेलवे द्वारा शुरू किया जा रहा है।

1	2	3	4	5	6	7
25.	पट्टाबीरम-तिरुवालूर चौथी लाइन (15.06 किमी.) एवं तिरुवालूर-अरक्कोणम तीसरी लाइन (26.83 किमी.)	41.89	71.94	36.9	28.5	पत्ताबीराम-तिरुवालूर (16 किमी.) चौथी लाइन खोल दी गई है। तिरुवालूर-अरकोणम का कार्य तीसरी लाइन का कार्य शुरू किया गया है और निर्माण का ठेका दे दिया गया है। लक्ष्य: 2007-08।
26.	अलीगढ़-गाजियाबाद तीसरी लाइन	106.15	230.73	65	85.5	भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। मिट्टी संबंधी कार्य और छोटे पुलों का कार्य शुरू किया गया है। लक्ष्य: 2008-09।
27.	कानपुर-पणकी तीसरी लाइन	9	65.7	56.93	6	90% मिट्टी संबंधी कार्ग, छोटे पुलों का कार्य और गिट्टी संग्रहण पूरा हो गया है, रेलपथ संकर्पन शुरू किया गया है और बड़े पुल की अधिसंरचना का कार्य पूरा हो गया है तथा कार्य 2007-08 में पूरा होने की संभावना है।
28.	टिकियापारा-संतरागाछी IV लाइन	5.6	46.79	7.51	22.5	मिट्टी संबंधी कार्य, पुलों का कार्य शुरू किया गया है। 2007-08 के दौरान पूरा होने की संभावना है।
29.	तालचेर-पाराद्वीप रेल विद्युतीकरण सहित खड़गपुर-भुवनेश्वर	540	406.51	359.85	35	कटक-पाराद्वीप को छोड़कर पूरा हो गया है।
(ग) उन परियोजनाओं का ब्यौरा नीचे दिया गया है जिन्हें अभी तक शुरू नहीं किया गया है:-						
30.	बिगवान-गुलबर्गा दोहरीकरण	225	694			व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो गया है। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के लिए प्रस्ताव पर कार्रवाई हो रही है।
31.	पुणे-गुंतकल रेलवे विद्युतीकरण	641	465			प्रस्ताव मंत्रालय में अनुमोदन की प्रक्रिया में है।
32.	भोपाल-बीना तीसरी लाइन	143.92	240			व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो गया है। परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है जिसकी प्रतीक्षा है।
33.	पांसकुडा-खडगपुर तीसरी लाइन	45	136			व्यावहारिकता अध्ययन पूरा हो गया है। परियोजना का प्रस्ताव स्वीकृति के लिए वित्त मंत्रालय को भेजा गया है जिसकी प्रतीक्षा है।

[अनुवाद]

सूरत विमानपत्तन से विमान सेवाएं

2431. डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री काशीराम राणा:
श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड:
श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:

क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जुलाई, 2005 से नागरिक विमान एयर डेक्कन का सूरत विमानपत्तन से संचालन अचानक रोक दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सूरत विमानपत्तन से सरकारी/निजी एयरलाइनों की विमान सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) से (ग) एयर डेक्कन ने बताया है कि उन्होंने शीत ऋतु के दौरान खराब दृश्यता के कारण, मानसून में पानी इकट्ठा होने के कारण तथा पायलटों द्वारा दिक्चालन सुविधाओं की अनुपलब्धता के कारण उड़ानें रद्द किए जाने की वजह से दिनांक 21 जुलाई, 2005 से प्रचालन बंद किए हैं। एयर डेक्कन ने बताया है कि सूरत में एयरपोर्ट के उन्नयन का कार्य जब पूरा हो जाएगा तो बाजार दशाओं के आधार पर सूरत के एयरपोर्ट से प्रचालन आरंभ किए जाने पर विचार किए जाने की योजना है। सरकार ने, पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की हवाई यातायात सेवाओं के लिए आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई यातायात सेवा का बेहतर विनियमन किए जाने की दृष्टि से मार्ग संवितरण दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं। तथापि, अब यह एयरलाइनों पर निर्भर करता है कि वे यातायात मांग एवं व्यावसायिक व्यवहार्यता के आधार पर विनिर्दिष्ट स्थानों पर हवाई सेवाएं उपलब्ध करवाएं। इस प्रकार से, एयरलाइनें, सरकार द्वारा जारी किए गए मार्ग संवितरण दिशानिर्देशों का अनुपालन करते हुए देश भर में कहीं भी प्रचालन किए जाने के लिए स्वतंत्रत हैं।

कर्नाटक के लिए विमान सेवाएं

2432. श्री जी.एम. सिद्दीश्वर: क्या **नागर विमानन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कर्नाटक सरकार से कर्नाटक में उद्योगों और पर्यटन के विकास की व्यापक संभावनाओं के मद्देनजर विमान सेवाओं के विस्तार और विकास के संबंध में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन प्रस्तावों पर क्या कार्रवाई की गई है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को कर्नाटक राज्य सरकार से मंगलौर और मध्य-पूर्व के बीच विमान सेवा आरंभ करने के लिए और मंगलौर, हुबली, बेलगाम तथा मैसूर में हवाईअड्डों के विकास तथा विस्तार के लिए भी अनुरोध प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार के अनुसार, कुछ एयरलाइनों ने इन हवाईअड्डों से होकर नयी सेवाएं आरंभ करने में रूचि दिखाई है।

मंगलौर, हुबली, बेलगाम तथा मैसूर हवाईअड्डों पर सुविधाओं के विस्तार से संबंधित कार्य आरंभ कर दिया गया है।

डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का उपयोग

2433. श्री रेवती रमन सिंह: क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत कुछ वर्षों के दौरान रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डी.आर.डी.ओ.) द्वारा विकसित प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है और वाणिज्यिक उपयोग में लाई गई अथवा रक्षा प्रयोजनों हेतु उपयोग की गई प्रौद्योगिकियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या डी.आर.डी.ओ. द्वारा विकसित कुछ प्रौद्योगिकियों को उपयोग में नहीं लाया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में अपनी नीति की समीक्षा करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि विकसित की गई प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जाए?

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): (क) रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन, इलेक्ट्रॉनिक युद्धपद्धति, रेडार, संचार, प्रक्षेपास्त्र युद्धक वायुयान, युद्धक वाहन और इंजीनियरी, नौसेना प्रणालियां, मिश्रित सामग्रियां इत्यादि जैसी उच्च प्रौद्योगिकी और जटिल प्रणालियों के क्षेत्रों में परियोजनाओं पर कार्य करता है जिनका

केवल रक्षा सेनाओं में उपयोग होता है। यद्यपि खाद्य, दवाइयों, जल शुद्धिकरण, कीटनाशकों इत्यादि के क्षेत्र में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया तथापि रक्षा सेनाओं द्वारा अपने उपयोग के साथ ही वाणिज्यीकरण किया जाता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): *...

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे आपका सहयोग चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आपके नेता मेरे पास आयेंगे तो मैं उन्हें प्रत्येक प्रश्न दिखाऊंगा कि किस-किस दल को अनुमति प्रदान की गई है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार के आरोप को पूरी तरह अस्वीकार करता हूं। बहुत हो चुका।

...(व्यवधान)

श्री खारबेल स्वाईं: महोदय, हमें अवसर नहीं मिल रहा है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तान्त में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*(व्यवधान)**...

---

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके नेता से अनुरोध करता हूं वे मेरे पास आवें। मैं प्रत्येक प्रश्न दिखाऊंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं विपक्ष के माननीय नेता और उप-नेता को आमंत्रित करता हूं कि वे आकर मुझसे मिलें। मैं उन्हें प्रत्येक प्रश्न दिखाऊंगा कि कितने माननीय सदस्यों ने अनुपूरक पूछे हैं।

...(व्यवधान)

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, यह अपमानजनक है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं ऐसे आरोपों पर माननीय सदस्यों की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं आपके आरोप को पूर्णतया खारिज करता हूं।

श्री रूपचंद पाल (हुगली): महोदय, वह जो आरोप लगा रहे हैं वह सही नहीं है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं इस प्रकार सभा का कार्य नहीं चला सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

अब, पत्र सभा पटल पर रखे जाएंगे।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

रक्षा मंत्री (श्री ए.के. एंटनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत डायनामिक्स लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5219/2006]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान एंयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलोर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, बंगलोर का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5220/2006]

अल्पसंख्यक मामले मंत्री (श्री ए.आर. अंतुले): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 की धारा 13 के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग का वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) वर्ष 2002-2003 के प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 5221/2006]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री (श्री संतोष मोहन देव): महोदय, मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे-

(एक) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5222/2006]

पर्यटन और संस्कृति मंत्री (श्रीमती अम्बिका सोनी): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) साउथ सेन्ट्रल जोन कल्चरल सेंटर, नागपुर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए, **देखिये** संख्या एल.टी. 5223/2006]

अध्यक्ष महोदय: श्री सुबोध कांत सहाय - उपस्थित नहीं हैं। यह बहुत गलत है। माननीय मंत्री जी को यहां उपस्थित होना चाहिए था।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नारनभाई रठवा): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) कंटेनर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5225/2006]' ,

(ख) (एक) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

[श्री नारनभाई रठवा]

(दो) कोंकण रेलवे कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5226/2006]

(ग) (एक) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारतीय रेल वित्त निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5227/2006]

(2) (एक) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) रेलवे स्पोर्ट्स प्रोमोशन बोर्ड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5228/2006]

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के भारी उद्योग विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती कान्ति सिंह): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(तीन) इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियों के बारे में विवरण।

ग्रन्थालय में रखा गया, **देखिये** संख्या एल.टी. 5229/2006]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5230/2006]

(ग) (एक) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5231/2006]

(घ) (एक) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5232/2006]

(ङ) (एक) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, कोलकाता का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, **देखिये** संख्या एल.टी. 5233/2006]

(च) (एक) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति।

(दो) नेशनल बाईसिकल कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5234/2006]

(छ) (एक) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण।

(दो) सीमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

ग्रन्थालय में रखी गयी, देखिये संख्या एल.टी. 5235/2006]

(2) (एक) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन आफ इंडिया, पुणे के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखा गया, देखिए संख्या एल.टी. 5236/2006]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

और

राज्य सभा द्वारा यथापारित विधेयक

[अनुवाद]

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना सभा को देनी है:-

"राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 111 के उपबन्धों के अनुसरण में मुझे राज्यसभा द्वारा 5 दिसम्बर, 2006 को हुई अपनी बैठक में पारित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. महोदय, मैं राज्यसभा द्वारा 5 दिसम्बर 2006 को यथापारित अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय विधेयक 2006 की प्रति सभापटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.03½ बजे

लोक लेखा समिति

तैंतीसवां और पैंतीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, लोक लेखा समिति (2006-2007) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "डेमरेज प्रभारों का विवेकहीन अधित्यजन" के बारे में 33वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)

(2) "दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा प्राइवेट अस्पतालों और डिस्पेंसरियों को भूमि के आबंटन" के बारे में लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) के 12वें प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही संबंधी 35वां प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा)।

अपराह्न 12.03½ बजे

संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति

तेरहवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): अध्यक्ष महोदय, संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना संबंधी समिति (2006-2007) का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.04 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

राज्य के तीनों अंगों अर्थात् विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के कार्यकरण में तालमेल की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, मैं विधि और न्याय मंत्री का ध्यान तत्काल लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं और उनसे इस विषय पर एक वक्तव्य देने का अनुरोध करता हूं:

> "राज्य के तीनों अंगों अर्थात्, विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण कार्यकरण की आवश्यकता"

***विधि और न्याय मंत्री (श्री एच.आर. भारद्वाज):** राज्य के तीन अंगों अर्थात् कार्यपालिका, विधानमंडल और न्यायपालिका की शक्तियों को भारत के संविधान के विभिन्न उपबंधों में विस्तृत रूप से उपबंधित किया गया है। संविधान का भाग 5 संघ तथा भाग 6 राज्यों से संबंधित है। इन उपबंधों में नियंत्रण और संतुलन अंर्तबद्ध हैं। संविधान एक संसदीय स्वरूप की सरकार को स्थापित करता है, जिसमें कार्यपालिका निर्वाचित विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी है। मूल अधिकारों के अधीन रहते हुए, विधानमंडल के पास सभी विधायी शक्तियां हैं, जिनके अंतर्गत संविधान का संशोधन भी है, जिसे निःसंदेह रूप से मूल संरचना के सिद्धांतों के द्वारा आगे और सीमित किया गया है। न्यायपालिका संविधान का निर्वचन करती है और सभी प्राधिकारियों-विधानमंडल, कार्यपालिका, प्रशासन, न्यायिक और अर्ध-न्यायिक को, उनकी सीमाओं में बद्ध रखते हुए उसके संरक्षक के रूप में कार्य करती है। प्रत्येक अंग, किसी एक या अन्य रूप में जवाबदेय है। नियंत्रण और संतुलन जनता की, जो संविधान की रचयिता है, वेहतरी के समान उद्देश्य के लिए सुव्यवस्थित रूप से कार्य कर रहे हैं।

संविधान के प्रवृत्त होने के पश्चात्, राज्य के सभी तीन अंगों ने, कुल मिलाकर, संविधान द्वारा निर्धारित उनके अपने-अपने अवधारित कार्यक्षेत्र में कृत्य किए हैं। हमारे लिए यह गर्व का विषय है कि हमारा लोकतंत्र सक्रिय और जीवंत है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं यह बात अवश्य मानता हूं कि माननीय मंत्री जी का वक्तव्य एक कोरा बहाना है। देश के समक्ष जो समस्या उपस्थित है और इस सभा में जो चिंताएं व्यक्त की गई हैं, विधि और न्यायमंत्री द्वारा इस सभा में दिए गए वक्तव्य में या भाषण में वे प्रतिबिम्बित नहीं हो रही हैं।

महोदय, आपकी अनुमति मैं न्यायपालिका विधायिका और कार्यपालिका के सामंजस्यपूर्ण कार्यकरण के मुद्दे पर एक न्यासंग विचार रखना चाहता हूं। किसी भी समाज पर कानून का शासन होता है और उस कानून की सर्वोच्चता तभी स्थापित हो पाती है जब वह सामाजिक परिवर्तन के एक कारक के रूप में समझा जाता है। जब भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार किया जा रहा था तब हमारे संविधान निर्माताओं के समक्ष उन लाखों, करोड़ों लोगों को मुक्ति दिलाने की समस्या उपस्थित थी जो अंग्रेजी शासन के दौरान अशिक्षा, अन्याय, भूख और बेरोजगारी के शिकार थे। भारतीय संविधान के रचयिता डा. अम्बेडकर ने स्पष्ट रूप से कहा था कि राजनीतिक प्रजातंत्र अर्थहीन है यदि सामाजिक प्रजातंत्र और आर्थिक प्रजातंत्र नहीं है। भारतीय संविधान में भारत के लोगों को सर्वोच्च माना गया है।

भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कानून की आत्मा को अभिव्यक्त किया गया है जिसमें कहा गया है कि "हम भारत के लोग, एतद्द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं।" इसलिए, संविधान में यह माना गया है कि हमारा संविधान लोगों की संप्रभुता की अवधारणा पर आधारित है और 'लोगों' की संप्रभुता की सर्वोच्चता संदेह से परे है। इसलिए राज्य के तीनों को को कानून सम्मत तरीके से कार्य करना चाहिए तथा कानून का निर्देश का पालन करना चाहिए और स्वेच्छारी तरीके तथा गैर-कानूनी तरीके का सहारा नहीं लेना चाहिए ताकि लाखों लोगों को कानून का संरक्षण प्राप्त हो और उनके अधिकारों और कर्तव्यों में साम्यता होनी चाहिए।

महोदय, जिस संसद के हम सम्मानित सदस्य हैं उसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। मैं लोगों की संप्रभुता की बात कर रहा हूं। संसद सदस्यों का चुनाव जनता करती है और संसद में प्रतिनिधित्व करने का गुण सबसे अधिक है। यही कारण है कि संसद को राज्य के अन्य अंगों में सब से महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। जैसा कि हमारे संविधान निर्माताओं ने कल्पना की थी, देश में अधिकारों के बंटवारे संबंधी ढांचे में संसद को सबसे महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। दूसरी ओर संविधान देश की सतत् विकासशील कानून है और इसलिए इसे समाज में सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के लिए यह राज्य के तीनों अंगों को निर्देश देना चाहिए। और एक बार पुनः इसके केन्द्र बिंदु में देश की जनता है।

महोदय, अब मैं मुद्दे की चर्चा करता हूं। यदि राज्य के किसी एक अंग को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिया जाए तब

---

*(ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए सं. एल.टी. 5237/2006)

लोकतंत्र के मूल को ही खतरा पैदा हो जाता है और उसकी उपेक्षा होने लगती है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री हमारी बातों को कृपया सुनें क्योंकि उनके अधिकार क्षेत्र और निर्देशन में ही हम लोग इस सभा में...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं उनको निदेश नहीं दे रहा हूं...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: वे हम लोगों का निर्देशन करते हैं, संसद का नहीं। इसलिए, मैं उनका निदेशन चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं समझता हूं कि मंत्री जी को प्रो. मल्होत्रा निर्देश दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: प्रो. मल्होत्रा, उपनेता प्रतिपक्ष की भूमिका सभा को सुचारू रूप में चलाने में हमारी भूमिका से ज्यादा महत्वपूर्ण है।

यदि राज्य के किसी भी अंग को बहुत ज्यादा अधिकार दे दिए जाएं तो हर व्यक्ति कहेगा कि लोकतंत्र की नींव कमजोर हुई है। इस बात का क्या समाधान है सभी इस बात से हम सब सहमत हैं इसका समाधान यह है कि राज्य के विभिन्न अंगों के कार्य पर नियंत्रण और संतुलन बनाया जाए। समय के साथ आने वाले किसी भी दोष से प्रभावी ढंग से बचने का उपाय है शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। चूंकि संसद का स्थान कानून बनाने के मामले में सर्वोच्च है और यह कानून बनाने वाला सर्वोच्च निकाय है इसलिए सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया इसे शुरू करना चाहिए तथा उसे आगे बढ़ाना चाहिए। संसद संविधान में यथा वर्णित मौलिक अधिकारों और राज्य के नीति निदेश सिद्धांत, जिनका उल्लेख संविधान के दो महत्वपूर्ण अध्यायों में किया गया है, के अंतर्गत अपना कार्य कर सकता है। देश में कमजोर वर्गों की समस्याओं के प्रति संवेदनशील बनने के लिए संविधान को राज्य के सभी अंगों - न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को व्यादेश देना चाहिए। यही विधिक पृष्ठभूमि है।

आज वास्तविकता क्या है? देश में सबसे सम्मानित व्यक्तियों में से एक, प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू का मैं उल्लेख करता हूं। 10 सितम्बर, 1949 को, संविधान सभा में बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट रूप से घोषणा की थी कि - आपकी अनुमति से मैं भाषण पढ़कर सुना रहा हूं - सीमाओं के अंतर्गत हम अपनी प्रतिज्ञा का पालन करेंगे, पूरे समुदाय की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करने वाली संसद की संप्रभु इच्छाओं के विरुद्ध कोई भी न्यायाधीश, कोई भी सर्वोच्च न्यायालय, कोई न्यायपालिका निर्णय नहीं देगी। यदि हम कहीं कोई गलती करते हैं तो इस पर नजर रखा जाएगा।

कई वर्षों बाद, संविधान सभा में जवाहर लाल नेहरू के भाषण के बाद एक अन्य प्रसिद्ध न्यायमूर्ति कृष्ण अय्यर, ने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि न्यायालय तीसरे चैम्बर के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आपकी अनुमति से मैं विद्वान न्यायाधीश श्री कृष्ण अय्यर के भाषण को उद्धृत करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने कहा था मैं उद्धृत कर रहा हूं - कि कई प्रकार की सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान संसद के पास है। मैं उल्लेख कर रहा है, कि सामाजिक-आर्थिक स्वरूप और राजनीतिक स्वरूप की समस्याओं का समाधान संसद में होगा किसी न्यायालय के कक्ष में नहीं बल्कि पोलिंग बुथ पर इसका निर्णय होगा। माननीय विधि मंत्री इसे जरा ध्यान से सुनेंगे कि न्यायाधीश महोदय ने आगे क्या कहा है। उन्होंने आगे कहा कि गलत तरीके से लिए स्वत: संज्ञान से न्यायालय के संस्थागत संसाधनों पर दबाव पड़ता है। एक अन्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति काटजू ने कहा था, मैं इस मत का समर्थक नहीं हूं कि न्यायपालिका सरकार चला रही है। मैं सिर्फ उनके द्वारा दिए गए निर्णयों और वक्तव्यों को उद्धृत कर रहा हूं।

अब मैं मूल प्रश्न की चर्चा करता हूं। हाल ही में कई हस्तक्षेप हुए हैं, ये हस्तक्षेप केवल कार्यपालिका की आदेश के तरीके तक ही सीमित नहीं हैं बल्कि ऐसे नीतिगत मामलों में है कि जो केवल विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और यहां तक कि उसे न्यायिक जांच के दायरे में भी लाया जाता है। ऐसे कई उदाहरण है जब विधायी इरादे या विधायी इच्छा की भी न्यायिक समीक्षा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे खेद है कि मैं आपके भाषण में हस्तक्षेप कर रहा हूं। कानून की जांच करते समय न्यायालय को विधेयक की पीछे की इच्छा का जानने का अधिकार है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मुझे समाप्त करने दीजिए। महोदय, आप एक सम्मानित वकील है। मैं आपके सम्मान में अपना सिर झुकाता हूं लेकिन मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। मैं चाहता हूं कि इसमें सही और संयमित भाषा का इस्तेमाल हो।

श्री गुरूदास दासगुप्त: संसदीय प्रणाली के अभिलेखों और संसदीय प्रथाओं की सीमाओं का मैं अतिक्रमण नहीं करूंगा। मैं पुन: माननीय न्यायमूर्ति श्री कृष्ण अय्यर को उद्धृत करता हूं। उन्होंने कहा था: न्यायिक सक्रियतावाद के नाम पर आज के न्यायाधीशों ने भारत में निष्पक्ष न्यायकर्ता की अपनी भूमिका को छोड़ चुके हैं और विभाजक न्याय के नाम पर उन्होंने बड़े पैमाने

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

पर न्याय के मानदंडों को नीचा गिराया है। ऐसे कार्यों की वैधता न्यायिक समुदाय के स्तर पर आलोचनात्मक समीक्षा की आवश्यकता है। हमारे समय के अत्यंत विद्वान विधिवेताओं में से एक फाली नारीमन कहते हैं:

"संवैधानिक योजना के अंतर्गत न्याय के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक मामलों को कानून निर्माताओं के ऊपर छोड़ देना चाहिए।"

अब मैं तीन न्यायाधीशों का उल्लेख कर रहा हूं। उच्चतम न्यायालय ने अपने विचार दिए है कि हम निर्णय पर बोल सकते हैं, न्यायाधीशों पर नहीं, और मैं वही रास्ता अपना रहा हूं। अपने विवेक से लोक सभा ने कई सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई उस आधार पर किए हैं जिसे वह उचित समझती है।

अध्यक्ष महोदय: लेकिन वह न्यायाधीन है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता।

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन बातों में मत जाइए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: लेकिन मैं सिर्फ एक बात बताना चाहता हूं कि अध्यक्ष को सम्मन जारी किए गए और हम सभी यह बात जानते हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): नहीं! कोई सम्मन नहीं जारी किया गया।

श्री गुरूदास दासगुप्त: दूसरे, हाल ही में दिल्ली में वाणिज्यिक परिसरों की सीलिंग से संबंधित आपने जो मुद्दा उठाया है उसमें क्या हुआ? उच्चतम न्यायालय ने निर्णय के कार्यान्वयन के लिए एक निगरानी समिति का गठन किया है। मैं पुनः न्यायिक राय का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): महोदय, आप उन्हें कितना और समय देंगे?

अध्यक्ष महोदय: 2-3 मिनट और। वैसे भी वे एक मात्र सदस्य हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, कृपया मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उनका कहना उचित है; आपको दो-तीन मिनट और मिलेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, यह एक सर्वमान्य स्वीकृत तथ्य है और यह एक न्यायिक नीतिवाक्य भी है कि न्यायालय को ऐसे मुद्दों का फैसला करने अथवा निर्णय देने में संयम बरतना चाहिए जिसमें स्वयं न्यायालय की निगरानी शामिल हो। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा ने इस विषय को संसद में उठाया है।

तीसरे, जब तमिलनाडु में श्रमिक तथा सरकारी कर्मचारी हड़ताल पर थे तो कई मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े थे। इस संबंध में एक निर्णय आया था। परन्तु निर्णय देते समय एक टिप्पणी की गयी थी, जो कि इस मामले से संबंधित नहीं थी, कि हड़ताल नहीं होनी चाहिए। यह भी पता होना चाहिए कि तालाबंदी के संबंध में एक शब्द भी नहीं कहा गया था। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि मैं माननीय मंत्री के वक्तव्य का खंडन कर रहा हूं लेकिन न्यायपालिका, विधायिक तथा कार्यपालिका के कार्यकरण में तालमेल का आभाव है। सामंजस्य का आभाव है।

अध्यक्ष महोदय: क्या मैं सभा की इच्छा जान सकता हूं?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इससे पहले कि आप सभा की इच्छा जानें, हम इस संबंध में कुछ कहना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: यह गुण दोष के आधार पर नहीं है, प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा कृपया मेरी बात सुनिए। मैं सभा की इच्छा जानना चाहता हूं, गुण दोषों के आधार पर नहीं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया मेरी बात सुनिए। आप ठीक कह रहे हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया, मुझे सभा को चलाने दीजिए। यही परेशानी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं दो मिनट और लूंगा।

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको बाद में समय दे दूंगा।

केवल एक माननीय सदस्य ने नोटिस दिया है। उसके पश्चात् मुझे 11 माननीय सदस्यों से और नोटिस प्राप्त हुए हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि सभा की इच्छा हो तो हम इस मुद्दे पर नियम 193 के अन्तर्गत चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अनेक माननीय सदस्य: जी हां।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): अध्यक्ष महोदय, सबकी राय है कि इस विषय पर डिबेट करवाइए।...*(व्यवधान)* इसे नियम 193 में कन्वर्ट कर दीजिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करना चाहता हूं। यह एक बहुत ही संवेदनशील विषय है। सभा में इस विषय पर चर्चा करने से पूर्व प्रधानमंत्री को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए जिसमें इस विषय पर चर्चा की जाए और इस संबंध में कोई सर्वसम्मति से राय बनाई जाए और फिर इस विषय पर सभा में चर्चा की जा सकती है।

अध्यक्ष महोदय: आप यह सुझाव दे सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह बिल्कुल ठीक है। विषय की महत्ता को देखते हुए मैं इस विषय पर सभा की आम राय जानना चाहता हूं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अंतर्गत चर्चा नहीं की जा सकती। इस विषय पर सभा में उचित ढंग से चर्चा की जानी चाहिए और उससे पहले प्रधानमंत्री को सभी दलों के नेताओं की एक बैठक बुलानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए मैं सभा की इच्छा जानना चाहता था, जो कि प्रक्रिया से संबंधित है कि क्या इस चर्चा को नियम 193 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है। विचार जानने के पश्चात् इस विषय पर पूर्ण चर्चा की जा सकती है, अभी नहीं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: पहले मुझे अपनी बात समाप्त करने दीजिए उसके पश्चात् आप ऐसा कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त कीजिए।

श्री स्वाई, मैं आपको बुलाऊंगा। श्री दासगुप्ता जी जब हम नियम 193 के अंतर्गत इस पर चर्चा करेंगे तो आपको अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलेगा।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैंने भी इसी विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा करने का नोटिस दिया है। दुर्भाग्यवश इस विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के अन्तर्गत चर्चा की गई है। वह यही विषय था। मैंने इस संबंध में अध्यक्ष महोदय को लिखा है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने जानबूझ कर ऐसा किया है, आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। मैंने इरादतन ऐसा किया है। यही तरीका है।

(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मुझे नहीं पता कि यह कैसे हुआ और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा हो गई।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रो. मल्होत्रा, आप मुझे यह बात रोजाना बता रहे हैं आप यहां बैठिए और इसके बारे में तय कीजिए। मैं आपको यहां आकर बैठने के लिए आमंत्रित करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: किसके खिलाफ कम्प्लेंट करें।

अध्यक्ष महोदय: हमारे ही खिलाफ करते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आपके पास कम्प्लेंट करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: सभा में यह क्या हो रहा है। अध्यक्षपीठ को निशाना बनाया जा रहा है और अध्यक्षपीठ के लिए कोई सम्मान नहीं है। यदि अध्यक्षपीठ के लिए कोई सम्मान नहीं है, तो सभा के लिए क्या सम्मान होगा?

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं एक सुझाव दूं, विपक्ष के उपनेता को वंचित सदस्यों के विचार व्यक्त कर देने चाहिए।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: जब हम नियम 193 के अधीन चर्चा करेंगे तो आप इस विषय को उठा सकते हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करता हूं।

मैं यह कह रहा हूं कि मैं इस बढ़ती हुई प्रवृत्ति से चिंतित हूं, संसद को भी इससे चिंतित होना चाहिए तथा सभा को इस विषय पर चर्चा करनी चाहिए। मैं इस बात से चिंतित हूं कि

[श्री गुरुदास दासगुप्त]

अनेक जनहित याचिकाओं के कारण कुछ समस्यायें उत्पन्न की जा रही हैं, जो मेरे विचार से संसद के अधिकारों, लोगों की सम्प्रभुता तथा लोक सभा के अधिकारों का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, सभा यह चाहती है कि इस विषय पर नियम 193 के अंतर्गत चर्चा की जाए। इस पर बाद में चर्चा की जाएगी। कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में हम इस विषय के लिए तिथि तय करेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं अंतिम वाक्य कहना चाहता हूं। देश में जिस प्रकार से न्यायिक अति सक्रियता बढ़ रही है, उससे मैं बहुत चिंतित हूं।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य जैसा कि मैंने कहा कि हम कार्य मंत्रणा समिति की अगली बैठक में यह तय करेंगे, सर्वसम्मति से इसे परिवर्तित किया गया है और नियम 193 के अधीन चर्चा के रूप में माना गया है, हम इस पर बाद में चर्चा करेंगे।

अब हम अगला विषय लेंगे, मद संख्या 6 अब सभा पटल पर रखे जाने संबंधी विषय लिए जाएंगे। श्री सुबोध कांत सहाय का नाम पहले पुकारा गया था वे यहां उपस्थित नहीं थे। मैंने इस पर अपनी नाराजगी व्यक्त की थी श्री सुबोध कांत सहाय ने इसके लिए सभा से क्षमा मांग ली है। इसलिए मैं उनका नाम सभा पटल पर पत्र रखने के लिए पुकारता हूं।

अपराह्न 12.25 बजे

सभा-पटल पर रखे गए पत्र-जारी

[अनुवाद]

खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर के वर्ष 2005-2006 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) धान प्रसंस्करण अनुसंधान केन्द्र, तंजावूर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 5224/2006]

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जो नाम ध्यानकर्षण प्रस्ताव के लिए दिए गए हैं उन्हें नियम 193 के अंतर्गत चर्चा के लिए सुरक्षित रखा जाएगा। निस्सन्देह, पार्टियां अपने-अपने सदस्यों को मनोनीत करने की हकदार होंगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान विश्व के तमाम देशों में, वहां के अल्पसंख्यक हिन्दुओं पर हो रहे अमानवीय अत्याचारों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया सभा में शांति बनाये रखें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, कुछ दिन पहले कजाकस्तान में इस्कॉन के मंदिर तोड़े गए। इस मामले को लेकर ब्रिटेन की संसद ने एक प्रस्ताव पारित किया और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने इस सम्बन्ध में कजाकस्तान के राष्ट्रपति को वहां के हिन्दुओं की भावनाओं से अवगत भी कराया था। लेकिन दुखद बात यह है कि भारत की संसद या भारत सरकार की ओर से इस पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? सभा में शांति बनायें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, दूसरा मामला भूटान का है। भूटान भारत का पड़ोसी मित्र राष्ट्र है और भूटान के विकास में भारत बहुत बड़ा सहयोगी रहा है,...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, आप कृपया बोलने वाले सदस्य और अध्यक्ष के बीच में व्यवधान मत डालिए।

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार की स्थिति भूटान में है, वहां पिछले 12-15 वर्षों में लगभग डेढ़ लाख भारत और नेपाल मूल के हिन्दू निकाले गए हैं। उन सभी को यू.एन.ओ. के शरणार्थी शिविरों में रखा गया है। इस समय बड़ी तेजी से उनका मतान्तरण हो रहा है। ऐसी खबरें आई हैं कि अमरीका और कनाडा ने उन सभी को अपने देशों में बसाने की एक योजना तैयार की है। भारत सरकार की ओर से इस घटना पर कोई भी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की गयी है।

महोदय, तीसरी घटना अफगानिस्तान से सम्बन्धित है। यह तीनों घटनाएं एक साथ जुड़ी हुई हैं। यह खबर 24 नवंबर के दैनिक जागरण समाचार पत्र प्रकाशित हुई है। जब अमेरिका ने तालिबान विद्रोहियों को समाप्त किया, तो भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण में बहुत योगदान दिया और यह सहयोग आज भी जारी है। लेकिन वहां भारतीय मूल के नागरिकों के साथ, वहां के हिन्दुओं और सिखों के साथ जिस प्रकार का व्यवहार हो रहा है वह अमानवीय है। वहां के नागरिकों ने यह पीड़ा व्यक्त की है कि सड़कों पर निकलना उनके लिए दूभर हो गया है। उनके घर और व्यापार पर तालिबानी गुण्डों के द्वारा जबरन कब्जा कर लिया गया है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन सभी मामलों में भारत सरकार ने कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध करना चाहूंगा कि...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह अफगानिस्तान का मामला है। हम इसमें क्या कर सकते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, कजाकस्तान की घटना के बारे में जिस प्रकार का रिजोल्युशन ब्रिटेन की संसद ने पारित किया है।...*(व्यवधान)* इस पर सरकार की ओर से रिस्पांस आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी पार्टी के एक माननीय सदस्य बोल रहे हैं। *[अनुवाद]* उन्होंने इसका उल्लेख किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के सदस्य बोल रहे हैं। मैंने उनको अनुमति दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

योगी आदित्यनाथ: अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार इसे स्पष्ट करे और कजाकस्तान, भूटान और अफगानिस्तान के मामलों में जिस प्रकार से ब्रिटेन की संसद ने प्रस्ताव पारित करके आपत्ति व्यक्त की है, उसी प्रकार भारत की संसद भी एक प्रस्ताव पारित करके आपत्ति व्यक्त करे।

महोदय, अगर भारतीय मूल के नागरिकों और हिन्दू अल्पसंख्यकों पर इस प्रकार के अत्याचार होंगे तो हिन्दू कहां जाएंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री आदित्यनाथ योगी आपके सहयोग के लिए आपको धन्यवाद।

[हिन्दी]

निम्नलिखित माननीय सदस्यों ने स्वयं को इस विषय के साथ सम्बद्ध किया है: श्री गणेश सिंह, श्री राकेश सिंह, श्री वीरेन्द्र कुमार, श्रीमती करूणा शुक्ला, श्री प्रह्लाद जोशी, श्री अविनाश राय खन्ना, श्री कृष्णमुरारी मोघे, श्री रामस्वरूप कोली।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में सरकार का रिस्पांस आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

महोदय, सरकार अपनी प्रतिक्रिया दे सकती है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब नहीं।

अपराह्न 12.26 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) भारतीय चिकित्सा परिषद (एम.सी.आई.) द्वारा सिक्किम मणिपाल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज को मान्यता दिए जाने के बारे में

श्री नकुल दास राई (सिक्किम): मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सिक्किम मनिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान के कई संभावित डॉक्टरों और छात्रों के साथ घोर अन्याय हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: यह एक ऐसा मुद्दा है जिसके बारे में, मैं चाहता हूं, सरकार को ध्यान देना चाहिए।

श्री नकुल दास राई: महोदय, इस सबका कारण भारतीय चिकित्सा परिषद के अविवेकपूर्ण निर्णय है जिसने संस्थान को मान्यता नहीं दी, जिसकी स्थापना वर्ष 2001 में हुई थी। संस्थान ने स्वास्थ्य मंत्रालय तथा प्रधान मंत्री, मंत्रिमंडल सचिव और स्वास्थ्य मंत्री से भी कई निवेदन किये हैं। सिक्किम के मुख्यमंत्री ने इस विषय में प्रधानमंत्री से दो बार बात की। भारतीय चिकित्सा परिषद सिक्किम मनिपाल चिकित्सा परिषद को मान्यता कैसे नहीं दे सकता जबकि उसने 2001 में ही केन्द्र को इस बात की सिफारिश कर दी थी कि वह संस्थान में छात्रों के नामांकन की अनुमति दे।

मैं सिक्किम मनिपाल चिकित्सा विज्ञान के एम.बी.बी.एस. के छात्रों के प्रथम बैच (2001 का बैच) की दयनीय स्थिति की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज की तारीख तक भारतीय चिकित्सा परिषद और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालय द्वारा जारी की गई एम.बी.बी.एस. की डिग्री को मान्यता नहीं दी है और इसके मेडिकल स्नातकों के प्रथम बैच का अनन्तिम पंजीकरण नहीं किया है जिन्होंने मार्च, 2006 में परीक्षा पास की है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास संबंधी केन्द्रीय मंत्रालय और चिकित्सा शिक्षा (भारत सरकार) के निदेशक छात्रों की मदद के लिए सामने आए और उन्होंने भारतीय चिकित्सा परिषद को मान्यता देने और पंजीकरण के संबंध में संस्थान का दौरा करने का निर्देश दिया। यह दौरा इस वर्ष के सितम्बर माह के प्रथम सप्ताह में किया गया था और सिक्किम मनिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान और सिक्किम की सरकार ने भारतीय चिकित्सा परिषद की जरूरतों की पूर्ति के लिए भरसक प्रयास किया।

चूंकि सिक्किम एक छोटा पर्वतीय राज्य है तथा यहां की आबादी बिरल है इसलिए यहां के मरीजों की संख्या की तुलना समतलीय क्षेत्र या बड़े शहरों के किसी अस्पताल में मरीजों की संख्या से नहीं की जा सकती। इसलिए भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा मरीजों की संख्या संबंधी वर्तमान मानक सिक्किम मनिपाल चिकित्सा विज्ञान को मान्यता देने के लिए मानक नहीं होना चाहिए। तथापि, यदि भारतीय चिकित्सा परिषद सर थॉनडप नामग्याल स्मारक (एस.टी.एम.एन.) और सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालय के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मान्यता दे देता है तो मरीजों की संख्या संबंधी यह मसला कुल मरीजों की संख्या के रूप में हल हो जाएगा।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा सिक्किम सरकार ने एस.टी.एम.एन. अस्पताल और सिक्किम मनिपाल विश्वविद्यालय के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को (मरीजों की संख्या और चिकित्सा संस्थान के संभाग के लिए) मान्यता दे दी है जो भारतीय चिकित्सा परिषद द्वारा चिकित्सा महाविद्यालयों की मान्यता के लिए प्राथमिक मानक है।

अध्यक्ष महोदय: आपने अपनी बात रख दी है।

श्री नकुल दास राई: इसलिए, भारतीय चिकित्सा परिषद को चाहिए कि वह छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए सिक्किम मनिपाल चिकित्सा विज्ञान संस्थान को यथाशीघ्र मान्यता दे क्योंकि यह संस्थान सभी मानदंडों को पूरा करता है।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पहले ही सरकार से इस पर ध्यान देने के लिए अनुरोध किया है।

श्री नकुल दास राई: सैकड़ो छात्रों के भविष्य को देखते हुए यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं इस मुद्दे को संबंधित मंत्री के ध्यान में लाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने पहले ही इसका उत्तर दे दिया है।

अपराह्न 12.32 बजे

(दो) देश में उर्वरकों की कमी के बारे में

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, देश में खाद की भारी कमी है। इस सदन में हमारे दल के सांसद रेवती रमण सिंह जी ने सत्र के शुरू में यह मुद्दा उठाया था। इसके अलावा राजस्थान के भी सांसद प्रधान मंत्री जी से मिले थे और उन्होंने राजस्थान में खाद की किल्लत के बारे में चर्चा की थी। पूरे देश में खाद का संकट होने की वजह से रबी की फसल की बुवाई हुई, यह फसल काफ़ी हद तक प्रभावित हुई है। इस बार 17 प्रतिशत ज्यादा गेहूं देश में बोया गया है। जब हम कृषि के संरक्षण और संवर्द्धन की बात करते हैं, मुझे बेहद अफसोस है कि उत्पादन के लिए जो आवश्यक चीजें हैं, उनमें भी कोताही बरती जाती है और उनकी कोई व्यवस्था नहीं होती। हम आपका संरक्षण चाहते हैं। यह सदन इसलिए है कि लोगों की समस्याओं का निदान हो और लोग राहत महसूस करें। लेकिन बार-बार सदन में मुद्दा उठाए जाने के बाद भी सरकार से जो अपेक्षा की जाती है, सरकार उसके अनुकूल आचरण नहीं

करती। खाद की इकाइयां बंद हैं। इसी सदन में रसायन और उर्वरक मंत्री राम विलास पासवान जी ने सदन को आश्वस्त किया था कि इन इकाइयों को तत्काल शुरू करने का काम होगा। लेकिन लगता है उन्हें शुरू करने के लिए सरकार गम्भीर नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप केवल विषय का उल्लेख कीजिए। चर्चा नहीं हो सकती।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। भारत में गेहूं के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का योगदान 35 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश में 2005-2006 में 259.9 लाख मीट्रिक टन रबी खाद्यान्न का उत्पादन हुआ था और 2006-2007 में उत्पादन का लक्ष्य 307.88 लाख मीट्रिक टन रखा गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले बार खाद की जितनी आवश्यकता थी, उससे ज्यादा इस बार है।

अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में जो खाद की दिक्कत है उसके सिलसिले में उत्तर प्रदेश के प्रमुख-सचिव, उत्तर प्रदेश के कृषि-मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भारत सरकार को बार-बार लिखा है कि हमारे यहां खाद का संकट है और इसके चलते हमारी फसलें प्रभावित हो रही हैं। मुझे बेहद अफसोस है कि उत्तर प्रदेश सरकार के निरंतर लिखने के बावजूद भी केन्द्र सरकार ने कोई सार्थक पहल नहीं की है, रेलवे के रैक की व्यवस्था नहीं कराई है। माननीय रसायन और उर्वरक मंत्री यहां बैठे हैं। उत्तर प्रदेश में जो खाद की समस्या है उसे दूर करने के लिए केन्द्र सरकार क्या कर रही है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई (जोधपुर): अध्यक्ष जी, माननीय रामजीलाल सुमन द्वारा उठाये गये अति लोक महत्व के मामले से मैं अपने को संबद्ध करता हूं।

[अनुवाद]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं उनको बाद में जवाब भेजूंगा।...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी जवाब देने के लिए तैयार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने कहा है कि वे आपको जवाब भेज देंगे।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप ऐसे ही करेंगे तो मैं सभा को स्थगित कर दूंगा और चला जाऊंगा।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय ने जो सूचना देने की सहमति दी है उसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष जी, मंत्री जी बताना चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय: अभी नहीं बताने देंगे। *[अनुवाद]* 55 सूचनाएं है और प्रत्येक माननीय सदस्य तत्काल जवाब चाहता है। *[हिन्दी]* आपको स्टेटमेंट भेज देंगे, इन्होंने खुद बोला है।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार (कालीकट): महोदय, मैं सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि इलायची की फसल की कटाई का मौसम (अगस्त-जनवरी) और कालीमिर्च की फसल की कटाई का समय (दिसम्बर-मार्च) चल रहा है। इलाइची के बढ़े हुए वैश्विक उत्पादन और ग्वाटेमाला से गुप्त रूप से आयात होने से इलायची की औसत घरेलू कीमत, जो 2001-02 में 623 रुपये प्रति किलो थी 2005-06 में घटकर 224 रुपये प्रति किलो हो गई है। वर्ष 2006-07 में इलायची का अनुमानित उत्पादन लगभग 10,000 मीट्रिक टन होगा जो पिछले वर्ष की तुलना में 35 प्रतिशत कम है। खुदरा बिक्री मूल्य किसानों द्वारा लिये गए मूल्य से चार गुणा है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार]

वेयानाड, इदुक्की जिलों तथा अन्यत्र भी कालीमिर्च का उत्पादन बीमारियों और सूखे के कारण कम हुआ है। पिछले साल के 70000 मीट्रिक टन की तुलना में इस साल उत्पादन 50000 मीट्रिक टन होने का अनुमान है। अब दोनों की बिक्री भावी बाजारों में होती है यदि सट्टेबाजों, जमाखोरों और संसाधित करने वाले इसमें हेर-फेर कर लें। वर्ष 2006 के अक्तूबर में कालीमिर्च का भविष्य अंतर्राष्ट्रीय कीमत से कम हो गया, यद्यपि बाजार की मूलभूत स्थितियां मजबूत थी और आपूर्ति की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। चूंकि फसल तैयार होने के समय कीमतें घट जाएंगी इसलिए, इस प्रकार के व्यापार से कीमतें और गिरेंगी। इस समस्या के समाधान के लिए किसानों के लिए लाभकारी मूल्य सुरक्षित करने के लिए वैकल्पिक ढंग के बाजार हस्तक्षेप आवश्यक है।

फसल तैयार होने के समय से पहले सरकार द्वारा एक बेंचमार्क कीमत घोषित की जानी चाहिए जो कालीमिर्च के लिए प्रतिकिलो 150 रुपये हो और प्रथम दर्जे की इलायची का मूल्य 500 रुपये, दूसरे दर्जे का 400 रुपये और तीसरे दर्जे की इलायची की कीमत 350 रुपये प्रति किलो हो।

कॉफी और सुपारी उत्पादक किसानों के हित में इसी प्रकार का हस्तक्षेप जरूरी है।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष जी, राजस्थान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत सस्ते अनाज की दुकानों से जो गेहूं बेचा जा रहा है वह खाने लायक नहीं है। उससे बनी रोटी में कोई स्वाद नहीं है। यही गेहूं एफ.सी.आई. के माध्यम से मिड-डे-मिल, काम के बदले अनाज योजना और अकाल राहत कार्यों में दिया जा रहा है। इससे लोगों में बड़ा असंतोष है। देश के अन्य राज्यों से भी इसी प्रकार की शिकायतें आ रही हैं। जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ है कि यह सड़ा-गला तत्वहीन गेहूं भारत सरकार ने आस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों से आयात किया है। मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से अनुरोध है कि इस गेहूं को राज्यों में भेजने से पहले, भली प्रकार से, इसकी वैज्ञानिक जांच कराई जाए कि यह स्वास्थ्यप्रद है या नहीं। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों द्वारा मांगी गयी मात्रा के अनुरूप पूरा गेहूं दिया जाए। कुछ समय पूर्व बी.पी.एल. और ए.पी.एल. से मिलने वाले गेहूं में भी पर्याप्त कटौती कर दी गयी है। अब बाजार में महंगाई होने के कारण सस्ते अनाज की दुकानों से ही लोग गेहूं खरीदना चाहते हैं। इसलिए मेरी विनती है कि पूरी मात्रा में सबको स्वच्छ अनाज मिले, इस ओर सरकार पूरा ध्यान दे।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय कृषि मंत्री के ध्यान में निम्नलिखित विषय लाना चाहता हूं।

हमारे किसानों को अपनी कृषि और पशुधन की बर्बादी के कारण भारी मूल्य चुकाना पड़ता है। लगातार आने वाली बाढ़ और सूखे ने हमारे किसानों को असहाय और उपाय विहीन बना दिया है। इससे उनकी खड़ी फसल और पशुधन बर्बाद हो जाते है।

कृषि में निवेश कर अपनी जीविका कमाने के लिए जिस किसी संसाधन से संभव होता है, किसान बहुत ऊंची दर पर कर्ज लेते हैं। लेकिन लगातार फसल और पशुधन की बर्बादी से किसान असहाय हो जाते हैं और वे ऋणदाता को ऋण का भुगतान नहीं कर पाते हैं। आजकल किसान आत्महत्या कर रहे हैं। किसान केवल प्राकृतिक आपदाओं के ही शिकार नहीं हुए है बल्कि अपने अतिरिक्त उत्पाद की सरकार द्वारा खरीदारी नहीं किये जाने के कारण भी पीड़ित हैं।

इसलिए, मैं आपदाओं के दौरान किसानों की क्षतिपूर्ति के लिए एक कृषि बीमा योजना शुरू करने के लिए सरकार से अनुरोध करता हूं। वर्तमान प्रणाली के अंतर्गत कुछ चुनी हुई फसलों को इस योजना में सम्मिलित किये जाने के बजाए सभी प्रकार की फसलों को इस योजना में शामिल किया जाए। इसी प्रकार, ब्लॉक को एक यूनिट मानने की बजाए बीमा के लिए पंचायत को मूल यूनिट समझा जाना चाहिए। इस कदम से काफी हद तक किसानों को आत्महत्या करने से रोका जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह (इलाहाबाद): महोदय, यह मामला इस सदन में कई बार उठ चुका है और आपने सरकार का ध्यान भी इस तरफ आकृष्ट किया है। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जब एन.डी.ए. की सरकार थी, तब इन्होंने विनिवेश मंत्रालय बनाया था और जब से यू.पी.ए. की सरकार बनी है, जितने भी हमारे पी.एस.यूज हैं, धीरे-धीरे यह सरकार उन्हें बंद करने का काम कर रही है। हिंदुस्तान केवर्ल तीन जगह स्थापित हैं - रूप नारायणपुर, कोलकाता, नैनी इलाहाबाद और हैदराबाद में। मुझे ताज्जुब है कि तीन साल होने के बावजूद भी इन्हें कैसे पुन: प्रारम्भ किया जाए, आज तक सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है। एन.डी.ए. सरकार की जो पालिसी थी, वही

पालिसी यू.पी.ए. सरकार चलाएगी तो इनका भी वही हाल होगा, जो एन.डी.ए. की सरकार का हुआ था।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि तमाम पी.एस.यूज का विलय हुआ है तो इसे रेलटेल में या बी.एस.एन.एल. में, टेलीकॉम के मंत्री बैठे हैं,*...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा मत कहिए।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: महोदय हमें अफसोस है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस अंश को कार्यवाही वृत्तांत से निकाला जाएगा।

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: प्रधानमंत्री जी से भी हम मिले थे, श्री बसुदेव आचार्य जी के नेतृत्व में और प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि अगर प्रस्ताव आएगा तो इसे फिर से चलवाएंगे। मैंने कान्ति सिंह जी से भी बात की थी और उन्हें कहा था कि इलाहाबाद चलिए, लेकिन मान्यवर, इस सरकार में किसी के पास समय नहीं है जो वहां जा सके।

महोदय, इलाहाबाद में नैनी आप्टिकल फाइबर फैक्टरी है। पूरे देश में पब्लिक अंडरटेकिंग्स की एक फैक्टरी है और आप्टिकल फाइबर की सबसे ज्यादा डिमांड है। केवल 210 कर्मचारी हैं, जिनकी उम्र 35 से 40 साल है। ट्रांसपोर्ट विभाग में जहां ट्रांसपोर्ट लगी हुई है, वहां बिजली, पानी कट गया है। कोई सिक्योरिटी वाला वहां कैसे काम करेगा? तीन साल से उन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही है, ट्रांसपोर्ट का पैसा नहीं मिल रहा है।

मान्यवर मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस विषय पर तत्काल वक्तव्य दें और इसे पुनः चालू करवाने की कार्यवाही करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य, आप अपना नाम केवल उनके साथ सम्बद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैं अपने को उनसे सम्बद्ध करना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल उन्हीं का नाम कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ कहा जा रहा है, उसे सभी मंत्रियों को सुनना चाहिए।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य: श्री मारन सभा में बैठे हैं। वे इस समस्या को जानते हैं। इसलिए, उन्हें जवाब देना चाहिए।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रेवती रमन सिंह: अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी रिस्पौंड करें।

अध्यक्ष महोदय: सब मिनिस्टर्स यहां हैं।

श्री सुबोध मोहिते (रामटेक): माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने विदर्भ के किसानों द्वारा खुदकुशी और आत्महत्या को रोकने के लिए एक पैकेज दिया लेकिन मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने परसों अतारांकित क्वैश्चन पूछा था जिस में सारी डिटेल्स हैं। मैं प्रधान मंत्री जी से रिकवैस्ट करना चाहूंगा कि वह इस पैकेज को रिव्यू करें क्योंकि जिस बात को रोकने के लिए पैकेज दिया गया था, वह कार्य सफल नहीं हो रहा है। माननीय प्रधान मंत्री जी ने खुदकुशी रोकने के लिए पैकेज दिया था लेकिन वह पूरा लीकेज हो गया है और खुदकुशी रुकी नहीं है बल्कि उसका रेट डबल हो चुका है। इसे ताबड़तोड़ रिव्यू करना होगा। हमारी मेन मांग कर्जा माफ करने की थी लेकिन आपने उसे माफ नहीं किया है। मैं सबसे पहले किसानों का कर्जा माफ करने की मांग करता हूं।

दूसरी बात मेरी समझ में नहीं आई है कि देश के प्रधान

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुबोध मोहिते]

मंत्री जिस एरिया में खुदकुशी हो रही है, उसे कैसे बांट सकते हैं। विदर्भ के 11-12 जिलों में खुदकुशी और आत्महत्या हो रही है। वह केवल 6 जिलों को कैसे पैकेज दे सकते हैं? बाकी जिलों में भी किसानों ने आत्महत्या की है। क्या उनकी जान की कीमत नहीं है? इसलिए उन एरियाज को भी उनमें इनक्लूड किया जाए। जिसे इम्मिजिएट रिलीफ कहा जाता है, वह उन्हें दिया जाए। उनके बाल-बच्चे रोटी के कारण मर रहे हैं। मेरी प्रधान मंत्री जी से मांग है कि इस पैकेज को रिव्यू किया जाए और उनको एटलीस्ट खाने के लिए रोटी धान्य कम से कम पांच साल के लिए मुफ्त तत्काल दिया जाए।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: 55 सदस्यों ने सूचना दी है। किसे बोलने के लिए बुलाना है इसका निर्णय आप बेहतर कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं तय करें। मैं यह पता लगाने की कोशिश कर रहा हूं कि अधिक महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से हैं। इसीलिए मैंने तीन महत्वपूर्ण विषयों की अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री राजगोपाल नि:शक्त व्यक्तियों से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री एल. राजगोपाल (विजयवाड़ा): महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण मामला उठाना चाहता हूं...*(व्यवधान)*

पक्षपात का एक उदाहरण सामने आया है। लोक सेवा परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले श्री मणिराम शर्मा को दूसरी बार आई.ए.एस. संवर्ग देने से वंचित कर दिया गया है। कारण यह दिया गया कि प्रत्याशी पूरी तरह से बधिर है और भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई.ए.एस.) के लिए आवेदन नहीं कर सकता। लेकिन प्रत्याशी का कहना है कि वह अन्य किसी बधिर व्यक्ति की ही तरह कार्य कर सकने में सक्षम है। सन् 2004 में भी उसने लोक सेवा परीक्षा उत्तीर्ण की थी और 227वां स्थान प्राप्त किया था। इस आधार पर उसे भारतीय राजस्व सेवा में स्थान मिला। तथापि, नि:शक्त प्रत्याशी के बतौर वह आई.ए.एस. के लिए पात्र था। पर 2004 में उसे आई.ए.एस. में यह कहते हुए प्रवेश नहीं दिया गया कि वह इसके लिए पात्रता नहीं रखता। पिछले वर्ष अर्थात्, 2005 में उसने पुन: लोकसेवा परीक्षा उत्तीर्ण की। इस बार उसे 378वां स्थान मिला और नि:शक्त जब कोटे के अंतर्गत वह पुन: आई.ए.एस. के लिए पात्र था। परन्तु इस बार भी उसे मना कर दिया गया और बधिरता के कारण उसे भारतीय डाक और तार लेखा सेवा दी गई। परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि उससे आठ स्थान नीचे वाले प्रत्याशी को आई.ए.एस. सेवा में प्रवेश मिल गया...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत महत्व का मामला है पर माननीय सदस्यों को सुनने का धैर्य ही नहीं है।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: ऑनरेबल मैम्बर डिसऐवल्ड लोगों के बारे में बात कह रहे है। आप उनकी बात सुनें।

[अनुवाद]

श्री एल. राजगोपाल: दूसरा उदाहरण है तमिलनाडु के श्री श्रीधर का, जिनके दो बाजू तो हैं पर पैर नहीं हैं। 2005 में उन्हें लोक सेवा परीक्षा में 400वां स्थान मिला। स्थान और नि:शक्तजन कोटे के आधार पर उन्हें भारतीय दूरसंचार सेवा मिलनी चाहिए थी। लेकिन कार्यक्षमता के निर्धारण को कारण बनाकर उनका चयन नहीं किया गया। कार्यक्षमता-निर्धारण वस्तुत: किसी सेवा के लिए अनुमत्य नि:शक्तता-स्तर का निर्धारण होता है। श्रीधर के मामले में यह था कि उसने जिस सेवा के लिए आवेदन किया था उसमें कार्यक्षमता का स्तर एक बाजू और एक पैर होने से पूरा हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि यदि किसी के केवल एक बाजू और एक पैर ही हो तब भी वह भारतीय दूरसंचार सेवा में अधिकारी होने की पात्रता रखता है। यही नियम है। लेकिन इसका कोई तर्क ही समझ नहीं आता कि...*(व्यवधान)*

महोदय, प्रत्येक सेवा के लिए जो तय नि:शक्तजन कोटा है उसमें कार्यक्षमता का स्तर निर्धारित करने की रीतियां भिन्न-भिन्न हैं। उदाहरणार्थ, आई.ए.एस. में स्वत:जनित नि:शक्तता के आधार पर कार्यक्षमता का निर्धारित स्तर है: दोनों हाथ, एक पांव, एक हाथ, या दोनों पांव, वगैरह। अर्थात्, इस सेवा में ऐसे व्यक्ति प्रवेश पा सकते हैं जिनके दोनों बाजू न हों या जो बाजुओं से अपाहिज हों, जिसका एक पैर या बाजू न हो या ऐसे व्यक्ति जो मांसपेशियों की कमजोरी से ग्रस्त हों। अत: एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई बाजू काम न करता हो - उसे एक ऐसे व्यक्ति की तुलना में जिसके दोनों पैर खराब हों, आई.ए.एस. के लिए भला अधिक पात्र कैसे माना जा रहा है, यह समझ के बाहर

की बात है। साथ ही यह भी कल्पना से परे है कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके पैर नहीं हैं पर दोनों बाजू ठीक हैं - यह समूह 'क' की लेखा सेवा के लिए कम पात्र है बजाय इससे कहीं निचली सेवा के...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह नि:शक्त व्यक्तियों से जुड़ी बात है। देखिये, किस तरह उनके साथ अन्याय हो रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हुई। कृपया बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री एल. राजगोपाल: मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि किसी सेवा-संवर्ग के लिए प्रत्याशी की नि:शक्तता का स्तर निर्धारित करने से जुड़े कार्यक्षमता-वर्गीकरण के मानक तत्काल निर्धारित किए जाएं।

अध्यक्ष महोदय: मुझे आशा है कि इस विषय पर सरकार पूरी गंभीरता से विचार करेगी। यह नि:शक्तजन से जुड़ा मामला है।

श्रीमती सी.एस. सुजाता (मवेलीकारा): महोदय, काजू उद्योग न सिर्फ देश के विदेशी मुद्रार्जन में योगदान करता है बल्कि आंतरिक व्यापार से राजस्व भी प्रदान करता है।

इस क्षेत्र में लगभग तीन लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है जिसमें से अधिकतर आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों की महिलाएं हैं। काजू के कुल उद्योग का पचहत्तर प्रतिशत केरल राज्य में है।

चूंकि काजू उद्योग गरीब वर्गों को रोजगार प्रदान करने और राष्ट्र के राजस्व में वृद्धि करने वाला एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है अत: इस उद्योग के वर्तमान स्वरूप का आधुनिकीकरण करने की अत्यधिक आवश्यकता है ताकि इसकी बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके।

इस उद्योग का तीन-चौथाई हिस्सा तो केरल में ही है। अत: इस क्षेत्र के लिए व्यापक विकास-योजनाएं बनाने और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए राज्य में काजू बोर्ड बनाए जाने की आवश्यकता है। अत: केंद्र सरकार की ओर से राज्य सरकार को 200 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाए।

मैं इस मामले में सरकार से अविलम्ब और सकारात्मक निर्णय लेने का आग्रह करती हूं। धन्यवाद।

श्रीमती जयाप्रदा (रामपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं एक गंभीर मामले पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं और चाहूंगी कि सरकार भी इस ओर ध्यान दे। यह एक गंभीर मामला है जो विदेश में काम की तलाश में गए श्रमिकों की समस्याओं से जुड़ा है। हजारों श्रमिक अपने परिवार-पालन, आजीविका और जीवन स्तर-सुधार की आशा किए विदेश जाते हैं, लेकिन विदेश में परिदृश्य और परिस्थितियां बिल्कुल भिन्न होती हैं। विदेश जाने वाले अधिकांश मजदूर अत्यंत गरीब वर्ग के होते हैं। खासकर, हजारों लोग अच्छे काम की तलाश में खाड़ी-देशों का रुख करते हैं इस उम्मीद के साथ, कि वे भारत में रह रहे अपने परिवार के लिए पैसा भेज सकें। इसके लिए वे अपना परिवार, बच्चे और सब कुछ यहां छोड़ जाते हैं और वहां जाकर काम करते हैं। लेकिन वहां पहुंचकर उन्हें अपने नियोक्ता के शोषण का सामना करना पड़ता है जो एजेंट उन्हें बाहर भेजते हैं वे उन्हें अच्छी नौकरी का झांसा देते हैं। ये एजेंट फर्जी कम्पनियों के नाम पर भारत में काम कर रहे हैं। इस कारण अनेक लोगों का शोषण हो रहा है। जब श्रमिक बाहर जाते हैं तो उन्हें वहां रोजगार नहीं मिलता, न ही ऐसी किसी कम्पनी के दर्शन होते हैं। इस कारण वे बड़ी मुश्किल में फंस जाते हैं और कार्य करने की अपनी परिस्थितियों से समझौता करने पर विवश होते हैं। उन्हें मजदूरी भी कम दी जाती है। मुझे नहीं लगता कि सरकार ने विदेश जाने वाले कामगारों की संख्या के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है। अब तक कितनी फर्जी कंपनियों का पता लगा है? कामगार एक बार विदेश चला गया तो फिर उसे शोषण, अधिक कार्यभार और मजबूरियों का सामना करना ही पड़ता है। वहां नियोक्ता काम तो जमकर लेता है पर पैसे कुछ भी नहीं देता। यह बात अखबारों में आई है।

पिछले 8 या 9 महीनों के भीतर वहां 250 भारतीयों की मौत हुई है। लेकिन यह नहीं पता चला कि किन परिस्थितियों में मरे। इसके काफी असामान्य और अप्राकृतिक कारण बताए जा रहे हैं। इन मौतों का कारण आखिर क्या है? मैं सरकार से इस ओर ध्यान देने का अनुरोध करती हूं।

बात सिर्फ इतनी ही नहीं है। बेल्जियम और यूरोपीय देशों के साथ जो सामाजिक सुरक्षा संबंधी पैकेज की बात है उसके बारे में क्या हुआ? मुझे सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहिए। क्या खाड़ी देशों के साथ भी इसी तरह का कोई पैकेज या समझौता होगा? यदि हां, तो कब तक? इसकी समय सीमा क्या है? दूसरी बात यह कि यदि विदेश या खाड़ी देशों में किसी की मृत्यु हो जाती है तो उसका शव लाने में बड़ी कठिनाई होती

[श्रीमती जयाप्रदा]

है। मृतक का परिवार अत्यंत संताप का सामना करता है। शव लाने की प्रक्रिया काफी कठिन है, इसे सरल बनाया जाना चाहिए।

एक और बात का मैं अनुरोध करूंगी। भारतीय दूतावास को कार्य निर्वाहक अथवा अभिभावक की भांति काम करना चाहिए। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय उच्चायुक्त को एक अभिभावक की भूमिका में रहना चाहिए और नियम सरल बनाए जाने चाहिए। सरकार को चाहिए कि भारत से विदेश जाकर श्रम करने वाले लोगों को सुरक्षा मुहैया कराए।

महोदय, इस बारे में मैं सरकार से आश्वासन और उसकी प्रतिक्रिया चाहूंगी। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय: यह तात्कालिक मामला नहीं है। श्री पी. करुणाकरन स्वयं को इससे संबद्ध कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री के. फ्रांसिस जॉर्ज (इदुक्की): महोदय, इससे मेरा नाम भी संबद्ध कर लिया जाए...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को इससे संबद्ध करना चाहते हैं? ठीक है।

डा. अरुण कुमार शर्मा।

...(व्यवधान)

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, आपके माध्यम से मैं यहां उपस्थित माननीय संचार मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

श्री पी. करुणाकरन (कासरगौड): अध्यक्ष महोदय, मैं स्वयं को इस मामले से संबद्ध करता हूं। मेरी जानकारी में जो प्रमुख मुद्दा है, वह है - खाड़ी देशों से आने वाले यात्रियों की समस्याएं। एयर इंडिया और इंडियन एयर लाईंस के किराए में हाल में हुई वृद्धि से उन्हें काफी समस्या हो गई है। इनमें कमी की जानी चाहिए।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस मामले से स्वयं को संबद्ध करना चाहता हूं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, मैं भी स्वयं को इससे संबद्ध करना चाहूंगा।

डा. अरुण कुमार शर्मा: अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय संचार मंत्री, जो यहां उपस्थित हैं, का ध्यान एक गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहूंगा जो असम में मोबाइल फोनों में अवांछित संपर्क जुड़ जाने से संबंधित है।

महोदय, हमने लैण्डलाइन फोन में अवांछित संपर्क जुड़ने, अर्थात् क्रॉस-कनेक्शन के बारे में तो सुना है लेकिन यह नहीं सुना कि दुनिया के किसी हिस्से में मोबाइल फोन-नेटवर्क में भी ऐसा होता है। लेकिन असम में यह हो रहा है। वह क्षेत्र आतंकवाद-प्रभावित है अतः सरकार को इस समस्या को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए था। माननीय संचार मंत्री जी के निर्देश पर वी.एस.एन.एल. के उच्चाधिकारी असम गए थे और दो वर्ष पूर्व गुवाहाटी में उन्होंने संसद-सदस्यों के साथ इस विषय पर चर्चा भी की थी लेकिन अभी तक यह समस्या सुलझी नहीं है। असम के लखीमपुर और धेमाजी जैसे जिलों में तो वी.एस.एन.एल. के मोबाइल पर सिगनल दो-तीन दिन तक रहते ही नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय: हममें से कोई भी संक्षेप में बात करना नहीं चाहता।

डा. अरुण कुमार शर्मा: अतः, मैं माननीय संचार मंत्री जी अनुरोध करता हूं कि वे असम और पूर्वोत्तर क्षेत्र के अन्य भागों में व्याप्त इस समस्या के निवारण हेतु एक विशेष समीक्षा बैठक बुलाएं जिससे कि इस समस्या को हल किया जा सके।

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यो, सभी नेताओं ने यह निर्णय लिया है कि हम अभी केवल पांच मामले पर ही विचार-विमर्श करेंगे। मैं पहले ही कम से कम 15 मामले ले चुका हूं। आप चाहते हैं कि प्रत्येक मामले पर चर्चा की जाए। सभी ने महत्वपूर्ण मामले उठाने के लिए नोटिस दिए हैं। अतः उन्हें आज अंत में उठाया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, देश में जो असाध्य रोगों के मरीज हैं, वे अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली आते हैं। एम्स में निश्चित रूप से असाध्य रोगों का इलाज होता है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपने पिछले सत्र में भी यह मामला उठाया था और मैंने इस पर एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की अनुमति भी दी थी। *[हिन्दी]* आप पटना में एम्स चाहते हैं, यह बात एक लाइन में बोल दीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं एक लाइन में बोल दूंगा, लेकिन आप

सरकार से कहलवा दीजिए कि वह कल पैसा दे रही है, नहीं तो भूमिका तो बनानी पड़ेगी।

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा संक्षेप में बोलिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह: मैं कह रहा था कि असाध्य रोगों के इलाज के लिए लोग दिल्ली आते हैं। इसका कारण यह है कि एम्स में असाध्य रोगों का इलाज होता है। देश की आबादी बढ़ी है, इसलिए रोगियों की संख्या भी बढ़ रही है। खासकर कैमिकल्स के उत्पादन के चलते नई-नई बीमारियों का भी उत्पादन हो रहा है। इसी क्रम में दिल्ली में डेंगू फैला। दिल्ली के एम्स में मरीजों के सोने के लिए जगह तक नहीं थी, लोग बाहर तक सोये और डेंगू के कारण काफी संख्या में लोग मरे भी हैं। जब एन.डी.ए. की सरकार थी तो उस सरकार ने देश में मरीजों की संख्या को देखते हुए राज्यों में एम्स की तरह के छः अस्पताल खोलने का निर्णय लिया था। बिहार की राजधानी पटना में भी एक ऐसा ही अस्पताल खोलने का निर्णय हुआ था। बिहार की सरकार आज की तारीख में केन्द्र सरकार को भरपूर सहयोग करने के लिए तैयार है। उसने जमीन भी उपलब्ध करा दी है। केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री वहां गये थे, उन्होंने कहा कि बहुत जल्दी हम इस काम को शुरू करेंगे। इसका दो-दो बार शिलान्यास हो गया है। जब एन.डी.ए. की सरकार थी, पहली बार तब शिलान्यास हुआ और जब डा. मनमोहन सिंह प्रधान मंत्री बने, दोबारा शिलान्यास तब हुआ। दासमुंशी जी यहां बैठे हैं, हम आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहते हैं कि शिलान्यास का यह क्रम कब रुकेगा और उद्घाटन का समय कब आयेगा। आप कब पैसा देकर इस अस्पताल को तैयार करायेंगे, ताकि बिहार जैसा गरीब प्रांत, जो आज अपनी साख बना रहा है। बिहार का मुख्य मंत्री, नम्बर वन मुख्य मंत्री के नाम से इस देश में जाना जाता है। आप कब तक धन देकर बिहार में एम्स जैसे अस्पताल का निर्माण करायेंगे।

अध्यक्ष जी, आप खाली हमारी बात मत सुनिये, थोड़ा उधर भी कहिये कि वह हां या न में सिर हिला दें,...*(व्यवधान)* तो हम समझेंगे कि कुछ हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय: हम करते हैं और हमने किया भी है। *[अनुवाद]* मेडिकल के छात्रों को अकारण ही परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैंने निःशक्त लोगों के बारे में ऐसे ही एक अन्य मामले को लिया है। *[हिन्दी]* जहां सोचते हैं, यह करना चाहिए, हम करते हैं, हम सुना नहीं सकते।

श्री प्रभुनाथ सिंह: हमारा कहना है कि सरकार इस पर कुछ सोचती है या नहीं।

अध्यक्ष महोदय: आपने बहुत अच्छा और अहम् मुद्दा उठाया है। हमने सर्टिफिकेट दे दिया।

अपराह्न 1.00 बजे

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से बड़े महत्वपूर्ण मसले पर बोलना चाहता हूं। यह मसला डिफेंस मंत्रालय से संबंधित है। हमारे यहां एक ट्रेनिंग फायरिंग रेंज खोला गया है जहां आर्मी ट्रेनिंग करती है और इसे 30-40 वर्ष हो गये हैं तथा वह एरिया रत्नपुर-सरारा-हीरानगर, कठवा जिले में पड़ता है। वहां मुश्किल यह हो रही है कि वहां लोगों के मकानों में फायरिंग रेंज की साउंड से दरारें आ गई हैं और जितना भी ऐसा पहाड़ी एरिया है, वहां मकान साउंड से गिर रहे हैं, जानवरों को चरने के लिए बाहर खोलने की इजाजत नहीं है। कोई भी जानवर बाहर जंगल में नहीं जा सकता। मेरे कहने का मकसद यह है कि न तो जानवरों के चरने का कोई इंतजाम किया गया है, उनके लिए न चारा दिया जाता है और न ही कोई कम्पनसेशन मिला है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा धीरे बोलिए।

चौधरी लाल सिंह: मेरे कहने का मकसद यह है कि यह फायरिंग रेंज वहां से शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि मेरे क्षेत्र में लोग बहरे हो गये हैं और वहां डेली फायरिंग होती है।...*(व्यवधान)* यह एक सुझाव है। इंसानों, जानवरों और प्राकृतिक पर्यावास की सुरक्षा हेतु इसे स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

श्री गणेश सिंह (सतना): अध्यक्ष महोदय, हमारा भी नोटिस है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको मौका नहीं देंगे। आपने ट्रेन-टाइमिंग के लिए नोटिस दिया है। श्री सुरेश कुरूप।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप श्री सुरेश कुरूप नहीं हैं।

एडवोकेट सुरेश कुरूप (कोट्टायम): महोदय, हाल ही में भारत पेट्रोलियम निगम के प्रबन्धन ने अपने अधिकारियों और श्रमिकों को उत्पादन से जुड़े लाभ देने का निर्णय लिया है। लेकिन अधिकारियों को बहुत अधिक और श्रमिकों को बहुत कम राशि दी गई है।

इस प्रकार के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में इस संबंध में कोई मानदण्ड लागू नहीं है और कोई मानदण्ड नहीं अपनाया गया है। जब श्रमिकों ने इसका विरोध किया और वे इसके विरुद्ध

[एडवोकेट सुरेश कुरूप]

दो दिन की हड़ताल पर चले गए तो उनका आठ दिन का वेतन काट लिया गया। ऐसा पहले कभी नहीं किया गया है। अब श्रमिकों ने पुनः हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया है।

मैं सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप करे और इस समस्या का हल निकाले तथा इस मामले में कोई मानदण्ड अपनाया जाना चाहिए। इस सभा को यह जानकारी होनी चाहिए कि उत्पादन से जुड़ी यह प्रोत्साहन राशि देने हेतु क्या मानदण्ड अपनाए गए हैं।

श्री पी.सी. थामस (मुवत्तुपुजा): महोदय, जैव कृषि के महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहन दिया जा रहा है, लेकिन ऐसा कोई राष्ट्रीय संस्थान या राष्ट्रीय केन्द्र नहीं है जो किसानों की सहायता के लिए उन्हें कोई आदान तथा तकनीकी सहायता प्रदान कर सके। इस क्षेत्र में कुछ मानक भी स्थापित किए जाने चाहिएं। यदि इस क्षेत्र में कोई राष्ट्रीय केन्द्र या संस्थान हो जाए तो इन सब बातों को निर्धारित किया जा सकता है।

मेरा यह सुझाव है कि केरल में, जहां जैव कृषि पर बहुत जोर दिया गया है, एक राष्ट्रीय केन्द्र स्थापित करने पर विचार किया जा सकता है। केरल सरकार ने भी केन्द्र से अपने यहां इस प्रकार का एक केन्द्र स्थापित किए जाने का अनुरोध किया है। मेरा यह कहना है कि यदि भारत के किसी भी भाग में इस प्रकार का राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया जाना संभव है तो केरल में कोच्चि या किसी अन्य स्थान को प्राथमिकता दी जाए। मेरा माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध है कि वे इस पर विचार करें और इस संबंध में तत्काल कार्यवाही करें।

महोदय, स्वामीनाथन आयोग प्रतिवेदन में भी इस मामले पर जोर दिया गया है। मुझे विश्वास है कि इस पूरे प्रतिवेदन के आने में तो बहुत समय लगेगा परन्तु इस प्रकार के महत्वपूर्ण पहलू को विशेष महत्व दिया जा सकता है। मैं समझता हूं कि इससे निराश किसानों की सहायता भी की जा सकती है क्योंकि उन्हें अपने उत्पादों का बेहतर मूल्य मिलेगा तथा इससे उपभोक्ताओं को भी जैव कृषि और उत्पादों का लाभ मिलेगा।

अध्यक्ष महोदय: श्री मधुसूदन मिस्त्री। आप मुझे संतुष्ट करें कि यह केन्द्र का विषय है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, मैं सभा और केन्द्र सरकार का ध्यान हाल ही में एक फॉरेन्सिक साइंस इन्डिपेंडेंट लेबोरेट्री द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत रिपोर्ट की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। यह पंडरवारा गांव में मिले मानव अवशेष और नरकंकालों से संबंधित है। ये अवशेष और नरकंकाल उन लोगों के हैं जिन्हें 2002 के दंगों में मार दिया गया था। इन नरकंकालों में से 20 उन लोगों के हैं जो गुजरात सरकार द्वारा बनाई गई गुमशुदा लोगों की सूची में सम्मिलित हैं। 228 निर्दोष लोग गायब हैं।

मैं यह मांग करता हूं कि इस प्रयोगशाला की रिपोर्ट को, जो जांच एजेंसी के अनुरोध पर गुजरात उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है, सार्वजनिक किया जाना चाहिए...*

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा। मैं इसे निकाल रहा हूं। मैंने स्वयं इसे निकाल दिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया ऐसा न करें। यह सही नहीं है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं आप पर जोर नहीं दे रहा हूं। लेकिन इसी के साथ ही यह रिपोर्ट बहुत उपयोगी है। इससे गुमशुदा लोगों की जानकारी मिलेगी; ऐसे 228 लोग गुमशुदा हैं...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उसका उल्लेख न करें। आप इस मुद्दे पर तनाव क्यों पैदा कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: यह सूची सरकार को दी गई है। मैं भारत सरकार और गृह मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि वह, इन 228 गुमशुदा लोग का पता लगाने के लिए राज्य सरकार पर दबाव डाले। उनके रिश्तेदार उन सब का कहीं बेहतर और सम्मानजनक तरीके से इन लोगों का अंतिम संस्कार कर सकते हैं। जिन लोगों ने, ये मानव कंकाल निकाले हैं उन सभी के विरुद्ध दर्ज सभी मामलों को वापस लिया जाना चाहिए...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: महोदय, मुझे एक बात कहनी है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप स्वयं को इससे संबद्ध कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरा मुद्दा इससे भिन्न है...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैंने अभी केन्द्र सरकार से कहा है कि यदि वह इससे उत्पन्न स्थिति पर यदि एक वस्तुपरक वक्तव्य दे तो मुझे अति प्रसन्नता होगी। मेरी यही मांग है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री बसुदेव आचार्य स्वयं को इससे संबद्ध कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: हमारा यह कहना है कि गुजरात राज्य में लोगों के साथ न्याय नहीं होगा...*(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं इसे गृह मंत्री जी के ध्यान में लाऊंगा...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने उत्तर दे दिया है। नहीं, मुझे खेद है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री अनंत गीते, कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: यह गुजरात से संबंधित एक बहुत महत्वपूर्ण मामला है।

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए, मैंने इसकी अनुमति दी है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बसुदेव बाबू, कृपया सहयोग दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं यह बताना चाहता हूं कि मेरा मुद्दा अलग है। मैंने एक नोटिस भी दिया है। जब हमने गुजरात का दौरा किया था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: राज्य सरकार के बारे में किसी बात का उल्लेख न करें।

...*(व्यवधान)*

श्री बसुदेव आचार्य: मैं राज्य सरकार के बारे में उल्लेख नहीं करूंगा। गुजरात राज्य में कई बार लोगों को न्याय नहीं मिलता है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अन्य मामलों को आज अन्त में लिया जाएगा। आपका मामला भी लिया जाएगा।

सभा अपराह्न 2.00 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.07 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए अपराह्न 2.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.03 बजे

लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.03 बजे पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

नियम 377 के अधीन मामले

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम नियम 377 के अधीन मामले के अंतर्गत मद संख्या 13 पर चर्चा करेंगे। मैं सोचता हूं कि आज के लिए सूचीबद्ध 'नियम 377 के अधीन मामले' को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

[हिन्दी]

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आज पढ़ने दें।

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री चन्द्रशेखर दूबे।

(एक) सेवानिवृत्त थलसैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए चलायी जा रही विभिन्न कल्याण योजनाओं में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर हो रही धांधली की जांच केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा कराए जाने की आवश्यकता

श्री चन्द्र शेखर दूबे (धनबाद): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं के लिए गठित महानिदेशालय - पुनर्वास विभाग की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं, जिसने भूतपूर्व सैनिकों और उनकी विधवाओं के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई हैं, परंतु उसका सही लाभ उनको नहीं मिल पा रहा है। इसका एक उदाहरण टेलीविजन चैनल आई.बी.एन.-7 से प्रसारित समाचार है जिसमें

[श्री चन्द्र शेखर दूबे]

एस.ई.सी.एल. कोल कंपनी में अरबों रुपये के बड़े घोटाले ने सरकार के सामने खुली चुनौती रख दी है। इस खुलासे से यह स्पष्ट होता है कि इन भूतपूर्व सैनिकों, इनकी विधवाओं के नाम पर व्यापक पैमाने पर माफियाओं ने एकाधिकार स्थापित कर रखा है। भूतपूर्व सैनिकों एवं उनकी विधवाओं को चंद लाभ देकर अरबों रुपये के घोटाले किये हैं। ऐसा ज्ञात हुआ है कि आइरल कोल कंपनी अपने यहां कार्यरत मजदूरों को उचित मजदूरी न देकर उनका शोषण कर रही है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में सी.बी.आई. से जांच कराई जाए और दोषी अधिकारियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: केवल अनुमोदित पाठ ही कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त और कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं हो रहा है। यह कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

(दो) दमन और दीव में हाई टाइड लाइन के सीमांकन को लागू किए जाने की आवश्यकता

श्री दाह्याभाई वल्लभभाई पटेल (दमन और दीव): संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव के प्रशासन ने वर्ष 1997 में उच्च ज्वार रेखा (हाई टाइड लाइन) के निर्धारण तथा संघ राज्य क्षेत्र दमन और दीव में तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना की तैयारी के लिए 30 लाख रुपये आवंटित किये थे। मानचित्र 1998 में तैयार किया गया। लेकिन एच.टी.एल. का निर्धारण संघ राज्य क्षेत्र में अभी तक नहीं किया गया है और आज की तारीख में भी मानचित्र पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इस अनिश्चित स्थिति के परिणामस्वरूप दमन और दीव के लोग बहुत कठिनाइयों का सामना करते रहे है।

सरकार से अनुरोध है कि वह संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन को एच.टी.एल. के निर्धारण को कार्यरूप देने के लिए अविलम्ब निर्देश जारी करे।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहूंगा कि टेबल ऑफिस को आपने जो वक्तव्य दिया है, केवल उसी को पढ़ें और कुछ नहीं।

श्री एल. राजगोपाल - उपस्थित नहीं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(तीन) कर्नाटक में निजी चीनी यूनिटों को विशेष आर्थिक जोन की अनुमति दिए जाने संबंधी आदेश को निरस्त किए जाने की आवश्यकता

श्री बालासाहिब विखे पाटील (कोपरगांव): कर्नाटक में रेणुका चीनी समूह नामक निजी चीनी यूनिट को सेज (एस.ई.जेड) तथा इथेनॉल विद्युत उत्पादों की अनुमति देने संबंधी सरकार के निर्णय से चीनी उद्योग में भय पैदा कर दिया है। चीनी इस देश में हमेशा एक राजनीतिक मुद्दा रहा है। कई एकड़ कृषि भूमि का इसके लिए अधिग्रहण होगा जिससे हजारों किसान भूमिहीन हो जायेंगे।

केवल एक कम्पनी को जिसको चीनी निर्यात की छूट है तथा जिसके पास शुल्क मुक्त मशीनरी और सामग्रियों का आयात करने की छूट है, केवल उसे सेज की संरचना से लाभ होगा जो कि एक गंभीर चिंता का विषय है। चीनी की कमी है और हम इसका आयात कर रहे हैं। इसके विपरीत यदि सेज बिना कोई शुल्क और कर दिये चीनी का उत्पादन करता है तो यह घातक होगा और स्पष्ट तौर पर इससे सरकार द्वारा बनाया गया मूल्य-तंत्र समाप्त हो जाएगा। उन्हें पूरी छूट होगी जिसमें घरेलू चीनी जारी करने संबंधी तंत्र से छूट भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त उन्हें पूरी तरह से कर में छूट दी जाएगी। इसका परिणाम विस्मयकारी और विपत्तिपूर्ण है क्योंकि वे इस निम्न लागत के लाभ जो चीनी पर लेवी न लगाने कारण उन्हें मिल रहा है, उठायेंगे जिससे पूरे चीनी उद्योग के लिए चिंता पैदा होगी।

इसके अतिरिक्त उन्हें श्रम कानून से भी छूट मिलने की संभावना है। इससे श्रमिकों में असंतोष पैदा होगा। किसी को इस पर आश्चर्य नहीं होगा यदि स्थित बद से बदतर हो जाती है। चीनी एक आवश्यक सामग्री है। सरकार को काफी सावधान रहना चाहिए। मैं आपके माध्यम से माननीय वाणिज्य मंत्री से इस निर्णय को वापस लेने का अनुरोध करते हैं। रिपोर्ट के अनुसार यह निर्णय वाणिज्य मंत्रालय द्वारा आर्थिक पक्ष और सार्वजनिक जन वितरण प्रणाली को ध्यान में रखते हुए लिया जाता है। नीति की घोषणा सार्वजनिक रूप से की जानी चाहिए और जनता की प्रतिक्रिया के बारे में भी जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए या विकल्प के रूप में सभी चीनी इकाईयों को सेज में परिवर्तित कर देना चाहिए।

[हिन्दी]

(चार) पंजाब में रोजगार सृजन करने के उद्देश्य से वहां उद्योगों की स्थापना के लिए वित्तीय पैकेज दिए जाने की आवश्यकता

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर): उपाध्यक्ष महोदय,

पंजाब एक बार्डर राज्य है, जिसने कई वर्षों तक आतंकवाद का सामना भी किया है। यह देश के अन्न भंडार में सबसे ज्यादा हिस्सा डाल रहा है, लेकिन आज न तो खेतीबाड़ी लाभप्रद है और न ही खेतों में ज्यादा लोगों को रोजगार देने की क्षमता है। रोजगार न होने के कारण पंजाब की नौजवान पीढ़ी नशे जैसी प्रवृत्ति में जा रही है।

मेरा अनुरोध है कि पंजाब में कोई उद्योग लगाने का आर्थिक पैकेज दिया जाए और जो उद्योग छोटे या बड़े पंजाब में काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी मदद देकर कायम रखने की जरूरत है ताकि पंजाब को बचाया जा सके।

[अनुवाद]

(पांच) मध्य प्रदेश में ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-3 का उचित रख-रखाव किए जाने की आवश्यकता

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़): राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या तीन का गुना और देवास के बीच का भाग जिसका अधिकांश भाग मेरे चुनाव क्षेत्र, मध्य प्रदेश के राजगढ़ से होकर गुजरता है, भारी वर्षा के कारण बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों विशेष कर मरीजों को जिन्हें ग्रामीण क्षेत्रों से बड़े अस्पतालों जिसमें से अधिकांश इंदौर और भोपाल में अवस्थित है, मेले जाने में काफी कठिनाइयों का सामना कर रहे है। मैंने इस संबंध में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री को कई बार पत्र लिखा लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।

इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले की जांच करे और मध्य प्रदेश के ग्वालियर और देवास के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग सं.-3 की मरम्मत करने के लिए आवश्यक निर्देश दे।

[हिन्दी]

(छह) स्वर्गीय वीर सावरकर को भारत रत्न पुरस्कार दिए जाने की आवश्यकता

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष महोदय, स्वातंत्र्यवीर सावरकर भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में एक ऐसा नाम है जिन्होंने अपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व से स्वतंत्रता आंदोलन को एक नई दिशा देकर अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। वे पहले ऐसे भारतीय छात्र थे जिन्हें ब्रिटिश हुकूमत ने छात्रावास से केवल इसलिए निकाल दिया था कि उन्होंने अंग्रेजों के दमन के खिलाफ आवाज बुलन्द की थी। वे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने आजादी का अलख जगाने के लिए 1906 में विदेशी वस्त्रों की होली जलाई थी। वे पहले भारतीय नेता थे जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की पचासवीं जयंती सार्वजनिक रूप से मनाई थी। वे भारत के पहले लाल थे, जिन्होंने ब्रिटिश हुकूमत की मांद लन्दन में जाकर अंग्रेजों का विरोध किया था। वे एकमात्र ऐसे नायक थे, जिन्हें अंग्रेजों ने दो जन्मों, यानी 50 वर्ष के कठोर कारावास की सजा दी थी। वे कवि थे, लेखक थे, दार्शनिक थे और क्रांतिकारी भी।

इतिहास के पन्ने गवाह हैं कि वीर सावरकर ने जितनी भीषण और दानवी यातनाएं सहीं, उनका शतांश भी सम्भवत: किसी को नहीं सहना पड़ा। राजगोपालाचारी ने ठीक ही कहा था कि "सावरकर एक राष्ट्रीय नायक थे, साहस के प्रतीक थे, बहादुर और देशभक्त थे तथा स्वतंत्रता संग्राम की लम्बी लड़ाई के अधिरथी थे।"

महोदय, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे महान् देशभक्त, महान् क्रांतिकारी को भारत-रत्न से सम्मानित किया जाए।

[अनुवाद]

(सात) कर्मचारी पेंशन योजना, 1995 की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, कर्मचारी पेंशन योजना (ई.पी.एफ., पेंशन योजना) 16 नवम्बर 1995 को शुरू की गयी थी। 58 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होने वाले कामगारों के लिए यह पेंशन योजना वरदान मानी गयी। परन्तु हाल ही में पेंशनभोगियों को प्राप्त होने वाले लाभों को बढ़ाने के बजाय पी.एफ. प्राधिकारियों ने इन लाभों में कटौती कर दी है। पी.एफ. पेंशन योजना के अंतर्गत 1.5 करोड़ से अधिक कामगार पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। चूंकि ई.पी.एफ., 1995 में महंगाई भत्ते (डी.ए.) का प्रावधान नहीं है, मुद्रास्फीति के प्रभाव को निष्प्रभावी करने के लिए पेंशनभोगियों को प्रतिवर्ष राहत प्रदान की जाती है। नवम्बर 1995 से मार्च 2000 तक पेंशनभोगियों को 17.5 प्रतिशत राहत प्रदान की गयी थी। परन्तु पिछले छह वर्षों से कोई राहत प्रदान नहीं की गयी है। वर्ष 1995 में, पेंशनभोगियों को न्यूनतम 500 रुपये की पेंशन दी गयी थी परन्तु अब बिना किसी कारण के न्यूनतम पेंशन घटाकर 265 रुपये कर दी गयी है। ई.पी.एफ.ओ. में पर्याप्त धनराशि उपलब्ध होने के बावजूद पेंशनभोगियों की वास्तविक मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है।

अत:, मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि न्यूनतम पेंशन 2,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ायी जाए, उपभोक्ता मूल्य

[डा. के.एस. मनोज]

सूचकांक आधारित महंगाई भत्ते का भुगतान किया जाए, अस्थायी राहत जारी की जाए तथा कर्मचारी पेंशन कोष निधि की धनराशि का निवेश किया जाए तथा उस पर ब्याज की राशि बढ़ायी जाए जिससे कि ई.पी.एफ. पेंशन योजना को सरल एवं कारगर बनाया जा सके।

(आठ) सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कर्मचारियों के कार्यकरण और उनके रहन-सहन की स्थिति को निर्धारित करने हेतु व्यापक कानून बनाए जाने की आवश्यकता

श्री सांताश्री चटर्जी (सेरमपुर): महोदय, भारत में सूचना और प्रौद्योगिकी (आई.टी.) क्षेत्र का विकास एक स्वागतयोग्य कदम है क्योंकि हमारे बेरोजगार युवा वर्ग को इससे रोजगार के अवसर मिलते है। इससे कुछ अनुषंगी रोजगार के अवसरों की वृद्धि में भी सहायता मिली है। परन्तु आई.टी. क्षेत्र में कर्मचारी यूनियन के गठन पर देश में मिश्रित प्रक्रिया हुई है। भारतीय संविधान में यूनियनों/परिसंघों/राजनीतिक दलों के गठन की गारंटी प्रदान की गयी है, आई.टी. क्षेत्र में कर्मचारी यूनियन के गठन की मनाही देश के कानून का सरासर उल्लंघन है। हाल ही में राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा किये गए सर्वेक्षण से आई.टी. उद्योग क्षेत्र की दयनीय अवस्था पता चलता है जहां पर न तो रोजगार की कोई सुरक्षा है न ही प्राथमिक अधिकारों की सुरक्षा है।

मेरा माननीय श्रम मंत्री से आग्रह है कि आई.टी. क्षेत्र के कर्मचारियों के कार्यकरण और कार्य की परिस्थितियों के संबंध में एक व्यापक विधेयक तैयार किया जाए।

(नौ) उत्तर प्रदेश में पनचन्दा बांध के निर्माण की अनुमति दिए जाने तथा निर्माण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य (इटावा): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए आग्रह करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान की सीमा पर मेरे संसदीय क्षेत्र इटावा में प्रस्तावित पंचनदा बांध बनाने की परम आवश्यकता है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: आप संसदीय सूचना कार्यालय में दिए गये वक्तव्य के अलावा कुछ नहीं पढ़ सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री रघुराज सिंह शाक्य: इटावा में चम्बल, यमुना जैसी पांच नदियों का संगम है। इस बांध के निर्माण होने से तीनों प्रदेशों की लाखों जनता को लाभ मिलेगा। विद्युत उत्पादन भी इस बांध के निर्माण होने से होगा। कृषकों की पुरानी समस्या सिंचाई के लिए पानी है, जिसका इसके निर्माण से समाधान हो जायेगा।

अत: आपके माध्यम से माननीय जल संसाधन मंत्री जी से आग्रह है कि पंचनदा बांध, जो प्रस्तावित है, शीघ्र स्वीकृति देकर बांध का निर्माण कार्य शुरू करवाने की कृपा करें, जिससे कि तीनों प्रदेशों के लाखों लोगों की समस्या का समाधान हो सके।

उपाध्यक्ष महोदय: आपने नोटिस आफिस में जो स्टेटमेंट दिया है, आपको वही वक्तव्य यहां पढ़ना चाहिए। बाकी जो आप बोल रहे हैं, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

(दस) संविधान के अनुच्छेद 348 के उपबंध के अनुसार उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में हिन्दी और क्षेत्रीय भाषाओं के प्रयोग के लिए उपबंध किए जाने की आवश्यकता

श्री हरिकेवल प्रसाद (सलेमपुर): उपाध्यक्ष महोदय, देश में भारतीय संविधान लागू किए हुए 56 साल हो गये हैं, परन्तु भारतीय संविधान निर्माताओं ने जो सपने संजोये थे, वे अभी तक पूरे नहीं हुए हैं। भारतीय संविधान निर्माताओं ने संविधान में यह व्यवस्था की थी कि 14 साल के अन्दर हमें धीरे-धीरे अंग्रेजी भाषा के स्थान पर हिन्दी भाषा को काम-काज की भाषा बनाना होगा, परन्तु आज अंग्रेजी कम होने के बजाय और ज्यादा हो गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा (एक) में कहा गया है कि जब तक संसद विधि द्वारा अंग्रेजी के स्थान पर अन्य प्रादेशिक भाषा का उपबन्ध न करे, तब तक अंग्रेजी उच्च न्यायालय में लागू रहेगी और सरकार ने अब तक इस अनुच्छेद का पालन नहीं किया है।

बड़े अफसोस की बात है कि कई राज्य ऐसे हैं, जहां पर उच्च न्यायालय में प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा नहीं बनाया गया है। अंग्रेजी में न्यायालय में जो काम किया जाता है, उसे साधारण जनता समझ नहीं पाती है। जहां पर जिस भाषा के 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग हैं, उस राज्य के उच्च न्यायालय में उसी प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा बनाया जाये।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि भारत के संविधान का सम्मान करते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 की धारा एक के अनुसार उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में हिन्दी

एवं प्रादेशिक भाषा को काम-काज की भाषा बनाने का प्रावधान तत्काल बनाये।

(ग्यारह) बिहार में समस्तीपुर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत विद्युतीकरण कार्य आरंभ किए जाने की आवश्यकता

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर): उपाध्यक्ष महोदय, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना यू.पी.ए. सरकार की एक महत्वपूर्ण, महत्वाकांक्षी एवं विकासोन्मुख योजना है, जिसके तहत समयबद्ध तरीके से पहले हर पंचायत, फिर हर गांव और अंततः हर घर तक विद्युत पहुंचाए जाने की योजना है।

परन्तु स्थिति बहुत खेदजनक है कि बिहार के समस्तीपुर जिले में अभी तक कार्य की शुरुआत भी नहीं हुई है। एजेन्सी के रूप में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड को कार्य कराना था। ऐसी स्थिति में यू.पी.ए. सरकार के ढाई वर्ष बीतने के बाद भी यदि योजना शुरू भी नहीं हुई है तो क्या 2013 में उस क्षेत्र के घर-घर में विद्युत पहुंचाने की योजना का क्या होगा?

अतः सरकार से अनुरोध है कि कार्य शुरू करने और बैकलॉग को त्वरित ढंग से पूरा कराने हेतु शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करे।

[अनुवाद]

(बारह) भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित किए जाने की आवश्यकता

श्री रबिन्दर कुमार राणा (खगड़िया): महोदय, बिहार के उत्तरपूर्वी क्षेत्र में रहने वाले लोगों को मुकदमों के संबंध में पटना उच्च न्यायालय तक आने-जाने में बहुत कठिनाई होती है, समय भी अधिक लगता है तथा खर्च भी अधिक होता है। मुकदमा लड़ने वाले, मुकदमा चलाने वाले और अपने मामलों में बचाव करने वाले लोगों को अविलंबनीय मामले में पटना उच्च न्यायालय पहुंचने में बहुत कठिनाई आती है और ऐसी स्थिति में उन्हें समान अवसर भी नहीं मिल पाता है।

अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि उत्तरीपूर्वी बिहार क्षेत्र में रहने वाले लोगों की कठिनाइयों को दूर करने के लिए भागलपुर में पटना उच्च न्यायालय की खंडपीठ स्थापित करने पर विचार करे।

[अनुवाद]

(तेरह) उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र में उद्योगों के विकास के लिए विशेष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रसन्न आचार्य (सम्बलपुर): महोदय, पिछले कुछ समय में भारत सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और विशेष श्रेणी के राज्यों में उद्योगों के विकास के लिए विशिष्ट प्रोत्साहन पैकेजों की घोषणा की थी, नामतः दिसम्बर 1997 की पूर्वोत्तर हेतु औद्योगिक नीति, 2002 की सिक्किम की औद्योगिक नीति, 2002 की जम्मू और कश्मीर की औद्योगिक नीति, 2003 की उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश की औद्योगिक नीति। उड़ीसा का के.बी.के. क्षेत्र देश के अत्यंत पिछड़े क्षेत्रों में से है जहां अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों की संख्या अधिक है। अतः इस क्षेत्र में औद्योगिक अवसंरचना और उद्योगों के विकास के लिए पूर्वोत्तर की औद्योगिक नीति और अन्य ऐसी नीतियों की तरह ही भारत सरकार द्वारा एक विशिष्ट औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा किये जाने की आवश्यकता है। इस नीति में क्षेत्र के लिए निम्नलिखित विशिष्ट प्रोत्साहन के मुद्दे होने चाहिएं:

1. विकास केन्द्रों और औद्योगिक अवसंरचना विकास केन्द्रों की स्थापना के लिए प्रति केन्द्र क्रमशः 15 करोड़ और 5 करोड़ रुपये तक का शतप्रतिशत अनुदान दिया जाए;

2. विकास केन्द्रों और आई.आई.डी. केन्द्रों की स्थापना के लिए के.बी.के. क्षेत्र को कम से कम दस वर्षों के लिए पूर्णतः कर मुक्त क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए ताकि इन केन्द्रों में सभी औद्योगिक गतिविधियों को वाणिज्यिक उत्पाद शुरू होने से दस वर्षों की अवधि के लिए, आयकर और उत्पाद शुल्क से मुक्त रखा जा सके;

3. संयंत्र और मशीनरी के निवेश के संबंध में 15 प्रतिशत की दर से पूंजी निवेश राजसहायता प्रदान की जानी चाहिए; और

4. ऊपरी आयु सीमा और परियोजना लागत के राजसहायता घटक के संबंध में प्रधानमंत्री रोजगार योजना के मानदंडों में रियायत दी जानी चाहिए।

इस संबंध में उड़ीसा सरकार केन्द्र सरकार से आग्रह करती रही है और माननीय प्रधान मंत्री की पिछली उड़ीसा यात्रा के दौरान उन्हें एक ज्ञापन भी दिया गया था। उड़ीसा के के.बी.के. क्षेत्र के अति पिछड़े हालात के मद्देनजर मैं माननीय प्रधानमंत्री से इस प्रस्ताव पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने का आग्रह करता हूं। इसके साथ ही, मैं यह मांग करता हूं कि

[श्री प्रसन्न आचार्य]

उड़ीसा का बड़गढ़ जिला, जो कि के.बी.के. जिलों के निकट ही है, भी एक अल्प विकसित क्षेत्र है और इसे भी के.बी.के. योजना में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: डा. पी.पी. कोया - उपस्थित नहीं

श्री एम. शिवन्ना - उपस्थित नहीं।

(चौदह) राष्ट्रीय जलमार्ग-II को वाणिज्यिक उपयोग हेतु नौवहनीय बनाने के लिए एक विशिष्ट योजना लाए जाने की आवश्यकता

डा. अरुण कुमार शर्मा (लखीमपुर): महोदय, मैं सरकार का ध्यान वाणिज्यिक प्रयोग के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग-II को नौगम्य बनाये जाने हेतु विशिष्ट योजना बनाने की अत्यंत आवश्यकता की ओर दिलाना चाहता हूं। लगभग 25 वर्ष पूर्व ब्रह्मपुत्र जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग-II बनाये जाने के उपरांत अभी तक इसे नौगम्य बनाने में कोई महत्वपूर्ण सुधार दृष्टिगोचर नहीं होता है। यही नहीं बल्कि पूर्व के नौगम्यता स्तर, अब बहुत अधिक गाद भर जाने, ब्रह्मपुत्र नदी के प्रवाह मार्ग में परिवर्तन के कारण गिरावट आयी है। पोत परिवहन मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आई.डब्ल्यू.ए.आई.) का दावा है कि बहुत सी पंचवर्षीय योजनाओं की अवधि के दौरान इस संबंध में बहुत से कदम उठाये गए हैं परन्तु सादिया और तेजपुर के मध्य इस निर्धारित लक्ष्य का 10 प्रतिशत भी प्राप्त नहीं हो पाया है। आई.डब्ल्यू.ए.आई. के किसी संस्थान या गतिविधि के संबंध में तो क्या कहा जाए, पिछले कुछ वर्षों के दौरान इसके द्वारा इस क्षेत्र में कोई जल सर्वेक्षण भी नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप जलमार्ग निर्धारित करने (बैंडलिंग) चैनल बनाने, पोत विकास के संबंध में कोई कार्यवाही नहीं की गयी है तथा गर्मी के मौसम में जल की गहराई एक मीटर से भी कम रहती है।

अतः मेरा पोत परिवहन मंत्रालय से यह आग्रह है कि इस मामले की समीक्षा की जाए तथा असम सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय जलमार्ग-II के अनिवार्य कार्य का कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए कोई सक्रिय तंत्र बनाये।

(पन्द्रह) कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए सभी सरकारी क्षेत्र की नौकरियों में कोटा निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री अब्दुल रशीद शाहीन (बारामूला): महोदय, कश्मीर में रक्तपात और हिंसा ने पहले से ही घाटा उठा रहे इस राज्य की अर्थव्यवस्था को डांवाडोल कर दिया है। घाटी में लम्बे समय से चली आ रही असुरक्षा की भावना के चलते लगभग सभी प्रकार के रोजगार के अवसर समाप्त हो गये हैं। हस्तशिल्प को प्रोत्साहन देने वाले और ग्रामोद्योग के संरक्षकों के घाटी से चले जाने के कारण इस लघु क्षेत्र में रोजगार के अवसर बिल्कुल समाप्त हो गये हैं। रोजगार के क्षेत्र में दाखिल होने वाले युवाओं को कुछ भी नहीं मिल पा रहा है और वे निराश हैं क्योंकि निकट भविष्य में भी यहां प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की कोई सम्भावना नहीं है। कश्मीर में रोजगार के अवसरों के सृजन में उपरोक्त बाधाओं के मद्देनजर शिल्पविज्ञानियों और अन्य योग्यता प्राप्त बेरोजगार युवाओं के लिए निजी क्षेत्र द्वारा कुछ नहीं किया जा सकता, अतः सरकार द्वारा कश्मीर के आतंकवाद प्रभावित क्षेत्र के युवाओं के लिए, सेना, सशस्त्र बलों, रक्षा और सुरक्षा एजेंसियों, राष्ट्रीयकृत बैंकों, सहित सभी क्षेत्रों में एक कोटा आरक्षित कर दिया जाए और सभी संचार सेवाएं भी आरक्षण के इस दायरे से बाहर नहीं होनी चाहिए। घाटी में शांति बहाल होने तक यदि यह उपाय किया जाता है तो कश्मीर की नयी पीढ़ी राष्ट्र के विकास की मुख्य धारा में शामिल हो पायेगी।

(सोलह) कर्नाटक में हुबली के आधुनिकीकरण हेतु योजना आयोग का अनुमोदन प्राप्त करने तथा वर्ष 2006-2007 के दौरान इस प्रयोजनार्थ बजटीय आवंटन किए जाने की आवश्यकता

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, यह वास्तव में उत्साहवर्धक बात है कि रेलवे बोर्ड ने देश भर में 10 कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया है, हुबली कार्यशाला इसमें से एक है। एस.डब्ल्यू.आर. के अंतर्गत हुबली कार्यशाला पुरानी कार्यशालाओं में से एक है, जो अपनी स्थापना की शताब्दी मना चुकी है। यह कार्यशाला यहां बसे परिवारों के हजारों लोगों, जिन्होंने इसके कार्यकरण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है, के जीवन का एक अभिन्न अंग बन गयी है। रेलवे बोर्ड पहले ही 1.56 करोड़ रुपये की लागत से इसके आधुनिकीकरण के लिए सहमति व्यक्त कर चुका है और संबंधित महाप्रबंधकों से इस संबंध में एकीकृत आधुनिकीकरण के लिए व्यापक आकलन और किये जाने वाले कार्य के ब्यौरे का प्रस्ताव भेजने को कहा है। एस.डब्ल्यू.आर. ने 195 करोड़ रुपये के आकलन और कार्य के ब्यौरे का प्रस्ताव भेजा है और अब योजना आयोग की स्वीकृति के लिए रेलवे बोर्ड द्वारा इस संबंध में सैद्धांतिक रूप से प्रस्ताव भेजा जाना है। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि योजना आयोग से इसकी स्वीकृति लेने के उपरांत वर्ष 2007-08 में इसके लिए बजटीय आबंटन किया जाए।

अपराह्न 2.28 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

देश में असंगठित श्रमिकों की समस्याएं

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब हम मद संख्या 17 पर चर्चा करेंगे - असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए नियम 193 के अधीन चर्चा।

इसके लिए चार घंटे का समय नियत किया गया है। श्री डी.पी. यादव।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, नियम 193 के तहत पहली बार असंगठित क्षेत्रों के मजदूरों, श्रमिकों की समस्याओं के बारे में यहां चर्चा हो रही है। वर्षों से श्रमिक जिन समस्याओं को झेल रहे हैं, उसके बारे में बोलने के लिए अध्यक्ष महोदय ने मुझे अनुमति दी है, इसके लिए मैं अध्यक्ष महोदय और आपका आभार व्यक्त करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि आज सदन में ऐसे सम्वर्ग के विषय में चर्चा हो रही है जो कमेरा वर्ग है, जो देशभर की दौलत पैदा करते हैं लेकिन खुद भूखे रहते हैं, बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। इसीलिए आजादी के 58 वर्ष बीत जाने पर भी असंगठित मजदूरों का कोई सामाजिक सुरक्षा नेटवर्क अभी तक नहीं है। यहां तक कि उनके लिए कोई विधान भी नहीं बना है। कई लेबर कमीशन बने और मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ने भी कुछ लॉज और प्रायरिटी फिक्स की है। नेशनल कमीशन ऑफ लेबर, उसके बाद अर्जुन सेन गुप्ता कमीशन्स रिपोर्ट, ये सारी रिपोर्ट्स धूल खा रही हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों में गिट्टी से, मिट्टी से, खेत-खलिहान से, मरे हुए चमड़े से, मछली से, लोहे से, पेड़ से, जंगल से, पानी से, बीड़ी बनाने वाले तेंदू पत्ते चुनने वाले मजदूर से लेकर दिहाड़ी मजदूर पर काम करने वाले श्रमिक, ठेके पर काम करने वाले मजदूर, फल-सब्जी बेचने वाले मजदूर, रेहड़ी लगाने वाले, निर्माण कार्य में लगे हुए मजदूर, कारपेंटर, प्लम्बर, ऑटोरिक्शा चालक, पेंटिंग करने वाले मजदूर और समाज में गांधी जी के अन्तिम आदमी अर्थात् रिक्शा चलाने वाले तक शामिल हैं। इन रिक्शा चलाने वालों की आबादी पूरे देश में एक करोड़ है। देश के कुल मजदूरों में से केवल 7 प्रतिशत संगठित क्षेत्र में हैं और शेष 93 प्रतिशत मजदूर असंगठित क्षेत्र में हैं। पूरे देश में लगभग 37 करोड़ असंगठित मजदूर हैं जिसमें से 22 करोड़ खेतिहर मजदूर हैं और एक करोड़ रिक्शा चालक हैं। इन रिक्शा चालकों पर क्या-क्या परेशानियां आ रही हैं, उनकी ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि आज असंगठित क्षेत्र के सभी मजदूर परेशानी में हैं, चाहे वे बीड़ी मजदूर हों, दिहाड़ी मजदूर हों, तेंदू पत्ता चुनने वाले मजदूर हों, फल बेचने वाले मजदूर हों। साइकिल रिक्शा चलाने वाले मजदूर और ठेला चलाने वाले मजदूर जो लोगों का सामान ढोते हैं, उनकी संख्या केवल राष्ट्रीय राजधानी में 4 लाख है। यदि पूरे देश का हिसाब लगाया जाए तो यह संख्या एक करोड़ तक पहुंचती है। अगर एक परिवार को पांच व्यक्तियों की एक इकाई माना जाए तो उन पर लगभग पांच करोड़ लोग निर्भर हैं। एक रिक्शा चालक पर बाल-बच्चे, पत्नी, भाई सहित पांच आदमियों का परिवार आश्रित होता है। आज मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अभी तक बुनियादी सुविधाएं नहीं मिल पाई हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर के लिए भविष्य निधि और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई चिकित्सा व्यवस्था, भविष्य निधि, पेंशन या अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसीलिए मैं यह प्रस्ताव लाया हूं और सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं कि इस पर चर्चा हो, कोई नतीजा निकले क्योंकि असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को स्वास्थ्य, शिक्षा, पेयजल आदि सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। मैं इस सवाल पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। यू.पी.ए. सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना, जो एक बहुत अच्छा कार्यक्रम है, के रूप में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए एक पहल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के तहत मजदूरों को 100 दिन के काम की गारन्टी है। 100 दिन जो मजदूर काम नहीं भी करेंगे, अगर बैठे रहेंगे तो बैठकर भी भत्ता देने का प्रावधान इसमें हैं। उस राज्य में निर्धारित न्यूनतम मजदूरी के आधार पर उसे भत्ता दिया जाएगा, जैसे किसी राज्य में 62 रुपये मजदूरी निर्धारित है तो उसे 6200 रुपये एक साल में 100 दिन की गारन्टी के तौर पर राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना के तहत दिए जाएंगे।

यहां पर दस लाख के करीब रिक्शा चालक और ठेले वाले मजदूर रहते हैं, लेकिन अब उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दोनों कानूनों में आप फर्क देख लीजिए। एक कानून के तहत घर बैठे हुए खेतीहर मजदूरों को 100 दिन का भत्ता दिया जाएगा और दूसरी तरफ जो स्वयं रोजगार अर्जन करते हैं, उन पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। इसलिए यह आपस में मेल नहीं खाता है। एक तरफ दिल्ली में चार-पांच लाख रिक्शा चालक हैं, जिन पर अपने परिवारों के भरण-पोषण का जिम्मा है। उन लोगों की इससे रोजी-रोटी चलती है। उन पर प्रतिबंध लगाने की बात हो रही है। यह प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है,

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

मैं एम.सी.डी. के पत्र की एक लाइन उद्धृत करके आपको बताना चाहता हूं।

[अनुवाद]

"एन.डी.एम.सी. की तरह ही एम.सी.डी. क्षेत्र में भी दिल्ली की प्रमुख सड़कों पर साइकिल रिक्शा चलाने पर कड़ाई से प्रतिबन्ध लगाया जाना चाहिए और इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध नगरपालिका उपनियमों के अंतर्गत कड़ी कानूनी कार्यवाही की जाए"

[हिन्दी]

क्या दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आजादी के 58 वर्ष बाद भी जो स्वयं रोजगार सृजन करता है और खुद पैसा कमाने की गारंटी लेता है, उस पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। रिक्शा चालक और ठेले वाले करीब 21 प्रतिशत टैक्स सरकार को देते हैं। उन्हें हर साल अपने रिक्शे और ठेलों का लाइसेंस रिन्यू कराना होता है, जिसकी एवज में वह 500 रुपये से 700 रुपये का टैक्स सरकार को देते हैं। इस तरह से सरकार को राजस्व भी प्राप्त होता है, जबकि वे सरकार से एक पैसा नहीं लेते हैं। यह हालत आज असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की है।

जो लोग गांवों से आते हैं, पूर्वांचल के लोग हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और पंजाब के भी लोग हैं, जो वहां से पलायन करके रोजी-रोटी के लिए दिल्ली आते हैं, क्योंकि उन्हें वहां रोजगार नहीं मिलता है। वे लोग यहां शहर में आकर सड़क बनाने, भवन बनाने, फ्लाईओवर बनाने आदि का काम करके अपना और अपने परिवार का पेट पालते हैं। इन दस लाख लोगों के प्रति मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। बाकी बिंदुओं पर बाद में प्रकाश डालूंगा।

रिक्शा चालन एक स्वरोजगार का काम है। उससे वे अपने परिवार के लिए भोजन, मकान और वस्त्र का इंतजाम करते हैं, जबकि सरकार से कुछ नहीं लेते हैं। इसके अलावा ये लोग रिक्शा और ठेला चलाने के लिए लाइसेंस के रूप में सरकार को टैक्स भी देते हैं। इसके बाद सरकार उनके साथ क्या करती है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। यहां पर लेबर मिनिस्टर साहब मौजूद हैं। एम.सी.डी. का भी उनसे सम्बन्ध है। विदेशों में कई देशों के करीब 20 शहरों का सर्वे हुआ है, जिसके अनुसार इन शहरों में रिक्शा का लाइसेंस देकर यहां रिक्शा का प्रचलन शुरू हुआ है। वहां की सरकारों का मानना है कि इससे पेट्रोल और डीजल की बचत होगी। हमारे देश में भी कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर तेल को बचाएंगे तो देश बचेगा। तेल कैसे बचेगा, जब आप रिक्शा पर प्रतिबंध लगा रहे हैं और मोटरकारों को प्रोत्साहन दे रहे हैं। रिक्शा से न तो पोल्यूशन होता है और न ही धुंआ होता है, जबकि पर्यावरण के नाम पर सरकार पेड़ों को काटने से रोकने का अभियान चला रही है, लेकिन रिक्शा चालन से पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होता और न ही कोई दुर्घटना होती है। बड़े-बड़े वाहनों से प्रदूषण भी होता है और दुर्घटनाएं भी होती हैं, जिसमें कई लोगों की मौत हो जाती है। लेकिन रिक्शा पोल्यूशनलैस है, एक्सीडेंटलैस है और इसके अलावा वह पेट्रोल तथा डीजल को बचाने का काम भी करता है। आज हम यह सवाल क्यों उठा रहे हैं, इसका भी औचित्य है। दिल्ली नगर निगम ने क्या कहा है, मैं वह बताना चाहता हूं। नगर निगम का विभाग रिक्शा चालकों कि किस तरह से प्रताड़ित करते हैं, यह मैं बताना चाहता हूं। दिल्ली नगर निगम के अधिनियम 1960 के तहत कानून का उल्लंघन करने पर रिक्शा चालक को 325 रुपये से 500 रुपये तक का फाइन होता है, अगर वह मेन रोड पर रिक्शा ले जाए।

मान्यवर, गाड़ी हम लोगों की पकड़ी जाए तो 100 रुपये चालान का लगता है लेकिन रिक्शे वाले पर 325 रुपये का चालान, यह क्या हो रहा है? कौनसा कानून है अंग्रेज का, ब्रिटिश सल्तनत चली गयी लेकिन उसका कानून अभी-भी एम.सी.डी. में लागू है।...*(व्यवधान)* श्री झा जी ठीक कह रहे हैं कि लाखों रुपये की गाड़ी वालों पर नियम का उल्लंघन करने पर 100 रुपये जुर्माना किया जाता है और रिक्शे वाले से रिक्शे की कीमत का दस प्रतिशत जुर्माना लिया जाता है। रिक्शे की कीमत 3000 रुपये से 3500 रुपये तक होती है, उनसे जुर्माना लिया जाता है 350 रुपये और प्रतिदिन उसमें 50 रुपया बढ़ जाता है। यदि आज गरीब रिक्शे वाले ने जुर्माना नहीं दिया और वह दूसरे दिन गया तो 50 रुपये जुर्माना बढ़ जाता है। इसी तरह से 15 दिन का नोटिस देकर रिक्शे वाला क्लेम लेने नहीं पहुंचता है तो रिक्शे को काटकर कबाड़े में बेचा जाता है। पच्चीस साल से एम.सी.डी. के अफसर रिक्शे को काटकर कबाड़े में बेचने का काम कर रहे हैं और 35 लाख रुपया बजट में दिखाते हैं कि सालाना रैवेन्यू हुआ। इस देश में क्या हो रहा है?

रोजगार गारंटी स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन यदि हम सभी लोग गंभीर हैं तो आज सदन इस बात पर विचार करे कि इसके लिए विधान बनाया जाए कि आखिर गरीब पर इस तरह से अन्याय क्यों हो रहा है। रिप्रेशन क्या हो रहा है यह मैं आपको बताना चाहता हूं। दिल्ली पुलिस एक्ट 1978 की धारा 66(ए) की आड़ में स्टेशन या मैट्रो-स्टेशन पर खड़ा होने पर रिक्शों के टायर पैंचर कर देती है जो माननीय सदस्य रघुनाथ झा जी बता रहे थे, यह बिल्कुल सही बात है। मैंने जैसे कहा कि तीव्र

गति से चलने वाले वाहनों से ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं लेकिन रिक्शा चलाने से राजस्व के साथ-साथ प्रदूषण नहीं होता है। रिक्शा चलाने से ईंधन की खपत नहीं होने से राष्ट्रीय ऊर्जा की बचत होती है। सरकार तेल बचाओ पखवारा मनाती है लेकिन तेल बचाने वाले वाहन साईकिल-रिक्शा का प्रचालन बंद कर रही है, यह दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके की सड़कों पर साईकिल-रिक्शा चलाने पर प्रतिबंध लगाना, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की रोजी-रोटी छीनने के समान है। स्वरोजगार करने वाले को रोका जा रहा है। अभी तक क्या-क्या रिपोर्ट आई है यह भी देखा जाए। मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डैवलेपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, यह क्या कहती है और व्यवहार में क्या हो रहा है। पेज नम्बर 13 मैं पढ़ रहा हूं।

[अनुवाद]

"सुरक्षा को बढ़ाने और गैर-मोटर वाले वाहनों के उपयोग को बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (एन.यू.आर.एम.) के अंतर्गत केन्द्र सरकार को सभी शहरों में साईकिल पथों और पैदलयात्री पथों के निर्माण का प्राथमिकता दी जानी चाहिए।"

[हिन्दी]

उसको प्रीओरिटी के लिए अर्बन डैवलेपमेंट प्लॉन का क्या मतलब है? पॉलिसी कुछ है और जमीन पर कुछ है...*(व्यवधान)* इतना ही नहीं रिक्शे का फोटो छापकर के दिया है। यह नेशनल अर्बन ट्रांसपोर्ट पॉलिसी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की किताब है, जो अप्रैल 2006 में पब्लिश हुई है। इसमें कहा गया है कि

[अनुवाद]

"गैर-मोटर वाहन पर्यावरण अनुकूल है और शहरों की यातायात प्रणाली में उनका देय भाग दिया जाना चाहिए। उनके द्वारा झेली जा रही समस्याओं को कम किया जाना चाहिए।"

[हिन्दी]

यह क्या हो रहा है? आगे कहा है कि:

[अनुवाद]

"साइकिल वालों और पैदल चलने वालों की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं का समाधान करके उन्हें बढ़ावा देना चाहिए।"

[हिन्दी]

पॉलिसी कुछ कह रहा है और काम कुछ हो रहा है। इतना ही नहीं पेज 11 पर कहा गया है कि गैर-मोटर यातायात को प्राथमिकता देने का मतलब है कि तोड़ करके, काट करके बेच लेना। इसमें कहा गया है:

[अनुवाद]

"आय स्तर में वृद्धि के साथ-साथ गैर-मोटर यातायात का महत्व समाप्त हो गया है। आंकड़े बताते है कि दिल्ली में वर्ष 1980 में साइकिल चलाने वालों का प्रतिशत 70 था जो कि 1994 में घटकर 17 प्रतिशत हो गया।"

[हिन्दी]

पालिसी में बता रहे हैं कि घट रहा है। इतना ही नहीं, साइकिल रिक्शा पर जो प्रतिबंध है, सब कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि भारतीय संविधान की धारा 41 और 19-जी में लिखा है कि कोई भी व्यक्ति अपना रोजगार कर सकता है। काम के अधिकार का संविधान में प्रावधान है। इस तरह का काम करना असंवैधानिक है, स्वरोजगार करने वाले पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाहता हूं कि धारा 41 और 19-जी में क्या है। दिल्ली में सड़कों और गलियों में वाहन और अन्य यातायात नियंत्रण के नियम 1980 की धारा 20 के तहत साइकिल रिक्शों की सड़कों पर चलने की पाबंदी लगाई गई है, उसके अनुसार जानवर चलित वाहन या हाथ से खींचे जाने वाले वाहनों का सड़कों पर चलाना गैरकानूनी माना गया है। कानून में प्रावधान है कि जानवर चलित वाहन या हाथ से खींचे जाने वाले वाहन पर प्रतिबंध है, लेकिन प्रतिबंध साइकिल रिक्शा चलाने वालों पर लगा दिया है। यह कानून का उल्लंघन है। मैंने इसीलिए आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया क्योंकि रिक्शा चालकों की रोटी का प्रश्न है। आर्थिक विकास के लिए जहां ग्रामीण रोजगार योजना है, इसके लिए मैंने पहले ही चर्चा की है। मैं आपकी अनुमति से डाटा देना चाहता हूं। मेरे पास प्रमाण है, इसीलिए मैं बोल रहा हूं। यह रसीद देखिए, दिल्ली में पांच सौ रुपये जुर्माना रिक्शा चालकों पर किया गया है। सभी एरियाज में हो रहा है, मेरे पास डिटेल है। तीन सौ पच्चीस रुपये से पांच सौ रुपये तक किए गए जुर्माने की रसीद मेरे पास है।

रिक्शा चालकों का अर्थव्यवस्था में क्या योगदान है, मैं उसकी एक झलक आपके सामने रखना चाहता हूं। एक साइकिल रिक्शा चालक औसतन 100 रुपये कमाता है। यदि सिर्फ दिल्ली की ही बात करें तो पांच लाख रिक्शे रोज सड़कों पर चलते

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

हैं। इस हिसाब से देखें तो साइकिल रिक्शा पांच करोड़, औसतन सालाना 1500 करोड़ रुपये से अधिक भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान देते हैं। पूरे भारत की बात करें तो यह आंकड़ा लगभग 15 हजार करोड़ रुपये का होगा। इसके बावजूद भारत में साइकिल रिक्शा चालकों के योगदान को महत्व नहीं दिया जाता है। सरकार उन्हें प्रोत्साहित करने के बजाय उन पर प्रतिबंध लगा रही है। उनके कारण तेल आयात में भारी बचत होती है। एक रिक्शा चालक रोजाना लगभग 20 से 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है। इस हिसाब से पांच लाख रिक्शा एक करोड़ किलोमीटर की दूरी तय करते हैं। अगर साइकिल रिक्शा को बंद कर दिया जाए तो यह दूरी मोटरवाहनों से तय की जाएगी। गरीब आदमी मोटरवाहनों से कहां सफर कर सकता है? अगर मोटरगाड़ियों पर खर्च होने वाले ईंधन की बात करें, तो औसतन 15 किलोमीटर की दूरी तय करने से किसी भी मोटरगाड़ी को एक लीटर पेट्रोल का खर्च करना पड़ता है। इस हिसाब से रोजाना लगभग सात लाख लीटर ईंधन की जरूरत होगी। इस ईंधन को खरीदने के लिए तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये रोजाना खर्च करने होंगे। एक साल में 9 अरब 45 करोड़ रुपये सरकार को खर्च करने पड़ेंगे, अगर रिक्शा चालकों पर पाबंदी लगाई जाती है। इसी कारण मैंने इस सवाल को उठाया, महोदय, यह बहुत दर्दनाक स्थिति है। लाखों लोगों के लिए रोजगार पैदा करना सरकार के लिए मुश्किल है। दिल्ली में 810 लाख, पूरे देश में लगभग एक करोड़ रिक्शा चालक हैं। अगर इन लोगों को भी छोड़ दें तो रिक्शा मैकेनिक और स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले 15 से 20 लाख लोग हैं। इस तरह से देखें, तो पूरे भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से करीब एक करोड़ लोग इस पेशे से जुड़े हैं, जो बिना किसी सरकार मदद के अपना व्यवसाय चला रहे हैं। इस सबके बावजूद दिल्ली में रिक्शा को बंद करते हैं तो देश के अन्य भागों में भी इसका असर देखने को मिलेगा और एक करोड़ लोगों के लिए रोजगार और उनके विस्थापन की समस्या खड़ी हो जाएगी।

अगर सरकार को इतने ही लोगों को रोजगार के लिए किसी भी उद्योग या लघु उद्योग में लगाना होगा तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक लाख से डेढ़ लाख करोड़ रुपया इन्वेस्ट करना पड़ेगा। सिर्फ भारत निर्माण योजना में एक लाख पचहत्तर लाख करोड़ रुपये की स्वीकृति बजट में दी गई है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारत निर्माण अच्छा प्रोग्राम है और सुनने में भी अच्छा लगता है लेकिन भारत निर्माण के प्रोग्राम में इसे बंद करके क्या आप पांच करोड़ परिवारों के लिए रोजी रोटी निकाल पाएंगे। आपने भारत निर्माण में खेतिहर मजदूर, असंगठित मजदूर, कृषि मजदूर को उन्नत करने के लिए एक लाख पचहत्तर हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। जॉब की क्या सिक्योरिटी है? आज भूमंडलीकरण चल रहा है, लिबर्जाइजेशन चल रहा है और इसमें जॉब घटाया जा रहा है, पूरी तरह से जॉब को खत्म किया जा रहा है। जब स्वरोजगार में प्राइवेट जॉब खत्म हो जाएंगी तब इस देश की क्या हालत होगी? इस देश में कितना बड़ा तूफान उठेगा? मैं बहुत दर्द के साथ एक बात कहना चाहता हूं कि देश में कहीं या दिल्ली में दस आदमी भी कट जाएं तो तूफान आ जाता है, कहा जाता है कि खून हो गया, कत्ल हो गया लेकिन इंसान के शरीर से खून नहीं बनने देने वाली जो व्यवस्था है, ब्यूरोक्रेसी है, कानून है, उसे बदलने की आज जरूरत है, यह शरीर में खून ही नहीं बनने देती है। आप बैलेंस डाइट की बात छोड़िए, इंसान के शरीर में जो खून बनने की मिनिमम रिक्वायरमेंट है, उतने भोजन के लिए रिक्शा चालक और ठेला चालक उपाय नहीं कर सकता है। इसलिए मैंने आपसे कहा कि जब खून होता है तब तहलका मच जाता है इसलिए खून नहीं बनने देने वाली व्यवस्था पर माननीय मंत्री जी गंभीरता से विचार करें कि कैसे उसके शरीर में खून बने।

यह राष्ट्रीय उत्पादन से जुड़ा हुआ मामला है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा है कि दौलत पैदा करने वाले यही लोग हैं, ये खाने वाले नहीं कमाने वाले लोग हैं। सदन में दूसरी बातों पर समय खराब होता है लेकिन आज 37 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की बेसिक समस्या देश के सामने है और इसके लिए मैंने यह निवेदन किया है। इस देश में एक व्यक्ति की औसत उम्र पैंसठ से सत्तर वर्ष है लेकिन रिक्शा वाला, जो श्रम करने वाला है, वह 45 वर्ष की उम्र में मर जाता है। हमारे देश की पूंजी क्या है, हमारे देश की कैपिटल क्या है, वह श्रम है, यह रोजगार है जिसकी बदौलत हम दुनिया में फख्र करते हैं। रोजगार करने वाला ही कृषि उत्पादन बढ़ाएगा। आज कृषि उत्पादन लो हो गया है, क्यों लो हो गया है? अब बीस से तीस लाख टन गेहूं का उत्पादन कम हो रहा है। यह क्यों हुआ, क्योंकि इस देश में पचास प्रतिशत गरीब लोग भोजन के अभाव में कुपोषण से औसत उम्र भी नहीं बिता पाते हैं और पहले मर जाते हैं। इसलिए मैं अपसे निवेदन करता हूं कि सैंतीस करोड़ कैटेगरीकली आ चुके हैं और हम उस पर बहस कर रहे हैं, अगर जोड़ा जाए तो देश की आधी आबादी अपनी औसत उम्र को पूरा नहीं पाती है। ये औसत उम्र पूरा नहीं कर पाएंगे तो देश के राष्ट्रीय उत्पादन पर इसका कुप्रभाव पड़ेगा। इस तरह के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कम होगा और अन्य निर्माण कार्यों में भी इसका कुप्रभाव पड़ सकता है इसलिए इसके लिए विधान बनाने की जरूरत है। मैंने इसीलिए इस सवाल को आपके माध्यम से सदन के सामने रखा था।

मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं कि अब क्या हो रहा है? अनधिकृत कालोनियों में रिक्शे वाले कहां जाएंगे, वे कहीं रोड या फुटपाथ पर सोते हैं। दिल्ली में अनधिकृत कच्ची कालोनियां 1562 हैं, जिसमें पूर्वांचल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पश्चिम से आए हुए लोग रहते हैं। इनमें दस से चौदह लाख लोग रहते हैं। आप कहते हैं कि एक लाख घर बनाएंगे और कुछ को नियमित करने का काम कर रहे हैं। वहां उनके लिए न पानी है न बिजली है, उन्हें कोई बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। क्या वे देश के नागरिक नहीं हैं? हिंदुस्तान के किसी भी राज्य का नागरिक हो, उसे देश की राष्ट्रीय राजधानी में उसे रोजगार और रहने का पूरा अधिकार है। इसी टैरिटरी में, पूरे देश में आज उन्हें दूसरी भावना से देखा जाता है। इस देश में संतुलन कैसे बनेगी। आज आर्थिक विषमता का सवाल उठता है। हमारे देश में पुराने जमाने में बड़े लोग होते थे तो वे हाथी रखते थे। हाथी रखने का मतलब है 15 से 16 फीट की ऊंचाई। एक इंसान की एवरेज लम्बाई पांच फीट है। यह छः से सात फीट भी हो सकती है। पांच फीट का इंसान बहुत अमीर हो जाता था। बड़ा होता था तो 12 फीट पर पहुंचता था। लेकिन जो इकोनोमिक डिस्पैरिटी की खाई है, उसके कारण आज 35 हजार फीट पर लोग चल रहे हैं, जरूर चलना चाहिए। कुछ लोगों को इसकी सुविधा है। लेकिन क्या पांच फीट वाले इंसान को दो समय का भोजन उसकी बेसिक नीड देने का अधिकार नहीं है। क्या उनके लिए बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जायेंगी। संसद के जरिये विधान बनाना हो, प्लानिंग करनी हो, योजना बनानी हो तो उनकी बेसिक नीड्स पूरी होंगी। मैं आज रिकार्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि दुनिया में जब तक आर्थिक विषमता इतनी ज्यादा बढ़ी रहेगी, इकोनोमिक डिस्पैरिटी रहेगी तो हिंसा होगी। दुनिया की कोई ताकत इसे रोक नहीं सकती। ए.के. 47 चलेगी। जब तक सामाजिक उत्पीड़न, सामाजिक विषमता खत्म नहीं होगी, कोई भी हिंसा का दौर खत्म नहीं कर सकता और नक्सलवाद, उग्रवाद और फंडामैन्टलिस्ट्स को बीच में मौका मिल जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कुछ सरकारी दस्तावेजों का जिक्र भी करना चाहता हूं।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया व्यवधान न डालें। आपकी पार्टी के माननीय सदस्य बोल रहे है। कृपया उनकी बात ध्यान से सुनिए।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय यह लेबर कमीशन ...*(व्यवधान)* वह गरीबी क्या दूर कर सकता है, जिसने गरीबी को महसूस न किया हो, जिसने गरीबी को कभी न देखा हो, वह गरीबी के विषय में न बोल सकता है और न ही प्लान बना सकता है। आप मुझे बोलने दीजिए, मैं उपाध्यक्ष महोदय की इजाजत से बोल रहा हूं। *[अनुवाद]* "असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए सुरक्षा विधान (अम्ब्रेला लेजिसलेशन) श्रम मंत्रालय, भारत सरकार, राष्ट्रीय श्रम आयोग, 2002" *[हिन्दी]* अम्ब्रैला लेजिसलेशन 2001 में प्रस्तुत किया। यह कमीशन यहां धूल चाट रहा है। कभी एन.डी.ए. की सरकार में धूल चाटी। अब यू.पी.ए. हमें श्री ऑस्कर फर्नांडीज एक अच्छे मंत्री हैं, आप भी कुछ कहिये, विधान बनाने के लिए क्या कहा, असंगठित लेबर पर कह रहे हैं।

[अनुवाद]

"असंगठित क्षेत्र के अधिकांश कामगारों को वर्तमान सामाजिक सुरक्षा लाभों का कोई लाभ नहीं मिलता है। सभी कामगार, जो कि ई.एस.आई. अधिनियम, ई.पी.एफ. विविध प्रावधान अधिनियम, पी.जी.ए. और मातृत्व लाभ अधिनियम के अंतर्गत लाभान्वित नहीं होते को उन्हें असंगठित क्षेत्र का हिस्सा है या किसी अन्य कारण से उन्हें सामाजिक सुरक्षा कानूनों के लाभ प्राप्त नहीं होते हैं, उनके लिए यह नया विधान है"

[हिन्दी]

यह कमीशन नया लेजिस्लेशन लाने के लिए कह रहा है। संसद को नया कानून बनाने का अधिकार है। मंत्री जी इसे लायें। इसका कौन विरोध करेगा। मुझे भरोसा है कि अनआर्गेनाइज्ड लेबर के लिए जो भी कानून लाया जायेगा, पूरा सदन उसके लिए एकमत होगा।

दूसरी बात है:-

[अनुवाद]

"असंगठित क्षेत्र के कामगारों के अधिकारों की प्रभावपूर्ण सुरक्षा के लिए तथा इन प्रावधानों के कार्यान्वयन के संबंध में 'असंगठित क्षेत्र कामगार बोर्ड' नामक कोई सांविधिक निकाय स्थापित की जानी चाहिए और इसे पर्याप्त शक्तियां दी जानी चाहिए। इस अधिनियम से प्राप्त शक्तियों सहित यह बोर्ड एक सांविधिक कार्यकारी प्राधिकरण होगा।

केन्द्रीय, राज्य और जिला स्तर के बोर्डों सहित 'असंगठित कामगार बोर्ड' एक व्यापक त्रिस्तरीय निकाय है। इस बोर्ड में विभिन्न घटक तत्व शामिल है और वे हैं:"

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव]

अपराह्न 3.00 बजे

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैंने इस बात का जिक्र किया और आपकी अनुमति से लोकसभा के एक डॉकूमेंट को रखना चाहूंगा। यह याचिका समिति की रिपोर्ट है जो 14वीं लोकसभा की है। इसे 23 अगस्त, 2006 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। इसमें कहा गया है कि याचिका समिति ने इसकी जांच करके रिपोर्ट दी है कि असंगठित कामगारों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक विधान होना चाहिये। लेबर कमिश्नर ने अपनी सिफारिश दी है, दूसरे लॉ कमीशन ने अपनी सिफारिश दी है। इस पर 75 प्रतिशत आबादी कृषि पर निर्भर है, इसलिये यह अलग से कानून बनाया जाये। जैसा केरल राज्य में बना हुआ है, वैसा बने। याचिका समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह भी कहा है कि रोजगार के लिये वेजेज फिक्स की जायें, महिलाओं के साथ किये गये सैक्सुअल हैरासमेंट का जिक्र भी किया गया है। लेबर कमिश्नर ने कहा है कि असंगठित मजदूरों के लिये एक व्यापक बिल लाया जायेगा और वह उस पर विचार कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता कि लेबर मिनिस्ट्री कब तक कंसल्ट करती रहेगी। यहां नये लेबर मिनिस्टर बैठे हुये हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या अनंतकाल तक कंसल्टेशन चलता रहेगा। मैं चाहता हूं कि शीघ्र टाइम बाउंड कार्यक्रम के हिसाब से व्यापक बिल लाया जाये।

उपाध्यक्ष जी, कानून बनाने के लिये विश्व में जिक्र किया जा रहा है। हिन्दुस्तान जैसे विकसित देश में रिक्शा चलाने वाले एक करोड़ के लगभग हैं और यहां रिक्शा चलाने वाले को लाइसेंस एक घोड़े के डाक्टर द्वारा दिया जाता है। पुराने समय में अंग्रेजों के जमाने में रिक्शा, तांगा और इक्का आदमी ढोता था या घोड़ा चलाता था। यह 1937 से नियम बना हुआ है और एम.सी.डी. के नियम में आज भी है कि एक जानवरों का डाक्टर ही रिक्शा चलाने के लिये सिफारिश करता है। यह कितना अनह्यूमन है। हम 14 दिसम्बर को मानवाधिकार दिवस मनाने जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जब इन्सान को डैमोक्रेटिक वे से कोई रास्ता नहीं मिलता है तो इस कानून को बदलना चाहिये। इन्सान इन्सान है, घोड़ा नहीं है। क्या एक जानवरों के डाक्टर इन्सान की नस्ल की जांच करेगा? यह अंग्रेजों के जमाने का नियम था, इसमें बदलाव होना चाहिये। इस पुराने कानून को खत्म करना चाहिये, मैं इसकी मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, जब असंगठित मजदूर को कोई रास्ता नहीं मिलेगा तो वह संघर्ष करेगा। हमें स्वतंत्रता का अधिकार है, भाषण करने का अधिकार है, इसलिये 11 तारीख को रिक्शावाले, ठेलेवाले और असंगठित मजदूर संसद भवन पर मार्च करने के लिये आ रहे हैं। मेरा निवेदन है कि हालात का जायजा लिया जाये और एक व्यापक बिल पर सरकार जल्दी से जल्दी विचार करे ताकि उन लोगों की रोजी-रोटी सुरक्षित रहे। मैं इस बात को इसलिये उठा रहा हूं क्योंकि यह एक राष्ट्रीय समस्या है। हालांकि मैंने आपके आदेश से 30-35 मिनट लिये हैं, इसलिये मैं आपके संज्ञान में यह बात लाना चाहता हूं कि अभी हमारे देश में जनसंख्या का अनुपात विस्फोटक स्थिति में है। यहां बेकारी निरंतर बढ़ रही है। गरीबी इसीलिए है कि बेकारी और बेरोजगारी है। जिस दिन बेरोजगारी दूर हो जाएगी, गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। यह एक आम समस्या हमारे सामने है। बेरोजगारों की संख्या में निरंतर वृद्धि हो रही है। विभिन्न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारियों की संख्या कम करने की नीति चल रही है। ग्लोबलाइजेशन, लिब्रलाइजेशन और निजीकरण के दौर में नई आर्थिक नीति के दौर में रोजगार घटाने की बात चल रही है। सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों में स्वैच्छिक सेवा निवृति योजना को अपनाया जा रहा है जिसको वी.आर.एस. भी कहते हैं। सरकारी क्षेत्रों में छंटनी चल रही है और यदि प्राइवेट सैक्टर में भी छंटनी होगी तो इस देश की क्या हालत होगी? अब रिक्शा पर पाबंदी लगाई जा रही है जो स्वरोजगार उत्पन्न करता है। रिक्शा वाले एक पैसा भी सरकार से नहीं लेते हैं बल्कि सरकार को राजस्व देते हैं। इसके अलावा यह सवारी पॉल्यूशन फ्री है, तेल बचता है, गरीबों को सस्ती सवारी उपलब्ध कराता है। क्या इसको भी आप बैन करेंगे? न्यायालय क्या है? टैक्स कौन देता है सड़क पर? मैं न्यायालय का अपमान नहीं कर रहा, लेकिन कहना चाहता हूं कि बड़े लोगों की कारें चलें तो उनका हिस्सा बांट दिया जाए। उनका 16 प्रतिशत हिस्सा है तो रोड पर 16 प्रतिशत हिस्सा बड़ी कारों के लिए दे दीजिए। शेष 84 प्रतिशत है, वह रिक्शा, तांगा के लिए सड़कों पर अलग लेन पर चलने की परमीशन दीजिए। या फिर जिस प्रकार से मैट्रो बनी है, उसी तरह से रिक्शा मैट्रो ट्रैक बनाइए। इस देश में गरीब आदमी को जीने का हक है या नहीं? गांधी जी के अंतिम आदमी को जीने का हक है या नहीं यह एक यक्ष प्रश्न आज देश के सामने खड़ा है। गांधी जी ने जिसको अंतिम आदमी कहा था, वह जिन्दा रहेगा या नहीं, वह स्वरोजगार कर पाएगा या नहीं? आज रिक्शा स्टैन्ड तक नहीं दिये हैं, कहते हैं कि जिसकी गाड़ी है ले जाओ। पकड़ा गया और फिर छोड़ दिया लेकिन स्टैन्ड की व्यवस्था नहीं है। उनके लिए कोई वर्कशॉप नहीं हैं। रिक्शा कैसे चलेंगे? रिक्शा खरीदने में 3500 रुपये लगते हैं और उसी रिक्शा से 3500 रुपये वह रिक्शे वाला महीने भर में कमा लेता है। जितने का रिक्शा है, उतना पैसा एक महीने में वह रिक्शा से कमा सकता है। सरकार

कोई ऐसा उद्योग बताए जिसमें जितना रुपया लगता है, उतना वह एक महीने में कमाकर दे देता हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसको उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। असंगठित क्षेत्र में जो एग्रीकल्चर लेबर है, खेतिहर मजदूर हैं, उनकी क्या हालत है? खेतिहर मजदूरों का पलायन होता रहता है। मुंशी जी यहां बैठे हैं। पश्चिम बंगाल में कुछ लोग एडजस्ट हैं और कुछ लोग यहां भी काम करते हैं। वहां अच्छे कारीगर और हुनर वाले लोग हैं। वे लोग यहां आकर भी काम करते हैं। वे बिहार, उत्तर प्रदेश के लोग हैं जो एग्रीकल्चर लेबर हैं। आपके राज्य पंजाब में कुछ लोग धान काटने के लिए यहां से जाते हैं और मुम्बई में तो लगभग 10 लाख से ऊपर लोग होंगे। दिल्ली में 40 लाख से ऊपर लोग हैं। लुधियाना और चंडीगढ़ में मिलाकर पांच लाख लोग हैं। कर्नाटक में भी हैं। सभी माइग्रैन्ट लेबर हैं जो माइग्रेट करके आए हैं। उनके लिए 1971 में एक माइग्रेशन एक्ट बना जो लागू नहीं किया जा रहा है। शहरों में झुग्गी-झोपड़ियों में वे लोग रहते हैं। उनके लिए बुनियादी सुविधाएं भी नहीं हैं, पानी और बिजली भी नहीं है। आर्टिकल 21 के तहत यू.पी.ए. सरकार में अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन बना। उसने कहा कि -

[अनुवाद]

> "सितम्बर 2004 में संप्रग सरकार ने असंगठित क्षेत्र में उद्यमियों के लिए राष्ट्रीय आयोग स्थापित किया था जिसके सभापति अर्जुनसेन गुप्ता थे जिसने प्रधानमंत्री के समक्ष 16 मई 2006 को असंगठित कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया"

[हिन्दी]

यह रिपोर्ट अभी सदन में प्रस्तुत नहीं हुई है। केवल माननीय प्रधानमंत्री जी को रिपोर्ट गई है।

[अनुवाद]

> "तथापि प्रतिवेदन की विषयवस्तु की गहन छानबीन की मांग की गयी थी।"

[हिन्दी]

अभी उसकी स्क्रुटिनी हो रही है। मैं इसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं चूंकि सदन में यह प्रस्तुत नहीं हुई है। यह माननीय प्रधान मंत्री जी को 16 मई 2006 को गई है।

मैं समझता हूं कि इस रिपोर्ट में जो अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन है, आर्गनाइज्ड लेबर पर, इस कमीशन के आधार पर केन्द्रीय विधान बना कर संसद में लाया जाए, चूंकि बेरोजगारी को खत्म करना है और उन लोगों को बेसिक सुविधा देनी है तो स्वरोजगार ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए धन की आवश्यकता होती है और वह प्रत्येक व्यक्ति के पास नहीं है। कुछ नागरिक रिक्शा चला कर या फेरी लगा कर या सामान बेच कर या सड़क के किनारे मोटर गाड़ियों, साइकिलों, जूतों आदि की मरम्मत करके अपना जीविकोपार्जन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों को स्थानीय पुलिस या नगरपालिका के कर्मचारियों द्वारा प्रताडित किया जाता है। वहां पुलिस के द्वारा किस तरह अत्याचार किया जा रहा है। उनकी रेड़ी, पटरी से सामान उठा कर ले जाते हैं। जब पुलिस और नगरपालिका के अधिकारियों को रिश्वत देने की बात होती है तो रिश्वत का खेल भी चलता है। उन्हें भय के वातावरण में रहना पड़ता है। जहां भी असंगठित मजदूर हैं-चाहे ईंट के भट्ठे में हों, लकड़ी एवं लोहे के काम में हों, सब भय के वातावरण में हैं। उनमें असुरक्षा का भाव है।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे निर्धन वर्ग, असंगठित मजदूरों को अपनी आजीविका कमाने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। उनके व्यवसाय में स्थानीय प्राधिकारियों का कोई हस्तक्षेप न हो, इसके लिए सेंट्रल लेजिस्लेशन लाया जाए, यही मेरी मांग है।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: इसके पहले कि मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकारूं मैं एक बात कहना चाहूंगा। श्री सी. कुप्पुसामी ने अनुरोध किया है कि वे इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेना चाहते थे लेकिन उनका गला खराब है इसलिए उनके लिए इस चर्चा में भाग लेना संभव नहीं है। अतः, वे अपना लिखित भाषण सभा-पटल पर रखना चाहते हैं। एक विशेष मामले के रूप में मैं इसकी अनुमति देता हूं।

श्री कुप्पुसामी अपना भाषण सभा पटल पर रख सकते हैं।

***श्री सी. कुप्पुसामी** (मद्रास उत्तर): उपाध्यक्ष महोदय, देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के समक्ष उपस्थित समस्याओं पर अल्पकालिक चर्चा में मेरी पार्टी, डी.एम.के. की ओर से भाग लेने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सभा को यह बात अच्छी तरह से मालूम है कि श्रमिक-समुदाय देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है। दुनिया में कहीं भी आप इतना सस्ता प्रतिबद्ध और उत्साही श्रमिक नहीं पा सकते। हमारे देश के कुल कार्यबल का 70 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र में है, जबकि पूरा कृषि क्षेत्र अनौपचारिक रूप से इस श्रेणी में आता है, कुटीर उद्योग तथा

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री सी. कुप्पुसामी]

अत्यंत लघु उद्योग तथा लघु उद्योग भी असंगठित क्षेत्र में आते है। अन्य शब्दों में, मैं कहना चाहता हूं कि भारत के कार्य-बल का बड़ा भाग असंगठित स्वरूप का है। इसलिए, सरकार, जिसे एक कल्याणकारी सरकार कहा जाता है, के लिए यह अत्यंत जरूरी है कि वह कार्यबल के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग को सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध कराए। इस श्रेणी में गलियों में फेरी लगाने वाले, रिक्शा चालक और जूतों पर पॉलिश करने वाले तथा खोंमचे वाले आते हैं।

अनौपचारिक और असंगठित क्षेत्र में कार्य-बल के एक बड़े भाग के लगे होने को ध्यान में रखते हुए तमिलनाडु सरकार डा. कलांगर के नेतृत्व में उन श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा तथा उनके लिए कल्याणकारी उपायों को उपलब्ध कराने के लिए एक प्रगतिशील कानून लायी है। उन्होंने कई श्रेणियों के श्रमिकों की सूची बनाई है जिनकी संख्या 60 तक है, जो कुटीर उद्योग, गृह उद्योग जैसे-नारियल रेशा कार्य, चटाई कार्य, लाउंड्री, तथा कपड़े की धुलाई, पापड़ बनाना, व्यावसायिक रूप से भोजन तैयार करना, वन्य उत्पादों को इकत्रित करना, काजू का संसाधन, एल.पी.जी. सिलिंडरों का वितरण, साईकिल रिक्शा चालक, पटाखा उद्योग, जूता-उद्योग, स्वर्ण उद्योग तथा चांदी उद्योग, हथकरघा, रेशम के धागे तैयार करना, अगरबत्ती बनाना, प्रिंटिंग प्रेस, फेरी वाले, कुल्हड़ और बर्तन बनाने वाले खुदरों दुकानों में कार्यरत श्रमिक, घरेलू नौकर, कढ़ाई का काम करने वाले, हैंडीक्राफ्ट श्रमिक, बीड़ी कर्मकार, सिगार बनाने वाले, पेंटर, वीडियो और फोटोग्राफ इलेक्ट्रीशियन बढ़ई के कार्य आदि से जुड़े है।

कानून की योजना के अंतर्गत इन श्रेणियों में कार्य करने वाले श्रमिक इस कानून के अंतर्गत उपलब्ध विभिन्न लाभों को प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु श्रमिक सामाजिक सुरक्षा और कल्याण बोर्ड में अपना नाम दर्ज करा सकते है। दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटनाओं में मृत्यु के मामले में एक लाख रुपये तक, के बीमा दावे का भुगतान किया जाता है, अशक्तता के मामले में क्षतिपूर्ति की राशि अशक्तता पर निर्भर करती है, जबकि पंजीकृत श्रमिकों की प्राकृतिक मृत्यु के मामले में उनके निकटतम संबंधी को 15,000 रुपये का अनुदान दिया जाता है।

श्रमिकों को मुआवजा और अनुदान देने के अतिरिक्त उनके बच्चों की शिक्षा के लिए अनुदान दिया जाता है। उदाहरण के लिए 10वीं कक्षा में पढ़ रही श्रमिकों की बच्ची को 1000/- रुपये की राशि दी जाती है। उसी प्रकार 12वीं में पढ़ने वाली लड़की को 1500 रुपये की राशि दी जाती है। स्नातक तथा तकनीकी अध्ययन जैसी उच्चतर शिक्षा के लिए भी इन श्रमिकों के बच्चों को 1750 रुपये से 6000 रुपये की राशि दी जाती है।

महोदय, केवल शिक्षा में सहायता देने की बात नहीं है बल्कि हमारी राज्य सरकार ने एक कदम आगे बढ़ाकर सामाजिक सुरक्षा संबंधी कदम भी उठाये हैं और हमारे नेता डा. कलांइगर श्रमिकों के दोस्त, निर्देशक और सेंटा क्लॉज बन गए है और सरकार उनके नेतृत्व में गरीब लोगों को रंगीन टेलीविजन, एल.पी.जी. स्टोव, जमीन का पट्टा दे रही है। अब असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए, विवाह के अवसर पर खर्च के लिए 2000 रुपये दिए जाते हैं। उसी प्रकार, बच्चे के जन्म के समय महिला श्रमिकों को खर्च के लिए तथा इस अवधि में मजदूरी में हुई क्षति की पूर्ति के लिए 6,000 रुपये दिये जाते हैं। इस योजना की बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इस उद्देश्य से श्रमिकों के पंजीकरण के लिए हमारे नेता डा. कलांइगर ने फीस माफ कर दी है। इसका मतलब है कि कोई भी योग्य श्रमिक बिना कोई शुल्क जमा किये श्रमिक कल्याण विभाग में अपने को पंजीकृत करा सकता है। उसी प्रकार पंजीकरण के नवीकरण के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता।

इन श्रमिकों के कल्याण के लिए एक और योजना लाई गई है, जैसे 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले श्रमिकों तथा जिन्होंने इस योजना के अंतर्गत अपना पंजीकरण पांच वर्ष से करा रखा है, उन्हें 300 रुपये की सेवानिवृत्ति अनुग्रह राशि जीवनपर्यंत मिलती है। इस प्रकार यह पहला विकासशील राज्य है जिसने असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए पेंशन शुरू की है जिसके लिए उनसे कोई पैसा वसूल नहीं किया जाता।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए देश में पहली बार इस प्रकार के प्रगतिशील उपाय किये गए है। भूमंडलीकरण और उदारीकरण के इस युग में जहां श्रमिकों का शोषण हो रहा हो, उपेक्षा हो रही है, और भाग्य के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जहां आउटशोर्सिंग आम बात हो गई है, जहां बेइमान नियोक्ताओं द्वारा नियमित श्रमिकों को भी ठेका श्रमिक बनाया जा रहा है, इस प्रकार का कानून इन अभागे श्रमिकों के लिए वरदान है।

इसलिए, मैं माननीय श्रम मंत्री तथा प्रधान मंत्री डा. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली केन्द्र सरकार, संप्रग की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया अम्माइयार से अनुरोध करता हूं कि पूरे देश में विभिन्न श्रेणियों में असंगठित क्षेत्र में कार्य करने वाले श्रमिकों के लाभ के लिए इन कल्याणकारी कदमों के क्रियान्वयन के लिए संसद में भी उसी प्रकार का एक कानून लाने के लिए तत्काल कदम उठाये जाएं। विभिन्न स्थानों पर श्रमिक सुविधा केन्द्र स्थापित किये जाने चाहिए जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की

संख्या ज्यादा हो ताकि उन्हें इन समस्याओं के समाधान के लिए तथा राहत और सहायता के लिए एक मंच उपलब्ध कराया जाए। असंगठित क्षेत्र के इतने बड़ी श्रमिक संख्या का ध्यान सरकार अकेले नहीं रख सकती। इसलिए, इन बड़े कार्यों में गैर-सरकारी संगठनों और व्यापार यूनियनों को भी लगाया जाना चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ, मैं एक बार पुनः केन्द्र सरकार से तमिलनाडु राज्य की तर्ज पर एक कानून पारित करने का अनुरोध करता हूं जिससे पूरे देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का कल्याण हो सके।

अपराह्न 3.13 बजे

(डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय *पीठासीन हुए*)

[हिन्दी]

श्री थावरचंद गेहलोत (शाजापुर): सभापति महोदय, माननीय देवेन्द्र प्रसाद यादव जी ने असंगठित श्रमिकों की समस्याओं के संबंध में एक अच्छा विषय यहां सदन में विचारार्थ रखा है। उन्होंने बहुत सारे बिन्दुओं पर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं प्रयास करूंगा कि उन्हें न दोहराऊं। वैसे उन्होंने जो बिन्दु उठाए हैं, उनसे मैं अपनी सहमति व्यक्त करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, यह सदन देश के एक-तिहाई असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों के बारे में विचार-विमर्श कर रहा है। उनकी समस्याएं क्या हैं, मुख्य रूप से यह आज का विषय है। देवेन्द्र प्रसाद जी ने बहुत से बिन्दुओं पर सदन का ध्यान आकर्षित किया है, मैं एक मूल बात की तरफ सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस देश में श्रम का महत्व पूंजी की तुलना में नगण्य है और प्रमुख कारण यही है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का शोषण करना। हम सब इस बात को जानते हैं और इस बात की चर्चा भी करते हैं कि एक तरफ श्रम और एक तरफ पूंजी, दोनों मिल करके ही कोई उत्पादन कार्य करते हैं और उसमें से पूंजी निवेश कर्ता लाभान्वित हुआ है, परन्तु पूंजी निवेश कर्ता सौ रुपये कमाता है तो जो श्रमिक है, जिसके श्रम से पूंजी का उत्पादन हुआ है, उसे कहीं दस-बीस या पच्चीस रुपये मिलते हैं। इसी कारण सारे देश में इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की अनेक समस्याएं हैं। उनकी समस्याओं की अगर हम चर्चा करें तो सबसे पहले यह बात ध्यान में आती है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कोई ठीक से कानून नहीं है और अगर छोटे-मोटे कहीं कानून बने हैं तो उन कानूनों पर अमल करने की व्यवस्था ठीक नहीं है।

अब इस प्रकार के कानून को बनाने की महती आवश्यकता है। इस कानून को बनाने की सलाह इससे पहले भी दी गई थी, चाहे फिर वह प्रथम श्रम आयोग हो, द्वितीय श्रम आयोग हो, अर्जुन सेनगुप्ता जी का आयोग हो, श्रम संबंधी स्थाई समिति ने कोई प्रतिवेदन दिया हो या समय-समय पर सदन के समक्ष भिन्न-भिन्न विशेषज्ञों की राय आई हो, सभी ने यह माना है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए पर्याप्त और व्यवस्थित कानून होना चाहिए और उन पर अमल करने का एक अमला होना चाहिए और वह अमला पंचायत स्तर से लेकर पटवारी हल्के तक होना चाहिए।

महोदय, दूसरी समस्या न्यूनतम मजदूरी देने की आती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की बात करें, तो समय-समय पर सामान्यतः राज्य सरकारें न्यूनतम मजदूरी तय करती हैं। केन्द्र सरकार की ओर से भी न्यूनतम मजदूरी के संबंध में अपनी राय दी गई है और यह तय किया गया है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले व्यक्ति को कम से कम 66 रुपये रोज मिलने चाहिए, परन्तु वे मिलते नहीं हैं। हमने एक नहीं अनेक स्थानों पर जाकर देखा है कि कहीं 20 रुपये, कहीं 25 रुपये और कहीं 35 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में मिल रहे हैं। जहां सामान्यतः राज्य सरकारों ने भी न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किया है वहां भी 52 रुपये, 55 रुपये अनस्किल्ड लेबर को और 110 से 125 रुपये स्किल्ड लेबर को देने का विधान बनाया गया है, लेकिन जब मौके पर जाकर देखते हैं, तो स्थिति अलग दिखाई देती है।

महोदय, यहां पहली रो में जो वामपंथी मित्र बैठे रहते हैं, वे इस समय दिखाई नहीं दे रहे हैं, जो हमेशा मजदूरों की बात करते हैं। मैं उनका आशय समझ रहा हूं। जो सबसे आगे की लाइन में दो-तीन सज्जन बैठते हैं, जो हमेशा श्रमिकों के हितों की बात करते हैं, उनके राज्य पश्चिम बंगाल में भी 25 से 30 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को मिलते हैं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): यह सही बात नहीं है।

श्री थावरचंद गेहलोत: यह बिलकुल सही बात है। मैं इस संसद की श्रम संबंधी समिति का भी सदस्य हूं और उसी के माध्यम से हमने अनेक स्थानों पर जांच-पड़ताल की है और इस आधार पर मैं कह रहा हूं कि वहां 25 से 30 रुपये दैनिक मजदूरी के रूप में दिए जाते हैं। यह चिन्ता का विषय है। पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार राज्यों में सर्वाधिक बेरोजगारी है। इसके साथ-साथ न्यूनतम मजदूरी नियमों की अवहेलना भी उन्हीं राज्यों में सबसे ज्यादा होती है। यह चिन्ता का विषय है।

[श्री थावरचंद गेहलोत]

महोदय, जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए सोश्यल सिक्योरिटी की दृष्टि से भी कुछ भी व्यवस्था नहीं है। उनके लिए न ई.पी.एफ. है, न जी.पी.एफ. है और ई.एस.आई. या अन्य कोई स्वास्थ्य की सुविधा है। जहां वे काम करते हैं, वहां धूप से बचाव के उपाय नहीं किए जाते हैं। वहां पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। जहां महिलाएं काम करती हैं और यदि उनके बच्चे हैं, तो उनकी तो हालत और भी खराब रहती है। इस प्रकार की स्थिति में उन्हें काम करना होता है। इसके बावजूद उन्हें न्यूनतम मजदूरी नहीं मिलती है।

महोदय, ऑस्कर फर्नान्डीज जी, जो अभी श्रम मंत्री बने हैं, मैं उनसे बहुत प्रभावित हूं। वे अच्छे आदमी हैं। अगर उन्हें काम करने दिया जाएगा, तो मुझे उम्मीद है कि वे अच्छा काम करेंगे। इससे पहले के जो श्रम मंत्री थे, उन्हें देखकर तो लगता ही नहीं था कि श्रम मंत्री नाम का कोई व्यक्ति है। उन्होंने श्रम मंत्री के दायित्व का निर्वाह ही नहीं किया, न सदन में आते थे और न श्रम मंत्रालय की बैठकें बुलाते थे। वे त्यागपत्र देकर चले गए। क्यों चले गए, वह तो माननीय मंत्री जी बताएंगे। आज वे फिर से चुनाव हुए तो जीतकर आ गये। वे यहां आएंगे तो हम उनका स्वागत करेंगे, परन्तु मैं यह मानता हूं कि या तो उन्होंने काम नहीं किया या उन्हें करने नहीं दिया। अब केन्द्र सरकार ने जो एक योजना लागू की है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना, इसमें यह तय किया है कि 66 रुपये रोज न्यूनतम मजदूरी देंगे, पर व्यवहार में देखने में आया है कि उनसे टास्क रेट पर काम लिया जाता है। उनसे कहा जाता है कि इतने फीट बाई इतने फीट, अर्थात् स्क्वायर फीट या इतने स्क्वायर मीटर यह फन्ती खोदोगो या मिट्टी खोद दोगे तो इतने रुपये मिलेंगे। वे दिन भर मजदूरी करते हैं तो शाम को खोदकर जब पैसा लेते हैं और जब हिसाब हाथ में आता है तो 35-40 या 45-50 रुपये मिलते हैं। वे न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण कर तो देते हैं, परन्तु उस पर अमल नहीं होता है और अमल नहीं होता है, इसको देखने के लिए जो व्यवस्था होनी चाहिए, उस व्यवस्था का इस देश में अभाव है और वह व्यवस्था ठीक करके, मैं फिर कहना चाहूंगा कि पटवारी हल्के या पंचायत इकाई क्षेत्र तक उस व्यवस्था पर ठीक से सुचारू रूप से अमल हो, इस प्रकार की व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

मैंने भविष्य निधि की बात कही, भविष्य निधि के सामने इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी सुविधा देने की आवश्यकता है। आखिर जिसके अधीन वह काम करता है, उसका भी कुछ दायित्व है। इनका भी कुछ पैसा कटे और वह भी कुछ मिलाये, इस प्रकार की कुछ व्यवस्था हो जाये। जी.पी.एफ., ई.पी.एफ. या प्रोवीडेंट फंड वगैरह का प्रावधान कई बार कानून में होता है, नियम यह है कि अगर 30 दिन कोई काम कर लेगा तो उसको यह सुविधा मिलेगी, 10 दिन कोई काम कर लेगा तो यह उसकी पात्रता हो जायेगी, परन्तु रिकार्ड कहीं रहता नहीं और उन सुविधाओं को, जो कानून बने हुए हैं, उनका पालन नहीं होता। इस कारण से जो भी आपको इस दिशा में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है।

फिर नई पैंशन योजना है, वे काम करते हैं तो उनके पास पर्याप्त व्यवस्थित सुविधाएं नहीं होतीं, अगर कोई गिट्टी फोड़ने का काम कर रहा है तो हैंड ग्लव्ज नहीं हैं, उनके पास चश्मा नहीं है। अगर उसने पत्थर पर हथौड़ा मारा और उससे एक चिंगारी उड़कर आंख में लगी तो आंख फूट गई या हाथ में लग गई। ऐसी स्थिति में कम्पेंसेशन के लिए कोई सुविधा नहीं है। जो आदमी काम लेता है, वह तो शाम को उसको दिन भर का वेतन दे देता है और कह देता है कि जाओ। अगर उसकी आंख चली गई तो वह उसे लिए-लिए घूमता रहता है, उसके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है। ऐसी खतरनाक जगह पर काम करने वाले या मैं तो कहूंगा कि सम्पूर्ण असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दुर्घटना बीमा और जीवन बीमा की योजनाओं का भी लाभ देने के लिए इस प्रकार की व्यवस्था करनी चाहिए और यह राय जो मैं दे रहा हूं, इस प्रकार की राय समय-समय पर आयोगों ने दी है। उस पर अमल करने की आवश्यकता है। सरकार ने और प्रधानमंत्री ने इस दिशा में कहा भी है कि हम असंगठित क्षेत्र में जो लोग काम करते हैं, उनके लिए एक कानून बनाएंगे, वह कानून बनाने का विधेयक 2004 से सरकार के समक्ष लम्बित है। वह कानून बनाने की महती आवश्यकता है, इसलिए इस ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। मैंने बताया कि वर्कमैन कम्पेंसेशन का प्रावधान नहीं है, उसकी व्यवस्था भी की जानी चाहिए। मुआवजा आदि देने का कोई प्रावधान नहीं है तो वह भी सुनिश्चित होना चाहिए। जैसे संगठित क्षेत्र में श्रमिकों के लिए कर्मचारी बीमा योजना जो लागू होती है, उसमें तय है कि अगर उंगली कट गई तो इतना कम्पेंसेशन मिलेगा, हाथ कट गया तो इतना, पांव टूट गया तो इतना या अशक्त हो गया तो इतना कम्पेंसेशन मिलेगा और मृत्यु होने पर इतना मिलेगा। ये सब प्रावधान असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए भी होने चाहिए। सबसे बड़ी एक समस्या है कि इनकी गणना ही नहीं है। वह दो दिन किसी न किसी का मकान बनाने के लिए काम कर लेता है, वह काम बन्द हो गया तो फिर उसकी कोई गणना नहीं है। सारे देश में ऐसी भी कोई व्यवस्था की जानी चाहिए कि असंगठित क्षेत्र में कितने लोग काम करते हैं, यह जो आकड़ा हम बता रहे हैं कि एक तिहाई आबादी है, वह

तो इधर-उधर से एवरेज निकालकर जो यहां आते हैं, परन्तु वास्तविकता से कम है। यह तो सरकार बता सकती है और मैं सरकार से और माननीय फर्नाण्डीज साहब से यह पूछना चाहता हूं कि अगर 35 करोड़ से ज्यादा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हैं तो इन 35 करोड़ में से आप कितने असंगठित श्रमिकों को, मैं जो बता रहा हूं, इनसे संबंधित सुविधाएं मुहैया कराते हैं। आपके पास विभाग के आंकड़े हों तो उनसे इस सदन को अवगत करायें। जिससे हम और देश की जनता उससे अवगत हो जाए, और उसे लगे कि सरकार उनके लिए कुछ कर रही है। इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में आप कोई वक्तव्य दें और जानकारी दें कि यह काम इनके लिए हो रहा है।

महोदय, एक समस्या बंधुआ मजदूरों की है। बंधुआ मजदूरों की समस्या भी बहुत चिंतनीय है। कई बार पता ही नहीं लगता है और उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिलती है। हर तरह से उनका शोषण होता है। इस शोषण से मुक्ति के लिए भी एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि बंधुआ मजदूरी की प्रथा पूरी तरह से भय के कारण समाप्त हो जाए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को बोनस मिलना चाहिए। जब संगठित क्षेत्र में बोनस की सुविधा है, तो इन्हें क्यों नहीं मिलता है? अगर पन्द्रह, बीस, तीस दिन या दस दिन से अधिक भी कोई मजदूर काम करता है, जबकि कोई मजदूर ठेकेदार के अधीन काम करता है, तो उसको यह पात्रता मिलती है, इसी तरह असंगठित क्षेत्र में कोई काम करता है और पन्द्रह दिन या महीने उसने काम कर लिया, तो उसे भी बोनस की सुविधा मिले, ऐसी व्यवस्था करने की आवश्यकता है।

समय-समय पर आयोग ने और श्रम स्थायी समिति ने अपने प्रतिवेदन किए है, उन प्रतिवेदन का अध्ययन करा करके उन पर तेज गति से अमल करने की कार्यवाही करें, तो बहुत अच्छा होगा।

अंत में मैं कहना चाहूंगा कि इन सब समस्याओं के निदान के लिए जल्दी से जल्दी एक विस्तृत कानून बनाने की आवश्यकता है और वह विस्तृत कानून बनाने का आपने आश्वासन भी दिया है। आपने इस सदन में भी कहा है और एक प्रश्न के उत्तर में भी कहा है। आपने कहा है कि आप इस प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए कानून बनाने जा रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि आप अगले सत्र तक ही इस प्रकार का कानून बनाने की व्यवस्था करें।

एक प्रश्न 23 दिसंबर 2004 को राज्य सभा में पूछा गया था, जो मोतीलाल बोरा जी का प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 2308 है, उसमें श्रम मंत्री जी की ओर से जवाब आया था, "क" से "ग", सरकार देश के असंगठित क्षेत्र में कार्यरत महिलाओं सहित कामगारों के लिए अन्यों के साथ-साथ सांविधिक समर्थन के साथ सामाजिक सुरक्षा उपायों की व्यवस्था हेतु, असंगठित क्षेत्र कामगार विधेयक 2004 को अधिनियमित करने के लिए कार्यवाही कर रही है। आगे और भी कुछ लिखा है, मैं समझता हूं कि आप इस ओर स्वयं ध्यान दे देंगे। अर्जुन सेन गुप्ता जी ने भी कुछ सिफारिशें की हैं और वे सिफारिशें, जैसा कि उन्होंने कहा है, अगर वैसी ही लागू हो जाएं और अमल हो जाएं, तो मेरा अपना मानना है कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्यायें नहीं बचेंगी। शर्त यही है कि वे लागू हो जाएं और उसे लागू करके अमल की व्यवस्था सुचारू रूप से हो जाए। मुझे विश्वास है कि आप इस दिशा में कदम उठाएंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, अवसर प्रदान करने के लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मुझे एक लम्बी अवधि के बाद, उस विषय पर बोलने का विशेषाधिकार मिला है जिस पर मैंने अपने जीवन के कई वर्ष अर्पित किये हैं। बोलने से पूर्व, मैं अपने भाषण को दो-तीन भागों में बांटता हूं। सर्वप्रथम मैं परिदृश्य का वर्णन करूंगा, फिर मैं कानून की स्थिति और इसके क्रियान्वयन की चर्चा करूंगा और तीसरी बात, कि सरकार असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे लाखों श्रमिकों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कर रही है, इस पर चर्चा करूंगा।

[हिन्दी]

खेतिहर मजदूर, जिनकी संख्या करोड़ों में है, की ओर से बोल रहा हूं। करीब 7.3 मिलियन फारेस्ट लेबर्स, जो इस देश के अंदर प्लांटेशन में, अलग-अलग स्टेट के अंदर फारेस्ट डिपार्टमेंट में प्लांटेशन लगाने में, उसको गार्ड करते हैं। इसके साथ दूसरे माइनर फारेस्ट प्रोड्यूस कलेक्टर्स हैं। *[अनुवाद]* उनकी रक्षा के लिए दूसरा कोई कानून नहीं है उन्हें किसी भी श्रमिक कानून के तहत सम्मिलित नहीं किया गया है। उनमें से अधिकांश को वन विकास निगम के नियमों के तहत विनियमित किया जाता है। *[हिन्दी]* मैं कन्स्ट्रक्शन लेबर के बारे में बात करना चाहता हूं जो करोड़ों की संख्या में है, जिनका नेचर माइग्रेटरी है। *[अनुवाद]* वे एक राज्य से दूसरे राज्य में, दूसरे राज्य से तीसरे राज्य में पलायन करते है और यह जारी रहता है तथा इस देश में सबसे ज्यादा उन्हीं का शोषण होता है। *[हिन्दी]* जो माइन्स वर्कर्स हैं, उनमें कैजुअल लेबरर्स के रूप

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

में कार्य करते हैं। वे इसके साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग भट्टी में काम करने वाले हैं, जिनका कोई लैजिसलेशन नहीं है और न ही उन्हें कवर किया जाता है, वे भी इसमें शामिल हैं। एक सैल्फ-इम्प्लॉयड हैं जो बाजार में जाकर खड़े रहते हैं। *[अनुवाद]* चूंकि मैं उसी समुदाय से आता हूं, मैं बताना चाहूंगा कि मेरा पूरा समुदाय ही हर रोज सुबह ही सड़क पर चला जाता है। *[हिन्दी]* कोई उन्हें घर आकर काम करवाने के लिए ले जाते हैं तो वे चले जाते हैं, नहीं तो अपना टिफिन वापिस घर ले जाते हैं। जिसके रैगुलेशन के लिए कुछ नहीं है, जो शहरों में छोटा सा धंधा करते हैं। वे भी मजदूर हैं और उन्हें किराए पर रखा जाता है। वे सैल्फ-इम्प्लॉयड हैं। उनके लिए देश के अंदर कोई लैजिसलेशन नहीं है। ऐसा ही पूरा अनआर्गनाइज्ड सैक्टर है, जिसके बारे में मैं मंत्री जी को बताना चाहता हूं। इसमें एक कैटेगरी ऑफ वर्कर्स के लिए हमारे यहां कितने लैजिसलेशन बने, उसे रैगुलेट करने के लिए, इम्प्लॉयमैंट रैगुलेट करने के लिए, वेजेस रैगुलेट करने के लिए, जैसे मिनिमम वेजेस एक्ट इन्श्योर करना कि मिनिमम वेजेस कम से कम इतनी करनी है। वे एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। उनके लिए माइग्रैंट वर्कर्स एक्ट बनाया गया है, वर्कमेन कम्पैनसेशन एक्ट बनाया गया है, इक्विल रैमुनरेशन एक्ट बनाया गया है जिसकी वजह से वूमेन और मैन दोनों को इक्विल वेजेस मिलें। ऐसे कानून भी बनाए गए। *[अनुवाद]* मैंने उनके लिए एक श्रमिक मशीनरी की स्थापना की है। लगभग प्रत्येक राज्य में एक श्रम आयुक्त है। वे श्रमिक जिन्हें किसी द्वारा भाड़े पर लिया गया है, और जो किसी पेशे में कार्य कर रहे है जो कानून द्वारा शासित होता है और यदि वे उस अनुसूचित रोजगार में आते हैं तो उन पर वे कानून लागू होते हैं और उनकी कार्य परिस्थितियों और अन्य बातों को विनियमित करने के लिए इन कानूनों के क्रियान्वयन के लिए एक मशीनरी है। दूसरे लोग ऐसे है जिनका नियोक्ता स्थायी नहीं है। प्रत्येक रोज वे अपना नियोक्ता बदलते हैं। *[हिन्दी]* जिसकी वजह से उनकी सोशल सिक्युरिटी की बात आती है, उनके लिए बैनीफिट की बात आती है, ओल्ड एज की बात आती है, एक्सीडैंट होते हैं तो उनकी जवाबदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। ऐसा जो तबका है, उसमें एक लेबर क्लास है। *[अनुवाद]* इन सभी के बारे में राष्ट्रीय परिदृश्य क्या है? मैं उनकी दयनीय स्थिति के बारे में बात करूंगा। मैंने वन श्रमिकों और लघु वन उत्पाद संग्रहकर्ताओं के साथ काम किया है। मैं आपको बताता हूं कि श्रम विभाग को यह विश्वास दिलाने में मुझे बहुत कठिन श्रम करना पड़ा कि वृक्षारोपण का कार्य एक औद्योगिक गतिविधि है और यह कृषि के अंतर्गत नहीं आता। श्रम विभाग ट्रेड यूनियन एक्ट के तहत एक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करने के प्रति एकदम अनिच्छुक था। ज्यों ही वे एक ट्रेड यूनियन को पंजीकृत करते है उन्हें एक मुकदमा दर्ज करना होता है, जांच के लिए जाना पड़ता है और शिकायतों की सुनवाई करनी पड़ती है। जिला स्तर और अन्य स्तरों पर इसे श्रम अधिकारी को करना होता है।

मैं पूरे देश की बात कर रहा हूं, किसी विशेष राज्य की बात नहीं कर रहा हूं। कुछ विभाग हैं जो महसूस करते हैं कि वे श्रम कानूनों से ऊपर है और श्रम कानून उन पर लागू नहीं होते और वन विभाग उनमें से एक है। जब हमने उन्हें ट्रेड यूनियन अधिकारियों और श्रम मशीनरी के समक्ष लाया तो उन्होंने कहा कि उन पर यह अधिनियम लागू नहीं होता। हमें श्रम कानून के उल्लंघन के लिए सभी वन अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करना पड़ा। *[हिन्दी]* मैं बताना चाहता हूं कि एक रवैया ऐसा अपनाया जाता है जिसके अंदर आप मुआवजे तथा अन्य चीजों के लिए मुकदमा नहीं दर्ज कर सकते, सिर्फ इस कारण से कि व्यक्ति या नियोक्ता अन्य सरकारी विभाग का होता है। *[अनुवाद]* आपको उस राज्य के श्रम विभाग से अनुमति लेनी पड़ती है जो आप कभी भी ले नहीं पाते। अधिनिर्णयन में कई दिन लग जाते हैं। यदि आप श्रम न्यायालय में कोई मुकदमा दायर करते हैं तो अपको कभी भी अनुमति नहीं मिलती। परिणामस्वरूप, सबसे अधिक नुकसान तो श्रमिक का होता है। ये श्रमिक भी एक जगह (स्थिर) नहीं रहते। वे बार-बार जगह बदलते रहते हैं। *[हिन्दी]* एक मजदूर जिसे 37-38 रुपये, 50-55 रुपये या 80-90 रुपये मिलते हैं अगर उसे 50 रुपये मिल गए तो वह क्लेम नहीं कर पाता कि मुझे मेरा बाकी पैसा दिया जाए। *[अनुवाद]* वह न्यायालय जाने में समर्थ नहीं होता। चूंकि श्रमिक एक जगह स्थिर नहीं रहते हैं इसलिए ऐसे श्रमिकों का कोई संघ बनाना बहुत कठिन है। परिणामस्वरूप, ज्यादातर मामलों में उस विभाग को दंड नहीं मिल पाता। फलस्वरूप कई विभाग श्रम कानूनों का उल्लंघन करते रहते हैं।

मैं केवल इस एक क्षेत्र के बारे में बात कर रहा हूं। न्यूनतम मजदूरी को लागू करने का मामला ले लीजिए। यह दूसरा क्षेत्र है। खासकर अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के परिदृश्य में स्थिति बहुत ही खराब है। अब कुछ लोगों का मानना है कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करना और उन्हें लागू करना उनकी जिम्मेवारी नहीं है। इसके अलावा, न्यूनतम मजदूरी निरीक्षक इसे लागू कराने के इच्छुक नहीं रहते। मेरे राज्य और कई अन्य राज्यों में उनका मानना है कि इससे कृषि श्रमिक के रूप में काम पर लगाने वाले व्यक्ति और अन्य लोगों के बीच कृषि संबंधी तनाव उत्पन्न होगा। परिणामस्वरूप, वे समझते हैं कि इससे गांव के लोगों के बीच वैमनस्य पैदा होगा और इससे खूनी संघर्ष होगा और भी बहुत कुछ

होगा। इसलिए वे महसूस करते हैं कि समझौता ही अधिक बेहतर है।

मेरे राज्य में कभी एक अलग कृषि श्रमिक आयोग हुआ करता था। उसी समय से भारत सरकार उल्लेख करती रही है कि पहली बार कृषि श्रमिक आयोग का गठन किया गया है जबकि सेवानिवृत्त व्यक्ति, या सेवानिवृत्ति के कगार पर खड़े लोग या काम में दिलचस्पी नहीं रखने वाले लोगों को वहां बतौर आयुक्त और उपायुक्त भेजा जा रहा है। वे अपने काम में दिलचस्पी नहीं लेते क्योंकि यह एक लाभकारी विभाग नहीं है। तथापि जनता उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। इसलिए न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए बना विशेष कानून ही लागू नहीं किया जा रहा है।

मैं अब न्यूनतम मजदूरी के मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं। सरकार द्वारा जो भी न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की जाती है उसे भी लागू नहीं किया जा रहा है। इसका एक कारण तो यह है कि सरकारें कई कारणों से इसे लागू करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति ही नहीं रखती। कारण राजनीतिक भी हो सकते हैं। कारण यह भी हो सकता है कि वे किसानों को नाराज नहीं करना चाहतीं। शायद प्रशासनिक तंत्र को भी उसे लागू करने में दिलचस्पी नहीं है। शायद ऐसा संबंध के कारण है और भी कारण हो सकते हैं। फलस्वरूप, असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों - चाहे वे ठेका मजदूर हों या वन श्रमिक हों या कृषि कार्य में लगे श्रमिक हो - के लिए न्यूनतम मजदूरी लागू होने की स्थिति दयनीय है। यदि आप व्यक्तियों या विभाग के विरुद्ध दायर मामलों पर नजर डालें तो पता चलेगा कि कार्यरत मजदूरों के अनुपात में नहीं है।

इससे पहले कि मैं और बातें कहूं मैं यह भी अवश्य कहना चाहता हूं कि इस श्रम क्षेत्र पर महत्वपूर्ण मंत्रालयों खासकर योजना मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और अन्य मंत्रालयों को ध्यान देना चाहिए। आपने यहां रिपोर्ट में कहा कि देश में कार्यरत 39 करोड़ श्रमिकों में से 36 करोड़ श्रमिक असंगठित क्षेत्र में हैं ये आंकड़े केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा दिए गए हैं मेरे द्वारा नहीं। के.सां.सं. के आंकड़ों के अनुसार देश के असंगठित श्रम क्षेत्र का देश के सकल घरेलू उत्पाद में योगदान करीब 60 प्रतिशत है। इस पर ध्यान दिया जाये। देश की बचत में उनका योगदान 50 प्रतिशत है। यह कोई छोटी राशि नहीं है। फिर भी उनकी क्या हालत है?

वर्ष दर वर्ष मैं केन्द्रीय बजट का विश्लेषण करता हूं। मेरे पास श्रम मंत्रालय के विगत दस वर्ष के आंकड़े मौजूद हैं। मैं श्रम विभाग के पिछले वर्षों के बजट आंकड़ों पर मांग दर मांग नजर डाल रहा था।

मैं अब शीर्षक बीड़ी मजदूर-110, सामाजिक सुरक्षा और अन्य शीर्षों पर बात करूंगा। मैं अच्छी तरह कह सकता हूं कि अपने कार्यक्रमों को लागू करने के लिए जितनी राशि अन्य विभागों को आबंटित की जा रही है उसकी तुलना में श्रम विभाग के कार्यक्रम लागू करने के लिए आबंटित राशियां परस्पर विरोधी हैं। मैं समझता हूं कि हमें देश में न्यूनतम मजदूरी को लागू करने के लिए असंगठित क्षेत्र की आय को बढ़ाने वाली किसी अन्य योजना की जरूरत नहीं है।

आखिरकार हम न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का कार्यान्वयन क्यों नहीं कर पा रहे हैं? एक कारण तो यह है कि इसे लागू करने वाले लोग कम हैं। लोगों की कमी है। श्रम विभाग का एक निरीक्षक कृषि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, प्रवासी कर्मकार अधिनियम, कर्मकार प्रतिकर अधिनियम और बालक श्रम उत्सादन अधिनियम के अंतर्गत भी निरीक्षण करता है। एक ही व्यक्ति को करीब 30 अधिनियम के अन्तर्गत निरीक्षण करना पड़ता है। इससे इस अधिनियम को, जिसका संबंध समाज के दबे-कुचले लोगों के कल्याण से है, लागू करने में दिक्कत आयी है। फलस्वरूप हमें देश और अर्थव्यवस्था में असंगठित श्रम शक्ति के योगदान को भी अवश्य महत्व देना चाहिए। इसलिए मेरी मांग है कि देश के श्रम विभाग को केन्द्रीय एवं राज्य, दोनों स्तरों पर धन का अधिक आवंटन किया जाए। यह आवंटन, अनुसंधान, आकड़े या रोजगार या नए औद्योगिक संस्थानों की स्थापना करने या श्रम तंत्र की स्थापना करने और इसी प्रकार के अन्य कार्य के लिए किया जा सकता है।

श्रम न्यायालयों और औद्योगिक न्यायालयों की स्थिति पर नजर डालिए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि वे ऐसी दयनीय अवस्था में हैं। श्रम कानूनों को लागू करने के लिए बने पूरे विधिक तंत्र की स्थिति भी ऐसी ही है। कभी उनका भी अपना महत्व था लेकिन अब ऐसा लगता है कि उन्होंने अंशतः महत्व खो दिया है क्योंकि ऐसा दिखाई पड़ता है मानो हम अपने लक्ष्य से पीछे जा रहे हैं। उन्हें फिर से महत्व प्राप्त करना होगा और वर्तमान स्थिति से उबरना होगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री मिस्त्री कृपया जितना संभव हो उतने संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं संक्षेप में कहूंगा पर आपको समय देना होगा। मैं बहुत विस्तृत जानकारी और सुझाव दे रहा हूं।

दूसरी बात है, न्यूनतम मजदूरी में संशोधन कब किया गया था? ऐसे कई राज्य हैं जहां गत पांच या आठ वर्षों से न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई ही नहीं गई है। कोई दबाव डालने वाला समूह ही नहीं है। यहां अधिकांश लोग संगठित क्षेत्रों, ब्याज दरों आदि

[श्री मधुसूदन मिस्त्री]

के बारे में बातें करते हैं परन्तु यह अत्यंत दुर्भाग्य की बात है कि अब तक मूलभूत न्यूनतम मजदूरी में वृद्धि भी नहीं हो पायी है। मैं अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के अनुसार न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने पर बात नहीं कहने जा रहा हूं। हमने न्यूनतम मजदूरी संबंधी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन अभिसमय के प्रावधानों को स्वीकार किया है। उचित मजदूरी की बात भूल भी जाएं। नए पैकेज (बास्केट) के बारे में भी भूल जाइए। यह समय नया पैकेज दिये जाने का है। असंगठित क्षेत्र की न्यूनतम मजदूरी के साथ न्यूनतम मजदूरी के सूचकांक को जोड़ने की बात भी भूल जाइए। हम किसी भी व्यापार के लिए अब तक राष्ट्रीय न्यूनतम मजदूरी भी निर्धारित नहीं कर पाए हैं। कई राज्यों में व्यापार और अन्य क्षेत्रों के लिए न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है जो कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी से बहुत कम है। कुछ राज्यों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के तहत श्रमिक काम कर रहे हैं जहां उन्हें 80 रुपये से 110 रुपये के बीच मिलते हैं। फिर भी कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कृषिगत न्यूनतम मजदूरी को आधार और ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम को मापदंड माना जाता है। जहां उन्हें 50 रुपये और 60 रुपये मिलते हैं। 50 रुपये की न्यूनतम मजदूरी को भी संशोधित नहीं किया गया है।

मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह कुछ ऐसी व्यवस्था बनाएं, जिससे कि समय-समय पर न्यूनतम मजदूरी बढ़ाई जा सके। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत एक उपबंध है जहां समय दर और पीस दर के बीच अन्तर है।

अब पास पीस दर निर्धारित नहीं है। इसका निर्धारण व्यक्ति के काम के अनुसार किया जाना चाहिए। आठ घंटे काम करने के बाद उसे समय दर के अनुसार न्यूनतम मजदूरी कमानी पड़ती है। ऐसा कभी नहीं होता क्योंकि पीस दर समय और अन्य अध्ययनों से इस तरह से निर्धारित की जाती है जिसे कोई पूरा नहीं कर सकता है और वैसा करने के लिए किसी के पास समय भी नहीं है। परिणामस्वरूप, यद्यपि न्यूनतम मजदूरी निर्धारित है तो भी श्रमिकों को 38 रुपये या 40 रुपये या 41 रुपये अथवा 42 रुपये ही मिल पाता है।

तीसरा भाग इस प्रकार है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम का भला हो। मैं इस विधेयक को पारित करने के लिए हमारे सभापति; इस देश के प्रधानमंत्री और इस सभा को भी बधाई देता हूं। कम से कम इससे असंगठित क्षेत्र में लोगों को कुछ रोजगार तो मिला। पर अभी भी धारा 26(1) विद्यमान है। उस धारा में कहा गया है कि सरकार किसी भी समय अधिसूचना के माध्यम से कह सकती है कि रोजगार की किसी विशेष अनुसूची के लिए इस अधिनियम का निलंबन किया जा सकता है। यदि अभाव या सूखे की अवधि के दौरान अधिसूचना के जरिए इस अधिनियम का निलंबन कर दिया जाता है तो कोई भी ऐसे नियोक्ता के विरुद्ध कोई मुकदमा दायर नहीं कर सकता है जो या तो श्रम कानूनों का उल्लंघन कर रहा है या न्यूनतम मजदूरी नहीं दे रहा है। कई राज्यों में न्यूनतम मजदूरी से कम धनराशि देने के लिए इसका बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाता है। मेरी मांग है कि इस प्रावधान को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम से तत्काल हटा देना चाहिए।

मैं यह भी कहता हूं कि उसे मजबूती प्रदान करने के लिए पहले एक प्रावधान था जिसमें कहा गया था कि सरकार इस अधिनियम के तहत किसी व्यक्ति या किसी संस्था को निरीक्षक नियुक्त कर सकती है और आवश्यक नहीं कि वह व्यक्ति सरकारी क्षेत्र में ही काम कर रहा हो। हमें इस प्रावधान का फायदा उठाकर इसकी निगरानी करने के लिए ईमानदार और अच्छे व्यक्तियों को खोजने की कोशिश करनी चाहिए।

मैं निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। उनके विषय में कानून तो है परन्तु अनेक राज्य सरकारों ने उसे लागू नहीं किया है और उनके लिए कोई बोर्ड नहीं है। वे बोर्ड बनाने के बहुत इच्छुक नहीं हैं। निर्माण क्षेत्र में लगे मजदूरों की दशा सबसे दयनीय है। ये लोग राज्य में ही इधर से उधर जाते रहते हैं और इनकी सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। क्योंकि वे एक राज्य से दूसरे राज्य में नहीं बल्कि एक राज्य के अन्दर ही घूमते हैं जो कि एक जिले से दूसरे जिले या इधर से उधर जाते रहते हैं। वे सड़क पर सोते हैं। उनके लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। पुलिस या अन्य लोग उन पर अत्याचार करते हैं। उनके लिए कोई परिचय पत्र नहीं है, राशन कार्ड नहीं है, स्कूल नहीं है और इस प्रकार की कोई चीज उपलब्ध नहीं है। अब अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूर अधिनियम की आवश्यकता आ पड़ी है जिससे मजदूरों को संरक्षा दी जा सके।

ठेका मजदूर हर प्रकार की दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं।

सभापति महोदय: आप इस विषय से संगत बातें कह रहे हैं लेकिन मैं आपसे समाप्त करने का अनुरोध कर रहा हूं क्योंकि आपके दल के पांच और माननीय सदस्यों को अपने विचार अभी व्यक्त करने हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं नहीं समझता कि यदि मैं कुछ और

समय लेता हूं तो उन्हें कोई आपत्ति होगी। मैं उनसे निवेदन करूंगा।

सभापति महोदय: कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं संगत और आवश्यक बातें ही कह रहा हूं।

सभापति महोदय: मैं यह नहीं कह रहा कि आपकी बातें संगत नहीं हैं। लेकिन आपके पक्ष से पांच और माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं नहीं जानता।

अब एक रूझान चल रहा है तथा यह एक ऐसा रूझान है जो मुझे अप्रसन्न कर देता है। यह कानून को लागू करने पर कम ध्यान देने तथा सामाजिक सुरक्षा पर अधिक ध्यान देने का रूझान है। वैसे लोग सामाजिक सुरक्षा के बारे में अधिक बात करते हैं। यह ठीक है, परन्तु सामाजिक सुरक्षा उनके लिए है जिन्हें नौकरी नहीं दी जा रही है, अथवा जो स्व-रोजगार में लगे हैं, इत्यादि। परन्तु इसके लिए अवश्य ही एक श्रमिक विधान होना चाहिए। दो विधेयक है जिन्हें पहले ही परिचालित किया जा चुका है। हम नहीं जानते कि वे अब किस स्तर पर हैं। परन्तु निश्चित रूप से उन्हें संसद में पुर:स्थापित नहीं किया गया तथा लोगों से उसकी चर्चा भी नहीं की गई। लोग मुझसे पूछते हैं कि उनकी क्या स्थिति है, जोकि असंगठित क्षेत्र के लिए हैं। मैंने कहा, "मैं नहीं जानता हूं।"

मैं नहीं जानता कि यह विधेयक किसने तैयार किया तथा यह अब कहां है। मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करूंगा कि मसौदे को अंतिम रूप देने से पूर्व उन्हें उन लोगों की बैठक बुलानी चाहिए जो कि असंगठित श्रमिकों के कल्याण तथा संघ बनाने के इच्छुक हैं, निश्चित ही भारतीय राष्ट्रीय मजदूर संघ कांग्रेस को प्रावधानों का अवलोकन करने हेतु बुलाया जाना चाहिए। हम प्रत्येक वर्ष मजदूर सम्मेलन का आयोजन करते है परन्तु दुर्भाग्यवश असंगठित श्रमिकों का मुश्किल से ही कोई प्रतिनिधि मौजूद होता है। अधिकांश श्रमिक अथवा मजदूर संघ संगठित क्षेत्र से हैं। वे लोग जिन्हें असंगठित क्षेत्र की बात करनी चाहिए वे अपने आपको आज संगठित क्षेत्र के श्रमिकों तक ही सीमित कर लेते है। वे असंगठित श्रमिकों के बारे में बात नहीं करते। इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं आगामी श्रम सम्मेलन में उन सभी लोगों को जो असंगठित क्षेत्र में कार्यरत है, उन्हें भी बुलाया जाना चाहिए।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मैं बैठ ही जाता हूं चूंकि मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बात पूरी कर पाऊंगा। महोदय, मुझे खेद है। मैंने आपको बताया था कि मैं अपने दल के सदस्यों को विश्वास में ले लूंगा।

सभापति महोदय: मैं केवल आपसे भाषण समाप्त करने को कह रहा हूं क्योंकि आपके दल के पांच और सदस्य है जो बोलना चाहते हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, मैं दो या तीन और मुद्दों पर बोलूंगा। मैंने अभी अधिक नहीं बोला है।

सभापति महोदय: आप 22 मिनट बोल चुके हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं कुछ असंगत बातें कर रहा हूं।

मैं मंत्री महोदय का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहूंगा कि जब इस विधेयक का मसौदा तैयार किया गया तो समग्र श्रमिक वर्ग के लिए पेंशन के मुद्दे को गंभीरता से लिया जाना चाहिए था। श्रमिकों में वृद्धावस्था के लिए असुरक्षा की भावना व्याप्त है। दुर्घटना के समय भी असुरक्षा की भावना होती है। जैसा कि ठीक ही कहा गया है, श्रमिक की कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है तथा उसकी विधवा की देखभाल करने वाला कोई नहीं होता है। विशेषकर शिल्पकारों में आप कुल जनसंख्या की तुलना में अधिक विधवाओं की संख्या पाते हैं, चूंकि वे अधिक श्रम करते हैं तथा जिसके परिणामस्वरूप उनमें हमेशा केलोरी की कमी रहती है।

सभापति महोदय: धन्यवाद, कृपया सहयोग दें।

अगले वक्ता श्री तरित बरण तोपदार हैं।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: ठीक है, मैं बैठ जाता हूं।

श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर): मुझे इन मुद्दों पर बोलने का अवसर देने के लिए धन्यवाद। मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि मुझसे पहले के सदस्य ने अपना भाषण पूरा नहीं किया तथा उनके भाषण समाप्त करने से पूर्व मुझे खड़ा होना पड़ा और भाषण देना पड़ा।

मुझे डर है कि समूची श्रमशक्ति 'हायर एण्ड फायर' नीति के अंतर्गत आ जाएगी चूंकि 1991 के बार 'हायर एण्ड फायर' का सिद्धांत कांग्रेस पार्टी द्वारा लाया गया था तथा इसके पश्चात् भाजपा ने हायर एण्ड फायर नीति को सफलतापूर्वक कार्यान्वित करने का प्रयास किया जिसके बुरे प्रभाव इस समय देखने को मिल रहे हैं जब हम इस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। *[हिन्दी]* इस

[श्री तरित बरण तोपदार]

बात की सबको जानकारी है कि हमारे देश में पिछले 10 साल में पांच मर्तबा असंगठित मजदूरों के मामले में बिल लाने की ड्राफ्टिंग हुई है। सब कुछ किया गया, अब फिर यह बिल लाया जाएगा। हम नहीं जानते हैं कि इस बिल का क्या नतीजा निकलेगा और इस बिल का कंसेप्ट क्या है। इस बारे में हमें कुछ पता नहीं है।

यहां बहुत से बिंदुओं के बारे में बात हो चुकी है इसलिए मैं उसे दोहराना नहीं चाहता हूं। [*अनुवाद*] हमने सैंकड़ों कानून बनाए है परन्तु उनका कोई फायदा नहीं हुआ। [*हिन्दी*] इतने सारे कानून हैं प्रॉविडेंट फंड को लेकर इतने कानून हैं लेकिन अनऑरगेनाइज्ड लेबर के लिए कोई लागू नहीं होता है। अनऑरगेनाइज्ड लेबर की सुरक्षा के बारे में लगता है कि दर्जनों कानून हैं लेकिन माननीय मंत्री महोदय जवाब दें कि इसके लिए कितने कानून सच में लागू हो रहे हैं? उन कानूनों के उल्लंघन के कारण दोषी व्यक्ति या दोषी इंस्टीट्यूशन को क्या सजा मिलती है? आज ऑरगेनाइज्ड इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा हिस्सा अनऑर्गेनाइज हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया कि हायर एंड फायर सिस्टम, इधर से फ्लोटिंग हुआ और उधर से लागू हुआ। [*अनुवाद*] सभी सुधारों के नाम पर [*हिन्दी*] एक ही फैक्ट्री में, ट्रांसपोर्ट वर्कर, रिक्शा वाला, एग्रीकल्चर लेबर, होम बेस लेबर, हॉकर्स, टेरिटोरियल हॉकर्स, रेलवे हॉकर्स, रोड साइड शॉप लेबर, स्ट्रीट हॉकर्स हैं। [*अनुवाद*] ऐसे सैंकड़ों क्षेत्र हैं जहां असंगठित क्षेत्र के श्रमिक किसी अन्य व्यक्ति के पास अथवा स्वरोजगार में कार्यरत व्यक्ति के रूप में कार्य कर रहे हैं। [*हिन्दी*] लेकिन आज इसके साथ मैं एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आर्गेनाइज इंडस्ट्री में आर्गेनाइज इंडस्ट्री लेबर को अनऑर्गेनाइज लेबर सरपास कर गया है। [*अनुवाद*] एक ही मशीन पर दो व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। एक वैश्विकरण पूर्व के दिनों में 6000 से 7000 रुपये प्रति मास के वेतन पर नियोजित था। वैश्विकरण के पश्चात् कर्मचारी 2500 रुपये प्रति मास वेतन पा रहे हैं। ऐसा सभी फैक्ट्रियों में हो रहा है। [*हिन्दी*] आप कहीं भी चलें मैं दिखा सकता हूं कि वहां क्या है? यह गवर्नमेंट की हिफाजत से हुआ। आपने थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया है तो हिफाजत आपकी होनी चाहिए, आपकी हिफाजत से सब हो रहा है। आप अखबार में देखेंगे कि उस इंडस्ट्री को इतना मुनाफा हुआ, हजार करोड़ हुआ, दो या चार हजार करोड़ मुनाफा हुआ, सरपास कर गया, इसका देश में बहुत जोरदार समर्थन होता है और इस बात को उजागर किया जाता है। [*अनुवाद*] कामगारों का क्या हुआ? यह सब किस कीमत पर हुआ है? यह सब एकाधिकार पद्धति तथा श्रम या दोनों की कीमत पर हुआ है। [*हिन्दी*] इसकी कोई रिसर्च नहीं होती है, कोई अनुसंधान नहीं होता है। इसके बारे में एक बार भी मीडिया के माध्यम से लोगों के पास नहीं जाते। यहां तक कि आईटी इंडस्ट्री में साठ या सत्तर लाख रुपए मिलते हैं लेकिन जो दरवाजे पर खड़ा होकर सैल्यूट करता है उसे बारह सौ रुपये प्रति महीना मिलते हैं। उसके लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। [*अनुवाद*] ये असंगठित क्षेत्र में कार्यरत हैं तथा 1 लाख प्रति माह वेतन अर्जित कर रहे हैं तथा यह गरीब एवं निसहाय व्यक्ति असंगठित क्षेत्र में मजदूर के रूप में कार्य कर रहा है तथा 1200 रुपये प्रति माह कमा रहा है। [*हिन्दी*] आर्गेनाइज वर्कर, आर्गेनाइज लेबर और आर्गेनाइज अफसर आदि एक ही कमरे में काम कर रहे हैं,

अपराह्न 4.00 बजे

उसी जगह पर अनऑर्गेनाइज्ड लेबरर्स काम कर रहे हैं - इसका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। [*अनुवाद*] इस मुद्दे पर सरकार क्या दृष्टिकोण अपनाने जा रही है? मैं इस पर बाद में आऊंगा। [*हिन्दी*] अनऑर्गेनाइज्ड लेबर का जी.डी.पी. में सबसे ज्यादा योगदान होता है, जो साठ परसैन्ट है। [*अनुवाद*] एक समय 96 प्रतिशत से अधिक श्रमशक्ति असंगठित क्षेत्र में कार्यरत थी। अब उस रिपोर्ट के अनुसार यह कम होकर 93 प्रतिशत रह गई है। 80 के दशक में यह 96 प्रतिशत थी। बीस वर्ष बाद यह कम होकर 93 प्रतिशत रह गई। असंगठित क्षेत्र में यह 93 प्रतिशत श्रमशक्ति सकल घरेलू उत्पाद में असंगठित क्षेत्र के कामगार 60 प्रतिशत योगदान करते हैं। परन्तु इन निसहाय लोगों के लिए बजटीय सहायता लगभग शून्य ही है। [*हिन्दी*] अनआर्गेनाइज्ड लेबर फोर्स ज्यादातर खेतिहर मजदूर हैं। [*अनुवाद*] उन्हें धीरे-धीरे कहीं और ले जाया जा रहा है। वे बंधुआ मजदूर बनते जा रहे हैं। [*हिन्दी*] बौन्डेड लेबर बनाने का प्रैशर उसी तरफ जा रहा है। [*अनुवाद*] हमारी अर्थव्यवस्था में एक अभिकेन्द्री बल है, जो संपूर्ण श्रमशक्ति को बंधुआ मजदूरी की ओर खींचता जा रहा है। वैश्विकरण के पश्चात् यही हुआ है। [*हिन्दी*] जो सौ-डेढ़ सौ सालों से वर्किंग क्लास को अधिकार मिला हुआ था, वह आज चला गया। ग्लोबलाइजेशन के बारे में इन्टैलैक्चुअल्स में सिर्फ बहस हो सकती है। [*अनुवाद*] यह कहा जा सकता है कि वैश्विकरण एक प्रक्रिया है वैश्विक परिदृश्य में अपने आपको ढालने के लिए आपके पास एक नीति होनी चाहिए। [*हिन्दी*] सारी बात कही जा सकती है। लेकिन लेबर क्या समझता है? लेबर समझता है कि हमारा क्या हुआ, हमारा सौ साल का अधिकार चला गया। मैं श्री बंकिमचंद चटर्जी की एक बात कहता हूं, जिन्होंने वंदेमातरम् गाया था। उन्होंने बताया था कि देश की बहुत उन्नति हुई, तरक्की बहुत हुई, टेलिग्राम से खबर आई कि आप कुछ घंटों के अंदर अपने पिता के पास पहुंच गये और उनकी सेवा करने लगे। लेकिन मैं बता रहा हूं कि हाशिम शेख और रामादेवव्रत का क्या हुआ, वह परिचित है। [*अनुवाद*]

वैश्विकरण का श्रमिकों पर सबसे प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। *[हिन्दी]* एक कारखाने में जाकर देखा कि ग्लोबलाइजेशन क्या है। एक ही मशीन में काम करने वाले छः हजार और उसी काम को करने वाले ढाई हजार। इसलिए अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के बारे में आपका एक दृष्टिकोण होना चाहिए। आज यहां यू.पी.ए. की सरकार है, जो वाम मोर्चा के समर्थन से हैं। आज दुनिया में वामपंथियों का जयकार हो रहा है। चाहे बी.जे.पी. हो कांग्रेसी हो, कोई भी पार्टी हो, चाहे मैं हूं, चैवेज क्या होता है, वह अमरीकन साम्राज्यशाही के खिलाफ बोलेगा और गरीब के साथ रहेगा। यह वामपंथियों की इमेज है। *[अनुवाद]* संपूर्ण सदी के दौरान अपने आंदोलन के द्वारा वामपंथियों ने यही किया है। *[हिन्दी]* यह 100 साल पुराना मूवमेंट है, खासकर दूसरे विश्व युद्ध में साम्राज्यवाद के खिलाफ कामगारों के पक्ष में काम करते हुये जो गुड नेम अर्न किया है...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त करें।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं।

इसलिये आज यह बात साफ है कि ग्लोबलाइजेशन के अंदर जिस बात की विदाई दी गई थी, वह *[अनुवाद]* एक व्यक्तिवाद है तथा दूसरी है कल्याण की अवधारणा है। कल्याण के सिद्धांत को अलविदा कह दिया गया था तथा अब संयुक्त गठबंधन सरकार को वाम समर्थन के कारण, एक प्रकार के कल्याण की अवधारणा वापिस आई है। *[हिन्दी]* मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि राष्ट्रीय भावना को ध्यान में रखते हुये इस कार्यक्रम को लें। जिस तरह राष्ट्रीय रोजगार कानून बनाया गया है, उसी तरह का अनऑर्गेनाइज्ड लेबर के लिये कानून बनाईये। देहातों में यह संख्या ज्यादा है। वहां कानून रहते हुये भी कई लोग 10 से 40 हजार एकड़ जमीन के मालिक हैं। बड़े दुख की बात है कि यहां लोग किसानों के दर्द की बात करते हैं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री तरित बरण तोपदार: महोदय, मैं समाप्त कर रहा हूं। यह अंतिम मुद्दा है। *[हिन्दी]* किसान कौन होता है, जो कृषि करता है। मुझे कहते हुये दुख होता है कि एक हजार एकड़ जमीन वाले भी किसान हैं। *[अनुवाद]* हम कृषकों की बात कर रहे हैं। हम कृषि श्रमिकों की बात कर रहे हैं। हम छोटे और सीमांत किसानों की बात कर रहे हैं तथा हम हिस्सेदार श्रमिकों की बात कर रहे हैं। *[हिन्दी]* पश्चिम बंगाल में लैंड टू टिलर्स - इस तरह का आन्दोलन हुआ, संघर्ष हुआ था। कांग्रेस और बी.जे.पी. वाले जमीदारों और सरमायदारों के साथ हैं। हमने आन्दोलन किया और उन जमीदारों से जमीन छीन ली। पश्चिम बंगाल में लैफ्ट फ्रंट की सरकार आने के बाद उसे कानून का दर्जा दिया गया। इसलिये मेरी दरख्वास्त है कि जिस लेबर क्लास के हम लोगों ने आंसू देखे हैं, उनके हित में इस बिल को बनाये जाने की मैं ताईद करता हूं...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: कृपया समाप्त कीजिए।

श्री तरित बरण तोपदार: इसलिए, सभी सदस्यों को यह शपथ लेनी चाहिए कि हम समूचे देश में उन लोगों से अधिक भूमि ले लेंगे जिनके पास अधिक भूमि है तथा इसे भूमिहीन किसानों में बांट दिया जाएगा।...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री तोपदार, आपने अपने दल का पूरा समय ले लिया है। इसलिए, मैं आपके किसी अन्य सदस्य को अवसर नहीं दूंगा।

[हिन्दी]

श्री तरित बरण तोपदार: हम लोगों ने जमीदारों से जमीन छीन ली। हम लोगों को इस संघर्ष में एक साथ रहना चाहिये, तभी जाकर इस बिल का कुछ मतलब निकलता है, वर्ना नहीं। सरकार ने दर्जनों कानून बनाये हुये हैं, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है और कुछ के साथ होने वाला है। अगर आप इस ओर ध्यान देंगे तो देश तरक्की करेगा। यह 100 साल पुराना आंदोलन है, केवल एक गलत बात का प्रचार करने की चिन्ता नहीं करनी चाहिये, यही बात याद दिलाते हुये मैं अपना वक्तव्य खत्म करता हूं।

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति जी, देश में असंगठित श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में यहां नियम 193 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव और डा. सुजान चक्रवर्ती ने जो चर्चा उठायी है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

सभापति जी, इसके साथ ही मैं नये श्रम मंत्री का भी स्वागत करता हूं।

आज इस सदन में चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों तरफ के सम्मानित सदस्य देश के अंदर 36.20 लाख करोड़ असंगठित मजदूरों के लिए बहस कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं। अगर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इनको क्लासिफाइ किया जाए तो उसमें कृषि मजदूर भी हैं, वन मजदूर भी हैं, रिक्शा चालक भी हैं, रेहड़ी पर सामान बेचने वाले मजदूर भी हैं, अपने घर में तरह-तरह का काम करने वाले मजदूर भी हैं, दूसरों के घरों में काम करने वाले मजदूर भी हैं, निर्माण करने वाले मजदूर भी हैं, सफाई कर्मी भी मजदूर हैं, कूड़ा-कबाड़ बीनने वाले भी मजदूर हैं, दुकानों और व्यापार स्थलों पर काम करने वाले मजदूरों के विषय में भी यहां पर चर्चा हो रही है।

आज हम यहां चर्चा कर रहे हैं लेकिन देखा जाए तो इस राजधानी में जहां देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस विषय पर चर्चा हो रही है, 44 लाख असंगठित मजदूर दिल्ली में हैं। जैसे देवेन्द्र भाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र या अन्य गरीब प्रदेशों से जिनको सही मायने में सरकार पैकेज नहीं दे पा रही है, वहां के मजदूर यहां आकर काम कर रहे हैं। अभी चर्चा हो रही थी। मैं बताना चाहूंगा कि पश्चिम बंगाल में 296 लाख मजदूर असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। ये उसी श्रेणी में हैं जो अन्य प्रदेश के लोग यहां आकर काम कर रहे हैं। उनके लिए पी.एफ. की व्यवस्था भी नहीं की गई है। हम बहुत बातें करते हैं, मगर उनके लिए न पैंशन की व्यवस्था है, न ग्रैच्युटी हम दिला पाए हैं। सरकार समय समय पर हमेशा कहती है कि गरीबी उन्मूलन करेंगे, रोजगार सृजन करेंगे और इस विषय में कई योजनाएं भी लागू हुई हैं चाहे स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना हो या संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना हो या स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना हो या राष्ट्रीय शहरी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हो। मैं यहां ग्रामीण विकास मंत्रालय की समिति का सदस्य था इसलिए लड़-भिड़कर अपने क्षेत्र में वह योजना ले गया। बाकी योजनाओं के संबंध में शायद कोई भी सम्मानित सदस्य नहीं जानता होगा कि उनमें क्या होता है। वहीं पर सरकार ने जनश्री बीमा योजना मजदूरों के लिए लागू की है जो स्वागत योग्य है।

जहां तक राष्ट्रीय असंगठित क्षेत्र उद्यम आयोग की स्थापना की गई है, उसमें आपने असंगठित मजदूरों के लिए बहुत सारे काम किये हैं। मैं इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि जो हमारे लघु उद्योग हैं, उनके असंगठित मजदूरों को प्रोत्साहित करने की जरूरत है जो आज भारी तादाद में ग्रामीण स्तरों पर और गांवों में बसते हैं। अगर उस श्रेणी में लिया जाए तो बीड़ी श्रमिक, गैर कोयला खान श्रमिक और सिनेमा श्रमिकों के लिए भी आपने कुछ काम किया है, चाहे स्वास्थ्य सेवा हो, आवास हो, बच्चों की शिक्षा हो या पेयजल आपूर्ति हो, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं के बराबर हुआ है। जो लाभ उन्हें मिला है, मैं आपके दिए हुए आंकड़े देख रहा था कि 44 लाख बीड़ी श्रमिक, 63 हजार सिनेमा श्रमिक और 74 हजार गैर कोयला खान श्रमिक आपने इसमें शामिल किये हैं। आज जरूरत इस बात की है कि हमारी संख्या करीब 37 करोड़ है। हमने बहुत कम लोगों को असंगठित मजदूरों में शामिल किया है। आज पूरे देश में उनको चिन्हित करके ऐसे असंगठित मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा सुविधा देने की जरूरत है। अभी तमाम सदस्यों ने बात कही है कि विश्व के 90 देशों में 74वां स्थान भारत का है जहां सामाजिक सुरक्षा की बात कही गई है जिसमें श्री अर्जुन सेनगुप्ता आयोग ने अपनी रिपोर्ट माननीय प्रधान मंत्री जी को सौंपी है। उस पर हमें तेजी से काम करने की जरूरत है। दिल्ली में ही फुटपाथ पर 30 हजार संगठित मजदूर आज भी सोते हैं।

वे सब काल के गाल में समा जाते हैं। उनके लिए हमने अभी तक आवास की व्यवस्था नहीं की है। इसी दिल्ली से आपने 22 रेन बसेरे बनाए हैं और आप उनसे छः रुपए प्रति रात शुल्क लेते हैं, जब कि आपको यह शुल्क नहीं लेना चाहिए। ये बहुत मुश्किल से कमाते हैं, इसलिए इस शुल्क को आप माफ कीजिए। उनके लिए चाहे जाड़ा हो, गर्मी या वर्षा हो, आपको तमाम तरीके की उन्हें सुविधा देनी चाहिए। उनके स्वास्थ्य के बारे में समय-समय पर वहां परीक्षण होने चाहिए, यह आपको करने की जरूरत है। दूसरी तरफ इन असंगठित मजदूरों में महिलाओं की बड़ी तादाद है, जिनकी बड़ी समस्या है। मैं एम.एस. फ्लेट में रहता हूं, मैंने देखा है कि वहां कुछ काम चल रहा है। वहां दो-तीन यंग लेडिस काम कर रही हैं। उनके बच्चे लौन में खेलते हैं। इसलिए आज यह भी सोचने की जरूरत है कि उनके बच्चों की शिक्षा, क्रैच की व्यवस्था की जाए, उनके लिए ठेकेदार क्रैच की व्यवस्था करें। असंगठित मजदूर अपने बच्चों को क्रैच में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे इतने गरीब हैं। उनके स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके बच्चों की वहां रहने के लिए व्यवस्था की जाए और इस व्यवस्था को ठेकेदार करे।

इसी राजधानी दिल्ली में दो लाख के करीब कबाड़ी हैं, उनमें ज्यादातर बाल श्रमिक हैं। आपने देखा होगा कि वे बोरा एवं थैला लेकर कबाड़ में से चुनते हैं। उनका भी हम इसमें जिक्र करना चाहेंगे। उनके बारे में भी सोचना चाहिए। जो कबाड़ बेचते हैं, उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल पाती और अमीर घर के लोग उन्हें अछूत एवं गंदगी के रूप में समझते हैं, लेकिन वे भी मजदूर आदमी हैं। वे भी खाते-पीते हैं, उनका भी शरीर है, उनके अंदर भी खून है, वे भी इंसान हैं, लेकिन आज यह देखा जाता है कि घर में पले हुए कुत्ते को हम कार में ले जाते हैं। उसे हम बिस्कुट एवं केक खिलाते हैं, पानी पिलाते हैं और उसे बच्चों से भी ज्यादा बढ़ कर मानते हैं, ऐसी असमानता एवं

अछूतापन क्यों है. इस सदन में इस बात की तरफ भी सोचने की जरूरत है। न इन मजदूरों की और न ही इनके बच्चों की सुध ली जाती है। मैंने पहले ही इस बारे में कहा है, इसलिए मैं उस पर विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जहां भी काम चल रहा हो, वहां ठेकेदारों को कम्पलसरी कर दिया जाए कि वहां अगर लेडी मजदूर हैं तो उनके बच्चों को क्रैच जैसी सुविधा मिलनी चाहिए, यह कम्पलसरी कर देना चाहिए। अगर यह व्यवस्था ठेकेदार न करे तो उसे ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए, तभी हम असंगठित मजदूरों की सुरक्षा कर पाएंगे।...*(व्यवधान)* राष्ट्रीय आयोग ने सिफारिश की है...*(व्यवधान)* जीवन बीमा है। उसमें पैंशन देने की सिफारिश की गई है और उसमें कुछ सुझाव दिए है, जैसे स्वास्थ्य सुविधा पर अस्पताल में 15 हजार रुपये मुफ्त एक परिवार के सदस्य सहित आपने दिए है जबकि यह राशि बहुत कम है। अगर कोई गम्भीर बीमारी से मर रहा है तो 15 हजार रुपये में उसका इलाज नहीं हो सकता है। आपने मातृत्व लाभ में केवल एक हजार रुपये दिए हैं जबकि यह भी बहुत कम है। आपने जीवन बीमा में 15 हजार रुपये रखे हैं, दुर्घटना बीमा में 25 हजार रुपये का प्रावधान किया है, मजदूरों का योगदान एक रुपये और सरकार की तरफ से एक रुपया रखा है। भविष्य निधि में 10 परसेंट सुनिश्चित लाभ होने की बात आपने कही है। 60 वर्ष के बाद 200 रुपये प्रति माह पैंशन की बात कही है जबकि आज की महंगाई में हम लोगों ने सदन में इस विषय में चर्चा की थी। यह जो नगण्य राशि है उसे बढ़ाने की जरूरत है। रिक्शा चालकों के लिए मैं उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। रिक्शा चालकों की फीस को उन्होंने माफ किया है। जो रिक्शा उनके पास थी वह उनकी हो गई है। यह सुविधा सरकार ने की है। बेरोजगारी भत्ता भी बांटने का काम किया। डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि बेरोजगारों को रोजगार दो या उन्हें बेरोजगारी भत्ता दो। यह काम यदि उत्तर प्रदेश में किसी मुख्यमंत्री ने किया है वह माननीय मुलायम सिंह जी ने किया है। इसके लिए मैं उन्हें बधाई देना चाहूंगा।...*(व्यवधान)*

महात्मा गांधी जी ने यंग इंडिया में 1930 में लिखा है कि मैं गरीब को कपड़ा देकर तिरस्कृत नहीं करना चाहता जिन की उन्हें जरूरत नहीं है। उनकी प्रमुख जरूरत रोजगार है। रोजगार मिले तो वे दवा, कपड़ा और अपने भोजन की व्यवस्था स्वयं कर लेगा।

सभापति जी, जहां तक खेतिहर मजदूरों की बात है, उनके बारे में यहां बड़े विस्तार से चर्चा हुई है, लेकिन आज भी उनका गांवों से शहरों की ओर पलायन जारी है, जिसे रोकने की जरूरत है।

महोदय, जो सबसे सीरियस मैटर है, जिसे मैंने शून्य-काल में भी उठाया था, हमारे मित्र श्री रवि प्रकाश यहां बैठे हैं, हमने जो कुछ पेपर्स में पढ़ा, उसके आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि अफगानिस्तान में हमारे यहां के 41 मजदूरों का शोषण हो रहा है। वहां उनकी समय-सीमा पूरी हो चुकी है, उनका समय व्यतीत हो रहा है, लेकिन उन्हें वापस नहीं भेजा जा रहा है। उन्हें न तो भारत लौटाया जा रहा है और न उन्हें मजदूरी दी जा रही है - उल्टे उन्हें धमकी दी जा रही है कि वहां उनकी आंखें और गुर्दे निकाल लिए जाएंगे। हमारे देश के जो मजदूर देश से बाहर काम कर रहे हैं, उनकी सुध लेने की जरूरत है और उनकी समस्याओं पर भी विचार करने की आवश्यकता है। जो यहां से बाहर काम करने जा रहे हैं, उनका शोषण हो रहा है, उनके ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। उन्हें बचाने की जरूरत है।

महोदय, हमारे लखीमपुर खीरी के एक सरदार श्री तरसेम सिंह हैं, जो कुवैत में काम करते हैं। उनका ढाई साल का एग्रीमेंट पूरा हो गया है। तीन साल से ऊपर हो गए हैं। उनकी मां बीमार है। उन्हें वापस नहीं आने दिया जा रहा है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि विदेश में काम करने वाले हमारे मजदूरों की तरफ भी ध्यान देने की जरूरत है ताकि उनका शोषण न हो और उनके ऊपर अत्याचार न किए जा सकें। आपने मुझे इस विषय पर अपनी बात रखने का समय दिया, इसके लिए आपको कोटिशः धन्यवाद।

श्री राम कृपाल यादव (पटना): माननीय सभापति जी,...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यादव जी, मैं आपसे निवेदन कर दूं कि आपकी पार्टी का समय लगभग समाप्त हो गया है। इसलिए आप अपनी बात केवल पांच मिनट में समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: सभापति जी, मेरा यह दुर्भाग्य है कि जब भी मैं बोलने के लिए खड़ा होता हूं माननीय अध्यक्ष पीठ पर बैठे पीठासीन अधिकारी मेरे बोलने से पहले मुझे अपना भाषण खत्म करने की हिदायत कर देते हैं, जिससे मैं डिरेल हो जाता हूं।

सभापति महोदय: इसमें दुर्भाग्य जैसी कोई बात नहीं है। मैं तो आपसे सहयोग मांग रहा हूं। आपकी पार्टी के श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी 43 मिनट बोल चुके हैं।

श्री राम कृपाल यादव: मैं कोशिश करूंगा कि जो समय-सीमा आपने बांधी है, उसी में समाप्त करूं, लेकिन यदि उससे दो-चार मिनट इधर-उधर हो जाऊं, तो कृपया बीच में टोकिए मत, नहीं तो मेरा विचार-क्रम टूट जाएगा।

[श्री राम कृपाल यादव]

सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान किया है। मैं भाई देवेन्द्र प्रसाद जी के प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने आज असंगठित श्रमिकों के संबंध में अपनी बात प्रारम्भ की है और कई माननीय सदस्यों ने इस पर चर्चा की है। हम लोग संगठित मजदूरों के बारे में चर्चा करते रहे हैं, लेकिन असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के बारे में बहुत कम चर्चा करते हैं। इस देश की आबादी का लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा किसान व गरीब मजदूर हैं। उसमें असंगठित मजदूरों की आबादी लगभग 37 करोड़ है। आज भी हमारे देश में 37 करोड़ आबादी गरीब व फटेहाल है। हमारे देश के मजदूरों में 75 प्रतिशत मजदूर वे हैं जो किसान हैं, जिन्हें सालभर रोजगार नहीं मिलता। वे अपने खाली समय में रोजगार के अवसर खोजने के लिए शहरों में चले जाते हैं। देश के असंगठित मजदूरों में बीड़ी बनाने वाले, टैम्पो चलाने वाले, प्लम्बर का काम करने वाले, घड़ी बनाने वाले, छोटे-छोटे कारखानों में काम करने वाले हैं, जो किसी तरह से इन उद्योगों में लगकर अपनी जीविका उपार्जन करते हैं। देश के बड़े-बड़े चार शहरों में इस प्रकार के मजदूरों की संख्या बहुत ज्यादा है। इनमें मुम्बई, दिल्ली, चेन्नै और बंगलूरु आते हैं। ये देश के महत्वपूर्ण शहर हैं। इन्हीं शहरों में गरीब मजदूर जाकर अपनी जीविकोपार्जन करते हैं।

महोदय, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि देश के चार राज्य ऐसे हैं जहां मजदूर आत्महत्या कर रहे हैं, जिनकी चर्चा हम अनेक बार सदन में कर चुके हैं, मगर उनसे भी बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका नोटिस हम नहीं ले रहे हैं, जिनकी आवाज उठाने वाला कोई नहीं है, वह असंगठित मजदूरों की है, जो हर रोज अपने प्राण दे रहे हैं, लेकिन उनका नोटिस नहीं लिया जाता है। यह चिन्ता का विषय है। सदन को असंगठित मजदूरों के बारे में चिन्ता करनी चाहिए। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान देश के सबसे बड़े वर्ग असंगठित मजदूरों की खराब हालत की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि असंगठित क्षेत्र के लोग मकानों को बनाते हैं, वहीं जूते-चप्पल सीने का काम करते हैं, कपड़े सीने का काम करते हैं, अपने छोटे-छोटे हाथों से बड़े-बड़े उपकरणों को बनाते हैं, लेकिन कैसी व्यवस्था है कि इस 58 साल की आजादी के बाद वे मजदूर, जो मजदूरी करके आलीशान मकान बनाते हैं, उनके रहने के लिए घर नहीं है। वे फुटपाथ पर आते हैं। जो जूता सींता है, उनके पैर में चप्पल दिखाई नहीं देगी, जो कपड़ा सिलता है, उनके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है - यह व्यवस्था आजादी के 58 सालों के बाद है। गांधी जी के उस सपने का क्या हुआ, जब उन्होंने कहा था कि देश आजाद होगा तो हर आदमी को अधिकार मिलेगा, हर आदमी को रोजी-रोटी मिलेगी, हर आदमी को शिक्षा और स्वास्थ्य मिलेगा। आज क्या वह मिल पाया है? आज भी बड़े पैमाने पर असंगठित मजदूर, जो रिक्शा, ठेला, टैम्पो चलाने वाले लोग हैं, वे खुले आकाश में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, न केवल अपना जीवन, अपने परिवार के साथ, जैसा यहां माननीय सदस्यों ने चर्चा की कि अभाव में वे फुटपाथों पर दम तोड़ देते हैं। उनके लिए सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की, उनके लिए चिन्ता भी सरकार की नहीं है।

हमारे माननीय सदस्य शैलेन्द्र जी ने ठीक कहा कि आज दो तरह की व्यवस्था है। एक व्यवस्था यह है कि जो बड़े लोग हैं, उनके कुत्ते भी कार में चलते हैं, बिस्कुट, डबलरोटी, केक और मलाई खाते हैं और बिछौने पर उनकी बगल में गद्दे पर सोते हैं। वे कहीं जाते हैं तो उनके साथ फाइव स्टार होटलों में रहते हैं। दूसरी तरफ वे लोग हैं, जो इस देश के निर्माण में अपना खून और पसीना लगाने का काम करते हैं। उनके लिए क्या व्यवस्था है, वे भूखे रह जाते हैं, कई ऐसे घर हैं, जो मजदूर बेचारा कमाकर घर आता है, दिन भर खेत में, खलिहान में काम करके, रिक्शा चलाकर, सड़कों पर ठेला चलाकर, उनके बच्चों को रोटी भी नहीं मिलती है, उनको नमक और रोटी भी नसीब नहीं है। अगर यही असमानता रही तो देश की तरक्की सम्भव नहीं है। उनके लिए शिक्षा की कोई व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। यू.पी.ए. सरकार का एक कमिटमेंट है, जिस सरकार का मैं पार्टनर हूं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि यू.पी.ए. सरकार का यह कमिटमेंट है कि असंगठित मजदूरों की समस्या का हम निदान करेंगे, मगर क्या हम पा रहे हैं। ढाई साल की हमारी सरकार की अवधि बीत गई, हमने क्या कोई ऐसे महत्वपूर्ण कदम उठाये? हां, आपने आयोग जरूर बना दिया था। शाहीन साहब की बात यहां कही जा रही थी। शाहीन साहब की अध्यक्षता में आपने एक राष्ट्रीय आयोग बनाया है। शाहीन साहब ने प्रधानमंत्री जी के पास उसकी रिपोर्ट भेज दी है, लेकिन वह रिपोर्ट केवल प्रधानमंत्री जी के कार्यालय तक रहेगी, उसे सदन में लाकर आम लोगों तक पहुंचाने का काम होना चाहिए। जो उन्होंने सुझाव दिये हैं, जिनकी चर्चा की गई है, वे यहां आने चाहिए। जो जीवन बीमा की बात कही जाती है, असंगठित मजदूरों के लिए स्वास्थ्य की बात कही जाती है, शिक्षा की बात कही जाती है, उनके लिए अन्य दूसरे जो महत्वपूर्ण सुझाव दिये जाते हैं, उनको लागू करने का आप काम करेंगे। अगर आप ऐसा काम नहीं करेंगे, तो निश्चित तौर पर वह बड़ा भाग और बड़ा तबका जब तक

रोता रहेगा, तब तक हिन्दुस्तान रोता रहेगा। मैं बताना चाहता हूं कि आज क्या हो रहा है, बड़े पैमाने पर सीलिंग की जा रही है, मकान-दुकान की तो सीलिंग होती ही है, लेकिन झोंपड़ियों की सीलिंग भी की जा रही है, रिक्शों की सीलिंग लगाई जा रही है - यह कौन सा कानून है, कौन सा नियम है। अगर नियम बाधा है, तो सरकार को, माननीय गृह मंत्री जी अभी यहां नहीं हैं, मंत्री जी मैं आपसे निवेदन करता हूं कि नियमों में संशोधन कीजिए, ताकि ऐसे लोगों को सीलिंग के माध्यम से आप जिन्हें बेरोजगार कर रहे हैं, वह रुके। बेरोजगारी और भुखमरी की समस्या इस देश में बड़े पैमाने पर है। मूल समस्या की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते हैं। आज गांव से लोग शहर में आ रहे हैं, गांवों की तरफ आप अपनी तवज्जह देने का काम कीजिए। गांवों की खुशहाली की तरफ ध्यान देने से ही काम नहीं चलेगा, वहां रोड नहीं है, बिजली नहीं है। हां, आपने कुछ योजनाएं लागू की हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक निर्णय लिया है। आपने नियम और कानून बनाया है कि जो गरीब लोग हैं, उनके लिए रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत रोजगार देने का अवसर आपने प्रदान किया है।

महोदय, मैं बहुत सेंटीमेंट्स के साथ अपनी बात कह रहा हूं, कृपया मुझे बोलने का थोड़ा समय और दें।

सभापति महोदय: आप दस मिनट ले चुके हैं, कृपया अपनी बात जल्दी समाप्त करें।

श्री राम कृपाल यादव: मैं कहना चाहता हूं कि आप उनके लिए कोई ठोस उपाय करें। मैं आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। इनका शोषण कब तक होता रहेगा? मैं जो एहसास करता हूं, वही मैं सदन के सामने कह रहा हूं। गांधी जी के सपनों को आप कब साकार करेंगे? आजादी के इतने सालों के बाद हम गांधी जी के नाम से मत ले रहे हैं। गरीबों की बात सभी करते हैं, लेकिन गरीबों के कल्याण करने के लिए जब कोई ठोस कदम उठाने की बात होती है, यू.पी.ए. सरकार के कामन मिनिमम प्रोग्राम में इन सारी बातों की चर्चा है, उस चर्चा को हम केवल कागजों पर रखेंगे या सरजमीं पर उतारने का काम करेंगे। हमारी सरकार झुग्गी झोपड़ी हटाओ अभियान में लगी हुयी है। शैलेन्द्र जी कह रहे थे कि समाजवादी पार्टी की, मुलायम सिंह जी की सरकार उन्हें बसा रही है। जब हमारी सरकार थी, तब भी झुग्गी-झोपड़ी वालों को बसाने के लिए पक्के मकान बनाये गये। डेढ़ लाख लोगों की आबादी स्वयं मेरे संसदीय क्षेत्र पटना में है। वहां स्लम इलाके में रहने वालों को हटाने का काम किया जा रहा है। सरकार निर्माण का काम नहीं कर रही है,' बल्कि सरकार उजाड़ो अभियान में लगी है। आजकल मॉल सिस्टम आ रहा है, मकानों को हटाकर मॉल बनाइए, बड़े-बड़े मल्टीप्लैक्स बनाइए, गरीबों को हटाइए और बड़े लोगों को बसाइए - इसी काम में सरकार लगी है। इस मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप बड़े शहर या छोटे शहरों में देखें, हर जगह गरीब बसे हुए हैं, उनके लिए आपको कोई ठोस योजना और उपाय अपनाने पड़ेंगे।

मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी आपके मन में गरीबों के लिए दर्द है। आप नये लेबर मिनिस्टर बने हैं, आप जरूर कोई ठोस उपाय निकालेंगे, जो अनुशंसायें दी गयी हैं, उन के अनुरूप स्ट्रिक्ट कानून बनायेंगे, ताकि देश के इतने बड़े पैमाने पर जो 37 करोड़ असंगठित मजदूर हैं, जो गरीबी और फटेहाली में हैं, जिनको दो वक्त की रोटी नहीं मिल रही है, जिनको स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिल रही है, जिनके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो रही है, उनके लिए आप कोई उपाय निकालेंगे।

इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस विश्वास के साथ कि आप सिर्फ घोषणा नहीं करेंगे, आप कार्यवाही करने के लिए कदम उठाएंगे। खेतिहर मजदूर और असंगठित मजदूर, जो बड़े पैमाने पर परेशानी और बदहाली में हैं, उनकी समस्याओं का निदान हम कर सकें। आप झोपड़ियों की तरफ ध्यान दीजिए, तभी देश मजबूत हो सकता है।

श्री मित्रसेन यादव (फैजाबाद): महोदय, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने का मौका दिया और जो माननीय सदस्य इस प्रस्ताव को लाए हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं। 'दुनिया का यह पहला देश है, जहां संस्कार से ही लोगों को गरीब बना दिया गया है। इस देश में सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कुछ लोगों को यह बता दिया गया है कि तुम्हारे मुकद्दर और तकदीर में यही लिखा है कि तुम दूसरों की खिदमत करो। जिस देश के अंदर इस तरह की व्यवस्था होगी, उसमें जब तक आमूल-चूल परिवर्तन नहीं किया जाएगा, तब तक इस संस्कार से लोगों को उबारना असान नहीं है। हम पार्लियामेंट में बैठकर चाहे जो बातें कर लें, चाहे जो आयोग बना लें, चाहे जितने सुधार किए गए हों, मगर ज्यों-ज्यों हम मर्ज का इलाज करते गए, त्यों-त्यों मर्ज बढ़ता ही गया। स्थिति यहां तक पहुंच गयी है कि आदमी जानवर की तरह बिकता है। अब तक हम देखते थे कि जानवर की बाजार लगती थी, लेकिन अब हम हिंदुस्तान के किसी शहर में चले जाएं, किसी बाजार में चले जाएं, वहां सुबह चौक में आदमियों का बाजार लगता है - कोई नंगे सर, कोई नंगे बदन कोई नंगे पैर हजारों लोग अपना शरीर बेचने के लिए खड़े रहते हैं। उनमें

[श्री मित्रसेन यादव]

से जो लोग शक्ल-सूरत से ठीक दिखायी पड़ते हैं, उनको शहर के बड़े लोग खरीद कर ले आते हैं। कोई उनसे नाली साफ कराता है, कोई दुकान साफ कराता है, कोई मल साफ कराता है, अजीब सा काम उनसे लिया जाता है। हम देखते थे कि सुअर, बकरी, भेड, मुर्गा, मछली आदि जानवर ऐसे थे, जिनको कोई पालता था। इनसे कोई और लाभ नहीं कमाता था, जब वे मोटे हो जाते हैं, तब उनको काटकर उनका मांस बेचा जाता है।

बकरा, सुअर, मुर्गी, मछली आदि ऐसे जानवर हैं, जिनका मांस बेचा जाता है। आज आदमी भी बाजार में उसी तरह बिक रहे हैं। जिनकी शक्ल-सूरत मोटी है और काम के लायक हैं, उन्हीं की जिन्दगी खरीदी जाती है। हिन्दुस्तान ऐसा देश है। जब कोई बाप मर जाता है, तो उसके जितने बच्चे होते हैं, वे सब उसकी जायदाद के मालिक हो जाते हैं। हिन्दुस्तान ऐसा देश है, जहां जितने लोग पैदा होते हैं, उन सबकी दाखिल खारिज नहीं होती। कुछ रजवाड़े होकर पैदा हुए हैं, कुछ पूंजीपति पैदा हुए हैं और कुछ लोग गरीब होकर पैदा हुए है। अजीब सी स्थिति है कि किसी की थाली में नौ बारह, किसी का थाली में अक्को न पड़ा। बहुत से लोगों के पास काम के इतने जरिए हैं कि उन्हें संभालने में दिक्कत हो रही है और बहुत से लोगों के हाथों को काम नहीं है, पेट को रोटी नहीं है। यदि दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसी मानवीय विसंगतियां हैं, तो इससे ज्यादा और कोई भर्त्सना नहीं हो सकती। हम सबका सिर शर्म से झुक जाना चाहिए। दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश हो, जहां आदमी की विसंगति से, आदमी के सामने, आदमी की ही शक्ल में जानवर की तरह देखा जाता हो। यह केवल हिन्दुस्तान की संस्कृति है। आज हम सबको इस बारे में सोचना चाहिए कि हमारी शक्ल में जो आदमी कुत्ते, बिल्ली की नजर से देखे जा रहे हैं, कानून के जरिए परिवर्तन लाने से उसका परिवर्तन होगा या बुनियादी तौर पर हम सबको सोचना पड़ेगा कि वे हमारे अंग हैं, हमारे भाई हैं, हमें उन्हें कैसे ऊपर उठाना है।

हमने आरक्षण और तमाम चीजें लागू करके उन्हें सुविधाएं देने के बारे में सोचा, मगर उसका भी बहुत विरोध हुआ। आरक्षण का मतलब क्या था? आरक्षण का मतलब यह था कि अगर चार भाई हैं और उनमें से एक भाई बीमार हो गया, तो तीनों भाई अपने हिस्से का दूध उसे दे दें, जिससे वह भी स्वस्थ हो जाए। आरक्षण का मतलब यह था कि समाज में जो अंग गरीबी, गुरबत, तबाही और बर्बादी में पड़ा हुआ है, सपन्न लोगों के हिस्से में से काटकर उन्हें सम्पन्न बनाया जाए, दौड़ में जो पीछे हैं, उन्हें बराबर लाया जाए और आगे वालों को रोका जाए। ये सारे सिद्धान्त हिन्दुस्तान में हैं। लेकिन गरीब लोगों पर इन्हें अमल करने पर मालूम हुआ कि वह दूरी और बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही है। आखिर गड़बड़ी कहां है। करने वाले हम लोग ही हैं, बहस करने वाले भी हम लोग ही हैं। इसका नतीजा होगा - भिभुक्षता किम न करोति पापम् - भूखा क्या पाप नहीं करेगा। अब आप कहां खड़े हैं। रोज हाउस में शोर-शराबा होता है कि माफिया राज हो रहा है, आतंकियों का परिवार बढ़ रहा है, गुंडागर्दी बढ़ रही है, डकैत बढ़ रहे हैं, ट्रेनें लूटी जा रही हैं, घर लूटे जा रहे हैं, रोज कत्ल हो रहे हैं - कत्ल नहीं होंगे तो और क्या होगा, इससे भी ज्यादा होगा। जब समाज में आर्थिक विषमता होगी, तब लूट नहीं होगी तो क्या होगा। कानून बनाने से अपराध नहीं रुकेगा, व्यवस्था बनाने से अपराध रुकेगा। जब तक व्यवस्था को ठीक नहीं करेंगे, तब तक कानून के जरिए अपराधों को नहीं रोक सकते। हमारे देश में संस्कृति क्या है? हमारे देश में संस्कृति यह है कि आदमी अपने बच्चों के लिए दौलत की गठरी, जमीन, कोठी आदि तमाम चीजों की गठरी बांधने की कोशिश करता है। जो मंत्री हो जाते हैं, अफसर हो जाते हैं या कुछ और हैं, वे यह कोशिश करते हैं कि हमारा परिवार सम्पन्न, खुश और दौलतमंद हो जाए। हमारे देश की यह प्रवृत्ति नहीं है कि इंसान में बुद्धि पैदा करें। यदि व्यक्ति बुद्धिवान होगा, तो उसके पास दौलत अपने आप आएगी और अगर बुद्धिमान नहीं होगा, आप दौलत की गठरी बांधकर जाएंगे तो वह बिखर जाएगी। आदमी को बुद्धिमान बनाने के बजाए दौलत की गठरी बांधकर दे दी जाती है। हमारे देश की सोच उलटी है।

दूसरे देशों में, जिन लोगों के एक संतान पैदा होती है, उसे वह पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाते हैं, लेकिन हमारे देश में अगर एक संतान पैदा होता है तो लूटकर गठरी बांधने की कोशिश करते हैं। हर तरह से हमारे देश में सामाजिक तौर पर, आर्थिक तौर पर, इंसानियत के तौर पर हमने समाज को बांटा है, यह इसकी गरीबी का एक प्रमुख कारण है। इस देश में उन लोगों के लिए, जिनके पास कोई सम्पत्ति या साधन नहीं है, एक ऐसा कानून बनाना पड़ेगा जिससे उन्हें किसी न किसी रोजगार से, किसी न किसी साधन से जोड़ा जाए। जब तक ऐसा कानून नहीं बनेगा तब तक आप असंगठित क्षेत्र के 37 करोड़ मजदूरों के लिए यहां कितना भी चिल्लाते रहे, आयोग बनाते रहिए, आयोगों की सिफारिशें आती रहें, उन पर बहस होती रहेगी, अनायास इस सदन में चिल्लाते रहें, उससे कोई समाधान होने वाला नहीं है। हमें जमीनी स्तर पर कुछ काम करना पड़ेगा। जैसा हमारे वामपंथी साथी कह रहे थे कि जो लोग धरती को बोते-जोतते हैं, जिनके पसीने से धरती पर

लाखों-करोड़ों की उपज पैदा होती है, उनके नाम पर चप्पा भर जमीन नहीं है। अगर उनके बच्चे मर जाएं, तो उनकी लाश गाढ़ने के लिए भी जमीन उनके पास नहीं है। दूसरी तरफ जो लोग हाथ से पानी नहीं पीते, धूप नहीं देखते, जो मिट्टी नहीं छूते हैं, वे आज लाखों बीघे के बड़े-बड़े फार्मर हैं। जिस देश में इतनी विसंगति हो, वहां अगर असंगठित क्षेत्र के मजदूर वामपंथियों के नेतृत्व में क्रांति करें तो कोई बुराई नहीं होगी, आज इसकी जरूरत भी है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, आज बहुत समय बाद हम इस सदन में इस विषय पर बहस कर रहे हैं कि किस तरह से हमारे देश की 40 प्रतिशत से ज्यादा आबादी, जो ऐसे व्यवसायों से जुड़ी हुई हैं जहां उसे कोई संरक्षण प्राप्त नहीं है। हमने यह देखा है कि हमेशा राजनीति में काम करने वाले लोग उस तरफ ध्यान देते हैं, जहां से सबसे ज्यादा आवाज आती है। सरकार लोगों की मांग पूरी करने की कोशिश करती है, लेकिन लोगों की जरूरत तक उसका ध्यान नहीं जाता है। आज हम इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं कि समाज का यह जो वर्ग है, जो ऐसी चीजों से बिल्कुल वंचित रहा है, उसके लिए हम क्या करें। कल के लिस्ट ऑफ बिजनेस में लिखा था कि हम फाइव ईयर प्लान पर चर्चा करने वाले थे, लेकिन यह संयोग की ही बात है कि उसके बदले में आज हम इस बारे में चर्चा कर रहे हैं, शायद प्लान प्रोसैस में इस वर्ग को कोई जगह नहीं मिल पाएगी, कम से कम उसके बारे में चर्चा करने की जगह तो मिल ही जाएगी।

आज हमारे देश में 600 जिले हैं, जिनमें से 140 जिलों में नक्सलवाद फैला हुआ है। जैसा मेरे साथी कह रहे थे कि पूरे देश में आज जितने अपराध होते हैं, अगर उनकी संख्या देखें, तो जो अपराध रजिस्टर किए जाते हैं, उनकी संख्या कम या ज्यादा हो सकती है क्योंकि you can prove anything by any figure. लेकिन यदि सही मायने में देखा जाए तो आज आप शहर से बाहर थोड़ी दूर जाएं, तो पूरे देश में एक असंतोष फैलाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि दुर्भाग्य से एक तरफ हमारे देश में जो तरक्की हो रही है, देश के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उसमें हिस्सा नहीं ले पा रहे हैं और ऐसे ही लोगों के बारे में हम आज यहां चर्चा कर रहे हैं, जो खुशी की बात है। मैं महाराष्ट्र प्रान्त से आता हूं, वहां एक कहावत है कि जब दिया जलता है, तो उसके तले अंधेरा होता है। आप देखेंगे कि मकान बनाने वाले लोगों के पास खुद घर नहीं है, जो खेत में मजदूरी करते हैं, उनके पास जमीन नहीं है। जो होटल में लोगों की भूख मिटाने की कोशिश करते हैं, वे खुद भूखे सो जाते हैं। इसलिए चिराग तले अंधेरा वाली है, यह हम सब जानते हैं। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की यही हालत है। जब हम कभी मजदूरों का जिक्र करते हैं, तो संगठित क्षेत्र के मजदूरों का जिक्र करते हैं। संगठित क्षेत्र के मजदूर संगठित हैं। हमें पता है कि उनके बारे में बात करेंगे तो वे हमें वोट भी देंगे और चंदा भी देंगे, लेकिन जो मजदूर संगठित क्षेत्र में नहीं हैं, वे न तो हमसे नाराज होंगे और न ही चंदा देंगे इसलिए हम उनकी आवाज को नहीं सुनते हैं। लेकिन आज सदन में हम उन लोगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यह खुशी की बात है। मेरा कहना यह है कि उनके बारे में बात करने के साथ-साथ हमें उस पर आचरण भी करना होगा।

मैं इस संबंध में दो-तीन बातें कहना चाहूंगा। 2004 से लेकर आज तक सरकार की तरफ से एक बिल बनाया जा रहा है। उसका ड्राफ्ट काफी लोगों को सर्कुलेट किया गया है। मैं मंत्री जी से विनती करना चाहता हूं कि यदि आप औरों को वह ड्राफ्ट दे सकते हैं, तो सांसदों को भी दे दें, क्योंकि हम लोगों को वह अभी तक नहीं मिला है। लगता है इसलिए नहीं दिया होगा कि बाद में हम लोगों को ही वह बिल पास करना होगा। मेरी उनसे विनती है कि वह ड्राफ्ट हमें भी दिया जाए, ताकि हम उस पर अध्ययन करके संसद की स्थाई समिति में कुछ सुझाव दे सकें।

हमारे देश में इस सम्बन्ध में कई कानून बनाए गए हैं लेकिन वे इतने ओवर लेजिस्लेटिड हैं कि शायद ही विश्व के किसी देश में इतने कानून हों। अब समस्या देखें या कानून देखें, क्योंकि कानून दिखाने से ही समस्या हल नहीं हो सकती। हमने देखा है कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले 30-40 करोड़ मजदूर हैं, उनके लिए हम कानून तो बनाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हमें उनके लिए मिनीमम वेजेज भी तय करनी होगी, पेंशन भी तय करनी होगी और कहीं दुर्घटना हो जाती है तो उसके लिए मुआवजे की व्यवस्था भी तय करनी होगी। ऐसा कौन सा कानून है कि ऐसे लोगों के पास जाए और उनकी जो शिकायत हो, वह दूर हो सके। अगर ऐसा कोई कानून सरकार के पास है तो उस पर अमल किया जाना चाहिए। इसलिए हमें इन्नोवेटिव वे में सोचना होगा। मैं यह नहीं कहता कि मेरे पास सुझाव है, उससे सवाल हल किया जा सकता है, लेकिन यह जरूर है कि हम सब लोग मिलकर इस पर सोचें कि क्या कानून बनाने से ही समस्या हल हो जाएगी या नहीं। यदि नहीं होगी तो फिर कैसे इसे दूर किया जाए, इस पर ध्यान देना होगा। कानून में पेंशन का प्रावधान है। हमारे यहां असंगठित क्षेत्र में 64 प्रतिशत मजदूर खेतों में काम करने वाले हैं और पांच प्रतिशत मजदूर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं। इनकी यह हालत है कि जिसने काम किया, बिल्डिंग पूरी हुई तो ये लोग दूसरी जगह काम करने चले जाते हैं। अब उन्हें पेंशन देने के लिए हम कहां जाएंगे, क्योंकि उनका तो एक जगह से काम खत्म हो गया है

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

और वे दूसरी जगह चले गए हैं, इसलिए कहां-कहां उन्हें ढूंढेंगे। इसलिए मैं सरकार को कहना चाहता हूं कि अगर आप इसे इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो रोजगार देने वाला इम्प्लायर है, उससे कुछ रकम पहले ही सरकार को लेनी चाहिए, जिससे एक फंड बना दिया जाए। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो फंड नहीं बन सकेगा और हम आने वाले दिनों में मजदूर को कहां-कहां ढूंढते रहेंगे। इसलिए कहीं ऐसा न हो कि यह जो सोशल बेनिफिट है यह सिर्फ कागजों पर ही रह जाए। अतः कानून बनाने के समय उस पर अमल कैसे होगा, उसके लिए हमें ध्यान देना होगा। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने खड़ी रहेगी।

दूसरी बात न्यूनतम मजदूरी की है। यदि हमें वास्तव में इस क्षेत्र के मजदूरों को राहत देनी है, तो मिनीमम वेजेज को बढ़ाना होगा। रिटायर होने के बाद पेंशन मिलेगी, पता नहीं 20-30 साल के बाद वह जिंदा रहेगा या नहीं, अगर जिंदा रहा, तब पेंशन मिलेगी। हमारे यहां असंगठित क्षेत्र के मजदूरों की एवरेज लाइफ बहुत कम है। हमारी लाइफ एक्सेपटेंसी बढ़ रही है, लेकिन इन लोगों की कम हो रही है। एक छोटा सी सेम्पल स्टडी इस सम्बन्ध में हुई थी, जिसके अनुसार जो ठेके पर काम करने वाले लोग हैं, जो असंगठित मजदूर हैं, उनकी आयु कम है। इसलिए उनकी पहले तो मिनीमम वेज बढ़ाई जाए।

चीन में आपने देखा होगा, वहां शंघाई में जाएं तो देखेंगे कि वहां दुनिया की दो तिहाई कंस्ट्रक्शन क्रेंस चीन में हैं और उनमें भी दो तिहाई शंघाई में हैं। वहां जहां भी कंस्ट्रक्शन हो रही है, वहां कोई झुग्गी-झोंपड़ी दिखाई नहीं देगी। हमारी कंस्ट्रक्शन हो गयी, तो झुग्गी-झोंपडियां जरूरी नहीं हैं लेकिन जिनको रोजगार दिया जाता है उनको मकान देना भी जरूरी है। पहले मजदूरों को मकान दिया जाए और बाद में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करने की इजाजत सरकार को देनी चाहिए। इस तरह का कोई प्रावधान हमारे देश में होना चाहिए। मुम्बई में 80 हजार रुपये का मकान बेचा गया लेकिन उसमें कंस्ट्रक्शन की कीमत 1000 रुपये से ज्यादा नहीं है और लेबर 100 रुपये से ज्यादा नहीं है। जब 80 हजार रुपये में मकान बेचा जा सकता है तो मजदूर को 40 रुपये देने में कौनसी समस्या आने वाली है। इसलिए इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे पता है कि हमारे जो लेबर मिनिस्टर हैं वह मजदूरों के प्रति काफी संवेदनशील हैं और वे इस बात को अच्छी तरह से समझ पायेंगे। नार्थ-ईस्ट क्षेत्र में, वहां की समस्या हल करने के लिए उन्होंने बहुत काम किया है।

मेरा कहना यह है कि जो अंडर-वर्ल्ड बढ़ रहा है और एक समस्या बनता जा रहा है उस समस्या को हल करने के लिए हम पुलिस बढ़ा रहे हैं, आर्मी बढ़ा रहे हैं उसका आधुनिकीकरण कर रहे हैं लेकिन इस समस्या का हल करना है तो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को अच्छा वेतन दीजिए, जिससे एंटी-सोशल एलीमेंट्स जिन्हें हम कहते हैं उनकी समस्या भी हल होगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार की तरफ से जो कंप्रीहैंसिव बिल बनाया जा रहा है उसमें इस ओर भी सरकार का ध्यान जाना चाहिए। इसके लिए फंड नहीं है ऐसा सरकार न कहे। हम जब पुलिस और आर्मी पर खर्च कर रहे हैं तो इस ओर भी हमें खर्च करना चाहिए, जिससे पुलिस और आर्मी पर होने वाले खर्चे में कमी आये, ऐसी मैं विनती करता हूं।

[अनुवाद]

श्रीमती अर्चना नायक (केन्द्रपाड़ा): महोदय, देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के समक्ष उपस्थित समस्या पर चर्चा में भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

असंगठित क्षेत्र बहुत ही व्यापक है। कृषि श्रमिक, ठेके पर काम करने वाले मजदूर, घरों में काम करने वाले मजदूर, फेरीवाले, कूड़े, इकट्ठा करने वाले, रिक्शा चालक निर्माण कार्य से जुड़े श्रमिक आदि असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। असंगठित क्षेत्र की समस्याएं बहुत अधिक हैं। सामान्यतः ये कम मजदूरी कमाने वाला क्षेत्र है।

असंगठित क्षेत्र में महिलाओं और बच्चों की भागीदारी बहुत ज्यादा होती है। उन्हें समान काम के लिए पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी दी जाती है। इसके बावजूद भी उन्हें रोजगार मिलने की कोई गारंटी नहीं होती। अपनी हितों की लड़ाई लड़ने के लिए उनका अपना कोई संगठन भी नहीं होता। असंगठित क्षेत्र में ऋण का बोझ एक बहुत ही आम बात है। सामान्यतः बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए बैंकों तक उनकी पहुंच नहीं होती और वे स्थानीय साहूकारों पर ही आश्रित होते हैं। बहुत से पेशे में स्वास्थ्य संबंधी खतरे भी होते है। इसके अतिरिक्त बहुत से पारंपरिक श्रम कानूनों में अधिकांश श्रमिकों को श्रमिक का दर्जा ही नहीं मिलता क्योंकि अधिकांश क्षेत्रों में मुख्य नियोक्ता की पहचान ही नहीं हो पाती। वर्ष 1999-2000 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार देश में संगठित तथा असंगठित, दोनों क्षेत्रों में रोजगारों की कुल संख्या 39.7 करोड़ थी। उसमें से लगभग 2.8 करोड़ संगठित क्षेत्र में थे जबकि शेष 36.9 करोड़ असंगठित क्षेत्र में थे।

असंगठित क्षेत्र के 36.9 करोड़ श्रमिकों में से 23.7 करोड़

श्रमिक कृषि क्षेत्र में थे; 1.7 करोड़ निर्माण कार्य में, 4.1 करोड़ विनिर्माण गतिविधियों में और 3.7 करोड़ व्यापार क्षेत्र में थे।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सरकार द्वारा निम्नलिखित सामाजिक सुरक्षा संबंधी कदम उठाये जाने चाहिए - स्वास्थ्य की देखभाल, प्रसव और प्रारंभिक बाल स्वास्थ्य देखभाल, भविष्य निधि कोष का लाभ, परिवार कल्याण संबंधी लाभ आवास, पेयजल और स्वच्छता सुविधाएं, मुआवजा या चोट आदि लगने से जुड़े लाभ, सेवानिवृत्ति और सेवानिवृत्ति-पश्चात् के लाभ और मानसून भत्ता।

असंगठित क्षेत्र के श्रमिक देश की कुल श्रमिक संख्या के 90 प्रतिशत से ज्यादा है, जिन्हें लम्बे समय से उनका मूलभूत हक भी प्राप्त नहीं हुआ है।

सामाजिक सुरक्षा सुधारों की सफलता के लिए सबसे महत्वपूर्ण है और असंगठित क्षेत्र के लिए बनाये जाने वाले किसी भी कानून में यह बात दिखनी चाहिए। असंगठित क्षेत्र को भी बीमे के लाभ दिए जाने चाहिए।

इसलिए, सरकार से मेरा अनुरोध है कि देश के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के लिए यह यथाशीघ्र एक व्यापक कानून बनाये।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं माननीय अध्यक्ष महोदय के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश के सबसे अधिक पद-दलित वर्ग अर्थात् असंगठित क्षेत्र के लोगों की समस्या पर चर्चा करने लिए हमें अवसर प्रदान किया। हमारे विशिष्ट सहयोगी श्री देवेन्द्र यादव को भी मैं धन्यवाद देता हूं जिन्होंने नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को शुरू किया। जैसा कि मैंने कहा उन्होंने चर्चा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय का चयन किया है। विभिन्न पार्टियों के हमारे विशिष्ट सहयोगियों ने अपने-अपने विचार व्यक्त किए हैं और असंगठित क्षेत्र के लोगों की दयनीय स्थिति और उनकी समस्याओं का उल्लेख किया है। असंगठित क्षेत्र के अधिकांश लोग रिक्शा चालक, निर्माण कार्य में लगे मजदूर मोटर गाराज मजदूर, ट्रकों, ऑटो पर काम करने वाले श्रमिक और अन्य कामों से जुड़े श्रमिक भी है जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं और विभिन्न तरह के कार्य करते है।

इस असंगठित क्षेत्र का दूसरा भाग कृषि क्षेत्र में दिहाड़ी पर काम करने वाले श्रमिकों का है जिनकी हालत देश में सबसे खराब है। वे अपूर्णनीय क्षति अथवा चोट के शिकार हैं वे देश की कुल आबादी के 37 प्रतिशत हैं। यह कहते हुए मुझे दुःख हो रहा है कि भारत की स्वाधीनता के कई वर्षों के बाद भी उनके कल्याण के लिए कोई व्यापक योजना या अधिनियमन कानून अभी किसी भी सरकार द्वारा - चाहे वह वर्तमान सरकार हो या पूर्ववर्ती सरकरा हो द्वारा नहीं लाया गया है या इस सभा द्वारा पारित नहीं किया गया है। संयुक्त मोर्चा सरकार के कार्यकाल के दौरान तत्कालीन कृषि मंत्री श्री चतुरानन मिश्र ने एक विधेयक तैयार किया था लेकिन इसी दौरान कांग्रेस पार्टी ने इस सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया और इसका परिणाम हुआ कि सरकार गिर गई और उसके बाद आज तक कृषि श्रमिकों सहित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के व्यापक कल्याण के लिए इस सभा में कोई व्यापक कानून नहीं लाया गया है। हम जानते हैं कि हम उस श्रेणी के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हम उन लोगों का प्रतिनिधित्व करते है जो अपूर्णनीय क्षति अथवा चोट के शिकार हैं। असंगठित क्षेत्र के इन मजदूरों को ई.एस.आई. योजना के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किया गया है।

अपराह्न 5.00 बजे

कार्य करने के दौरान यदि किसी मजदूर की चोट लगने से मृत्यु हो जाती है तो असंगठित क्षेत्र में उस व्यक्ति के निकटतम संबंधी को कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। काम करते समय यदि वे घायल हो जाते हैं तो उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। उपचार आदि के लिए किसी भी अधिकारी द्वारा उन्हें कोई लाभ नहीं दिया जाता। अधिकांश कृषि मजदूर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से आते हैं। उन्हें दी जाने वाली मजदूरी में भी अंतर है। पुरुष और महिला मजदूरों को समान मजदूरी नहीं दी जाती। उनको पूरे वर्ष भर काम भी नहीं मिलता है। मेरे विद्वान और विशिष्ट मित्र श्री तोपदार ने इसका उल्लेख किया था। इस समस्या का तब तक समाधान नहीं हो पायेगा जब तक पूरे देश में एक समुचित कानून का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है, या कम से कम कृषि श्रमिकों की समस्या इस प्रकार हल नहीं हो सकती।

पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा को छोड़कर किसी भी अन्य राज्य ने भूमि सुधार का कार्य नहीं किया है। संसद में एक विधेयक पारित हुआ था लेकिन उसे क्रियान्वित नहीं किया गया। पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कुछ लोगों को जमीन के उपयोग के लिए जीवन पर्यंत भोगाधिकार प्राप्त है। वे कभी भी उस जमीन पर नहीं जाते। उनके पास हजारों बीघा जमीन है। यह राज्य सरकार या केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है कि वह भूमि सुधारों को उचित प्रकार से लागू करे और जमीन जोतने वालों या कृषि मजदूरों के बीच जमीन का वितरण करे जिससे उनको इसका लाभ मिले।

अभी-अभी इसके दूसरे पहलू को भी हमारे विशिष्ट सहयोगी ने ध्यान में लाए थे। हम आंतरिक सुरक्षा की चर्चा कर रहे हैं। इस सभा में उत्तर देते समय हमारे गृह मंत्री ने बताया था कि

[श्री अजय चक्रवर्ती]

नक्सलवादी गतिविधियों से निपटने के लिए हम राज्य सरकार को अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद और अर्धसैनिक बल आदि मुहैया करा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है और अभी भी कह रहा हूं कि अस्त्र-शस्त्र, गोलाबारूद या ए.के.-47 से नक्सल आंदोलन का समाधान नहीं होगा। रोजगार या जमीन नहीं मिलने के कारण कुछ लोगों में निराश हो गए और उन्होंने अस्त्र-शस्त्र के साथ यह आंदोलन आरंभ कर दिया। इसलिए अस्त्र-शस्त्र और गोला-बारूद से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। इसका समाधान तभी होगा जब जमीन जोतने वालों को जमीन दी जाएगी। सरकार का यही मुख्य कार्य है, चाहे वह राज्य सरकार हो या केन्द्र सरकार हो।

हम असंगठित क्षेत्र में मजदूरों की समस्याओं की बात कर सकते हैं। ये नारे लगाते हैं, और आंदोलन शुरू करते हैं। लेकिन संगठित क्षेत्र - जैसे जीवन बीमा निगम या सामान्य बीमा निगम और अन्य क्षेत्रों के पास सरकार से अपनी बात मनवा लेने की क्षमता है और वे नियोक्ता को भी अपनी बात मानने पर मजबूर कर सकते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पास अपने नियोक्ता से अपनी मांग पूरी करवाने की क्षमता नहीं है। इस देश की यही सच्चाई है। मेरे विशिष्ट सहयोगी द्वारा इसकी चर्चा पहले ही की जा चुकी है।

सरकार रुग्ण इकाइयों के नाम पर सरकारी क्षेत्र की इकाइयों को बंद कर देती है; निजी क्षेत्र की कुछ इकाइयां पहले ही बंद हो चुकी हैं और हजारों श्रमिक पहले ही बेरोजगार हो गए हैं। वे खुले आकाश के नीचे रह रहे हैं और उनकी छटनी कर दी गई है। वे असंगठित क्षेत्र के मजदूर बनते जा रहे है। वे रेलवे-स्टेशनों पर, बाजारों आदि में फेरी लगाने का काम कर रहे है। फेरीवाले अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिक बन गए हैं।

यह एक चर्चा का विषय है। उनकी समस्याओं पर चर्चा करना हमारा विशेषाधिकार है। यही उनके लिए सांत्वना है। असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या कृषि श्रमिकों के लिए यही सांत्वना की बात है कि उनकी समस्याओं पर सरकार के शीर्ष अधिकारियों के बीच या सबसे बड़ी पंचायत में चर्चा हो रही है। हमारी आजादी के इतने वर्षों बाद भी असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण या उनकी बेहतरी के लिए कोई लाभप्रद परिणाम सामने नहीं आया है।

इस वर्ष 23 नवम्बर को लाखों कृषि श्रमिक तथा अन्य असंगठित क्षेत्र के श्रमिक दिल्ली में एकत्र हुए तथा उन्होंने ए.आई.टी.यू.सी., बी.के.यू. के झंडे तले प्रदर्शन किया। उनके प्रतिनिधि माननीय प्रधानमंत्री से भी मिले तथा उनको ज्ञापन दिया जिसमें असंगठित क्षेत्र के मजदूरों या खेतिहर मजदूरों जो हमारे देश में सबसे अधिक पद-दलित है, के कल्याण के लिए एक व्यापक कानून बनाने के लिए उनसे अनुरोध किया गया। उनका उत्थान करना हमारा कर्तव्य है। उनके लिए कल्याण योजनाएं बनाना तथा उनकी दशा में सुधार लाना हमारा दायित्व है। उनके कल्याण के लिए कोई कल्याण-योजना नहीं है। सरकार उनके बच्चों को विद्यालयों या महाविद्यालयों में जाने के लिए कोई सहायता नहीं कर रही है। कृषि श्रमिकों के लड़कों और लड़कियों को छात्रवृत्ति का कोई लाभ नहीं दिया जा रहा है।

राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना को इस सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया है। मुझे इसमें बिल्कुल भी सन्देह नहीं है कि यदि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन की सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों के कल्याण के लिए कोई विधेयक लाती है तो वह सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी को स्मरण कराना चाहूंगा कि इसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में शामिल किया गया है कि सरकार असंगठित क्षेत्र के कर्मकारों और कृषि श्रमिकों के कल्याण के लिए व्यापक विधान लाएगी। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि इसे शीघ्र लाया जाए। मुझे आशा है कि इसे इसी सत्र के दौरान ही लाया जाएगा। यदि यह विधेयक सभा के सम्मुख लाया जाता है तो दलगत भावना से ऊपर उठकर हम सभी तेहदिल से इसका समर्थन करेंगे हम सभी इस देश के असंगठित कर्मकारों के कल्याण के लिए लाए गए विधेयक का समर्थन करेंगे।

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर): माननीय सभापति महोदय, वास्तव में यह विषय बहुत बड़ा है। जब हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग, इतना कहते तब एक बड़ी वाइड स्क्रीन बन जाती है। आर्गेनाइज सैक्टर में केवल बारह या पन्द्रह परसेंट लोग आते हैं जबकि बाकी काम करने वाले तबके, चाहे खेतिहर मजदूर हों, घर में बीड़ी बनाने वाली महिलाएं हों या कन्सट्रक्शन का काम करने वाले मजदूर हों, अलग-अलग तबके को देखें तो काफी वाइड स्क्रीन हो जाती है। हम इनके बारे में बात करते हैं, वैसे तो कानून कई बने हैं और बनते आए हैं, चाहे वह कानून मिनिमम वेजिज एक्ट हो, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट हो या कान्ट्रेक्ट लेबरर एक्ट हो, लेकिन इनमें से कुछ अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर के लिए लागू भी हो सकते हैं।

अपराह्न 5.09 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन हुए*)

लेकिन मैं आज की तारीख में अलग-अलग जगह पर काम करने वाले मजदूरों की बात ज्यादा करूंगी। हम असंगठित क्षेत्र में देखते हैं कि बहुत ज्यादा महिलाएं काम करते हुए दिखेंगी। सबसे पहले देखें तो खेतिहर मजदूरों में एक तबका ऐसा है जो दूसरे गांवों में काम करने के लिए जाता है। जब ये धान की कटाई तथा अन्य कामों के लिए अपने गांव छोड़कर दूसरे गांवों में जाते हैं तो वहां ये लोग आकाश के नीचे रहते हैं। इनकी मिनिमम वेजिज की समस्या तो है ही। हम यहां से कितना भी तय करें, उन्हें जो वेजिज मिलने चाहिए, वे नहीं मिलते हैं। यह देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन इससे ज्यादा जो समस्या आती है वह यह है कि छः महीने अपने घर से दूर आकाश के नीचे रहने वाले इन लोगों में ज्यादातर महिलाएं रहती हैं। उनके सामने सबसे बड़ी समस्या छोटे बच्चों की आती है, क्योंकि वहां कोई किंडरगार्टन नहीं होते हैं कि वे अपने बच्चों को रख सकें। वे मजबूरी में अपने बच्चों को पेड़ के नीचे रखती हैं। लेकिन जो बच्चे थोड़े बड़े हो गये हैं, जिनकी वास्तव में स्कूल जाने की उम्र है, उन्हें कहीं नहीं रखा जा सकता है। उन महिलाओं को उन्हें अपने साथ में ले जाना पड़ता है। छः महीने जब वे बाहर रहते हैं तो उनका स्कूल भी छूट जाता है। इस तरह से उनकी शिक्षा की समस्या सामने आती है। हालांकि यही समस्या देखकर मैंने उनका काम देखा है। इस क्षेत्र में बहुत बारीकी से सोचकर काम करने वाले हमारे नानाजी देशमुख हैं। उन्होंने विभिन्न संस्थाएं निकाली हैं, जिनमें से एक अहमदनगर के पास मैं देखकर आई हूं। उन्होंने एक आश्रम स्कूल जैसा बनाया है। उस आश्रम स्कूल में गांव के इसी प्रकार के लोग जो छः महीने के लिए गांव छोड़कर दूसरी जगहों पर मजदूरी करने जाते हैं, उनके बच्चों को वे छः महीने के लिए अपने यहां रखते हैं और वहां से स्कूल भेजते हैं। उनकी पूरी स्कूल की तैयारी वे करते हैं और यह शर्त रखते हैं कि जब उनके माता-पिता वापस आयेंगे, तब इन बच्चों को अपने माता-पिता के पास वापस जाना पड़ेगा। लेकिन इस तरह से उनकी स्कूलिंग कायम हो गई। हालांकि इस तरह से उन्होंने इस समस्या के थोड़े से समाधान का प्रयास किया है। लेकिन जब हम इनके बारे में सोचेंगे, कोई कानून बनायेंगे तो इस छोटी सी समस्या को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि ऐसी भी कई व्यवस्थाएं इसमें हमें करनी पड़ेंगी कि इन बच्चों को भविष्य क्या होगा।

इसके अतिरिक्त हम एक बात और देखते हैं कि जो महिलाएं ऐसे क्षेत्रों में काम करती हैं, उनके प्रसूति अवकाश के बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं। वैसे तो कई बार मैंने देखा है ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में प्राइवेट कंपनियों में यह सोचा जाता है कि महिलाओं को काम पर मत रखो, क्योंकि उन्हें छुट्टियां देनी पड़ेगी। मैं महिलाओं पर इसलिए कंसन्ट्रेट कर रही हूं, क्योंकि इन जनरल तो बहुत से माननीय सदस्य बोल चुके हैं। ऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में भी कई बार यह मानसिकता हो जाती है तो अनऑर्गेनाइज्ड सैक्टर में कौन पूछेगा। हमें इन बातों पर भी सोचना पड़ेगा कि हम इन्हें कैसे सहूलियतें दे सकते हैं।

सभापति महोदय, जब मैं महिला बाल विकास मंत्री थी तो मेरे सामने एक बात आई कि ज्यादातर जो महिलाएं खेतों में काम करती हैं, बगीचों में काम करती हैं या छोटे-मोटे अन्य काम करती हैं, उसमें वास्तव में यह सोचना आवश्यक है कि वूमन फ्रैन्डली टूल्स यानी उन्हें दूसरी सुविधाएं वेजिज आदि देना जरूरी है, लेकिन उसके साथ-साथ यह भी एक सोचने वाली बहुत टैक्निकल बात है। लेकिन वूमन फ्रैन्डली टूल्स की व्यवस्था यदि उनके लिए करने की सोचें तो इसमें संशोधन होना चाहिए, ताकि उनके काम करने की स्पीड भी बढ़े कि जो काम वे करती हैं, वही काम वे आसानी से कर सकें। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी कि हमें अपनी सोच कितनी बड़ी बनाने की आवश्यकता है। यह विषय कितना बड़ा है। जब मैं मिनिस्टर थी, तब मैं एक जगह गई थी। बहुत की महिलाएं मुझे मिलने के लिए आईं और बोली कि हमारी एक समस्या है। मैंने पूछा कि आपकी क्या समस्या है। उन्होंने कहा कि हम गांव से अपना माल सब्जी आदि जो भी हम बनाते हैं, लेकर आते हैं। लेकिन हमें उन सामानों के लाने के लिए साधन चाहिए। मैंने पूछा कि क्या बस की व्यवस्था नहीं है। उन्होंने कहा कि बसें तो हैं, लेकिन हमें इस प्रकार की बस चाहिए कि हम अपनी टोकरी खुद उसमें रख सकें, हम भले ही उसमें खड़े होकर आ जायेंगे। यह बात उन्होंने इतनी बारीकी से कही कि वह टोकरी हमें किसी की मदद से यदि बस के ऊपर रखनी हो तो उसमें हमें बहुत सी समस्याएं झेलनी पड़ती हैं, उन्हें हम बयान नहीं कर सकतीं। आप हमें इस प्रकार की बस दे दो, हम उसमें खड़े रहेंगे, बस उसमें हमारी टोकरी रखने की जगह हो। मेरा कहना है कि हमारा सोचने का स्क्रीन कितना वाइड हो जाता है, अगर हम वास्तव में सोचना शुरू करें।

सभापति जी, अंत में मैं कहूंगी कि जब देश में एन.डी.ए. की सरकार थी, उस समय सामाजिक सुरक्षा बिल के बारे में एक सोच प्रारम्भ हुई थी। ई.पी.एफ. स्कीम लागू हो गई। इसलिये कह सकती हूं कि यह योजना कैसे लागू कर सकते हैं? जब पिछली सरकार ने यह सोचा था तो मालूम नहीं कैसे यू.पी.ए. की सरकार ने उस बिल को नजरअंदाज कर दिया। इस सरकार ने सेनगुप्ता कमेटी का गठन किया। उसने अपनी रिपोर्ट दी। इस रिपोर्ट में बहुत सारी बातें कही गई हैं। जहां कांट्रेक्ट लेबर लगाते हैं या मकान के निर्माण में जो लेबर लगती है, उन लोगों के लिये ई.पी.एफ. योजना कैसे हैं? करना बहुत कठिन है, इतनी आसान बात नहीं है। उस समय 50 ऐसी नोडल

[श्रीमती सुमित्रा महाजन]

एजैंसीज बनाई गयी थी। जैसे अभी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी स्कीम बनाई गई है। मैं चूंकि महिलाओं की समस्याओं पर ज्यादा कांस्ट्रेट कर रही हूं। 1996 में श्रमिक भवन निर्माण एवं संघ नाम की एक योजना बनाई गयी थी, इसलिये कहती हूं कि इस बार भी उसे वाइड रूप से सोचें। हम लोग महिलाओं के लिये मिनिमम वेजेज की घोषणा करते हैं। शायद यहां से प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि कम से कम 50 रुपये मिलना चाहिये लेकिन हमारे मध्य प्रदेश सरकार ने उसे 100 रुपये किया हुआ है। घोषणायें केवल घोषणायें होती हैं, वास्तव में यह देखना चाहिये कि उतना उन्हें मिल भी रहा है या नहीं। इसके लिये एक ऐसी मशीनरी होनी चाहिये जो जांच कर सकें।

सभापति जी, हम यहां से कानून बनाते हैं लेकिन असंगठित क्षेत्र के लोगों को यह मालूम ही नहीं होता कि उनके फ़ायदे के लिये कोई कानून बनाया गया है। इस संबंध में हम सामाजिक संस्थाओं की मदद लें। ऐसी संस्थायें जो बच्चों की शिक्षा के लिये काम करने वाली हैं, उनसे सम्पर्क रखें। इस असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की संख्या 80 प्रतिशत से कम नहीं है। इससे ज्यादा ही हो सकती है। उनके लिये सोचना बहुत जरूरी है। आज हम इस विषय पर 2-4 घंटे में चर्चा करके समाप्त कर दें, ऐसा नहीं है। यह ऐसा विषय नहीं है। असंगठित क्षेत्र में महिलाओं की संख्या बहुत अधिक है। जब भी इन महिलाओं के लिये प्रोवीजन करें या एक्ट बनायें तो जो बातें मैंने महिलाओं के लिये रखी हैं, उन पर दृष्टि रखते हुये ध्यान दिया जाये। हर स्त्री के लिये सोचना या उसके आने वाले पूरे भविष्य के लिये हम सोचते हैं, इस ख्याल को हटायें क्योंकि उससे पूरा परिवार बनता है और यह एक महत्वपूर्ण बात है।

श्री सन्दीप दीक्षित (पूर्वी दिल्ली): सभापति महोदय, इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कराने और मुझे इस पर बोलने के लिये समय देने के लिये आपका धन्यवाद करता हूं। पहले बोलने वाले वक्ताओं ने कहा कि उन्हें बहुत कम समय दिया गया है, इस विषय पर विस्तार से चर्चा हो सकती है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा।

सभापति महोदय, इस बात पर चर्चा की गई कि असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिये एक नया व्यापक बिल आ रहा है। उसका ड्राफ्ट कुछ लोगों को मिला है और कुछ लोगों को नहीं मिला है। जैसा माननीय सदस्य श्री सुरेश प्रभु ने कहा कि हमें इस बिल की व्यावहारिकता के बारे में ध्यान देना चाहिये। मेरा भी मत है कि जो बातें उसमें कवर हो रही हैं, इस देश में व्यावहारिकता को देखते हुये लेबर मिनिस्ट्री एव[illegible] को लाकर इन समस्याओं को देख सकती है, उसमें मुझे आशंका है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि असंगठित क्षेत्र के अलग-अलग सैक्टर हैं, उनमें अलग-अलग समस्यायें हैं और उन्हें देखते हुये तमाम बिल में उनका प्रावधान करने की आवश्यकता है।

सभापति जी, कुछ वर्ष पूर्व सवाई माधोपुर और भरतपुर इलाके में मुझे खदानों में काम करने का अवसर मिला था। अपने एक मित्र के साथ वहां गया जहां खदानों में लाल पत्थरों की कटाई का काम हो रहा था। दोपहर के 11 बजे होंगे। जो वहां का माहौल था जहां महिलाओं को देखा जिन्हें भय का अहसास हो रहा था और उन्हें काम करते हुये देखकर हमें सामन्ती युग का दृश्य याद आ गया।

कहीं न कहीं हिन्दी फिल्मों में जो दृश्य दिखाई पड़ता था सामन्ती युग का, उसके दर्शन हुए। हमने कोशिश की हमारे साथ ऐसे मित्र थे जो उस इलाके में कई वर्षों से काम कर रहे थे। उनमें दक्षता थी ऐसे लोगों के साथ काम करने की। जब हमने लेबर के साथ बात की तो भय के साथ उन्होंने हमसे बात की। जिस तरह से वहां काम चल रहा था, ये सब असंगठित क्षेत्र के वर्कर थे। हमने सात-आठ दिन उनके बीच रहने की कोशिश की। जिन भयानक परिस्थितियों में वहां का लेबर रहता है, वह शब्दों में बयान करना मुश्किल है कि वह दृश्य मैं आपके सामने ला सकूं। धूल में, पत्थर में, मई-जून की गर्मी में जिस तरह के हथियारों के साथ वे काम कर रहे थे, किसी भी तरह की सुरक्षा उन लोगों को मुहैया नहीं थी। उनको छोड़िए, जो काम में सुरक्षा की बात हम कर रहे हैं, जो मानवाधिकारों की बातें होती हैं, जो आदमी के स्वाभिमान की बातें होती हैं, एक नागरिक के न्यूनतम जो अधिकार हैं, वे भी वहां के वर्कर्स को नहीं मिल पाते हैं। मैं एक दूसरा उदाहरण देता हूं। किशनगढ़बास अलवर में एक जगह है जहां मुझे काम करने का सौभाग्य मिला। वहां के एक गांव में हम का कर रहे थे। जब भी हम वहां जाते थे तो हम देखते थे कि हमारे साइकिल पर वहां जाते ही लोग हमें देखकर भागने लगते थे। उनको ड़र लगता था और कहीं न कहीं हमें अधिकारी के रूप में देखा जाता था। यह आज से 14-15 साल पहले की बात मैं कर रहा हूं। हमें अचंभा लगता था कि हम साइकिल पर वहां जा रहे हैं और हमें देखकर वहां के असंगठित कार्यकर्ता भाग जाते थे। तब पता चला कि किसी न किसी रूल और नियम के अधीन उनको परेशान किया जाता था क्योंकि ये दूरदराज के इलाके थे, हल्की पहाड़ियों के नीचे के इलाके थे। वहां का आदमी जिस काम में लगता था, वह डरता था कि कोई न कोई एक्साइज या टैक्स का अधिकारी आकर उनको परेशान करेगा। एक छोटा सा उदाहरण इसका मैंने आपको दिया। जब हम रीवा में काम करते थे तो वहां कैमूर

के पठार पर जो दूरदराज के गांव हैं, वहां जो असंगठित क्षेत्र के लोग हमने देखे और इसका उदाहरण मैंने नरसिंहपुर में भी देखा है, मांडला में भी देखा है और जबलपुर में भी देखा है। बल्कि नरसिंहपुर और मांडला की खेती तो बहुत अच्छी है। हर गांव में कम से कम 10-15 प्रतिशत असंगठित क्षेत्र के लोग थे और वे सैमी-बॉन्डेड रूप में काम कर रहे थे। किसी भी गांव में जाएं, आप देखेंगे कि गांव के दूर-दराज के इलाकों में कम से कम 50-100 ऐसे लोग मिल जाएंगे जो चार-छः महीने वहां आकर काम करते हैं। कुछ लोग 15-20 सालों से किसी न किसी परिवार के साथ लगे हुए हैं। कहीं उसको महीनदारी कहा जाता है, कहीं मध्य प्रदेश में हरवाही कहा जाता है। अलग-अलग राज्यों में उसके अलग-अलग नाम हैं। मैं तीन-चार उदाहरण इसलिए देना चाहता था कि अलग-अलग क्षेत्रों में चाहे खदान का काम हो चाहे अनऑर्गनाइज्ड लेबर हो, जो एग्रीकल्चरल लेबर हैं, चाहे बीड़ी क्षेत्र में हों, हर जगह पर यह ऐसा वर्ग है जिसको न केवल वे अधिकार जो एक कामगार व्यक्ति को चाहिए होते हैं, बल्कि उनके मूलभूत अधिकार भी उनको नहीं मिल पाते हैं। ये लोग अदृश्य हैं। कहीं भी सरकार या सरकारी तंत्र के संज्ञान में ये लोग नहीं आ पाते हैं। कहीं न कहीं थोड़ी बहुत राजनीतिक या सामाजिक कार्यकर्ता इनके साथ जुड़ जाते हैं तो इनके अधिकारों की बात हो जाती है। मेरा आपके माध्यम से मंत्री जी से निवेदन है कि तमाम ऐसे जो क्षेत्र हैं जो 106 कार्य बताए जाते हैं जो असंगठित क्षेत्र में आते हैं वे मेरे ख्याल में इससे बहुत ज्यादा हैं। सब में कहीं न कहीं कोई न कोई रूल्स रेगुलेशंस बनाए गए हैं कि जो समग्र लॉ लाने की बात कर रहे हैं, यह अवश्य लाएं। इसका जो भी व्यावहारिक रूप निकलेगा, वह निकलेगा लेकिन मेरा निवेदन है कि तमाम क्षेत्रों में जो अभी कानून हैं, उनको रेव्यू किया जाए और इस बारे में जो भी हम चीजें डालना चाहते हैं, चाहे लोगों के वैलफेयर की बात हो, चाहे क्रैश रखने की बात हो, चाहे उनके अपने विकास की बात हो, चाहे न्यूनतम मजदूरी की बात हो, उनको जरूर उस कानून के अंदर पुख्ता किया जाए।

आजकल एक चिन्ता की बात कही जा रही है कि तिरुपति से पशुपति के बीच में एक कॉरिडोर बनता जा रहा है जिसमें कहा जाता है कि नक्लवादी या माओवादी ज्यादा फैल रहे हैं। यह वह इलाका है जहां हिन्दुस्तान का एग्रीकल्चरल लेबरर सबसे ज्यादा तादाद में है। यह को-इंसीडैन्स नहीं है। यह उसी का नतीजा है। आज हिन्दुस्तान में हम देखते हैं कि न्यूनतम एग्रीकल्चरल लेबर से टोटल लेबर का जो अनुपात है, वह 25-30 प्रतिशत पाया जाता है और इस पूरी बैल्ट में 40-45 प्रतिशत तक पाया जाता है। तभी देखा जाता है कि उस एरिया में सबसे ज्यादा नक्सलवाद बढ़ता जा रहा है, माओवाद बढ़ता जा रहा है। यहां भी अगर आप देखेंगे क्रैडिट का सबसे कम एवरेज पैन्डिंग इसी इलाके में होता है। क्रैडिट में कोई नया कानून लाने की आवश्यकता नहीं है, केवल क्रैडिट की जो प्रणाली है, उसमें ऐसे व्यक्तियों को, जिनके पास अपनी जमीन, घर न हो, केवल अपना सेल्फ एम्प्लाइड का काम हो, उन्हें भी उसमें जगह दी जा सके, इसका प्रावधान भी कर सकते हैं। इन सब का तात्पर्य मेरा मंत्री जी से यही है कि जो कानून एवं स्कीमें अभी हैं, उनमें जब तक आप 93 प्रतिशत लेबर को जगह देना शुरू नहीं करेंगे, तब तक आप कोई भी स्कीम ले आइए, वह स्कीम अपने में कारगर नहीं हो सकती है।

हमने पूरे हिन्दुस्तान में एस.ई.जैड बनते देखे हैं, उस पर कहीं न कहीं बवाल होता है। जब इनकी सरकार थी तो वह भी समझती थी और हमारी सरकार है, यह भी समझती है, हो सकता है कि इसमें कुछ कल्याणकारी पक्ष भी हो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 90 या सौ के करीब एस.ई.जैड बन गए, ये बनते रहें। आज बंगाल में भी सिंगूर की जमीन को लेकर बहुत झगड़े हो रहे हैं। हो सकता है कि उसमें भी कुछ कल्याणकारी पक्ष हों, यह भी हो सकता है कि अंततः वेस्ट बंगाल की जनता को उससे फायदा हो, लेकिन इसमें एक अन्य पक्ष है, जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आज से 20 साल पहले दिल्ली के मध्य में एक दिल्ली हाट करके छोटा सा, तीन-चार एकड़ का इलाका बना दिया गया और उसमें यह कहा गया कि जो असंगठित लोग हैं, वे अपना सामान दिल्ली हाट में लाकर बेच सकते हैं। एक छोटी सी चीज दिल्ली में की गई और उस दिल्ली हाट का सकारात्मक असर हिन्दुस्तान के आर्टीजंस पर हुआ। सब ने देखा है कि जिस व्यक्ति को 15 दिन भी अगर दिल्ली के हाट में जगह मिल जाती है तो साल भर की कमाई यह कहां से कर पाता है। मेरा केवल यह कहना है कि चार एकड़ जमीन को असंगठित लोगों के लिए देने पर इतना ज्यादा असर हुआ है। हमने एस.ई.जैड पर हजारों-करोड़ों एकड़ जमीन दे दी है, क्या किसी सरकार को आज तक यह सुनाई नहीं दिया कि 500 एकड़, 200 एकड़ या सौ एकड़ गरीब के लिए भी कहीं आरक्षित कर दें। मैं केवल यह चाहता हूं कि जब आप कम्पनियों एवं एस.ई.जैड के लिए सोचते हैं, उसी तरह इनके लिए भी सोचिए। मैं जहां कानून की जगह की बात कर रहा हूं, जमीन की बात कर रहा हूं, यह कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप दिल्ली में चार जगहों पर सौ एकड़ जमीन निकलवाइए और असंगठित क्षेत्र के लोगों के प्रोडक्ट के लिए वहां मार्केटिंग कर दीजिए। मुंबई एवं कोलकाता में, पटना में करिए, मैं तो कहता हूं कि सौ सिंगूर बनाइए, लेकिन कोलकत्ता में भी उनके लिए जगह दीजिए। आप महाराष्ट्र में सौ एस.ई.जैड बनाइए, लेकिन मुंबई, पूना, नागपुर में उन्हें जगह दीजिए। अगर

[श्री सन्दीप दीक्षित]

हम उन्हें जगह देने लगेंगे, हर कार्यक्रमों में इन गरीबों को जगह देने लगेंगे, अधिकार की बात तो अलग रही, कार्यक्रमों में भी उन्हें ठोस जगह दें, केवल शब्दों में जगह न दें। यह आपके द्वारा मैं सरकार को बताना चाहता था।

[अनुवाद]

श्री पी. राजेन्द्रन (क्विलोन): सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे देश में असंगठित श्रमिकों के सामने आ रही समस्याओं के बारे में श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव द्वारा आरम्भ की गई चर्चा पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मैं असंगठित श्रमिकों की सुरक्षा पर उनके द्वारा व्यक्त विचारों का समर्थन करता हूं। उत्पादन क्षेत्र में श्रमिक सबसे बड़ी संख्या में है चाहे यह कृषि अथवा गैर कृषि का क्षेत्र हो, निर्माण क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक हों, शिल्पकार हों, बीड़ी कामगार हों, खादी और ग्रामोद्योगों से जुड़े कामगार हों, लघु उद्योग और छोटे-मोटे उद्योगों में लगे कामगार हों, मात्स्यिकी, काजू, हथकरघा जैसे पारम्परिक उद्योग हों और वन श्रमिकों, आटो रिक्शा (तिपहिया) और रिक्शा चालकों आदि से हों। अतः इस प्रकार कई क्षेत्रों में ये कामगार कार्य कर रहे हैं।

महोदय, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन, 2000, के अनुसार इनकी संख्या 37 करोड़ के लगभग है जोकि पूरे भारत के श्रमिकों का 93 प्रतिशत से अधिक बनता है और यह अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण तथ्य है कि उनकी उपेक्षा की जाती है।

महोदय, इनमें से बड़ा भाग महिला कर्मकारों का है। यहां तक कि बच्चे भी इन गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। यहां तक कि इन महिलाओं को मातृत्व लाभों से भी वंचित रखा जाता है। कई क्षेत्रों में जब महिलाएं विवाह करने लगती है तो उन्हें निर्दयता पूर्वक नौकरी से निकाल दिया जाता है।

महोदय, हमारा देश एक प्रजातांत्रिक देश है। हम गर्व के साथ अपनी स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। लेकिन इन करोड़ों श्रमिकों के लिए प्रजातन्त्र और स्वतंत्रता भूखमरी और आत्महत्या करने जैसा है। समय की मांग है कि इन करोड़ों श्रमिकों की दुर्दशा पर विचार किया जाए।

हमारे यहां कई श्रमिक कानून है जो न्यूनतम वेतन, भविष्यनिधि, स्वास्थ्य सुविधाओं और अन्य कई-कई पहलुओं को देखते हैं। लेकिन प्राकृतिक कानूनों के विपरीत हमारे श्रमिकों के एक बड़े वर्ग को इन श्रमिक कानूनों के लाभों से वंचित किया जाता है। अधिकतर कानूनों को लागू करने की बजाय उनका उल्लंघन किया जाता है। मैं केन्द्र सरकार और हमारे नए श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह नियोक्ताओं को इन श्रमिक कानूनों को लागू करने के लिए अभिप्रेरित करें।

इस संबंध में मैं भारत सरकार और श्रम मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों श्रमिकों के हितों की रक्षा करने के लिए वह व्यापक विधान लाए। हमें ऐसा वातावरण और सुविधाएं प्रदान करनी चाहिए जहां उन्हें न्यूनतम वेतन स्वास्थ्य देखभाल, भविष्य निधि पेंशन संबंधी सुविधाएं और आवासीय और शैक्षणिक सुविधाओं सहित अन्य कल्याणकारी और सामाजिक सुरक्षा मिल सकें।

उदारीकरण के इस युग में और "हायर एण्ड फॉयर" जैसी नीतियों के साथ-साथ विशेष आर्थिक जोनों में भी न केवल श्रमिक कानूनों का बल्कि प्राकृतिक न्याय का भी अतिक्रमण होता है हमें बेरोजगारी और खतरनाक रोजगारों से करोड़ों श्रमिकों को बचाने का प्रयास करना चाहिए।

केरल जैसे राज्यों में कई कल्याणकारी उपायों को कार्यान्वित किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इसे एक आदर्श के रूप में ले और इन श्रमिकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाए। सरकार इन उपायों का क्रियान्वयन सुनिश्चित कराए। इन कल्याणकारी उपायों के सम्बन्ध में पंचायतों को इन श्रमिकों को सभी प्रकार की आर्थिक और स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने वाले पंजीकरण केन्द्रों के रूप में माना जाए। जिला स्तरीय निगरानी समितियों का गठन किया जाए जिनमें लोगों के चुने हुए प्रतिनिधियों को प्रतिनिधित्व दिया जाए।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार, जैसाकि साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बताया गया है, को विधान बनाना चाहिए। यही समय की मांग है। अतः मैं श्रम मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह इन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए व्यापक विधान प्रस्तुत करें।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी): सभापति महोदय, जो प्रस्ताव नियम 193 के अन्तर्गत सदन में विचार हेतु आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उस पर मुझे आपने बोलने के लिए समय दिया, उसके लिए मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं। देश को आजाद हुए 60 साल हो चुके हैं। जब वतन आजाद हुआ, तब एक बात अच्छी हुई कि हरेक आदमी को एक वोट का अधिकार दिया गया था। इसीलिए शायद सदन में आज इस प्रकार की चर्चा हो रही है, अन्यथा चर्चा भी नहीं होती। चर्चा करते-करते अब तक 60 साल व्यतीत हो चुके हैं, लेकिन अभी भी देश में

36 करोड़ ऐसे इंसान हैं, जो देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं, यानी गरीब हैं। हम लोगों ने गरीबों और उनकी गरीबी हटाने पर बहुत चर्चा की है, लेकिन उनकी गरीबी अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। उनकी वैल्यू तब होती है, जब वोट लेने का समय आता है। तब उनके पास गाड़ियां भी पहुंचती हैं, कार्यकर्ता भी जाते हैं, नेता भी जाते हैं और सभी लोग पहुंचते हैं और उन्हें सब्जबाग दिखाए जाते हैं। उन्हें बताया जाता है कि उनकी गरीबी दूर की जाएगी, उनका आर्थिक रूप से विकास किया जाएगा। वोट लेने के बाद और चुनाव खत्म होने के बाद सिर्फ चर्चाएं ही रह जाती हैं। उन्हें कार्यरूप लेने में और उनकी गरीबी दूर करने में 60 साल लग जाते हैं। यह हिन्दुस्तान के लिए चिन्ता का विषय है।

हम उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, जिनका सिर्फ इतना दुर्भाग्य है कि संवैधानिक रूप से उनको हिन्दुस्तान में पूरे अधिकार मिले हैं, लेकिन उनका जन्म उस घर में हुआ, जहां पर अभाव था, जहां लाचारी थी और यह तो हिन्दुस्तान की पुरानी परम्परा है, आज की नहीं, हजारों साल की कि कोई भी व्यक्ति, जो असुरक्षित है, जो कमजोर है, जो लाचार है, जो मजबूर है, कहते हैं कि वह दया का पात्र है, लेकिन सच्चाई तो यह है कि वह शोषण का पात्र है और सबसे ज्यादा शोषण उसी का हुआ है और आज हम उनके बारे में चर्चा कर रहे हैं।

नौ परसेंट के आसपास आर्थिक विकास का गति आज बताई जा रही है, यानि कि हिन्दुस्तान की जी.डी.पी. में तकरीबन, जैसी कि मेरी जानकारी है, लगभग 700 बिलियन डालर्स का इजाफा पूरी अर्थव्यवस्था में हो रहा है। लेकिन किसके लिए हो रहा है, सर्विस सैक्टर के लिए हो रहा है, उन लोगों के लिए नहीं हो रहा है, जो असंगठित क्षेत्र के मजदूर हैं या जो ग्रामीण हैं या जो शहरों में भी फंसे हुए हैं, जो सामाजिक व्यवस्था के अन्दर या आर्थिक पायदान में और कहीं-कहीं तो राजनैतिक पायदान में भी सबसे निचले पायदान पर हैं, उनको फायदा नहीं मिल रहा है। वे तो आज भी असंगठित हैं और आफत के मारे हुए हैं।

मैं आपके माध्यम से सदन को याद दिलाना चाहूंगा कि 1927 में यही वह सदन था, जहां पर सरदार भगत सिंह ने बम फेंका था और साथ में एक पर्चा भी फेंका था। उस पर्चे में लिखा हुआ था, सदन इस चीज का गवाह है कि हमें अंग्रेजों से भी आजादी चाहिए और भूख से, लाचारी से, बीमारी से, मजबूरी से, जेहनी अंधेरे से और उस व्यवस्था से, जो आदमी को आदमी का शोषण करने के लिए प्रेरित करती है। हमें आजाद हुए आज 60 साल हो गये, लेकिन हम कहां पहुंचे हैं? हमें अपने अन्दर झांक कर देखना होगा, यह बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हमारी जो पूरी अर्थव्यवस्था है, आज भी उसका जो टिकलिंग इफैक्ट है, उसमें मर-मर कर आदमी जी रहा है। सुबह से लेकर शाम तक वह पसीना बहा रहा है, हमने कविता सुनी थी, वह तोड़ती पत्थर, वह तोड़ती पत्थर, आज पत्थर तोड़-तोड़ कर आदमी जी रहा है। उसके बाद शाम को उसे मिलता क्या है। ऐसे लोगों के यहां दिन में केवल एक बार रोटी बनती है, शाम को जब वह कमाकर लाता है और सवेरे उसके बच्चे बिना खाये काम करने के लिए चले जाते हैं और बांधकर साथ ले जाते हैं और जहां काम करने जाते हैं, वहां गुड़ की ढेली मांगते हैं कि हमें काम करने के लिए गुड़ चाहिए। आजादी को 60 साल हो गये, लेकिन क्या आज भी और इसके आगे भी, हमारी जो अर्थव्यवस्था है, उसका टिकलिंग इफैक्ट कायम रहेगा? मुझे लगता है कि इस बारे में मामले को नई समग्रता में देखना होगा। ये वे लोग हैं जो हिन्दुस्तान के असली मालिक हैं, ये वे लोग हैं, जो वोट डालते हैं तो सरकार बनाते हैं, जिससे सरकार को वित्तीय अधिकार मिलते हैं। मेरा यह मानना है कि अब समय आ गया है कि सरकार यह महसूस करे कि अब उन्हें शेयरिंग चाहिए, भीख नहीं, चैरिटी नहीं, उन्हें हिन्दुस्तान की पूरी अर्थव्यवस्था में अधिकार चाहिए, पूरी समग्रता से उनको हिस्सा मिलना चाहिए।

यू.एन.डी.पी. की मानव विकास इंडीकेटर्स की जो रिपोर्ट हमने देखी है, उसमें 127वां नम्बर हिन्दुस्तान का है। बहुत सा काम किया गया है और बहुत से काम करने के ख्वाब दिखाये जा रहे हैं। हमारा पूरी गम्भीरता से यह मानना है कि अगर अब इस हिन्दुस्तान में भूख रहती है, लाचारी रहती है, कोई लड़की गरीबी के कारण बिकती है तो यह भारत सरकार के द्वारा किया गया मानवाधिकार उल्लंघन है और इस चीज को उस तरीके से देखा जाना चाहिए। अब ऐसी व्यवस्था बने, एक चैरिटी नहीं, आदमी को एक लोकतांत्रिक राष्ट्र के अधिकारी के तौर पर उसका जो मेहनताना है, उसका जो हिस्सा है, वह लोकतंत्र में उसको मिलना चाहिए और यह बहुत जिम्मेदारी की बात है। एक बहुत अहम प्रश्न पैदा हुआ है कि हम गरीबों की बात कर रहे हैं तो वे वाकई में गरीब हैं या सिर्फ अंडर प्रोडक्टिव हैं। बड़े ताज्जुब की बात है कि उनको हमारी इस व्यवस्था ने ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि वे उत्पादक बन पाते। हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि हिन्दुस्तान से जो आदमी गिरमिटिया मजदूर बनकर हिन्दुस्तान से फिजी चले गये, जो मारीशस चले गये। चाहे गुयाना चले गये, वे इंसान बन चुके हैं। आज वहां हिन्दुस्तान बन चुका है, लेकिन जो आदमी नहीं जा पाये, क्यों नहीं जा पाये। चूंकि वे पढ़े-लिखे नहीं थे, संसाधनों तक उनकी पहुंच नहीं है, क्योंकि सरकार का उनकी तरफ ध्यान नहीं था।

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

जिनके पेट भरे थे, उनको तो कुछ और दिखाई दे रहा था। आज हम मीडिया को देखते हैं तो कौन बनेगा करोड़पति और प्रियंका चोपड़ा जीवन का अन्तिम सत्य बन गये। गरीबी दिखायी नहीं पड़ती, लाचारी दिखायी नहीं पड़ती, बिकता हुआ आदमी दिखायी नहीं देता, बिकती हुयी हमारी बेटियां दिखायी नहीं देतीं। इसे कौन देखेगा? मैं समझता हूं कि यह महत्वपूर्ण अवसर आपने हमें दिया है कि हम यह संकल्प करें कि आने वाले समय में हर व्यक्ति को प्रोडक्टिव पर्सनलिटी में तब्दील करना है, उत्पादक शख्सियत में तब्दील करना है। आज मार्केट ड्रिवन इकॉनामी है। यह बाजार से चलने वाली अर्थव्यवस्था है और इस अर्थव्यवस्था में कौन पीछे छूट गया है? जो सबसे लाचार है, जिनको सहारा नहीं मिल रहा है। बैंक भी अगर कर्ज देती है, तो सिक्योरिटी मांगती है, लेकिन सरकार ने कुछ ऐसे प्रयास किए हैं कि उन्हें बिना सिक्योरिटी के लोन मिले, लेकिन यह भी एक तथ्य है और हमें इस बात का मूल्यांकन कर लेना चाहिए कि उनकी बहुत छोटी तादाद है, जिनकी सिफारिशें हैं, जिनके पास पहुंच है, केवल उन्हीं लोगों को ये सहूलियतें मिल पायी हैं। यह बहुत गंभीर प्रश्न है। जो असुरक्षित क्षेत्र का लेबर है, वह ग्रामीण क्षेत्रों में है, कृषि क्षेत्र में है, दूसरे क्षेत्र में है, शहरों में भी डोमेस्टिक लेबर हैं, कबाड़ी हैं, रिक्शे वाले हैं और दिहाड़ी के मजदूर हैं जो मकान बनाते हैं और दूसरे मजदूरी कार्य करते हैं। उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है, इस मुल्क की एक तिहाई आबादी है, मैं तो साफ-साफ आरोप लगाना चाहता हूं कि यह राष्ट्र उनके प्रति उदासीन रहा है। हमें उनकी परचेजिंग पावर बढ़ाने की जरूरत है। अब चैरिटी नहीं चलेगी, अब तो प्रोडक्टिव एफर्ट्स लेकर, हर तरीके से सार्थक कदम उठाते हुए उनकी मदद करने की आवश्यकता है। जो असंगठित क्षेत्र का लेबर है, उसके साथ यह सबसे बड़ा अन्याय हुआ कि हमारे पास आज भी उनके लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है, जो अनस्किल्ड लेबर को सेमीस्किल्ड लेबर में और सेमीस्किल्ड लेबर को स्किल्ड लेबर में आथेन्टिकेट करें। हमने देखा है कि बच्चे जिंदगी भर किसी के घर में खाना बना रहे हैं या बर्तन मांज रहे हैं, जिंदगी भर काम करने के बाद भी उनके पास कुछ नहीं है। उनके पास कोई सर्टीफिकेशन नहीं है। कोई आदमी सड़क पर काम कर रहा है, बिल्डिंग बना रहा है, उसका कोई आथेन्टिफिकेशन नहीं है। पांच, दस या पन्द्रह साल के बाद कभी तो वह समय आना चाहिए।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं, लेकिन आपको दिया गया समय समाप्त हो गया है, आप अपनी बात शीघ्र समाप्त करिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: एक तरफ सरकार लेबर रिफार्म के लिए काम कर रही है। मुझे लगता है कि यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है कि उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए लेबर को असुरक्षित किया जा रहा है। दूसरी तरफ हम आज इस बात पर गौर कर रहे है, उन्हें हम कैसे सुरक्षित करें, यह बड़ी विडंबनापूर्ण स्थिति है। हमारे पास स्किल अपग्रेडिंग को सर्टीफाइ करने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है कि हमें क्या करना है? मैंने पहले भी इस सदन में चर्चा की थी और अब समय आ गया है कि भारत सरकार इस बात को महसूस करे और हिंदुस्तान से प्रोफेशनल्स, वोकेशनल एजूकेशंस में, ट्रेड्स में, जब पूरी दुनिया में 95 प्रतिशत लोगों की इस शिक्षा तक पहुंच है, लेकिन हमारे यहां नहीं है। हमारे देश में उनकी संख्या पांच प्रतिशत नहीं है। हमारी यह लाइबेलिटी बनती है कि जो भी बच्चा हमारे यहां पैदा हो और पढ़े, उसे मिनिमम लेवल पर एक वोकेशनल स्किल मिले और हम उसे विश्व स्तर पर प्रोफेशनल बना करके हिंदुस्तान से बाहर भेजें और यह हिंदुस्तान की विदेश नीति का हिस्सा बन जाना चाहिए। इसी से संसाधन पैदा होगा। आयोग सामने आया है और सेन साहब ने आयोग की अध्यक्षता की है। उन्होंने कुछ रिकमंडेशंस दी हैं। मुझे डर लगता है, वह भी एक चैरिटी की भाषा है, दान की भाषा है, कमजोरों को यह कर दिया जाए, कमजोरों को वह कर दिया जाए। मुझे लगता है कि इससे आगे बढ़कर कुछ गंभीर कदम उठाने होंगे। जो आज लेबर लॉज कहलाते हैं, वे इंप्लाइज लॉज होने चाहिए। जो इंप्लाइज हैं, उनके ऊपर इसका बंधन रखना चाहिए। सबसे दुखद स्थिति यह है कि जो असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं, उनके लिए काम करना मजबूरी है। वे काम नहीं करेंगे, तो भूखों मर जाएंगे। वे काम नहीं करेंगे तो भूखे मर जाएंगे। हमने कई मामलों में 80 साल की उम्र तक लोगों को काम करते देखा है। यह बहुत ही दुखद स्थिति है। उनके पास बचत नहीं है, उनके पास शिक्षा नहीं है, महिलाओं के पास मेटरनिटी प्रोवीजन्स नहीं हैं। हमने सबसे दुखद स्थिति देखी है कि आर्थिक लाचारी के कारण बहुत बड़ी तादाद में हमारी बहनें, बेटियां कमर्शियल सैक्स वर्कर्स बनकर घूम रही हैं। आज भारत सरकार के पास रीहैबीलिटेशन के लिए बहुत सीमित साधन हैं। आपको गौर करना पड़ेगा कि जब हम असंगठित समाज की बात करते हैं, तो हमारी ऐसी बहनें और बच्चे हमारी व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण कम्पोनैंट हैं। उनके लिए हमारे पास क्या चीज है, क्या संसाधन हैं।

मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि मैंने उस दिन प्रश्नकाल के दरम्यान देखा कि चाइल्ड लेबर वाला ईशू बहुत सीरियसली एड्रैस नहीं हुआ। उसके नोटीफिकेशन होने में 30-40 साल लग गए। चाइल्ड लेबर का प्रश्न मानव संसाधन मंत्रालय के साथ मिलकर पूरी समग्रता के साथ डील होना

चाहिए और हर बच्चे को उसकी पढ़ाई का अधिकार, सोशल सिक्युरिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए।

हम आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूं कि अब समय आ गया है।...*(व्यवधान)* मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैंने शेयरिंग की बात की। आप शेयरिंग की बात पर विचार कीजिए कि हमारा जो भाई असंगठित क्षेत्र का मजदूर है, अगर वह 50 रुपये रोज कमा रहा है तो भारत सरकार उसे 50 रुपये की अलग से सबसिडी दे, उसकी परचेजिंग पावर बढ़ाए। मुझे लगता है कि अब डायरैक्ट फंडिंग करने का समय आ गया है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाएंगे तो आप इस व्यवस्था के अंदर उनको सहभागिता नहीं दिला पाएंगे। यह बाजार आधारित अर्थव्यवस्था है।...*(व्यवधान)* मार्किट ड्रिवन इकोनॉमी के अंदर अगर श्रमिक की परचेजिंग पावर नहीं बढ़ती, उसका स्किल नहीं बढ़ता, अगर सरकार उसे डायरैक्ट सबसिडी नहीं देती, फंडिंग नहीं करती, तो उसके वही परिणाम होंगे जो हमारे पूर्ववर्ती कई वक्ता बता चुके हैं कि आज इस हिन्दुस्तान में डेढ़ सौ जिलों के अंदर नौजवान नक्सलाइट का रास्ता पकड़ चुके हैं और व्यवस्था परिवर्तन करने के लिए अपनी जिन्दगी कुर्बान करने का सपना देख रहे हैं।...*(व्यवधान)*

मैं एक छोटी सी घटना कोट करना चाहता हूं। मैंने एक कहानी पढ़ी थी कि जब वर्ल्ड वार-II की लड़ाई हो रही थी तो एक खदान के अंदर दो सैनिक आकर गिरे। एक सैनिक एक्सिस फोर्सेज का था और दूसरा ऐलाइड फोर्सेज का था। ऐलाइड फोर्सेज के सिपाही ने दूसरे सिपाही से पूछा कि हम क्यों लड़ रहे हैं। दोनों चोट खाए हुए थे। एक्सिस फोर्सेज के सिपाही ने बताया कि हमारी शानदार परम्परा रही है, मर्यादा रही है, हम विश्व विजेता रहे हैं और अपना सम्मान बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उसने दूसरे से पूछा कि आप क्यों लड़ रहे हैं, तो दूसरा सिपाही जो रूसी था, उसने बताया कि मेरा जन्म कहां हुआ, मुझे नहीं पता, मेरा बाप कौन था, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी मां मजदूरी करती थी और सुबह मुझे एक सूअर के गड्डे में छोड़ जाती थी और शाम को आकर मुझे दूध पिलाती थी। उसने कहा कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि हमें वह दिन दुबारा नहीं देखने हैं।...*(व्यवधान)* इस साल सदन के माध्यम से एक संकल्प होना चाहिए कि वही दिन हमें दुबारा नहीं देखने हैं जिनके कारण आज स्थिति यहां तक पहुंची है।

मैं एक बार आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए इतना समय दिया।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। आज सदन नियम 193 के अंतर्गत देश की एक प्रमुख समस्या के बारे में चर्चा कर रहा है। मंत्री जी जो यहां उपस्थित हैं, यह स्वाभाविक है कि सदन उन पर भी आस्था प्रकट कर रहा है कि शायद उनके कार्यकाल में कुछ हो पाएगा, हम कुछ ठोस कदम उठा पाएंगे। इस अपेक्षा के साथ आज की यह चर्चा हो रही है। आज सब सदस्य पार्टी से ऊपर उठकर इस बात पर सहमत हैं क्योंकि यह प्रमुख समस्या है। जो स्थिति आज लगभग 40 प्रतिशत आबादी की है, वह नहीं होनी चाहिए, यह चिन्ताजनक है, हमें कुछ नया सोचना चाहिए, इस पृष्ठभूमि पर आज चर्चा हो रही है।

एक राजनीतिक गठबंधन के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के बारे में यहां बार-बार उल्लेख किया गया। मैं भी उसका थोड़ा सा उल्लेख करूंगा। जब मंत्री जी लेबर मंत्री बने, मैं उनका बड़ा प्रशंसक हूं और कई मामलों में उनसे प्रभावित रहता हूं, लेकिन उनका एक बयान मुझे उनके व्यक्तित्व के विपरीत दिखा।

महोदय, यू.पी.ए. सरकार का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में एक कमिटमेंट था कि हम एक नया कानून लाएंगे, एक अम्ब्रेला कानून लाएंगे, एक सर्वस्पर्शी कानून लाएंगे, लेकिन ढाई साल हो गए हैं। इसी सरकार सरकार की ओर से एक अन्य कानून के बारे बड़ी हाइप की गयी थी, वह कानून राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी योजना है।

सभापति महोदय, आप भी भारत के ग्रामीण इलाके का प्रतिनिधित्व करते हैं, आप भी एक गरीब प्रान्त का प्रतिनिधित्व करते हैं। रोजगार गारन्टी योजना की बात कही गयी है, लेकिन देश के जिन 150 जिलों में उस कानून को लागू किया गया है, वहां उस कानून के तहत काम करने के इच्छुक सभी लोगों को रोजगार मिल रहा है, क्या सभी लोगों को 365 दिन काम मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। वह एक हाइप खड़ी की गयी थी कि हम रोजगार की गारन्टी लाए, हम संविधान में एक नयी चीज लाए हैं, आजाद भारत के 60 वर्ष में एक कीर्तिमान स्थापित किया है। वह कानून लागू हुए छः-सात महीने हो गए हैं और अब उसकी लिमिटेशन्स सामने आ रही हैं। ऐसे ही दुबारा एक हाइप खड़ी की जा रही है कि हम असंगठित क्षेत्र को सोशल सिक्योरिटी के लिए एक कंप्रिहेंसिव कानून लाएंगे। व्यक्तिगत रूप से मुझे तो सरकार की निष्ठा पर भी संदेह है क्योंकि यह अन्तर्विरोध से ग्रसित सरकार है। इस सरकार के अन्दर दो इकोनॉमिक फिलासफी हैं। हमारे साथी श्री कृष्णदास जी ने मुझे एश्योर किया कि हम आपके साथ हैं। उनके दबाव में या कहें कि यह उनके अन्दर के कुछ तत्व सरकार को इस देश के गरीब लोगों के बारे में सोचने के लिए मजबूर करते हैं। लेकिन जो तथाकथित लिब्रलाइजेशन पॉलिसी के पक्षधर हैं, जो तथाकथित ग्लोबलाइजेशन के पक्षधर हैं, विशेषकर जो इस सरकार के

[श्री धर्मेन्द्र प्रधान]

अर्थमंत्री हैं, क्या वे ऐसे किसी कानून के लिए मददगार होंगे? जब मंत्री जी चर्चा का उत्तर दें तो उनसे मैं यह अपेक्षा रखूंगा कि उनको मंत्री बने लगभग तीन महीने का समय हो गया, क्या इस बीच उन्होंने इस विषय पर अर्थमंत्री जी, योजना आयोग और विशेषकर प्रधानमंत्री जी के साथ बैठकर कुछ बात की है, उसमें जो इंवेस्टमेंट होगा क्या उसके बारे में कुछ चर्चा की है? जब वह मंत्री बने, उस दिन उनका एक इन्टरव्यु आया था। दुर्भाग्य से इस देश में जो श्रम विभाग के मंत्री बनते हैं, उन पर संगठित क्षेत्र और लेबर यूनियन्स के लोग हावी हो जाते हैं और बाकी 90 प्रतिशत लोगों के बारे में चर्चा करने के लिए उनके पास समय नहीं बचता है और न ही ऐसी कोई व्यवस्था होती है कि उस पर कुछ आलोक डाला जाए। उन्होंने बयान दिया था कि आज हम इकोनॉमिक ग्रोथ को सामने रखते हैं। अगर मैं सही हूं तो मंत्री जी ने कहा था कि अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर को देखते हुए हम देश के श्रमिक कानूनों को भी थोड़ा बदलेंगे। इससे मुझे बहुत निराशा हुई। कल शाम को हम भारतीय शिल्प समूह (सी.आई.आई.) द्वारा आयोजित एक सभा में गए, वहां शिल्प समूह के तथाकथित प्रतिनिधियों ने स्वीकार किया कि आज जो आठ-नौ प्रतिशत ग्रोथ है, वह ग्रोथ जॉबलेस और इम्प्लायमेंटलेस ग्रोथ है। इससे सबसे ज्यादा क्षतिग्रस्त होने वाला सेक्टर असंगठित क्षेत्र है, लेकिन इसमें उसकी कोई वॉइस नहीं है। असंगठित क्षेत्र की समस्याओं की ओर कई माननीय सदस्यों, श्री संदीप दीक्षित से लेकर रवि प्रकाश वर्मा जी तक, ने बताया है। उस मजदूर का दोष क्या है, गरीब परिवार में, दलित परिवार में जन्म लेना ही क्या उनका दोष है? हमें नियति ने उस परिवार में जन्म दिया है। मैं समस्या के उस पक्ष की ओर नहीं जाना चाहूंगा, मैं इस समस्या के निदान के बारे में केवल अपने एक-दो सुझाव देना चाहता हूं।

मैं कई सदस्यों की इस बात से सहमत हूं कि हमें अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर की परिभाषा बदलनी चाहिए और इसे नए सिरे से देखना चाहिए। हम काफी समय से इस बात को देख रहे हैं। जो लोग साल भर अपने गांव के किसी दूसरे के खेत में काम करते हैं या पड़ोस के किसी गांव के खेत में काम करते हैं या दूसरे प्रदेशों में जाकर काम करते हैं, समय आ गया है कि उनके लिए मल्टी परपज कार्ड बनाए जाएं। जैसे राशन कार्ड होता है, वोटर कार्ड होता है, अभी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम के तहत भी कार्ड की व्यवस्था की गई है और बीड़ी श्रमिकों के लिए भी कार्ड बनाए गए हैं, उसी तरह मल्टी परपज कार्ड इन लोगों को मिलने चाहिए। इससे इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी सिक्योर होगी, वह केवल फंड बना देने से ही नहीं होगी। देश में करीब 40 करोड़ लोग असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए मल्टी परपज कार्ड बनाने चाहिए। सीजनल वर्कर्स के प्रति हमें अपना नजरिया बदलना चाहिए। इस तरह के कार्ड्स बनाकर इन लोगों को दिए जाएं और उनके तथा उनके परिवार के स्वास्थ्य, शिक्षा, इंश्योरेंस और पेंशन आदि जो भी सुविधाएं हैं, वे सब इस कार्ड को देखते हुए मिलनी चाहिए। आज मंत्री जी भले ही अपने जवाब में इसका कमिटमेंट न करें, लेकिन उसके बारे में सोचना जरूर शुरू करें, क्योंकि इसके कारण ही हम इन लोगों में सोशल सिक्योरिटी ला पाएंगे, जो कि सरकार का जिम्मा है। हम सरकार के ऊपर भरोसा तो नहीं करते, लेकिन आप पर जरूर हमारा भरोसा है, क्योंकि आप इन लोगों की सोशल सिक्योरिटी के बारे में जरूर चिंता करते हैं।

देश में दूसरा लेबर कमीशन 1999 में बना था। आपकी सरकार ने अर्जुन सेन गुप्ता जी के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने कहा था कि एक कानून बनाया जाए। आप सिर्फ नीति बनाने वाले मंत्री हैं, बाकी मालिक तो सरकार है और उससे पता नहीं क्या होगा। उसके निर्देश पर ही आपका मंत्रालय चलेगा। लेकिन आप पर हमें भरोसा है इसलिए आप इस पर चर्चा करके एक काम्प्रिहेंसिव पालिसी बनाएं और मल्टी परपज कार्ड जैसे बीड़ी श्रमिकों के लिए बनाए गए हैं, वैसी व्यवस्था करें, जिसमें उनके और उनके परिवार वालों के लिए स्वास्थ्य और शिक्षा आदि की व्यवस्था होनी चाहिए।

मैं एक-दो बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। आपकी दो-तीन पालिसी हैं। जो लोग घर बनाते हैं, उन्हें कंस्ट्रक्शन लेबर कहते हैं। उनके लिए आपकी पालिसी है कि यदि दस लाख रुपये से ऊपर इंवैस्टमेंट होगा, तो उसमें से एक प्रतिशत आपके फंड में आएगा। मंत्री जी बताएं कि क्या किसी प्रदेश ने इसे प्रोग्रेसिव ढंग से लागू किया है? बीड़ी श्रमिकों के लिए जरूर कुछ व्यवस्था की गई है। जब श्री अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, उस समय लाखों की तादाद में उनके लिए घरों का प्रबंध हुआ था। लेकिन उस समय भी हमारी कुछ असहमति थी। वह इस बात पर थी कि सरकार पांच हजार रुपये की पूर्व शर्त रख रही है यह ठीक नहीं है, इस पर विचार करना चाहिए। इसलिए आप एक काम्प्रिहेंसिव नियम बनाएं और सच्चे दिल से तथा ईमानदारी से कानून बनाएं, हम उसका समर्थन करेंगे, लेकिन उसका हाल रोजगार गारंटी कानून जैसा न हो।

इतना ही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

चौधरी लाल सिंह (उधमपुर): सभापति महोदय, आपकी इजाजत से और आपके द्वारा नियम 193 में रखे गए इस विषय पर चर्चा करने के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता

हूं। आपने गरीब तबके की आवाज सदन में रखने का काम किया है, जिसकी कोई जाति नहीं है और जिसका कोई धर्म नहीं है। उसकी पूजा केवल काम है और मेहनत है। उस आदमी के साथ सदियों से शोषण होता आया है, यह कोई नई बात नहीं है। सदियों से मजदूर कुचला जा रहा है, आज भी यही हालत है।

सभापति महोदय, आपने जैसे रिक्शा चालकों का उदाहरण दिया और बड़ी अच्छे ढंग से उनकी समस्याओं के बारे में सदन को अवगत कराया। मैं भी आपको उदाहरण देना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान पालकी ढोने और पिट्ठू वालों की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। ये लोग वैष्णो देवी के दर्शन करने आए यात्रियों को नीचे से ऊपर पहाड़ तक लोगों को पालकी और अपनी पीठ पर लेकर जाते हैं। इनमें 70 प्रतिशत मुस्लिम हैं और 30 प्रतिशत हिन्दू हैं। जो मुस्लिम हैं, वे नीचे अल्लाह करके हिन्दुओं को उठाकर लाते हैं और ऊपर जय माता दी कहते हैं। ऐसा सीन और कहीं देखने को नहीं मिलता। जो लोग धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा सेक्यूलर ये मजदूर लोग हैं।

सायं 6.00 बजे

जिसे सेक्युलरिज्म देखना हो वह माता वैष्णो-देवी की यात्रा कर आए। हर तीसरा मुसलमान हिंदू को उठाकर यात्रा करवा रहा है।

सभापति महोदय: आपका भाषण कल भी जारी रहेगा।

चौधरी लाल सिंह: सर, कल मैं यहां नहीं रहूंगा।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप जीरो-आवर के लिए कह रहे हैं, मैं हाउस की राय जानना चाहता हूं।

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): सभापति जी, लाल सिंह जी कल यहां नहीं होंगे, इसलिए उनको भाषण समाप्त करने दें। उनके भाषण के बाद जीरो-आवर ले लिया जाए।

सभापति महोदय: लाल सिंह जी के भाषण के बाद जीरो-आवर लिया जाएगा और कल भी इस विषय पर चर्चा जारी रहेगी। माननीय मंत्री जी चाहें तो कल ही जवाब उनके अनुसार होगा। लाल सिंह जी, आपना भाषण जारी रखें।

चौधरी लाल सिंह: मैं सेक्युलरिज्म के बारे में कह रहा था, साथ ही मजदूरों के शोषण की बात भी कह रहा था। आज के डिस्कशन से मजदूरों को फायदा होगा। वैष्णो-देवी यात्रा के दौरान जितनी बेइंसाफी वहां के मजदूरों के साथ हो रही है उतनी कहीं नहीं हो रही है। वहां जो भी ठेका उठता है उसमें जो लेबर की आमदनी है उसके ऊपर 12 प्रतिशत टैक्स है। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं है। इन्कम-टैक्स, सेल-टैक्स, प्रॉपर्टी-टैक्स सुना है लेकिन लेबर-टैक्स कहीं नहीं सुना है। लेकिन वहां लेबर टैक्स लिया जाता है। जो मजदूर यात्रियों को माता के दरबार तक ले जाते हैं उनको पानी पिलाते हैं उनकी आमदनी पर टैक्स लिया जाता है। यह गरीबों का शोषण ही नहीं वरन् मैं कहूंगा कि उनके साथ क्रीमनल्स के समान ट्रीटमेंट किया जाता है। हर साल वहां ठेका होता है और कोई ठेकेदार तीन करोड़ रुपये का ठेका उठा लेता है तो वह एक काउंटर पर बैठ जाता है। सभापति जी, आप सुनिये।

सभापति महोदय: आप माननीय मंत्री जी को मेरे माध्यम से सुनाएं।

चौधरी लाल सिंह: मैं आपकी सोच को जानता हूं। आप भी मजदूरों के हितेषी हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी के साथ-साथ आपको भी सुनाना चाहता हूं। ठेकेदार लेबर को पूरे पैसे नहीं देता है। जब मजदूर यात्री को यात्रा कराकर नीचे आकर पैसे मांगता है तो ठेकेदार कहता है कि पैसे नहीं हैं। लेबर कहता है कि मुझे भूख लगी है, मुझे पैसे चाहिए। ठेकेदार कहता है कि जरूर चाहिए तो आपके रेट से 20 रुपये काटे जाएंगे, आपको 20 रुपये कम मिलेंगे। इस तरह से उसको 20 रुपये कम देकर पैसा दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कहां का इंसाफ है? पालकी वाले के साथ 6 आदमी काम करते हैं और 1200 रुपये उसको मिलता है। इस 1200 रुपये में से 12 प्रतिशत टैक्स जाता है, पालकी का मालिक अलग से पैसा लेता है, इस तरह से लेबर को क्या मिलता है? आप इंसाफ करें। यह जो असंगठित मजदूर हैं जोकि किसी संगठन के नीचे नहीं हैं।

महोदय, सरकार को उनकी मदद करनी चाहिए। उसको हर वर्ष एक आइडेंटिटी कार्ड बनाना पड़ता है, जो दो रुपये का बनता है। उसे बनवाने के लिए उन्हें पांच सौ रुपये देने पड़ते हैं। उसके लिए नो ओब्जेक्शन कभी तहसील से, कभी म्यूनिसिपेलिटी से लेना पड़ता है, तब जाकर कार्ड बनता है। मैं कहना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर को हम रोजगार देना चाहते हैं। दिल्ली के अमीर लोगों ने वहां बैटरी कार ले ली। शराइन बोर्ड के जो बड़े-बड़े ठेकेदार वहां बैठे हैं, जो कमिशनर बैठे हैं, उन्होंने सैटलमेंट करके बैटरी कार चलानी शुरू कर दी। वहां लेबर कैसे कमाई करेगी? जब लेबर ने हड़ताल की तो पुलिस ने मार-मार कर जेलों में बंद कर दिया, मैं वहां मौजूद था। मैंने पांच दिन जुलूस निकालता रहा और पांच दिन के बाद उन लोगों को मैंने छुड़ाया। अगर हमारे जैसे संसद सदस्य नहीं होंगे, तो उन लोगों के साथ जुल्म होता रहेगा। गरीब आदमी क्या मांगता है? गरीब आदमी को सिर्फ देहाड़ी चाहिए, वह ज्यादा नहीं

[चौधरी लाल सिंह]

मांगता है। उसके घर-परिवार वालों को एक समय का खाना मिल जाए, इससे ज्यादा वह कुछ नहीं चाहता है। उसका पैसा भी सरकार फिक्स करती है और उस पर भी उसे टैक्स देना पड़ता है और उसके लिए भी कंट्रेक्ट है। जब वह रास्ते पर चलता है, तो उसके लिए रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बारिश हो, तो वहां मजदूर नहीं रह सकता है। घोड़े वाला, पिट्ठू वाला, पालकी वाला अगर कहीं रास्ते में छाया में खड़ा होता है तो पुलिस वाले उसे मारते हैं, उस पर अत्याचार होता है।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप विषय पर आएं।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: लाल सिंह जी, आप कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप उनसे बात मत कीजिए, आप चेयर को संबोधित करके बोलें।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, मेरा उसूल है कि जब भी कोई माननीय सदस्य बोलता है, तो मैं कभी खड़ा नहीं होता हूं, इसलिए मैं चाहता हूं कि मुझे भी कोई बोलने से न रोके।

महोदय, उन लोगों का बीच रास्ते में रहने का कोई इंतजाम नहीं है, यहां तक की बीच में कहीं रुककर खाना हो, तो उसका भी इंतजाम नहीं है। ऊपर भी उनके लिए रहने, खाने और सोने की व्यवस्था होनी चाहिए, जो कानून कहता है। उनका घोड़ा गिर जाता है, तो उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं मिलता। कोई पहाड़ी से गिर जाता है, तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, लेकिन उसे बराबर टैक्स देना पड़ रहा है। जो बैटरी कार की बात है, वह किसलिए लगाई जा रही है, यह इसलिए लगाई जा रही है कि कोई अपंग है या किसी को अटैक हो जाता है, तो दो बैटरी कार इन्होंने चलाई थीं।

सभापति महोदय: आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

चौधरी लाल सिंह: महोदय, 17 बैटरी वाली कार बनाने जा रहे हैं। मेरा कहना है कि लेबर को कुचला न जाए। पूरे देश में लेबर का जो रेट है, वह बहुत कम हैं। जो वेजिज आम आदमी देता है, वह अलग है और जो आपने फिक्स किया है, वह अलग है। मैं कहना चाहता हूं कि आज के हालात के मुताबिक, महंगाई के मुताबिक मजदूर के घर चूल्हा नहीं जलता है। 60 रुपये किलो दाल है और 17 रुपये किलो आटा है, तो कैसे उसका गुजारा होगा? मैं कहना चाहता हूं कि क्या हम मजदूर को उसकी देहाड़ी देने में भी असमर्थ हैं? असंगठित मजदूर कौन होते हैं? हम उन्हें असंगठित मजदूर कहते हैं, जो लगातार देहाड़ी प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरफ सरकार को खास ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि यही लोग हैं जिन्होंने सुई से लेकर जहाज तक बनाया है। यही लोग हैं, जिन्होंने बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई हैं। आज इनकी पोजिशन दिन-पर-दिन नीचे जा रही है। महोदय, पहले कहते थे कि इलेक्शन गरीबी और आटा-दाल पर लड़ा जाता था। आज उल्टा हो गया है। आज ग्रोथ रेट के चक्कर में पड़े हैं। गरीब की गरीबी देखी नहीं जा रही है। इसकी तरफ खास ध्यान दिया जाए।

आपने समय दिया, बड़ी मेहरबानी। इनको जो तकलीफ हुई, उसके लिए क्षमा चाहता हूं।

[अनुवाद]

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): महोदय, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने के लिए आपने मुझे अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। हममें से अनेक वक्ताओं ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की जटिल समस्याओं, उनकी संख्याओं और उनकी बिगड़ती स्थिति इत्यादि का उल्लेख किया है। समय की कमी को ध्यान में रखते हुए मैं पहले कही गई बातों को नहीं दोहराऊंगा। मैं केवल उन दो महत्वपूर्ण मुद्दों को ही दोहराना चाहता हूं जिन पर माननीय मंत्री महोदय द्वारा ध्यान दिया जाए।

यह एक अच्छी बात है कि यह चर्चा ऐसे समय पर हो रही है जबकि हमारे श्रम मंत्री ऐसे व्यक्ति हैं जोकि लोगों के कष्टों को दूर करने तथा उनके कल्याण के प्रति समर्पित हैं। यद्यपि संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार ने असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की समस्याओं पर ध्यान देने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन इन लोगों के कल्याण के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना है।

सबसे पहले मैं सरकार को यह बताना चाहता हूं कि असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति तथा इस देश की आर्थिक प्रगति का नकारात्मक संबंध होता है। देश में विकास एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के कल्याण के बीच कोई सकारात्मक संबंध नहीं है। अनेक अध्ययनों से यह साबित हो गया है कि हमने आर्थिक सुधारों की जो प्रक्रिया शुरू की है उससे न तो संगठित क्षेत्र में और न ही असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसरों का सृजन हुआ है।

संगठित क्षेत्र में, सार्वजनिक क्षेत्र में रोजगार के सभी

अवसर कम होते जा रहे हैं क्योंकि हम निजीकरण की प्रक्रिया अपनाते जा रहे हैं। परन्तु, निजीकरण के मामले में, बहुराष्ट्रीय कम्पनियों का आगमन हो चुका है, बड़ी-बड़ी कम्पनियां आ गई हैं, जो अपने कार्य संचालन के लिए मशीनों को अधिक महत्व देती हैं जिससे असंगठित श्रम के विकास की सम्भावनाएं बहुत कम हो गई हैं। रोजाना हम कह रहे हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में आठ प्रतिशत, नौ प्रतिशत इत्यादि की दर से वृद्धि हो रही है। परन्तु देश के लोगों के रोजगार पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है। अब हम पाते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के अनेक क्षेत्रों का नकारात्मक विकास हुआ है।

जब लोगों को सार्वजनिक अथवा निजी क्षेत्र में रोजगार नहीं मिलता है तो वे बेरोजगारों अथवा असंगठित श्रमिकों की बड़ी फौज में शामिल हो जाते है। इस तरह देश में विकास की इस प्रक्रिया से रोजगार रहित विकास की प्रक्रिया पैदा हो गई है। सरकार को इस मुद्दे पर ध्यान देना चाहिए। इसलिए, आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों की स्थिति गरीबी से दरिद्रता की ओर बढ़ती जा रही है। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए।

यद्यपि सरकार अनेक उपाय कर रही है, परन्तु उसका केवल एक ही दृष्टिकोण है कि जो केन्द्रीय सरकार में कार्यरत हैं केवल वे सरकार के कर्मचारी है जबकि ये लोग कुल श्रमिकों का 90 प्रतिशत है तथा देश की राष्ट्रीय आय में इनका 62 प्रतिशत योगदान है लेकिन सरकार इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। इसलिए, सरकार को इस तरफ अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं केवल एकाध मुद्दा उठाऊंगा जिनकी तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक मुद्दा यह है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने अनेक सिफारिशें की हैं तथा सरकार का उद्देश्य उनकी उत्पादकता उनेक कार्य की गुणवत्ता में सुधार करना है, इसलिए सरकार को इन लोगों की आय अर्जन क्षमता में सुधार करना चाहिए तथा इनकी मोल-तोल मजदूरी के मामले में शक्ति में वृद्धि करनी चाहिए।

सरकार को दो महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए। आज असंगठित क्षेत्र के श्रमिक को कामगार का दर्जा नहीं दिया जाता है। चाहे यह एन.एस.एस.ओ. सर्वेक्षण हो अथवा जनगणना कार्य हो, श्रमिक को कामगार का दर्जा नहीं दिया जाता है। जब तक उन्हें कामगार के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी तब तक उन्हें आधिकारिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसलिए, मेरी आपसे पुरजोर अपील है कि सरकार को असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को कामगार मानना चाहिए तथा उन्हें आधिकारिक सर्वेक्षणों में सम्मिलित करना चाहिए।

भारत सरकार को असंगठित क्षेत्र के सभी श्रमिकों को पहचान पत्र जारी करने चाहिए ताकि उनकी कोई पहचान की जा सके तब उन्हें कुछ मान्यता मिलेगी और इसे वे अपनी इच्छानुसार उद्देश्य के लिए प्रयोग कर सकते हैं।

तीसरे, भारत सरकार को असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए राष्ट्रीय कल्याण बोर्ड गठित करना चाहिए। चौथे, जहां कहीं भी संभव हो उन्हें संघ बनाने की अनुमति दी जानी चाहिए जिससे कि मजदूरी के संबंध में उनके मोल-तोल करने की गुंजाईश को बढ़ाया जा सके तथा असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को भी यथासंभव लाभ दिए जाने चाहिए।

इस तरह सरकार को लोगों के विकास की ओर सर्वाधिक ध्यान देना चाहिए क्योंकि अकेले आर्थिक विकास से लोगों में समृद्धि नहीं आ सकती है। हमें इस समस्या को समझना चाहिए। हमें चीन के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए जहां आर्थिक विकास के साथ-साथ अधिकाधिक कल्याणकारी विशेषतौर पर सामाजिक उपाय किए गए हैं। यदि आप असंगठित क्षेत्र के इन लोगों की सामाजिक संरचना पर ध्यान दें तो ये अनुसूचित जातियों अत्यधिक पिछड़े समुदायों, पिछड़े समुदाय के हैं। गरीबी से प्रभावित, उपेक्षित तथा संसाधनों के असमान वितरण से प्रभावित लोग ही असंगठित क्षेत्र के श्रमिक हैं। इसलिए, लगभग 60 प्रतिशत इन लोगों का उत्थान किया जाना चाहिए। यदि, गरीबी रेखा को समाप्त करना है, तो असंगठित क्षेत्र पर ध्यान देना होगा। इसलिए, सरकार को इस दिशा में एक व्यापक विधेयक लाना चाहिए, इस सत्र में नहीं तो अगले सत्र में ही सही, ताकि इन लोगों के हितों की रक्षा की जा सके। यदि सरकार असंगठित क्षेत्र के कल्याण के संबंध में कोई व्यापक विधेयक लाती है तो हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सरकार का समर्थन करना चाहिए।

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। यह अपने ही देश में होता है कि जन्म से ही आदमी गरीब हो जाता है, जन्म से ही अछूत हो जाता है और जन्म से ही बेबस, बेसहारा और असहाय हो जाता है। भारत का संविधान कहता है कि भारत के नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय देंगे, वैचारिक समता देंगे, प्रतिष्ठा और अवसर की समता देंगे, व्यक्ति की गरिमा देंगे, व्यक्ति की गरिमा देंगे, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता देंगे। एक तरफ यह बात है और दूसरी तरफ वह बात है लेकिन, इनके बीच में कोई भी सेतु नहीं बन पा रहा है। देश में कमजोर लोगों के लिए, असंगठित क्षेत्र के लोगों के लिए बजट बनाते

[डा. सत्यनारायण जटिया]

हैं, देश की आबादी का गणना के आधार पर कुल संगठित श्रम बल चालीस करोड़ माना है, यह पिछले चार-पांच सालों से मानते आ रहे हैं, यह अब बढ़ गया होगा। प्रायः नब्बे प्रतिशत हिस्सा असंगठित क्षेत्र का है और असंगठित क्षेत्र में भी एक ऐसा हिस्सा है जो ग्रामीण क्षेत्र में रहता है जिनके पास कोई रोजगार नहीं है। उनके पास रोजगार नहीं होने से उनकी लाचारी और बेबसी बढ़ जाती है जबकि देश में सारी योजनाएं उसके नाम पर बनाई जाती हैं। गरीबी हटाओ का नाम जरूर है लेकिन गरीब गरीब ही रहेगा। उनके लिए इंदिरा आवास योजना के तहत मकान बनते हैं लेकिन पहली ही बरसात में, पहली ही बाढ़ में उनका मकान असुरक्षित जगह, नालों के किनारे बना होता है जो बहकर चला जाता है1 इस तरह से यह मजाक हो रहा है, देश की आबादी के साथ बेइंसाफी हो रही है, इस बेइंसाफी को रोकने के लिए दृढ़ संकल्प की आवश्यकता है।

मैं पन्द्रह अगस्त के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी के भाषण को आपके सामने रखता हूं, उन्होंने कहा था "हम नया भारत बनाएंगे, आज मैं इस ऐतिहासिक लालकिले से आप सभी से गुजारिश करता हूं कि भारत निर्माण के लिए फिर से जुट जाएं। एक ऐसा भारत जो भावना में एक हो, भाषा तथा मजहब के आधार पर बंटा न हो, एक ऐसा भारत जो भारतीयता में एक हो, जाति और प्रांत के नाम पर बंटा न हो, ऐसा भारत जो विकास की खोज में एक हो और न बराबरी के आधार पर बंटा हो, एक ऐसा भारत जो सबका हो और सबका ख्याल करता हो, इस उद्देश्य के शब्द माननीय प्रधानमंत्री जी ने लालकिले की प्राचीर से कहे। उन्होंने आगे कहा - हम इन सब बातों के लिए कुछ योजनाएं बनाना चाहते हैं। हमारे देश में आर्थिक विकास हो रहा है और जी.डी.पी. 9 प्रतिशत हो रहा है, उसमें गरीबों, काम करने वाले लोगों और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का भी तो हिस्सा है। उसमें कहा गया है कि हमारे देश में हो रहे आर्थिक विकास और तरक्की में चारों ओर से कुशल कर्मचारियों की कमी की गूंज सुनाई दे रही है। इतनी बड़ी आबादी वाले देश में इस प्रकार की गूंज नहीं होनी चाहिए इसलिए इस कमी को दूर करने के लिए हम एक वोकेशनल एजुकेशन मिशन शुरू करने की सोच रहे हैं। मेरा कहना है कि आप सोच रहे हैं यह अच्छी बात है आप सोचें और इसे जल्दी पूरा करें। आप अच्छे कामों को करने की सोच रहे हैं, करेंगे, ऐसा करने के लिए समयावधि के आधार पर सरकार आती है, पांच साल की सरकार है यदि अच्छा काम करती है तो जनता स्वीकार करती है अन्यथा जनता को कभी स्वीकार और कभी अस्वीकार है। परंतु जिस देश में बचपन से ही मुश्किलें हों, जिस देश का बचपन जन्मता हो सड़क के हाशिए पर, बढ़ते अभाव में पलता, बढ़कर भटकता गुमराह जवानी, दर-दर की ठोकरों में और उसका लावारिस बुढ़ापे दम तोड़ता थककर उसी सड़के के हाशिए पर, जहां पैदा हुआ वही मर गया।

इसलिए ऐसे असंगठित लोगों के बारे में सभापति जी आप भी सारे विचारों से सहमति रखते हैं और उनके उत्थान के बारे में भी सोचते हैं। सरकार भी सोचती है, हर सरकार सोचती है। परंतु सिर्फ सोचती है, करती कुछ नहीं है। इसलिए करने के लिए बहुत ज्यादा मौके नहीं होते। देश की आजादी के साठ वर्षों में आम आदमी के लिए जो काम होना चाहिए था, वह नहीं हुआ। उसे राशन की दुकानों पर जो राशन चाहिए, वह नहीं मिलता, बाकी की जो बातें होनी चाहिए, वह नहीं होती हैं। सरकार ने रोजगार गारंटी की योजना बनाई, परंतु रोजगार की गारंटी की योजना सौ दिन की है, शेष दिनों में वह क्या करेगा।

सभापति महोदय: जटिया जी, आप तो कबीर के विचारों से काफी जुड़े हैं - सब घर देखा, एक ही लेखा। आप इस बात को जानते हैं, इसलिए आप खत्म करिये।

डा. सत्यनारायण जटिया: कुदरत ने सबको एक बनाया है - अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरते के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजा, कौन भले कौन मंदे। इसलिए ऊपर वाले ने सबको एक बनाया है, भारत के संविधान ने एक बनाया है। अब सरकार और हम लोगों को मिलकर उनकी विसंगतियों को दूर करना है। क्योंकि हम जानते हैं जिसके पास पैसा है, उसके पास सब कुछ है।

"यस्सासि वित्तं स नर कुलीनः, स बुद्धिमान स गुणज्ञ, स एव वक्ता सच दर्शनीय, सर्वे गुणा कांचनम् आश्रयान्ति।" पैसे वाला पैसे वाला है और गरीब गरीब है। गरीब और गरीब न हो जाए, इसकी चिंता करनी चाहिए और इन असंगठित क्षेत्रों में काम करने वालों के बारे में दूसरे लेबर कमीशन ने जो सुझाव दिये हैं। उसके बाद जो और बातें हो रही हैं, उन्हें समयबद्ध रूप में करके सरकार को उन पर विचार करना चाहिए। आपने मुझे बोलने का समय दिया, उसके लिए धन्यवाद और मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि इसके लिए वह आगे आये।

[हिन्दी]

श्री गणेश सिंह (सतना): सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देते हुए एक बहुत महत्वपूर्ण मसला सदन में रखना चाहता हूं, जो छः लोक सभा क्षेत्रों से जुड़ा हुआ है - जबलपुर, रीवा, सतना, बांदा और हमीरपुर खजुराहो। पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर डिवीजन के अंतर्गत मेरा लोक सभा क्षेत्र आता है।

दिल्ली को जोड़ने वाली दो यात्री गाड़ी थी, एक जबलपुर से हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रैस जो शाम 6 बजे चलकर दोपहर 11.30 बजे निजामुद्दीन पहुंचती है। इस गाड़ी के समय परिवर्तन की मांग लम्बे समय से थी कि उक्त गाड़ी को सुबह 9 बजे तक दिल्ली पहुंचने हेतु समय सारिणी में संशोधन किया जाए। अभी जो समय परिवर्तन किया गया है, वह पूर्णतः असुविधाजनक है तथा इसके कारण लोगों में भारी आक्रोश है। अतः समय में परिवर्तन कर हजरत निजामुद्दीन सुबह 9 बजे तक पहुंचाने हेतु समय सारिणी में संशोधन किया जाए।

ठीक इसी तरह से दूसरी गाड़ी जो रीवा से चलकर नई दिल्ली आती है, उसका समय रात्रि 10.30 बजे रीवा से चलकर दोपहर 1.30 बजे दिल्ली पहुंचने का है। उक्त गाड़ी के समय में परिवर्तन करके सुबह 9.30 बजे तक दिल्ली पहुंचाये जाने की मांग की गई थी। लेकिन दुर्भाग्य है कि आज तक समय सारिणी में संशोधन नहीं किया गया। इन दोनों गाड़ियों की स्थिति ऐसी है कि रीवा से दिल्ली चलने वाली गाड़ी हमेशा 3 बजे के बाद ही पहुंचती है, इसी तरह महाकौशल एक्सप्रैस हमेशा दोपहर 1 बजे के बाद पहुंचती है, जिसके कारण यात्रियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

आपके माध्यम से मैं दोनों गाड़ियों की समय सारिणी में परिवर्तन की मांग करता हूं।

[अनुवाद]

डा. के.एस. मनोज (अलेप्पी): महोदय, मैं ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघर बंद करके प्राइवेट फ्रैंचाईज सेंटर खोलने जाने के संबंध में एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामले पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं।

भारतीय डाक सेवाओं ने देश में अपना 150वां स्थापना वर्ष पूरा किया है। ग्रामीण क्षेत्रों में, यहां तक कि सूचना तथा संचार क्रांति के इस युग में भी डाकघर गांवों में रहने वाले गरीबों के लिए संचार का मुख्य साधन है। डाक बचत बैंक भी ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएं प्रदान करते हैं। डाकघर राष्ट्रीय एकता नेटवर्क का प्रतीक है। परन्तु सरकार ने देश में अनेक डाकघरों का या तो विलय कर दिया है अथवा उन्हें बंद कर दिया है। 38,000 से अधिक नियमित पद तथा 20,000 ई.डी. कर्मचारियों के पद समाप्त कर दिए गए हैं इससे देश में डाकघरों का कार्यकरण कमजोर हुआ है। सरकार ने प्रधान महा डाकपाल को प्राइवेट फ्रैंचाइज सेंटर खोलने के गुप्त निदेश दिए हैं। देश में इस प्रकार के 100 केन्द्र खोले जायेंगे जिनमें केरल में खुलने वाले ऐसे तीन भी शामिल हैं। कोई भी प्राइवेट फ्रैंचाइज सेंटर ग्रामीण क्षेत्रों में सेवाएं प्रदान नहीं करता है। यदि कोई यह सोचता है कि डाकघरों को निजी उद्यमियों के लाभार्थ बंद कर दिया गया है तो इसका दोषारोपण किसी पर नहीं किया जा सकता है। यदि डाक बचत एवं डाक बीमा के लाभ को एक साथ जोड़ा जाए तो डाकघर लाभ अर्जित करने वाली इकाईयां है। न्यूनतम साझा कार्यक्रम के अनुसार, किसी भी लाभ अर्जित करने वाली इकाई का निजीकरण नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार, यह न्यूनतम साझा कार्यक्रम का उल्लंघन है। इसलिए, मैं सरकार से डाकघरों को बंद करने तथा निजी फ्रेंचाइजी केन्द्र खोलने के निर्णय की समीक्षा करने का अनुरोध करता हूं।

श्री चेंगरा सुरेन्द्रन (अडूर): महोदय, मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों में क्रीमी लेयर से संबंधित महत्वपूर्ण मामले को उठाना चाहता हूं। माननीय, उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण का प्रावधान करने वाले विभिन्न संवैधानिक की वैधता, संसाधनों को चुनौती देने वाली अनेक याचिकाओं पर दिनांक 19 अक्तूबर, 2006 को निर्णय देते हुए यह माना था कि सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में 'क्रीमी लेयर' को आरक्षण से अलग रखा जाना चाहिए।

सर्वप्रथम, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह भारत के संविधान की भावना के विपरीत है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को सरकारी सेवा की भर्ती में उनके सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए आरक्षण प्रदान किया गया था। इसलिए, आरक्षण का आधार शैक्षणिक पिछड़ापन है न कि आर्थिक पिछड़ापन। इसलिए, इस बात पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस तबके को आरक्षण का प्रावधान केवल रोजगार उपलब्ध कराने के लिए ही नहीं दिया गया है बल्कि इस देश के प्रशासन में उनकी भागीदारी के लिए भी दिया गया है।

इसलिए, मैं यह अनुरोध करता हूं कि इस स्थिति से निपटने के लिए केन्द्र सरकार संविधान में संशोधन करने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लाए और उसे पारित करे।

सभापति महोदय: श्री महताब, आपका विषय भी यही है। आज अपने आपको उनसे सम्बद्ध कर सकते हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): परन्तु मेरा सुझाव अलग है।

मैं सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहूंगा कि भारत सरकार ने अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण करने की विवादास्पद परियोजना की व्यवहार्यता का अध्ययन करने के लिहाज से एक एकल सदस्यीय आयोग का गठन करने का निर्णय किया है। यह एक अत्यंत संवेदनशील मामला है और

[श्री भर्तृहरि महताब]

इससे आक्रोश और विवाद की स्थिति उत्पन्न होगी। दलितों को गुटों में बांटने के प्रस्ताव और उनके बीच आरक्षण-कोटे के वितरण को लेकर दलितों के ताकतवर व कमजोर तबके आपस में भिड़ने की स्थिति में आ गए हैं।

आंध्र प्रदेश में मडिगा और माला जातियों के बीच सीधे संघर्ष हो रहा है। उड़ीसा में इस वर्गीकरण को कथित तौर पर 'अस्पृश्य दलित' और 'स्पृश्य दलित' के विभाजन के रूप में देखा जा सकता है। उत्तर भारत के ताकतवर अनुसूचित वर्ग, जैसे-चमार; दलितों के उप-वर्गीकरण को लेकर भड़के हुए हैं। यह मुद्दा तब और विवादास्पद बन गया जब उच्चतम न्यायालय की संविधान-खंडपीठ द्वारा आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति (आरक्षण का युक्तिसंगतीकरण) अधिनियम, 2000 खारिज किए जाने के बाद भी सरकार ने अनुसूचित जातियों के उप-वर्गीकरण को हरी झण्डी दिखा दी। पांच न्यायाधीशों के खंडपीठ का विचार था कि अनुसूचित जाति का उप-विभाजन अनुच्छेद-14 का उल्लंघन है। खंडपीठ ने तो इसे राज्य की विधायी शक्ति से परे ठहराया था। अनुसूचित जातियों का उप-विभाजन संविधान के मूलस्वरूप का भी उल्लंघन करता है।

मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि वह आग से न खेले। संपन्न तबके की पहचान करना एक अलग बात है लेकिन जाति विशेष के नाम पर अनुसूचित जातियों का उप-वर्गीकरण न सिर्फ असंवैधानिक है बल्कि खतरनाक भी है।

[हिंदी]

सभापति महोदय: जिन माननीय सदस्यों के नाम रह गये हैं, वे कल दुबारा नोटिस देकर मामला उठा सकते हैं।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: पहले मेरी बात सुन लें। मैंने यह कहा है कि आज शाम को पी.एल.बी. में बच्चों का एक सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सभी माननीय सदस्य आमंत्रित हैं। जिनका नोटिस आया है, वह मामला कल ले लिया जायेगा लेकिन फिर से आप सुबह नोटिस दे दें।

...(व्यवधान)

सभापति महोदय: सदन सर्वोच्च है, इसलिये सभी सदस्यों को एक-एक मिनट दिया जाता है।

[अनुवाद]

श्री प्रबोध पाण्डा: मैं खाद्यान्नों, विशेषकर धान की फसल, की खरीद के मामले से जुड़ा एक महत्वपूर्ण मसला उठाना चाहता हूं। धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर्याप्त नहीं है। यह न तो लाभप्रद है, न ही समर्थनकारी। और फिर, खरीद अभी तक शुरू नहीं हुई है। देशभर में धान की फसल की कटाई समाप्त हो गई। पश्चिम बंगाल में इस वर्ष 19 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य है जिसमें से भारतीय खाद्य निगम को 12 लाख मीट्रिक टन मात्रा ही खरीदने के लिए प्राधिकृत किया गया है। लेकिन भारतीय खाद्य निगम ने अभी खरीद शुरू नहीं की है। मैं कृषि मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि वह ग्रामीण क्षेत्रों में धान की खरीद तत्काल शुरू कराए ताकि औने-पौने दामों में उसकी बिकवाली पर रोक लगे और गरीब किसान की रक्षा हो।

[हिन्दी]

श्री टेक लाल महतो (गिरिडीह): सभापति महोदय, झारखंड राज्य के हजारीबाग जिला अंतर्गत मेरु सदर प्रखंड तथा इचाक प्रखंड के अलौंजा आदि गांव के लोगों की जमीन पर सरकारी तौर पर सीमा सुरक्षा बल कैंप के अधीन 1964 में तत्कालीन प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा टी.सी.एस. एवं एस.टी.सी. की स्थापना की गई थी। इस इकाई द्वारा सीमा सुरक्षा बल में जवानों की बहाली कर प्रशिक्षण दिलाने का कार्य होता है। हाल ही में पता चला है कि मेरु कैम्प स्थित एस.टी.सी. का स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया गया है। इस कारण हजारीबाग की जनता में काफी आक्रोश और नाराजगी है। इस संदर्भ में वे लोग धरना-प्रदर्शन हेतु स्थानीय अधिकारियों को मांगपत्र दे चुके हैं। वहां की स्थिति कभी भी अनियंत्रित हो सकती है।

अत: सदन के माध्यम से मैं सरकार से मांग करता हूं कि बी.एस.एफ. कैम्प मेरु से एस.टी.सी. संस्था को स्थानांतरित होने से तत्काल रोका जाए। झारखंड राज्य के बोकारो जिला के तरपइयां हाइडल के निर्माण में हजारों किसानों की जमीन अर्जित की गई है किन्तु अभी तक नियोजन, पुनर्वास और मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है। अत: सदन के माध्यम से मेरी मांग है कि इनके विस्थापितों के पुनर्वास और मुआवजे की शीघ्र व्यवस्था की जाए।

[अनुवाद]

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): मैं 5 रु. और 100 रु. मूल्यवर्ग के उन सिक्कों के बारे में कह रहा हूं जिनको 13 जून को 'सुवर्ण कर्नाटक' समारोह के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री ने जारी किया था। ये सिक्के समाज-सुधारक जगजयति वासवेश्वरा के नाम पर, उनकी स्मृति में जारी किए गए। वे ऐसे

पहले कन्नड़भाषी हैं जिनकी स्मृति में यह सिक्के जारी किए गए हैं और इस हेतु हमारे प्रिय प्रधान मंत्री जी का आभारी हूं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि 12वीं शती के इस संत के जीवनकाल का उन पर कोई उल्लेख नहीं है। यह कन्नड़ समाज-सुधारक, कन्नड इतिहास और कन्नड़ साहित्य के प्रति केंद्रीय सेवा के कतिपय नौकरशाहों का अवहेलनापूर्ण रवैया है। वास्तव में वासवअन्ना ने ही इस महान राष्ट्र के इतिहास में प्रथम बार, वासव कल्याण में संसदीय लोकतंत्र का सूत्रपात किया था। उनकी काव्य-रचनाएं (उनके वचन) साहित्य के क्षेत्र में सागर की भांति हैं जिनसे मानवता का स्तर उन्नत होता है। इस संत ने संसदीय लोकतंत्र में महिलाओं के लिए समान स्तर की सोच रखी और उसे कार्यान्वित किया।

अब ये सिक्के जनता की मांग पर बाजार में उपलब्ध नहीं हैं। अतः मैं माननीय मंत्री जी से वासवेश्वरा की स्मृति में ऐसे सिक्के जारी करने का अनुरोध करता हूं जिन पर उनका जीवनकाल भी उल्लिखित हो।

श्री जी. करूणाकर रेड्डी (बेल्लारी): मैं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र, बेल्लारी (कर्नाटक) के दो महत्वपूर्ण प्रस्तावों की ओर दिलाना चाहूंगा जो अभी लंबित हैं। पहला प्रस्ताव स्वर्णजयंती ग्राम-स्वरोजगार योजना के अंतर्गत बेल्लारी जिले में स्वच्छ मिल-उत्पादन कार्यक्रम (क्लीन मिल प्रोडक्शन प्रोग्राम) और बेल्लारी डेयरी, दुग्ध उद्योग के निस्तारीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए वित्तीय सहायता सहित, बेल्लारी की दुग्ध सहकारी सोसाइटियों में आधार संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन से संबंधित है। इस मामले में कर्नाटक सरकार ने केंद्र सरकार के सुझाव के अनुसार संशोधित प्रस्ताव भी भेजे हैं चूंकि इस परियोजना की संशोधित लागत 672.50 लाख रु. है।

दूसरा प्रस्ताव उक्त स्वर्णजयंती ग्राम-स्वरोजगार की विशेष योजनान्तर्गत बेल्लारी जिले में देवदासियों के पुनर्वास हेतु वित्तीय सहायता के विषय में है। समाज में गरीबी और अंधविश्वास के कारण देवदासी प्रथा आज भी अस्तित्व में है। बेल्लारी जिले में 6553 देवदासियां हैं जिनमें से 3942 आर्थिक क्रियाकलाप आरंभ करने के लिए पात्रता रखती हैं। आजीविका हेतु ये स्त्रियां देवदासी बनी हुई हैं और बदले में एच.आई.वी./एड्स जैसे संक्रामक यौन-रोगों से ग्रस्त होती हैं। इस बुरी प्रथा को हतोत्साहित करने और बैंकों व सरकारी विभागों के माध्यम से सहायता देकर इन महिलाओं को स्व-रोजगार संपन्न बना कर उन्हें मुख्य धारा में लाने को अपरिहार्य आवश्यकता है।

महोदय, इस प्रस्ताव से गरीबी-रेखा के नीचे रहने वाले 3942 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। ये महिलाएं अ.जा. और अ.ज.जा. वर्ग की हैं। इस परियोजना की कुल लागत 963 लाख है। मैं ग्रामीण विकास मंत्री जी से तत्काल इन दोनों प्रस्तावों को मंजूर करने और इस वास्ते धनराशि जारी करने का अनुरोध करता हूं ताकि बेल्लारी निर्वाचन क्षेत्र के लोग लाभान्वित हो सकें।

[हिन्दी]

प्रो. महादेवराव शिवनकर (चिमूर): महोदय, महाराष्ट्र के गोसेखुर्द प्रकल्प का सन् 1980 में भूमि पूजन हुआ। जब युती की सरकार आई तो 600 करोड़ रुपये देकर उस प्रकल्प को प्रारम्भ किया गया, मगर महाराष्ट्र सरकार पूर्णतया दुर्लक्ष कर रही है। केवल कैनाल खोद कर लोगों की आंखों में धूल झाकें रही है। 2005-06 और 2006-07 की अनुदान राशि केन्द्र सरकार ने अभी तक महाराष्ट्र सरकार को नहीं दी, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार ने उसका पिछला हिसाब नहीं भेजा। इसलिए केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गोसेखुर्द प्रकल्प को केन्द्रीय प्रकल्प का दर्जा देकर उसे संपूर्ण राशि देकर आगामी तीन वर्षों में प्रकल्प को पूर्ण करें।

महोदय, इस प्रकल्प के लिए भंडारा, चन्द्रपुर, इन जिलों के किसानों की जमीनों की खरीदी-बिक्री के व्यवहार और रजिस्ट्री बंद की गई है और अब महाराष्ट्र सरकार किसानों की जमीनें एक्वायर कर रही है। उस जमीन का मुआवजा केयल 30 से 35 हजार रुपये किसानों को दिया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में किसानों में भारी असंतोष फैला हुआ है। किसानों को जमीन से बेदखल करके सरकार उन्हें आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर रही है। केन्द्र सरकार से आग्रह है कि गोसेखुर्द प्रकल्प के लिए प्रति वर्ष 1500 करोड़ रुपये दे और किसानों को कम से कम तीन लाख रुपये, जो मार्केट में अभी भाव है, उस प्रकार से प्रति एकड़ दिया जाए। इस संबंध में केन्द्र सरकार अविलम्ब कार्यवाही करे।

श्री राजनरायन बुधौलिया (हमीरपुर, उ.प्र.) महोदय, माननीय उच्चतम न्यायालय के एक निर्णयानुसार देश में आरा मशीनों के उपयोग पर रोक लगी हुई है। इस नियम की आड़ में वन अधिकारी पूरे देश में आरा मशीन चलाने वालों एवं लकड़ी के कार्य करने वाले लोगों को आए-दिन परेशान करते रहते हैं, जिस कारण बढ़ई का काम करने वाले लोग भुखमरी के कगार पर पहुंच गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में लकड़ी के छोटे कारखाने बंद हो रहे हैं। बेरोजगारी की भयंकर समस्या धीरे-धीरे उत्पन्न हो रही है। इसके अतिरिक्त देश में प्रतिवर्ष विकास कार्यों से संबंधित अनेक बड़ी योजनाएं संचालित होती हैं। उन स्वीकृत योजनाओं का पैसा भी संबंधित विभागों के कोष में राज्य सरकार द्वारा भेज दिया जाता है। टैंडर आदि की प्रक्रिया भी पूरी कर ली जाती है। जब ठेकेदार अथवा संबंधित विभाग के सरकारी कर्मचारी काम करने जाते हैं, तब वन विभाग के अधिकारी

[श्री राजनरायन बुधौलिया]

अकारण अपनी जमीन दिखा कर अनेक जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण योजनाओं में रोक लगा कर अवरोध पैदा कर देते हैं। इससे जनता में काफी जनाक्रोश है। उदाहरण के तौर पर मेरे ही संसदीय क्षेत्र के भेड़ी (हमीरपुर) उ.प्र. से पथरैंटा (जालौन), उ.प्र. तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेतवा नदी पर लम्बी लागत से बनने वाले पुल का निर्माण वन विभाग द्वारा रोक दिया गया है।

अतः आपके माध्यम से मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि देश में होने वाले विकास कार्यों, लकड़ी के कारखानों, बढ़ई वर्ग में बढ़ती बेरोजगारी को रोकने एवं मेरे संसदीय क्षेत्र के भेड़ी से पथरैंटा तक बनने वाली सड़क एवं बीच में बेतवा नदी पर राज्य सरकार द्वारा लम्बी लागत से बनने वाले पुल के निर्माण में उत्पन्न गतिरोध एवं देश में जनहित से जुड़ी विकास योजनाओं में वन विभाग से आने वाले अवरोध को शीघ्र दूर करने हेतु आवश्यक निर्देश जारी करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

श्रीमती पी. सतीदेवी (बडागरा): महोदय, मैं राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर प्रस्तावित तेल्लिचेरी-माहे उपमार्ग के निर्माण की आवश्यकता के बारे में सम्माननीय सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। तेल्लिचेरी-माहे का प्रस्तावित उपमार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग-17 पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। कन्नूर और माहे के बीच अभी जो सड़क है उस पर काफी सघन यातायात रहता है। तेल्लिचेरी मलाबार क्षेत्र का प्रमुख व्यापारिक केंद्र है और उसे राज्य के विभिन्न हिस्सों सहित कर्नाटक और पांडिचेरी से जोड़ने की आवश्यकता है। तेल्लिचेरी-माहे के बीच कि.मी. सं. 177/00 से लेकर कि.मी. सं. 184/600 तक यातायात काफी सघन रहता है। राष्ट्रीय राजमार्ग पर कि.मी. सं. 177/00 से लेकर कि.मी. सं. 179/00, अर्थात् सैतरयल्ली, तक ही एक सहायक मार्ग है लेकिन उस पर दोहरा यातायात संभव नहीं है। इस पर एकल यातायात की ही अनुमति है। व्यस्ततम समय में तो दो किलोमीटर की यह दूरी तय करने में आधे घण्टे से अधिक समय लग जाता है।

यद्यपि उक्त उप-मार्ग के लिए प्रस्ताव कई वर्षों से है तथापि इसे अभी तक मंजूरी नहीं मिली है। 12 कि.मी. की भूमि के अर्जन का काम पूरा हो चुका है और इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। इस उप-मार्ग का कार्य पूरा करने के लिए दो सेतुओं के निर्माण की आवश्यकता है। अतः, सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय इस उप-मार्ग का कार्य पूरा करने के लिए तत्काल कदम उठाए।

श्री खगेनदास (त्रिपुरा-पश्चिम): महोदय, मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं कि त्रिपुरा से लगी भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ लगाने का काम छह वर्ष पूर्व इस दृष्टि से शुरू किया गया था कि सीमापार से प्रायोजित आतंकवाद, घुसपैठ और सीमापार से होने वाले अपराधों इत्यादि को रोका जा सके, तथापि यह काम अभी भी अधूरा ही पड़ा है। 120 कि.मी. की भू-पट्टी पर जिसे आतंकवादी घुसपैठ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं - यह कार्य अभी प्रारंभ होना बाकी है। अनुमान है कि सीमा पर बाड़ लगाने की वजह से 7000 से अधिक परिवार विस्थापित किए जा चुके हैं जिनमें से अधिकांश गरीबी-रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार हैं। त्रिपुरा सरकार ने इन परिवारों के पुनर्वास के लिए 93 करोड़ रुपये की एक योजना स्वीकृत की है। मैं केंद्र सरकार से निम्नलिखित बिंदुओं पर तत्काल आवश्यक कदम उठाने का आग्रह करता हूं:

(एक) राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित धनराशि स्वीकृत की जाए।

(दो) बाड़ लगाने के कार्य हेतु शेष भूमि पर यह कार्य आरंभ किया जाए।

(तीन) बाड़ को अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ ही लगाया जाए।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर): मान्यवर सभापति जी, मैं एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। भारत में स्थायी रूप से रहने वाला जो भी व्यक्ति है, उसे राष्ट्रीय नागरिकता कार्ड के रूप में स्मार्ट कार्ड दिया जाए, जिसमें उसका सारा ब्यौरा जैसे मतदाता निर्वाचन क्षेत्र, मतदाता सूची का भाग और उसकी संख्या, व्यक्ति का सम्पूर्ण ब्यौरा, उसका नाम, पिता का नाम, घर का पता, कार्य के स्थान का ब्यौरा, वैवाहिक स्थिति, बच्चों का ब्यौरा, बैंक के खाते का ब्यौरा, राशन कार्ड संख्या, पासपोर्ट संख्या, पैन संख्या और ड्राइविंग लाइसेंस संख्या आदि सभी बातें हों। भारत के प्रत्येक निवासी को वोट डालना अनिवार्य कर दिया जाए। इससे चुनाव संबंधी बहुत बड़ी समस्या हल होगी और चुनाव खर्च में कमी आएगी। अतः मैं केन्द्र सरकार से मांग करता हूं कि जैसे अन्य देशों में राष्ट्रीय नागरिकता की पहचान हेतु स्मार्ट कार्ड है, उसी तरह से भारत में प्रत्येक नागरिक को राष्ट्रीय नागरिकता स्मार्ट कार्ड दिया जाए जिससे कि देश के नागरिकों की अलग से पहचान हो सके।

श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर): सभापति जी, कोल इंडिया में पिछले 18 महीनों से ई-ऑक्शन के माध्यम से लघु व अन्य उद्योगों को कोयला लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसके चलते देश के अनेक उद्योग-लघु उद्योग बन्द हो गए हैं तथा कुछ बन्द होने के कगार पर हैं। इस प्रणाली को लागू करके उसने अपनी मौनोपौली का दुरुपयोग किया है। कुछ लघु उद्योगों द्वारा सुप्रीम कोर्ट में अपील किए जाने पर हाल ही में 1 दिसम्बर को सुप्रीम कोर्ट ने इन लघु उद्योगों व अन्यों को राहत दी तथा इन सभी उद्योगों को नोटिफाइड रेट से कोयला देना उचित बताया है तथा ई-ऑक्शन प्रणाली को अवैध करार दिया है एवं लघु उद्योगों को समाप्त करने वाली नीति बताते हुए लघु उद्योगों को तुरन्त राहत देने की सलाह दी है। इसके साथ-साथ ई-ऑक्शन से प्राप्त अधिक दाम की रकम लौटाने की बात कही एवं 12 प्रतिशत ब्याज सहित डिपॉजिट रकम लौटाने के निर्देश दिए हैं।

महोदय, मैं मांग करता हूं कि कोल इंडिया तथा कोल मंत्रालय द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली लागू करने के लिए जिम्मेदार तत्कालीन कोल मंत्रालय के सचिव एवं कोल इंडिया के अध्यक्ष जिम्मेदार हैं। मेरी जानकारी के अनुसार तत्कालीन कोयला मंत्री एवं कोयला राज्य मंत्री द्वारा ई-ऑक्शन प्रणाली को न लागू करने की लिखित सूचना देते हुए अपनी असहमति जताई। इन दोनों आला अधिकारियों ने योजना आयोग के उपाध्यक्ष व माननीय प्रधान मंत्री जी को गुमराह कर इस ई-ऑक्शन हेतु सहमति प्राप्त कर ली तथा इसे लागू किया गया, जिससे देश के लघु उद्योग खतरे में आ गए और कुछ बंद हो गए। लघु उद्योगों से करोड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। इन लघु उद्योगों को बन्द कराने की किसी विदेशी साजिश को सफल बनाने में इन दोनों अधिकारियों को इस्तेमाल किए जाने का संदेह है। इस सारी साजिश व मामले की सी.बी.आई. द्वारा जांच होनी चाहिए तथा सभी लिंकेज कस्टूमर व चालू उद्योगों को जिन्हें काला बाजार से कोयला लेना पड़ रहा है, उन सभी को नोटिफाईड दर से कोयला दें, यही मांग मैं आपके माध्यम से सरकार से करता हूं।

श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर): सभापति महोदय, राष्ट्रीय पक्षी मोर का अस्तित्व खतरे में नजर आ रहा है। जिस मोर का महत्व पौराणिक काल से भगवान कृष्ण के मुकुट की शोभा बढ़ाने के रूप में जाना जाता था, आज भी दीपावली की पूजा में विशेष महत्व रखता है तथा धार्मिक अवसरों पर होने वाले नृत्यों में भी मोर नृत्य का प्रदर्शन होने पर नृत्य करने वाले अनायास ही दर्शकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। सावन के महीने में बारिश की शुरुआत होने पर स्थान-स्थान पर मोर पर्यटन केन्द्रों पर बड़े-बड़े होटलों में विदेशी पर्यटकों को महंगी दरों पर मोर का मांस परोसा जा रहा है। इस कार्य में न सिर्फ उन पर्यटन केन्द्रों के आसपास के गांवों के ग्रामीण मोरों की हत्या कर चोरी छिपे होटलों में बेच देते हैं बल्कि पेशेवर शिकारियों द्वारा भी इस कार्य को अवैध रूप से बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।

महोदय, विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खजुराहो के समीप लौंडी रेंज की बम्होरी बीट में राष्ट्रीय पक्षी मोर का अवैध शिकार का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्षेत्र के दलपतपुरा, बम्होरी, बहादुरजू, अतर्रा, गोमाखुर्द, गुना पुरवा और नवादा आदि गांवों में रात के वक्त शिकारी तेज रोशनी वाली टार्चें लेकर जंगलों में घूमते हैं और टार्च की रोशनी में वृक्षों के ऊपर बैठे मोरों को अपनी बंदूक की गोलियों का निशाना बना देते हैं। भूख और प्यास के कारण बेहाल मोर शिकारियों को देखकर ज्यादा भाग नहीं पाते। इसलिए कई बार तो शिकारी उन्हें कुछ दूर दौड़ाने के बाद लाठियों से पीटकर भी मौत के घाट उतार देते हैं। इस क्षेत्र में 5 वर्ष पूर्व 10 हजार से अधिक मोर थे। धीरे-धीरे उनका शिकार होता गया और अब इस इलाके में मात्र 3 हजार के आसपास मोरों की संख्या रह गई है। शाकाहारियों एवं बुद्धिजीवियों ने इस पर गहरी चिन्ता प्रकट की है।

महोदय, मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि सारे देश में एक विशेष संरक्षण अभियान चलाकर मोरों के शिकार की गोपनीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने की कार्रवाई करें ताकि राष्ट्रीय पक्षी मोर को बचाया जा सके।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान (देवगढ़): सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत सरकार का ध्यान एक अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। कुपोषण के कारण आज देश में विशेषकर शिशु और महिलाओं में एनीमिया बढ़ रहा है। नैशनल फेमिली एंड हैल्थ सर्वे टीम ने हाल ही में जो सर्वे किया है उसके जो तथ्य सामने आए हैं, वे बहुत भयावह हैं। सर्वे टीम के अनुसार 6 से 35 महीने की आयु वर्ग के शिशुओं में से 75 प्रतिशत शिशुओं को एनीमिया पाया गया है। इसी प्रकार गर्भवती महिलाओं में 54 प्रतिशत को एनीमिया की शिकायत पाई गई है। इससे देश को एक बड़ा खतरा पैदा हो गया है जिससे भविष्य में आने वाले भारत की नई पीढ़ी जो आएगी वह एनीमिया के कारण दुर्बल हो जाएगी।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आपका सुझाव क्या है, वह दीजिए।

श्री धर्मेन्द्र प्रधान: सभापति जी, मेरा सुझाव है कि भारत सरकार संपूर्ण देश में तुरन्त एक नई योजना, पोषण हेतु चलाए जिसके कारण युवा भारत को खतरे से बचाया जा सके।

[अनुवाद]

डा. एम. जगन्नाथ (नगर कुरनूल): धन्यवाद, सभापति महोदय। भारत सरकार ने आंध्र प्रदेश में जनसंख्या में प्रतिशत के आधार पर अनुसूचित जाति वर्ग की 59 उप-जातियों को 'क', 'ख', 'ग', 'घ' श्रेणियों या समूहों में विभाजित करने और उस आधार पर प्रतिशत-आरक्षण तय करने के लिहाज से अध्ययन करने और उपाय सुझाने के लिए एक एकल सदस्यीय आयोग गठित किया था, जिसका नाम दुरै स्वामिराज आयोग था।

तेलुगूदेशम पार्टी की सरकार के शासनकाल मे इसे कार्यान्वित किया गया तथा सभी समूहों को न्याय मिला और समविकास हुआ। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने इसे तकनीकी आधार पर यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि राज्य सरकार को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। केवल भारत सरकार ही ऐसा करने के लिए प्राधिकृत है...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं अपनी मांगों पर आता हूं। तत्पश्चात्, आंध्र प्रदेश विधानसभा ने अनुसूचित जातिवर्ग की 59 उप-जातियों को 'क', 'ख', 'ग', और 'घ' समूहों में विभाजित करने के पक्ष में सर्वसम्मति से एक संकल्प पारित किया और उसे भारत सरकार के पास भेजा ताकि संविधान संशोधित के जरिए इस पर आगे कार्रवाई हो और आंध्र प्रदेश में वैसा किया जा सके...*(व्यवधान)* महोदय, मैं अपनी मांगों पर ही आ रहा हूं।

आंध्र प्रदेश के सभी राजनैतिक दलों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधानमंत्री से मिला और सभी दलों के नेताओं ने...*(व्यवधान)*

महोदय, यद्यपि न्यायमूर्ति दुरै स्वामिराज आयोग की घोषणा पांच महीने पहले हुई थी लेकिन इसका वास्तविक कामकाज अभी भी शुरू नहीं हुआ है। इससे मीडिया और संबद्ध उप-जातियों को एक शैक्षिक वर्ष और उनके युवाओं को कई नौकरियों का नुकसान होगा...*(व्यवधान)* यदि आयोग शीघ्र ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता तो मडिगा और संबद्ध उप-जातियों को एक शैक्षिक वर्ष और नौजवानों को नौकरियों का नुकसान हो जाएगा।

अतः, महोदय, आपके माध्यम से मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं कि वह देखे कि दुरै स्वामिराज आयोग अपना कार्य शीघ्रता से करे और भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट जल्द सौंपे ताकि इस वास्ते संविधान (संशोधन) विधेयक संसद में आ सके।

[हिन्दी]

श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल): सभापति महोदय, मैं अत्यन्त ही गम्भीर मामले को आपके सामने रखना चाहता हूं। मेरा क्षेत्र यवतमाल, जहां सबसे ज्यादा किसानों की आत्महत्याएं हो रही हैं, प्रधानमंत्री जी वहां आये थे और उन्होंने 3750 करोड़ रुपये का पैकेज दिया। इनमें से 750 करोड़ रुपये केवल किसानों के ऋण और उनके ब्याज के लिए था। बैंकों ने यह किया कि इन किसानों की जो एक्चुअल स्कीम थी, वह पैकेज यह था कि जो आउटस्टेंडिंग ओरिजनल लोन था, उसकी पांच इन्सटालमेंट्स कर दी गई थीं और जो ब्याज था, वह सरकार को भरना था। पांच साल तक जो इण्टरैस्ट एक्रूड होगा, वह भी सरकार भरने वाली थी, लेकिन बैंकों ने यह किया, मैं एग्जाम्पल देता हूं कि 40 हजार रुपये अगर बकाया है तो उन्होंने 60 हजार रुपये लोन सैंक्शन कर दिया और 40 हजार रुपये उसमें से रिकवरी कर ली। पैकेज तो यह था, आप इसे समझ लीजिए, यह बहुत बड़ा करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है, अगर मैं नहीं बता पाऊंगा तो सरकार कुछ नहीं समझ पाएगी और कुछ फायदा नहीं होगा। जो 40 हजार रुपये बकाया था, उसे 60 हजार रुपया सैंक्शन कर दिया।...*(व्यवधान)* आप सुनिये तो सही, मैं एक सैकिण्ड में बता देता हूं।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: सदन में दूसरे नियम में आप आइये, आज डिमांड कर दीजिए। विषय को सदन में रखने के कई तरीके हैं, उसके नियम बने हुए हैं।

श्री हरिभाऊ राठौड़: यह इतना बड़ा घोटाला हुआ, करोड़ रुपये बैंक मैनेजर खा गये।...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप तो अनुभवी सांसद हैं, आपको सदन के नियम मालूम हैं। इस सदन में अपनी बात रखने की नियमावली बनी हुई है। आप बात लम्बी नहीं कर सकते, यह स्पेशल मैंशन है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: किसान मरते जा रहे हैं, सरकार नहीं सुनेगी, आप नहीं सुनेंगे तो किसान मरता जायेगा। इतने बड़े-बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप प्राइम मिनिस्टर को तो समझने दीजिए। वे जो गये तो उन्होंने क्या किया, पैकेज क्या था, क्या सरकार को भी मालूम है कि पैकेज क्या था? क्या कोई बता सकता है?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप मांग करिये न, आपकी क्या मांग है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: देखिये, आप ऐसा मत कीजिए, किसानों की आवाज को मत दबाइये। यह बहुत बड़ा घोटाला हुआ था, मैं समझ रहा था कि जहां 60 हजार सैंक्शन किया था, 40 हजार रुपये उसमें से बकाया काट लिया और 20 हजार में से सैंक्शन करते हुए मैनेजर ने...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यह विधिवत नोटिस देकर एग्रीकल्चर मिनिस्टर के नोटिस में लाना होगा, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से अगर नोटिस में नहीं लाऊंगा तो कैसे लाऊंगा?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप इस विषय को हल्का क्यों कर रहे हैं, यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री हरिभाऊ राठौड़: तो मैं कौन सी जगह जाऊं, मैं इस बात को कहां रखूं, मैं यहां नहीं रख सकता तो आप बताइये कि कौन सी जगह है कि किसान जो आत्महत्या कर रहा है, उसकी बात मैं कहां रखूं?...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: आप सरकार से अपनी डिमांड करिये, मैं आपको एक मिनट समय देने के लिए तैयार हूं, आप सरकार से डिमांड कीजिए।

श्री हरिभाऊ राठौड़: मेरी डिमांड यह है कि इसकी जांच करवाई जाये, यह सिम्पल चीज है। पैकेज के बारे में जो घोटाला हुआ, इसमें बैंक के मैनेजरों द्वारा एजेण्ट लगाये गये और किसानों को ऋण देते टाइम कमीशन खाया और बहुत बड़ी धांधली, बहुत बड़ा घोटाला हुआ, उसकी जांच होनी चाहिए और जो पैसा उन्होंने रिकवर किया है, वह वापस किसानों को मिलना चाहिए, यह मेरी मांग है। धन्यवाद।

श्री निहाल चन्द (श्रीगंगानगर): माननीय सभापति महोदय, देश की लगभग एक अरब से ज्यादा की आबादी है और भारत की 70 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्र में रहती है तथा 30 प्रतिशत आबादी शहरों में निवास करती है। शहरी क्षेत्र की अधिकांश जनता शिक्षित है। ग्रामों में भी शिक्षा का स्तर काफी बढ़ता जा रहा है। परन्तु देश में मतदान के प्रति लोगों का रूझान बजाए बढ़ने के घटता जा रहा है, जबकि सरकार द्वारा मतदान के दिन निजी एवं सरकारी सभी संस्थानों का अवकाश घोषित कर दिया जाता है। देश में मतदान के प्रति ज्यादातर अरुचि उच्च, शिक्षित एवं शहरी वर्ग में है।

शहरों में जो उच्चवर्गीय एवं मध्यमवर्गीय कालोनी हैं, उनमें मतदान का स्तर 20 से 30 प्रतिशत तक रहता है। गांव में चालीस से पचास प्रतिशत तक मतदान का प्रतिशत रहता है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि कम मतदान के कारण अच्छे जनप्रतिनिधि और अच्छी सरकारें चुनने की जो उम्मीद होती है, वह अक्सर पूरी नहीं हो पाती है। देश के प्रत्येक नुमाइन्दों को शिक्षित एवं पढ़ा-लिखा वर्ग नहीं, बल्कि कम पढ़ी-लिखी जनता चुनती है, तो यह कहना गलत नहीं होगा।

मेरा आपके माध्यम से मेरा सरकार से निवेदन है कि मतदान प्रक्रिया को अनिवार्य बनाया जाए। प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। वे अपने अधिकार को अपना कर्तव्य समझें। प्रत्येक व्यक्ति वोट डाले, ऐसा संविधान में अमेंडमेंट किया जाए या ऐसा कोई कानून बने। मेरा आपके माध्यम से यही निवेदन है।

[अनुवाद]

श्री डी.के. आदिकेसवुलु (चित्तूर): महोदय, यह मुर्गी पालन उद्योग के संबंध में है जो कि किसानों को जीविकोपार्जन का साधन है। विशेषकर रायलसीमा में उन्हें समाप्त कर दिया गया है। हाल ही में, भारत सरकार ने ओ.टी.एस. योजना के अंतर्गत राहत मंजूर की है।

समय की कमी के कारण मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि मुझे अपना लिखित विशेष उल्लेख सभा पटल पर रखने की अनुमति दें।

दूसरी चीज गन्ने की कीमतों में वृद्धि के बारे में है।

सभापति महोदय: आप इसे पटल पर रख सकते हैं।

***श्री डी.के. आदिकेसवुलु:** महोदय, मैं इसे रखता हूं...

आदरणीय महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के एक मामले की ओर सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र राज्यों और सम्पूर्ण देश में सभी लघु किसान जो कि मुर्गी पालन के द्वारा अर्जित छोटी सी आय से अपनी जीवन दशा में सुधार लाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उन पर हाल ही में बर्ड फ्लू नामक बीमारी का संकट आया जिसने उनके फार्म से मुर्गियों को पूरी तरह समाप्त कर दिया। परिणामस्वरूप विशेषकर मेरे जिले में और सम्पूर्ण रायलसीमा में आत्महत्या की अनेक घटनाएं घटीं, जहां खेती के लिए जल का कोई साधन नहीं है और इसलिए किसान मुर्गी पालन और दुधारू ग्रायों पर निर्भर है। यह बहुत बड़ा आघात है जिससे कृषक समुदाय अभी तक नहीं उबर सका है। अप्रत्याशित घाटे और परिणामस्वरूप ऋण के बोझ से भारतीय किसान का जीना दूभर हो रहा है।

अब ऐसी रिपोर्ट है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को उन संकटग्रस्त किसानों की

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री डी.के. आदिकेसवुलु]

सहायता करने के लिए राहत प्रदान करने की सलाह दी है जिनके खाते एकमुश्त निपटान (ओ.टी.एस.) नीतियां बनाकर प्राकृतिक आपदाओं के कारण पहले ही गैर-अनुसूचित कर दिए गए थे। ऐसा पता चला है कि जिन किसानों को जिन्हें बर्ड फ्लू के संकट से भारी नुकसान हुआ है वे ओ.टी.एस. योजना नीतियों के अंतर्गत शामिल नहीं हैं। यद्यपि, माननीय कृषि मंत्री ने 4 प्रतिशत ब्याज कम करके और सुविधा को पुनः अनुसूचित करके मुर्गी पालन करने वालों की मदद की। किंतु दुर्भाग्य से छोटे मुर्गी पालकों को सुविधा का लाभ नहीं मिल सका। इन किसानों को ओ.टी.एस. योजना के लाभ से वंचित करने का दुष्प्रभाव किसानों पर ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण ग्रामीण समुदायों, जो कि कृषि गतिविधियों पर निर्भर रहते हैं, पर पड़ेगा। मुर्गी पालकों को सुविधाओं का लाभ देते हुए सरकार इस बात पर विचार कर सकती है कि ओ.टी.एस. योजना पर विचार करते हुए ब्याज में कटौती के लाभ पर ध्यान दिया जाए।

कुक्कुट पालन को ओ.टी.एस. नीतियों के अंतर्गत शामिल करने से परेशानी में चल रहे किसानों को राहत और खुशी मिल सकती है।

अतः मेरा सरकार से अनुरोध है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन किसानों ने बर्ड फ्लू की बीमारी कारण अपने मुर्गी पालन फार्म गवां दिए हैं उन्हें ओ.टी.एस. की नीतियों के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र बनाए जाएं।

आंध्र प्रदेश में गन्ना 5,00,000 एकड़ क्षेत्र में उगाया जाता है और राज्य में 37 चीनी मिले हैं। यदि आप गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य को देखें तो पायेंगे कि इसमें इस वर्ष 7.50 प्रति टन की मामूली सी वृद्धि हुई है। गन्ना उत्पादक जिस समस्या को पिछले 30 वर्षों से झेल रहे हैं वह यह है कि कीमत 8.5 प्रतिशत वसूली की दर पर नियत रखी गयी है। 2004 में वसूली प्रतिशत बढ़ाकर 9 प्रतिशत कर दिया गया। इसके कारण आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों को प्रतिवर्ष 200 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है। इसके अतिरिक्त, पहले का निर्धारण सर्वाधिक वसूली के आधार पर था परन्तु अब सरकार इसका निर्धारण औसत मौसमी वसूली पर कर रही है। परिणामस्वरूप गन्ना उत्पादकों को 100 रुपये प्रति टन की हानि हो रही है। और जहां अन्य राज्य किसानों को परिवहन और कटाई प्रभार दे रहे हैं, वहां आंध्र प्रदेश में चीनी मिलें उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद भी नहीं दे रही हैं। वर्तमान प्रोत्साहन योजना के अनुसार सरकार को जो भी खरीद कर मिलता है वह किसानों को हस्तांतरित किया जाना चाहिए। अब केवल एक अंश ही दिया जाता है और भार्गव फार्मूले के अनुसार सरकार को चीनी की खुली बिक्री के माध्यम से मिलने वाले लाभ का 50 प्रतिशत हिस्सा भी किसानों को नहीं मिल रहा है।

इसलिए, आंध्र प्रदेश के गन्ना उत्पादकों की रक्षा करने के लिए भारत सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और आंध्र प्रदेश की चीनी मिलों को निर्देश देना चाहिए कि कटाई और परिवहन प्रभारों का भुगतान करें। गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य सीजन से पूर्व घोषित किया जाना चाहिए ताकि किसान फसल की व्यवहार्यता का आकलन कर सकें और तदनुसार आगे कदम बढ़ा सकें। दूसरी बड़ी समस्या जिसका समाधान किया जाना है वह है कि चीनी मिलें किसी भी किसान से गन्ना खरीदने के लिए स्वतंत्र हैं। परन्तु किसान को अपनी पसंद की मिल पर गन्ना बेचने से रोका जाता है। अंत में, आगे से क्षेत्रीय प्रणाली समाप्त की जानी चाहिए और किसानों तक फसल बीमा योजना पहुंचाने के कार्य का अक्षरशः पालन किया जाना चाहिए।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा): महोदय, मुझे बोलने का मौका देने के लिए आपका धन्यवाद। यह पाटन और भिलडी (बड़ी लाइन) के बीच टूटे हुए सम्पर्क के निर्माण के बारे में है।

भिलड़ी-समद्री मार्ग के अधिकतम उपयोग और गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के कुछ भागों से मुख्य भूमि क्षेत्र की ओर कारगो की आवाजाही को सुगम बनाने के लिए पाटन और भिलड़ी के बीच टूटे हुए सम्पर्क का निर्माण आवश्यक है। यदि यह टूटा हुआ सम्पर्क निर्मित हो जाता है तो इससे अहमदाबाद, मेहसाणा, पाटन, भिलड़ी, समद्री, जोधपुर, बीकानेर, भटीना के बीच सम्पर्क हो जाएगा और यह सौराष्ट्र से वाया वीरमगाम, मेहसाणा, पाटन, भिलड़ी, समद्री, जोधपुर, बीकानेर तथा भटिंडा के बीच पत्तन कारगो के लिए सम्पर्क बन जाएगा।

इसलिए, मेरा सरकार से आग्रह है कि यथा शीघ्र कार्य कराया जाए।

[हिंदी]

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन): सभापति महोदय, मेरे उत्तर प्रदेश के लोकसभा क्षेत्र जालौन गरोठा में, जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो धन उपलब्ध कराया जा रहा है, चाहे वह प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हो, चाहे वह श्रम विकास योजना के तहत हो, चाहे वह राजीव गांधी शत-प्रतिशत विद्युतीकरण

योजना के तहत हो, उनमें जो धन लगाया जा रहा है, न तो उसका प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, विशेष तौर पर वहां के जो क्षेत्रीय विधायक हैं, वहां की रूलिंग पार्टी के जो अध्यक्ष हैं, वे उसका उद्घाटन कर रहे हैं। जबकि केंद्रीय पैसे से होने वाले काम का उद्घाटन सांसद द्वारा कराया जाना चाहिए। राजीव गांधी शत-प्रतिशत विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत जो विद्युतीकरण हो रहा है, उसमें पांच एमबीए की जगह आठ एमबीए का ट्रांसफार्मर रखा गया था। उसका उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक 28 तारीख को कर रहे थे, मगर हमारे विरोध करने पर यह नहीं हुआ, लेकिन जब मैंने उसका उद्घाटन कर दिया, तो जिले के अधिकारी द्वारा वह पत्थर उखाड़ लिया गया। मैं केंद्र सरकार से मांग करना चाहता हूं, जो केंद्रीय धन है, जो पत्थर मेरे द्वारा लगाया गया था और जिसका प्रचार किया गया था, वह पत्थर हटा लिया गया है। उसकी जांच करायी जाए कि वह पत्थर क्यों हटाया है? उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाए, जिन अधिकारियों ने पत्थर हटाया है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय: श्री मल्लिकार्जुनैया, आपका मामला माननीय अध्यक्ष के क्षेत्राधिकार में आता है। इसलिए प्रतिष्ठापित पूर्वोदाहरणों के अनुसार आप इसे यहां नहीं उठा सकते।

सभी माननीय सदस्यों से रिक्वेस्ट है कि वे पी.एल.बी. में पहुंचे, कार्यक्रम शुरू हो गया है।

सभा कल 8 दिसम्बर, 2006 को प्रात: 11.00 बजे समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 6.53 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 8 दिसम्बर, 2006/ 17 अग्रहायण, 1928 (शक) को प्रात: ग्यारह बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील श्री हरिकेवल प्रसाद	222
2.	श्री रशीद मसूद	223
3.	श्री जसवंत सिंह बिश्नोई श्री गणेश सिंह	224
4.	श्री जी. करूणाकर रेड्डी श्री एल. राजगोपाल	225
5.	श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया श्री तथागत सत्पथी	226
6.	श्रीमती किरण माहेश्वरी डा. चिन्ता मोहन	227
7.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री गिरिधारी यादव	228
8.	श्रीमती संगीता कुमारी सिंहदेव श्री हरिसिंह चावड़ा	229
9.	श्रीमती रूपाताई डी. पाटील श्री संतोष गंगवार	230
10.	श्री हरिन पाठक श्री एन.एन. कृष्णदास	231
11.	श्री भूपेन्द्र सिंह सोलंकी श्री महेश कनोडीया	233
12.	श्री पी. करूणाकरन	234
13.	श्री पी.सी. थामस श्री बसुदेव आचार्य	237
14.	श्री ब्रजेश पाठक	238
15.	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	239
16.	श्री राम कृपाल यादव श्री रामदास आठवले	240
17.	श्री वी.के. दुग्मर	241

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	आरुन रशीद, श्री जे.एम.	2260, 2347
2.	आचार्य, श्री बसुदेव	2277, 2358
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2228, 2251, 2341, 2391, 2412
4.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2327, 2376
5.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2269
6.	अजनाला, डा. रतन सिंह	2240
7.	अप्पादुरई, श्री एम.	2244, 2337, 2394, 2416
8.	अर्गल, श्री अशोक	2207
9.	आठवले, श्री रामदास	2353, 2387, 2417
10.	'बाबा', श्री के.सी. सिंह	2223
11.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2325, 2431
12.	बर्मन, श्री हितेन	2241
13.	बर्मन, श्री रनेन	2376
14.	बर्क, डा. शफीकुर्रहमान	2408
15.	बाउरी, श्रीमती सुस्मिता	2306, 2316
16.	बखला, श्री जोवाकिम	2218

1	2	3
17.	भडाना, श्री अवतार सिंह	2269
18.	भक्त, श्री मनोरंजन	2261, 2348, 2383, 2408
19.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2272, 2321, 2372
20.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2253
21.	बोस, श्री सुव्रत	2376
22.	बुधौलिया, श्री राजनरायन	2326, 2375
23.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2222, 2346
24.	चालिहा, श्री किरिप	2237
25.	चौरे, श्री बापू हरी	2233, 2328
26.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2344, 2371
27.	चिन्ता मोहन, डा.	2346
28.	चित्तन, श्री एन.एस.वी.	2263
29.	चौधरी, श्री अधीर	2231, 2354, 2388, 2414, 2428
30.	देवरा, श्री मिलिन्द	2220, 2231, 2313, 2375, 2379
31.	धनराजू, डा. के.	2331, 2377, 2404
32.	ढींडसा, श्री सुखदेव सिंह	2240
33.	घोत्रे, श्री संजय	2328
34.	फैन्थम, श्री फ्रांसिस	2287
35.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	2279, 2259
36.	गढ़वी, श्री पी.एस.	2276
37.	गायकवाड, श्री एकनाथ महादेव	2408, 2257
38.	गंगवार, श्री संतोष	2309
39.	गवली, श्रीमती भावना पुंडलिकराव	2328
40.	गोहेन, श्री राजेन	2248
41.	गौडा, श्री डी.वी. सदानन्द	2267, 2350, 2385, 2409
42.	हसन, चौधरी मुनव्वर	2290, 2361
43.	जगन्नाथ, डा. एम.	2252, 2273, 2388
44.	जय प्रकाश, श्री	2215, 2324
45.	जयाप्रदा, श्रीमती	2389
46.	झा, श्री रघुनाथ	2280
47.	जिन्दल, श्री नवीन	2287
48.	जोगी, श्री अजीत	2245, 2338
49.	कलमाडी, श्री सुरेश	2214, 2275
50.	कनोडीया, श्री महेश	2330
51.	करूणाकरन, श्री पी.	2302, 2359
52.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2431
53.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2243, 2336, 2382, 2395
54.	खां, श्री सुनील	2270, 2306, 2316, 2339
55.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2297, 2329, 2345, 2363
56.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2227
57.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2206, 2270, 2310, 2366, 2397

1	2	3
58.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2204, 2312, 2367, 2398, 2430
59.	कोया, डा. पी.पी.	2291
60.	कृष्ण, श्री विजय	2286, 2335, 2362
61.	कृष्णदास, श्री एन.एन.	2339, 2355
62.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2333
63.	लाहिरी, श्री समिक	2376
64.	लिब्रा, सरदार सुखदेव सिंह	2240
65.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2286, 2431
66.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	2249
67.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	2252
68.	महरिया, श्री सुभाष	2281, 2372
69.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2344, 2401, 2255
70.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2326, 2375
71.	महतो, श्री टेक लाल	2285
72.	मल्होत्रा, प्रो. विजय कुमार	2271
73.	मल्लिकार्जुनैया, श्री एस.	2294
74.	माने, श्रीमती निवेदिता	2408, 2257
75.	मसूद, श्री रशीद	2303, 2364, 2400, 2421
76.	मेघवाल, श्री कैलाश	2211, 2351
77.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2288, 2331, 2377
78.	मिश्रा, डा. राजेश	2269, 2407
79.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2252, 2345 2363, 2256
80.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	2343, 2346
81.	मो. ताहिर, श्री	2252, 2389, 2390, 2426
82.	मोहिते, श्री सुबोध	2209
83.	मोल्लाह, श्री हन्नान	2250
84.	मूर्ति, श्री ए.के.	2394
85.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2248
86.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	227
87.	नायक, श्री अनन्त	2298
88.	नायक, श्रीमती अर्चना	2212
89.	निखिल कुमार, श्री	2247, 2326, 2414
90.	निजामुद्दीन, श्री गुंडलूर	2295, 2325
91.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2217, 2308, 2369, 2410, 2425
92.	पलनाती त्रामी, श्री के.सी.	2216, 2307, 2365, 2396, 2420
93.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2234, 2342, 2381, 2407
94.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2324
95.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2346
96.	पटेल, श्री दाह्याभाई वल्लभभाई	2221, 2360
97.	पटेल, श्री जीवाभाई, ए.	2327, 2370, 2376, 2403

1	2	3
98.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2315, 2368, 2399, 2423
99.	पाठक, श्री ब्रजेश	2378, 2403, 2405, 2424
100.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	2205, 2231, 2311
101.	पटले, श्री शिशुपाल	2244, 2292, 2411, 2418
102.	पोन्नुस्वामी, श्री ई.	2282, 2319
103.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2301, 2371, 2401
104.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	2239, 2332
105.	राजगोपाल, श्री एल.	2305
106.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2224
107.	राणा, श्री गुरजीत सिंह	2287
108.	राणा, श्री काशीराम	2431
109.	राव, श्री के.एस.	2208, 2304, 2384
110.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2259
111.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2230
112.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2238, 2323, 2393
113.	रेड्डी, श्री जी, करूणाकर	2266, 2299, 2373, 2419
114.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2283
115.	रेड्डी, श्री सुरवरम सुधाकर	2252, 2266
116.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2319, 2370
117.	रिजीजू, श्री किरेन	2324
118.	साई प्रताप, श्री ए.	2252
119.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2232, 2340, 2379, 2380, 2415
120.	शर्मा, डा. अरुण कुमार	2229
121.	सरोज, श्री तूफानी	2226, 2335, 2379, 2406
122.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2253
123.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2296
124.	सत्पथी, श्री तथागत	2298, 2300
125.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2322, 2374, 2302, 2422
126.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	2248, 2258
127.	शर्मा, डा. अरविन्द	2293
128.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2228, 2251, 2289, 2314, 2341
129.	शिवन्ना, श्री एम.	2252, 2262, 2268, 2352, 2386
130.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2235, 2318, 2390, 2411, 2426
131.	सिद्दीश्वर, श्री जी.एम.	2274, 2432
132.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2329
133.	सिंह, चौधरी लाल	2242, 2334
134.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2265, 2408
135.	सिंह, श्री दुष्यंत	2213, 2260
136.	सिंह, श्री गणेश	2344, 2376

1	2	3
137.	सिंह, श्री कीर्ति वर्धन	2408
138.	सिंह, श्री मोहन	2260
139.	सिंह, श्री रेवती रमन	2284, 2352, 2433
140.	सिंह, श्री सीताराम	2288
141.	सिंह, श्री सुग्रीव	2317, 2392, 2418, 2260
142.	सिंह, श्री उदय	2231, 2354, 2388, 2428
143.	सोलंकी, श्री भूपेन्द्रसिंह	2330
144.	सोनोवाल, श्री सर्वानन्द	2264, 2349
145.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2219, 2252, 2339, 2344, 2359
146.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2210, 2357, 2378
147.	शुक्लवैद्य, श्री ललित मोहन	2252
148.	सुमन, श्री रामजीलाल	2346
149.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2431
150.	तुम्मर, श्री वी.के.	2246, 2319, 2403
151.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2278, 2358, 2389, 2413, 2427
152.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2236, 2320, 2259
153.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2357, 2429
154.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2228, 2251, 2289, 2314, 2341
155.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2246, 2339
156.	यादव, श्री बालेश्वर	2351
157.	यादव, श्री गिरिधारी	2339
158.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2252, 2292
159.	यादव, कुंवर देवेन्द्र सिंह	2225
160.	यादव, श्री पारसनाथ	2254

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	226, 231, 238
संस्कृति	:	228
रक्षा	:	235
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	
अल्पसंख्यक मामले	:	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	225, 227, 230, 233, 236, 237, 239, 241
रेल	:	222, 224, 229, 234
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	:	232, 240
पर्यटन	:	223

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	:	2237, 2243, 2246, 2249, 2253, 2254, 2255, 2258, 2270, 2272, 2275, 2282, 2290, 2291, 2319, 2320, 2322, 2330, 2337, 2344, 2347, 2349, 2351, 2352, 2357, 2363, 2369, 2370, 2374, 2380, 2381, 2386, 2388, 2394, 2400, 2408, 2418, 2427, 2431, 2432
संस्कृति	:	2247, 2259, 2266, 2267, 2297, 2307, 2317, 2333, 2350, 2360, 2365, 2377, 2385
रक्षा	:	2204, 2205, 2213, 2219, 2231, 2233, 2235, 2244, 2265, 2283, 2284, 2287, 2289, 2296, 2306, 2313, 2314, 2315, 2316, 2318, 2328, 2334, 2341, 2359, 2375, 2391, 2407, 2412, 2423, 2429, 2433
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	:	2211, 2218, 2241, 2285, 2332, 2376, 2410
भारी उद्योग और लोक उद्यम	:	2214, 2234, 2262, 2280, 2309, 2339, 2378, 2382, 2404, 2413
अल्पसंख्यक मामले	:	2269, 2279
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	:	2212, 2215, 2228, 2229, 2251, 2257, 2263, 2274, 2276, 2278, 2286, 2300, 2304, 2326, 2331, 2336, 2340, 2343,

2346, 2348, 2353, 2372, 2390, 2392, 2399, 2403, 2411, 2415, 2421, 2422, 2428

रेल : 2207, 2208, 2209, 2210, 2216, 2217, 2220, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2236, 2238, 2239, 2242, 2245, 2248, 2250, 2252, 2261, 2268, 2273, 2277, 2281, 2288, 2292, 2293, 2294, 2295, 2298, 2301, 2302, 2303, 2308, 2310, 2311, 2321, 2323, 2324, 2325, 2327, 2329, 2335, 2338, 2342, 2345, 2354, 2355, 2356, 2358, 2361, 2362, 2364, 2366, 2367, 2368, 2371, 2379, 2389, 2393, 2395, 2398, 2401, 2402, 2405, 2406, 2414, 2416, 2417, 2420, 2424, 2425, 2426, 2430

सामाजिक न्याय और अधिकारिता : 2206, 2230, 2271, 2305, 2373, 2383, 2384, 2387

पर्यटन : 2221, 2232, 2240, 2256, 2260, 2264, 2299, 2312, 2396, 2409, 2419.

इन्टरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

. http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और चौधरी मुद्रण केन्द्र, 12/3 श्रीराम मार्ग, साउथ मौजपुर, दिल्ली-110 053 द्वारा मुद्रित।